इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 फरवरी 2021–माघ 16, शक 1942

विषय–सूची

भाग 1.–(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक–भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.– स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.–(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकी सूचनाएं.

भाग 4.– (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम. (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2021

क्र. ई–1–1–2021–5–एक.– श्री संदीप कुमार माकिन, भाप्रसे (2010), आयुक्त नगरपालिक निगम, ग्वालियर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2021

क्र. ई–1–03–2021–5–एक.– श्री मनीष सिंह, भाप्रसे (1997), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ–साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) श्री मनीष सिंह द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का प्रभार ग्रहण करने पर श्री नीतेश कुमार व्यास, भाप्रसे (1996), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2021

क्र. ई–1–4–2021–5–एक .– नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2021.

में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :–

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना 3 में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री शिवम वर्मा (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,ग्वालियर	आयुक्त, नगरपालिक निगम, ग्वालियर	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन
2.	श्री रौशन कुमार सिंह (2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खण्डवा.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना	–

क्र. ई–1–5–2021–5–एक .– श्रीमती रेनू तिवारी, भाप्रसे (2000), सचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई–1–8–2021–5–एक .– श्री आनंद कुमार शर्मा, भाप्रसे (2001), कमिश्नर, उज्जैन संभाग, उज्जैन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2021

क्र. एफ ए 5–02–2021–एक (1).– उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मान. न्यायाधिपति महोदया, श्रीमती अंजुली पालो, उच्च न्यायालय, जबलपुर मध्यप्रदेश को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्युटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:–

अ.क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	09 दिसम्बर 2020 तक के 01 दिन का	एक	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश	–

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2021

क्र. एफ 1(ए)25–2013–ब–2–दो.– राज्य शासन द्वारा श्री आदित्य प्रताप सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला धार को खण्ड वर्ष 2018–21 के द्वितीय विस्तार वर्ष 2021 में अवकाश सुविधा यात्रा अंतर्गत गृह नगर अलवर (राजस्थान) जाने हेतु दिनांक 11 से 18 जनवरी 2021 तक, कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10 जनवरी 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ परिवार के निम्नलिखित सदस्यों सहित कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1.	श्री आदित्य प्रताप सिंह	–	स्वयं
2.	श्रीमती अंकिता खेमका	–	पत्नी
3.	कु. आद्रति सिंह	–	पुत्री

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आदित्य प्रताप सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, जिला धार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आदित्य प्रताप सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आदित्य प्रताप सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 191–1991–ब–2–दो.– राज्य शासन, श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, अति0 पुलिस महानिदेशक (शिकायत/मा.अ.), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 18 से 30 दिसम्बर 2020 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, मानव अधिकार आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)–192–1991–ब–2–दो.– राज्य शासन, श्री व्ही.के. माहेश्वरी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ., मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 9 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2020 तक, पच्चीस दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की

कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 50 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री व्ही.के. माहेश्वरी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री व्ही.के. माहेश्वरी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2021

पंजी क्र. 370–2021–इक्कीस–ब (दो).– राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील महू, जिला इन्दौर में विभागीय आदेश दिनांक 24 जनवरी 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री. गोविन्द सोनवणे का दिनांक 9 सितम्बर 2020 को निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता हैं.

पंजी क्र. 374–2021–इक्कीस–ब (दो).– राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल में विभागीय आदेश दिनांक 28 जुलाई 2008 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री. योगेश शुक्ल, ''योगेश्वर'' को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के माध्यम से प्राप्त आवेदन अनुसार लगातार अस्वस्थ रहने के कारण उनके द्वारा स्वेच्छा से आगे नोटरी व्यवसाय चालू नहीं रखने के आधार पर उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता हैं.

पंजी क्र. 375–2021–इक्कीस–ब (दो).– राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी में विभागीय आदेश दिनांक 30 सितम्बर 1982 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री. बाबूलाल जैन का दिनांक 11 मार्च 2020 को निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता हैं.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2021

पंजी क्र. 376–2021–इक्कीस–ब (दो).– राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला मुख्यालय, गुना में विभागीय आदेश दिनांक 2 फरवरी 1980 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री. राजेन्द्र सिंह रघुवंशी एवं विभागीय आदेश दिनांक 4 अप्रैल 1996 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री राजेन्द्र दयाल शर्मा तथा श्री शंकरलाल अग्रवाल का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता हैं.

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2021

पंजी क्र. 371–2021–इक्कीस–ब (दो).– राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला बैढ़न (सिंगरौली) में विभागीय आदेश दिनांक 29 जून 1994 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री सीताराम शाहवाल को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैढ़न (सिंगरौली) के माध्यम से प्राप्त आवेदन अनुसार लगातार अस्वस्थ रहने के कारण उनके द्वारा स्वेच्छा से आगे नोटरी व्यवसाय चालू नहीं रखने के आधार पर उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता हैं.

पंजी क्र. 372–2021–इक्कीस–ब (दो).– राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील कुसमी, जिला सीधी में विभागीय आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2009 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री गोपालदास मिश्र को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी के माध्यम से प्राप्त आवेदन अनुसार लगातार अस्वस्थ रहने के कारण उनके द्वारा स्वेच्छा से आगे नोटरी व्यसाय चालू नहीं रखने के आधार पर उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता हैं.

पंजी क्र. 373–2021–इक्कीस–ब (दो).– राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह, में विभागीय आदेश दिनांक 25 जनवरी 1990 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री. गयाप्रसाद चौरसिया दिनांक 8 जनवरी 2020 को निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता हैं.

पंजी क्र. 377–2021–इक्कीस–ब (दो).– राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला मुख्यालय, जबलपुर में विभागीय आदेश दिनांक 13 जून 2002 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री. मनोहर लाल उज्जवने एवं विभागीय आदेश दिनांक 7 जुलाई 2005 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री मुरलीधर ताम्रकार का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता हैं.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2021

पंजी क्र. 486–2021–इक्कीस–ब (दो).– राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील दालौदा जिला मन्दसौर, में विभागीय आदेश दिनांक 02 सितम्बर 1995 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री. हस्तीमल भटेवरा एवं तहसील नारायणगढ (मल्हारगढ), जिला मन्दसौर में विभागीय आदेश दिनांक 30 मार्च 1983 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री रामनिवास पाटीदार तथा तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर में विभागीय आदेश दिनांक 13 जनवरी 1992 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री जिनेन्द्र कुमार कोरिया का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, अपर सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ 2–8–2019–सात–शा.7–68 भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2021

म.प्र. राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 02 कमांक 01 के परिशिष्ट 01 में उल्लेखित मुख्य शीर्ष "अ" – मद 19 तथा 20 को संशोधित करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

क्रमांक	मामलों का विवरण	अधिनियम	धारा	रखने की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	(1) व्यक्तियों को कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का बंटन, जिसमें भूमिस्वामी हक दिये जाने संबंधी मामले भी शामिल है.	राजस्व पुस्तक परिपत्र	चार–1	यदि वंटन किया गया तो स्थायी, अस्वीकृत या नत्थी किये गये मामले एक वर्ष. भूमिस्वामी हक के मामले मूलवंटन मामलों के साथ रखे जावें.
	(2) कृषि प्रयोजन के लिये सहकारी संस्थाओं, शालाओं, ग्राम पंचायतों, ग्राम सभा, युवक क्लब आदि को भूमि वंटन	तदैव	चार–3	पट्टे की समाप्ति या रद्द करने की तारीख से पांच वर्ष. अस्वीकृत या नत्थी किए गए मामले एक वर्ष.
	(3) कृषि योग्य भूमि का शासन के अन्य विभागों, अन्य राज्य शासनों यो केन्द्रीय शासन को हस्तांतरण	तदैव	तदैव	स्थायी. यदि हस्तांतरण नहीं किया गया या मामला अस्वीकृत या नत्थी किया गया तो एक वर्ष.
	(4) कृषि योग्य भूमि से संबंधित अन्य मामले	तदैव	चार–1	मामले के स्वरूप के अनुसार स्थायी या तीन वर्ष अस्वीकृत या नत्थी किये गये मामले एक वर्ष.
20	(1) नजूल भूमि के पट्टों का नवीनीकरण किया जाना	तदैव	तदैव	यदि स्वीकृत हो तो स्थायी, यदि अस्वीकृत या नत्थी किये गये तो एक वर्ष
	(2) नजूल भूमि का स्थायी पट्टे पर दिया जाना	तदैव	तदैव	भूमि की निष्क्रमण की तारीख से तीन वर्ष अस्वीकृति या नत्थी किये तो एक वर्ष
	(3) नजूल भूमि का राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरण किया जाना	तदैव	तदैव	यदि स्वीकृत हो तो स्थायी, यदि अस्वीकृत या नत्थी किया गया हो तो एक वर्ष
	(4) नजूल के अन्य मामले	तदैव	तदैव	एक वर्ष
	(5) नजूल भूमि का स्थानीय निकाय को भूमिस्वामी अधिकार में दिया जाना.	तदैव	तदैव	यदि स्वीकृत हो तो स्थायी, यदि अस्वीकृत या नत्थी किये गये तो एक वर्ष
	(6) नजूल भूमि का नीलामी द्वारा भूमिस्वामी अधिकार में दिया जाना	तदैव	तदैव	यदि स्वीकृत हो तो स्थायी, यदि अस्वीकृत या नत्थी किये गये तो एक वर्ष
	(7) नजूल भूमि का लाइसेंस पर दिया जाना	तदैव	तदैव	यदि स्वीकृत हो तो स्थायी, यदि अस्वीकृत या नत्थी किये गये तो एक वर्ष

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

मानव संसाधन विकास, प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2021

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ–10–1/2015/1/9 दिनांक 27.03.2015 के परिपेक्ष्य में सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा दिनांक 25–28 नवम्बर 2020 की अवधि में आयोजित की गई, जिसमें वनक्षेत्रपाल/उपवनक्षेत्रपाल के लिये दिनांक 25.11.2020 को प्रथम–प्रक्रिया, दिनांक 26.11.2020 को द्वितीय–लेखा, दिनांक 27.11.2020 को तृतीय–सामान्य विधि एवं सहायक वन संरक्षक के लिये दिनांक 25.11.2020 को प्रथम–वन विधि, दिनांक 26.11.2020 को द्वितीय–सामान्य विधि तथा दिनांक 27.11.2020 को तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा एवं दिनांक 28.11.2020 को हिन्दी विषयों पर परीक्षाएँ सम्पन्न हुई थीं, में सम्मिलित निम्न को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :–

//वनक्षेत्रपाल, उपवनक्षेत्रपाल परीक्षा परिणाम//

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पद	परीक्षा विषय (जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं)		
बालाघाट वृत्त					
1	श्री नरेश काकोड़िया	वनक्षेत्रपाल	प्रथम– प्रक्रिया	–	–
2	श्री सौरभ चौबे	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
3	श्री नितिन पवार	वनक्षेत्रपाल	प्रथम– प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
4	श्री गोविल मरावी	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
5	श्री विकास कुमार सुलिया	वनक्षेत्रपाल	प्रथम– प्रक्रिया	–	–
6	श्री शशांक वर्मा	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
7	श्री सौरभ सिंह शरणागत	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
8	श्री शिवमपुरी गोस्वामी	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
9	श्री शैलेन्द्र चौरसिया	वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु	–	–	तृतीय – सामान्य विधि
10	श्री छत्रपाल सिंह जादौन	वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
11	श्री दीपेन्द्र मोहन पाठक	वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु	प्रथम– प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
12	श्री बाबूलाल चढ़ार	वनक्षेत्रपाल	प्रथम– प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
13	श्री सत्येन्द्र सिंह कौरव	वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु	प्रथम– प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
14	श्री जय कुमार डेहरिया	वनक्षेत्रपाल	प्रथम– प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
बैतूल वृत्त					
15	श्री अशोक राहंगडाले	वनक्षेत्रपाल	प्रथम– प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
16	श्री अमित सिलधरिया	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
17	श्री अंकित नरवरे	वनक्षेत्रपाल	प्रथम– प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
18	श्री रविन्द्र पाटीदार	वनक्षेत्रपाल	प्रथम– प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
19	श्री अभिजीत स्वामी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम– प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
20	श्री विकास सेठ	वनक्षेत्रपाल	प्रथम– प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
21	श्री सुयश पाण्डे	वनक्षेत्रपाल	प्रथम– प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
22	श्री राजकुमार आर्य	उपवनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	–
23	श्री कैलाश खातरकर	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम– प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	–
24	श्री शोभाराम मवासे	उपवनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	–
भोपाल वृत्त					
25	श्री कार्तिकेय शुक्ला	वनक्षेत्रपाल	–	–	तृतीय – सामान्य विधि
26	श्री यशवंत लाल भील	उपवनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	–

27	श्री विनोद तिवारी	उपवनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	–
28	श्री दिनेश जोशी	उपवनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	–
छतरपुर					
29	श्री लव प्रताप सिंह	वनक्षेत्रपाल	प्रथम– प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
30	श्री अजीत सिंह जाट	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
31	श्री सुरेश कुमार सचान	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	–
32	श्री मोहम्मद ओबेदुल्ला	वनक्षेत्रपाल	–	–	तृतीय – सामान्य विधि
33	श्री वैभव सिंह चंदेल	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	–
34	श्री राजेन्द्र प्रसाद अरजरिया	उपवनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	–
35	श्री रवि कुमार मिश्रा	उपवनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	–
36	श्री ओम प्रकाश शर्मा	उपवनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	–
37	श्री चतुर सिंह गौड़	उपवनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	–
38	श्री कैलाश बामनिया	वनक्षेत्रपाल	–	–	तृतीय – सामान्य विधि
छिंदवाड़ा					
39	श्री जितेन्द्र बंसल	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
40	श्री हिमांशु विश्वकर्मा	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
41	श्री नीतेश सोनी	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
42	श्री दीपक कुमार चौधरी	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
43	श्री अंशुल कुमार रावत	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
44	श्री मोहनलाल आरसे	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	–
45	श्री नितिन राजौरिया	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
46	श्री राजुल कटारे	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
47	श्री आशुतोष महादेव सिंह ठाकुर	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
48	श्री सचिन शंकर वर्मा	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
ग्वालियर					
49	श्री दीपांकर सिंह	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
50	श्री सत्यप्रकाश गौंड	उपवनक्षेत्रपाल	–	–	तृतीय – सामान्य विधि
51	श्री नीरज परिहार	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
52	श्री महेशचन्द्र कुशवाह	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
53	श्री विकास मिश्रा	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
होशंगाबाद					
54	कु. वंदना पाल	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
55	श्री दुर्गेश सिंह बिसेन	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
56	श्री निशांत डोसी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
57	श्री राजित द्विवेदी	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
58	श्री भगवानदास धुर्वे	उपवनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	–
59	श्री भिखारीलाल अहिरवार	उपवनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
इंदौर					
60.	श्री रोहित चतुर्वेदी	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	–
61.	श्री पियुष प्रसाद चौधरी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
62	श्री सुखराम हटीला	उपवनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	–

63	श्री हरिशंकर पाण्डे	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
64	श्री जीवनलाल पोलाया	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
65	श्री तरुण आनिया	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
जबलपुर					
66	श्री मुकेश कुमार	वनक्षेत्रपाल	–	–	तृतीय – सामान्य विधि
67	श्री अविनाश जैन	वनक्षेत्रपाल	–	–	तृतीय – सामान्य विधि
68	श्री नीरज पाण्डेय	वनक्षेत्रपाल	–	–	तृतीय – सामान्य विधि
69	श्री अखिलेश चौरसिया	वनक्षेत्रपाल	–	–	तृतीय – सामान्य विधि
70	श्रीमती प्राची मिश्रा	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
71	श्री रोहित जैन	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
72	श्री आकाश जैन	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
73	श्री रेवसिंह डावर	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	–	तृतीय – सामान्य विधि
74	श्री ऋषि तिवारी	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
75	श्री अरूण कुमार दुबे	उप वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	–
76	श्री दशरथ सिंह गौड़	उप वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
77	कु. सोनम जैन	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
78	श्री आदर्श मिश्रा	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
79	श्री महेन्द्र कनेश	वनक्षेत्रपाल	–	–	तृतीय – सामान्य विधि
खण्डवा					
80	कु. विमला मुवेल	वनक्षेत्रपाल	–	–	तृतीय – सामान्य विधि
81	श्री सौरभ द्विवेदी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	–	तृतीय – सामान्य विधि
82	श्री यश बंधु	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
83	श्री विष्णुलाल पाटीदार	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
84	श्री असीम भूरिया	वनक्षेत्रपाल	–	–	तृतीय – सामान्य विधि
85	श्री गोपाल उईके	वनक्षेत्रपाल	–	–	तृतीय – सामान्य विधि
86	श्री जयप्रकाश झारिया	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	–	–
रीवा					
87	श्री लक्ष्मीनारायण वर्मा	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
88	श्री शुभम दुबे	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
89	श्री महावीर पाण्डे	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
90	श्री प्रतीक श्रीवास्तव	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
91	श्री शुभम खरे	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
92	श्री शुभम जैन	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
सागर					
93	श्री अशेष मिश्रा	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
94	श्री अभिषेक मिश्रा	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
95	कु. सृष्टि नजा	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
96	श्री सर्वेश सोनी	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
97	कु. लक्ष्मी सिंह यादव	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
98	श्री शीलसिन्धु श्रीवास्तव	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
99	श्री दीपेश जैन	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
शहडोल					
100	श्री स्वस्ति श्री जैन	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
101	श्री रामगोविंद राय	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
102	कु. वैशाली नामदेव	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि

103	श्री लक्ष्मण सिंह मीना	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	–
104	श्री दिनेश कुमार पटेल	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
105	श्री मनीष कुमार पटेल	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
106	श्री मिथुन सिसौदिया	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
107	श्री ब्रजदास मीणा	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
108	सुश्री भाग्यशाली सिंह	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
सिवनी					
109	कु. मेघा कुर्मी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
110	श्री भीम सिंह	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	–
111	श्री शुभम बड़ोनिया	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
112	श्री सिद्धार्थ तिवारी	वनक्षेत्रपाल	प्रथग – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
113	सुश्री स्वाति सिन्हा	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
114	सुश्री रुचि पटेल	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
115	सुश्री श्रुति राठौर	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
116	श्री सौरभ शर्मा	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
117	श्री जगन्नाथ दास पटेल	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
118	श्री हरवेन्द्र सिंह बघेल	उपवनक्षेत्रपाल	–	–	तृतीय – सामान्य विधि
119	श्री योगेश गुप्ता	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
120	श्री शुभम तिवारी	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
121	श्री पियूष गौतम	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	–	–
122	श्रीमती वाणिमा पारधी	वनक्षेत्रपाल	–	–	तृतीय – सामान्य विधि
123	श्री शिवम कोष्टी	वनक्षेत्रपाल	–	–	तृतीय – सामान्य विधि
शिवपुरी					
124	श्री दिनेश कौशल	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
125	कु. पूनम गुप्ता	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
126	श्री प्रभुराम मुछाला	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
127	श्री अभिनव दिवाकर	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
128	कु. सपना बिशोरिया	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
129	कु. पिंकी रघुवंशी	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
130	श्री श्रीकांत भारद्वाज	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
131	श्री पवन कुमार जगनेरी	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
132	कु. दीप्ती अरोरा	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
उज्जैन					
133	श्रीमती कोशंबी झा	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
134	श्री मानसिंह गोड	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	द्वितीय –लेखा	तृतीय – सामान्य विधि
135	श्री रतन सिंह सिंगोड़	वनक्षेत्रपाल	प्रथम – प्रक्रिया	–	–
136	श्री सरदार सिंह चौहान	वनक्षेत्रपाल	–	–	तृतीय – सामान्य विधि

//सहायक वन संरक्षक परीक्षा परिणाम//

क्रं.	परीक्षार्थी का नाम	पद	परीक्षा विषय (जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं)		
बालाघाट वृत्त					
1	श्री कृष्ण कुमार मरावी	स.व.सं. प्रशिक्षु	–	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
2	श्री विकास माहोरे	स.व.सं. प्रशिक्षु	–	द्वितीय–सामान्य विधि	–
3	श्री मो. माज़	भा.व.से. प्रशिक्षु	प्रथम–वन विधि	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
बैतूल वृत्त					
4	श्री सुरेश कुमार सोनवंशी	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
5	श्री अनिल कुमार क्षत्रिय	वनक्षेत्रपाल	प्रथम–वन विधि	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
भोपाल वृत्त					
6	श्री मयंक सिंह गुर्जर	भा.व.से. प्रशिक्षु	–	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
7	श्री निकुंज पाण्डेय	स.व.सं.	प्रथम–वन विधि	–	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
8	श्री तुलाराम कुलस्ते	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय–सामान्य विधि	–
9	श्री नितिन कुमार निगम	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय–सामान्य विधि	–
छतरपुर					
10	श्री ओमप्रकाश बिडारे	स.व.सं.	प्रथम–वन विधि	द्वितीय–सामान्य विधि	–
छिंदवाड़ा					
11	श्री वरूण यादव	भा.व.से. प्रशिक्षु	प्रथम–वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
12	श्री राहुल रघुवंशी	स.व.सं. प्रशिक्षु	प्रथम–वन विधि	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
13	श्री अतुल पारधी	स.व.सं. प्रशिक्षु	प्रथम–वन विधि	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
14	श्री आर.पी. श्रीवास्तव	वनक्षेत्रपाल	प्रथम वन विधि	–	–
15	कु. विनिता सूर्यवंशी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम–वन विधि	द्वितीय–सामान्य विधि	–
16	श्री धनेन्द्र वैद्य	परियोजना क्षेत्रपाल	प्रथम–वन विधि	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
17	श्रीमती अलका भूरिया	वनक्षेत्रपाल	प्रथम–वन विधि	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
18	रीतिका यादव	वनक्षेत्रपाल	प्रथम–वन विधि	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
ग्वालियर					
19	श्री आदित्य शांडिल्य	स.व.सं.	–	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
होशंगाबाद					
20	श्री शिव अवस्थी	स.व.सं.	–	द्वितीय–सामान्य विधि	–
21	कु.प्रियंका बाथम	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
इंदौर					
22	श्री जितेन्द्र अवासे	वनक्षेत्रपाल	प्रथम–वन विधि	–	–
23	श्री सुनील मुजाल्दे	वनक्षेत्रपाल	प्रथम–वन विधि	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
24.	श्री उत्तम सिंह सस्त्या	वनक्षेत्रपाल	–	–	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
जबलपुर					
25	श्री गुरूदयाल साहू	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय–सामान्य विधि	–
26	श्री विजयनंथम टी.आर.	भा.व.से. प्रशिक्षु	प्रथम–वन विधि	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
27	श्री हरि ओम	भा.व.से. प्रशिक्षु	प्रथम–वन विधि	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
खण्डवा					
28	कु. प्रियंका बामनिया	सहा.व.सं.	प्रथम–वन विधि	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा

29	श्री अनिल विश्वकर्मा	सहा.व.सं.	प्रथम–वन विधि	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
30	श्री दिनेश ठाकुर	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय–सामान्य विधि	–
31	श्री गजानंद बिरला	वनक्षेत्रपाल	–	–	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
32	श्री संजय चौहान	वनक्षेत्रपाल	प्रथम–वन विधि	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
33	श्री अजय ठाकुर	सहा.व.सं.	प्रथम–वन विधि	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
34	श्री विक्रम सुलिया	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय–सामान्य विधि	–
रीवा					
35	सुश्री कविता रावत	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय–सामान्य विधि	–
36	श्री रविन्द्र सिंह	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय–सामान्य विधि	–
37	सुश्री ऋषिभा सिंह नेताम	भा.व.से.प्रशिक्षु	प्रथम–वन विधि	द्वितीय–सामान्य विधि	–
सागर					
38	श्री रुप किशोर दीक्षित	वनक्षेत्रपाल	प्रथम–वन विधि	–	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
39	श्री जी.पी. शाक्य	वनक्षेत्रपाल	प्रथम–वन विधि	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
40	श्री बी.एन. सोलंकी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम–वन विधि	–	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
41	श्री प्रतीक कुमार दुबे	सहा.व.सं.	प्रथम–वन विधि	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
42	श्री मणीशंकर मिश्रा	सहा.व.सं.	–	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
43	श्री विजेन्द्र सिंह जावरिया	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
44	श्री राहुल कुमार उपाध्याय	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
शहडोल					
45	श्री शरद जाटव	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
46	श्रीमती बीनू सिंह गहरवार	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय–सामान्य विधि	–
47	श्री पवन कुमार ताम्रकार	वनक्षेत्रपाल	प्रथम–वन विधि	द्वितीय–सामान्य विधि	–
सिवनी					
48	कु. अंजू वर्मा	वनक्षेत्रपाल	–	द्वितीय–सामान्य विधि	–
49	श्री मयंक राज	भा.व.से. प्रशिक्षु	–	द्वितीय–सामान्य विधि	–
शिवपुरी					
50	श्री भुवनेश्वर कुमार योगी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम–वन विधि	–	–
उज्जैन					
51	श्री राजेश मण्डावलिया	सहा.व.सं.	प्रथम–वन विधि	द्वितीय–सामान्य विधि	–
52	श्री कृष्ण कुमार निनामा	सहा.व.सं.	प्रथम–वन विधि	द्वितीय–सामान्य विधि	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
53	सुश्री अभिलाषा राव कालवा	वनक्षेत्रपाल	–	–	तृतीय–प्रक्रिया तथा लेखा
जबलपुर					
54	श्री विजयनंथम टी.आर.	भा.व.से. प्रशिक्षु	हिन्दी		

बिन्दु शर्मा, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट (मध्यप्रदेश)

टॉउन हॉल परिसर, टॉउन हॉल छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 जनवरी 2021

क्र.24–नग्रानि–2021.–**भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के अंतिम प्रकाशन की सूचना**

छिन्दवाड़ा वृद्धित निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र दिनांक 27 नवम्बर 2020 एवं संशोधन 04 दिसम्बर 2020 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधो के अधीन जनता से आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित किये गये समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होनें आपत्ति या सुझाव, उपांतरण प्रस्तुत किए हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है।

अब, उपरोक्त योजना क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन एतद् द्वारा अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 05 फरवरी 2021 से दिनांक 12 फरवरी 2021 तक (07 दिवस) कार्यालीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्न कार्यालयों में भी उपलब्ध रहेगी:–

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तरीख से प्रवर्तित होगा ।

1. आयुक्त, जबलपुर, संभाग जबलपुर ।
2. कलेक्टर, कार्यालय, छिन्दवाड़ा ।
3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, छिन्दवाड़ा ।
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय, छिन्दवाड़ा ।

स्थान :– छिन्दवाड़ा

तारीख 27 जनवरी 2021

व्ही.के. परस्ते, प्र. उप संचालक

कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. ए-434.— आगर-मालवा, दिनांक 7 जनवरी 2021

उदघोषणा

(अंतर्गत धारा – 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगर–मालवा कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम – कोठडी		तहसील – नलखेड़ा	
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया परियोजना (बांयी तट नहर) के निर्माण से प्रभावित होने से	7.590	0.600
	योग	**7.590**	**0.600**

कुण्डलिया परियोजना (बांयी तट नहर) के निर्माण में प्रभावित ग्राम कोठडी की भूमि का विवरण

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया परियोजना (बांयी तट नहर) में प्रभावित होने से

ग्राम :– कोठडी , तहसीलः– नलखेडा जिला आगर– मालवा

क.	प्रभावित कृषक का नाम पता सहित	खसरा न.	भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में
1	गिरीराज हि. 10 पैसे उंकारलाल हि. 12.50 पिता रामकरण जाति कुल्मी कृष्णाबाई पति रमेशचंद्र गिर बंशी पुरी पिता कन्हैया पुरी पप्पु पुरी पिता उंकार पुरी हि. 2–1 बंटाकन नंबर 150/2	164/1	2.650	0.200
		163	3.440	0.250
	योग		**6.090**	**0.450**
2	दरियावबाई पति बाबूलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम मोल्याखेड़ी	160/1	1.500	0.150
	योग		**1.500**	**0.150**
TOTAL			**7.590**	**0.600**

नोट :– भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू –अर्जन अधिकारी सुसनेर जिला आगर–मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. ए-436.—

उदघोषणा

(अंतर्गत धारा – 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगर–मालवा कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

ग्राम – गोकुलपुर		तहसील – नलखेड़ा	
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	9.140	8.520
	योग	**9.140**	**8.520**

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

क्रं.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	6	9
1	निरभेसिंह बहादुर सिहं राधेश्याम पि. नारायण सिह राजकुंवरबाई वि. नारायण गीताबाई कमलाबाई पु. नारायण भूमि स्वामी 1/2 स. भाग प्रभु पिता गुलाब 1/2 जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	113	0.200	0.200
	योग		**0.200**	**0.200**
2	विक्रमसिंह रूगनाथसिंह राधेश्याम पिता शिवलाल सिद्धुसिंह बनेसिंह आत्माराम पिता गंगाराम प्रभुलाल पिता कालूसिंह जग्गुबाई शांतिबाई पिता कालूसिंह जाति गुर्जर पता आगर मालवा मध्यप्रदेश	128	0.880	0.880
		134	1.120	1.120
		164	1.270	1.270
		227	0.130	0.130
		229	0.130	0.130
		251	0.050	0.050
		322	0.610	0.610
		314	0.550	0.120
	योग		**4.740**	**4.310**
3	हीरालाल द. पुत्र पुनम चद्र जाति सोनी निवासी ग्राम नलखेड़ा भूमि स्वामी	261	0.060	0.060
		257	0.040	0.040
		271	0.400	0.400
		290	1.090	1.090

क्रं.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	6	9
	योग		**1.590**	**1.590**
4	रामचरण पिता देवीसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	244/1	0.030	0.030
	योग		**0.030**	**0.030**
5	मानसिंह काशीराम सीताराम मदनसिंह पिता देवीसिंह देवराज ना.बा. पु. भागीरथ सरप. माता स्वयं व सीताबाई वि. भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	207/2	0.020	0.020
	योग		**0.020**	**0.020**
6	मांगु पिता देवीसिह लीलाबाई पुत्री देवीसिंह फुन्दीबाई वि. देवीसिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	259	0.020	0.020
	योग		**0.020**	**0.020**
7	भुरीबाई गिलासबाई पुत्रीयां भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	244/2	0.010	0.010
	योग		**0.010**	**0.010**
8	देवबाई पुत्री भंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	63/1	0.03	0.030
		65/1	0.01	0.010
		67	0.38	0.190
		107/2/1	0.46	0.460
		143	0.12	0.120
		154/1	0.03	0.030
		212/1	0.02	0.020
		308/1	0.55	0.550
	योग		**1.600**	**1.410**
9	शिवनारायण पिता प्रभुलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	63/2/1	0.01	0.010
		65/2	0.01	0.010
		107/2/2/1	0.02	0.020
		154/2/1	0.01	0.010
		204/1	0.08	0.080
		308/2/1	0.18	0.180
	योग		**0.310**	**0.310**
10	कमल पिता प्रभुलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	63/2/2	0.01	0.010
		107/2/2/2	0.02	0.020

क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	6	9
		154/2/2	0.01	0.010
		204/2	0.08	0.080
		308/2/2	0.19	0.190
	योग		**0.310**	**0.310**
11	राजकुंवरबाई पुत्री प्रभुलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमिस्वामी	63/2/3	0.01	0.010
		107/2/2/3	0.02	0.020
		154/2/3	0.01	0.010
		204/3	0.07	0.070
		212/2	0.01	0.010
		308/2/3	0.19	0.190
	योग		**0.310**	**0.310**
महायोग			**9.140**	**8.520**

नोट :– भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू – अर्जन अधिकारी सुसनेर जिला आगर–मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. ए-438.—

उद्घोषणा

(अंतर्गत धारा – 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगर–मालवा कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भवनों का सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भवन अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भवनों की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

ग्राम – गोयल			तहसील – नलखेड़ा जिला आगर मालवा म.प्र.				
क्रं. 1	विवरण		अर्जित की जाने भवनों का क्षेत्रफल वर्गमीटर				
1	निजी भवनों के लिये 1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से		कुल भवन 15	कुल क्षैत्रफल वर्गमीटर		अर्जित भवन का क्षैत्रफल वर्गमीटर	
			15	2411.46		2411.46	
	योग		15	2411.46		2411.46	
स.क्र.	मकान नं.	भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम	मकान का प्रकार	मकान का नाप			क्षेत्रफल वर्गमीटर में
1	117	गीताबाई पति देवीसिंह	आर.सी.सी	10.30	x	2.90	29.87
			आर.सी.सी	10.30	x	3.50	36.05
			टीनशेड	3.70	x	4.40	16.28
			टीनशेड	7.20	x	8.40	60.48
			टीनशेड	12.10	x	4.70	56.87
			कबेलु	7.50	x	3.30	24.75
							224.30
	128/1	शंभु पिता गोपी गिर	आर.सी.सी	5.15	x	4.25	21.89
			कवेलू प्रथम तल	4.00	x	3.90	15.60
			टीनशेड प्रथम तल	4.00	x	3.85	15.40
			टीनशेड प्रथम तल	6.30	x	3.85	24.26
							77.14
2	128/2	रामचद्रं पिता शंभु गिर	आर.सी.सी	5.15	x	3.90	20.09
			आर.सी.सी	5.15	x	3.85	19.83
			आर.सी.सी	5.15	x	3.90	20.09
			आर.सी.सी	5.15	x	1.00	5.15
			टीनशेड प्रथम तल	4.50	x	3.90	17.55
							82.70
	128/3	सिद्धु गिर पिता शंभु गिर	आर.सी.सी	5.15	x	3.85	19.83
			आर.सी.सी	5.15	x	4.25	21.89
			टीनशेड प्रथम तल	6.30	x	4.10	25.83
			टीनशेड प्रथम तल	4.00	x	4.10	16.40
							83.95

स.क्र.	मकान नं.	भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम	मकान का प्रकार	मकान का नाप			क्षेत्रफल वर्गमीटर में
3	67	प्रभुलाल पिता मांगीलाल बलाई	टीनशेड	11.30	x	4.90	55.37
			टीनशेड	11.30	x	4.00	45.20
			गाडर फर्सी	1.80	x	1.50	2.70
							103.27
4	172	चांद खां पिता नुर खा जाति पिंजारा	टीनशेड	4.05	x	2.13	8.63
				4.05		2.13	8.63
	172/2	नसीम बी पिता जाकीर खां जाति पिंजारा	टीनशेड	4.05	x	2.13	8.63
				4.05		2.13	8.63
5	15/1	श्रीमति गंगाबाई पति भवानीसिंह यादव	टीनशेड	7.50	x	3.70	27.75
			गाडर फर्सी	7.50	x	3.50	26.25
			टीनशेड	4.70	x	3.10	14.57
			कवेलू	4.50	x	7.20	32.40
			गाडर फर्सी	2.20	x	2.30	5.06
							106.03
	15/2	राजेश पिता भवानीसिह यादव	गाडर फर्सी	7.50	x	3.50	26.25
			टीनशेड	7.50	x	3.70	27.75
			टीनशेड	4.50	x	3.10	13.95
			कबेलु	7.50	x	7.00	52.50
							120.45
6	66/1	रमेश पिता मांगीलाल	टीनशेड	4.50	x	6.00	27.00
			कवेलू	3.65	x	6.00	21.90
			टीनशेड	5.90	x	18.30	107.97
			गाडर फर्सी	1.40	x	1.50	2.10
							158.97
	66/2	चंदर पिता मांगीलाल	टीनशेड	8.00	x	3.50	28.00
			टीनशेड	8.15	x	3.50	28.53
							56.53
7	64	मदन पिता सेवा बलाई	टीनशेड	5.00	x	6.00	30.00
			टीनशेड	2.60	x	2.50	6.50
			कबेलु	5.00	x	8.00	40.00
			गाडर फर्सी	1.20	x	1.50	1.80
			खुला ऑगन	5.00	x	5.00	25.00
							103.30
8	16	दुलीचंद पिता बंशीलाल मेहतर	खुला ऑगन	6.20	x	4.20	26.04
			टीनशेड	6.20	x	8.40	52.08
			कवेलू	3.60	x	7.10	25.56
			टीनशेड	3.20	x	7.10	22.72
			खुला ऑगन	5.00	x	7.30	36.50
			टीनशेड	7.30	x	2.80	20.44
			टीनशेड	7.30	x	3.90	28.47
			गाडर फर्सी	1.20	x	1.50	1.80
							213.61

स.क्र.	मकान नं.	भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम	मकान का प्रकार	मकान का नाप			क्षेत्रफल वर्गमीटर में
9	63/1	बालूलाल पिता मांगीलाल बलाई	टीनशेड	4.40	x	3.75	16.50
			टीनशेड	4.40	x	3.50	15.40
			गाडर फर्सी	1.50	x	1.20	1.80
							33.70
	63/2	मांगीलाल पिता लक्ष्मण बलाई	टीनशेड	4.50	x	5.80	26.10
			कवेलू	3.80	x	4.80	18.24
			टीनशेड	3.70	x	3.45	12.77
			खुला ऑगन	3.70	x	3.45	12.77
							69.87
10	42 to 44	मांगीलाल पिता बुला जी	कबेलु	19.30	x	4.10	79.13
			टीनशेड	19.30	x	5.90	113.87
							193.00
11	234/1	मायाराम पिता गेंदा जी	कवेलू	5.20	x	4.00	20.80
			टीनशेड	12.00	x	4.00	48.00
							68.80
12	234/2	बंशीलाल पिता उदा जी	टीनशेड	4.85	x	7.20	34.92
			टीनशेड	4.10	x	5.00	20.50
			टीनशेड	7.30	x	3.10	22.63
							78.05
13	231	गंगाराम पिता बाबरू सेन	टीनशेड	11.00	x	4.00	44.00
			कवेलू	11.00	x	3.60	39.60
			टीनशेड	3.00	x	2.30	6.90
			टीनशेड	4.70	x	5.90	27.73
			खुला ऑगन	3.30	x	4.20	13.86
			खुला ऑगन	3.00	x	4.70	14.10
							146.19
14	230/1	होकमसिंह पिता रामचंद्र गुर्जर	टीनशेड	8.40	x	4.80	40.32
			कवेलू	8.20	x	3.50	28.70
							69.02
	230/2	अर्जुन पिता होकमसिंह गुर्जरु	टीनशेड	9.40	x	5.00	47.00
			टीनशेड	12.00	x	3.50	42.00
			गाडर फर्सी	1.20	x	1.50	1.80
			खुला ऑगन	15.00	x	5.00	75.00
							165.80
	230/3	रामचंद्र पिता प्रताप गुर्जर	कबेलु	5.70	x	4.50	25.65
			कबेलु	4.90	x	6.50	31.85
			टीनशेड	8.00	x	4.80	38.40
			टीनशेड	5.70	x	2.00	11.40
							107.30

स.क्र.	मकान नं.	भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम	मकान का प्रकार	मकान का नाप			क्षेत्रफल वर्गमीटर में
15	0	हनुमान मंदिर	आर.सी.सी	15.20	x	8.70	132.24
							132.24
						महायोग–	**2411.46**

नोटः–

(१) भूमि/भवन के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू – अर्जन अधिकारी सुसनेर जिला आगर–मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कुण्डालिया परियोजना के अधिकारी ओर उसके कर्मचारीवृद्व को भूमि/भवन में प्रवेश करने ओर उसका सर्वेक्षक करने किसी भी भूमि अवमृदा में खुदाई करने या वैधन करने ओर अपने कार्य की उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है ।

(3) अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारिख से भूमि/भवन का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यक्तता नही होने देगा अर्थात कय/विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि/भवन पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

(4) अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख स 60 दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि/भवन अर्जन के बारे में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर के समक्ष आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किए जा सकेंगे ।

प्र. क्र. ए– 440.—

उद्घोषणा

(अंतर्गत धारा – 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगर–मालवा कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

ग्राम – गोयल		तहसील – नलखेड़ा	
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	0.283	0.198
	योग	**0.283**	**0.198**

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

क्रं.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	6	9
१	देवीसिंह पिता गणपत जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	286/3	0.021	0.010
	योग		**0.021**	**0.010**
२	गोरधन गोकुल तोलाराम, दयाराम पिता मेहताब, रामप्रसाद,कमल,बाबू,जसवंत पिता बसी राजूबाई,मोहनबाई पिता बसी सीता बाई वि. बसी जाति ढोली पता निवासी भूमि स्वामी	272/2 शा. नं. 294 0.104	0.125	0.104
	योग		**0.125**	**0.104**
३	रामकन्या बाई पति हिन्दुलाल क्षमाबाई मांगुबाई पिता अमरा जाति बलाई पता निवासी भूमि स्वामी	272/5	0.042	0.021
	योग		**0.042**	**0.021**
4	रतन पिता बापू, मदन नारायण बालू पित सेवा हि. 1/2 जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	272/4 शा.नं. 273/1 - 0.042	0.063	0.031
	योग		**0.063**	**0.031**

क्रं.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	6	9
5	देवीसिंह, दर्यावसिंह, मदन, जमनाप्रसाद, राधेश्याम पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	297/1	0.032	0.032
	योग		**0.032**	**0.032**
महायोग			**0.283**	**0.198**

नोट :– भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू – अर्जन अधिकारी सुसनेर जिला आगर–मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. ए–444.—

(अंतर्गत धारा – 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगर–मालवा कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम – कनाली		तहसील – नलखेड़ा	
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में कुण्डलिया डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	6.390	5.090
	योग	**6.390**	**5.090**

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

क्रं.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	
1	2	3	6	9
1	देवबाई पुत्री उमराव गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	168/7	0.030	0.010
	योग		**0.030**	**0.010**
2	मदनलाल पिता छीतु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	193/1	0.060	0.030
		12/1	0.050	0.050
		15/1	0.020	0.020
		16/1	0.080	0.080
		17/1	0.010	0.010
		18/1	0.010	0.010
		30/1	0.010	0.010
		31/1	0.020	0.020
		39/1	0.010	0.010
		45/1	0.050	0.050
	योग		**0.320**	**0.290**
3	शिवलाल पिता छिता जाति गुर्जर पता निवासी पनाला भूमि स्वामी	193/2	0.060	0.040
		12/2	0.050	0.050
		15/2	0.020	0.020
		16/2	0.090	0.090
		18/2	0.010	0.010
		30/2	0.020	0.020
		31/2	0.020	0.020
		39/2	0.010	0.010
		45/2	0.060	0.060
	योग		**0.340**	**0.320**

क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	
1	2	3	6	9
4	प्रहलाद सिह पिता उमराव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम पनाला भूमि स्वामी	12/3	0.030	0.030
		45/3	0.040	0.040
		15/3	0.020	0.020
		16/3	0.060	0.060
		30/3	0.010	0.010
		31/3	0.010	0.010
		39/3	0.010	0.010
		193/3	0.040	**0.030**
	योग		**0.220**	**0.210**
5	सीताराम पिता गंगाराम गुर्जर पता निवासी ग्राम पनाला भूमि स्वामी	193/5	0.230	**0.120**
		192/4	0.380	**0.070**
		13/1	0.080	0.080
		14/1	0.030	0.030
		19/1	0.220	0.220
		11/1	0.210	0.210
		33/1	0.120	0.120
	योग		**1.270**	**0.850**
6	मानसिंह पिता उमराव गुर्जर पता निवासी ग्राम पनाला भूमि स्वामी	193/6	0.040	0.020
		12/4	0.030	0.030
		15/5	0.050	0.050
		16/4	0.060	0.060
		17/2	0.010	0.010
		18/3	0.010	0.010
		30/4	0.010	0.010
		31/4	0.020	0.020
		45/4	0.040	0.040
	योग		**0.270**	**0.250**
7	भंवर जी पिता उमराव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम पनाला भूमि स्वामी	12/5	0.040	0.040
		15/4	0.010	0.010
		16/5	0.060	0.060
		31/5	0.010	0.010
		45/5	0.030	0.030
		30/5	0.010	0.010
	योग		**0.160**	**0.160**
8	रामुबाई पिता रूगनाथ नारायण चंदर बद्री पिता मन्ना जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम पनाला भूमि स्वामी	27	0.070	**0.070**
	योग		**0.070**	**0.070**
9	रामरतन पिता धुला हि 1/2 भेरू लक्ष्मण पिता मांगु बद्दीबाई सिद्धुबाई पु. मांगु हि. 1/2 जाति चमार पता निवासी ग्राम पनाला	58	0.150	**0.150**
		46	0.230	**0.230**
	योग		**0.380**	**0.380**

क्रं.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	
1	2	3	6	9
10	लक्ष्मीनारायण पिता भेरू प्रेमनारायण विष्णुप्रसाद पिता मांगु जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम पनाला भूमि स्वामी	54	0.040	0.040
		51	0.070	0.070
		55	0.040	0.040
		56	0.150	0.030
		60	0.010	0.010
	योग		0.310	0.190
11	पीरू राधेश्याम पिता कुंवरलाल कमलाबाई पुत्री कुंवरलाल सिद्दीबाई पुत्री बद्रीलाल रामप्रसाद पिता पुरा हि 1/2 चंदा बाई वि. भंवरलाल गोपाल मुकेश पिता रामेश्वर ललताबाई वि. रामेश्वर बंशीलाल बालचंद बाबूलाल शिवलाल हि. 1/2 जाति कुल्मी पता नि. भूमि स्वामी ग्राम पनाला	49	0.060	0.030
	योग		0.060	0.030
12	रामविलासबाई पिता बापू सोरमबाई वि.कालू मांगीलाल पिता भैया सिताबाई पुत्री भैया रमेश रामनारायण पिता समंदर शकुबाई वि. समंदर रामदयाल रामचरण पिता भंवर पारूबाई वि. भंवर प्रभु कंवरलाल बंशीलाल पिता भेरू मोड़सिंह पिता दातार गोरधन माता गंगाबाई शंकर पिता बुलारामदयाल भगवान जयनारायण हिन्दुसिंह काशीराम पुत्रगण जाति गुर्जर पता ग्राम पनाला भूमि स्वामी अमरसिह प्रहलादबाई विधवा अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	23	1.060	0.700
		21	0.230	0.230
		22	0.240	0.240
		24	0.130	0.130
	योग		1.660	1.300
13	गोकूल सिह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम पनाला भूमि स्वामी	11/2	0.200	0.200
		13/2	0.070	0.070
		14/2	0.030	0.030
		19/2	0.230	0.230
		32/2	0.040	0.040
		33/2	0.130	0.130
		193/4	0.230	0.230
		192/2	0.370	0.100
	योग		1.300	1.030
महायोग			6.390	5.090

नोट :– भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण उपखण्ड/अनुविभागीय एवं भू – अर्जन अधिकारी सुसनेर जिला आगर–मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.–01–अ–82–17–18–घोड़ाडोंगरी–12337 बैतूल, दिनांक 14 अक्टूबर 2020

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु ग्राम घोड़ाडोंगरी तहसील घोड़ाडोगरी स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 15–5–2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु अतिवृष्टि एवं सिंचित/ असिंचित भूमि का निर्धारण नहीं होने तथा कोविड– 19 संकमण के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका। अतः अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका कमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (5) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसकी भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढाई जाती है:–

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
1	2	3	4	5
बैतूल	घोड़ाडोगरी	घोड़ाडोंगरी	0.526	ईटारसी–नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु ।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

3– समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

क्र.–2–अ–82–17–18–बांसपुर–12332

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु ग्राम बांसपुर तहसील घोड़ाडोगरी स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 15–5–2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु अतिवृष्टि एवं सिंचित/ असिंचित भूमि का निर्धारण नहीं होने तथा कोविड– 19 संकमण के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका। अतः अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका कमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (5) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसकी भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढाई जाती है:–

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
1	2	3	4	5
बैतूल	घोड़ाडोगरी	बांसपुर	0.160	ईटारसी–नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु ।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

3– समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

क्र.–3–अ–82–17–18–रातामाटी–12333

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु ग्राम रामामाटी तहसील घोड़ाडोगरी स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 28–8–2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु अतिवृष्टि एवं सिंचित/ असिंचित भूमि का निर्धारण नहीं होने तथा कोविड– 19 संक्रमण के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका। अतः अधिनियम को धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका कमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (5) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसकी भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढाई जाती है:–

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
1	2	3	4	5
बैतूल	घोड़ाडोगरी	रातामाटी	0.837	ईटारसी–नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु ।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

3– समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

क्र.–09–अ–82–17–18–भयावड़ी–12331

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु ग्राम भयावाड़ी तहसील शाहपुर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 10/13–5–2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु अतिवृष्टि एवं सिंचित/ असिंचित भूमि का निर्धारण नहीं होने तथा कोविड– 19 संक्रमण के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका। अतः अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका कमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (5) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसकी भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढाई जाती है:–

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
1	2	3	4	5
बैतूल	शाहपुर	भयावाड़ी	0.984	ईटारसी–नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु ।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

3– समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

क्र.–3–अ–82–15–16–चिल्हाटी–12335

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु ग्राम चिल्हाटी तहसील मुलताई स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 16–9–2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्राप्त नहीं होने, अतिवृष्टि एवं सिंचित/ असिंचित भूमि का निर्धारण नहीं होने तथा कोविड– 19 संक्रमण के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका। अतः अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका कमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (5) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसकी भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढाई जाती है:–

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	चिल्हाटी	0.697	ईटारसी–नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु ।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

3– समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

क्र.–11–अ–82–17–18–सड़कवाड़ा–12334

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु ग्राम सड़कवार तहसील घोड़ाडोगरी स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 7–6–2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु अतिवृष्टि एवं सिंचित/ असिंचित भूमि का निर्धारण नहीं होने तथा कोविड– 19 संक्रमण के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका। अतः अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका कमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (5) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसकी भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढाई जाती है:–

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
1	2	3	4	5
बैतूल	घोड़ाडोगरी	सड़कवाड़ा	0.330	ईटारसी–नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु ।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

3– समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

क्र.–12–अ–82–16–17–घोड़ावाड़ी–12339

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु ग्राम घोड़ावाड़ी तहसील घोड़ाडोगरी स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 28–8–2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु अतिवृष्टि एवं सिंचित/ असिचित भूमि का निर्धारण नहीं होने तथा कोविड– 19 संक्रमण के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका। अतः अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका कमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (5) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसकी भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढाई जाती है:–

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
1	2	3	4	5
बैतूल	घोड़ाडोगरी	घोड़ावाड़ी	0.107	ईटारसी–नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु ।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

3– समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

क्र.–13–अ–82–17–18–नान्दू–12338

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु ग्राम नान्दू तहसील घोड़ाडोगरी स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 7–6–2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु अतिवृष्टि एवं सिंचित/ असिंचित भूमि का निर्धारण नहीं होने तथा कोविड– 19 संक्रमण के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका। अतः अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका कमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (5) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसकी भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढाई जाती है:–

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
1	2	3	4	5
बैतूल	घोड़ाडोगरी	नान्दू	0.579	ईटारसी–नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु ।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

3– समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

क्र.–34–अ–82–16–17–थावरिया–12336

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु ग्राम थावरिया तहसील मुलताई स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 1–10–2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्राप्त नहीं होने, अतिवृष्टि एवं सिंचित/ असिंचित भूमि का निर्धारण नहीं होने तथा कोविड– 19 संक्रमण के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका। अतः अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका कमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (5) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसकी भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढाई जाती है:–

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	थावरिया	0.240	ईटारसी–नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु ।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

3– समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

क्र.–4–अ–82–20–21–चुरनी–1409 बैतूल, दिनांक 29,30 जनवरी 2021

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक –1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:–

अनुसूची–1
(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे0 में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	चुरनी	0.781	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक–2 बैतूल	चेरनी–मोरनी लघु जलाशय

अनुसूची – 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे0 में	अर्जित रकबा हे0 हे0 में
1	2	3	4	5
1	चिन्धु, लूटू, हरिराम व0 ढोण्डू, ढिमरे पुत्री ढोण्डू, फगनी, समीया व0 जुगन जाति गोंड सा0 देह भूमि स्वामी	178	0.170	0.170
2	सोमती पुत्री टाहजन जाति गोंड सा0 देह भूमि स्वामी	179	0.247	0.065
3	कुन्डल व0 फिरतू जाति गोंड सा0 देह भूमि स्वामी	173/1	0.809	0.226
4	तुलाराम व0 भोन्दू जाति गोंड सा0 देह भूमि स्वामी	173/5	0.462	0.040
5	सुन्दरलाल, संती व0 नजरसिंह, रमोता, मंगरू, अमरसिंह, बंसीलाल व. सरतलाल जाति गोंड सा0 देह भूमि स्वामी	175/18	1.619	0.280
	योग	05	3.307	0.781

1– चूंकि ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।

क्र.–11–अ–82–20–21–मुचगोहान–1407

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक –1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :–

अनुसूची–1
(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे0 में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	मुचगोहान	2.553	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक–2 बैतूल	चेरनी–मोरनी लधु जलाशय

अनुसूची – 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे0 में	अर्जित रकबा हे0 हे0 में
1	2	3	4	5
1	मंगू बेवा झिंगू, हिरदे, सिल्लू व0 झिंगू, सरस्वती, दूब्बा, प्रेति पिता झिंगू, मिंजू, नान्हूरामा, रामलाल व0 सायबू जाति गोंड सा0 देह	103/5	0.457	0.457
		103/6	0.462	0.462
2	चिक्कू व0 जिंदू गोंड सा0 देहू भूमि स्वामी	102/18	0.648	0.040
		102/8	0.081	0.081
		102/11	0.081	0.081
		102/3	0.374	0.277
		102/13	0.024	0.024
3	सोनी बेवा गेन्दसिंह, पारवती पुत्री गेन्दसिंह,गेंदलाल, पवन, चिक्कू व0 जिन्दू , झिंगू, शंकर, मुन्नी, रवि व0 नन्दा, मिडते बेवा नन्दा जाति गोंउ सा0 देह भूमि स्वामी	102/9	0.389	0.348
		102/4	0.263	0.263
		102/14	0.065	0.032
4	सोनी पति गेन्दसिंह, पार्वती पुत्री गेंन्दसिंग सा0 देह भूमि स्वामी	102/12	0.226	0.100
5	रन्नू व0 मदन, चुन्नीलाल, मुन्नी, मुन्नीलाल व. मदन, सुखवंती पुत्री मदन जाति गोंड सा0 देह भूमि स्वामी	102/5	0.324	0.324
		102/15	0.211	0.064
	योग	13	3.605	2.553

1– चूंकि ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि0 (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3– कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4– समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.–25–अ–82–20–21–नायकचारसी–1408

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक –1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :–

अनुसूची–1
(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे0 में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	नायक चारसी	2.099	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक–2 बैतूल	चेरनी–मोरनी लघु जलाशय

अनुसूची – 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे0 में	अर्जित रकबा हे0 हे0 में
1	2	3	4	5
1	गंजन व. मल्ली जाति गोंड सा0देह भूमि स्वामी	35/4	0.482	0.081
2	फगना, नोखेलाल, जग्गू, संजू, अर्जून व0 मगरसिंह, रंजना बेवा मगरसिंह, नरमदी, कलाशांता पिता मगरसिंह जाति गोंड सा0 देह भूमि स्वामी	35/3	0.964	0.121
3	चिंधू व. पुरन जाति गोंड सा0 देह भूमि स्वामी	35/2	0.483	0.068
4	ढोंडी, जीमो, मुन्नी गुनी पिता मोहना, भूता, रामलाल, सुखनंदन व. गेंदलाल, गीता, रीता पिता गेंदलाल जाति गोंड सा0देह भूमि स्वामी	35/1	0.483	0.072
5	सुकडी जौ रिंदा , मालिया बेवा सोमलाल, चिंधी जौ बालचंद, बिन्दी जौ बलीराम, बिदिया जौ रंगू जाति गोड सा0 देह भूमि स्वामी	32/1	3.332	0.081
6	सददू व. पाण्डू जाति गोंड सा0 देह भूमि स्वामी	24	1.676	1.676
योग		06	7.420	2.099

1– चूंकि ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि0 (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3– कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4– समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.–34–अ–82–20–21–डूंडा बोरगांव–1403

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक –1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	डूंडाबोरगांव	28.125	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक–2 बैतूल	गढा मध्यम सिंचाई परियोजना

अनुसूची – 2
(प्रभावित धारको की सूची)

सं.क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकवा (है.में)	अर्जित भूमि का रकवा (है. में)
1	2	3	4	5
1	परसराम पि मौजीलाल गौली सा0 देह भूमि स्वामी	2	0.158	0.158
		4	0.421	0.421
		15	0.494	0.464
2	मुस्तफा यूसुफ नजमी पि दाऊद नजमी मुसलमान सा0 देह भूमि स्वामी	5	0.628	0.628
3	सूरत मूरत आनंद पि बारिक गौली सा0 देह भूमि स्वामी	8/1	2.230	2.23
4	नान्ही पि रामा गौली सा0 देह भूमि स्वामी	8/2	0.639	0.476
		39	0.749	0.459
5	भादू पि चिन्त्या गौली सा0 देह भूमि स्वामी	10	4.096	2.508
6	कैलाश पि चिन्त्या गौली सा0 देह भूमि स्वामी	11	1.692	1.692
		14	0.036	0.036
		50	3.400	3.4
7	भूता पि तेजीलाल गौली सा0 देह भूमि स्वामी	12	0.700	0.550
		17	0.684	0.455
8	मालती पि चिन्त्या गौली सा0 देह भूमि स्वामी	13	0.417	0.383
9	ऊदल पि परसराम गौली सा0 देह भूमि स्वामी	16	0.036	0.036
		49/1	2.404	1.95

10	मल्लू पि रेवाराम सुनार सा0 देह भूमि स्वामी	43/3	0.522	0.328
11	संदीप पि हंसराज सुनार सा0 देह भूमि स्वामी	45/1	0.656	0.189
12	चेती बे राधेलाल, रमेश, सुरेश पि राधेलाल मीरा रामप्यारी पि राधेलाल मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	46	1.295	0.262
13	मुन्नी चुन्नीलाल पि कोवा सुखलाल पि दल्लु भगवती रमोति पि टुकडूलक्समन बुधराम जुगराम व टुकडू फ़कीरिया पि रज्जु मोड़ा पि मकडन जुगनी ओझे पि मकडन यमराज पि चिक्कू जमना बे चिक्कू सुंगवंती पि चिक्कू बस्तीराम पतिराम पिता रायसिंह भीमराव प्रताप पि अनंतराम कमोदी बे अनंतराम गोंड सा0 देह भूमि स्वामी	47/1	2.857	0.091
14	लक्समन पि टिकलू गोड सा0 देह भूमि स्वामी	47/2	0.263	0.095
15	इंतू पि सुखलाल गोंड सा0 देह भूमि स्वामी	47/3	0.243	0.097
16	चींटिया पि मौजीलाल सा0 देह भूमि स्वामी	49/2	0.712	0.134
17	नारायणलाल शांतिलाल पि माधवलाल भैरूलाल पि रतनलाल जाट सा0 देह भूमि स्वामी	51	4.868	0.550
18	ननकी बेवा जिकरी सूरत पि बलदेव बलीराम जगोली रमोली सुनिल अनिल पि चन्दू अनिता संगीता पि चन्दू शिवम दीपका नी0बा0 पि सित्तम सा0 देह भूमि स्वामी	52	0.547	0.462
		59	1.210	1.030
		63	0.474	0.474
19	बिरजू पि नन्हू गौड़ सा0 देह भूमि स्वामी	53	0.858	0.316
20	जमना बेवा टूमचंद भजनलाल पिरमलाल पि टूमचंन्द्र उमा पि टूमचन्द्र मदन पि टूमचन्द्र हरिश्चन्द्र पि कलीराम दीपक पि राजू धोबी तारा पति राजू सा0 देह भूमि स्वामी	58/1	0.043	0.043
		62	0.117	0.065
21	गिरी ना0बा0 पि गोपाल बली मॉ उमा कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	58/3	0.733	0.122
22	मधू पि नौखे कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	64/1	5.119	1.897
		64/2	8.094	2.755
23	देवाजी पि शंकर सुनार सा0 देह भूमि स्वामी	65/1	0.951	0.260
24	रमेश पि शंकर सुनार सा0 देह भूमि स्वामी	65/2	0.951	0.308
25	नारायण पि चिन्त्या गौली सा0 देह भूमि स्वामी	66	2.059	1.500
26	दिलीप पि चींटिया सा0 देह भूमि स्वामी	67	0.688	0.688
27	ओझा पि गेंदु, परसराम शिवचरण पि गीतानंदन पि गेंदु सागर पुत्री गेंदु मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	68	1.185	0.465
28	सीताबू पि बिरजलाल चमार सा0 देह भूमि स्वामी	148	1.578	0.148
	TOTAL		54.807	28.125

1– चूंकि **गढा मध्यम सिंचाई परियोजना** हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3– कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4– समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.–35–अ–82–देवगांव–20–21–1401

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक –1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	देवगांव	54.560	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक–2 बैतूल	गढा मध्यम सिंचाई परियोजना

अनुसूची – 2
(प्रभावित धारको की सूची)

संक्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकवा (है.में)	अर्जित भूमि का रकवा (है. में)
1	2	3	4	5
1	कमल सिंह पि कीर्तन सिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी	3/1	0.369	0.369
		4/7	0.150	0.15
2	धनराज पि कीर्तन सिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी	3/2	0.368	0.368
		4/9	0.682	0.682
		4/12	0.315	0.315
		4/13	0.405	0.405
3	मुल्लो बेवा किर्तनसिंह राजपूत इन्दौरसिंह पिता चावलसिंह सा0 देह भूमि स्वामी	4/1	0.421	0.421
		4/2	2.249	2.249
		4/8	0.969	0.969
		4/10	0.644	0.644
		4/11	0.04	0.04
4	कमलसिह पि कीर्तन सिंह राजपूत चन्द्राबाई बेवा गोलूसिंह, धुरवनसिंह, पिता कीर्तन सिंह सा0 देह भूमि स्वामी	4/3	1.255	1.255
		4/4	1.699	1.699
		4/5	0.405	0.405
		4/16	0.558	0.558
		4/17	0.846	0.846
		4/18	0.420	0.42

5	मुन्नासिंह उर्फ़ कैलाशसिंह पिता इंदौरसिंह शोबितसिंह पिता कीर्तनसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी	4/6	0.485	0.209
		4/14	0.486	0.486
		4/15	0.924	0.924
		4/30	1.214	0.699
6	भुलाबाई पि किर्तनसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी	4/19	0.421	0.421
7	धम्माबाई पि किर्तनसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी	4/20	0.421	0.421
8	निर्मलबाई पि किर्तनसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी	4/21	0.421	0.421
9	कमाबाई पिता किर्तनसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी	4/22	0.42	0.42
10	कमलती पि किर्तनसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी	4/23	0.42	0.42
11	अनुसुईया पि किर्तनसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी	4/24	0.42	0.224
12	कमलसिंह पि किर्तनसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी	4/25	0.42	0.08
13	कुंतीबाई पति सुरजनसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी	4/28	0.405	0.405
14	अंश नाबालिक पिता मुन्नासिंह उर्फ कैलाशसिंह संरक्षक मुन्नासिंह उर्फ कैलाशसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी	4/29	1.214	0.1
15	आनंद कुमार पि कुन्दनलाल कलार सा0 देह भूमि स्वामी	5/1	0.430	0.43
16	प्रेमचंद्र पि कुन्दन लाल आनंदकुमार पिता कुन्दनलाल कलार सा0 देह भूमि स्वामी	5/2	0.430	0.43
		5/4	0.260	0.184
17	हुस्नवी वेवा मुहम्मद अख्तर मुसलमान सा0 देह भूमि स्वामी	9	0.717	0.632
		12/1	0.432	0.432
		14	1.007	1.007
		18	0.372	0.372
		20	0.478	0.478
18	साहबलाल पि बारिक सा0 देह भूमि स्वामी	11/1	2.499	2.187
19	कमलेश पि जिल्लू सा0 देह भूमि स्वामी	11/2	1.250	0.99
20	सुखनंदन पि जिल्लू सा0 देह भूमि स्वामी	11/3	0.844	0.669
21	मनीष ना बा पिता सुखनंदन वली पिता सुखनंदन सा0 देह भूमि स्वामी	11/4	0.405	0.405
22	मोहम्मद अल्ताफ पिता मोहम्मद अख्तर सा0 देह भूमि स्वामी	12/2	2.000	2
		61/3	1.792	1.792
		62/3	0.061	0.061
		63/3	5.309	0.929
23	सबीहा पुत्री मोहम्मद अख्तर सा0 देह भूमि स्वामी	12/3	1.000	1
24	सुल्ताना पिता मोहम्मद अख्तर सा0 देह भूमि स्वामी	16/1	0.553	0.553
25	रिहाना पिता मोहम्मद अख्तर सा0 देह भूमि स्वामी	16/2	0.131	0.131
		17	0.266	0.266
26	शांता बाई पिता विद्धलराव, गेंदराव नागोराव रामशंकर विद्धलराव, सुरेख पिता विद्लराव सा0 देह भूमि स्वामी	23/1	2.630	0.933
		23/5	0.877	0.877
27	गुणवंतराव पिता रुंजया कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	23/2	0.876	0.876
		23/4	2.629	2.529
28	राधेश्याम उर्फ़ राजेश पिता नारायण सा0 देह भूमि स्वामी	23/3	2.629	0.829
29	राधेश्याम उर्फ राजेश पि नारायन सरिता भुरो सिंन्धु पुत्री नारायन द्वारका पि नारायन कुन्वी सा0 देह भूमि स्वामी	23/6	0.877	0.403

30	चन्द्रसिंह पि बिशाल सिंह ओमकार दीपक राकश पि बिशाल सिंह फुलवा ललिता माया फूलवती पुत्री बिशाल हि राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी	24	0.041	0.041
31	बरदार सिंह पि बिहारी सिह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी	25/1	1.863	1.108
32	जयाबाई पि जीजोबा कुन्वी फूलोवाई ग्यानराव कुन्वी सा0 देह भूमि स्वामी	28/1	0.465	0.465
		28/3	1.161	1.06
33	वैनावाई मैनावाई पि राघोवा कुन्वी सा0 देह भूमि स्वामी	28/2	1.624	1.14
34	साहबराव पि सोना जी कुन्वी सा0 देह भूमि स्वामी	28/5	0.809	0.809
35	मुकिन्द्र पि चिन्ध्या जी कुन्वी सा0 देह भूमि स्वामी	28/8	0.405	0.185
36	संन्ध्या पति राजेन्द्र पवार सा0 देह भूमि स्वामी	30/1	1.113	0.224
37	साहबलाल गौरेलाल पिता बाबूलाल पवार सा0 देह भूमि स्वामी	30/2	0.810	0.81
38	गौडू रामा लक्ष्मन पि तेजीलाल पार्वती पुत्री तेजीलाल पवार सा0 देह भूमि स्वामी	30/3	1.619	1.619
39	राधेश्याम प्रकाश पि गुनवंन्त राव पंडाग्रे कुन्वी सा0 देह भूमि स्वामी	32	0.729	0.44
40	स्वरुप चाँद पि कुन्दनलाल कलाल सा0 देह भूमि स्वामी	5/5	0.220	0.045
41	नारायण सिंह पि बिहारी सिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी	25/2	1.214	0.06
42	जगदीश पि चिंध्या जी सा0 देह भूमि स्वामी	28/9	0.405	0.405
43	चम्पा बे खुशीलाल कुम्बी सा0 देह भूमि स्वामी	57/1	0.708	0.18
		59/6	0.809	0.809
44	पूर्णा पति मन्नूलाल नाई सा0 देह भूमि स्वामी	57/2	0.607	0.367
45	वीरसिंह कबीरसिंह पिता ईश्वरसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी	58	0.850	0.050
46	शेक अमीन शेक अलीम शेक अज़ीम शेक अजित पिता शेक समीम, शाहजहां बेवा शेक समीम सा0 देह भूमि स्वामी	59/1	1.036	1.036
47	गुंता पि राम प्रसाद लोहार सा0 देह भूमि स्वामी	59/2	1.214	1.214
48	गंगा शांति गीता पि चेतराम विकास नाबालिक पि मुन्नालाल संरक्षक गीता करीना नाबालिक पि मुन्नालाल संरक्षक गीता गीता बे मुन्नालाल दुर्गेश पि चेतराम लोहार सा0 देह भूमि स्वामी	59/3	1.214	1.214
49	प्रेम शंकर कमलेश शांता अनीता अनुसूया बे चिरोंजी लोहारी सा0 देह भूमि स्वामी	59/4	0.809	0.809
50	राम प्यारी पति टीकाराम लोहार सा0 देह भूमि स्वामी	59/5	0.567	0.567
51	मो अकरम पिता मो अख्तर मुसलमान सा0 देह भूमि स्वामी	61/1	1.785	0.05
		62/1	0.061	0.061
52	असमाखान बेवा मोहम्मद अनवर मोहम्मद अलीसिद्दिकी पिता मोहम्मद अनवर मारिया उर्फ़ आफियासिद्दिकी पिता मोहम्मद अनवर सा0 देह भूमि स्वामी	61/2	1.785	0.878
		63/2	4.639	0.120
		62/2	0.061	0.061

53	हरचंद पिता कुंदनलाल कलार सा0 देह भूमि स्वामी	6/1	0.430	0.065
		6/2	0.050	
54	फूलचंद पिता कुंदनलाल कलार सा0 देह भूमि स्वामी	6/3	0.050	
55	आनंदकुमार पिता कुंदनलाल कलार सा0 देह भूमि स्वामी	6/4	0.170	
56	स्वरुपचंद पिता कुंदनलाल कलार सा0 देह भूमि स्वामी	6/5	0.210	
	TOTAL		**79.753**	**54.312**

1– चूंकि **गढा मध्यम सिंचाई परियोजना** हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3– कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4– समुचित सरकार की वेबसाइट **www.betul.nic.in** पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.–36–अ–82–डोकिया–20–21–1402

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक –1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सन्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	डोकिया	29.701	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक–2 बैतूल	गढा मध्यम सिंचाई परियोजना

अनुसूची – 2
(प्रभावित धारको की सूची)

सं.क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकवा (है. में)	अर्जित भूमि का रकवा (है. में)
1	2	3	4	7
1	सुखचन्द्र पि सुंदरलाल सा0 देह भूमि स्वामी	78	0.793	0.467
2	सुगन्ति पति गेंन्दलाल सा0 बैतूल	112/1	2.527	0.284
3	गब्बू रध्धु पि मोड़डी सूकिया सूकी मुसिया पि मोडडी सुखदेव मगरसिह गौर पि बैनी फूल्लो समोती पिू बेनी कन्नु मन्नु पि गुलाब रूपेश पि गंजन छननु मोहन पि पूना दसिया बेवा पूना बाबूलाल पि नब्लू सुगन्ता सुमन नन्दिया बिन्दिया ईमला विमला मंगा कस्तूरी पि नब्लू परधान सा0 देह	113/1	4.174	0.302
		193/1	2.241	0.900
4	अमर विनोद पि पिरमु गोली सा0 देह भूमि स्वामी	153	0.833	0.077
		155/2	0.202	0.202
5	आनंदराव पि गिरधारी मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	158/1	0.702	0.477
6	गोविन्दराव पि गिरधारी मेहरा सा0 देह भूगि स्वामी	158/2	0.702	0.250
7	कला बे भगवंतराव ,प्रहलाद प्रकाश , विनोद पि भगवंतराव दुर्गा जुली पि भगवंतराव मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	158/3	0.702	0.170
8	श्यामराव पि गिरधारी सा0 देह भूमि स्वामी	158/4	0.702	0.320
9	प्रेमलाल पि बोंदरू मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	160/2	2.963	0.333
10	हेगराज पि टेनू मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	161/1	0.521	0.521

11	मुजियवंती पति रूपलाल मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	161/2	1.136	1.136
12	सीमा पति ललित हुरमाड़े मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	161/3	0.405	0.405
		161/4	0.202	0.202
13	सुनिल पि हँमराज मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	161/5	0.522	0.522
14	अनिल पि हँमराज मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	161/6	0.522	0.458
15	रूपलाल पि भूरा मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	162	3.132	3.132
16	सूखलाल रामभरोस पि मूंशीलाल कला रामकला पि मूशीलाल तुरसा वे गणेश रामकिशोर पि गणेश अनिता सुमन किरण पि गणेश श्रीराम पप्पू पि ओझा गौली सा0 देह भूमि स्वामी	163	3.132	3.132
17	दिव्या ना0वा0 पुत्री रूपचन्द्र बली माँ ऊषा बेवा रूपचन्द्र मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	164/1	0.539	0.480
18	प्रभूदयाल पि नत्थू मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	164/2	0.539	0.539
19	रामदयाल पि नत्थू मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	164/3	0.541	0.541
20	रेहानापरवीन जौ बसीर सिद्धकी मुसलमान सा0 देह भूमि स्वामी	166	7.879	3.508
21	सुन्दर पि श्यामा सा0 बैतूल सा0 देह भूमि स्वामी	167/1	0.415	0.415
		171/1	0.172	0.172
22	अमृत पि सरावन मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	167/2	1.224	0.83
		171/2	0.172	0.11
23	राजू पि सुन्दर मेहरा बैतूल सा0 देह भूमि स्वामी	167/3	0.809	0.809
24	जगोती बे गोपाल बाला व गरबसिंग फुन्दू मोजी राजू किशोर सुनील पि भोला लक्ष्मी पि भोला	170	1.740	1.74
25	जीवन पि छन्नू गौड़ सा0 देह भूमि स्वामी	189/2	0.345	0.202
26	मगरसिग सुखदेव पि बेनी गांड़ सा0 देह भूमि स्वामी	193/2	0.430	0.187
27	गरबसिग सरबसिग गजन बली सदिया पि बली गब्बू रध्धु पि मोडडी मुसिया रूपी सूकी सफिया पि मोडडी बैनी पि गिरवन कन्नु मन्नु पि गुलाब सुम्मो पि गुलाब चूनी मुनिया पि कुँवर गोंड़ सा0 देह भूमि स्वामी	195/1	0.870	0.965
		195/3	0.652	
28	मुनिया पि कुँवर गौड़ सा0 देह भूमि स्वामी	195/2	0.218	
29	नान्हू पि मंगल गौड़ सा0 देह भूमि स्वामी	196/1	1.631	0.488
30	इमरतलाल पि बोंदरू मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	157	2.440	1.705
31	लखन भरत पि धरमु गोली सा0 देह भूमि स्वामी	77/1	1.920	1.191
32	अमर विनोद पि पिरमु गोली सा0 देह भूमि स्वामी	77/2	1.515	
33	सेवकराम सुभाष पि कोरकुलाल गोली सा0 देह भूमि स्वामी	77/3	1.312	
34	लखन , करण , भारत पि धरमु सा0 देह भूमि स्वामी	79/1	1.073	0.300
35	सेवकराम, सुभाष पि कोरकुलाल सा0 देह भूमि स्वामी	79/2	1.073	
36	अमर, विनोद पि पिरमु सा0 देह भूमि स्वामी	79/3	0.687	
37	रेहान परवीन बे बशीर इशराक सरफराज, एजाज, उमेशपरवान पिता बशीर सा0 देह भूमि स्वामी	172/1	2.526	1.873
38	गँदालाल पि रामसु सा0 देह भूमि स्वामी	172/2	0.269	
39	प्रेमलाल दौलत दिनु व गन्नू शिवकली पुत्री गन्नू तुलसी बे गन्नू फूलवन्ती बे देवीलाल रवि व देवीलाल किरण रक्खो रीना शीतल नौलम कीजल पि देवीलाल प्रधान सा0 देह भूमि स्वामी	172/3	0.270	
40	गणेश पि रामसु परधान सा0 देह भूमि स्वामी	172/4	0.270	

41	जितेंद्र कुमार पि॰ शैलेन्द्र कुमार ब्राहमण सा0 देह भूमि स्वामी	159/1	3.052	0.456
42	अभिजीत कुमार पिता शैलेन्द्र कुमार जाति ब्राहम्ण सा0 देह भूमि स्वामी	159/2	0.641	
43	अभिजीत कुमार पिता शैलेन्द्र कुमार जाति ब्राहम्ण सा0 देह भूमि स्वामी	159/3	0.467	
44	शैलेन्द्र कुमार पि अयोध्या प्रसाद अभिजीत कुमार पिता शैलेन्द्र कुमार जाति ब्राहम्ण सा0 देह भूमि स्वामी	159/4	1.292	
45	शिव देवी पति शैलेन्द्र कुमार अभिजीत कुमार पिता शैलेन्द्र कुमार जाति ब्राहम्ण सा0 देह भूमि स्वामी	159/5	3.054	
		TOTAL	66.150	29.701

1– चूंकि **गढा मध्यम सिंचाई परियोजना** हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3– कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4– समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.–37–अ–82–पाढरखुर्द–20–21–1406

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक –1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	पाढर खुर्द	118.149	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक–2 बैतूल	गढा मध्यम सिंचाई परियोजना

अनुसूची – 2
(प्रभावित धारको की सूची)

संक्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकवा (हे.में)	अर्जित भूमि का रकवा (है. में)
1	2	3	4	5
1	बब्बू पि रामचरण गौली सा0 देह भूमि स्वामी	2/1	0.308	0.300
		2/2	0.340	0.340
2	परसराम पि तेजीलाल गौली सा0 देह भूमि स्वामी	3/1	0.418	0.418
3	बरजोर पि भोला गोली सा0 देह भूमि स्वामी	3/2	0.809	0.809
4	कुन्दन पि तेजीलाल गौली सा0 देह भूमि स्वामी	3/3	0.418	0.418
5	केशरी पि तेजीलाल गौली सा0 देह भूमि स्वामी	3/4	0.419	0.419
6	अनंतराम पि बरजोर गौली सा0 देह भूमि स्वामी	3/5	0.643	0.643
		57	0.012	0.012
		58/2	0.697	0.697
		63	0.878	0.878
7	सूरतराम पि बरजोर गौली सा0 देह भूमि स्वामी	3/6	0.320	0.320
		58/5	0.697	0.697
		13/2	0.404	0.247
8	मिन्तर पि रामप्रसाद गौली सा0 देह भूमि स्वामी	4/1	0.500	0.500
		64/1	0.371	0.250
		65/1	0.128	0.128
9	इन्दल पि रामप्रसाद गौली सा0 देह भूमि स्वामी	4/2	0.500	0.500
		65/3	0.128	0.128

10	किन्तर पि रामप्रसाद गौली गौरी पति बाला सा0 देह भूमि स्वामी	4/3	0.080	0.080
11	सुदामा पि नानकराम गौली सा0 देह भूमि स्वामी	7/1	1.400	1.400
		9/1	1.357	1.357
12	किशन पि नानकराम गौली सा0 देह भूमि स्वामी	7/2	1.315	1.315
		9/2	1.113	1.113
13	चिंरोजी पि रामचरण गौली सा0 देह भूमि स्वामी	58/3	0.478	0.478
		65/2	0.634	0.634
		64/2	0.080	0.080
14	राजकुमार पि तुलसीराम गौली सा0 देह भूमि स्वामी	13/1	0.398	0.398
15	भगोती पति रोन्या सा0 देह भूमि स्वामी	15/2	0.405	0.049
16	गणेश उर्फ अभय पि रामदीन गौली सा0 देह भूमि स्वामी	16	2.586	0.242
17	सूरतलाल पि पाण्डू गौली सा0 देह भूमि स्वामी	19	1.356	1.356
		21/4	4.248	4.248
18	रघुनाथ पि गजराजसिंह गौली सा0 देह भूमि स्वामी	21/1	0.240	0.240
		21/6	0.777	0.777
19	कालू उर्फ सुखदेव पि रामदीन गौली सा0 देह भूमि स्वामी	21/2	0.910	0.910
		21/3	0.202	0.202
20	रामपाल पि गजराजसिंह गौली सा0 देह भूमि स्वामी	21/5	0.708	0.708
21	श्यामवती वे रामनाथ मनीराम संतोष पि रामनाथ गौली सा0 देह भूमि स्वामी	21/7	0.420	0.420
		21/8	0.597	0.597
22	जगन्नाथ पि गज़राजसिंह गौली सा0 देह भूमि स्वामी	21/9	0.850	0.850
23	खुशीलाल पि गजराज गौली सा0 देह भूमि स्वामी	22	0.255	0.255
24	गरीब्या पि रेबाराम गौली सा0 देह भूमि स्वामी	23	0.731	0.731
		38	2.699	2.699
		39/2	0.486	0.486
25	भूता पि साहबलाल कमला वे रामाधार अर्जुन मनोज पि रामधार सुनीता मीना पि रामाधार गौली सा0 देह भूमि स्वामी	24/1	0.401	0.401
		29/1	0.166	0.166
26	हीरालाल पि नानकराम गौली सा0 देह भूमि स्वामी	24/2	0.401	0.401
		28	0.336	0.336
		29/2	0.166	0.166
27	गाणेश पि रामदीन गोली सा0 देह भूमि स्वामी	24/3	0.321	0.321
		24/4	0.080	0.080
28	ललित पि हीरालाल गौली सा0 देह भूमि स्वामी	25	0.802	0.802
29	बुद्धू पि सखारम गौली सा0 देह भूमि स्वामी	26	0.821	0.821
30	सुन्दरलाल पि मौजी गौली सा0 देह भूमि स्वामी	27	0.421	0.421
		30	0.563	0.563
		39/4	0.454	0.454
		136/3	0.063	0.031
31	जुगराम पि पूरन गौली सा0 देह भूमि स्वामी	32	0.567	0.567
		40/5	1.073	1.073
32	अमरदास पि बिहारी गौली सा0 देह भूमि स्वामीं	34/1	1.624	1.624
		138	0.283	0.283
		139/1	1.019	1.019
33	लखन पि बिहारी गौली सा0 देह भूमि स्वामी	34/2	2.275	2.275
		139/2	1.020	0.941
		167	0.129	0.129
34	रोहित पि हीरालाल गौली सा0 देह भूमि स्वामी	34/3	0.650	0.650

35	बिसन पि सुखराम गौली सा0 देह भूमि स्वामी	39/1	0.253	0.253
36	नाथूराम पि मौजी गोली सा0 देह भूमि स्वामी	39/3	0.747	0.747
		136/2	0.064	0.024
37	संतोष पि सुखराम गौली सा0 देह भूमि स्वामी	39/5	0.252	0.252
		136/1	0.063	0.030
38	हुकमा पि सुखराम गौली सा0 देह भूमि स्वामी	39/6	0.252	0.252
39	पुरन पि सुखराम गौली सा0 देह भूमि स्वामी	40/1	0.814	0.814
40	तुलाराम पि सुखराम गौली सा0 देह भूमि स्वामी	40/2	0.291	0.291
41	सरस्वती पि नाथूराम गौली सा0 देह भूमि स्वामी	40/3	0.291	0.291
42	गोलमन पि पूरन गौली सा0 देह भूमि स्वामी	40/4	0.264	0.264
		46/3	1.119	1.119
		53	0.926	0.263
		54/2	1.214	1.070
43	लक्ष्मीचन्द्र पि पूरन गौली सा0 देह भूमि स्वामी	40/6	0.830	0.830
		46/1	1.119	1.119
44	इमरतलाल पि बोंदरू मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	42	0.052	0.052
		56	0.016	0.016
		176	0.041	0.041
		178	2.634	2.634
45	भगोती पि रेवाराम गौली सा0 देह भूमि स्वामी	44/1	0.707	0.707
		44/2	1.723	1.723
46	रामदीन पि गरीब्या गौली सा0 देह भूमि स्वामी	44/3	3.782	3.782
		54/3	0.336	0.336
47	इमला वे नारायण सतीष संदीप पि नारयण सुमन पि नारायण मेहश सा0 देह भूमि स्वामी	46/2	2.238	2.238
		163/1	3.088	0.858
		164	0.336	0.336
48	हंसराज पिता किशोरी सा0 देह भूमि स्वामी	47	0.065	0.065
		61/6	0.207	0.207
49	मानक पि मंगल गौली सा0 देह भूमि स्वामी	48/1	0.042	0.042
50	ललिता वे ननकू मोहन पि ननकू गुलसो रेखा विमला पि ननकू गौली सा0 देह भूमि स्वामी	48/2	0.043	0.043
51	कोरकूलाल पि बुद्धू गौली सा0 देह भूमि स्वामी	49	0.063	0.063
		71	1.376	0.324
		135	0.186	0.096
52	रामदीन पि सखाराम गौली सा0 देह भूमि स्वामी	54/1	0.004	0.004
53	तुलसीराम पि मनोहर गौली सा0 देह भूमि स्वामी	58/1	1.132	1.132
		58/4	0.404	0.404
54	किशोरी पि बिहारी गौली सा0 देह भूमि स्वामी	59	0.279	0.279
		61/2	0.750	0.750
55	नन्दन पि तेजीलाल गौली सा0 देह भूमि स्वामी	61/1	0.790	0.790
56	नकुल पि तेजीलाल गोली सा0 देह भूमि स्वामी	61/3	0.791	0.791
57	शिवराम पि किशोरी गौली सा0 देह भूमि स्वामी	61/4	0.207	0.207
58	दीपक पि किशोरी गौली सा0 देह भूमि स्वामी	61/5	0.208	0.208
59	नितेश ना बा पिता नानकराम वलि मां द्वारका गौली सा0 देह भूमि स्वामी	69	1.400	0.210
60	इमरतलाल, प्रेमलाल, अशोक पिता बोंदर, जुग्गो, सोना पिता बोंछर, इमला बेवा नारायण, संदीप, सतीश पिता नारायण, सुमन पिता नारायण, संतोष, रामाधार पिता बाजिलाल, बृजलाल, संजय पिता बलराम, ममता, ललिता पिता बलराम मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	95	0.579	0.130
61	गुज्जो पति मुन्नी सा0 देह भूमि स्वामी	137	0.170	0.047
62	लक्ष्मण पि रोन्या गौली सा0 देह भूमि स्वामी	145/1	0.196	0.196

63	सुखपति पति रामाधार गोली सा0 देह भूमि स्वामी	145/2	0.195	0.090
64	हीरा पि नानकराम गौली सा0 देह भूमि स्वामी	145/3	0.196	0.196
65	बल्लू पि रामरतन गोली सा0 देह भूमि स्वामी	166/1	1.265	0.691
		177/6	0.550	0.550
		177/7	0.387	0.387
66	संतोष पि रामरतन गौली सा0 देह भूमि स्वामी	166/2	1.669	1.212
		177/4	0.610	0.610
		177/5	0.606	0.606
67	पप्पू पि ओझा यादव सा0 देह भूमि स्वामी	166/3	0.405	0.405
68	बिहारी पि पाण्डू गौली सा0 देह भूमि स्वामी	171/1	2.553	2.553
69	गंगा पि बलबन्त कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	171/2	1.619	1.619
70	फिर्रू पि लक्ष्मण गौली सा0 देह भूमि स्वामी	172/1	2.102	2.102
71	लालमन पि लक्ष्मण गौली सा0 देह भूमि स्वामी	172/2	2.103	2.103
72	किसनी पति परसराम तेली सा0 देह भूमि स्वांमी	174	0.085	0.085
		177/10	0.279	0.279
		177/11	0.396	0.396
		177/12	0.049	0.049
73	रामप्यारी वे रामरतन शंकर भागवत संतोष बबलू उर्फ बलराम मधु पि रामरतन सुखमणी धन्नाबाई पि रामरतन गुदाबाई पि रातरतन गौली सा0 देह भूमि स्वामी	177/1	2.022	2.022
74	शंकर पि रामरतन गौली सा0 देह भूमि स्वामी	177/2	1.216	1.216
75	भागवत पि रामरतन गौली सा0 देह भूमि स्वामी	177/3	1.216	1.216
76	मधु पि रामरतन गौली सा0 देह भूमि स्वामी	177/8	0.049	0.049
		177/9	0.722	0.722
77	गोंडू पि बिरज मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	183/1	0.216	0.216
		183/2	0.729	0.729
78	मीराबई पति गोंडू मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	183/3	0.946	0.946
79	कौतिका पति रघुनाथराव मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	183/4	0.946	0.946
80	नाथूराम रघुनाथ नारायण पि बिरज ऐनू पि बिरज मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	183/5	0.946	0.946
81	आशीषसिंह पि भगवतसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी	183/6	0.946	0.946
82	रघुनाथ पि बिरज मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	183/7	0.946	0.946
83	कसिया बे पांडू यादोराव पि पांडू देवकी सुशीला सयाबई पि पांडू मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	183/8	0.946	0.946
84	इंदल पिता रामप्रसाद गोली सा0 देह भूमि स्वामी	5/1	0.747	1.969
85	चिरोंजी पिता रामचरण गोली सा0 देह भूमि स्वामी	5/2	0.032	
86	बब्बू पिता रामचरण गोली सा0 देह भूमि स्वामी	5/3	0.877	
87	मिंतर पि रामप्रसाद सा0 देह भूमि स्वामी	5/4	0.747	
88	हँसराज पि किशोर सा0 देह भूमि स्वामी	11/1	1.041	2.685
89	दीपक पि किशोर सा0 देह भूमि स्वामी	11/2	1.041	
90	शिवराम पि किशोर सा0 देह भूमि स्वामी	11/3	1.042	
91	राजकुमार पि तुलसीराम सा0 देह भूमि स्वामी	14/1	0.607	1.098
92	ललित पि तुलसीराम सा0 देह भूमि स्वामी	14/2	1.004	
93	परसराम पि तेजिलाल सा0 देह भूमि स्वामी	17/1	0.802	3.992
		17/7	0.159	
94	हँसराज पि किशोरी सा0 देह भूमि स्वामी	17/2	0.593	
95	कुंदन पि तेजिलाल सा0 देह भूमि स्वामी	17/3	0.721	
		17/6	0.161	

96	केसरी पि तेजिलाल सा0 देह भूमि स्वामी	17/4	0.720	
		17/8	0.160	
97	हरि पि तेजिलाल सा0 देह भूमि स्वामी	17/5	0.699	
		17/11	0.602	
98	नंदन पि तेजिलाल सा0 देह भूमि स्वामी	17/9	0.256	
		17/12	0.186	
99	नकुल पि तेजिलाल सा0 देह भूमि स्वामी	17/10	0.512	
100	दीपक पि किशोरी सा0 देह भूमि स्वामी	17/13	0.593	
101	शिवराम पि किशोरी सा0 देह भूमि स्वामी	17/14	0.594	
102	सुरतलाल पि पाण्डु सा0 देह भूमि स्वामी	18/1	1.805	3.367
103	श्यामवन्ति बे रामनाथ की गोली सा0 देह भूमि स्वामी	18/2	0.445	
104	जगन्नाथ पि गजराजसिंह सा0 देह भूमि स्वामी	18/3	0.445	
105	रामपाल पिता गजराज सिंह सा0 देह भूमि स्वामी	18/4	0.445	
106	खुशीलाल पि गजराज सिंह सा0 देह भूमि स्वामी	18/5	0.445	
107	रघुनाथ पि गजराज सिंह सा0 देह भूमि स्वामी	18/6	0.445	
108	सूयश पि अशोक मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	51/1	0.802	5.664
109	अशोक पि बौंदर सा0 देह भूमि स्वामी	51/2	3.219	
110	रोनिया पि नंदू सा0 देह भूमि स्वामी	51/3	0.183	
111	रामाधार पि रोनिया सा0 देह भूमि स्वामी	51/4	0.243	
		51/8	0.183	
112	जेठू पि रोनिया सा0 देह भूमि स्वामी	51/6	0.267	
		51/13	0.183	
113	लक्समन पि रोनिया सा0 देह भूमि स्वामी	51/7	0.243	
		51/9	0.183	
114	गोरा पि रोनिया सा0 देह भूमि स्वामी	51/10	0.183	
115	पुनि पि रोनिया सा0 देह भूमि स्वामी	51/11	0.183	
116	भूते पि रोनिया सा0 देह भूमि स्वामी	51/12	0.182	
117	प्रहलाद पि बाबूलाल सा0 देह भूमि स्वामी	66/1	3.845	3.487
118	कालू उर्फ़ सुखदेव पि रामदीन सा0 देह भूमि स्वामी	66/2	1.428	
		66/15	0.132	
119	परसराम पि बाबूलाल सा0 देह भूमि स्वामी	66/3	0.348	
		66/7	0.303	
120	कैलाश पि रामदीन सा0 देह भूमि स्वामी	66/4	0.132	
		66/14	1.429	
121	कुंवरलाल पि गोरेलाल सा0 देह भूमि स्वामी	66/5	1.098	
122	रामदास पि गोरेलाल सा0 देह भूमि स्वामी	66/6	0.707	
		66/10	1.200	
123	गणेश उर्फ़ अभय पि रामदीन सा0 देह भूमि स्वामी	66/8	0.405	
124	रामाधार पि जेठू सा0 देह भूमि स्वामी	66/9	1.012	
		66/17	0.269	
125	जेठू पि रेनिया सा0 देह भूमि स्वामी	66/11	0.270	
		66/16	1.011	
126	संतोष पि रामदास सा0 देह भूमि स्वामी	66/12	0.506	
127	परभू पि कुंवरलाल सा0 देह भूमि स्वामी	66/13	1.619	
128	लक्ष्मण पि रोनिया सा0 देह भूमि स्वामी	66/18	0.270	
129	भुता पि साहबलाल सा0 देह भूमि स्वामी	75/1	0.546	0.607
130	कमला बे रामाधार अर्जुन मनोज, सुनिता मीना व0 रामाधार सा0 देह भूमि स्वामी	75/2	2.184	

131	रामदयाल पि भुता सा0 देह भूमि स्वामी	75/3	0.546	
132	दिनेश पि भुता सा0 देह भूमि स्वामी	75/4	0.546	
133	गुलसो बे गुरु दयाल सा0 देह भूमि स्वामी	75/5	0.545	
134	सुखनन्दन पि सूरतलाल मल्लू पिता सूरतलाल सा0 देह भूमि स्वामी	140/1	0.172	0.166
		140/2	0.172	
135	लालमन पि लक्ष्मण सा0 देह भूमि स्वामी	141/1	0.225	0.152
136	किरु पि लक्ष्मण सा0 देह भूमि स्वामी	141/2	0.225	
	TOTAL		**150.334**	**118.149**

1– चूंकि **गढा मध्यम सिंचाई परियोजना** हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे 04 व्यक्ति का विस्थापन हो रहा है, जिनकी व्यवस्थापन की कार्यध्वाही पृथक से की जा रही है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3– कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4– समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.–38–अ–82–20–21–हिवरखेड़ी–1379

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक –1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	हिवरखेड़ी	220.327	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक–2 बैतूल	गढा मध्यम सिंचाई परियोजना

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

संक्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकवा (है. में)	कुल अर्जित रकवा है0
1	2	3	4	5
1	गणेशकृष्णा बल्देव पि आनंदराव शांता वेवा अनंदराव राधा माला उर्मिला रेखा लीला शीला रेनुका पिता अनंदराव कुन्वी सा0 देह भूमि स्वामी ।	91/1	2.619	0.932
2	बलदेव पि आनंदराव शांता जोजे आनंदराव सा0 देह भूमि स्वामी	91/2	3.237	0.032
		96	2.707	2.625
3	बल्लू कल्ली मुन्नीचुन्नी मुन्ना पि डोंगरू,रमलो पि डोंगरू गोंड़ सा0 देह भूमि स्वामी ।	97/1	0.809	0.583
4	कल्ली पि डोगरू गोंड़ सा0 देह भूमि स्वामी ।	97/2	1.182	0.682
5	मुन्ना पि डोगरू गोंड़ सा0 देह भूमि स्वामी ।	97/3	1.181	1.181
6	बल्लू पि डोंगरू गोंड़ सा0 देह भूमि स्वामी ।	97/4	1.182	1.182
7	चुन्नीपि डोंगरू गोंड़ सा0 देह भूमि स्वामी ।	97/5	1.182	1.182
8	मन्ना पि डोंगरू गोंड़ सा0 देह भूमि स्वामी ।	97/6	1.182	1.182
9	दुर्गादास पि गनेशराव कुन्वी सा0 देह भूमि स्वामी ।	98/1	1.922	1.922
10	कृष्णा पि आंदराव कुन्वी सा0 देह भूमि स्वामी ।	98/2	3.507	3.507
		103/2	3.000	0.052
11	योगेश पि गनेशराव, गनेशराव पिता आनंदराव कुन्वी सा0 देह भूमि स्वामी ।	98/3	1.922	1.922
		98/4	1.583	1.583
12	कपिल ना0 वा0 बली पिकृष्णा पि आनंदराव कुन्वी सा0 गड़ा	98/5	1.920	1.92
13	किरण जोजे मुकेश कुमार खण्डेलवाल वनिया बेतूल सा0 देह भूमि स्वामी ।	100	5.970	5.97
14	नारायन पि निर्मल राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	104/1	0.591	1.863
		104/7	0.488	

15	कमलेश पि नत्थू तेली वि गढ़ा सा0 देह भूमि स्वामी ।	104/2	1.652	
16	परवत सिंह पि भोपाल राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	104/3	0.657	
17	परवत सिंह संतोष सिंह पि भोपाल सिंह गंगासागर पार्वती पुत्री गोपाल राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	104/4	0.672	
18	किरण बाई जोजे कमलेश तेली सा0 देह भूमि स्वामी ।	104/5	0.364	
		104/8	0.162	
19	सुमित्रा जोजे ग्यासिन राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	104/6	0.405	
		104/9	0.101	
20	गयासिंह पि निर्मल सिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	104/10	0.120	
		104/13	0.470	
		104/15	0.489	
21	कैलाश सिंह पि निर्मल सिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	104/11	0.120	
		104/12	0.489	
		104/14	0.470	
22	संतोष पि गोपाल राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	104/16	0.658	
23	गजराजसिह उर्फ़ दरवार सिंह पि उदरासंसिंह राजपूत	108/1	2.394	0.856
		135/1	0.417	0.294
24	भरत सिंह पि ज्ञानसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	108/2	1.396	0.501
		129/1	4.468	0.564
25	ईश्वरसिंह पि श्यामूसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	108/3	1.665	1.665
26	भरत पि तेजीलाल तेली नि0 खेड़ीसावलीगड़	109/1	0.855	
		109/5	1.979	
27	धनरज राजेन्द्र पि मोतीलाल दमयन्ती उर्मिला प्रमिला पुत्री मोतीलाल तेली सा0 देह भूमि स्वामी ।	109/2	0.405	
28	लालराम पि नत्थू तेली सा0 देह भूमि स्वामी ।	109/3	0.446	
		109/10	0.427	
		109/12	0.202	
29	फत्या पि तेजीलाल तेली सा0 देह भूमि स्वामी ।	109/4	2.335	
30	डिगलेश पि सददूलाल नि बैतूल भूमि स्वामी ।	109/6	0.506	4.91
31	कमलेश पि नत्थू सा0 देह भूमि स्वामी ।	109/7	0.607	
32	धनराज पि मोतीलाल तेली सा0 देह भूमि स्वामी ।	109/8	1.011	
33	राजेन्दग पि मोंतीलाल तेली सा0 देह भूमि स्वामी ।	109/9	0.011	
34	यादव प्रसाद पि नत्थू तेली खेड़ीसावलीगड़ सा0 देह भूमि स्वामी ।	109/11	0.202	
		109/13	0.445	
		109/14	0.428	
35	अमरसिंह पि पूरन गोड़ सा0 देह भूमि स्वामी ।	110	3.635	3.635
36	साहबराव पि सरजेराव कुन्वी सा0 देह भूमि स्वामी ।	111/1	0.101	0.101
		113/1	0.970	0.97
37	संजय चन्द्रकिशोर पि ज्ञानराव कुन्वी सा0 देह भूमि स्वामी ।	111/2	0.304	0.304
		113/2	0.969	0.969
		113/3	1.938	1.938
38	दौलतराव पि सरजेराव संजय पि ज्ञानराव कुन्वी सा0 देह भूमि स्वामी ।	112	2.007	2.007
39	कॉन्ती बाई पति बिजयकुमार वनिया बैतूल सा0 देह भूमि स्वामी ।	114	5.852	5.852
40	अवतार सिंह पि गुनवंन्त सिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	116	0.433	0.433
41	अशोक पि केशव ब्रम्हण राजू पि रामजी किराड़ सा0 देह भूमि स्वामी ।	163/1	0.556	0.556
42	लक्षमन पि सूरतलाल गौली सा0 देह भूमि स्वामी ।	163/2	0.374	0.374

43	विमलावाई जोजे दीनू गोली वि कोदारोटी सा0 देह भूमि स्वामी।	118/1	1.619	3.416
44	सूरतलाल पि मूरतलाल सा0 देह भूमि स्वामी ।	118/2	0.667	
45	अशोक पि केशव ब्रम्हण राजू पि रामजी किराड़ सा0 देह	118/3	0.772	
46	लक्षमन पि मूरतलाल गौली सा0 देह भूमि स्वामी ।	118/4	0.842	
		118/5	0.100	
		118/7	0.487	
47	नितिनकुमार पि अरविन्द कुन्वीकृष्णानगर बैतूल सा0 देह	118/6	0.506	
48	सरजेराव पि शंकर कुन्वी नि बोरगॉव भूमि स्वांमी ।	118/8	0.511	
49	सुन्दरलाल पि सूरत चन्द्रकला पि सूरत गौली सा0 देह	118/9	1.012	
50	नीलसिंह पि शेरसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	121/1	0.692	9.575
51	यशवंन्त पि गजराज सिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	121/2	0.579	
52	कृष्णासिंह पि गेंदसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	121/3	1.240	
53	बलरामसिंह चवल सिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	121/4	0.829	
54	कोमल सिंह पि नेपाल सिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	121/5	1.262	
55	विदया पति विष्णू राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	121/6	1.578	
56	विक्रम सिंह पिता सुदामासिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	121/7	1.239	
57	अशोक पि शेरसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	121/8	0.691	
58	करनसिंह पि शेरसिह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	121/9	0.692	
59	सज्जनसिंह पि घनश्ययम सिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	121/10	0.404	
60	अजय पि यशवंत सिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	121/11	1.000	
61	दुर्गासिंह, धर्मेन्द्र, रमेश पिता नन्हू शान्ति, मनीषा, सतवंन्ती, पुत्री नन्हू सुम्मा बाई बेवा नन्हू गोंड़ सा0 देह भूमि स्वामी ।	122	0.425	0.425
62	प्रदीपकुमार पि हरिशंकर खण्डेलवाल वनिया नि गंज	123	2.112	2.112
63	भिक्कूलाल पि जोल्ली गोड़ सा0 देह भूमि स्वामी ।	125/1	1.498	3.655
64	सद्दू पिता जोल्ली गोंड सा0 देह भूमि स्वामी ।	125/2	1.497	
65	ढीमू वेवा बुदधूलाल लता शिवकली काशी किशारी पि बुदधूलाल	125/3	1.498	
66	गजराजसिंह उर्फ़ दरबारसिंह पि उदराजसिंह राजपूत सा0 देह	126/1	1.261	0.068
67	दप्पू मिलाप पि बिसलू गोड़ सा0 देह भूमि स्वामी ।	128	0.388	0.388
		130	0.595	0.018
68	रायसिंह गंनजन पि नन्हेसिंह बाबूराव बुदलसा पि रामसू पाण्डो सुकवो पि रामसू फुन्दो वेवा रामसू गायकी सा0 देह	132/1	0.767	2.251
69	बुदधू पि उदयसिंह दस्सू नजरू शिवचरन पि सरप संतो बिस्सो पि सरप रूक्खो वेवा कला मुन्नी रानी पि दसरू कलसिया वेवा दसन दिलीप दिनेश गनेश पि दसन रेखा मीनागीता पि दसन गायकी सा0 देह भूमि स्वामी ।	132/2	0.690	
		132/3	1.000	
70	कमला जौजे दामू गोंड़ सा0 देह भूमि स्वामी ।	132/4	0.402	
		132/5	0.161	
71	सैवन्ती जोजे बुन्दलसा बंसंन्ती जोजे बाबूलाल गायकी सा0 देह भूमि स्वामी ।	132/6	0.360	

72	गीता वेवा राजेंन्द्र निकेश सभाष रूपेश पि राजेंन्द्र राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	136/1	0.587	0.105
		136/2	0.614	
73	धुर्वनसिंह पिता जफ्फरसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी	136/3	0.588	
		136/4	0.613	
74	केनसिंह वल्द जफ्फरसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	136/5	0.587	
		136/6	0.617	
75	धर्मू पि साहबलाल गौली सा0 देह भूमि स्वामी ।	159/1	0.450	1.835
76	शिवकली पत्नि ओमप्रकाश, राजकुमार, हस्किंकर पुत्र ओमप्रकाश सा0 देह भूमि स्वामी ।	159/2	0.363	
77	मनोहर पि गोपाल गौली सा0 देह भूमि स्वामी ।	159/3	1.833	
		159/6	0.081	
78	करतारसिंह पि प्रतापसिंह राजपूत सा0देह भूमि स्वामी	159/4	0.172	
		159/5	0.101	
		159/12	0.489	
		159/13	0.406	
79	सरवन बस्तीराम पि बक्सू, सुक्काबाई पिता बक्सू गंगोत्री वेवा बक्सू गौली सा0 देह भूमि स्वामी ।	159/7	0.809	
		159/8	0.322	
80	कौश्ल्याबाई जौजे रामप्रसाद, मुन्नबीबाई पुत्री राधे बढ़ई सा0 देह भूमि स्वामी ।	159/9	0.405	
		159/10	0.607	
		159/11	0.445	
81	मल्लू पि साहबलाल गौली सा0देह	159/14	0.940	
82	शिवपाल पि साहबलाल सा0 देह भूमि स्वामी ।	159/15	0.941	
83	मनोज पि धरमु सा0 देह भूमि स्वामी ।	159/16	0.941	
84	शशि बई पि सुंदरलाल सा0 देह भूमि स्वामी ।	159/18	0.030	
85	घनश्याम पि शंकरसिंह राजपूत सा0देह	161/1	1.332	1.198
		161/6	1.332	
86	हरिओम पि विन्दोरसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	161/2	1.333	
		161/5	0.944	
87	प्रतापसिंह पि शंकरसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	161/3	0.523	
		161/4	0.523	
88	अनिरूद्व पि घनश्याम राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	161/7	0.194	
89	बलदारसिंह पि प्रतापसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	161/8	0.809	
90	करतारसिंह वल्द प्रतापसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	161/9	0.809	
91	चितवन पि घनश्याम राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	161/10	0.194	

92	रामरतन पि नाथूराम नाई सा0 देह भूमि स्वामी ।	162/1	0.175	1.895
		162/4	0.405	
93	नंदलाल पि साहबलाल नाई सा0 देह भूमि स्वामी ।	162/2	0.809	
		162/9	0.350	
94	ख्याली पि इंदल नाई सा0 देह भूमि स्वामी ।	162/3	0.202	
95	कन्हैया पि साहबलाल नाई सा0 देह भूमि स्वामी ।	162/5	0.809	
		162/8	0.350	
96	गेंदलाल पि साहबलाल नाई सा0 देह भूमि स्वामी ।	162/6	0.809	
		162/10	0.350	
97	शिवकली वेवा इंदल रजबंन्ती रेखा सगीता शीश कला यशोदा पि इन्दल नाई सा0 देह	162/7	0.350	
98	शिव पि नाथूराम नाई सा0 देह	162/11	0.440	
		162/15	0.175	
99	नंदकिशोर पि इंदला नाई सा0 देह भूमि स्वामी ।	162/12	0.202	
100	कृष्णकिशोर पि इंदलानाई सा0 देह भूमि स्वामी ।	162/13	0.202	
101	सुनील पि इंदल नाई सा0 देह भूमि स्वामी ।	162/14	0.203	
102	अशोक पि केशव सा0 देह भूमि स्वामी ।	163/1	0.556	0.556
103	लक्ष्मण पि सुरतलाल सा0 देह भूमि स्वामी ।	163/2	0.374	0.374
104	शत्रुघन पि परसराम, गणेशराव पिता शंकर सा0 देह भूमि स्वामी ।	163/3	0.121	0.121
		163/7	0.556	0.556
		163/9	0.162	0.162
105	गनेशराव पि शंकर कुन्वी सा0 देह भूमि स्वामी ।	163/4	0.405	0.405
106	सुखिया वेवा नाथूराम सा0 देह भूमि स्वामी ।	163/5	0.405	0.405
107	राजू पि परसराम सा0 देह भूमि स्वामी ।	163/6	0.141	0.141
		163/8	0.202	0.202
108	कुँवरलाल पि परसराम सा0 देह भूमि स्वामी ।	163/10	0.363	0.363
109	ज्योति, अनिता, कमलेश पिता कुन्दन, सुक्काबाई बेवा कुन्दन सा0 देह भूमि स्वामी ।	163/11	0.206	0.206
		163/12	0.080	0.08
110	चंदन पि परसराम सा0 देह भूमि स्वामी ।	163/13	0.183	0.183
		163/14	0.140	0.14
111	रीता जाजे महेश नाई सा0 देह भूमि स्वामी ।	163/15	0.406	0.406
112	सुरतलाल पि मूरतलाल गौली सा0 देह भूमि स्वामी ।	163/16	0.194	0.194
113	धनराज पि मन्नू मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी ।	165/1	0.286	0.549
114	बालकराम पि धनराज मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी ।	165/2	1.668	
115	हरिओमसिंह पि विन्दोरसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	165/3	0.048	
116	मेनसिंह पि गरजन राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	165/4	0.011	
117	सचिन पि महाबीरसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	165/5	0.405	
		165/6	0.809	
118	राम प्रसाद पि शोभाराम गौली सा0 देह भूमि स्वामी ।	167/1	1.619	1.619
		167/2	0.809	0.809

119	गोलमन पि शोभाराम गौली सा0 देह भूमि स्वामी ।	167/3	0.680	0.68
		167/4	0.510	0.51
		167/5	0.388	0.388
		168/1	0.291	0.291
		168/2	0.567	0.567
		170/1	0.243	0.243
		170/2	0.983	0.983
120	मेनसिंह , दीपक सिंह, सुनिलसिंह, अनिता पिता गरजनसिंह राजरति बेवा जिनसिंह नान्हा पुत्री उदारसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	172/1	0.717	0.717
121	कुबेरसिंह पि उदैरसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	174/1	1.059	1.059
		174/6	0.650	0.65
		175/1	0.408	0.408
		175/4	0.408	0.408
122	शकुन जोजे विदवान राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	174/2	1.619	1.619
123	विदवानसिह पि हरेसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	174/3	0.809	0.809
124	इदिराबाई जोजे लिखीराम कलार सा0 देह	174/4	0.910	0.91
		174/8	0.222	0.222
125	बल्लू पि कंजीलाल कलार सा0 देह भूमि स्वामी ।	174/5	1.093	1.093
		174/3	0.040	0.04
126	दिलीपसिंह पि केंन्द्रसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	174/7	0.810	0.81
127	रोहित पि केंन्द्र सिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	174/9	0.809	0.809
128	केवट सिंह पि केंन्द्रसिह राजपूज सा0 देह भूमि.स्वामी ।	174/10	0.809	0.809
129	बिजय पि कुबेरसिह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	175/2	0.550	0.55
130	कृष्णसिह पि बिसेरसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	175/5	0.405	0.405
131	शैलैन्द्र पि कुबेरसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	175/6	0.550	0.55
132	विवेकसिंह भरतसिंह चरनसिंह उर्फ पारमसिंह मोहनसिंह सोहनसिह किशोरसिह पि दशरथ सरोजबाई रेखाबाइ वंदनाबाई पि दशरथ शिवकली मुन्नी छमा पि किशोरसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	176/1	0.142	0.142
133	मोहनसिंह पि किशोरसिह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	176/3	0.910	0.91
134	किरनबाई जाजे भारतसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	176/4	0.809	0.809
135	साहनसिंह पि किशोरसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	176/5	0.910	0.91
		176/6	0.300	0.3
136	विवेकसिंह विनयसिंह पि दशरथ सरोजबाई रेखाबदाई वंदनाबाई पि दशरथ राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	176/7	0.029	0.029
137	देवेन्द्रसिंह पि बलसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	179/1	0.024	0.024
138	वीरेन्द्रसिंह पि बलसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	179/2	0.025	0.025
139	भगवान केदार पि बलवंन्त उर्मिला प्रमिल निर्मला कला चन्द्रा आशा पि बलवंत फूला वेवा बलवंन्त राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	180/1	2.068	2.068
		181/1	0.300	0.3
		172/2	0.768	0.768
140	भगवानसिंह पि बलवंतसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	180/2	2.428	2.428
141	पारा वेवा इश्वरसिंह उज्जैन सिंह पि ईश्वर सिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	180/3	2.064	2.064
		181/2	1.961	1.961
142	गब्बरसिंह पि धीरसिंह उर्मिला जाजे बीर सिंह राजपूत सा0 देह	181/3	0.810	0.81

143	दीपकसिंह पि धीरसिंह सा0 देवगॉव भूमि स्वामी ।	181/4	0.830	0.83
144	गयासिंह पि शिवदसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	182/1	0.958	0.958
145	कनेरसिंह पि गयासिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	182/2	0.870	0.87
146	रमेशसिंह पि गयासिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	182/3	0.952	0.952
147	जितेन्द्रसिंह पि गयासिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	182/4	0.870	0.87
148	सुग्रीमसिंह पि गयासिह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	182/5	0.870	0.87
149	कमलसिंह पि गयासिह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	182/6	0.870	0.87
150	कारू पि सुम्मेरगिर गोसाई सा0 देह भूमि स्वामी ।	183	2.509	2.509
151	धीरसिंह पि बलवंतसिंह राजपूत सा0 देवगॉव सा0 देह भूमि स्वामी।	184	1.315	1.315
152	प्रमिला जो0 निहाल सिह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	186	1.214	1.214
153	चरनसिंह पि कमलसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	187/1	0.360	0.36
		187/2	0.405	0.405
		188/4	0.623	0.623
154	किशोरीसिंह पि गजराजसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	188/1	2.248	2.248
155	निर्भयसिंह पि जसवंन्तसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	188/2	1.618	1.618
		188/3	0.202	0.202
156	रानू वेवा बीरेंन्द्रसिंह कृषा ना0 गा0 वली मॉ रानू राजपूत रा।0 देह भूमि स्वामी ।	188/5	0.678	0.678
		190/1	1.068	1.068
157	दिलीपसिंह पि प्रतापसिंह राजपूत सा0 देह0 सा0 देह भूमि स्वामी ।	188/6	0.677	0.677
		190/2	1.068	1.068
158	सिद्वार्थ पि राजेंन्द्र सिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	191/1	1.068	1.068
159	कुमकलीबाई वेवा गजन राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	191/2	0.259	0.259
160	चन्द्रविनोद पि गंजनसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	191/3	0.809	0.809
		194	0.287	0.287
161	दिलीप पि जगतसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	192/1	1.719	1.719
162	कर्मसिंह उर्फ गजेंन्द्र सिंह पि गोविंदसिंह राजपूत सा0 देह	192/2	0.840	0.84
163	जगतसिंह पि गोलूसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	192/3	1.719	1.719
164	ओझेबाई वेवा सायवु मिठठूलाल रमेश सूरेश पि सायवु सुम्मेबाई फुलमा शिवकली झुलमाबई पि सयावु गोंड सा0 देह भूमि स्वामी ।	193	0.393	0.393
		233	1.242	1.242
		238	0.526	0.526
165	भारतसिंह पि किशोरसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	195/1	1.680	1.68
		195/2	0.809	0.809
166	सुरेंन्द्रसिह पि चंचलसिह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	196/1	2.023	2.023
		203/3	0.705	0.705
167	प्रतिभा पत्नि धर्मेन्द्र लक्कीसिंह ना0 पुत्र धर्मेन्द्र वली धर्मेन्द्र पि जनकसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	196/2	1.537	1.537
		198	0.267	0.267
168	महेंन्द्रसिंह उर्फ महेश सिह वली बद्रीसिंह उर्मिला वेवा बद्रीसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	196/3	3.337	3.337
		231/3	1.214	1.214
169	फतरी वेवा जालम सिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	196/4	1.133	1.133
170	जगदीश पि चंचलसिह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	196/5	0.405	0.405
		196/8	0.439	0.439
		231/2	1.230	1.23

171	भानुप्रताप सुप्रिया ना0 पि उज्जैनसिंह वली मॉ रीना वेवा उज्जन सिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	196/6	0.440	0.44
		231/1	1.230	1.23
172	सुधीरसिंह पि चंचलसिह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	196/7	0.439	0.439
173	नरेन्द्रसिंह बीरेन्द्रसिंह जीतेंन्द्र सिंह भूपेंन्द्र चन्द्रविनो पि गंजनसिंह लक्ष्मी पि गंजनसिंह रामकली बेवा गंजनसिंह राजपूत सा0 देह	200/1	0.858	0.858
174	कम्मा जोजे इन्द्रसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	200/2	0.200	0.2
175	अनूपसिंह पि हरेसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	200/3	0.419	0.419
176	कृष्ण पि इन्द्रसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	200/4	0.709	0.709
177	सतीशसिंह पि इन्द्रसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	200/5	0.709	0.709
178	संजससिंह पि अनूपसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	200/6	0.600	0.6
179	युवराज पि अनोपसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	200/7	0.600	0.6
180	तिलकसिंह पि सरदारसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	202	0.121	0.121
181	हीरासिंह पि जालमसिंह राजकुमरी अनीताबई पुत्री जालमसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	203/1	0.705	0.705
182	तानसिंह पि जालनसिंह सुरजाबाई अंन्जनीबाई पुत्री जालमसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	203/2	0.706	0.706
183	गेंदासिंह उर्फ कमल पि अजबसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	204/1	0.133	0.133
184	जग्गू पि दल्ला सा0 देह भूमि स्वामी ।	204/2	0.352	0.352
185	जगदीश पि दल्ला सा0 देह भूमि स्वामी ।	204/3	0.353	0.353
186	चिन्टू पि दल्ला सा0 देह भूमि स्वामी ।	204/4	0.353	0.353
187	पप्पूसिंह उर्फ विमल पि अजबसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	204/5	0.133	0.133
188	धरमू उर्फ धर्मेन्द्र पि अजबसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	204/6	0.132	0.132
189	मालिया पि अजब सिह गोंड़ सा0 देह भूमि स्वामी ।	204/7	0.132	0.132
190	कमला पि अजब सिंह गोड़ सा0 देह भूमि स्वामी ।	204/8	0.132	0.132
191	कलसिय पि अजबसिंह गोड़ सा0 देह भूमि स्वामी ।	204/9	0.132	0.132
192	तुलसिया पुत्री अजबसिह सा0 देह भूमि स्वामी ।	204/10	0.132	0.132
193	भिमला पुत्री अजब सिह सा0 देह भूमि स्वामी ।	204/11	0.132	0.132
194	हेमसिंह पि सरदारसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	206/1	3.390	10.248
195	धनजय पि भीमसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	206/2	1.932	
196	तिलकसिंह पि सरदारसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	206/3	1.569	
197	भीमसिंह पि सरदारसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	206/4	1.568	
198	पनराज पि धनराज राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	206/5	1.766	
199	कुन्ती जोजे पनराज राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	206/6	1.619	
200	भीमा पि सरदारसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	207	0.057	0.057
201	काशीबाईवेवा मिश्रीलाल हिरदेराम, हरि रघुनाथ सुदामा पि मिश्रीलाल दुलारी पुत्री मिश्रीलाल गौली सा0 देह भूमि स्वामी ।	210/1	1.795	1.795
202	मुंशीलाल पि सायवू गौली सा0 देह भूमि स्वामी ।	210/2	1.795	1.795
203	अंन्ता पि आत्माराम सा0 देह भूमि स्वामी ।	211/1	2.022	2.622
204	दयाराम पि लक्ष्मन सा0 देह भूमि स्वामी ।	211/2	0.405	
205	जगदीश पि सुखमन गौली सा0 देह भूमि स्वामी ।	211/3	0.595	
206	अमर पि सुखमन सा0 देह भूमि स्वामी ।	211/4	0.596	
207	रामाधार पि सुखमन गौली सा0 देह भूमि स्वामी ।	211/5	0.595	

208	अमर पि सुखमन सा0 देह भूमि स्वामी ।	212/2	1.186	1.034
209	रामाधार पि सुखमन गौली सा0 देह भूमि स्वामी ।	212/3	1.186	1.034
210	सुरेंन्द्रसिह पि बाबूसिह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	227/1	1.942	2.226
211	कैलाशसिंह वल्द ऊतियासिंघ सा0 देह भूमि स्वामी ।	227/2	1.214	
212	विनय पि बलसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	227/3	0.010	
		227/4	1.320	
		227/9	0.320	
213	सत्ताबाई जोजे उत्तमसिंह राजपुत सा0 देह भूमि स्वामी ।	227/5	1.214	
214	कृष्णसिंह पि गेंदसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	227/6	0.405	
215	रंजनाबाई जोजे बलसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	227/7	0.728	
216	विजेंन्द्र पि बलसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	227/8	0.809	
		227/11	0.320	
217	विरेन्द्र पि बलसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	227/10	0.320	
		227/15	0.010	
		227/16	0.010	
218	देवेन्द्र पि बलसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	227/12	0.320	
		227/17	0.010	
219	सुशीला पि उमेदसिंह देवीसिंह गोलू उर्फ कोमल सिंह बीरू काजू उर्फ काजेंन्द्र सिंह मदन पि नत्थूसिंह अंगूरी पि नत्थू सिंह सुनीता वेवा राजू सा0 देह भूमि स्वामी ।	227/13	0.405	
220	नरेंन्द्रसिंह पि बाबूसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	227/14	2.346	
221	कल्लूसिंह पि दयालसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	228/1	0.717	0.717
222	मल्लूसिंह पि दयालसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	228/2	0.280	0.28
		229/1	0.491	0.491
223	लालसिंह पि दयालसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	228/3	0.106	0.106
		229/2	0.665	0.665
224	भीमसिंह पि दयालालसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	229/3	0.771	0.771
225	गब्बरसिंह अंकितसिंह संतोषसिंह पि सिखरसिंह मीनाक्षी पुत्री शिखरसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	231/4	1.056	0.974
226	पूरमा पति होशियार सिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	231/5	0.014	0.014
227	कुसुम पिता अनिल उर्फ शिवचरन मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी ।	231/6	0.014	0.014
228	भीमसिंह पि गोडूंसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	231/7	0.052	0.052
229	मनोज पि विष्णू साहू	231/8	0.011	0.011
230	दुर्वासागिरी पि कारूगिरी गोस्वामी	231/9	0.007	0.007
231	सोहन पि भूरा सा0 देह भूमि स्वामी ।	231/10	0.011	0.011
232	अंन्जू जौजे संजय राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	231/11	0.021	0.021
233	रामशंकर पि लिखीराम कलार सा0 देह भूमि स्वामी ।	231/12	0.014	0.014
234	मस्तराम पि श्यामू गौली सा0 देह भूमि स्वामी ।	231/13	0.014	0.014
		231/15	0.002	0.002
235	पप्पू , दामड़ पिता रमेश सा0 देह भूमि स्वामी ।	231/14	0.014	0.014
236	भीमसिंह वल्द गोडूसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	234/1	2.445	4.784
		234/3	2.328	
237	रामसिंह पि जगतसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	234/2	2.328	
238	जगतसिंह पि गोडूसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	234/4	0.280	

239	लेखसिंह परनसिंह पि प्रतापसिह रामू बेवा विरेन्द्रसिंह क्रशा ना0बा0 पिता विरेन्द्रसिंह वली मां रानू राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	235/1	0.198	0.198
		235/2	0.769	0.769
		236/1	0.810	0.81
		237	0.963	0.963
240	परनसिंह पि प्रतापसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	236/2	1.820	1.82
241	गंम्भीरसिंह पि गजराजसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	240/1	1.315	1.315
		240/2	1.315	1.315
242	भवानीदास सेवकराम पि किशन गौली सा0 देह भूमि स्वामी ।	241/1	2.731	5.851
243	बलीराम पि लक्ष्मन गौली सा0 देह भूमि स्वामी ।	241/2	1.011	
244	कुरूली उर्फ मुरली पि बली गौली सा0 देह भूमि स्वामी ।	241/3	1.538	
245	निर्भय पि लक्ष्मन गौली सा0 देह भूमि स्वामी ।	241/4	0.809	
246	रामचरण वल्द शिवदयाल सा0 देह भूमि स्वामी ।	243/1	1.216	0.388
247	बलवीर वल्द बलवंत राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	243/2	0.949	
248	बलवीर वल्द बलवंत राजकला बे बलवंत लता बे महावीर योगेश वल्द महावीर सचिन प्रतीक्षा प्रियंका ना बा वल्द महावीर बलि मा लता जगती राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	243/3	1.385	
249	निर्भय वल्द लक्ष्मण सा0 देह भूमि स्वामी ।	243/4	0.810	
250	रामप्रसाद वल्द शिवलू बड़ाई सा0 देह भूमि स्वामी ।	243/5	0.335	
		243/6	0.908	
		243/10	0.080	
251	कुरली उर्फ़ मुरली सा0 देह भूमि स्वामी ।	243/7	0.506	
252	साक्षी पि विजय कुमार सा0 देह भूमि स्वामी ।	243/8	0.649	
		243/9	0.160	
253	आर्यन ना0बा0 वो बलि मुरली वल्द बलिराम सा0 देह भूमि स्वामी।	243/11	0.202	
254	सुदामा वल्द रामचरण बड़ाई सा0 देह भूमि स्वामी ।	243/12	0.100	
255	राजेंद्रसिंहइ पिता गोविन्द राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	244/4	0.344	0.026
256	केंद्रसिंह वल्द गोविंदसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	244/5	0.171	0.07
257	मंजाबाई वेवा देवरू, भीम,कैलास ,ललिता पि देवरू बढ़ई सा0 देह भूमि स्वामी ।	246/1	0.393	1.56
		246/2	0.336	
258	कांन्तिबाई जोजे प्रतापसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	246/3	0.202	
		246/4	0.283	
		246/5	0.104	
259	धनरूपी जोजे केंन्द्रसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	246/6	0.365	
		246/7	0.218	
		246/8	0.101	
260	ईश्वरसिंह वल्द श्यामूसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	248/1	1.090	0.019
261	भरतसिंह वल्द ज्ञानसिंह सुरतिबाई जयन्वंती पि ज्ञानसिंह भागाबाई बे ज्ञानसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	248/2	1.091	
262	रूपलाल वल्द कुंवरलाल तुलसा बे कुंवरलाल सा0 देह भूमि स्वामी ।	249	1.619	0.081
263	छोटे पि राधे, कैगई ,छोटी, मुन्नी पुत्री राधे, काली बेवा राधे सा0 देह भूमि स्वामी ।	250/1	0.664	0.664
264	शांता जोजे करेनसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	250/2	0.809	0.242
265	विपती पि सुखराम मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी ।	250/3	0.607	0.607

266	कांन्तिबाई जोजे प्रतापसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी ।	250/4	0.202	0.202
267	मिथिलेश वल्द कैलाश सा0 देह भूमि स्वामी ।	253/1	1.214	0.055
268	कैलाशसिंह वल्द बरजोरसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	253/2	0.780	
269	अलका पति मिथिलेश सिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	253/3	0.405	
270	विजेंद्रसिंह वल्द मुन्नासिंघ जगती राजपूत प्रतिबा जोजे अजयसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	252	0.559	0.031
271	चेतन ना बा पि विष्णुसिंह संरक्षक पि विष्णुसिंह वल्द गोविंदसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	279/7	1.234	0.035
272	सुधीरसिंह पि चंचलसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	282/2	1.619	0.138
273	सुमित्रा बे दयालसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	342	0.890	0.054
274	बाबूसिंह पि उमेंदसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	345/1	0.809	0.510
275	तानसिंह पि अजबसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	345/2	0.809	
276	सज्जनसिंह वल्द धनश्यामसिंह सा0 देह भूमि स्वामी ।	120	0.287	0.06
277	मनोज कुमार वल्द मदुक राव सा0 देह भूमि स्वामी ।	213	1.214	0.769
278	इशरत बेगस जेजो रियाज़ उद्दीन सा बैतूल जुवेदा खातून पि शेख छोटे जाती मुसलमान सा0 देह भूमि स्वामी ।	218/3	0.426	0.225
279	सुखनंदन पिता चित्तु , मुकेश लवलेश पुत्र गणपति मनिता, ममता, कविता, रेखा पुत्रि गणपति , मीरा पत्नि दस्सू दिलीप पिता शकर , नारायण पिता भोला	419	0.441	0.34
	TOTAL		**314.702**	**220.327**

1– चूंकि **गढा मध्यम सिंचाई परियोजना** हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3– कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4– समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.–39–अ–82–20–21–आखतवाड़ा–1404

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक –1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	आखतवाड़ा	16.367	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक–2 बैतूल	गढा मध्यम सिंचाई परियोजना

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

सं.क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकवा (है.में)	अर्जित भूमि का रकवा (है. में)
1	2	3	4	5
1	गोविंद पिता पाण्डू पवार सा0 देह	2/1	0.546	0.546
2	मोहन पिता कन्हई पवार सा0 देह	2/2	0.547	0.547
		16/6	0.102	0.102
3	लखन पिता पाण्डू पवार सा0 देह भूमि स्वामी	2/3	0.547	0.547
		2/6	2.188	1.590
		16/3	0.303	0.303
4	सायबू पिता बाबू पवार सा0 देह भूमि स्वामी	2/4	0.274	0.274
		2/9	1.093	0.561
		16/1	0.151	0.151
5	राजू पिता गोंविद पवार सा0 देह भूमि स्वामी	2/7	1.094	0.469
		16/7	0.152	0.152
6	सुनीता बेवा गोरेलाल मुकेश सतीश पिता गोरेलाल पावर सा0 देह भूमि स्वामी	2/5	0.274	0.274
		2/8	1.094	0.519
		16/2	0.515	0.515
7	प्यारे पिता कन्हई पवार सा0 देह भूमि स्वामी	2/10	0.458	0.458
		2/14	0.458	0.200
		16/4	0.101	0.101
8	गज्जू पिता कन्हई पवार सा0 देह भूमि स्वामी	2/11	0.458	0.458
		16/5	0.101	0.101

9	सरेज रॉव पि गोविन्द उर्फ़ गोदाराम पवार सा0 देह भूमि स्वामी	2/15	1.094	0.505
10	शेर सिंह पि अर्जुन सिंह राजपूत सा0 देह	15/2	1.214	0.441
11	अर्जुन सिंह पि बुद्धूसिंह राजपूत सा0 देह	15/3	2.472	1.579
12	अनीता पि गुलाब राव, सुमन बेवा गुलाब राव, प्रीती पुत्री गुलाब राव अनीश पि गुलाब राव सा0 देह भूमि	20/1	0.587	0.205
13	हरिराम पि उमराव कुम्बी सा0 देह भूमि	20/2	0.229	0.115
14	सरवन पि भभीसन बया बेवा भभीसन उर्मिला ममता पुत्री भभीसन कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	20/3	0.215	0.195
15	उमेश प्रदीप पि श्री राम गीता संगीता पुत्री श्री राम कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	20/7	0.229	0.130
16	नारायण पि उमराव सा0 देह भूमि स्वामी	20/10	0.230	0.140
17	सुख दयाल पुत्र शिव चरण सुनार सा0 देह	36/1	1.376	0.389
18	नाथूराम वल्द शिव चरण सुनार सा0 देह भूमि स्वामी	36/2	1.701	
		30/7	0.605	
19	विजय पुत्र फत्तुलाल सुनार सा0 देह भूमि	36/3	0.244	
20	लक्समी नारायण पुत्र फत्तुलाल सुनार सा0 देह भूमि स्वामी	36/4	0.244	
21	सुनील पुत्र फत्तूलाल सुनार सा0 देह	36/5	0.244	
22	सुरेंद्र पुत्र फत्तूलाल सुनार सा0 देह	36/6	0.244	
23	पारसराम पुत्र सुंदरलाल कलार सा0 देह	3/1	0.352	0.052
24	रविशंकर पि रामेश्वर कलार सा0 देह भूमि	3/2	2.731	0.381
		3/4	0.971	0.270
25	राजू वल्द गोविन्द पवार सा0 देह भूमि	16/7	0.152	0.152
26	सुरेश पि कलीराम	19/1	0.405	2.628
		19/7	0.202	
	घनश्याम पि कलिया	19/2	0.405	
		19/8	0.202	
	रमेश पि कलीराम	19/3	0.405	
		19/9	0.202	
	पीखा पुत्री तुलसीराम	19/4	0.400	
	बुध्दू उर्फ़ बुधुराम पि तुलसीराम	19/5	0.283	
		19/10	0.587	
	सुधा उर्फ़ तुलसीराम	19/6	0.891	
	काशी पुत्री शिवराम	19/11	0.032	
27	लक्ष्मीनारायण वल्द गोपाल प्रसाद कलार सा0 देह भूमि स्वामी	3/3	5.461	0.419
		15/1	0.809	0.198

28	नन्हूसिंह झनकसिंह पुत्र पदमसिंह सुखी अनीता रेखा पुत्री फूलसिंह राजपूत सा0 देह भूमि स्वामी	5	0.446	0.202
29	नाथुराम पुत्र शिव चरण सुनार सा0 देह भूमि स्वामी	9/1	0.409	0.103
30	सुख दयाल पुत्र शिव चरण सुनार सा0 देह	9/2	0.850	
31	सुरेंद्र वल्द फलूलाल सुनार सा0 देह	9/3	0.631	
32	शिव प्रसाद पि साहबलाल गाडरी सा0 देह	14	1.214	0.345
33	सरवन पि भमीषन बाया वेवा भमीषन उर्मिला ममता पुत्री भमीषन कुन्वी सा0 देह	20/4	0.602	0.050
	Total		**40.026**	**16.367**

1– चूंकि **गढा मध्यम सिंचाई परियोजना** हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3– कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4– समुचित सरकार की वेबसाइट **www.betul.nic.in** पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.–40–अ–82–मंडई–बुजुर्ग–20–21–1400

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक –1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	मंडई बुजुर्ग	101.942	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक–2 बैतूल	गढा मध्यम सिंचाई परियोजना

अनुसूची – 2
(प्रभावित धारको की सूची)

सं.क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकवा (है.में)	अर्जित भूमि का रकवा (है. में)
1	2	3	4	5
1	मुल्लु पि रेवाराम सुनार सा0 देह भूमि स्वामी	129/1	2.346	0.567
2	ओमप्रकाश जयप्रकाश पि रामदयाल सुनार सा0 कोदारोटी	132/1	0.982	0.982
		133/2	1.761	1.761
3	गुलाब मुरारी गिरधारी होरीलाल पि चैतराम दुलारी वेवा चैतराम सुनार सा0 कोदारोटी	132/2	2.982	2.982
4	रामस्वरूप पि तुलाराम सुनार सा0 कोदारोटी	132/3	1.075	1.075
5	भोजराम पि चौखेलाल सुनार सा0 देह भूमि स्वामी	132/4	0.465	0.175
6	भोलाराम पि तुलाराम सुनार सा0 कोदारोटी	132/5	0.972	0.049
7	बनवारी पि चोखेलाल सुनार कोदारोटी	132/6	0.465	0.408
8	जयप्रकाश ओमप्रकाश आंनद पि रामदयाल अल्फा बे हरिराम नितिन निकिल ना0वा0 अरिओम बली मॉ अल्फा सुनार सा0 कोदारोटी	133/1	0.809	0.809
9	शैलैशकुमार पि वेदराम सुनार सा0 कोदारोटी	133/3	2.023	2.023
10	नवनीतकुमार पि बुधराव सुनार सा0 कोदारोटी	133/4	1.514	1.514
		134/1	0.316	0.316
11	अल्का पति हरिओम नितिन निकिला ना0वा0 पि हरिओम वली मॉ अल्फा सुनार सा0 कोदारोटी	133/5	0.607	0.607
		139/1	0.809	0.809
12	बद्री पि नर्रु गौली सा0 कोदारोटी	133/6	0.324	0.324
		134/2	1.052	1.052

13	सुरेंन्द्र सन्तोष पि रामनाथ गौली सा0 कोदारोटी	135/1	1.056	1.056
		135/2	1.619	1.619
14	इन्द्रसेन रामसंतोष उर्फ संतोष पि परसराम उर्फ सुखराम सुरतिया सुशीला पिता परसराम उर्फ सुखराम गौली सा0 कोदारोटी	136	1.765	1.765
15	कलीराम पि चैतनराम कुन्वी सा0 बैतूल	137/1	0.956	0.956
		138	2.322	2.322
		140/1	0.801	0.801
		141/1	1.377	1.377
		141/3	0.993	0.993
16	रामसंतोष पि परसराम उर्फ सुखराम गौली कोरोटी	137/2	0.809	0.809
17	आनंदकुमार पिता रामदयाल सुनार सा0 कोदारोटी	139/2	1.272	1.272
		139/3	0.780	0.78
18	जयदेवी वेवा हरिराम कपिल मुकेश पि हरिराम इन्दुमति पि हरिराम कुन्वी सा0 बैतूल	140/2	2.310	2.198
		141/2	4.117	3.85
19	बाबूलाल पि रेवाराम सुनार साव कोदारेटी	142/1	0.470	0.045
20	द्वारका पि रामाधार कुन्वी सा0 देह भूमि स्वामी	143	2.120	0.252
		149	6.094	6.094
		208	0.317	0.317
21	होशीराम पि विट्ठल राम सा0 देह भूमि स्वामी	144	2.241	0.376
		207/2	0.307	0.274
		209/2	1.069	1.069
22	गोकुल प्रसाद पि विट्ठल राम सा0 देह भूमि स्वामी	145/1	1.202	0
		150/7	1.011	1.011
23	वासुदेव पि विट्ठल राम सा0 देह भूमि स्वामी	145/2	1.202	0
		150/1	1.012	1.012
24	मुकुन्दराम पि विठठलराम कुन्वी सा देह	147/1	0.648	0.648
		147/2	2.832	2.832
		205/2	0.607	0.607
25	गीतानंद पि रामदयाल बैतूल सा0 देह भूमि स्वामी	147/3	1.861	1.746
		147/4	2.832	0.226
		147/5	2.000	1.316
26	विठठलराम पि किशोरीलाल कुन्वी सा देह	148	0.607	0.607
		204	2.622	1.918
27	प्रेमनारायन पि रामदयाल गौली सा0 देह भूमि स्वामी	150/2	0.021	0.021
		151/2	0.020	0.02
28	उमाबाई पत्नि रामकिशोर तेली सा0 देह भूमि स्वामी	150/3	1.457	1.457
29	कृष्णकान्ती पत्नि नारायण सुनार कोदारोटी	150/4	1.619	1.619
30	दिनेश पि रामदयाल गौली कोदारोटी	150/5	1.214	1.214
		151/4	0.496	0.496
31	सुमित पि जगदीश गौली कोदारोटी	150/6	0.384	0.384
		151/6	0.384	0.384
32	निरंजन धीरज नितिन ना0वा0 पि महेश कमार बली मॉ इन्द्रा जोजे महेश कुमार सा0 कोदारोटी	151/1	1.709	1.709
33	रूकमणी पत्नि नर्मदाप्रसाद गौली कदोारोटी	151/3	1.709	1.709
		151/5	0.405	0.405

34	सुरेन्द्र पि अनंतराम सुनार कदोरोटी	152/1	3.800	3.8
35	शम्भूदयाल पि अनंतराम सुनार कोदारांटी	152/2/1	0.647	0.647
36	ब्रजकिशेर पि अनंतराम सुनार कोदारोटी	152/2/2	0.753	0.753
37	राजेन्द्र पि अनंतराम सुनार कोदारोटी	152/2/3	0.930	0.93
38	जितेन्द्र पि अनंतराम सुनार कोदारोटी	152/2/4	0.754	0.754
39	उमाशंकर पि टूमचन्द्र धोबी	155/2	1.012	0.205
40	दीपक पि राजू उर्फराजेंन्द्र धोबी	155/3	0.566	0.26
41	भजनलाल पि टूमचंद, प्रेम पि टूमचंद , उमा पि टूमचंद, परबतिया बे टूमचंद, मदन पुत्री टूमचंद हरिश्चंद्र पि कलीराम, तारा बे राजू , दीपक पि राजू सा0 देह भूमि स्वामी	156	0.599	0.146
		158	1.473	0.08
42	लखन पि रामाधार कुन्वी सा0 देह भूमि स्वामी	157	3.104	0.446
43	राजकुमार पि सुखचन्द्र सा0 देह भूमि स्वामी	198	1.331	0.837
44	गंगा पत्नि मुन्ना सा0 देह भूमि स्वामी	203	0.267	0.053
45	रूखमणी बाई बेवा रामदयाल, गीतानंद, दशन्तीबाई, लेखाबाई, ओमलताबाई, लक्ष्मीबाई, हषन्तीबाई,पुत्री रामदयाल सा0 देह भूमि स्वामी	205/1	0.648	0.017
		207/1	0.536	0.077
46	डेबू पि मल्लू गोड़ सा0 देह	207/3	0.112	0.104
		209/1	0.696	0.696
47	बुधराम पि बात्या फगनी वे वक्या मदारी पि माधो कान्ती किच्चे पि माधो महेरा	212	0.809	0.809
48	चिन्त्या पि मौजीलाल गौली सा0 देह	213	0.413	0.413
49	ऊदल पि परसाराम गौली सा0 देह	214	13.489	9.699
50	रामू पि घुड्या कुन्वी सा0 देह भूमि स्वामी	285	0.740	0.398
51	जिल्लू पि फाटू कुन्वी सा0 देह भूमि स्वामी	287/1	1.797	1.773
52	रामू पि फाटू कुन्वी सा0 देह भूमि स्वामी	287/2	1.797	1.797
53	लालमन पि शिवराम सुनार कोदारोटी	288/1	1.315	1.315
54	लक्ष्मीचन्द्र पि शिवराज सुनार सा0 कोदारोंटी	288/2	0.309	0.309
		288/3	0.820	0.82
		291	0.105	0.105
55	फाटू नोखे पि नत्थू कुन्वी सा0 देह भूमि स्वामी	289	0.194	0.194
56	रामरती वेवा नोखे आशराम पि नोखे नाई	290/1	0.404	0.404
57	कमलेश पि हरिशचन्द्र धोबी सा0 देह भूमि स्वामी	290/2	0.405	0.405
58	शांता पत्नि नानक माखन देवचन्द्र हरलाल पि नानक फूलवन्ती पुत्री नानक मुलिया पत्नि भोम्या अम्मु गिरवर गंगाराम पि भोम्या प्रेमकलापि भोम्या टूक्डयादास पि भाग चंन्द्र सुकिया वेवा भागचन्द्र जसोदी पुत्री भागचनद्र सा0 देह भूमि स्वामी	292/1	0.322	0.322
		292/3	0.906	0.906
59	सायवू सिरी लगडू लक्ष्मन धन्नू पि शंकर मुसियाबाई पि शंकर लूहार सा0 देह भूमि स्वामी	292/2	1.242	1.242
		292/6	0.457	0.457

60	रामपाल बसंत पि मुन्नलाल शांन्ति पत्नि मुन्नालाल नाई सा0 देह भूमि स्वामी	292/4	0.279	0.279
61	भीम पि यकोवा शिवदयाल दुलीराम उर्फ यशवंन्त पि यकोवा गंगोत्री पुत्री यकोवा चन्द्रकला पत्नि यकोवा नाई सा0 देह भूमि स्वामी	292/5	0.279	0.279
62	चैतराम पि मल्लु कुन्वी सा0 देह सा0 देह भूमि स्वामी	293/2	4.217	1.857
		293/4	0.809	0.744
63	सुखवंती भागवंती पि मल्लू सा0 देह भूमि स्वामी	293/3	0.283	0.097
64	रिसिया बाई पत्नि गणेशराम जाति कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	293/5	0.324	0.038
65	दीपक पि घनश्याम कुन्वी सा0 देह	293/6	0.485	0.368
66	अनंतराम पि बारीक गौली सा0 देह	294	1.011	0.593
67	बुदान यज्ञ समिति नरसिंगपुर सा0 देह भूमि स्वामी	297	0.405	0.276
68	रूखमणी पिता कल्लू सा0 देह भूमि स्वामी	306/1	2.605	0.128
69	रेवाराम पि टाटरू सा0 देह भूमि स्वामी	306/2	1.502	0.105
70	सुरतलाल पि किशनलाल सा0 देह भूमि स्वामी	306/3	2.023	0.986
	TOTAL		136.125	101.942

1– चूंकि **गढा मध्यम सिंचाई परियोजना** हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3– कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4– समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.–41–अ–82–कोदारोटी–20–21–1405

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक –1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	कोदारोटी	262.675	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक–2 बैतूल	गढा मध्यम सिंचाई परियोजना

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

सं.क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकवा (है. में)	अर्जित भूमि का रकवा (है. में)
1	2	3	4	5
1	सीताराम पि रामचरण गौली सा0देह भूमि स्वामी	2/1	1.297	1.297
		24/1	1.335	1.335
		279/1	1.271	1.170
2	राजाराम पि रामचरण गौली सा0देह भूमि स्वामी	2/2	1.290	1.290
		24/2	1.336	1.336
		279/2	1.351	1.238
3	हीरा वेवा शिव मस्तराम रामनाथ गजानन्द पि शिव ममता पुत्री शिव गौली सा0देह भूमि स्वामी	2/3	0.007	0.007
		19/1	3.032	0.870
4	गीता पि सरवन गौली सा0देह भूमि स्वामी	3/1	1.555	1.555
5	दीनानाथ पि नरू केसरी पि नरू गौली सा0देह	3/2	2.003	2.003
6	दरियाव पि सवाई गौली सा0देह भूमि स्वामी	4/1	0.688	0.688
		5/1	0.761	0.761
		22/2	0.972	0.972
		34/2	0.870	0.870
		53/2	0.795	0.795
		257/4	0.343	0.343
		12/1	0.497	0.200
7	बाला पि प्यारे गौली सा0देह भूमि स्वामी	4/2	1.448	1.448
		22/4	0.963	0.963
		256/1	0.141	0.075
		257/1	0.343	0.343

8	गौलमन पि प्रहलाद गोली सा0देह भूमि स्वामी	5/2	0.809	0.809
		22/3	0.963	0.963
		254	1.692	1.548
		256/2	0.142	0.142
		257/2	0.343	0.343
		14/1	0.342	0.048
9	ननदू पि सवाई गौली सा0देह भूमि स्वामी	5/3	0.809	0.809
		22/1	0.963	0.963
		163/1	0.498	0.498
10	रूखमणी पत्नि अमरदास गौली सा0देह भूमि स्वामी	6/1	0.752	0.752
		21/1	1.924	1.700
11	हंसराज पि रंगलाल गौली सा0देह भूमि स्वामी	6/2	0.753	0.753
		21/2	1.924	1.394
12	रघुनाथ पि नरू गौली सा0देह भूमि स्वामी	7/1	0.809	0.809
		40/1	0.964	0.964
		41/4	0.373	0.373
		295/1	0.155	0.080
		373/1	0.254	0.254
13	तुलसीराम पि चैतराम गौली सा0देह भूमि स्वामी	7/2	2.090	2.090
		41/2	0.373	0.373
		251	0.178	0.178
		263/5	0.122	0.031
14	बद्रीनाथ पि नरू गौली सा0देह भूमि स्वामी	7/3	0.809	0.809
15	खूशीराम उर्फ पुनित उत्तम ना0वा0 पि उत्तम बली पि उत्तम गौली सा0देह भूमि स्वामी	7/4	0.609	0.609
16	राजाराम पि कंन्हैया गौली सा0देह भूमि स्वामी सा0देह भूमि स्वामी	7/5	0.673	0.673
		13	0.579	0.579
		20/2	1.089	0.803
		20/3	0.337	0.202
17	हिरदेराम पि सुखराम प्रेमवती चन्द्रा अनिता इन्द्रा कुसुम पि सूखराम जयमाला ना0वा0 पुत्री सुखराम वली भाई हिरदेराम हंसराज नर्मदाप्रसाद पि चिरौजीलाल नत्थौबाई गुलसियाबाई पुत्री चिरोंजीलाल अरविन्द प्रवीण ना0वा0 पि प्रथ्वीलाल श्री रोक्नी ना0वा0 पुत्री पृथ्वीलाल, लक्ष्मी वे पृथ्वीलाल सा0देह भूमि स्वामी	8/1	0.377	0.377
		9/1	0.174	0.174
		258	0.866	0.866
		260/2	0.480	0.480
18	रम्मोबाई पति सुखराम सुखराम ललित पि सुखराम गौली सा0देह भूमि स्वामी	8/2	0.040	0.040
		9/2	0.040	0.040
		99/2	0.715	0.715
		100/2	0.215	0.215
		297/2	0.628	0.628
		12/2	0.498	0.032
19	नर्मदाप्रसाद पि चिरौजीलाल गौली सा0देह भूमि स्वामी	10	2.051	2.051
		33	2.630	2.630
		58	0.918	0.918
20	हिरदेराम पिता सुखराम सा0देह भूमि स्वामी	15	1.991	0.097
		17	2.667	1.497
21	प्रताप पि रामधार गौली सा0देह भूमि स्वामी	128/2	1.920	1.920
		132/2	0.246	0.246
		134/2	0.495	0.495
		148/1	0.738	0.633
		113/1	0.396	0.049

22	हंसराज पि चिरोंजीलाल गौली सा0देह भूमि स्वामी	18	2.440	2.440
		64	0.793	0.793
23	रामप्रसाद पि रामचरण गौली सा0देह भूमि स्वामी	19/2	3.035	1.520
24	नर्रू मंशाराम तुलसीराम पि चैतराम बुधिया पि चैतराम बस्तीराम हरिराम पि अशाराम ललता कमलती कमलता बबली पि आशाराम धरमाती बे आशाराम गौली सा0देह भूमि स्वामी सा0देह भूमि स्वामी	20/1	1.686	1.000
25	बाबूलाल पि कालू गौली सा0देह भूमि स्वामी	23/1	1.292	1.292
		23/3	0.623	0.623
		37/3	0.910	0.910
		38/1	0.809	0.809
		38/3	1.874	1.874
		395/1	1.355	0.342
26	अंगद पि नौखेलाल गौली सा0देह भूमि स्वामी	23/2	0.809	0.809
		38/2	0.991	0.991
27	संतौष पि नौखेलाल गौली सा0देह भूमि स्वामी	23/4	0.809	0.809
		38/5	0.996	0.996
		395/2	1.356	0.069
28	रामेश्वर पि तोब्या तेली सा0देह भूमि स्वामी	25/1	0.991	0.991
		274/1	0.384	0.384
		275	0.999	0.999
29	शिवदयाल पि तोब्या तेली सा0देह भूमि स्वामी	25/2	0.992	0.992
		274/3	1.178	0.750
30	लक्ष्मण पि टेनू तेली सा0देह भूमि स्वामी	26/1	1.077	1.077
31	रामदास पि प्रेमलाल तेली सा0देह भूमि स्वामी	26/2	0.405	0.405
32	दुर्गाप्रसाद पि प्रेमलाल तेली सा0देह भूमि स्वामी	26/3	0.404	0.404
33	शिवप्रसाद पि प्रेमलाल तेली सा0देह भूमि स्वामी	28/1	0.684	0.684
34	मोतीलाल पि फजीत्या गौली सा0देह भूमि स्वामी	28/2	0.257	0.257
		30/1	0.575	0.575
		30/3	0.032	0.032
		63	0.125	0.125
35	अशोक पि फजीत्या गौली सा0देह भूमि स्वामी	28/3	0.423	0.423
		30/2	0.566	0.566
36	संतोष पि गरीबा गौली सा0देह भूमि स्वामी	29/1	0.445	0.445
37	सुमित पि जगदीश सुनार सा0देह भूमि स्वामी	29/2	0.607	0.607
38	परसराम बलराम देवीराम पि मनोहर कौशल्या रामकली रामप्यारी श्यामबाई पि मनोहर गौली विद्या पि मनोहर गौली सा0देह भूमि स्वामी	31	0.384	0.384
		262/1	0.571	0.571
39	बस्तीराम पि आशाराम गौली सा0देह भूमि स्वामी	32	0.405	0.405
		41/3	0.373	0.373
		59/1	0.303	0.303
		263/4	0.192	0.151
40	हरि पि कुंजी गौली सा0देह भूमि स्वामी	36/1	0.039	0.039
		37/2/2	0.269	0.269
		37/2/3	0.270	0.270
		278/1/3	0.452	0.452
		278/1/5	0.452	0.287
41	चन्द्रकला पुत्री कुंजी गौली सा0देह भूमि स्वामी	36/2	0.039	0.039
		37/2/4	0.269	0.269
		37/2/5	0.270	0.270
		278/1/2	0.452	0.452
		278/1/4	0.452	0.452

42	गुलाबचन्द्र पि आशा गौली सा0देह भूमि स्वामी	36/3	0.039	0.039
		37/2/1	0.269	0.269
		37/2/6	0.270	0.270
		278/1/1	0.452	0.452
		278/1/6	0.452	0.118
43	नौखेलाल पि वनवारी गौली सा0देह भूमि स्वामी	37/1	0.699	0.699
		38/4	0.688	0.688
44	जगन्नाथ पि नर्रू गौली सा0देह भूमि स्वामी	40/2	0.890	0.890
		43	0.615	0.615
		295/2	0.170	0.095
		158/1	0.486	0.486
		294/1	0.120	0.053
		373/2	0.114	0.114
45	मंसाराम पि चैताराम गौली सा0देह भूमि स्वामी	41/1	0.374	0.374
		59/2	0.700	0.700
		70/2	0.809	0.612
		170/1	1.425	0.300
		263/1	0.303	0.303
46	रामपाल पि लक्ष्मीदास गौली सा0देह भूमि स्वामी	41/5	0.373	0.373
47	लक्ष्मीदास पि काल्या गौली सा0देह भूमि स्वामी	42/1	0.532	0.532
		42/2	0.532	0.532
		44/3	0.737	0.737
		271/2	0.304	0.304
48	फूलचंन्द्र पि काल्या गौली सा0देह भूमि स्वामी	44/1	2.173	2.173
		271/6	0.303	0.040
49	रामशंकर संदीप पि रामदास गौली सा0देह	44/2	2.910	2.910
50	बाली पि मौजी गौली सा0देह भूमि स्वामी	46	0.466	0.466
		62/1	1.203	1.203
		271/1	1.158	1.158
		296	0.813	0.724
		292/1	2.424	0.101
51	चुब्बी पि दयाराम नाई सा0देह भूमि स्वामी	47/1	0.879	0.879
		48/1	0.737	0.737
		52/1	0.703	0.703
		117/1	1.656	0.770
52	रामू पि दयाराम नाई सा0देह भूमि स्वामी	47/2	0.878	0.878
		48/2	0.500	0.500
		48/3	0.240	0.240
		52/2	0.673	0.673
53	कैलाश पि चैतराम नाई सा0देह भूमि स्वामी	50/1	0.079	0.079
		50/2	0.607	0.607
54	मोहित पि फूलचंद्र गौली सा0देह भूमि स्वामी	50/3	0.208	0.208
		50/4	0.340	0.340
55	सतीष पि रामू नाई सा0देह भूमि स्वामी	51/1	0.324	0.324
56	धम्म पत्नि चुब्बी नाई सा0देह भूमि स्वामी	51/2	0.300	0.300
57	रामनाथ पि सवई नाई सा0देह भूमि स्वामी	53/1	0.005	0.005
		163/2	0.020	0.020
		162/3	0.203	0.129
58	हरिराम पि रामनाथ गौली सा0देह भूमि स्वामी	53/3	0.790	0.790
59	दिनेश पि रूपराम सोनी जाति सुनार सा0देह भूमि स्वामी	55	0.336	0.336
		57/3	0.975	0.975
60	रिखीराम पि कालूराम सुनार सा0देह भूमि स्वामी	57/1	1.310	1.310
		172/9	0.607	0.492
		172/10	0.622	0.622
		77/1	1.534	0.326

61	आशीष पि बुधराम सुनार सा0देह भूमि स्वामी	57/2	2.195	2.195
		86/1	2.376	2.376
62	इन्द्रसेन पि परसराम गौली सा0देह भूमि स्वामी	60/1	1.091	1.091
		60/3	2.295	2.295
		61/2	0.788	0.788
		75	1.125	1.125
		267/1	1.000	1.000
63	रामशकर उर्फ राजू पि बलराम गौली सा0देह भूमि स्वामी	60/2/1	3.045	3.045
		267/2	1.193	1.193
64	रामभरोसे पि बलराम गौली सा0देह भूमि स्वामी	60/2/2	0.202	0.202
		61/1	0.242	0.242
65	रामदुलारी पत्नि बाली गौली सा0देह भूमि स्वामी	61/3	0.706	0.706
		62/2	0.404	0.404
66	मदन अंगद पि लखनलाल पुष्पा पि लखनलाल कौशल्या बे लखनलाल गौली सा0देह भूमि स्वामी	65	1.963	1.963
		139	0.680	0.680
		148/2	1.000	0.936
		229	1.814	0.562
67	धरमदास पि रंगलाल गौली सा0देह भूमि स्वामी	68	1.570	1.376
68	रूखमणी पत्नि नर्मदाप्रसाद जगदीश पि नर्मदाप्रसाद गौली सा0देह भूमि स्वामी	71	3.372	3.372
69	रामभरोसे पि बलराम गौली सा0देह भूमि स्वामी	72	0.486	0.486
		73	0.454	0.454
		74/1	0.514	0.514
		74/2	0.526	0.526
		74/3	0.303	0.303
70	राजकुमार पि मंशाराम गौली सा0देह भूमि स्वामी	76	0.809	0.809
71	सेवकराम पि रूपलाल गौली सा0देह भूमि स्वामी	80/1	0.647	0.647
		80/5	0.768	0.768
72	भुजली पत्नि दुर्गाप्रसाद तेली सा0देह भूमि स्वामी	80/2	0.446	0.446
		80/4	0.928	0.928
73	कमलेश पि मिश्रीलाल गौली सा0देह भूमि स्वामी	80/3	3.237	3.014
		86/2	1.416	1.416
		110	0.567	0.567
74	पुष्पा पत्नि गोमा तेली सा0देह भूमि स्वामी	80/6	0.607	0.607
75	फजीत्या पि पाण्डू गरीबा पि गंगाजी नवनीत पि बुधराम जाति सुनार सा0देह भूमि स्वामी	82	0.384	0.384
76	गौरेलाल पि फजीत्या गौली सा0देह भूमि स्वामी	83/1	0.242	0.242
		84/1	0.526	0.526
77	छोटेलाल पि फजीत्या गौली सा0देह भूमि स्वामी	83/2	0.676	0.676
		247/2	0.095	0.025
		248/1	0.064	0.025
78	श्रीराम पि रामनाथ गौली सा0देह भूमि स्वामी	84/2	0.526	0.526
79	सुन्दरबाई पत्नि रामनाथ गौली सा0देह	85	1.307	1.307
80	गुल्झारी पि तेजीराम सुनार सा0देह भूमि स्वामी	89/1	1.423	1.423
		89/4	0.081	0.081
81	यतीन्द्र शिरिष सतीष पि कुँवरलाल मीरा वे कुँवरलाल सविता मंजुला दुर्गाबती पुत्री कुँवरलाल सुनार सा0देह भूमि स्वामी	89/2	3.007	3.007
82	जगदीश पि तेजीराम सुनार सा0देह भूमि स्वामी	89/3	1.503	1.503
83	सरला वे देवीराम संदीप बिशाल पि देवीराम पुष्पा सुष्मा पि देवीराम सुनार सा0देह भूमि स्वामी	90/1	0.718	0.718
		92/1	0.058	0.058
84	पूरनलाल पि छोटेलाल सुनार सा0देह भूमि स्वामी	90/2	2.269	2.269
		92/2	0.059	0.059
85	अशोक पि बस्तीराम सुनार सा0देह भूमि स्वामी	90/3	0.706	0.706
		90/5	0.069	0.069

— 6 —

86	संतोष पि बस्तीराम सुनार सा0देह भूमि स्वामी	90/4	0.706	0.706
		90/6	0 069	0.069
87	सुमत्रा पति दीनानाथ गौली सा0देह भूमि स्वामी	93/1	0.544	0.544
88	दीनानाथ पि नरू गौली सा0देह भूमि स्वामी	93/2	0.740	0.740
		158/2	0.567	0.567
89	देवकीबाई पि श्याम गौली सा0देह भूमि स्वामी	93/3	0.663	0.663
90	नारायण पि काल्या गौली सा0देह भूमि स्वामी	93/4	1.272	1.272
		126/1	0.877	0.877
		126/2	0.876	0.876
		271/5	0.303	0.279
91	पवन कुमार ना0वा0 पि बली इन्द्रसैन गौली सा0देह भूमि स्वामी	93/5	0.544	0.544
92	मंसू पि सुखदेव गौली सा0देह भूमि स्वामी	94	1.744	1.744
		371/1	0.688	0.316
93	बिरजू पि लालसिग कोरकू सा0देह भूमि स्वामी	95/2	2.023	2.023
94	आनन्दराम पि मंसू गौली सा0देह भूमि स्वामी	95/3	2.455	2.455
		97	0.125	0.125
		313	1.133	0.051
95	दिनेश पि नर्मदाप्रसाद गौली सा0देह भूमि स्वामी	95/4	1.214	1.214
96	कमलेश पि हंशराज गौली सा0देह भूमि स्वामी	95/5	1.214	1.214
		104	2.355	2.355
97	मुन्ना पि चैतराम गौली सा0देह भूमि स्वामी	96/1	1.045	1.045
		96/6	0.250	0.250
98	भोला पि चैतराम गौली सा0देह भूमि स्वामी	96/2	0.250	0.250
		96/3	0.641	0.641
99	गंगाराम पि भोला गौली सा0देह भूमि स्वामी	96/4	0.202	0.202
100	गौविन्द पि भोला गौली सा0देह भूमि स्वामी	96/5	0.202	0.202
101	ओमप्रकाश जयप्रकाश आनन्द पि रामदयाल अल्का बे हरिओम नितिन निकित ना0वा0 पि हरिओम वली मॉ अल्का सुनार सा0देह भूमि स्वामी	98/1	0.991	0.991
		98/4	0.085	0.085
		172/8	1.772	1.772
102	बिजय पि बकतराम सुनार सा0देह भूमि स्वामी	98/2	0.555	0.555
		98/7	0.049	0.049
103	शैलेश अलकेश पि वेदराम शशिकला हरिकला प्रेमकला वन्दना पुत्री वेदराम गंगा वे वेदराम सुनार सा0देह भूमि स्वामी	98/3	1.648	1.648
		172/4	1.100	0.526
104	दुर्गेश पि बकतराम सुनार सा0देह भूमि स्वामी	98/5	0.084	0.084
		98/10	0.937	0.937
105	कपिला वे राजकुमार अशीष सचिन पि राजकुमार धर्मेन्द्र ना0वा0 पि राजकुमार वली मॉ कपिला बर्षा पु राजकुमार सुनार सा0देह भूमि स्वामी	98/6	0.036	0.036
		98/8	0.734	0.734
106	चन्द्रेश उर्फ चन्द्रकान्त बकलराम सुनार सा0देह भूमि स्वामी	98/9	0.405	0.405
107	हिरदेराम पि सुखराम चन्दा जयमाला ना0वा0पुत्री सुखराम वली भाई हिरदेराम अरविन्द प्रवीण ना0वा0 पि प्रथ्वीलाल रोशनी कृष्णी ना0वा0 पि प्रथ्वीलाल वली मॉ लक्ष्मी लक्ष्मी वे प्रथ्वीलाल गौली सा0देह भूमि स्वामी	99/1	2.863	2.863
		100/1	0.861	0.861
		297/1	2.517	2.145
108	मेंथा पि बाला गौली सा0देह भूमि स्वामी	101/1	1.619	1.619
109	संतराम पि प्रहलाद गौली सा0देह भूमि स्वामी	101/2	1.619	1.619

110	दिनेश सुनिल पि नर्मदाप्रसाद गौली सा0देह भूमि स्वामी	105	3.181	3.181
111	अमरदास पि रंगलाल मदन अंगद पि लखनलाल पुष्पा पि लखनलाल कौशल्या वे लखनलाल गौली सा0देह भूमि स्वामी	107	1.979	1.979
112	गेरेलाल, छोटेलाल व0 फजीत्या सा0देह भूमि स्वामी	114/1	1.570	1.247
113	प्रेमलता, पुत्री शोभाराम नाई सा0देह भूमि स्वामी	117/2	1.655	0.546
114	सुम्मत पिता जबरसिंह गोंड सा0देह भूमि स्वामी	122	0.648	0.202
115	कमलेश बद्रीप्रसाद बस्तीराम पि हंसराज गौली	125	0.405	0.405
116	कृष्णा पि रामाधार गौली सा0देह भूमि स्वामी	128/1	1.920	1.920
		130/2	0.245	0.245
		134/1	0.496	0.496
		148/3	0.739	0.634
117	लक्ष्मीनारायन पि रामधार गौली	129	2.812	2.812
		130/1	0.294	0.294
		132/1	0.293	0.293
118	देवीराम पिता मनोहर सा0देह भूमि स्वामी	151/1	0.392	0.089
119	पुरूषोत्तम पि देवीराम गौली सा0देह भूमि स्वामी	151/2	0.501	0.501
120	प्रीतम कुमार पि देवीराम गौली सा0देह भूमि स्वामी	151/3	0.548	0.548
121	अनिलकुमार पि देवीराम गौली सा0देह भूमि स्वामी	151/4	1.926	1.597
122	तापीबाई पत्नि बाबूलाल गौली सा0देह भूमि स्वामी	153/1	2.024	2.024
123	बाबूलाल पि लाहन्या गौली सा0देह भूमि स्वामी	153/2	2.023	2.023
		154	0.478	0.478
124	वामनराव पि शंकरराव गोली सा0देह भूमि स्वामी	155	0.308	0.308
		157/2	0.906	0.906
125	आशबाई पि वाईसराव भोयर सा0देह भूमि स्वामी	156	0.210	0.210
		157/1/2	0.494	0.494
126	महेशकुमार पि वाईसराव भोयर सा0देह भूमि स्वामी	151/1/1	0.703	0.703
127	उत्तम पि कन्हैन्या गौली सा0देह भूमि स्वामी	157/3	1.214	1.214
128	भवेशकुमार पि वाईसराव भोयर सा0देह भूमि स्वामी	157/4/1	0.713	0.713
129	मनोजकुमार पि वाईसराव भोयर सा0देह भूमि स्वामी	157/4/2	0.713	0.713
130	नाथूराम पि शंकरराव गौली सा0देह भूमि स्वामी	157/5	1.214	1.214
131	मस्तराम पिता बाबू सा0देह भूमि स्वामी	160/2	1.007	0.355
132	मुकुन्द पि रामनाथ गौली सा0देह भूमि स्वामी	163/3	1.194	1.194
133	काल्या पि मौजी गौली सा0देह भूमि स्वामी	168/2	2.404	2.220
134	दिलिप ना0वा0 पि बली रामनाथ गौली सा0देह भूमि स्वामी	170/2	1.424	1.424
135	मल्लु पि रेवाराम सुनार सा0देह भूमि स्वामी	172/2	0.323	0.323
		172/12	0.802	0.601
		172/17	0.182	0.182
136	रूपराम पि कालूराम सुनार सा0देह भूमि स्वामी	172/3	0.607	0.607
		172/11	0.809	0.809
137	गुलाग मुरारी गिरधारी हारीलाल पि चैतराम विमला पि चैतराम सुनार सा0देह भूमि स्वामी	172/5	2.306	2.306
138	भोलाराम पि तुलाराम सुनार सा0देह भूमि स्वामी	172/13	0.485	0.485
139	रामस्वरूप पि तुलाराम सुनार सा0देह भूमि स्वामी	172/14	0.242	0.242
		172/16	0.222	0.222

140	गौतम पुरूषोत्तम पि भरत चन्दा किरण शशि पि भरत सावित्री पति भरत अंशु ना0वा0 पि उत्तम बली मॉ मैना मैना पति उत्तम सुनार सा0देह भूमि स्वामी	172/15	0.466	0.466
141	ओमप्रकाश पिता रामदयाल सा0देह भूमि स्वामी	172/6	1.112	0.263
142	रामशंकर पिता बलराम सा0देह भूमि स्वामी	248/2	0.065	0.016
143	मंशाराम पि चैतराम बस्तीराम हरिराम पि आशाराम ललता कमलता कमलती बबली पि आशाराम धरमती वे आशाराम सा0देह भूमि स्वामी	259	1.380	1.380
144	सावित्री पत्नि अनिल गौली सा0देह भूमि स्वामी	262/2	0.951	0.951
145	भुजली बे कन्हैया रामनाथ रामराज उत्तम पि कन्हैया मालती लक्ष्मी परमिला पि कन्हैया गौली सा0देह भूमि स्वामी	263/1	0.405	0.405
146	केशरी पि नरू गौली सा0देह भूमि स्वामी	263/2	0.303	0.303
147	देवकी वे दिनेश उज्वल वंश ना0वा0 पि दिनेश बली मॉ देवकी महेरा सा0देह भूमि स्वामी	269/1	1.076	1.076
		269/2	1.076	1.076
148	रामप्यारी पत्नि रामदास सा0देह भूमि स्वामी	271/3	1.214	1.101
149	सुकचंद पि काल्या गौली सा0देह भूमि स्वामी	271/4	0.304	0.304
150	केवलराम पि तोब्या तेली सा0देह भूमि स्वामी	274/2	2.000	1.743
151	पोलसा पि मोहन गोंड़ सा0देह भूमि स्वामी	276/1	1.800	1.800
152	कल्लु जगदीश रामसिंग पि किशन झिंगो कल्लो शिवकली पुत्री किसन बुद्धो बे किशन गोड़ सा0देह भूमि स्वामी	276/2	1.200	1.200
		276/6	1.029	1.029
153	नत्था पि मोहनदास गौली सा0देह भूमि स्वामी	276/3	0.400	0.400
154	इमरती पत्नि डोमा गोंड़ सा0देह भूमि स्वामी	276/4	1.500	0.782
155	भगवानसिंग पि सूखराम , शांता बे चैतू कामजी पि चैतू रामा पि चैतू मालती पुत्री चैतू कान्ती पुत्री चैतू गोड़ सा0देह भूमि स्वामी	276/5	1.200	1.063
156	बसंन्त पि नत्था गौली सा0देह भूमि स्वामी	276/7	0.400	0.400
157	मनोज पि नत्था गौली सा0देह भूमि स्वामी	276/8	0.400	0.400
158	रामपाल पि नत्था गौली सा0देह भूमि स्वामी	276/9	0.400	0.400
159	मोहित पिता नर्मदाप्रसाद सा0देह भूमि स्वामी	278/2	0.607	0.061
160	श्रीराधेश्याम बजरंग मंदिर सरवराकार नर्मदाप्रसाद हंसराज पि चिरोंजीलाल हिरदेराम पि सुखराम प्रेमवती चन्द्रा अनिता इन्द्रा कुसुम पि सुखराम जयमा ला ना0वा0 पुत्री सुखराम बली भाई हिरदेराम ललित ना0वा0 सूखराम बली मॉ रम्मो अरविन्द प्रवीण ना0वा0 पि प्रथ्वीलाल वली मॉ लक्ष्मी रोशनी ना0वा0 पुत्री प्रथ्वीलाल बली मॉ लक्ष्मी बे लक्ष्मी बे प्रथ्वीलाल गौली सा0देह	280	0.458	0.260
		281	1.619	0.352
		284	1.842	1.297
		301	0.409	0.400
161	बद्री पि नरू गौली सा0देह भूमि स्वामी	294/2	0.184	0.044
		295/3	0.222	0.147

162	शिव, शिवरतन, शिकजोर पि श्यामलाल, ढेमो बे भंगी, सम्भूदयाल, रामदयाल पि नोखेलाल बुटनी रामकला हेमलता मालावती पुत्री नौखेलाल ममता आशा ना0वा0पुत्री नौखेलाल बली मॉ सोमवती बो सोमती बे नौखेलाल भागरती बे शिदवू संतोष बस्तीराम सनिता संगीता सविता मल्लो पि शिवदू कोरकू	302	0.817	0.656
163	कमलेश, बद्रीप्रसाद, बस्तीराम पिता हंसराज सा0देह भूमि स्वामी	303	0.125	0.044
164	नरू पिता भागरया सा0देह भूमि स्वामी	375	0.660	0.047
165	रामकिश ोर पिता सवाई गौली सा0देह भूमि स्वामी	12/2	0.498	0.081
		34/1	0.870	0.870
		257/3	0.343	0.343
	TOTAL		**297.159**	**262.675**

1– चूंकि **गढा मध्यम सिंचाई परियोजना** हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे 32 परिवारों के विस्थापन की कार्यवाही पृथक से की जावेगी । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3– कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4– समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.–42–अ–82–गढा–20–21–1398

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक –1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकवा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	गढा	83.112	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक–2 बैतूल	गढा मध्यम सिंचाई परियोजना

अनुसूची – 2
(प्रभावित धारको की सूची)

सं.क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकवा (है.में)	अर्जित भूमि का रकवा (है. में)
1	2	3	4	7
1	आशिष पि इंद्रदेव कुम्बी सा0 देह भूमि स्वामी	194/1	1.991	0.227
2	वसुदेव कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	194/2	3.982	0.057
3	निलेश पि इन्द्रदेव कुम्बी सा0 देह भूमि स्वामी	194/3	1.991	0.137
4	माणिकराव पि गेंदु कुम्बी सा0 देह भूमि स्वामी	224/1	2.132	1.011
5	कोतिका पुत्री शिवराम कुम्बी सा0 देह भूमि स्वामी	224/2	1.214	0.607
6	दौलतराव, ज्ञानराव, किसनराव, साहेबराव भोजराज सुधाकर ब. सरजेराव शिला लीला पुत्री सरजेराव सा. देह पार्वती जौ. रामराव जाति कुन्बी पता सा. कुम्हली भूमिस्वामी	229	0.202	0.202
7	भोजराव ब. सरजेराव जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	232/1	1.167	1.167
		240/1	2.323	2.323
8	दौलतराव ब. सरजेराव जाति कुन्बी पता सा. देह भमिस्वामी	232/2	1.167	1.167
		240/3	0.774	0.774

9	किशनराव ब. सरजेराव जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	232/3	1.167	1.167
10	अमृतराव पि केशोराव जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	233/1	2.124	2.124
		239/3	1.783	1.27
11	भीमराव ब. केशोराव जाति कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी	233/2	0.607	0.607
12	सुदीप पिता संतोषराव जाति कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी	233/3	0.253	0.253
13	विनायकराव ब. मानिकराव जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	233/4	0.405	0.405
14	प्रदीप पि संतोषराव कुन्वी	233/5	0.252	0.252
15	दौलतराव आनन्दराव गणेशराव पि सरोजराव	234	0.745	0.745
16	मानिकराव ब. किष्णु सयाबाई पुत्री किष्णु जाति कुन्बी पता सा. देह भमिस्वामी	235	2.428	2.428
17	भागरती बे. केशोराव जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	239/2	0.809	0.244
18	ज्ञानराव पिता सरजेराव जाति कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी	240/2	0.775	0.775
19	वामनराव व0 मानिकराव जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	240/4	0.774	0.774
20	साहबराव पि रारजेराव कुन्वी	240/5	0.779	0.779
21	सुधाकर पि सरजेराव कुन्वी	240/6	0.776	0.776
22	बकूबाई जौजे नारायण जाति कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी	241/1/1	1.025	1.025
23	भीमराव पि नारायन सा0 देह भूमि स्वामी	241/1/2	1.025	1.025
24	लक्ष्मण पिता नारायण जाति मेहरा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	241/1/3	1.024	1.024
25	आनंदराव पिता नारायण जाति कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी	241/1/4	1.024	1.024
26	रमेश पिता नारायण जाति कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी	241/1/5	1.024	1.024
27	गणेशराव पिता नारायण जाति कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी	241/1/6	1.024	1.024
28	देवेन्द्र ब.मानिकराव जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	241/2	1.375	1.165
29	राजेन्द्र पि मानिकराव कुन्वी सा0 देह भूमि स्वामी	241/3	1.375	1.213
30	गर्जेन्द्र पि मानिकराव कुन्वी सा0 देह भूमि स्वामी	241/4	1.375	0.406
31	मल्लो बे. सुमन रंगलाल ब. सुम्मत फुला रमकी पुत्री सुम्मत जाति गोंड पता सा. देह भूमिस्वामी	243/2	0.364	0.364
		244/2	0.304	0.304
32	ईश्वरदास ब. निम्बाजी जाति कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी	246/1	3.199	3.199
		249/1	0.133	0.133
		250/1	1.983	0.477
33	नितेश धर्मराज देवदत्त बल्देव राहुल संदीप हनुमंतराव जाति कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी	246/2	3.89	3.890
		247	1.578	1.578
		248	0.943	0.943
		250/2	2.509	0.686
34	राधिका जौ. ईश्वरदास जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	246/3	1.214	1.214
35	धर्मराज पिता हनुमंतराव जाति कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी	246/4	1.173	1.173
		250/3	0.809	0.121

36	शकधर ईश्वरदास बबलू ब. निम्बाजी यमादेवी सिंधू पिता निम्बाजी जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	246/5	0.87	0.870
37	कौतिकाबाई बेवा गुलाबराव, देविकाबाई बेवा गुलाबराव शुशीला बाई आशा कांता ललिता अनिता सुनिता संगीता पिता गुलाबराव सोनम पाण्डूरंग ना0बा0 व गुलाबराव वली मॉ भूमिस्वामी कौतिका लिलिता अनिता सूनिता संगीता पिता गुलाबराव सोनम पाण्डूरंग नाबाव गुलाबराव वली मौ जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	246/6	3.199	3.199
38	कौतिका बे. गुलाबराव देविकाबाई बेवा गुलाबराव शुशीला बाई आशा कांता ललिता अनिता सुनिता संगीता पिता गुलाबराव सोनम पाण्डूरंग ना0बा0 व गुलाबराव वली मॉ भूमिस्वामी कौतिका लिलिता अनिता सूनिता संगीता पिता गुलाबराव सोनम पाण्डूरंग नाबाव गुलाबराव वली मौ जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	246/7	0.87	0.87
		249/2	0.131	0.131
39	दिनेश पि बिसराम मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	253	0.502	0.162
		322	2.177	0.395
40	शिवदीन पि सक्या मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	254/1	1.243	0.488
41	रामरतन ब. लक्ष्मण जाति भोयर पता सा. देह भूमिस्वामी	256	0.717	0.717
42	नारायण व.पतिराम जाति मेहरा पता सा. देह भूमिस्वामी	257/1	0.321	0.121
43	सुगंती बे. बिसराम जाति मेहरा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	257/2	1.41	0.729
44	तिलक पि रामरतन मोयर सा0 देह भूमि स्वामी	258	1.544	0.414
45	बलदेव पि आनंदराव कुम्बी सा0 देह भूमि स्वामी	302	0.482	0.041
46	शांता बे आनंदराव गणेशराव कृष्णराव बलदेव पि आनंदराव राधा मलता उर्मिला लीला रेणुका शीला पि आनंदराव	306	0.353	0.081
		313	0.174	0.012
47	माधेराव पि शेषराव कांता पि शेषराव जाति कुन्बी सा0 देह	307	0.21	0.065
48	मालती पत्नि नारायण प्रसाद जाति कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	308/1/1	0.92	0.252
49	नरायन पि गौबरया जाति तेली सा0 देह भूमि स्वामी	308/1/2	1.62	0.408
50	पंजाबराव पिता. लालाजी जाति कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी	308/2	1.345	0.624
		321/2	1.76	0.589
		325	6.382	5.896
51	सत्यदेव पिता पंजाबराव जाति कुन्बी पता सा. देह भमिस्वामी	309/1	0.668	0.227
52	राजेन्द्र पिता बालाजी जाति कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी	309/2	1.61	1.201
53	ऊषा बे. इन्द्रदेव जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	310	1.987	1.987
54	नारायण गुलाबराव बालाजी पि रामराव भागा राधा अनीता सुनीता पि रामराव सा0 देह भूमि स्वामी	312	0.142	0.142
55	नारायण पि बापुराव सा0 देह भूमि स्वामी	314	2.428	0.081
56	बालाजी पिता. लालाजी जाति कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी	321/1	1.765	0.021
		323	5.196	5.196
		324	0.684	0.684
57	रजत ब. बासूदेव जाति कुन्बी पता सा. देह भमिस्वामी	321/4	1.76	1.760
58	हनुमन्तराव पि विठठलराव कुन्वी सा0 देह भूमि स्वामी	326	0.668	0.343
		328	3.335	3.335

59	गणेशराव, दौलतराव, आनंदराव पि सरजेराव सा0 देह भूमि स्वामी	223/1	0.823	0.708
		223/2	0.823	
		223/3	0.823	
60	ज्ञानराव पि सरजेराव कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	225/1	0.837	0.993
61	साहबराव पि सरजेराव कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	225/2	0.838	
62	सुधाकरराव पि सरजेराव कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	225/3	0.838	
63	किशनराव ज्ञानराव साहेबराव सुधाकर दौलतराव भोजराव पि सरजेराव सा0 देह भूमि स्वामी	238/1	2.464	4.994
		238/2	1.35	
		238/3	1.349	
		238/4	1.35	
		238/5	0.91	
		238/6	2.463	
64	दिनेश पि बिसराम मेहरा सा0 देह भूमि स्वामी	357/6/1	0.405	0.736
65	बबिता डोगरे पत्नी उमेश सा0 देह भूमि स्वामी	357/6/2	0.809	
66	आशीष पिता इन्द्रदेव कुन्बी नितेश पिता इन्द्रदेव सा0 देह भूमि स्वामी	321/3	0.882	1.357
		321/5	0.883	
TOTAL			123.313	83.112

1 चूंकि **गढा मध्यम सिंचाई परियोजना** हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3– कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4– समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.–43–अ–82–मालापुर–20–21–1399

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक –1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	मालापुर	61.183	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक–2 बैतूल	गढा मध्यम सिंचाई परियोजना

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

संक्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकवा (है.में)	अर्जित भूमि का रकवा (है. में)
1	2	3	4	5
1	सुन्दरलाल पि रामलाल कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	41/2	4.046	2.596
2	घनश्याम पि सुन्दरलाल कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	41/3/1	0.708	0.445
3	गोकुल पि सुन्दरलाल कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	41/3/2	0.708	0.708
4	चिरौजी पि सुन्दरलाल कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	41/3/3	0.709	0.709
5	मानक पि सुन्दरलाल कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	41/3/4	0.709	0.709
6	भगवत पि झापू कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	41/4	4.358	3.056
7	पिटटल पि मिसरू आशाराम ख्यालीराम पि पिटटल कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	42/1	1.223	0.235
8	पिटटल पि मिसरू कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	42/2	0.405	0.204
		46	1.89	0.186
9	लखन पि बाबूलाल कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	42/3/1	1.455	0.632
10	लक्ष्मण पि बाबूलाल कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	42/3/2	1.455	0.688
11	गोमा पि मंगरू रामा छोट पि मंगरू मोराबाई बेवा नान्हू कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	42/4	3.556	0.898
12	पुनियाबाई बेवा बिहारी चैतराम गजाराम पि बिहारी इतवंती पूरनावाई रामप्यारी रामदुलारी पि बिहारी कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	47	0.466	0.466
		49/2	1.429	1.429
		49/3	0.566	0.566
		54	0.943	0.943

13	चरण पि सावन्या कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	48/1/1	1.062	1.062
14	चिरौजी पि सावन्या कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	48/1/2	1.063	1.063
15	भद्दू पि चिरौजी कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	48/2	0.809	0.607
16	मानक पि माध्या कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	49/1	1.432	1.432
		49/4	0.405	0.405
17	गोया पि मंगरन कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	50/1	1.176	1.176
		51/1	0.239	0.239
18	छोटू पि मंगरू कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	50/2	0.986	0.986
		51/2	0.239	0.239
		52/1	0.191	0.191
19	होरीलाल हरिराम पि श्यामा बसन्ती पि श्यामा कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	50/3	0.400	0.4
		51/3	0.239	0.239
		52/2	0.776	0.776
20	गोपी बेवा मुन्शी तुलसीराम पि पन्ना कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	55/1	0.809	0.809
		55/2	2.041	2.041
		55/3	1.233	1.233
21	रामप्रसाद पि भोलू कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	56/1	0.573	0.573
		56/6	1.717	1.717
22	गुरूदयाल पि भोलू कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	56/2	0.572	0.572
		56/4	1.717	1.717
23	कुँवरलाल भोलू पि भोलू कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	56/3	0.572	0.572
		56/5	1.717	1.717
24	लखन लक्ष्मन पि बाबूलाल बौना दुल्लो पि बाबूलाल यशवंन्तराव कीर्तिराम हरिचरण शिवचरण पि सोमा नत्थनबाई सीताबाई पि सोमा भागावाई बेवा सोमा सा0 देह भूमि स्वामी	58/1	2.279	2.279
25	सावन्या पि मंहगी कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	58/2	2.278	2.278
26	राना पि मंगरू कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	59/1	2.576	1.912
27	संरवन पि गोमा कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	59/3	2.374	2.074
28	रामदेव श्याम देव पि गणेश कालाबाई मालाबाई पि गणेश जयपाल गोपाल पि रोशन देवकी पि रोशन कुन्बी सा0देह	60/1	2.231	2.281
29	लखन लक्षमण पि बाबू दूलीबाई बीनाबाई मूलीबाई पि बाबू कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	60/2	2.28	2.28
30	आशाराम काशीराम राजाराम पि सूकू देवकी पि सूकू कुँवरलाल पि रामलाल कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	61/1	2.762	1.792
		61/2	0.809	0.809
31	देवमन पि नन्दन कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	61/3	1.400	1.367
32	दीनू पि नन्दन कुन्बी सा0 देह भूमि स्वामी	61/4	1.372	1.343
33	मंगल पि सोबू कलाबाई पि सोवू नाई सा0 देह भूमि स्वामी	62/1	0.349	0.349
		64/2	0.291	0.291
34	सुगराती बेवा चैतराम, कैलाश, कमल पि चैतराम, कौशल्या पि चैतराम, ममता पि चैतराम नाई, सा0 देह भूमि स्वामी	62/2	0.492	0.492
		64/1	1.721	1.721
35	परसराम पि सोबू कलाबाई वेवा सोबू सा0 देह भूमि स्वामी	62/3	0.349	0.349
		64/3	0.291	0.291
36	लक्षमण पि सोबू, कलावई वेवा सोबू, सा0 देह भूमि स्वामी	62/4	0.349	0.349
		64/4	0.291	0.291
37	घनश्याम पि गणेश नाई सा0 देह भूमि स्वामी	63/1	0.536	0.536
38	अर्जुन पि गणेश नाई सा0 देह भूमि स्वामी	63/2	0.535	0.535
39	भीमा पि गणेश नाई सा0 देह भूमि स्वामी	63/3	0.536	0.536
40	गुरूदयाल पि मंजन नई सा0 देह भूमि स्वामी	65	2.792	2.792
	TOTAL		**73.537**	**61.183**

1– चूंकि **गढा मध्यम सिंचाई परियोजना** हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3– कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4– समुचित सरकार की वेबसाइट **www.betul.nic.in** पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 6 जनवरी 2021

क्र.–169–भू–अर्जन–2021.– चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (01) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:–

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन :–

(क)	ग्राम	:–	टोल
(ख)	तहसील	:–	कुक्षी
(ग)	जिला	:–	धार
(घ)	लगभग क्षेत्रफल	:–	0.415 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
120/9	0.415
योग . .	0.415

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :– "बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु."

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में, कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

धार, दिनांक 19 जनवरी 2021

प.क्र.–2321–रीडर–भू–अर्जन–2020–21.– चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु भूमि की आवश्यकता है :–

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन :–

(क)	जिला	:–	धार
(ख)	तहसील	:–	कुक्षी
(ग)	ग्राम का नाम	:–	भवरिया
(घ)	क्षेत्रफल	:–	0.250 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
205	0
207	0
271	0.250
योग . .	0.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन :– भवरिया–खराजना–लोणी मार्ग के मध्य बाघनी नदी पर निर्माणाधीन उच्च स्तरीय सेतू निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे का अवलोकन भू–अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री (लो.नि.वि.) न.घा.वि.प्रा. मान जोबट संभाग कुक्षी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में संबंधित व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू–अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना कुक्षी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.–1079–अ–82 सागर, दिनांक 3 फरवरी 2021

मौजा नादनवारा पटवारी हल्का नं. 18 तहसील राहतगढ़

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची –1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग परियोजना प्रशासक बेतवा पी.आई.यू क्र. –2 राहतगढ, जिला सागर को बीना सिंचाई परियोजना मड़िया बाँध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित की दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियो का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई.यू. क्र.–2 राहतगढ, जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव कमांक J-12011/31/2014-IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगें। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रकिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन अपेक्षित है वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगें। परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तिगों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है ।

(1) परियोजना का नाम :– बीना सिंचाई परियोजना मड़िया बाँध

(2) भूमि का विवरण :–

1. जिला सागर
2. तहसील राहतगढ
3. ग्राम नादनवारा
4. पटवारी हल्का नं. 18 भबूकावारी
5. अर्जित भूमि का कुल क्षेत्रफल हे0 में **65.499** हे0

अनुसूची –01

सा.क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	क्षेत्रफल कुल रकबा हे0 में	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)	शेष रकबा	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	7	8	9
1	विनोद पिता रामसेवक पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	86/1	1.210			
2	रूपनारायण पिता जमनाप्रसाद पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	86/2	0.600			
3	कैलाश पिता रामदयाल शर्मा पता सा. राहतगढ़ भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	86/3/1	0.150			
4	संजीव पिता रामदयाल शर्मा पता सा. राहतगढ भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	86/3/2	0.660	*0.647	3.503	
5	राजकुमार पिता रामदयाल शर्मा पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	86/3/3	0.410			
6	मीराबाई बेवा बाबूलाल पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	86/4	1.220			
7	कैलाश वल्द रामदयाल पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	86/5	0.360			
8	कौशल्याबाई बेवा मूलचंद पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	86/6	0.610			

1	2	3	4	5	7	8	9
9	श्री महावीर जी स्वामी मु. शेंवप्रसाद बल्द सीताराम प्रबधक कले. महो. सागर पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	90	0.160	0.160	0.00	
10	राजबाई वेवा रामसेवक मनोज प्रमोद विनोद राधा पिता रामसेवक पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	91/1	0.250	0.250	0.00	
11	रूपनारायण पिता जगनाप्रसाद पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	91/2	0.120	0.120	0.00	
12	रामदयाल पिता सीताराम पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	91/3	0.250	0.250	0.00	
13	मीरामबाई वेवा बाबूलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	91/4	0.260	0.260	0.00	
14	कौशल्याबाई वेवा मूलचंद पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	91/5	0.130	0.130	0.00	
15	हरदयाल पिता देवीसींग पता सा.राहतगढ भूमिस्वमी	भूमि स्वामी	93/1/1	1.150	1.150	0.00	
16	रंधीर पिता चिरोजीलाल लोधी पता सा. राहतगढ भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	93/1/2	0.200	0.200	0.00	
17	हल्के बल्द करनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	93/2	0.380	0.380	0.00	
18	बाबूसिंह पिता लीलाधर लोधी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	93/3	0.120	0.120	0.00	
19	रामसिंह पिता मूलचंद पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	93/4/1	0.260	0.260	0.00	
20	छोटेलाल पिता मूलचंद पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	93/4/2	0.520	0.520	0.00	
21	तुलसीराम बल्द उमराव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	94	0.130	0.130	0.00	
22	भगवानदास पिता ब्रजलाल पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	95/1	0.110	0.110	0.00	
23	रोहित पुत्र नारान पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	भूमि स्वामी	95/2	0.100	0.100	0.00	
24	गोवरधन दीनदयाल बल्द रंधीरसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	100	0.920	0.894	0.026	
25	जगदीश पिता महाराजसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	105	1.490	0.652	0.838	
26	कुजीलाल पुत्र चिरोजीलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	106/1	1.680	1.360	0.720	
27	पप्पू पुत्र जगदीश रामबाबू पुत्र जगदीश पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	106/2	0.400			
28	सूरतसिंह पिता सुन्दरलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	107	0.650	0.650	0.000	

	2	3	4	5	7	8	9
29	ऊषाबाई पत्नि रतन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	119	0.200	0.200	0.000	
30	मदनगोपाल पुत्र शालकराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	120/1	0.310			
31	उर्मिलाबाई पुत्री शालकराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	120/2	0.310			
32	बन्दना पुत्री शालकराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	120/3	0.310			
33	ऊषाबाई वेवा ब्रजलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	120/4	0.104			
34	ललित पुत्र ब्रजमोहन पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	120/5	0.103	0.990	0.560	
35	अंकित पुत्र ब्रजमोहन पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	120/6	0.103			
36	कैलाश किशोर पुत्र बलराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	120/7	0.104			
37	अमितकुमार पुत्र बलराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	120/8	0.103			
38	रजनी पुत्री बलराम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	120/9	0.103			
39	रिवाराम पिता मोती पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	122/1	0.480			
40	शिवराज पिता मोती पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	122/2	0.480	0.806	0.644	
41	हरीसींग पिता मोती पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	122/3	0.490			
42	नन्हेलाल पिता धनसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	123	0.100	0.048	0.052	
43	दुर्गाप्रसाद पिता मानक लोधी पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	124/1/क/1	0.110			
44	गुडडू पिता गनेश लोधी पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	124/1/क/2	0.110			
45	गुडडा वल्द गणेश पता सा. नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	124/2	0.610	0.008	1.502	
46	दुर्गाप्रसाद पिता मानक लोधी पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	124/2/ख	0.680			

	2	3	4	5	7	8	9
47	अमरसींग वल्द गन्धर्वसींग पता सा.परासरीकला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	188/1	1.200			
48	कैलाशनारायण पिता शेरसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	188/2/1	0.400			
49	विक्रमसिंह पिता रतनसिंह लोधी पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	188/2/2/1	0.200			
50	विक्रमसिंह पिता रतनसिंह लोधी पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	188/2/2/2	0.200			
51	विष्णुप्रसाद पिता शेरसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	188/2/3	0.400			
52	नेतराम पिता शेरसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	188/2/4	0.400	0.011	4.659	
53	कैलाशनारायण पिता शेरसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	188/3/1	0.110			
54	विक्रमसिंह पिता रतनसिंह लोधी पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	188/3/2	0.120			
55	विष्णुप्रसाद पिता शेरसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	188/3/3	0.120			
56	नेतराम पिता शेरसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	188/3/4	0.120			
57	विक्रमसिंह पिता रतनसिंह लोधी पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	188/4/1	0.440			
58	चंद्रेश पिता रतन लोधी पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	188/4/2	0.960			
59	परषोत्तम पिता रघुनाथ पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	257/3	0.350	0.350	0.000	
60	अभय कुमार वल्द हजारीलाल पता सा. राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	190/1	1.160	1.225	0.335	
61	हल्के पिता तांती पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	190/2	0.400			
62	गुंबदा पिता ग्यरसा पता नि.ग्रामभूमिस्वामी	भूमि स्वामी	193/1	0.490			
63	रामसिंह पिता मूलचंद पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	193/2	0.260	0.252	1.248	
64	क्रष्णाबाई पति दशरथ पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	193/3	0.260			
65	श्याम पिता ग्यरसा पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	193/4	0.490			

1	2	3	4	5	7	8	9
66	तुलसीराम वल्द छोटेलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	205/1	0.880			
67	जीवनसिंह पिता तुलसीराम लोधी पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	205/2/1	0.900			
68	राघवेंद्रसिंह पिता तुलसीराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	205/2/2	0.900			
69	शैतानसिंह वल्द रूपसिंह पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	205/3	1.000	0.114	5.256	
70	परमलाल पिता ग्याप्रसाद पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	205/4	0.800			
71	धनीराम वल्द रूपसींग श्रीवाई बेवा रूपसींग पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	205/5	0.890			
72	राजकुमार पिता मोहन लोधी पता परासरी कला भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	206/1/1	0.270			
73	विमलाबाई पति हरचरण लोधी पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	206/1/2	0.260			
74	राजकुमारी पति बालकृष्ण लोधी पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	206/1/3	0.260	0.603	0.707	
75	शीलरानी पति बालचंद लोधी पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	206/1/4	0.260			
76	भागवती पति गनेश लोधी पता सा. परासरीकला भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	206/2	0.260			
77	तुलसी पिता कंछेदी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	208/1	2.060			
78	मदन वल्द भुवानी संतोष वल्द महादेव पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	208/2	1.000			
79	सुलतानसिंह वल्द ब्रजलाल पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	208/3	0.050	0.591	3.519	
80	प्रधुम्न कुमार नावा पिता वली गोविन्दसिंह पिता गौरीशंकर पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	208/4	0.200			
81	मुकेश वल्द करनसींग पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	208/5	0.800			
82	बाबूलाल पिता भुवानीसिह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	210/1	1.300	1.189	0.111	
83	मदनसिह वल्द भुवानीसिह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	210/2	1.300	1.098	0.202	
84	जागेश कुमार पिता हल्कई प्रजापति पता सा. राहतगढ भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	212/1	0.400			
85	दशरथ पिता मनमोहन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	212/2/1	0.220	0.893	0.327	
86	जागेश कुमार पिता हल्कई प्रजापति पता सा. राहतगढ भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	212/2/2	0.600			

	2	3	4	5	7	8	9
87	मदनगोपाल पुत्र शालकराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	214/1	0.150			
88	उर्मिलाबाई पुत्री शालकराम पता राहतगढ भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	214/2	0.150			
89	बन्दना पुत्री शालकराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	214/3	0.150			
90	ऊषाबाई वेवा ब्रजलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	214/4	0.050			
91	ललित पुत्र ब्रजमोहन पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	214/5	0.050	0.727	0.023	
92	अंकित पुत्र ब्रजमोहन पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	214/6	0.050			
93	कौलाश किशोर, किशोर पुत्र बलराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	214/7	0.050			
94	अमितकुमार पुत्र बलराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	214/8	0.050			
95	रजनी पुत्री बलराम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	214/9	0.050			
96	मदनगोपाल पुत्र शालकराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	215/1	0.154	0.154	0.000	
97	उर्मिलाबाई पुत्री शालकराम पता राहतगढ भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	215/2	0.154	0.154	0.000	
98	बन्दना पुत्री शालकराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	215/3	0.154	0.154	0.000	
99	ऊषाबाई वेवा ब्रजलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	215/4	0.051	0.051	0.000	
100	ललित पुत्र ब्रजमोहन पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	215/5	0.051	0.051	0.000	
101	अंकित पुत्र ब्रजमोहन पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	215/6	0.052	0.052	0.000	
102	कौलाश किशोर, किशोर पुत्र बलराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	215/7	0.051	0.051	0.000	
103	अमितकुमार पुत्र बलराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	215/8	0.051	0.051	0.000	
104	रजनी पुत्री बलराम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	215/9	0.052	0.052	0.000	
105	हरदयाल पिता परषोत्तम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	216	1.770	1.195	0.575	

1	2	3	4	5	7	8	9
106	शिव्बू पिता प्यारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	217	1.660	1.421	0.239	
107	गिरजाबाई वेवा रंधीर चंदनसींग भारतसींग देवीसींग अजबसींग मिथीलाल सरोज पिता रंधीर पता सा. खेजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	233/1	0.630	1.205	0.055	
108	देवेन्द्र पिता शिव्बूप पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	233/2	0.630			
109	जगन्नाथ पिता निर्भयसिंह पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	234	0.440	0.440	0.000	
		भूमि स्वामी	236	0.600	0.600	0.000	
110	पार्वती जोजे रंधीरसिंह पता वेहटा अलीनगर भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	101	1.090	1.090	0.000	
111	मदनगोपाल पुत्र शालकराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	102/1	0.190	0.190	0.000	
112	उर्मिलाबाई पुत्री शालकराम पता राहतगढ़ भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	102/2	0.190	0.190	0.000	
113	बन्दना पुत्री शालकराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	102/3	0.190	0.190	0.000	
114	ऊषाबाई वेवा ब्रजलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	102/4	0.064	0.064	0.000	
115	ललित पुत्र ब्रजमोहन पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	102/5	0.063	0.063	0.000	
116	अंकित पुत्र ब्रजमोहन पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	102/6	0.063	0.063	0.000	
117	कौलाश किशोर, किशोर पुत्र बलराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	102/7	0.064	0.064	0.000	
118	अमितकुमार पुत्र बलराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	102/8	0.063	0.063	0.000	
119	रजनी पुत्री बलराम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	102/9	0.063	0.063	0.000	
120	मदनगोपाल पुत्र शालकराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	117/1	0.142	0.142	0.000	
121	उर्मिलाबाई पुत्री शालकराम पता राहतगढ़ भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	117/2	0.142	0.142	0.000	
122	बन्दना पुत्री शालकराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	117/3	0.142	0.142	0.000	

1	2	3	4	5	7	8	9
123	ऊषाबाई वेवा ब्रजलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	117/4	0.047	0.047	0.000	
124	ललित पुत्र ब्रजमोहन पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	117/5	0.048	0.048	0.000	
125	अंकित पुत्र ब्रजमोहन पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	117/6	0.047	0.047	0.000	
126	कौलाश किशोर, किशोर पुत्र बलराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	117/7	0.047	0.047	0.000	
127	अमितकुमार पुत्र बलराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	117/8	0.048	0.048	0.000	
128	रजनी पुत्री बलराम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	117/9	0.047	0.047	0.000	
129	दीनदयाल वल्द रंधीरसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	103	0.970	0.970	0.000	
		भूमि स्वामी	114/3	0.260	0.260	0.000	
		भूमि स्वामी	116	0.290	0.290	0.000	
		भूमि स्वामी	220	0.230	0.230	0.000	
130	नर्वदीवाई वेवा बैजनाथ पता सा. खैजरामाफी भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	104/1	0.390	0.390	0.000	
131	ब्रजेश वल्द घनसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	104/2/1	0.680	0.680	0.000	
132	चंद्रभान पिता बलदेव लोधी पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	104/2/2	0.430	0.430	0.000	
133	सूरतसिंह पिता सुन्दरलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	108	1.210	1.210	0.000	
134	खूबसिंह पिता सुन्दरलाल पता खैजरामाफी भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	110/1	0.330	0.330	0.000	
		भूमि स्वामी	252	1.700	1.700	0.000	
		भूमि स्वामी	255/1	0.570	0.570	0.000	
135	भवरलाल पिता सुन्दरलाल पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	110/3/1	1.680	1.680	0.000	
		भूमि स्वामी	223	0.540	0.540	0.000	
		भूमि स्वामी	226	0.180	0.180	0.000	
136	वीरसिंह पिता लक्ष्मनसिंह लोधी पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	110/3/2	0.400	0.400	0.000	
137	जालम पिता ग्याप्रसाद पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	265/110	0.300	0.300	0.000	

1	2	3	4	5	7	8	9
138	कुजीलाल वल्द चिरोजीलाल पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	111	0.480	0.480	0.000	
139	ब्रजेश वल्द घनसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	112/1	0.070	0.070	0.000	
140	ब्रजलाल पिता कामता लोधी पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	112/2	0.680	0.680	0.000	
141	नेतराम पिता श्यामलाल लोधी पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	112/3	0.760	0.760	0.000	
142	नर्वदीबाई बेवा बैजनाथ पता सा. खैजगमाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	113	1.200	1.200	0.000	
		भूमि स्वामी	227/1	0.050	0.050	0.000	
143	शिवराज पिता मोती पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	114/1/1	0.250	0.250	0.000	
144	हूरीसींग पिता मोती पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	114/1/2	0.270	0.270	0.000	
145	दुर्गाप्रसाद पिता मानक लोधी पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	114/2	0.260	0.260	0.000	
146	कंछेदी पिता मन्नू पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	115	0.590	0.590	0.000	
147	श्रीदेव जानकीरमण बाके देहमूह. शेवप्रसाद पिता सीता-रमण, प्रबंधक कले.महो.सागर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	118	0.300	0.300	0.000	
148	छोटेलाल उर्फ दीनदयाल पिता रंधीरसींग पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	121	0.470	0.470	0.000	
149	मदनसींग पिता भुवानीसींग पता सा. देहभूमिस्वामी	भूमि स्वामी	207/1	0.040	0.040	0.000	
150	महादेवसिंह वल्द भुवानीसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	207/2	0.290	0.290	0.000	
151	भीमप्रसाद पिता भुवानीसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	207/3	0.270	0.270	0.000	
152	भुवानीसिंह पिता घनसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	218	1.310	1.310	0.000	
153	दशरथ पिता मनमोहन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	239	0.120	0.120	0.000	
154	बाबूलाल पिता भुवानीसिह पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	249/2	0.090	0.090	0.000	
155	सूरतसिह पिता सुंदरलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	110/2	0.900	0.900	0.000	
		भूमि स्वामी	255/2	0.280	0.280	0.000	

1	2	3	4	5	7	8	9
156	मदनसिह वल्द भुवानीसिह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	249/1	0.170	0.170	0.000	
157	गंगाबाई वेव निर्भयसिंह भगवानसिंह राधेलाल जगन्नाथ रघुनाथ पिता निर्भयसिंह मोहरबाई लक्ष्मीबाई पुत्री निर्भयसिंह पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	222/1	0.170	0.170	0.000	
		भूमि स्वामी	237/1	2.170	2.170	0.000	
158	कमलेश पिता पुरूषोत्तम लोधी पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	222/2/1	0.085	0.085	0.000	
159	शिवराज पिता पुरूषोत्तम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	222/2/2	0.085	0.085	0.000	
160	हल्कू पिता पूरन प्रथमसींग हनुमतसींग प्रभा ममता पिता भैयालाल पता सा. बेहटा अली नगर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	224/1	0.570	0.570	0.000	
		भूमि स्वामी	251/1	0.690	0.690	0.000	
161	परषोतम पिता रघुनाथ पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	224/2	0.240	0.240	0.000	
		भूमि स्वामी	225/1	0.360	0.360	0.000	
		भूमि स्वामी	229	0.330	0.330	0.000	
		भूमि स्वामी	251/2	0.350	0.350	0.000	
162	हरदयाल पिता पुरूषोत्तम लोधी पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	237/2	0.010	0.010	0.000	
163	भवानीप्रसाद पुत्र लक्ष्मनसिंह वीरसींग पुत्र लक्ष्मनसिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	251/3	0.340	0.340	0.000	
164	सौरभ पुत्री भारतसिंह लोधी पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	225/2	0.350	0.350	0.000	
165	देवीसींग पिता रनधीरसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	250/2	0.300	0.300	0.000	
166	गिरजाबाई वेवा रंधीर चंदनसींग भारतसींग देवीसींग अजवसींग मिश्रीलाल सरोज पिता रंधीर पता सा.खेजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	227/2	0.050	0.050	0.000	
		भूमि स्वामी	230	0.100	0.100	0.000	
		भूमि स्वामी	253	0.670	0.670	0.000	
167	जगदीश पिता महराजसिंह पता सा. बेहटा अलीनगर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	228	0.120	0.120	0.000	
168	तुलसीराम पिता कंछेदी पता सा. डिरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	231/1	0.110	0.110	0.000	
		भूमि स्वामी	231/2	0.060	0.060	0.000	
		भूमि स्वामी	247	0.190	0.190	0.000	
169	भीम प्रसाद वल्द भुवानीसिह पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	232/1	1.160	1.160	0.000	
170	महादेवसिंह वल्द भुवानीसिह पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	232/2	1.170	1.170	0.000	

1	2	3	4	5	7	8	9
171	जगतसिंह पिता बालमुकुंद तपा सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	235	2.450	2.450	0.000	
172	जीतेश मनीराम पिता दशरथ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	238	1.330	1.330	0.000	
173	भाईसाहब पुत्र बालमुकुंद पता नादनवारा भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	241	0.110	0.110	0.000	
174	ऋषिराज पुत्र बालमुकुंद पता नादनवारा भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	246/1/1	0.320	0.320	0.000	
175	धनसिंह पुत्र रामलाल , दशरथ पुत्र मनमोहन लक्ष्मीबाई पुत्री मनमोहन पता सभी नि.ग्राम नादनवार भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	246/1/2	0.180	0.180	0.000	
176	आशाराम पुत्र बालमुकुंद पता सा. नादनवारा भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	246/2/1	0.270	0.270	0.000	
177	भाईसाहब पुत्र बालमुकुंद पता नादनवारा भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	246/2/2	0.350	0.350	0.000	
178	बद्रीप्रसाद पुत्र बालमुकुंद पता नादनवारा भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	246/2/3	0.320	0.320	0.000	
179	भाईसाहब पुत्र बालमुकुंद पता नादनवारा भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	243	0.260	0.260	0.000	
180	राधेलाल बल्द निर्भयसिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	244	0.740	0.740	0.000	
181	देवीसींग चदनसींग भारतसींग पिस.रधीरसिंह देवीसींग चदनसींग भारतसींग पिस.रधीरसिंह पता सा. खेजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	248	1.200	1.200	0.000	
182	दलसिंह बल्द ग्याप्रसाद सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	250/1	0.360	0.360	0.000	
		भूमि स्वामी	254/1	0.530	0.530	0.000	
		भूमि स्वामी	258/1	0.210	0.210	0.000	
183	जालम पिता ग्याप्रसाद पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	254/2	0.520	0.520	0.000	
		भूमि स्वामी	258/2	0.180	0.180	0.000	
184	पप्पूसिंह पिता केशरसिंह लोधी पता सा देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	256/1/1	0.240	0.240	0.000	
185	जानकीबाई पत्नी केशरसिंह लोधी पता राहतगढ भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	256/1/2	0.200	0.200	0.000	
186	धनबाई बेवा रामचरन दलीप बल्द रामचरन पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	256/2	0.220	0.220	0.000	
187	केशरसिंह रघुनाथ पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	257/1	0.520	0.520	0.000	
188	मूलचंद बल्द रधुनाथ पता सा. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	257/2	0.470	0.470	0.000	
		कुल योग -	210	91.670	65.499	25.101	

राज्य सरकार की अधिकसूचना कमांक– एफ 16 –15– (7)2014– सात– शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ कमांक –2895 पर प्रकाशन किया गया है कें द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकां, कर्मकारो या उसके निर्देशो के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को कियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू – अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक बेतवा पी.आई.यू.क्र.–2 राहतगढ़ सागर प्रभारी अधिकारी, भू–अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें।

राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक– एफ 16–15–(7)2014– सात–शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाक 03.10.2014 के पृष्ठ कमांक–2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भु–अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई.यू., क्र.– 2 राहतगढ़ सागर समुचित सहयोग करेगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेगें।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधीत इस सूचना के प्रकशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में)आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, बेतवा बी.पी. आई.यू. 2 राहतगढ़ सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । ।

क्र.–1078–अ–82–20–21

मौजा हुराकुटगवा पटवारी हल्का नं. 24 तहसील राहतगढ

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची –1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग परियोजना प्रशासक बेतवा पी.आई.यू क –2 राहतगढ़, जिला सागर को बीना सिंचाई परियोजना मड़िया बाँध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित की दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियो का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई. यू क.–2 राहतगढ़, जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J-12011/31/2014-IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगें। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रकिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन अपेक्षित है वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगें। परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है ।

(1) परियोजना का नाम :– बीना सिंचाई परियोजना मडिया बांध

(2) भूमि का विवरण :–

1. जिला – सागर
2. तहसील – राहतगढ
3. ग्राम – हुराकुटगवा
4. पटवारी हल्का नं. – 24 हुराकुटगवा
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल हैं.0 में – 89.662 हैं.0

अनुसूची :–

स. क.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	क्षेत्रफल कुल रकबा ह0 में	अर्जित भूमि (रकबा ह0 मे)	शेष रकबा	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	7	8	9
1	पूरन वल्द धनीराम पता सा.भूरेरू भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	219/385	0.700	0.490	0.210	
2	हरगोविंद वल्द अमानसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	223/2	1.600	0.399	1.201	
3	श्यामलाल पिता आलम पता सा.परासरी कलां भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	243	0.740	0.025	0.715	
4	भागवती बाई पति लछमन पता सा.पारासरी कलां भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	244	0.320	0.162	0.158	

	2	3	4	5	7	8	9
5	क्रांतिबाई पति प्रमोद कुमार पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	246/1	0.630	2.419	0.031	
6	कृष्णपाल सिंह वल्द अनारसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	246/2	0.550			
7	यशवंतसिंह वल्द बलराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	246/3	0.640			
8	किशोरसींग वल्द बलराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	246/4	0.630			
9	अनारसींग वल्द बलरामपता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	252	0.150	0.150	0.000	
10	शारदाबाई वेवा शिवनारायण पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	253	1.590	1.590	0.000	
11	हरिनारायण वल्द ओकारप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	254	1.550	0.630	0.920	
12	सुन्दर कृष्णकुमार पिस. भवानीप्रसाद श्रीबाई पुत्री भवानी श्यामबाई बेवा द्वारका नरेन्द्र विशाल ब्रजेश विकास बा. रमाकांत नाबा. अनीता सुरेखा बा. पिस.सीताराम बली व खुद मां संतोषरानी बेवा सीताराम नीरज नितिन बा. नवीन नाबा. नीरू नीलम बा. पिस. शिवनारायण बली व खुद मां शारदाबाई बेवा शिवनारायण पुरुषोत्तम सुरजीत सोनूवल्द द्वारकाप्रसाद सरला बाई सुकरतबाई मीनाबाईपुत्री द्वारका पता सा.परासरी कलां भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	255/1	0.370	0.138	0.232	
13	श्रीबाई जोजे ओकार प्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	255/2	0.400	0.400	0.000	
14	अनिल पिता हरनिारायण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	255/4	0.240	0.118	0.122	
15	बृजकिशोर पि.ओकारप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	255/3	0.060	0.060	0.000	
16	नीरज भीम नवीन पिता शिव नारायण शारदाबाई बेवा शिवनारायण नीलम नीतू पुत्री शिवनारायण पता निवासी ग्राम परासरीकलां भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	255/5	0.030	0.030	0.000	
17	शिवनारायण वल्द भवानी श्रीबाई पुत्री भवानी प्रसाद ललताबाई बेवा भवानी पता सा. परासरीकला भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	265/1	0.510	0.213	0.297	
18	सुन्दर कृष्णकुमार पिस. भवानीप्रसाद श्रीबाई पुत्री भवानी श्यामबाई बेवा द्वारका नरेन्द्र विशाल ब्रजेश विकास बा. रमाकांत नाबा. अनीता सुरेखा बा. पिस.सीताराम बली व खुद मां संतोषरानी बेवा सीताराम नीरज नितिन बा. नवीन नाबा. नीरू नीलम बा. पिस. शिवनारायण बली व खुद मां शारदाबाई बेवा शिवनारायण पुरुषोत्तम सुरजीत सोनूवल्द द्वारकाप्रसाद सरला बाई सुकरतबाई मीनाबाईपुत्री द्वारका पता सा.परासरी कलां भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	266/1	0.680	0.087	0.593	

	2	3	4	5	7	8	9
19	बृजकिशोर पि.ओकारप्रसाद पता नि. भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	266/2	0.110	0.110	0.000	
20	नीरज भीम नवीन पिता शिव नारायण शारदाबाई बेवा शिवनारायण नीलम नीतू पुत्री शिवनारायण पता निवासी ग्राम परासरीकला भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	266/3	0.140	0.140	0.000	
21	राजारानी बेवा देवी नाथूराम थानसिंह बालकिशन पिस.देवी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	282	1.010	0.857	0.153	
22	सुरेश अशोक महेश बबलेश पिता हरीराम दीपक मोगेश दीपाली नाबा. पिस. गोपाल बली व खुद मां लक्ष्मीबाई बेवा हरीराम छोटे पितानिरपत पता सा.परासरी कलां भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	283/1	1.260	1.260	0.000	
23	अनुजकुमार वल्द सूर्यप्रकाश पता सा.परासरी कलां भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	283/2	2.400	0.881	1.969	
		भूमिस्वामी	283/3	0.450			
24	अभयकुमार पिता सूर्यप्रकाश पता सा.परासरी कलां भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	285	1.030	0.124	0.906	
25	मनोहरलाल वल्द घासीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	286	1.570	0.259	1.311	
26	हजारी पिता मौजीलालसावित्री पति हजारीलाल पता सा.कल्यानपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	312	4.090	2.341	1.749	
27	रामचरण पिता हीरालाल पता सा.कल्यानपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	313	3.960	1.331	2.629	
28	भगवान पिता घूमनसींग पता सा. कल्यानपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	314/1	1.610	0.332	1.278	
29	नरेन्द्रसिंह पिता हजारीलाल पता नि. कल्याणपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	314/2	0.600	0.600	0.000	
30	रामसेवक वल्द कम्मोद दशोदाबाई कुसुमबाई चन्द्राबाई जीराबाई सावित्रीबाईपुत्री कम्मोद आशीष अनिकेत ना.वा.वल्दहरसेवक भारत अर्चना शीला अंजू ना.वा.वल्द हरसेवकपा.मां व खुद मां सुखवती सुखवती बेवा हरसेवक पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	316	1.610	0.579	1.031	
31	बाबूलाल पिता मौजी लालसुशीलाबाई पत्नि बाबूलाल पता सा.कल्यानपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	317	2.150	0.087	2.063	
32	मिथलेश बेवा रामनारायण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	318	2.440	1.019	1.421	
33	लछमन वल्द घासीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	319	0.570	0.356	0.214	
34	राजारानी बेवा देवी नाथूराम थानसिंह बालकिशन पिस.देवी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	328	0.280	0.235	0.045	
35	माधवसिंह वल्दईश्वरसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	329	0.810	0.052	0.758	

	2	3	4	5	7	8	9
36	मोहरसींग पिता शमशेर पता नि. भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	330	0.820	0.524	0.296	
37	राजारानी बेवा देवी नाथूराम थानसिंह बालकिशन पिस.देवी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	331/1	0.490	0.714	0.196	
38	बैजन्ती पति बालकिशन पता नि. भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	331/2	0.420			
39	बैजन्ती पति बालकिशन पता नि. भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	332	0.190	0.080	0.110	
40	भागवती बाई पति लछमन पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	218	0.420	0.420	0.000	
41	आयुष बल्द अवधेश पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	219	0.700	0.700	0.000	
42	भागवती बाई पति लछमन पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	222	0.110	0.110	0.000	
43	धनराज पिता मठोले पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	245	0.450	0.450	0.000	
			247	0.120	0.120	0.000	
44	कनई पिता मठोले पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	249	0.030	0.030	0.000	
45	धनराज पिता मठोले पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	250	0.280	0.280	0.000	
46	रूपेश निखिल नावा पिता अशोक कुमार वली व खुद मां उर्षा बेवा अशोक कुमार रिंकी पिंकी पिता अशोक कुमार सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	251	1.550	1.550	0.000	
47	अनारसींग वल्द बलराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	252	0.150	0.150	0.000	
48	बृजकिशोर पि.ओकारप्रसाद पता नि. भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	267	1.560	1.560	0.000	
49	मोहरसींग पिता शमशेर पता नि. भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	278	0.110	0.110	0.000	
50	राजारानी बेवा देवी नाथूराम थानसिंह बालकिशन पिस.देवी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	280	0.050	0.050	0.000	
51	खेमराज पिता मठोले पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	268/1	0.810	0.810	0.000	
52	मोहन पिता मठोले पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	268/2	0.810	0.810	0.000	
53	कैलाश पिता मठोले पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	268/3	0.400	0.400	0.000	
54	पार्वती कोशल्याबाई पुत्री बाबुलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	269/1	0.140	0.140	0.000	
		भूमिस्वामी	276/1	0.460	0.460	0.000	
55	राजकुमार पिता ओकारप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	269/2	0.450	0.450	0.000	
		भूमिस्वामी	276/2	1.350	1.350	0.000	
56	पारवती बाई शान्तीबाई कौशिल्याबाई राजकुमारी सावित्रीबाई पुत्री बाबूलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	270/1	0.230	0.230	0.000	

	2	3	4	5	7	8	9
57	प्रभा वाई पुत्री द्वारका प्रसाद पता निवासी ग्राम खुरई भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	270/2	0.520	0.520	0.000	
58	मनोहरलाल वल्द घासीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	272	1.140	1.140	0.000	
59	भगवानदास पिता घासीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	275/1	1.390	1.390	0.000	
60	रामशंकर वल्द घासीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	275/2	1.400	1.400	0.000	
61	जसरथ सींग पिता शमशेर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	277/1	0.960	0.960	0.000	
62	रंजनसिंह वल्द शमशेरसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	277/2	0.780	0.780	0.000	
63	महेश पिता शमशेर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	277/3	0.960	0.960	0.000	
64	रूपसींग पिता शमशेर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	277/4	0.950	0.950	0.000	
65	हरनामसिंह वल्द ईश्वरसिंह सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	279/1	1.200	1.200	0.000	
66	माधव हरनाम पिता ईश्वरसींग रामवती बेवा ईश्वरसींग रामसखी शिवकुमारी पुत्री ईश्वरसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	279/2	1.520	1.520	0.000	
67	श्रीमति मीराबाई पत्नि भगवानदास पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	279/3	0.650	0.650	0.000	
68	अभयकुमार पिता सूर्यप्रकाश पता सा.परासरी कला भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	279/4	0.400	0.400	0.000	
69	कनई पिता मठोले पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	281/1	0.750	0.750	0.000	
70	कैलाश पिता मठोले पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	281/2	0.400	0.400	0.000	
71	भगवान बिहारी वल्द छिमाधर पता सा.चंदनहारी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	284	0.790	0.790	0.000	
72	दिलीपसिंहपिता दरयावसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	287/1	2.890	2.890	0.000	
		भूमिस्वामी	288/1	0.750	0.750	0.000	
		भूमिस्वामी	301/1	1.200	1.200	0.000	
73	ओमप्रकाश पिता दरयावसिंह पता सा. चन्दनहारी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	287/2	1.000	1.000	0.000	
		भूमिस्वामी	288/2	0.720	0.720	0.000	
		भूमिस्वामी	301/2	1.170	1.170	0.000	

	2	3	4	5	7	8	9
74	छिमाधर खेमचन्द वल्द अमोली साहू पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	287/382	0.140	0.140	0.000	
75	बद्रीप्रसाद रमेश श्रीगोविंद पूरनसींग पिस.खिलान सींग गुलाबरात्ती बेवा खिलानसींग शिवराजसींग नारायणसीं गहरगोविंद गजराजसींग पिस. गुलाबसींग पता सा.हिनौतिया कलां भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	289/1	0.700	0.700	0.000	
		भूमिस्वामी	299/1	1.490	1.490	0.000	
76	शिवा वल्द ओमप्रकाश पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	289/2	1.950	1.950	0.000	
77	सुमत्राबाई पुत्री परम पता सा.बासा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	289/3	0.970	0.970	0.000	
			299/2	0.970	0.970	0.000	
78	दयाचंद मनोज भागचंद डालचंद रूपेश पुत्र पूरनचंद जैन पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	290	1.010	1.010	0.000	
		भूमिस्वामी	297	0.220	0.220	0.000	
79	रूपेश पुत्र पूरनचंद अनुराग नाबा पुत्र सुशीलकुमार सीमाबाई पुत्री पूरनचंद अकांक्षा पुत्री सुशीलकुमार वर्षा पुत्री राजीवकुमार डालचंद दयाचंद भागचंद पिता पूरनचंद मंजुलता पुत्री पूरनचंद मनोज पुत्र पूरनचंद पता सा.देहभूमिस्वामी	भूमिस्वामी	291	4.140	4.140	0.000	
		भूमिस्वामी	296/2	1.780	1.780	0.000	
80	राजेन्द्रकुमार प्रकाश विजयकुमार राजेशकुमार पि.कोमलचन्द पुष्पा खुशीबाई पुत्री कोमलचन्द लालू रक्षा प्रियका पिस. मुन्नालाल सुनीताबाई बेवा मुन्नालाल पता सा.सागोनी उमरिया भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	292/1	0.370	0.370	0.000	
		भूमिस्वामी	294	2.860	2.860	0.000	
81	कांर्ति पत्नि दीपक जैन पता सा. बेगमगंज भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	292/2	0.540	0.540	0.000	
82	लछमन वल्द घासीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	295	2.160	2.160	0.000	
83	दयाचंद भागचंद मनोज डालूचंद रूपेशपिस पूरनचंद पता सा.चंदनवारी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	296/1	5.910	5.910	0.000	
84	शिवराजसिंह वल्द गुलाबसिंह पता सा.हिनौतिया कला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	298	0.210	0.210	0.000	
85	नेत्रपालसिंह पिता विरेंद्र सिंह पता सा.चंदनहारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	303	3.820	3.820	0.000	
86	रागिनी पति राजेन्द्रकुमार पता सा.परासरी कला भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	304	0.280	0.280	0.000	
		भूमिस्वामी	305/3	1.680	1.680	0.000	
87	राजवर्धन ना बा वल्द बली राजेन्द्र कुमार पता सा.देह भूमिस्वाम	भूमिस्वामी	305/1	1.300	1.300	0.000	
88	आदर्श ना बा वल्द बली जितेन्द्रकुमार पता सा.परासरी कला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	305/2	1.310	1.310	0.000	
89	सुधा पति जितेन्द्र कुमार पता निवासी परासरीकला भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	305/4	1.960	1.960	0.000	

	2	3	4	5	7	8	9
90	रघुवीरसिंह पिता मूरतसींग पता सा.कल्यानपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	306	2.050	2.050	0.000	
91	अजुद्दी प्रसाद वल्द भैयालाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	308	0.420	0.420	0.000	
92	भागवतीबाई जोजे साहबसींग पता सा.भूरेरू भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	309	0.450	0.450	0.000	
		भूमिस्वामी	310	0.230	0.230	0.000	
		भूमिस्वामी	311	0.230	0.230	0.000	
		कुल योग-	108	110.270	89.662	20.608	

राज्य सरकार की अधिकसूचना कमांक – एफ 16 –15– (7)2014– सात– शा, 2 ए भोपाल दिनाक 29.09 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाक 03.10.2014 के पृष्ठ कमांक –2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकां, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को कियान्वित करने के लिय प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू – अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक वेतवा पी.आई.यू.क.–2 राहतगढ़ सागर प्रभारी अधिकारी, भू–अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवशयक सहयोग प्रदान करेगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक– एफ 16–15–(7)2014– सात–शा, 2 ए भोपाल, दिनाक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाक 03.10.2014 के पृष्ठ कमांक–2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भु–अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुर्नर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रशासक, वेतवा पी.आई.यू, क.– 2 राहतगढ़ सागर समुचित सहयोग करेगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेगें।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई सव्यवहार नही करेगा । या कोई भी सव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबधीत इस सूचना के प्रकशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ में)आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, बेतवा बी.पी.आई.यू. 2 राहतगढ़ सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र.–73–अ–82–20–21–891 सागर, दिनांक 30 जनवरी 2021

मौजा खेजरामाफी पटवारी हल्का नं. 11 तहसील राहतगढ़

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची –1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग परियोजना प्रशासक बेतवा पी.आई.यू. क्र –2 राहतगढ़, जिला सागर को बीना सिंचाई परियोजना मड़िया बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित की दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियो का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई.यू. क्र.–2 राहतगढ़, जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव कमांक J-12011/31/2014-IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगें। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहा पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रकिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन अपेक्षित है वहा इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगें। परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1) के उपबधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है ।

(1) परियोजना का नाम :– बीना सिंचाई परियोजना मड़िया बाँध

(2) भूमि का विवरण :–

1. जिला सागर
2. तहसील राहतगढ
3. ग्राम खेजरामाफी
4. पटवारी हल्का नं. 11 खेजरामाफी
5. अर्जित भूमि का कुल क्षेत्रफल हे0 174.122

:: अनुसूची –01::

स.क.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	क्षेत्रफल कुल रकवा हे0मे	अर्जित भूमि (रकवा हे0मे)	शेष रकवा	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बृजेशकुमार वल्द कन्छेदी लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	11	0.830	0.386	0.444	
2	गोबर्धन वल्द छत्तरसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	12/1	0.200	0.025	0.175	
3	भगवानसींग वल्द निर्भयसींग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	12/2	0.190	0.010	0.180	
4	गंगाबाई बेवा निर्भयसींग भगवानसींग राधेलाल जगन्नाथ रघुनाथ मोहरबाई लक्मीबाई पिता निर्भयसींग परमोत्तम पितासरू ठाकुरप्रसाद वल्द बसंता बैजनाथ रहीर पिता कुंजीलाल कुन्दन मुन्ना पिता बिहारी रतीबाई श्रीबाई विनोदबाई पुत्रियां बिहारी दिलीप अनंत तीरथ पिता प्रतापसूबसींग सूरतसींग भवरसींग पिता सुन्दरलाल काशीबाई मोहरबाई पुत्रियां सुन्दरलाल ग्याप्रसाद वल्द भोगीराम प्रेमबाई बेवा छत्तरसींग गोवरधन गुलाब पिताछत्तरसींग रामश्री कलीबाई पार्वती पुत्रियां छत्तरसींग पूरनसींग वल्द खुमानसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	13/1	0.720	0.025	0.695	
5	राकेश संतोष पिता रवीशंकर पता सा. देह भूमि वामी	भूमिस्वामी	13/2	0.120	0.010	0.110	
6	बैजनाथ पिता दरयाव पता सा.अलीनगर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	72/1	0.570	0.480	0.090	
7	रामबाई पत्नि जगन्नाथ पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	72/2	3.360	1.974	1.386	
8	राधेलाल पिता निर्भयसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	109	0.320	0.320	0.000	
9	ठाकुरप्रसाद वल्द बसंता पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	110	0.310	0.282	0.028	
10	चन्द्रभान वल्द बल्देव पता सा.अलीनगर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	111	0.960	0.960	0.000	
11	शांतिबाई पति धनसींग पता सा.अलीनगर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	117/1/1	0.200	0.031	0.169	
12	विकास पिता विपिन बिहारी दीक्षित पता निवासी राहतगढ भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	117/1/2	0.790	0.309	0.481	

1	2	3	4	5	6	7	8
13	मदनसींग पि. दलसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	117/2/1	0.760	0.760	0.000	
14	गनेशराम पि. दलसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	117/2/2	0.760	0.760	0.000	
15	धनसींग वल्द ग्याप्रसाद पता सा.राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	117/3	2.000	0.530	1.470	
		भूमिस्वामी	117/4	1.620	1.620	0.000	
		भूमिस्वामी	117/5	0.440	0.440	0.000	
16	भागचन्द्र वल्द ग्याप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	117/6/1	0.400	0.400	0.000	
17	तुलाराम वल्द ग्याप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	117/6/2	0.600	0.600	0.000	
		भूमिस्वामी	117/7	0.980	0.980	0.000	
18	कोमलबाई पत्नि तुलाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	117/8	0.300	0.300	0.000	
19	दौलत वल्द शोभाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	221/2	0.320	0.098	0.222	
20	राजाराम वल्द हरजेद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	222	1.100	1.038	0.062	
21	राकेश वल्द रवीशंकर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	252	1.440	1.426	0.014	
22	लक्ष्मण वल्द गोरेलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	253	0.840	0.377	0.463	
23	शुभाबाई पत्नी इमरत सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	254	0.500	0.500	0.000	
24	आशाराम वल्द जैसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	289/2	0.800	0.783	0.017	
25	चेनीबाई पति अर्जुन पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	292/1	0.470	0.220	0.250	
26	गुलाब बाई बेवा प्यारेलाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	293	0.180	0.006	0.174	
27	राजीव वल्द विष्णुप्रसाद पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	295	0.650	0.077	0.573	
28	विष्णुप्रसाद वल्द राजाराम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	297	1.000	1.000	0.000	
29	बाबूलाल हल्के पिता सुखई सिरजाबाई, कोसाबाई, बिंदाबाई पित सुखिया सुखई सिंगाबाई बेवा जगन्नाथ पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	296	0.480	0.480	0.000	
30	ललताबाई बेवा बाबूलाल पता बैजरामाफी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	298	0.770	0.644	0.126	
31	शशीबाई पत्नि दयाराम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	299	0.840	0.840	0.000	
32	गोविंद पिता पूरन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	333/1	0.260	0.260	0.000	
33	जमुना पितापूरन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	333/2	0.760	0.760	0.000	
34	मथराबाई बेवा ग्याप्रसाद पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	337	1.060	0.463	0.597	
35	हाकमसींग वल्द बलीराम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	346	1.200	0.169	1.031	
36	कृष्णकांत नाबालिग पुत्र दशरथ संरक्षक दशरथ पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	347/1/1	0.120	0.011	0.109	
37	दशरथसिंह पिता सीताराम लोधी पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	347/1/2	0.500	0.061	0.439	
		भूमिस्वामी	347/1/3	0.400	0.093	0.307	
38	कस्तुराबाई पति जगदीश पता सा.बिहटाअलीनगर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	347/2	0.920	0.920	0.000	
39	सीताराम सरजू मुन्ना रघुवीर पिता अमान रामकली पुत्री अमान पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	348	0.740	0.117	0.623	
40	हीरालाल वल्द मनमोहन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	349	0.200	0.128	0.072	
41	नर्मदाबाई बेवा धन्नू कमलसींग मोहनसींग हरगोविंद रूपसींग भोले भीकम पि धन्नू पता निवासी ग्राम भूमि	भूमिस्वामी	353	0.590	0.590	0.000	
42	संतोष वल्द बलीराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	358	1.080	0.370	0.710	
43	रमेश पिता गोरेलाल पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	359/1	1.000	1.000	0.000	
44	पुनाबाई बेवा गोरेलाल रमेश ब्रजलाल चंदन पिता गोरेलाल मथुराबाई गोपीबाई राजबाई पिता गोरेलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	359/2	0.070	0.070	0.000	
45	मथुराबाई बेवा ग्याप्रसाद पता सा.देह सेवा खातेदार भू.रा.मुक्त	भूमिस्वामी	367	2.350	0.331	2.019	
46	लक्ष्मण वल्द शिवप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	369/1	0.640	0.640	0.000	
47	हरज्ञान पि हुल्का पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	369/2	0.640	0.640	0.000	
48		भूमिस्वामी	112	0.310	0.310	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
49	राकेश पिता रवीशंकर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113	0.370	0.370	0.000	
50	बृजेशकुमार वल्द कन्छेदी लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	114	0.410	0.410	0.000	
51	राजाराम वल्द हरचंद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	223	0.320	0.320	0.000	
52	निरपत वल्द कनई पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	255	0.150	0.150	0.000	
53	राजकुमार पिता नंदराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	256/1	0.150	0.150	0.000	
54	लक्ष्मीप्रसाद पिता नंदराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	256/2	0.160	0.160	0.000	
55	राजकुमार पिता नंदराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	257/1	0.540	0.540	0.000	
56	लक्ष्मीप्रसाद पिता नंदराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	257/2	0.530	0.530	0.000	
57	ऊधमसींग वल्द विरोंजीलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	258	0.500	0.500	0.000	
58	बालाबाई बेवा अर्जुनसींग मुकेश संतोष देशराज नीतू पिता अर्जुनसींग काशीबाई पुत्री अर्जुनसींग नारायणसींग कृपाराम पिता रामप्रसाद कोमलबाई पुत्री रामप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	259	0.470	0.470	0.000	
59	गोविन्द वल्द जैसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	262	1.120	1.120	0.000	
		भूमिस्वामी	263	0.070	0.070	0.000	
60	पूरन वल्द भैयालाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	264/1	0.800	0.800	0.000	
61	रामलाल वल्द भैयालाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	264/2	0.220	0.220	0.000	
62	गोपी वल्द भैयालाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	264/3	0.020	0.020	0.000	
63	रामलाल वल्द भैयालाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	265	1.340	1.340	0.000	
64	शंकरलाल वल्द रामसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	266	1.970	1.970	0.000	
65	गौतम वल्द जुगलकिशोरप्रकाश वल्द रामचरण पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	267	1.580	1.580	0.000	
66	दुर्गासिहपिता नंदराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	268	0.530	0.530	0.000	
67	धानसिहे पिता घनश्याम सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	269/1	0.530	0.530	0.000	
68	दुर्गा सिह पिता नंदराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	269/2	0.030	0.030	0.000	
69	किशनलाल वल्द हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	270	0.490	0.490	0.000	
70	प्रेमनारायण काशीराम संजय बलराम पिस. बद्रीप्रसाद द्रोपतीबाई बेवा बद्रीप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	271/1	1.420	1.420	0.000	
71	दुर्गासिहपिता नंदराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	271/2	0.800	0.800	0.000	
72	अनतसींग वल्द प्रतापसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	274/1/1	0.580	0.580	0.000	
73	रोहित कुमार पिता अजबकुमार लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	274/1/2	0.800	0.800	0.000	
74	अजबसींग वल्द अनतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	274/2	0.370	0.370	0.000	
75	इदरसींग वल्द अनतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	274/3	3.050	3.050	0.000	
76	कृपाराम वल्द अनतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	274/4	1.680	1.680	0.000	
77	अजबसींग वल्द अनतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	274/5	1.910	1.910	0.000	
		भूमिस्वामी	275	0.240	0.240	0.000	
78	विनोदकुमार वल्द पृथ्वीसिह पता सा.सेनपा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	276	2.030	2.030	0.000	
		भूमिस्वामी	277	1.590	1.590	0.000	
79	गोपीबाई पत्नि रामनाथ रामकुमार कृष्णकुमार अरूणकुमार पिता रामनाथ मीनाबाई पुत्री रामनाथ पता	भूमिस्वामी	278/1	0.930	0.930	0.000	
		भूमिस्वामी	278/2	0.400	0.400	0.000	
80	बृजकिशोर वल्द पृथ्वीसिह पता सा.सेनपा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	279/1	2.310	2.310	0.000	
81	आलोक नावा पिता व बली ओंकार प्रसाद पिता भगवत प्रसाद रिछारिया पता सा.राहतगढ भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	279/2	1.200	1.200	0.000	
82	बृजकिशोर वल्द पृथ्वीसिह पता सा.सेनपा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	279/3	0.800	0.800	0.000	
83	शकुनबाई बेवा गौरीशंकर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	280/1/1	0.800	0.800	0.000	
84	शिवदयाल पुत्र गौरीशंकर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	280/1/2	0.600	0.600	0.000	
85	अशोक पुत्र गौरीशंकर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	280/1/3	0.600	0.600	0.000	
86	गोपीबाई पत्नि रामनाथ रामकुमार कृष्णकुमार अरूणकुमार पिता रामनाथ मीनाबाई पुत्री रामनाथ पता सा.देह भूमि	भूमिस्वामी	280/2	0.300	0.300	0.000	
87	राशिद वल्द इसरार हुसैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	281/1/1	1.200	1.200	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
88	जैद अली वल्द इसरार हुसैन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	281/1/2	0.350	0.350	0.000	
89	जाहिद अली वल्द कुदरत अली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	281/2	3.200	3.200	0.000	
90	जैदअली वल्द जाहिद अली पता सा.ककरूवा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	281/3	1.220	1.220	0.000	
91	पूरनसिह लोधी पिता रामसिह लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	281/4	0.610	0.610	0.000	
92	बहादुरसींग वल्द पूरनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	282	0.120	0.120	0.000	
93	प्रथमसींग वल्द पूरनसींग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	283/1/1	3.010	3.010	0.000	
94	बहादुरसींग वल्द पूरनसींग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	283/1/2	1.810	1.810	0.000	
95	पूरन वल्द खुमानसींग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	283/1/3	0.800	0.800	0.000	
96	बहादुरसींग वल्द पूरनसींग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	283/2	1.080	1.080	0.000	
97	रामगोपाल पिता ठाकुरदास पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	283/3	0.000	0.000	0.000	
98	जैदअली वल्द जाहिद अली पता सा.ककरूवा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	284	0.500	0.500	0.000	
99	ब्रजलाल पिता गोरेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	285/1/1	0.260	0.260	0.000	
100	पुनाबाई वेवा गोरे लाल रमेश बृजलाल चंदन पिता गोरेलाल मथुरा बाई गोपीबाई राजबाई पिता गोरेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	285/1/2	0.210	0.210	0.000	
101	चंदनसींग वल्द गोरेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	285/2	1.000	1.000	0.000	
102	तुलसीराम पिता मिहीलाल सेन पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	286/1	0.920	0.920	0.000	
103	कन्छेदी पिता मिहीलाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	286/2	0.260	0.260	0.000	
104	कन्छेदी पिता मिहीलाल सेन पता निवासी ग्राम भूमि	भूमिस्वामी	287	0.200	0.200	0.000	
105	जालम पिता परतीता पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	288/1	0.540	0.540	0.000	
		भूमिस्वामी	288/3	0.360	0.360	0.000	
106	मदन व परतीता पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	288/2	0.180	0.180	0.000	
		भूमिस्वामी	288/4	0.340	0.340	0.000	
107	नंदकिशोर वल्द हल्कूराम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	289/1/1	0.760	0.760	0.000	
108	मायाबाई पति हरगोविंद ओंकार पिता जालम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	289/1/2	0.800	0.800	0.000	
109	छोटेलाल वल्द मोहन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	290	0.290	0.290	0.000	
110	ऊधमसींग वल्द चिरोंजीलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	291	0.400	0.400	0.000	
111	राजीव वल्द विष्णुप्रसाद पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	294	0.080	0.080	0.000	
112	रामप्रसाद वल्द किशनलाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	300	0.350	0.350	0.000	
113	सोनू पिता रामसाद पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	301	0.190	0.190	0.000	
114	राहुल वल्द रामप्रसाद पता सा.राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	302	1.010	1.010	0.000	
115	गोवर्धन पिता छत्तरसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	303/1	0.230	0.230	0.000	
116	सोनू पिता रामप्रसाद पता सा.राहतगढ भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	303/2	0.220	0.220	0.000	
117	रीतेश पिता रामप्रसाद पता सा.राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	304	0.600	0.600	0.000	
118	नंदकिशोर वल्द हल्कूराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	305/1	1.160	1.160	0.000	
119	कैलाशनारायण वल्द नंदकिशोर पता सा.भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	305/2	1.200	1.200	0.000	
120	दयाराम वल्द हरीनारायण पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	306	1.550	1.550	0.000	
121	ब्रजमोहन नरेश पिता मनीराम सुधाबाई मीनाबाई सवितावाई पुत्री मनीराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	306/484/1	0.350	0.350	0.000	
122	बृजमोहन पिता मनीराम पता सा.राहतगढ भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	306/484/2	0.600	0.600	0.000	
123	नरेश पिता मनीराम पता निवासी राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	306/484/3	0.600	0.600	0.000	
124	शशिबाई पत्नि दयाराम पता सा.राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	307/1+ 307/2	0.800	0.800	0.000	
125	राजीव वल्द विष्णुप्रसाद पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	308	0.930	0.930	0.000	
126	प्रथमसींग विमल राजेन्द्र पिस. फूलसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	309/1	1.320	1.320	0.000	
127	रीतेश पिता रामप्रसाद पता सा.राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	309/2	0.800	0.800	0.000	
		भूमिस्वामी	309/3	0.400	0.400	0.000	
128	सोनू पिता रामप्रसाद पता सा.राहतगढ भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	309/4	0.400	0.400	0.000	
129	जाहिद अली वल्द कुदरत अली पता सा. राहतगढ भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	310	0.070	0.070	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
130	गुलाब पिता छत्तरसींग पता सा.देह	भूमिस्वामी	311	0.090	0.090	0.000	
131	जाहिद अली वल्द कुदरत अली पता सा. राहतगढ भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	312	0.070	0.070	0.000	
132	गुलाब पिता छत्तरसींग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	313	0.850	0.850	0.000	
133	बद्रीप्रसाद विष्णुप्रसाद वल्द खिलानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	314	0.660	0.660	0.000	
134	नाथूराम वल्द कनई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	315/1	0.610	0.610	0.000	
135	छोटेलाल वल्द कनई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	315/2	0.210	0.210	0.000	
136	छोटेलाल वल्द कनई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	316	0.400	0.400	0.000	
137	जाहिद अली वल्द कुदरत अली पता सा. राहतगढ भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	317	0.150	0.150	0.000	
138	बद्रीप्रसाद विष्णुप्रसाद वल्द खिलानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	318/1	0.540	0.540	0.000	
139	श्रीमति चन्दाबाई पत्नि बद्रीप्रसाद श्रीमति सगीता पत्नि विष्णुप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	318/2	4.800	4.800	0.000	
140	सरोजबाई पत्नि महादेव प्रसाद पता सा.राहतगढ भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	318/3 + 318/6	3.200	3.200	0.000	
141	रामप्रसाद वल्द किशनलाल सोनी पता सा. राहतगड भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	318/4	0.800	0.800	0.000	
142	जाहिद अली वल्द कुदरत अली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	318/5	1.430	1.430	0.000	
143	सरोजबाई पत्नि महादेव प्रसाद पता सा.राहतगढ भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	319	0.200	0.200	0.000	
144	रामप्रसाद वल्द किशनलाल सोनी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	320	1.710	1.710	0.000	
145	हरीशंकर पिता पन्नालाल फूलसींग पिता पन्नालाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	321/1	0.190	0.190	0.000	
146	बाबूलाल पिता शेवलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	321/2	0.230	0.230	0.000	
147	हीरालाल वल्द शेवलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	321/3	0.230	0.230	0.000	
148	वीरसींग पिता ठाकुरप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	322	0.520	0.520	0.000	
149	ललितनारायण वल्द बृजमोहन पता सा.राहतगढ़ भूमि	भूमिस्वामी	323	0.450	0.450	0.000	
150	धनसींग वल्द दरयाव कन्हेंदी वल्द श्यामलाल दसोदाबाई राजाबाई कोमलबाई दुर्गाबाई पुत्रियां श्यामलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	324	1.220	1.220	0.000	
151	राजीव वल्द विश्णुप्रसाद पता सा.राहतगढ भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	325	0.840	0.840	0.000	
152	संजीवकुमार वल्दविष्णुप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	326	0.850	0.850	0.000	
153	अंकित पिता बृजमोहन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	327/1	0.024	0.024	0.000	
154	अमित पिता बलराम सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	327/2	0.024	0.024	0.000	
155	उर्मिला पुत्री शालकराम सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	327/3	0.072	0.072	0.000	
156	उषाबाई बेवा ब्रजमोहन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	327/4	0.024	0.024	0.000	
157	कौशलकिशोर पुत्र बलराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	327/5	0.024	0.024	0.000	
158	मदनगोपाल पिता शालकराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	327/6	0.072	0.072	0.000	
159	रजनी पुत्री बलराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	327/7	0.024	0.024	0.000	
160	ललितकुमार पुत्र बृजमोहन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	327/8	0.072	0.072	0.000	
161	वंदना पुत्री शालकराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	327/9	0.072	0.072	0.000	
162	किशनलाल वल्द हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	328	0.210	0.210	0.000	
163	ललितकुमार पुत्र बृजमोहन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	329/2/8	0.091	0.091	0.000	
164	वंदना पिता शालकराम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	329/2/9	0.274	0.274	0.000	
165	संजीवकुमार वल्दविष्णुप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	330	1.830	1.830	0.000	
166	रतनसींग वल्द नंदराम पता निवासी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	332	0.350	0.350	0.000	
		भूमिस्वामी	334	0.750	0.750	0.000	
167	रूपसींग पिता दौलत भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	335/1	0.370	0.370	0.000	
168	देवीसींग पिता दौलातसींग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	335/2	0.370	0.370	0.000	
169	दयाराम वल्द हरीनारायण पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	336	0.140	0.140	0.000	
170	सुषमा पति संतोष लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	354	0.160	0.160	0.000	
171	वंदना पति राहुल सोनी निवासी राहतगढ भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	355/1	0.370	0.370	0.000	
172	सुषमा पति संतोष लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	355/2	0.200	0.200	0.000	
173	हीरालाल वल्द मनमोहन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	355/3	0.200	0.200	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
174	भैरोंप्रसाद वल्द हल्के पता सा.देह भूमि स्वामी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	356/1	0.960	0.960	0.000	
175	रीतेश पिता रामप्रसाद पता सा.राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	356/2	0.400	0.400	0.000	
176	राहुल वल्द रामप्रसाद पता सा.राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	356/3	0.400	0.400	0.000	
177	सावित्रीबाई बेवा बलीराम हाकम संतोष ना.बा.पिता बलीराम बली मा.सावित्रीबाई बेवा बलीराम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	357/1	0.620	0.620	0.000	
178	संतोष वल्द बलीराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	357/2	0.120	0.120	0.000	
179	नरेश वल्दपूरन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	360	0.550	0.550	0.000	
180	रामप्यारी बाई पुत्रियांभागीरथ पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	361/1	1.030	1.030	0.000	
181	महादेवप्रसाद वल्द बैजनाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	361/2	0.400	0.400	0.000	
182	धरमा वल्द कलू पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	368	1.380	1.380	0.000	
183	हरमा वल्द गोरेलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	370	0.110	0.110	0.000	
184	धनसींग वल्द ग्याप्रसाद पता सा.राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	371	0.300	0.300	0.000	
185	हरनाम वल्द प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	372	0.300	0.300	0.000	
186	मथुरा पिता हल्का पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	372/468	0.320	0.320	0.000	
187	क्रान्तीबाई बेवा रामदीन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	374/1	0.110	0.110	0.000	
188	जगन्नाथ वल्द रामसेवक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	374/2	0.110	0.110	0.000	
189	क्रान्तीबाई बेवा रामदीन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	375/1	0.800	0.800	0.000	
190	जगन्नाथ वल्द रामसेवक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	375/2	0.400	0.400	0.000	
191	शिवराज पिता परषोत्तम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	375/3	0.200	0.200	0.000	
192	कमलेश वल्द परषोतम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	375/4	0.200	0.200	0.000	
193	क्रान्तीबाई बेवा रामदीन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	376/1	0.250	0.250	0.000	
194	जगन्नाथ वल्द रामसेवक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	376/2	0.250	0.250	0.000	
195	जसंतीबाई बेवा भैयालाल प्रथमसींग हनुमतसींग प्रभा ममता पि भैयालालनर्वदीबाई बेनीबाई हरीबाई पुत्रियां परम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	377/1	0.880	0.880	0.000	
196	सूरतसीग बलरामसीग पि.हल्का रामवतीबाई पुत्री हल्का ललताबाई बेवा हल्का पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	377/2	1.750	1.750	0.000	
197	कन्छेदी वल्द जैराम फूलाबाई सुमंत्राबाई धनाबाई पुत्रियां जैराम मोहन वल्द कडोरी शंकर वल्द जमना इमरतीबाई बेवा सुखई रामकिशन कमल रूपसींग पिता सुखई सुशीला कोसाबाई छोटीबाई पुत्रियां सुखई राजाराम वल्द दरयाव मूंगाबाई बल्लोबाई पुत्रियां दरयाव भैयालाल वल्द भुजबल मुन्ना अजीब पिता सिरदार श्यामबाई पुत्री सिरदार पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	378	0.210	0.210	0.000	
198	राजाबाई बेवा मोहन राकेश राजेन्द्र अशोक हरीराम सावित्री शकुन सविता पि मोहन पता निवासी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	379/1	0.580	0.580	0.000	
199	सीताराम वल्द शंकरसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	379/2	0.580	0.580	0.000	
200	वंदना पति राहुल सोनी निवासी राहतगढ भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	380/1	0.400	0.400	0.000	
201	राहुल वल्द रामप्रसाद पता सा.राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	380/2	0.230	0.230	0.000	
202	कन्छेदी वल्द जैराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	381	0.620	0.620	0.000	
203	गंगाबाई बेवा निर्भयसींग भगवानसींग राधेलाल जगन्नाथ रघुनाथ मोहरबाई लक्ष्मीबाई पिता निर्भयसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	382/1	0.700	0.700	0.000	
204	कमलेश वल्द परषोतम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	382/2	0.700	0.700	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
205	ठाकुरप्रसाद वल्द वसंता पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	383/1	1.920	1.920	0.000	
206	मनकोबाई पति महराजसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	383/2	0.800	0.800	0.000	
207	खसरे में नाम नही है।	भूमिस्वामी	384	0.060	0.060	0.000	
208	अशोकबाई पति लाखनसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	385/1	0.440	0.440	0.000	
209	जालम पिता परतीता पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	385/2	0.440	0.440	0.000	
210	रामप्यारी बाई पुत्रियांभागीरथ पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	386/1	1.260	1.260	0.000	
211	महादेवप्रसाद वल्द बैजनाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	386/2	0.050	0.050	0.000	
212	महादेवप्रसाद वल्द बैजनाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	386/4	0.800	0.800	0.000	
213	ग्याप्रसाद वल्द भोगीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	387/1	0.100	0.100	0.000	
214	जालम वल्द ग्याप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	387/2	0.530	0.530	0.000	
215	शांतिबाई पति सीताराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	388	0.450	0.450	0.000	
216	रामनारायन पि. भगवानसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	389	0.330	0.330	0.000	
217	हीरालाल वल्द मनमोहन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	390/1	0.030	0.030	0.000	
218	भगवानसींग वल्द निर्भयसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	390/2	0.240	0.240	0.000	
		भूमिस्वामी	391	0.200	0.200	0.000	
219	हीरालाल वल्द मनमोहन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	392/1	0.110	0.110	0.000	
220	कृष्णकांत नाबालिग पुत्र दशरथ संरक्षक दशरथ पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	392/2	0.040	0.040	0.000	
221	कन्छेदी वल्द जैराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	393/1	0.380	0.380	0.000	
222	राहत जोधी पिता वीरसिंह सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	393/2	0.550	0.550	0.000	
223	भगवानसींग वल्द निर्भयसींग पता निवासी ग्राम भूमि	भूमिस्वामी	394/1	1.680	1.680	0.000	
224	राजेश उर्फ राजेन्द्र सींग पिता मोहन सींग पता सा.राहतगढ भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	394/2	0.800	0.800	0.000	
225	हरीशंकर पिता पन्नालाल फूलसींग पिता पन्नालाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	395/1	0.380	0.380	0.000	
226	राधाबाई पत्नि रघुवीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	395/2	0.300	0.300	0.000	
227	दलसींग वल्द ग्याप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	396	0.600	0.600	0.000	
228	रामनारायन पि. भगवानसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	397	0.380	0.380	0.000	
		भूमिस्वामी	398	0.210	0.210	0.000	
229	विजय वल्द दलसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	399/1	0.220	0.220	0.000	
		भूमिस्वामी	399/2	0.100	0.100	0.000	
230	मथुराबाई बेवा ग्याप्रसाद भारतीबाई बेवा ग्याप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	400	0.420	0.420	0.000	
231	रामनारायन पि. भगवानसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	401	0.300	0.300	0.000	
232	बिलासींग वल्द उदयभान पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	402	0.450	0.450	0.000	
233	गोविंद पिता पूरन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	403/1	0.140	0.140	0.000	
234	भगतराम वल्द नंदराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	403/2	0.080	0.080	0.000	
		भूमिस्वामी	404	0.050	0.050	0.000	
235	नाथूराम छोटेलाल पिताकनई प्रेमबाई बेवा कनई पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	405	0.090	0.090	0.000	
		भूमिस्वामी	406/1	0.140	0.140	0.000	
236	मुन्ना वल्द हरीशंकर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	406/2	0.020	0.020	0.000	
237	विनोद वल्दमदन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	406/3	0.240	0.240	0.000	
238	माधौसिंह पिता अमरसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	406/4	0.100	0.100	0.000	
		भूमिस्वामी	407	0.170	0.170	0.000	
239	गनेश पिता गोरेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	409	0.060	0.060	0.000	
		भूमिस्वामी	410	0.060	0.060	0.000	
240	महमूद अली वल्द मुहम्मदअली पता सा.ककरुवा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	411	0.160	0.160	0.000	
241	प्रथमसींग वल्द पूरनसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	412	0.290	0.290	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
242	लछमण वल्द गोरेलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	413	0.230	0.230	0.000	
243	रीतेश पिता रामप्रसाद पता सा.राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	415	0.320	0.320	0.000	
244	ब्रजलाल पिता गोरेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	416	0.740	0.740	0.000	
245	अजबसींग वल्द अनतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	417/1	0.530	0.530	0.000	
246	बहादुरसींग वल्द पूरनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	417/2/1	0.200	0.200	0.000	
247	प्रथमसींग वल्द पूरनसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	417/2/2	0.200	0.200	0.000	
248	लक्ष्मन सींग पुत्र अमर सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	418/1	0.470	0.470	0.000	
249	माधौसिंह पिता अमरसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	418/2	0.490	0.490	0.000	
250	नाथूराम वल्द कनई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	419/1	0.520	0.520	0.000	
251	छोटेलाल वल्द कनई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	419/2	0.510	0.510	0.000	
252	नाथूराम वल्द कनई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	420/1	0.150	0.150	0.000	
253	छोटेलाल वल्द कनई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	420/2	0.150	0.150	0.000	
254	छोटेलाल वल्द कनई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	421/1	0.400	0.400	0.000	
255	बहादुरसींग वल्द पूरनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	421/2	0.400	0.400	0.000	
256	शिवकुमारी पति बहादुरसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	422	0.440	0.440	0.000	
257	आसिफ अली वल्द मुबारिक अली पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	423	0.610	0.610	0.000	
258	गंगाबाई बेवा निर्भयसींग मंगवानसींग राधेलाल जगन्नाथ रघुनाथ मोहरबाई लक्ष्मीबाई पिता निर्भयसींग परशोत्तम पितासक ठाकुरप्रसाद वल्द वसंता बैजनाथ रधीर पिता कुंजीलाल कुन्दन मुन्ना पिता बिहारी रतीबाई श्रीबाई विनोदबाई पुत्रियां बिहारी दिलीप अनंत तीरथ पिता प्रतापचन्दसींग सूरतसींग भवरसींग पिता सुन्दरलाल काशीबाई मोहरबाई पुत्रियां सुन्दरलाल ग्याप्रसाद वल्द मोतीराम प्रेमबाई बेवा छत्तरसींग गोवरधन गुलाब पिताछत्तरसींग रामश्री कलीबाई पार्वती पुत्रियां छत्तरसींग पूरनसींग वल्द खुमानसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	424	0.210	0.210	0.000	
259	प्रथमसींग वल्द पूरनसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	425/1/1	0.390	0.390	0.000	
260	बहादुरसींग वल्द पूरनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	425/1/2	0.290	0.290	0.000	
		भूमिस्वामी	425/2	0.040	0.040	0.000	
261	दलसींग वल्द ग्याप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	426	0.350	0.350	0.000	
262	जगदीश वल्द दलसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	427	0.260	0.260	0.000	
263	गोविंद पिता पूरन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	428	0.300	0.300	0.000	
264	राजकुमार पिता नंदराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	429/1	0.090	0.090	0.000	
265	लक्ष्मीप्रसाद पिता नंदराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	429/2	0.090	0.090	0.000	
266	प्रथमसींग वल्द पूरनसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	430	0.240	0.240	0.000	
267	जगदीश वल्द दलसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	431	0.070	0.070	0.000	
268	लक्ष्मण वल्द गोरेलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	432	0.130	0.130	0.000	
269	बलवंत पिता मुन्ना सुषमा बा वर्षा बा संध्या नाबा पिता मुन्ना वली व खुद माँ राजबाई बेवा मुन्ना भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	433	0.170	0.170	0.000	
270	हल्कू वल्द सुखई पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	434	0.170	0.170	0.000	
271	लक्ष्मण वल्द गोरेलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	435	0.160	0.160	0.000	
272	हीरालाल वल्द मनमोहन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	436/1	0.340	0.340	0.000	
273	गनेश पिता गोरेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	436/2	0.400	0.400	0.000	
274	रमेश पिता शिवलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	437	0.190	0.190	0.000	
275	मुबारक अली पिता युसुफअली पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	438	0.330	0.330	0.000	
276	बहादुरसींग वल्द पूरनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	439/1	0.300	0.300	0.000	
277	प्रथमसींग वल्द पूरनसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	439/2	0.090	0.090	0.000	
278	मुबारक अली पिता युसुफअली पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	440	2.030	2.030	0.000	
279	हल्कू वल्द सुखई पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	441	0.490	0.490	0.000	
280	जैदअली वल्द जाहिद अली पता सा.ककरूवा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	442	0.330	0.330	0.000	
281	ओमबाई पति वीरन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	443/1	0.240	0.240	0.000	
282	बृजेश पिता मूलचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	443/2	0.240	0.240	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
283	जैदअली वल्द जाहिद अली पता सा.ककरूवा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	444/1	0.060	0.060	0.000	
284	गीता बाई पति हरज्ञान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	444/2	0.920	0.920	0.000	
285	शिवनारायण ना.वा.वल्द वलीहरज्ञान पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	445	0.300	0.300	0.000	
		भूमिस्वामी	446	0.350	0.350	0.000	
286	कमलेश वल्द हरज्ञान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	447	0.190	0.190	0.000	
287	लक्ष्मन सींग पुत्र अमर सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	448/1	0.100	0.100	0.000	
288	शिवनारायण ना.वा.वल्द वलीहरज्ञान पता सा.देह भूमि	भूमिस्वामी	448/2	0.100	0.100	0.000	
289	जमना पिता पूरन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	449/1	0.120	0.120	0.000	
290	लक्ष्मीप्रसाद पिता नंदराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	449/2	0.120	0.120	0.000	
291	कमलेश वल्द हरज्ञान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	450	0.440	0.440	0.000	
292	रामदयाल वल्दहरज्ञान पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	451	0.210	0.210	0.000	
		भूमिस्वामी	452	0.150	0.150	0.000	
293	शिवनारायण ना.वा.वल्द वलीहरज्ञान पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	453/1	0.070	0.070	0.000	
294	प्रथमसींग वल्द पूरनसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	453/2/1	0.040	0.040	0.000	
295	बहादुरसींग वल्द पूरनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	453/2/2	0.030	0.030	0.000	
296	निरपत वल्द कनई पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	454	0.260	0.260	0.000	
297	नेतराम पिता शेवप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	455	0.280	0.280	0.000	
298	लक्ष्मण वल्द शिवप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	456	0.150	0.150	0.000	
299	रूपसींग पिता दौलत भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	457/1	0.070	0.070	0.000	
300	देवी सींग पिता दौलत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	457/2	0.070	0.070	0.000	
301	धनसींग वल्द दस्याव कन्छेदी वल्द श्यामलाल चैनसींग वल्द अमरसींग दसोदाबाई राजाबाई कोमलबाई दुर्गाबाई पुत्रियां श्यामलाल रामसेवक रामदीन पिता अमान पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	458	0.140	0.140	0.000	
302	द्रोपतीबाई पुत्री अमरसिह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	459	0.160	0.160	0.000	
303	पप्पू वल्द मूलचंद व्रजेश वल्द मूलचंद आनंद पिता मूलचंद सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	460/1	0.400	0.400	0.000	
304	शिवनारायण ना.वा.वल्द वलीहरज्ञान पता सा.देह भूमि	भूमिस्वामी	460/2	0.200	0.200	0.000	
305	सीताराम पिता प्यारेलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	461	0.230	0.230	0.000	
306	हरनाम वल्द प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	462	0.270	0.270	0.000	
307	सीताराम पिता प्यारेलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	463	0.020	0.020	0.000	
308	हीरालाल पिता महमोहनकुसमबाई पुत्री महमोहन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	464	0.380	0.380	0.000	
309	ललितनारायण वल्द वृजमोहन पता सा.राहतगढ़ भूमि	भूमिस्वामी	329/1	1.370	1.370	0.000	
310	अंकित पिता वृजमोहन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	329/2/1	0.091	0.091	0.000	
311	अमित कुमार पिता बलराम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	329/2/2	0.091	0.091	0.000	
312	उर्मिलाबाई पुत्री शालकराम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	329/2/3	0.274	0.274	0.000	
313	उर्षाबाई वेवा व्रजमोहन पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	329/2/4	0.091	0.091	0.000	
314	कौशलकिशोर पुत्र बलराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	329/2/5	0.092	0.092	0.000	
315	मदनगोपाल पिता शालकराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	329/2/6	0.274	0.274	0.000	
316	रजनी पुत्री बलराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	329/2/7	0.091	0.091	0.000	
		योग-	338	187.158	174.122	13.036	

राज्य सरकार की अधिकसूचना कमांक– एफ 16 –15– (7)2014– सात– शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ कमांक –2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकां, कर्मकारो या उसके निर्देशो के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को कियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू – अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक बेतवा पी.आई.यू.क.–2 राहतगढ़ सागर प्रभारी अधिकारी, भू–अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें।

राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक– एफ 16–15–(7)2014– सात–शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ कमांक–2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भु–अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई.यू. क– 2 राहतगढ सागर समुचित सहयोग करेगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेगें।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई सव्यवहार नही करेगा । या कोई भी सव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी हकदार व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.पी. आई.यू. 2 राहतगढ़ सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.–332–भू–अर्जन–2020 उमरिया, दिनांक 29 जनवरी 2021

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सून 2013) की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त (11 एवं 12) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा–11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल		
उमरिया	चंदिया	छतैनी	0.482 हे.	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग उमरिया	मगर जलाशय सिंचाई योजना
		बुढ़िया	0.149 हे.		
		मझौलीखुर्द	0.329 हे.		
		हर्राडाड़	0.100 हे.		

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :– मगर जलाशय सिंचाई योजना के नहर निर्माण हेतु छूटी हुई आराजियों का पूरक भू–अर्जन।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 15th January 2021

No.C-172-I-7-3-2020 (Part-I).—The following list of Holidays and Vacations for the Subordinate Civil Courts during the Year 2021 prepared by the High Court and approved by the State Government as required by Section 21 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958, is hereby published for general information:—

Sr. No.	Name of Holidays	Dates as per Gregorian Calendar	Days of Week
(1)	(2)	(3)	(4)
1	New Year's Holiday	01-01-2021	Friday
2	Republic Day	26-01-2021	Tuesday
3	Mahashivratri	11-03-2021	Thursday
4	Holi (Dhuredi)	29-03-2021	Monday
5	Bhai Dooj	30-03-2021	Tuesday
6	Good Friday	02-04-2021	Friday
7	Gudi Padwa/Chaiti Chand	12-04-2021 13-4-2021	Monday Tuesday
8	Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi	14-04-2021	Wednesday
9	Ramnavmi	21-04-2021	Wednesday
10	Id-Ul-Fitar	14-05-2021	Friday
11	Buddh Purnima	26-05-2021	Wednesday
12	Id-Ul-Zuha	21-07-2021	Wednesday
13	Moharrum	19-08-2021 20-08-2021	Thursday Friday
14	Janmashtmi	30-08-2021	Monday
15	Ganesh Chaturthi	10-09-2021	Friday

(1)	(2)	(3)	(4)
16	Gandhi Jayanti	02-10-2021	Saturday
17	Sarv Pitra Moksha Amavasya	06-10-2021	Wednesday
18	Dussehra Mahaastmi	13-10-2021	Wednesday
	(15-10-2021) Mahanavmi	14-10-2021	Thursday
		15-10-2021	Friday
		18-10-2021	Monday
19	Id-milad un-Nabi	19-10-2021	Tuesday
20	Deepawali	02-11-2021	Tuesday
	(04-11-2021)	03-11-2021	Wednesday
		04-11-2021	Thursday
		05-11-2021	Friday
		06-11-2021	Saturday
21	Gurunanak Jayanti	19-11-2021	Friday
22	Christmas Day	25-12-2021	Saturday

NOTES:—

1. Mahaveer Jayanti dated 25-04-2021, Independence Day dated 15-08-2021, Raksha Bandhan dated 22-08-2021, falls on Sunday therefore these holidays are not declared separately.

2. Saturdays, falling on 16th January, 20th February, 20th March, 17th April, 15th May, 19th June, 17th July, 21th August, 18th September, 16th October, 20th November, 18th December will be closed Saturdays for Subordinate Court.

3. Summer Vacation of Subordinate Court shall be from 17th May, 2021 to 11th June, 2021 and Winter Vacation From 23rd December 2021 to 31st December, 2021.

4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/ Competent Authority without approval of High Court.

5. The District Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector/ Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.

6. The holidays in respect of Id-ul-Fitar, Id-ul-Zuha, Moharrum and Id-milad un-Nabi are subject to change depending upon the visibility of moon.

RAJENDRA KUMAR VANI, Registrar General.

CALENDAR OF SUBORDINATE COURT OF THE STATE OF MADHYA PRADESH FOR THE YEAR 2021

Days	JANUARY					FEBRUARY					MARCH					APRIL				
SUN.	(31)	(3)	(10)	(17)	(24)		(7)	(14)	(21)	(28)		(7)	(14)	(21)	(28)		(4)	(11)	(18)	(25)
MON.		4	11	18	25	1	8	15	22		1	8	15	22	(29)		5	(12)	19	26
TUE.		5	12	19	(26)	2	9	16	23		2	9	16	23	(30)		6	(13)	20	27
WED.		6	13	20	27	3	10	17	24		3	10	17	24	31		7	(14)	(21)	28
THU.		7	14	21	28	4	11	18	25		4	(11)	18	25		1	8	15	22	29
FRI.	(1)	8	15	22	29	5	12	19	26		5	12	19	26		(2)	9	16	23	30
SAT.	2	9	△16	23	30	6	13	△20	27		6	13	△20	27		3	10	△17	24	

Days	MAY					JUNE					JULY					AUGUST				
SUN.	(30)	(2)	(9)	(16)	(23)		(6)	(13)	(20)	(27)		(4)	(11)	(18)	(25)	(1)	(8)	(15)	(22)	(29)
MON.	31	3	10	17	24		7	14	21	28		5	12	19	26	2	9	16	23	(30)
TUE.		4	11	18	25	1	8	15	22	29		6	13	20	27	3	10	17	24	31
WED.		5	12	19	(26)	2	9	16	23	30		7	14	(21)	28	4	11	18	25	
THU.		6	13	20	27	3	10	17	24		1	8	15	22	29	5	12	(19)	26	
FRI.		7	(14)	21	28	4	11	18	25		2	9	16	23	30	6	13	(20)	27	
SAT.	1	8	△15	22	29	5	12	△19	26		3	10	△17	24	31	7	14	△21	28	

Days	SEPTEMBER					OCTOBER					NOVEMBER					DECEMBER				
SUN.		(5)	(12)	(19)	(26)	(31)	(3)	(10)	(17)	(24)		(7)	(14)	(21)	(28)		(5)	(12)	(19)	(26)
MON.		6	13	20	27		4	11	(18)	25	1	8	15	22	29		6	13	20	27
TUE.		7	14	21	28		5	12	(19)	26	(2)	9	16	23	30		7	14	21	28
WED.	1	8	15	22	29		(6)	(13)	20	27	(3)	10	17	24		1	8	15	22	29
THU.	2	9	16	23	30		7	(14)	21	28	(4)	11	(18)	25		2	9	16	23	30
FRI.	3	(10)	△17	24		1	8	15	22	29	(5)	12	(19)	26		3	10	△17	24	31
SAT.	4	11	△18	25		(2)	9	△16	23	30	(6)	13	△20	27		4	11	△18	(25)	

○ Sundays & Holidays

△ Closed Saturday for Registry

Vacation

HIGH COURT OF M. P. BENCH AT INDORE

Notice of Election Petition of Respondent

Election Petition No. 26/2019

No. . . . /

Indore, the 27th January 2021

Process I. D. No. 8394/2021

NOTICE OF I. A. NO. 3064/2020 SEEKING WITHDRAWAL OF THE ELECTION PETITION IN EP NO. 26/2019

Dr. Rajesh Sonkar S/o Late Shri Nanakchand Sonkar
Age : 50 years,
R/o 21/6, Murai Mohalla, Chawani Indore
Dist-Indore M. P. . . . . **PETITIONER**

Vs.

1. Shri Tulsiram Silawat
   S/o Shri Thakurdin Silawat
   Aged about 63 years
   R/o 80, Agrawal Nagar,
   Teh. & Dist-Indore M. P.

2. Shri Kamal Chouhan
   S/o Shri Bapu Chouhan
   Aged about 43 years
   R/o 30, Village-Solsinda,
   Teh-Sanwer, Dist-Indore M. P.

3. Shri Anil Chouhan
   S/o Shri Balu Chouhan
   Aged about 26 years
   R/o 238, Village-Brahman-Pipalya,
   P.O. Todi Teh-Sanwer,
   Dist-Indore, M. P.

4. Shri Bramhanand Malviya
   S/o Shri Mangilal Malviya
   Aged about 65 years
   R/o 29, Asrawad Bujurg, Hanuman Mohalla
   P.O. Dudhiya, Dist-Indore, M. P.

5. Shri Rahul Khare,
   S/o Shri Kishor Khare
   Aged about 34 years
   R/o 166, Village-Pachola,
   P.O. Chittoda, Teh-Sanwer
   Dist-Indore, M. P.

6. Shri Subhash Chouhan
S/o Shri Ramesh Chandra Chouhan
Aged about 37 years
R/o 166, Village-Alwasa, P. O. Alwasa,
Teh-Hatod, Dist-Indore, M. P.

7. Narendra Bourasi
S/o Shri Nankulal
Aged about 62 years
R/o 103/1, Mukherji Nagar,
Indore, Dist-Indore, M. P.

8. Rahul Silawat S/o Late Shri Brijkishor Silawat
Age : 30 years
R/o : 200, Samar Park, Nipaniya, Indore
Dist-Indore M. P.

9. State Election Commissioner
M. P. State Election Commission
Nirvachan Bhawan, 58, Arera Hills
Bhopal M. P.

10. District Election Officer
Indore, Dist-Indore M. P.

11. SDM/SDO/Returning Officer
211, Sanwer Constituency,
District-Indore M. P. .....**RESPONDENTS**

NOTICE OF THE HEARING OF I. A. NO. 3064/2020 IN ELECTION PETITION NO. 26/2019

Whereas the Petitioner above named has presented on 08/10/2020 in this court an I.A. No. 3064/2020 under section 109 of the Representation of People Act, 1951, praying for the relief to withdrawal of the Election Petition No. 26/2019 (Dr. Rajesh Sonkar Vs. Shri Tulsiram Silawat and others)

And whereas upon hearing on 05/01/2021, Hon'ble Court has been pleased to issue notice as per Section 109(2) of the Representation of People Act, 1951 of I. A. No. 3064/2020, which is an application for withdrawal of Election Petition No. 26/2019, to all the respondents.

Therefore, all concerned to take notice that hearing of I. A. No. 3064/2020 filed in Election Petition No. 26/2019 will be held before this Court on dt. 23/02/2021 at 10:30 A. M. or soon thereafter. This notice is issued as per order of this Hon'ble Court dated 05/01/2021 and in compliance with section 109(2) of The Represenation of People Act, 1951.

GIVEN UNDER MY HAND AND THE SEAL OF THE HIGH COURT OF M. P. BENCH AT INDORE, ON 27/01/2021.

DILIP KUMAR VERMA, Administrative Officer (J).

HIGH COURT OF Madhya Pradesh BENCH AT INDORE

Notice of Election Petition to Respondent

Election Petition No. 25/2019

No. . . . / Indore, the 27th January 2021

Process I. D. No. 8379/2021

NOTICE OF I. A. NO. 3074/2020 SEEKING WITHDRAWAL OF THE ELECTION PETITION IN EP NO. 25/2019

Rahul Silawat S/o Late Shri Brijkishore Silawat
Age : 30,
R/o 200, Samar Partk, Nipaniya, Indore
Dist-Indore M. P. . . . . **PETITIONER**

Vs.

1. Shri Tulsiram Silawat
S/o Shri Thakurdin silawat
Aged about 63 years
R/o 80, Agrawal Nagar,
Teh. & Dist-Indore M. P.

2. Shri Dr. Rajesh Sonkar
S/o Late Shri Nanakchand Sonkar
Aged about 50 years,
R/o 21/6, Murai Mohalla,
Chawani, Indore, Dist-Indore M. P.

3. Shri Kamal Chouhan
S/o Shri Bapu Chouhan
Aged about 43 years
R/o 30, Village-Solsinda,
Teh-Sanwer, Dist-Indore M. P.

4. Shri Anil Chouhan
S/o Shri Balu Chouhan
Aged about 26 years
R/o 238, Village-Brahman-Pipalya,
P.O. Todi Teh-Sanwer,
Dist-Indore, M. P.

5. Shri Bramhanand Malviya
S/o Shri Mangilal Malviya
Aged about 65 years
R/o 29, Asrawad Bujurg, Hanuman Mohalla
P.O. Dudhiya, Dist-Indore, M. P.

6. Shri Rahul Khare,
S/o Shri Kishor Khare
Aged about 34 years
R/o 166, Village-Pachola,
P.O. Chittoda, Teh-Sanwer
Dist-Indore, M. P.

7. Shri Subhash Chouhan
S/o Shri Ramesh Chandra Chouhan
Aged about 37 years
R/o 166, Village-Alwasa, P. O. Alwasa,
Teh-Hatod, Dist-Indore, M. P.

8. Narendra Bourasi
S/o Shri Nankulal
Aged about 62 years
R/o 103/1, Mukherji Nagar,
Indore, Dist-Indore, M. P.

9. State Election Commissioner
M. P. State Election Commission
Nirvachan Bhawan, 58, Arera Hills
Bhopal M. P.

10. District Election Officer
Indore, Dist-Indore M. P.

11. Shri Bihari Singh
SDM/SDO/Returning Officer
211, Sanwer Constituency, Indore M. P.

12. SDM/SDO/Returning Officer
211 Sanwer Constituency,
Indore M. P. ..... **RESPONDENTS**

NOTICE OF THE HEARING OF I. A. NO. 3074/2020 IN ELECTION PETITION NO. 25/2019

Whereas the Petitioner above named has presented on 09/10/2020 in this court an I.A. No. 3074/2020 under section 109 of the Representation of People Act, 1951, praying for the relief to withdrawal of the Election Petition No. 25/2019 (Shri Rahul Silawat Vs. Shri Tulsiram Silawat and others)

And whereas upon hearing on 05/01/2021, Hon'ble Court has been pleased to issue notice as per Section 109(2) of the Representation of People Act, 1951 of I. A. No. 3074/2020, which is an application for withdrawal of Election Petition No. 25/2019, to all the respondents.

Therefore, all concerned to take notice that hearing of I. A. No. 3074/2020 filed in Election Petition No. 25/2019 will be held before this Court on dt. 23/02/2021 at 10:30 A. M. or soon thereafter. This notice is issued as per order of this Hon'ble Court dated 05/01/2021 and in compliance with section 109(2) of The Represenation of People Act, 1951.

GIVEN UNDER MY HAND AND THE SEAL OF THE HIGH COURT OF M. P. BENCH AT INDORE, ON 27/01/2021.

DILIP KUMAR VERMA, Administrative Officer (J).

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

"कचनार", ई–5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

क्रमांक–700–अमृत–वि.यो.–26–सतना–नग्रानि–2021.– भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2021

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सतना निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट– http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Satna/satna2035.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं –

1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा
2. कलेक्टर, जिला सतना
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, सतना
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सतना, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप सतना विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सतना या ई–मेल आईडी obj-sugg-satna@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त–सह–संचालक.

No. 700–Amrut–D.P.–26–satna–TCP–2021.– Bhopal, the 2nd February 2021

NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Satna Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website – http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Satna/satna2035.pdf and at following offices during office hours namely -

1- Commissioner, Rewa Division, Rewa
2- Collector, District- Satna
3- Commissioner, Nagar Palik Nigam, Satna
4- Deputy Director, Town and Country Planning, District office, Satna

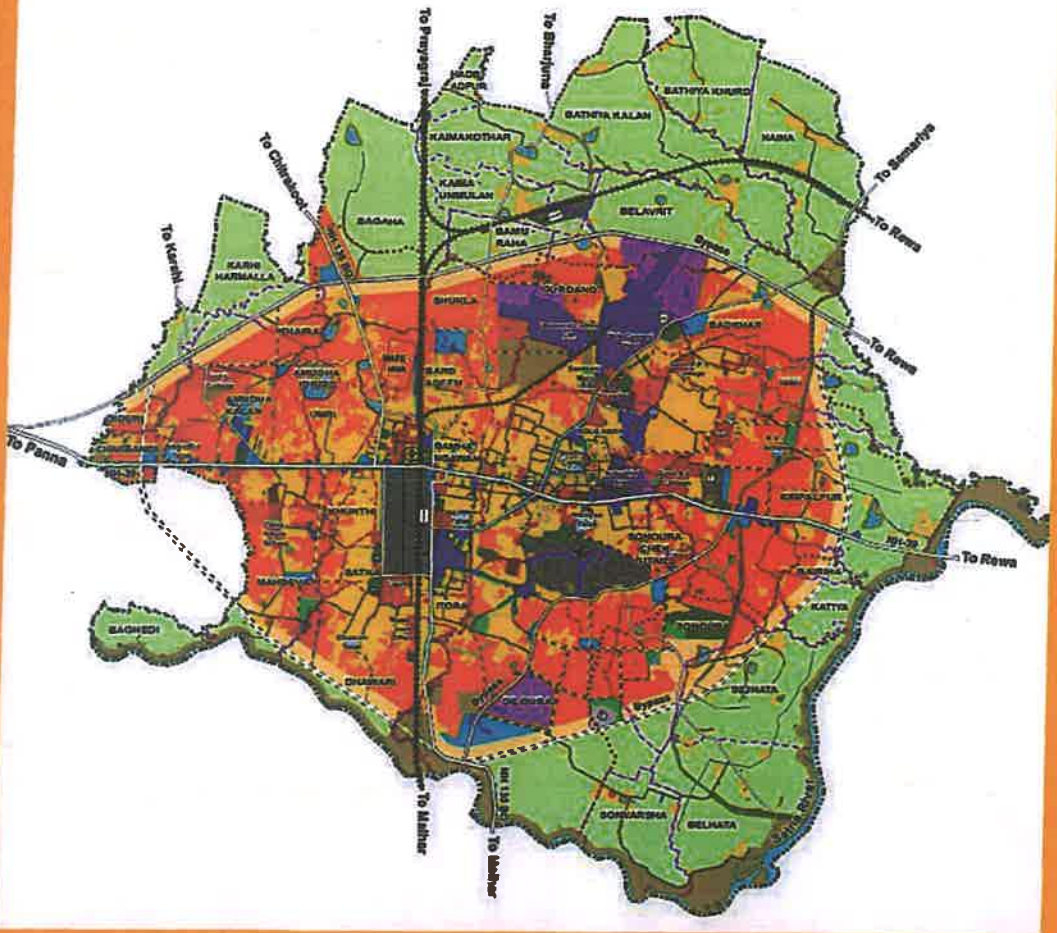
If there be any objection or suggestion with respect to the said – Satna Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Satna or mail on Email-id- obj-sugg-satna@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

AJEET KUMAR, Commissioner-cum-Director.

सतना

विकास योजना 2035 (प्रारुप)

Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश

प्रस्तावना

सतना नगर विन्ध्य क्षेत्र का प्रवेश द्वार होने से व्यवसायिक, औद्योगिक विकास के साथ ही क्षेत्रीय परिवेश में कृषि उत्पाद विक्रय, ऐतिहासिक तथा पर्यटक स्थलों के सुगम यातायात का प्रमुख केन्द्र है। परिक्षेत्रीय स्तर पर खनिज संसाधनों की उपलब्धता जैसे लाईमस्टोन, बाक्साइड, रामरज, गेरू आदि तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39, 135–बीजी एवं रेल लाईन से देश के प्रमुख नगरों से जुड़ा होने के कारण इसका एक विशिष्ट स्थान है। प्रमुख औद्योगिक संस्थान सतना सीमेंट वर्क्स, यूनिवर्सल केबिल्स फैक्ट्री, बिरला सीमेंट फैक्ट्री, कमल स्पंज प्लान्ट, प्रिज्म सीमेंट आदि के संचालन से यहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं।

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत नगर की प्रथम विकास योजना 2001 तैयार की गयी थी जिसका पुनर्विलोकन किया जाकर सतना विकास योजना 2021 म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–3–32–2009–बत्तीस दिनांक 30.03.2010 के द्वारा अनुमोदित होकर उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 16.04.2010 से प्रभावशील की गई। वर्तमान में नगर की विकास योजना का पुनर्विलोकन कर सतना विकास योजना 2035 (प्रारूप) का प्रकाशन किया जा रहा है।

प्रारूप प्रकाशन हेतु योजना काल वर्ष 2035 रखा गया है। योजना काल की जनसंख्या का आंकलन कर नगर विकास की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मिश्रित भूमि उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं। मिश्रित भूमि उपयोग के अंतर्गत आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक उपयोगों को एक साथ रखा गया है, जो वर्तमान में नगरीय विकास की आवश्यकता भी है।

इस योजना को तैयार करने में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया गया है। इस विकास योजना में पारम्परिक भूमि उपयोग निर्धारित ना करते हुए नगर की आवश्यकता के अनुरूप मिश्रित उपयोग प्रस्तावित किये गए हैं। यह योजना सर्वसाधारण एवं संस्थाओं से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है। मुझे आशा है कि नागरिकगण अपने व्यवहारिक, सृजनशील एवं रचनात्मक सुझावों को प्रस्तुत करेंगे ताकि हम उनके सक्रिय योगदान से इस योजना को अंतिम रूप देकर और अधिक प्रभावशील करने में सफल हो सकें।

(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश
मध्य प्रदेश शासन

सतना विकास योजना 2035

सतना विकास योजना 2035 (प्रारूप) : योजना दल

संयुक्त संचालक

नीरज आनंद लिखार डॉ. अमित कुमार गजभिये राजेश नागल

सहायक संचालक

इन्दु त्रिपाठी नागेश पन्द्रो

कर्मचारीगण

अजय पाटकर
प्रकाश कुमार विश्वकर्मा
मीना वर्मा
अंशुल गुप्ता
उदित पाण्डेय
जयंत शील
अनिल सक्सेना
अरविंद सक्सेना
सर्वेश पिडिहा
सरिता ठाकुर
मानसी गुज्जेवार

म.प्र. विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी परिषद् (भूमि उपयोग एवं शहरी सर्वेक्षण प्रभाग) का दल

डॉ. विवेक कटारे
प्रमुख
भूमि उपयोग एवं शहरी सर्वेक्षण प्रभाग,
आरएसएसी, एमपीसीएसटी, भोपाल

डॉ. देवानु भट्नागर
परियोजना समन्वयक अमृत
भूमि उपयोग एवं शहरी सर्वेक्षण प्रभाग,
आरएसएसी, एमपीसीएसटी, भोपाल

अजेन्द्र मिश्रा
शोध सहयोगी

डॉ. जगदीश चन्द्र पलसावदिया
शोध सहयोगी

विषय सूची

प्रस्तावना i

योजना दल iii

विषय सूची v

सारणी सूची xiii

मानचित्र सूची xvii

अध्याय– 1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ 1

1.1 नगर परिचय 1

1.1.1 ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि एवं भौतिक विकास 1

1.1.2 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ 2

1.2 अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति 3

1.2.1 भौतिक स्वरूप 3

1.2.2 प्राकृतिक जल निकास 3

1.2.3 जलवायु 4

1.2.4 वायु दिशा 4

1.2.5 भू–आकृति 4

1.2.6 भू–गर्भीय संरचना एवं खनिज संपदा 4

1.3 नियोजन हेतु प्रयास 4

1.4 नियोजन प्रस्ताव 5

1.5 निवेश क्षेत्र 6

1.6 नगर पालिक निगम क्षेत्र 8

अध्याय– 2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण 9

2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सूदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग .. 9

2.1.1 अमृत योजना 10

2.1.2 सुदूर संवेदन 10

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली 12

2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली 13

2.2.1 उद्देश्य 14

2.2.2 कार्यप्रणाली 14

2.3 अमृत मानकों की व्याख्या 16

2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping) 16

2.3.1.1 यातायात संरचना 16

2.3.1.2 भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन 16

2.3.1.3 ग्राम/वॉर्ड सीमा 18

2.3.1.4 ढलान 19

2.3.1.5 मृदा 20

2.3.1.6 डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM) 20

2.3.1.7 कंटूर (Contour) 20

2.3.1.8 लिथोलॉजी 21

2.3.1.9 भू–जल संभावनाएं 21

2.3.1.10 जलाशय 21

2.3.1.11 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र 22

2.3.1.12 शासकीय भूमि 22

2.3.1.13 भूमि मूल्य 22

2.3.1.14 भू–आकृति विज्ञान (जियोमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड 26

2.3.1.15 जल स्त्रोत बफर 26

2.3.1.16 भूमि अवक्रमण (Land Degradation) 27

2.3.1.17 मार्ग संरचना बफर 27

2.3.1.18 रेलवे स्टेशन 28

2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता 28

2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प 29

2.5 भूमि उपयोग का आवंटन 35

अध्याय– 3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण 37

3.1 कियान्वयन परिदृश्य 37

3.2 विकास योजना के कियान्वयन का मूल्यांकन 37

3.2.1 आवासीय 40

3.2.2 वाणिज्यिक 40

3.2.3 औद्योगिक 42

3.2.4 मिश्रित 43

3.2.5 सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक/सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें....43
3.2.6 आमोद–प्रमोद....43
3.2.7 यातायात एवं परिवहन....44
3.2.8 नगरीय परिभ्रमण संरचना....46
3.3 योजना कालावधि....46
3.4 अधिनियम की धारा 23–क (1) अंतर्गत उपांतरण....47
3.5 असंगत भूमि उपयोग....47
3.6 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण....49
3.6.1 जनसंख्या विश्लेषण....49
3.6.2 जनसंख्या लिंगानुपात....54
3.6.3 शिशु जनसंख्या....54
3.6.4 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या....55
3.6.5 साक्षरता....56
3.6.6 कार्यशील जनसंख्या....56
3.6.7 जनसंख्या घनत्व....57
3.6.8 व्यवसायिक संरचना....59
3.6.9 जनसंख्या परिवर्तन....60
3.7 नगर के मुख्य कार्यकलाप....61
3.8 नगरीय विस्तार....62
3.9 अनुमानित जनसंख्या....63
3.9.1 नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या....63
3.9.2 ग्रामीण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या....63
3.9.3 निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या....64
3.10 गंदी बस्तियॉं....65
3.11 आवासीय इकाईयों की भावी आवश्यकता....67
3.11.1 आवासों का प्रकार....69
3.12 अनुमानित व्यवसायिक संरचना....69
3.13 भैतिक अधोसंरचना....69
3.13.1 जल प्रदाय....69
3.13.2 जल–मल निकास एवं स्वच्छता....70
3.13.3 वर्षा जल निकासी....71

3.13.4 विद्युत प्रदाय 71
3.13.5 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 71
3.14 सामाजिक अधोसंरचना 72
3.14.1 शासकीय कार्यालय 72
3.14.2 स्वास्थ्य सुविधाएँ 72
3.14.3 शैक्षणिक संस्थाएँ 73
3.14.4 शमशान घाट एवं कब्रिस्तान 73
3.14.5 अग्निशमन सेवा केन्द्र 73
3.14.6 क्रीडांगन/खेल परिसर 74
3.14.7 डेयरी फार्म/कुक्कुट पालन 74
3.14.8 स्लॉटर हाउस 74
3.14.9 पिकनिक स्थल 74
3.14.10 मेला स्थल 74
3.14.11 प्रदर्शनी स्थल 75
3.14.12 तरण ताल 75
3.14.13 भू–जल संवर्धन 75
3.14.14 ए.टी.एम. 75
3.14.15 अन्य सेवाएं–सुविधाएं 76
अध्याय– 4 प्रस्तावित परिभ्रमण योजना 77
4.1 यातायात संरचना 77
4.2 यातायात की वर्तमान स्थिति 77
4.3 अंर्तनगरीय यातायात 78
4.3.1 रेल मार्ग 78
4.3.2 सड़क मार्ग 78
4.3.3 सीधा यातायात 78
4.4 नगरीय यातायात 78
4.5 मार्गो का श्रेणी क्रम एवं मार्गो की प्रस्तावित चौडाई 79
4.5.1 क्षेत्रीय मार्ग 79
4.5.2 नगरीय मार्ग 79
4.5.3 मार्गो की प्रस्तावित चौडाई 80
4.6 यातायात अवसान केन्द्र (माल/यात्री) 89

4.6.1 आवसान केन्द्र (यात्री) 89
4.7 पार्किंग प्रस्ताव 89
4.8 यातायात प्रबंधन योजना 90
4.8.1 चौराहों का विकास 90
अध्याय– 5 विकास योजना प्रस्ताव–2035 91
5.1 विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन 91
5.2 योजना अवधारणा 91
5.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता 92
5.4 भूमि उपयोग 2035 92
5.4.1 आवासीय 93
5.4.2 वाणिज्यिक 93
5.4.3 औद्योगिक 94
5.4.4 मिश्रित 94
5.4.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक 94
5.4.6 सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा–सुविधाएं 94
5.4.7 आमोद–प्रमोद 94
5.4.8 यातायात एवं परिवहन 94
5.5 निवेश इकाईयॉ 94
5.6 अनौपचारिक सेक्टर 96
5.7 गंदी बस्ती क्षेत्र 96
5.8 आमोद–प्रमोद स्थल 97
5.8.1 खुला स्थल प्रणाली 97
5.8.2 नगर उद्यान 97
5.8.3 स्टेडियम तथा खेल परिसर 97
5.9 पुनर्विकास नीति 97
5.10 ग्राम आबादी विस्तार 98
5.11 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान 98
अध्याय– 6 विकास नियमन 99
6.1 प्रवृत्तशीलता 99
6.2 क्षेत्राधिकार 99
6.3 परिभाषाएँ 102

6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र 103
6.4.1 आवासीय उपयोग परिक्षेत्र 106
6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र 109
6.4.2.1 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र 110
6.4.2.2 वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ 111
6.4.3 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र 114
6.4.4 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र 114
6.4.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपक्षेत्र 115
6.4.6 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड 115
6.5 अन्य नियमन 117
6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन 117
6.5.2 बहुविध बहुमंज़िली इकाई निर्माण 117
6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा 117
6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान 118
6.5.5 ईंधन भराव एव भराव सह–सेवा केन्द्र के मानक 118
6.5.6 यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक 119
6.5.7 शॉपिंग मॉल/खुला मॉल 119
6.5.8 वर्तमान विकसित क्षेत्रों के मापदण्ड 119
6.5.9 होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लाजिंग/बोर्डिंग 119
6.5.10 मैरिज गार्डन 120
6.5.11 बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल 120
6.5.12 शीतकेन्द्र/वेयर हाउस /गोदाम/अन्य भण्डारण केन्द्र के लिये मापदण्ड 120
6.5.13 छविगृहों के लिए मापदण्ड 120
6.5.14 मल्टीप्लेक्स 120
6.5.15 उद्यान 121
6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन 121
6.7 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग परिसर 122
6.8 अन्य सुविधाएँ 126
6.9 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया 126

अध्याय– 7 विकास योजना क्रियान्वयन 127

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन 127

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति 128

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम 129

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना 129

7.5 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण 131

7.6 योजना एवं कार्यक्रम 131

7.7 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व 132

7.8 प्रथम चरण कार्यक्रम 132

7.9 संसाधन गतिशीलता 133

7.10 योजना पर्यवेक्षण तंत्र 134

7.11 योजना की व्याख्या 135

अनुसूची 137

परिशिष्ट– 1 149

परिशिष्ट– 2 151

परिशिष्ट– 3 152

परिशिष्ट– 4 153

परिशिष्ट– 5 154

परिशिष्ट– 6 155

परिशिष्ट– 7 156

सतना विकास योजना 2035

सारणी सूची

सारणी 1–सा–1 सतना से अन्य नगरों की दूरी	3
सारणी 1–सा–2 सतना निवेश क्षेत्र	7
सारणी 2–सा–1 उपग्रह चित्रों के मानक	11
सारणी 2–सा–2 स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब–क्लासेस	12
सारणी 2–सा–3 जियो स्पेशियल डाटा	16
सारणी 2–सा–4 बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो स्पेशियल डाटा	17
सारणी 2–सा–5 सीमाओं का वर्गीकरण	19
सारणी 2–सा–6 ढलान की विभिन्न श्रेणी के अन्तर्गत क्षेत्रफल	19
सारणी 2–सा–7 मृदा विश्लेषण	20
सारणी 2–सा–8 लिथोलॉजी	21
सारणी 2–सा–9 भू–जल संभावनाएं	21
सारणी 2–सा–10 जलाशयों का वर्गीकरण	22
सारणी 2–सा–11 विभिन्न भूमि मूल्य श्रेणी अन्तर्गत क्षेत्र (वर्ष 2018–2019)	23
सारणी 2–सा–12 भू–आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल	26
सारणी 2–सा–13 जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल	26
सारणी 2–सा–14 भूमि अवक्रमण	27
सारणी 2–सा–15 मार्ग संरचना बफर क्षेत्रफल	27
सारणी 2–सा–16 Weighted Index For Composite Land Suitability	30
सारणी 2–सा–17 Land Suitability Area	34
सारणी 3–सा–1 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन	38
सारणी 3–सा–2 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन	39
सारणी 3–सा–3 वाणिज्यिक कार्य केन्द्र कियान्वयन	41
सारणी 3–सा–4 औद्योगिक कार्य केन्द्र कियान्वयन	43

सारणी 3–सा–5 आमोद–प्रमोद क्रियान्वयन	44
सारणी 3–सा–6 यातायात एवं परिवहन क्रियान्वयन	45
सारणी 3–सा–7 भूमि उपयोग उपान्तरण	47
सारणी 3–सा–8 भूमि उपयोग उपान्तरण	47
सारणी 3–सा–9 असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना	48
सारणी 3–सा–10 राज्य एवं संभाग में जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात	50
सारणी 3–सा–11 वॉर्ड वार कुल जनसंख्या	51
सारणी 3–सा–12 वॉर्ड जनसंख्या लिंगानुपात	54
सारणी 3–सा–13 शिशु जनसंख्या	55
सारणी 3–सा–14 अनुसूचित जाति, जनजाति जनसंख्या	55
सारणी 3–सा–15 साक्षरता प्रतिशत	56
सारणी 3–सा–16 सतना कार्यशील (सहभागिता) जनसंख्या 2011	57
सारणी 3–सा–17 जनसंख्या घनत्व	58
सारणी 3–सा–18 व्यवसायिक संरचना 2011	60
सारणी 3–सा–19 वर्ष 2011 अनुसार निवेश क्षेत्र की जनसंख्या	60
सारणी 3–सा–20 नगरीय क्षेत्र दशक वृद्धि दर	61
सारणी 3–सा–21 ग्रामीण जनसंख्या दशक वृद्धि दर	61
सारणी 3–सा–22 नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल	62
सारणी 3–सा–23 नगरीय क्षेत्र जनसंख्या का आंकलन	63
सारणी 3–सा–24 ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या का आंकलन	63
सारणी 3–सा–25 सतना निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या (वर्ष 2035)	64
सारणी 3–सा–26 गंदी बस्तियाँ	65
सारणी 3–सा–27 आवासीय इकाईयों की कमी (वर्ष 2011)	67
सारणी 3–सा–28 अनुमानित परिवारों की संख्या एवं आवास आवश्यकताएँ	68

सारणी 3–सा–29 आय समूह अनुसार आवासीय इकाईयों की आवश्यकता	69
सारणी 3–सा–30 विद्युत खपत	71
सारणी 4–सा–1 मध्य क्षेत्र में मार्गो की चौड़ाई	80
सारणी 4–सा–2 मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई	83
सारणी 4–सा–3 प्रस्तावित मार्गो की चौड़ाई	88
सारणी 5–सा–1 वर्ष 2035 के लिए भूमि उपयोग वितरण	93
सारणी 5–सा–2 निवेश इकाईयाँ	95
सारणी 6–सा–1 मुख्य उपयोग परिक्षेत्र	104
सारणी 6–सा–2 आवासीय भूखण्ड विकास नियमन	107
सारणी 6–सा–3 आवासीय विकास हेतु भू–खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र	108
सारणी 6–सा–4 वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड	109
सारणी 6–सा–5 वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक	110
सारणी 6–सा–6 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों की चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्रानुपात	112
सारणी 6–सा–7 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन	115
सारणी 6–सा–8 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड	116
सारणी 6–सा–9 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान	118
सारणी 6–सा–10 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग	122
सारणी 7–सा–1 योजना क्रियान्वयन की लागत	128
सारणी 7–सा–2 प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक	132
सारणी 7–सा–3 प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत	133

सतना विकास योजना 2035

मानचित्र सूची

क्रमांक	मा. क्र.	शीर्षक	पृ. क.
1	2	3	4
1	1.1	Regional Setting	2A
2	1.2	Location Map of Planning Area	2B
3	1.3	Planning Area	6A
4	2.1	Satellite Images	10A
5	2.2	Building Footprint	18A
6	2.3	Slope	20A
7	2.4	Soil Texture	20B
8	2.5	DEM	20C
9	2.6	Contour	20D
10	2.7	Lithology	22A
11	2.8	Groundwater Prospects	22B
12	2.9	M.P. Earthquakes Zones	22C
13	2.10	Government Land	22D
14	2.11	Land Value	26A
15	2.12	Geomorphology	26B
16	2.13	Waterbody Buffer	26C
17	2.14	Land Degradation	28A
18	2.15	Road Buffer	28B
19	2.16	Land Suitability (Model-1)	34A
20	2.17	Land Suitability (Model-2)	34B
21	2.18	Land Suitability (Model-3)	34C
22	3.1	Ward	54A
23	3.2	Ward Wise Sex Ratio	54B
24	3.3	Ward Wise Child Population (0-6)	56A
25	3.4	Ward Wise Child Sex Ratio	56B
26	3.5	Ward Wise SC/ST Population	56C
27	3.6	Ward Wise Literacy	56D
28	3.7	Ward Wise Work Participation	58A
29	3.8	Ward Wise Population Density	60A
30	3.9	Urban Sprawl	62A
31	3.10	Existing Water Supply Network	70A
32	3.11	Existing Sewerage Network	70B
33	3.12	Community Toilet	70C
34	3.13	Power Supply Network	72A
35	3.14	ATM	76A
36	4.1	Existing Transport Network	78A

सतना विकास योजना 2035

क्रमांक	मा. क्र.	शीर्षक	पृ. क.
1	2	3	4
37	4.2	Proposed Transport Network	88A
38	4.3	Bus Stop	90A
39	5.1	Existing Landuse	92A
40	5.2	Proposed Landuse	94A
41	5.3	Planning Unit	96A
42	7.1	First Phase Implementation	134A

अध्याय– 1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ

1.1 नगर परिचय

1.1.1 ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि एवं भौतिक विकास

सतना नगर का बसाव बरदाडीह स्थान से प्रारंभ होता है, जो नगर के उत्तर में लगभग तीन कि.मी. पर स्थित है। यह बस्ती पूर्वकाल में बरदाडीह बाजार के नाम से जानी जाती थी, बाद में सन् 1863 में रीवा के महाराजा श्री रघुराज सिंह द्वारा यह भूमि रेलवे टाउनशिप हेतु अर्जित की जाने पर इसको रघुराजनगर के नाम से संबोधित किया गया। 19वीं सदी के अंत में यहां स्थापित सतना स्टोन लाइम कम्पनी के कारण भी सतना नाम को जनप्रिय होने में मदद मिली। एक किवदन्ती यह भी प्रचलित है कि वर्तमान आबादी से 15 कि.मी. दूरी पर सतना नदी के किनारे सुतीक्षण मुनि का आश्रम होने के कारण भी इस नगर को सतना नाम से संबोधित किया जाने लगा।

सन् 1900 तक:–

गहाराजा रीवा द्वारा धवारी नाग की बस्ती ब्राम्हणों को आवंटित की गई थी। यह बस्ती 1735 से अभी तक नगर के एक हिस्से के रूप में है। नगर का एक अन्य सबसे पुरातन क्षेत्र डाली बाबा है, जो पहले इटौरा नाम से जाना जाता था। जगतदेव तालाब भी सन् 1868 में अकाल पीड़ित शरणार्थियों के सहायतार्थ खोले गये राहत कार्यों के रूप में बनाया गया था। वास्तव में इस नगर का विकास सन् 1867–68 के दशक में रेल लाइन निर्मित होने के पश्चात् ही शुरू हुआ। शुरूआत में छोटे दुकानदार, ग्वाले, कुम्हार एवं अन्य मजदूर यहां आ बसे, बाद में महाराजा रघुराज सिंह के विशेष प्रयत्नों से बुन्देलखण्ड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कच्छ एवं गुजरात से भी लोग आ बसे। इस क्षेत्र में रीवा रियासत सहित क्षेत्र का प्रमुख रेलवे स्टेशन होने से यह अनाज, तिलहन, कपड़ा एवं किराना का बड़ा व्यापार केन्द्र बन गया।

नगर में 1883 में टेलीग्राफ आफिस निर्मित होने से संचार व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कड़ी स्थापित हुई। सन् 1893 में सतना में सतना स्टोन एण्ड लाइम कम्पनी की स्थापना होने से नगर का वाणिज्यिक आधार मजबूत हुआ। सन् 1896 में नगर में आंखों का चिकित्सालय स्थापित हुआ। सन् 1897 में नगर में पंचायत एवं न्यायालय की स्थापना हुई तथा इसी वर्ष नया तालाब का निर्माण हुआ।

सन् 1900 से 1950 तक:–

इस शताब्दी के प्रारम्भ में सतना को नगर के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। शतक पूर्वार्द्ध में नगर का विकास रेलवे स्टेशन के आसपास तक ही सीमित था। सन् 1915 में प्रथम आइल मिल की स्थापना होने से यहां कृषि उपज पर आधारित उद्योगों हेतु वातावरण निर्मित हुआ। सन् 1920 में सतना एवं रीवा नगरों के बीच बस सेवा शुरू होने से नगर विकास हेतु महत्वपूर्ण भूमिका प्रारंभ हुई। सन् 1912 में नगर पालिका की स्थापना हुई।

सन् 1941 में नगर में "मार्तण्ड टाकीज" प्रथम सिनेमा गृह निर्मित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में नगर के समीप हवाई पट्टी का निर्माण हुआ, जिसका उपयोग सेना द्वारा युद्धबंदियों को लाने हेतु किया जाता रहा। सन् 1948 में जिला मुख्यालय बनने से यहां सिविल लाईन्स में बहुत से कार्यालय स्थापित हुये।

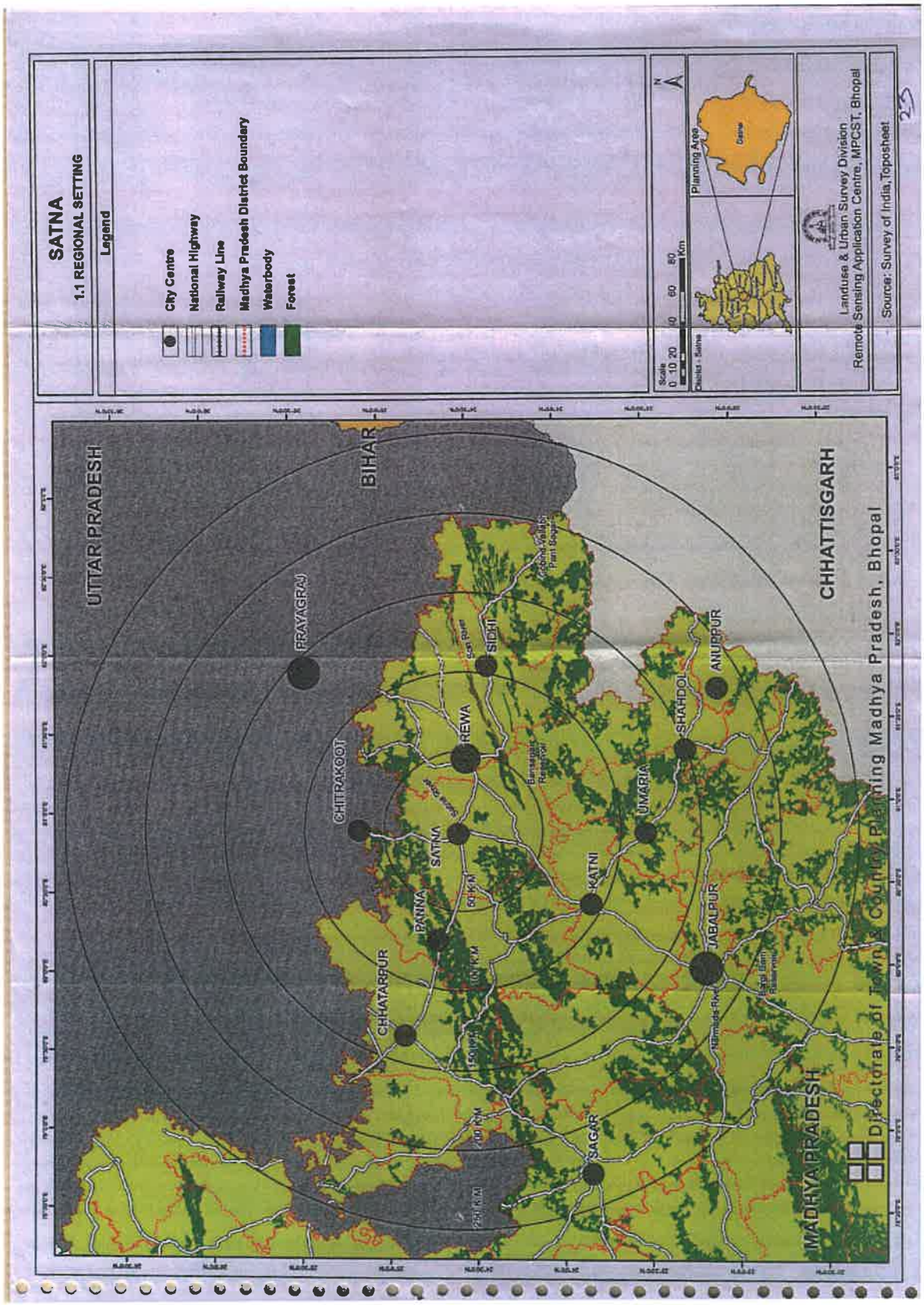
1950 से 1980 तक:–

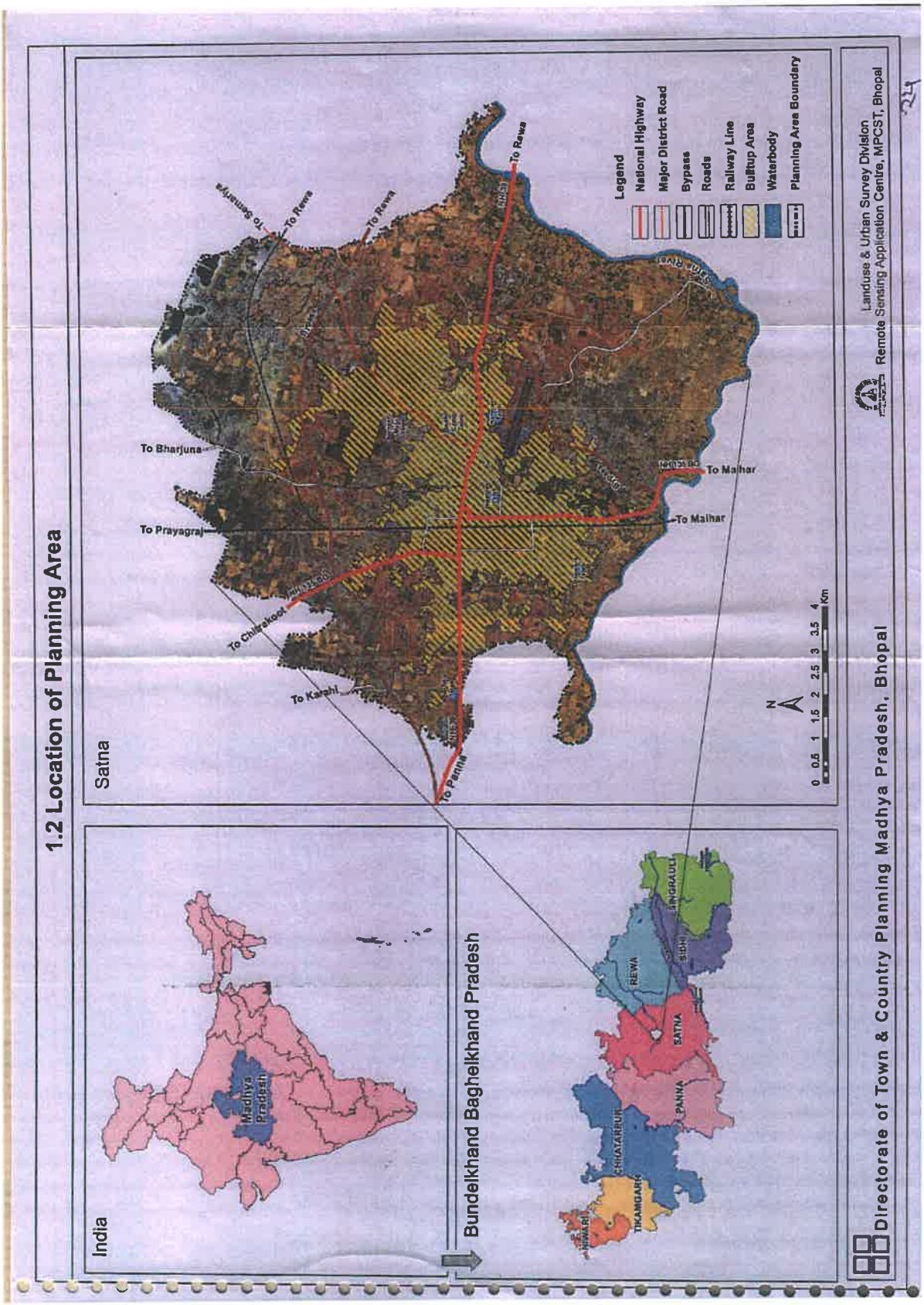
सन् 1956 में राज्य पुर्नगठन के समय विन्ध्य प्रदेश का, नवीन मध्यप्रदेश में विलीनीकरण होने के पश्चात् यह नगर बघेलखण्ड क्षेत्र के लिये प्रवेश द्वारा बन गया। सतना नगर को विविध गतिविधियों का स्वरूप प्राप्त होता रहा है। सन् 1958 से नगर में नलों द्वारा जल प्रदाय शुरू हआ। जहां तक औद्योगिक विकास का प्रश्न है, नगर में सन् 1959 में सीमेन्ट कारखाने की तथा सन् 1964 में केबल फैक्ट्री की स्थापना हुई। नगर की दिनों–दिन बढ़ती हुई विद्युत आवश्यकताओं को देखते हुये नगर को सन् 1966 में अमरकंटक ग्रिड से जोड़ा गया। यातायात की समुचित व्यवस्था हेतु सन् 1970 में रेल ओवर ब्रिज का निर्माण हुआ।

1.1.2 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ

सतना नगर विन्ध्य क्षेत्र का प्रवेश द्वार होने से व्यवसायिक एवं औद्योगिक विकास के साथ ही क्षेत्रीय परिवेश में कृषि उत्पाद विक्रय, ऐतिहासिक तथा पर्यटक स्थलों के सुगम यातायात का प्रमुख केन्द्र है। परिक्षेत्रीय स्तर पर खनिज संसाधनों की उपलब्धता जैसे लाईमस्टोन, बाक्साइड, रामरज, गेरू आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सतना नगर रेल मार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 एवं 135–बीजी से जुड़ा होने से सीधी, पन्ना, रीवा, सिंगरौली एवं मैहर आदि नगरों को जोड़ता है। शैक्षणिक एवं औद्योगिक विकास तथा वृहद, मध्य एवं लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकसित हो जाने से इस क्षेत्र के आर्थिक व औद्योगिक विकास में काफी परिवर्तन आने की संभावना है।

सतना नगर रेल लाईन से देश के प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसका एक विशिष्ट स्थान हैं। प्रमुख औद्योगिक संस्थान सतना सीमेंट वर्क्स, यूनिवर्सल केबिल्स फैक्ट्री, बिरला सीमेंट फैक्ट्री, कमल स्पंज प्लान्ट, प्रिज्म सीमेंट आदि के संचालन से यहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, जिससे जनसंख्या का दबाव तीव्रगति से बढ़ रहा है। यहाँ पर उपलब्ध शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का उपक्षेत्रीय स्तर पर विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।


SATNA
1.1 REGIONAL SETTING
Legend
City Centre
National Highway
Railway Line
Madhya Pradesh District Boundary
Waterbody
Forest
Scale
0 10 20 40 60 80 Km
Planning Area
Orissa
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Survey of India, Toposheet
UTTAR PRADESH
BIHAR
CHHATTISGARH
MADHYA PRADESH
PRAYAGRAJ
CHITRAKOOT
REWA
SIDHI
SATNA
PANNA
CHHATARPUR
UMARIA
KATNI
SHAHDOL
ANUPPUR
JABALPUR
SAGAR
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal


1.2 Location of Planning Area
Satna
India
Bundelkhand Baghelkhand Pradesh
Madhya Pradesh
Legend
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Railway Line
Builtup Area
Waterbody
Planning Area Boundary
To Rewa
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Panna
To Malhar
N
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
SINGRAULI
SIDHI
REWA
SATNA
PANNA
CHHATARPUR
TIKAMGARH
NIWARI

सतना शहर से अन्य नगरों की दूरी

सारणी 1–सा–1

क्र.	समीपस्थ नगर	सड़क मार्ग से दूरी (कि.मी.)
1.	2.	3.
1.	पन्ना	75
2.	छतरपुर	142
3.	कटनी	112
4.	जबलपुर	208
5.	सागर	269
6.	रीवा	56
7.	प्रयागराज (उ.प्र.)	193
8.	शहडोल	203
9.	उमरिया	171
10.	अनूपपुर	247

1.2 अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति

1.2.1 भौतिक स्वरूप

सतना नदी के किनारे स्थित होकर यह नगर टमस नदी के मैदान में दक्षिणी ढ़ाल पर स्थित है। नगर की स्थलाकृति समान्य रूप से सपाट है तथा नगर के दक्षिण में स्थित सतना नदी को छोड़कर नगर विस्तार हेतु कोई अन्य प्राकृतिक बाधा नही है।

1.2.2 प्राकृतिक जल निकास

नगर का ढ़ाल सामान्यतः दक्षिण की ओर है। वर्तमान विकसित क्षेत्र का प्राकृतिक ढ़ाल उत्तर से पूर्व और दक्षिण–पूर्व की ओर है। कुछ हिस्सों में ढ़ाल पश्चिम और दक्षिण–पश्चिम की ओर भी है। मध्य रेखा उत्तर–पूर्व से दक्षिण–पश्चिम की ओर है। रीवा मार्ग के उत्तर से एक बड़ा नाला प्रारंभ होकर जगतदेव तालाब के निकट से होता हुआ नगर के मध्य क्षेत्र से बहता हुआ सतना नदी में मिलता है। बरसात के पानी के साथ–साथ अन्य मौसम में भी कच्ची–पक्की नालियों व सड़को का पानी सड़कों के किनारे से उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाले प्रमुख नाले से मिलता है। इस प्रमुख नाले से घरेलू तथा अन्य उद्योगों द्वारा निष्कासित पानी आ मिलने से कभी–कभी वर्षाकाल में बाढ़ से नगर के निचले क्षेत्रों की बस्तियां भी प्रभावित होती हैं। नगर में बरसात के पानी के निकास की कोई व्यवस्था न होने से तथा भूमिगत नालियां न होने से वर्षा का पानी तथा अन्य गंदा पानी खुली नालियों से बहने से अस्वास्थ्यकारक स्थिति बनी रहती है। जगतदेव तालाब का उचित प्रकार से भू–दृश्यीकरण होने पर नगर के मध्य भाग में एक अच्छा मनोरंजन केन्द्र निर्मित हो सकेगा।

1.2.3 जलवायु

सतना नगर की जलवायु शुष्क है। ग्रीष्मकाल में आकाश स्वच्छ दिखाई देता है। ग्रीष्मकाल में अधिकतम तापमान 47^0 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। शीतकाल में तापमान 26^0 सेंटीग्रेड के आसपास होता है तथा शीतकाल में रात का न्यूनतम तापमान 3^0 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। वर्षाकाल जून से मध्य अक्टूबर तक रहता है, औसतन वर्षा लगभग 1092 मि.मी. होती है।

1.2.4 वायु दिशा

मार्च से सितम्बर तक तेजी से पश्चिम से पूर्व की तरफ हवायें बहती है। अक्टूबर से फरवरी तक हवायें दक्षिण–पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ सुबह की बेला में एवं पूर्व से उत्तर की ओर शाम के समय बहती है। वर्षाकाल में हवा की गति लगभग 40 कि.मी. से 50 कि.मी. प्रति घण्टा होती है।

1.2.5 भू–आकृति

सतना क्षेत्र की स्थलाकृति सामान्य रूप से सपाट है। सतना नदी के किनारे स्थित होकर यह नगर टमस नदी के मैदान में दक्षिणी ढाल पर स्थित है।

1.2.6 भू–गर्भीय संरचना एवं खनिज संपदा

सतना निवेश क्षेत्र में खनिज संसाधन जैसे लाईमस्टोन, बॉक्साइड, रामरज, गेरू आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह क्षेत्र सामान्यतः भू–गर्भीय हलचलों से प्रभावित नहीं है।

1.3 नियोजन हेतु प्रयास

सतना विकास योजना–2001 (प्रारूप) का प्रकाशन, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18(1) के प्रावधान अन्तर्गत जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 29.08.1986 को किया गया। नागरिकों को प्रारूप योजना के प्रस्तावों को स्पष्ट करने के लिये, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश सतना, जिलाध्यक्ष, जिला सतना एवं नगरपालिक निगम, सतना के कार्यालयों में दिनांक 30.08.1986 से 30 दिन की कालावधि तक प्रदर्शित किया गया। प्रारूप योजना पर कुल 104 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए। जनसामान्य, संस्थाओं, शासकीय विभागों एवं संगठनों से प्राप्त आपत्ति/सुझावों की सुनवाई संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, द्वारा की गई।

सभी आपत्तियों/सुझावों पर समुचित विचारोपरांत तद्नुसार संशोधित विकास योजना, राज्य शासन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत विकास योजना में राज्य शासन ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1)(2) के अंतर्गत सूचना कमांक 480/434/32–1/88, दिनांक 10.02.1988 (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण

क्रमांक 51, दिनांक 11.02.1988) तथा सूचना क्रमांक 2716/3080/32–2/88, दिनांक 08.09.1988 (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 335,दिनांक 14.09.1988) द्वारा कतिपय उपांतरण प्रस्तावित कर, जन सामान्य से 30 दिन की कालावधि के भीतर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये। उक्त उपांतरणों पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों की राज्य शासन ने विधिवत सुनवाई कर अधिनियम की धारा 19(3) में कुल 15 उपांतरणों की पुष्टि करते हुए सतना विकास योजना को अधिसूचना क्रमांक एफ–1 (66) 32–86, दिनांक 18.04.1991 (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 334, दिनांक 25.04.1991) द्वारा अनुमोदित की गई है। सतना विकास योजना 2001 की प्रक्षेपित जनसंख्या 2.20 लाख मानकर तैयार की गई थी।

विकास योजना–2001 के कियान्वयन एवं मूल्यांकन के पूर्व हुए विकास के आधार पर वर्ष 2021 की प्रक्षेपित जनसंख्या 4.60 लाख के आधार पर योजना तैयार की गई है। योजना का उद्देश्य विभिन्न उपयोगों हेतु युक्तियुक्त भूमि उपयोगों का निर्धारण नगर का बहुआयामी केन्द्र के रूप में विकास नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र में यातायात दबाव को कम करने हेतु बाह्य क्षेत्र में विकास के प्रस्ताव, मूलभूत सेवा सुविधाओं के साथ स्वसक्षम निवेश इकाईयों का विकास, आवासीय क्षेत्रों की कार्य केन्द्रों से समीपता आदि के साथ ही नगर के भावी औद्योगिक विकास हेतु प्रस्ताव दिये गये हैं।

सतना विकास योजना 2021 म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) के अंतर्गत आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–3–32–2009–बत्तीस दिनांक 30.03.2010 के द्वारा अनुमोदित होकर उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 16.04.2010 से प्रभावशील है।

1.4 नियोजन प्रस्ताव

नियोजन की अवधारणा में, समयानुसार बदलाव आया है एवं विकास योजना तैयार करना, अब संतुलित विकास पर केन्द्रित है। सतना विकास योजना तैयार करते समय, अमृत योजना की रूपरेखा एवं मानकों के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक आकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर प्रस्ताव किये गये है। सतना विकास योजना 2035 में निम्न उद्देश्यों/लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है:–

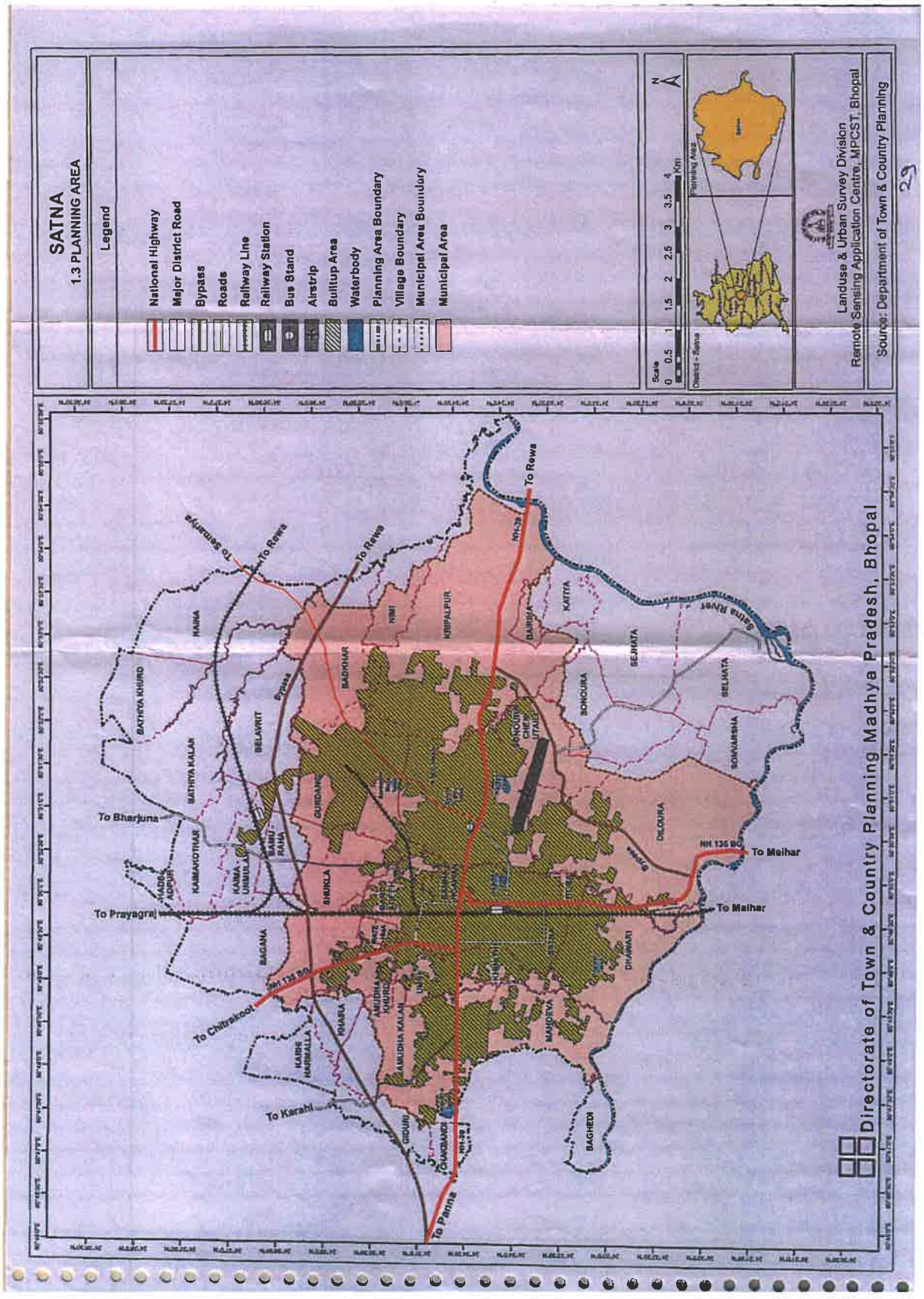
1. भूमि का समुचित एवं सक्षम उपयोग
2. नगरीय केन्द्र को रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेन्ड इन दो यातायात केन्द्रों के बीच एक सम्पूर्ण कड़ी के रूप में विकसित करना।
3. यत्र–तत्र विकसित बस्तियों तथा भविष्य में विकसित होने वाली बस्तियों को समन्वित रूप में बसाहट का निर्माण करना ताकि अधोसंरचना के निर्मित होने पर मितव्ययता रहकर लोगों को आवागमन में समय की बचत हो सके।
4. कुशल परिवहन व्यवस्था का निर्माण करना ताकि अन्तर्नगरीय एवं नगरान्तर्गत यात्री एवं सामान का आवागमन सुचारू रूप से हो सके।

5. उद्योगों हेतु भूमि का विकास एवं शासन की नवीन औद्योगिक नीति के अंतर्गत विकसित किये जा रहे औद्योगिक क्षेत्र की विकास योजना से संबद्वता स्थापित करना।
6. प्राकृतिक भू–दृश्यीकरण एवं पर्यावरण संरक्षण एवं नदी के तटों पर सौन्दर्यीकरण।
7. पुराने ऐतिहासिक/धार्मिक मन्दिर एवं पुरातत्वीय महत्व की धरोहरों का संरक्षण ।
8. वाहन विराम स्थलों के प्रावधान ।
9. आपदा प्रबंधन हेतु सुझाव ।

1.5 निवेश क्षेत्र

सतना के विकास को सुनियोजित प्रतिरूप देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13(1) के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, नगर एवं ग्रामीण नियोजन की अधिसूचना क्रमांक 904/एफ–1–31/तैंतीस/74 भोपाल, दिनांक 18 मार्च 1974 को सतना निवेश क्षेत्र का गठन किया गया। जिसमें सतना नगर निगम क्षेत्र सहित 33 ग्रामों को शामिल किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण सीमेंट उत्पादक कंपनियां, हवाई पट्टी का विकास, सतना के समीपवर्ती क्षेत्रों में होने के कारण विकास गति में और अधिक तीव्रता आई, जिसको दृष्टिगत रखते हुये अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सतना निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाऐं, म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक–6577–32, भोपाल दिनांक 16.10.1981 द्वारा अधिसूचित की गई थी। सतना विकास योजना 2001 अनुसार ग्राम बदखर, घूरड़ांग, बरदाड़ीह तथा डेलौरा का अंश भाग नगर निगम में शामिल था किन्तु उक्त ग्रामों के संपूर्ण क्षेत्र को शामिल करते हुए अतिरिक्त 10 ग्रामों को और सम्मिलित कर लिये जाने से कुल 14 ग्राम नगर निगम सीमा मे सम्मिलित हैं। वर्तमान में निवेश क्षेत्र की कुल जनसंख्या 302759 एवं कुल क्षेत्रफल (राजस्व अनुसार) 11210.93 हेक्टेयर हैं।


SATNA
1.3 PLANNING AREA
Legend
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Railway Line
Railway Station
Bus Stand
Airstrip
Builtup Area
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Municipal Area
Scale 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
District - Satna
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Department of Town & Country Planning
29
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rewa
To Rewa
To Rewa
To Samariya
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Patna
To Maihar
To Maihar
NH 135 BG
Satna River
NIMI
KOHPALPUR
BARHAR
KATIYA
SEJHATA
SONOURA
BELAVRIT
BATHIYA KHURD
BATHIYA KALAN
KAMARDTHAR
QURDANG
BAMU RANA
KAIRA UMARLA
HARDI ADPUR
BHIKLA
BAGHAIA
KHARA
KAIRI HARIBALLA
RAMUDHA KALAN
RAMUDHA KHURD
MAJHERA
DHAWARI
BAGHEDI
GIDURI
CHANDAUDI
SONVARSHA
DILOURA

सतना विकास योजना 2035

सतना निवेश क्षेत्र

सारणी 1–सा–2

क्रमांक	नगर/ग्राम का नाम	क्षेत्रफल जी.आई.एस. अनुसार (हेक्टेयर में)	जनसंख्या 2011
1	2	4	5
(अ) नगर पालिक निगम			
1	नगर पालिक निगम	6421.38	282977
(ब) ग्रामीण क्षेत्र			
1.	नीमी	77.55	456
2.	नैना	394.83	3402
3.	बेला वृत	294.62	1501
4.	बठिया कलां	500.48	4138
5.	बठिया खुर्द	246.09	734
6.	कैमा कोठार	236.65	822
7.	कैमा उन्मूलन	145.32	1076
8.	हरबदपुर	59.16	30
9.	करही हरमल्ला	156.21	114
10.	गिदुरी	127.20	448
11.	चकबन्दी	70.64	117
12.	बघेड़ी	121.50	12
13.	सोनवर्षा	226.07	1080
14.	सेजहटा	358.20	1959
15.	बेलहटा	493.30	2404
16.	सोनौरा	268.48	261
17.	कटिया	111.93	500
18.	खैरा	88.46	192
19.	बैरिहा	26.43	449
20.	अमौधा कलां (आंशिक)	116.92	87
21.	बदखर कोठार (आंशिक)	64.31	-
22.	बगहा (आंशिक)	364.42	-
23.	बमुरहा (आंशिक)	117.25	-
24.	डिलौरा (आंशिक)	96.17	-
25.	घुरडांग (आंशिक)	36.9	-
26.	कृपालपुर (आंशिक)	155.39	-

क्रमांक	नगर/ग्राम का नाम	क्षेत्रफल जी.आई.एस. अनुसार (हेक्टेयर में)	जनसंख्या 2011
1	2	4	5
27.	महदेवा (आंशिक)	9.78	-
28.	सोनौरा चेक उतैली (आंशिक)	14.42	-
योगः –		**4978.68**	**19782**
निवेश क्षेत्र (अ+ब)		**11400.06**	**302759**

स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011 एवं जी.आई.एस. विश्लेषण

टीपः सतना निवेश क्षेत्र हेतु प्रभावशील विकास योजना–2021 भौतिक सर्वेक्षण से तैयार की गई थी। विकास योजना 2021 हेतु निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों के अनुसार 4064.73 हेक्टेयर अंकित किया गया था। विकास योजना 2035 हेतु निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल राजस्व अभिलेख अनुसार 11210.93 हेक्टेयर है। वर्तमान में विकास योजना 2035 हेतु सेटेलाइट इमेज एवं ग्राम सीमा के डिजिटल मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र के कुल वास्तविक क्षेत्र को प्रगणित किया गया है, जिसके अनुसार निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 11400.06 हेक्टेयर होता है। यह विकास योजना जी.आई.एस. पद्धति पर स्थल की वास्तविक स्थिति अनुसार तैयार की गई है, इसीलिए विकास योजना तैयार करने के उद्देश्य से 11400.06 हेक्टेयर क्षेत्रफल को मान्य करते हुए विकास योजना के प्रस्ताव दिए गए हैं। निवेश क्षेत्र अंतरगर्त आने वाले कुछ ग्रामो की आबादी नगर पालिक निगम क्षेत्र में शामिल होने से जनसँख्या अत्यंत निम्न अथवा शुन्य है।

1.6 नगर पालिक निगम क्षेत्र

रीवा रियासत के आदेश कमांक 475 दिनांक 31 मई, 1921 द्वारा सतना नगर हेतु नगरपालिका गठित की गई, लेकिन नगर को नगरीय स्वरूप, देश की आजादी के पश्चात् ही मिलना शुरू हुआ। सन् 1951–61 के दशक में अप्रत्याशित जनसंख्या वृद्धि के कारण शासन द्वारा नगरपालिका की सीमाओं में आदेश कमांक 179–अठारह–दो, दिनांक 30 जून 1964 द्वारा वृद्धि की गई तथा इस संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग–2 दिनांक 24 जुलाई 1964 द्वारा अधिसूचना जारी की गई। तात्कालिक समय में सतना नगर पालिक निगम का कुल क्षेत्रफल 2109 हेक्टेयर था।

सतना नगर पालिक निगम की वर्तमान सीमा को म0प्र0 शासन स्थानीय शासन विभाग की अधिसूचना कमांक 117–अठारह–तीन–1994 भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 1994 द्वारा अधिसूचित किया गया, जिसका प्रकाशन म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) कमांक 383 दिनांक 12 अगस्त 1994 में किया गया। शासन की अधिसूचना के अनुसार तत्कालीन नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त निकटवर्ती 14 ग्रामों को नगर निगम सीमा में सम्मिलित किया गया, जिसके अनुसार नगर निगम का कुल क्षेत्रफल (जी.आई.एस. अनुसार) 6960.48 हेक्टेयर है, जिसको 46 वार्डो में विभाजित किया गया है। नगर पालिक निगम द्वारा एक अन्य वार्ड कमांक 00 निरूपित किया गया है, जिसके अंतगर्त हवाई पट्टी परिक्षेत्र आता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगर पालिक निगम की जनसंख्या 282977 है।

अध्याय– 2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण

2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सूदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

सम्पूर्ण पर्यावरण में भूमि भी एक घटक है एवं मानव जीवन यापन हेतु, मानव बस्तियाँ बसाने हेतु भूमि की आवश्यकता होती है। नगर की बसाहट एवं उसका विस्तार होने से संलग्न भूमि पर प्रभाव पड़ता है, जिससे भूमि उपयोग/प्रयोजन परिवर्तन होता है। पर्यावरण के इस महत्वपूर्ण घटक, अर्थात भूमि का उपयोग मानव सभ्यता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए नियोजित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। नगरीय क्षेत्र के अध्ययन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि, द्रुतगति से एवं नियोजन सिद्धांतों के विपरीत नगरीय क्षेत्र का अव्यवस्थित फैलाव का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि का दबाव है। सतना नगर में वर्तमान परिपेक्ष्य में अधोसंरचना सुविधाओं की कमी हुई है। सतना नदी के किनारे स्थित होकर यह नगर टमस नदी के मैदान में दक्षिणी ढाल पर स्थित है, नगर की स्थलाकृति सामान्य रूप से सपाट है तथा नगर के दक्षिण में स्थित सतना नदी को छोडकर नगर विस्तार हेतु कोई अन्य प्राकृतिक बाधा नहीं है, पश्चिम की ओर स्थित रेल लाईन के कारण नगर का विकास कुछ सीमा तक रुका है यह कहा जा सकता है कि पश्चिम में स्थित रेल लाईन के कारण ही पूर्व में विकास हुआ है।

भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा **"Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation" (AMRUT)** योजना की शुरूआत जून 2015 में हुई। अमृत योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देश के सभी शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें अर्थात जल–आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, बिजली, शहरी परिवहन, हरितक्षेत्र इत्यादि मुहैया कराने एवं सेवा–सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना का सृजन करना है, जिससे सभी व्यक्तियों, विशेषतः गरीबों और वंचितों के जीवन स्तर में सुधार होगा। इस योजना की उपयोजना के अन्तर्गत मध्य–प्रदेश के चयनित 34 शहरों की विकास योजना में सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस.तकनीकी) का उपयोग कर, विकास योजना तैयार करने के मापदण्ड (Design & Standards) दिये गये हैं।

विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का महत्वपूर्ण योगदान है। इन पद्धतियों से भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इनके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ

विकल्प का चयन कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों के अनुसार प्रयोजन व गतिविधियों को प्रस्तावित करने में, तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है।

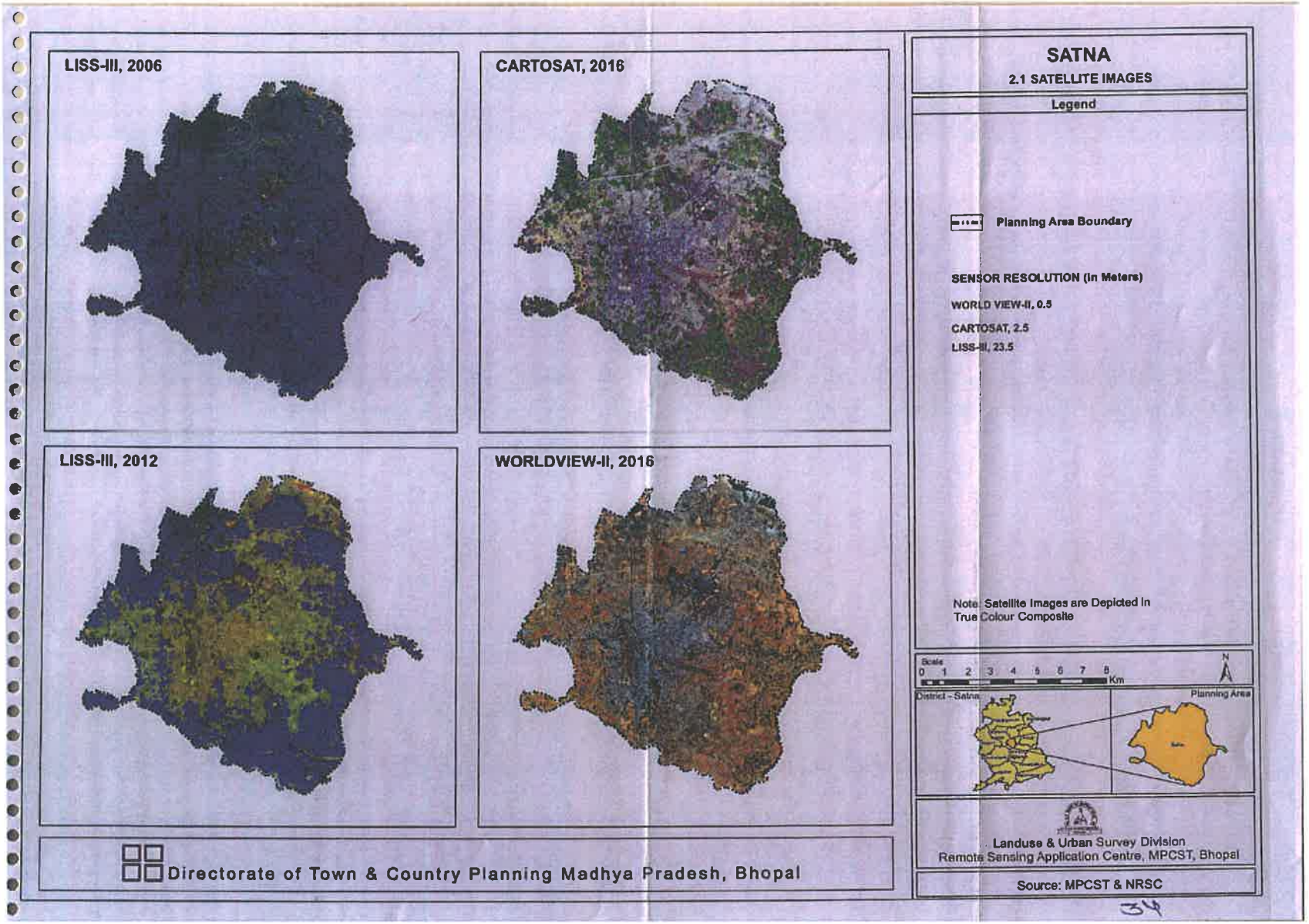
2.1.1 अमृत योजना

"Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation" (AMRUT) योजना की उपयोजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

1. भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियोरिफरेंस आधार पर मानचित्र तैयार करना।
2. अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना।
3- Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाईन के मानकों को समाहित करना।

2.1.2 सुदूर संवेदन

इस अध्ययन तकनीक के अंतर्गत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त वर्ल्ड व्यू.II (World View-II) उच्च आवर्धन उपगृह चित्रों का उपयोग, थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है। उपग्रह चित्रों का उपयोग, अमृत योजना के अन्तर्गत आधार मानचित्र 1:4000 पैमाने पर तैयार करने हेतु किया गया। अमृत योजना में उपग्रह चित्रों के मानक, सारणी क्रमांक–2–सा–1 में दर्शाये गये हैं।


LISS-III, 2006
CARTOSAT, 2016
LISS-III, 2012
WORLDVIEW-II, 2016
SATNA
2.1 SATELLITE IMAGES
Legend
Planning Area Boundary
SENSOR RESOLUTION (in Meters)
WORLD VIEW-II, 0.5
CARTOSAT, 2.5
LISS-III, 23.5
Note: Satellite Images are Depicted in True Colour Composite
Scale
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Km
N
District - Satna
Planning Area
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: MPCST & NRSC
34

उपग्रह चित्रों के मानक

सारणी 2–सा–1

S. No.	Description	Value	Remarks
1	2	3	4
1.	Spatial Resolution	0.5 metres or better	
2.	Spectral Resolution	PAN Sharpened (Bands: Panchromatic, Red, Green, Blue and Near Infrared)	IR band is optional
3.	Band to Band registration	Less than 1/4th of pixel size	
4.	Radiometry	10 bit or better	
5.	Image Resampling	Nearest Neighbourhood	
6.	Monoscopic/ Stereoscopic	Plain Areas: Monoscopic Highly Hilly areas: Stereoscopic	Need of Stereoscopic to be reviewed case by case. If the city is built on terrain slope more than 15 degrees.
	Monoscopic data View angle	Less than 10 degree from nadir	In specific cases, maximumof upto 15 degrees view angle shall be allowed
	Stereoscopic	One of the stereo image view angle should be less than 10 degrees from nadir	Base to Height(B/H) ratio: 0.6
7.	Product type	Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients (RPCs)	Ortho - kit data with RPCs

स्त्रोतः एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली

यह प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक स्थितियों की जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है, जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण के व्यवस्थापन, क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने हेतु उपयोगी है। अमृत योजना में विभिन्न स्पेशियल लेयर्स (spatial layers) को क्लासेस एवं सब–क्लासेस (classes and sub classes) में विभाजित किया गया है। इनका उपयोग विकास योजना तैयार करने में किया गया है जो कि सारणी 2–सा–2 में दर्शाया गया है।

स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब–क्लासेस

सारणी 2–सा–2

S. No.	Spatial Layers	Source for spatial data generation	Classification based on Use & Attributes	
			Classes	Sub Classes
1	2	3	4	5
1.	Base layers	Very high resolution satellite data	3	16
	Road			
	Bridges			
	Water Bodies			
2.	Urban Land Use/ Land Cover	Very high resolution satellite data	22	48
3.	Building Footprints	Very high resolution satellite data	16	46
4.	Digital Elevation Model (DEM) Type: Digital Terrain Model (DTM)	CARTO DEM – NRSC, ISRO	1	1
5.	Cadastral Layer	State Revenue Department	1	
6.	Boundaries			
	Planning Boundaries	Town & Country Planning	1	1
	Municipal Boundaries	Urban Local Bodies	1	1
	Hazard Prone Areas	NHDC, Department of Seismology	1	

स्त्रोतः एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली

विकास योजना प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त नगरीय विकास हेतु उपलब्ध क्षेत्र का विकास करना है। तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार किया जाना आवश्यक है, अर्थात् नैसर्गिक पर्यावरण एवं भविष्य में होने वाली बसाहट जो कि विद्यमान है। भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है, जिससे कि बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके। अतः स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने में नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर रखे जाएँ। एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है:

- **धरातल विशेषताएँ** :–

भौतिक स्थिति, कंटूर, सामान्य अथवा अत्याधिक ढलान, भूगर्भ विशेषताएँ, मिट्टी की विशेषताएँ एवं गहराई, भूमिगत जल स्त्रोत, जलप्लावित क्षेत्र, कृषि भूमि, वन क्षेत्र, जलीय जीवन, तापमान, हवा, बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग।

- **भूमि उपयोग वितरण** :–

नगरीय विस्तार, कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम भू–दृश्यीकरण, स्थल, नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक, आमोद प्रमोद, यातायात, आदि, रिक्त क्षेत्र जो आगामी विकास हेतु उपलब्ध है, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता।

- **जनसंख्या विशेषताएँ** :–

आयु समूह, लिंगानुपात, आर्वजन वितरण, भावी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, मजदूर एवं गैर मजदूर तथा व्यवसायिक संरचना।

- **आर्थिक गतिविधियाँ** :–

कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ, आर्थिक धरातल समस्याएँ एवं संभावनाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण, व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएँ एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएँ।

- **यातायात विशेषताएँ** :–

वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ, माल वाहन, निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, सायकल पथ, पादचारी पथ, रेलवे, वायु सेवा, केन्द्रीय सुविधाएँ एवं यातायात संरचना।

- **आवास विशेषताएँ** :–

उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति, सक्रीय आवश्यकता, झुग्गीवासियों की आवश्यकताएँ एवं उसका निराकरण, भूमि तथा वित्तीय स्थिति।

- **सार्वजनिक सेवाएँ :–**

पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मल निकास प्रणाली, विद्युत प्रदाय, संचार सेवाएँ

- **सार्वजनिक सुविधाएँ :–**

शैक्षणिक संस्थाएँ, आमोद–प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र, धार्मिक/पूजा/अर्चना स्थल।

अतः जो जानकारी एकत्रित की गयी, वह एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ल्ड व्यू II (World View II) उपग्रह चित्रों के आधार पर अमृत योजनानुसार निम्नलिखित उद्देश्य पर निर्धारित है, जिसमें Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाईन के अन्तर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित है।

2.2.1 उद्देश्य

भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करनाः वर्ल्ड व्यू II (World View II) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी से, जो श्रेणी II को दर्शाती है, नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आमोद प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हों।

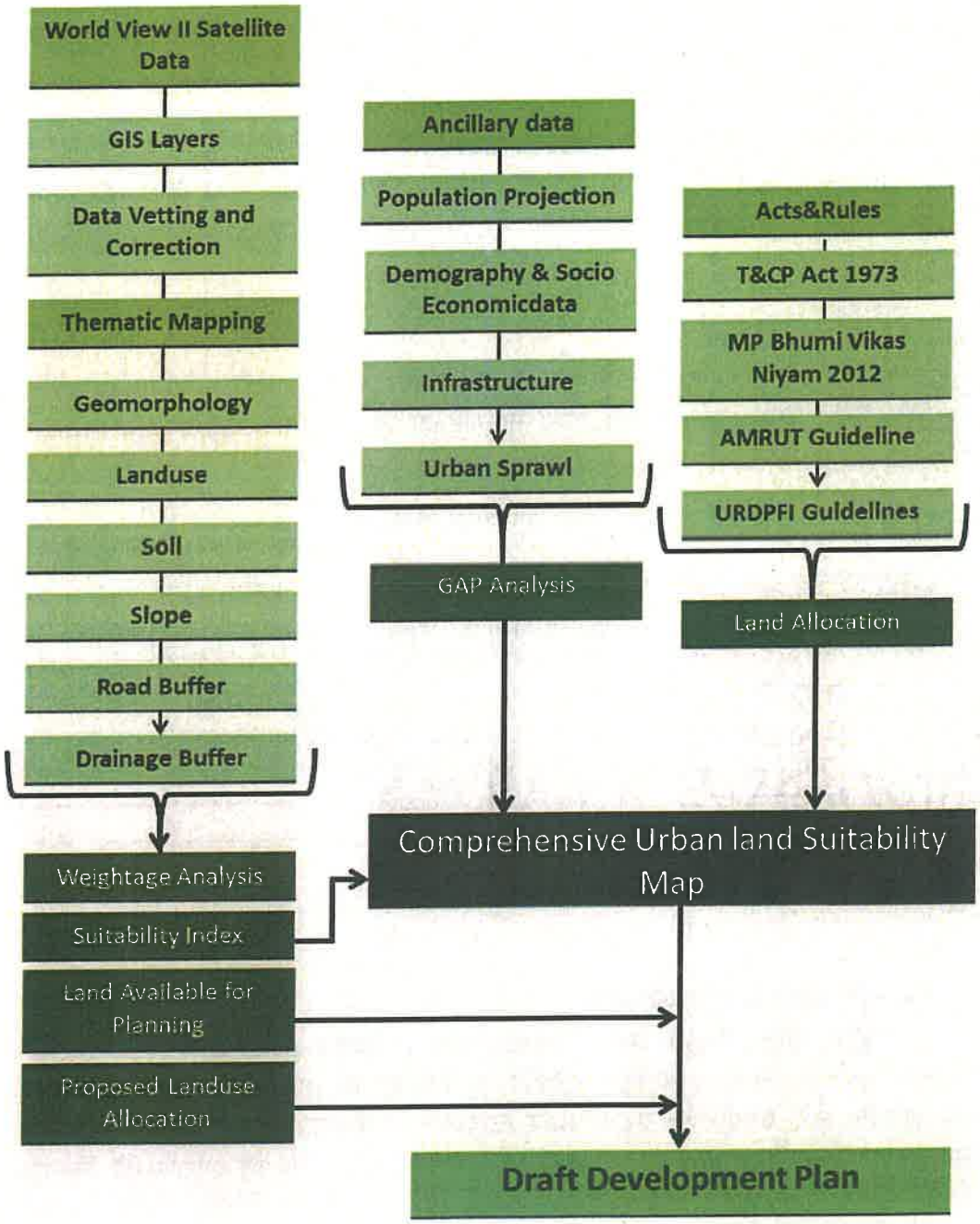
- बसाहट के विस्तार का मानचित्रः विभिन्न स्थितियों में उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर नगर का विकास क्रमशः किस विभिन्न समयावधि में हुआ है, उसका मानचित्र तैयार करना।
- संपूर्ण सतना नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना।
- नैसर्गिक आपदाओं का, जैसे बाढ़, भूमि कटाव, भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना।
- जल स्त्रोत, नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय, ढलान, मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना।
- नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना, एवं जिस भूमि को संरक्षित किया जाना है, उसका मानचित्र पर अंकन करना।
- प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना

जनगणना के आँकड़ेः सतना निवेश क्षेत्र का गठन वर्ष 1991–2001 के बीच किया गया। अतः अनुमानित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु जनगणना वर्ष 2001 एवं 2011 के आँकड़ों का विकास योजना में उपयोग किया गया है।

2.2.2 कार्यप्रणाली

सतना नगर की अमृत योजना के अनुसार जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली नीचे दी गई है। अमृत योजना के अन्तर्गत एन.आर. एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त स्थल मानचित्र जिसमें उपग्रह चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित थे, का स्थल पर सत्यापन कर, अमृत मानकों के अनुसार आँकड़े एकत्रित कर

सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना हेतु आधार मानचित्र तैयार किया गया। विकास योजना तैयार करने हेतु कार्यप्रणाली विवरण निम्नानुसार है:–



2.3 अमृत मानकों की व्याख्या

अमृत मानकों के अुनसार शहर के विभिन्न विभागों से आँकड़े एकत्रित किए गए। इन आँकड़ों में शहर की भौगोलिक जानकारी, जनसांख्यिकी आँकड़े, औद्योगिक पहलू, अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार, जल प्रदाय, जल–मल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, परिवहन, पर्यावरण, पर्यटन एवं राजस्व से संबधित इत्यादि जानकारी सम्मिलित है।

2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping)

विकास योजना तैयार करने हेतु किए जाने वाले विश्लेषण में उपयोग किए जाने हेतु विभिन्न थिमेटिक मानचित्र तैयार किए गए हैं जिनकी कार्यप्रणाली बिन्दु क्रमांक 2.2.2 में स्पष्ट की गई है।

2.3.1.1 यातायात संरचना

अमृत योजना के मानकों के आधार पर उपग्रह चित्र आधारित वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किया गया, जिसमें निम्न मानकों को आधार मान वर्गीकृत किया गया है, जिसे सारणी 2–सा–3 में दर्शाया गया है।

जियो स्पेशियल डाटा

सारणी 2–सा–3

S. No.	Code	Class	Sub Class
1	2	3	4
1.	01-09	Road	Major City Road
	01-11		Other Public Road
	01-12		Other Private Road
	01-15		Village Road
	01-16		Foot Path
2.	03-01	Bridges	Culvert
	03-03		Bridge across River

2.3.1.2 भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी.) हैदराबाद से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर, सतना शहर का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया। भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय अमृत योजना में दी गई वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया। अमृत योजना के अंतर्गत नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2–सा–4 में उल्लेखित है।

सतना विकास योजना 2035

बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो स्पेशियल डाटा

सारणी 2–सा–4

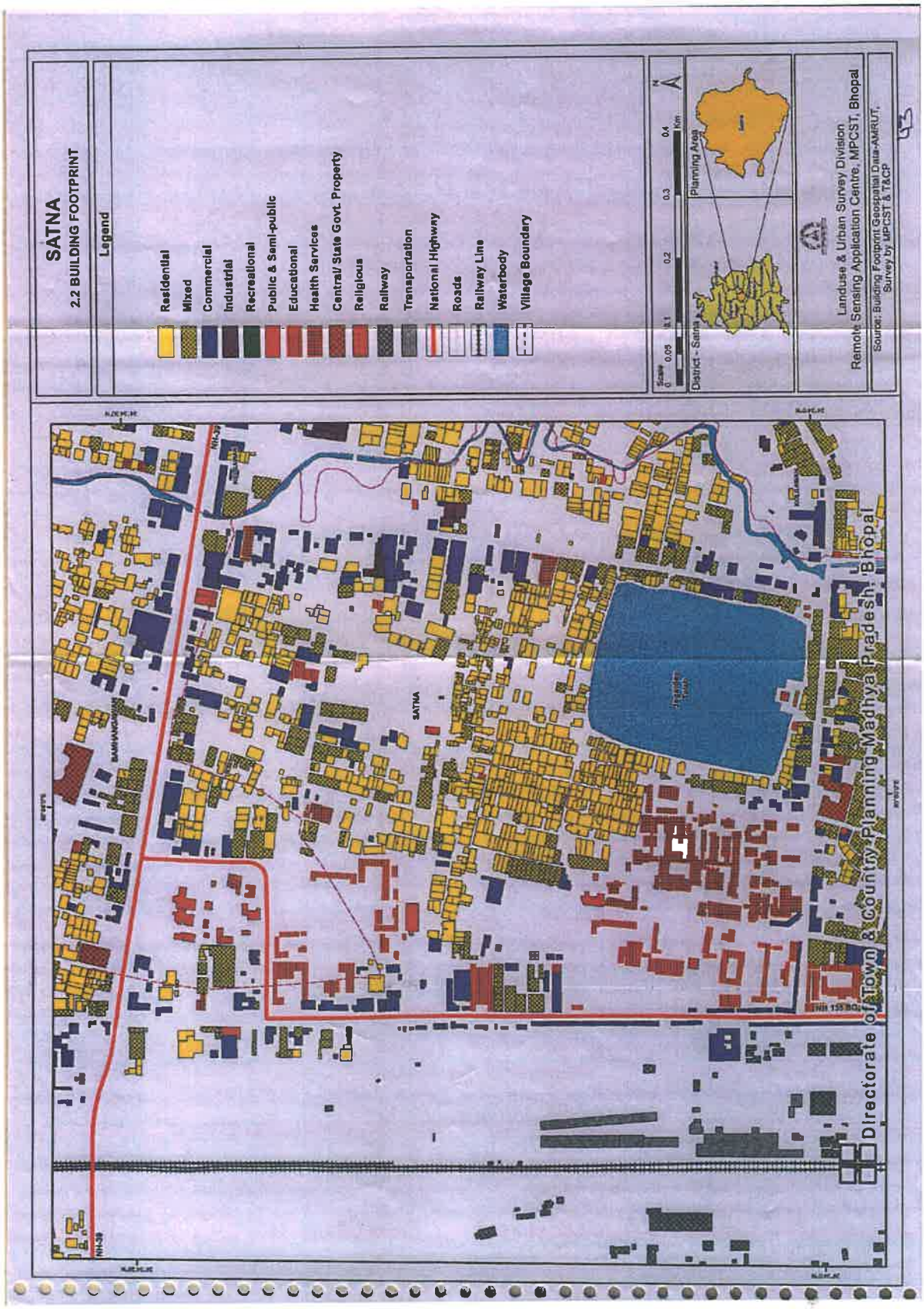
S. No.	Code	Class	Sub Class
1	2	3	4
1.	06-04	Residential	House
	06-05		Group of Houses
2.	07-01	Commercial	Retail
	07-03		General Business
	07-04		Hotel / Lodge / Restaurant
	07-13		Hostel
3.	08-01	Industrial	Manufacturing
	08-08		Agro based & Food Processing
	08-09		Obnoxious
	08-10		Cottage & Household
	08-11		Other Industries
4.	09-01	Mixed	Residential, Commercial & Public Semi Public
5.	10-01	Educational	School
			Anganwadi
	10-05		College
			Polytechnic
6.	11-01	Health Services	Govt. Hospital
	11-02		Private Hospital
	11-04		Clinic/ Dispensary
7.	12-01	Central Govt. Property	Office
	12-02		Quarter
8.	13-01	State Govt. Property	Office
9.	15-02	Public & Semi- public	Banks
	15-05		Police Station
	15-06		Cantonment/Battalion
	15-08		Crematorium/ Burial Ground /Graveyard
	15-09		Guesthouse/ Resthouse
	15-11		Dharmashala
	15-12		Tourist Facility Centre
	15-15		Museum
	15-16		Public Library
	15-25		Public/ Community Toilet
	15-28		Old Age Home
	15-30		Fire Station

S. No.	Code	Class	Sub Class
1	2	3	4
10.	16-01	Religious	Temple
	16-05		Gurudwara
	16-09		Aashram/ Math/ Bhojanshala
11.	17-01	Recreational	Garden
12.	18-01-01	Public Utilities	Water Treatment Plant
	18-01-02		Water Pumping Station
	18-03-01		Sewage Treatment Plant
	18-04-02		Electric Sub-Station
13.	21-01	Heritage	Monuments
	21-02		Fort
	21-03		Archaeological Site
14.	24-01	Transportation	Bus stand/ Terminus
15.	25-04	Traffic related	Multi-Level Parking
16.	26-02	Rural	House
	26-03		Group of Houses
17.	33-09	Others	Farm House
	33-10		Dairy Farm
	33-17		Gaushala

2.3.1.3 ग्राम/वॉर्ड सीमा

भू अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रदेश के भू अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। भू अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया गया। भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर ग्राम मानचित्रों से निवेश क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई। नगर निगम से प्राप्त वॉर्ड मानचित्रों के आधार पर नगर निगम सीमा का वॉर्ड मानचित्र तैयार किया गया। अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:30000 तथा 1:25000 मापमान पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया। उक्त मानचित्र का उपयोग एकीकृत वॉर्ड आधारित विभिन्न जानकारी तैयार करने में किया गया है। जनसंख्या के आँकड़ें जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किए गए, उनका ग्राम मानचित्रों से संबंद्ध स्थापित किया गया।

थीमेटिक मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) का उपयोग कर डिजीटाईज कर सतना निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किए गए हैं। क्षेत्र के सांख्यिकी आँकड़े भौगोलिक सूचना प्रणाली के


SATNA
2.2 BUILDING FOOTPRINT
Legend
Residential
Mixed
Commercial
Industrial
Recreational
Public & Semi-public
Educational
Health Services
Central/ State Govt. Property
Religious
Railway
Transportation
National Highway
Roads
Railway Line
Waterbody
Village Boundary
Scale
Planning Area
District - Satna
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Building Footprint Geospatial Data-AMRUT,
Survey by MPCST & T&CP
SATNA
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

माध्यम से ही ज्ञात किये गए हैं। अमृत योजना के अंतर्गत विभिन्न सीमाओं की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2–सा–5 में उल्लेखित है।

सीमाओं का वर्गीकरण

सारणी 2–सा–5

S. No.	Code	Class	Sub Class
1.	2.	3.	4.
1.	37-05	Administrative Boundaries	Village Boundary
	37-06		Forest Boundary
	37-07		Revenue Boundary
2.	38-01	Planning Boundaries	Planning Area Boundary
	38-04		Controlled Area Boundary
3.	37-05	Municipal Boundaries	Municipal Boundary
	37-06		Ward Boundary
	37-07		Zone Boundary

2.3.1.4 ढलान

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर, एवं मेप आई.टी. (Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) से प्राप्त Carto-DEM के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया गया है जिसे मानचित्र कमांक 2.3 में दर्शाया गया है। ढलान के निर्धारण हेतु ग्रिड पद्धति एवं निम्नलिखित समीकरण इसका आधार है।

ढलान का प्रतिशत = (ऊँचाई में अंतर/दूरी में अंतर) X 100

निवेश क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत क्षेत्रफल सारणी 2–सा–6 में दिया गया है।

ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

सारणी 2–सा–6

S. No.	ढलान (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1.	2.	3.	4.
1.	0-1%	11203.42	98.28
2.	1-3%	196.64	1.72
Total		**11400.06**	**100**

स्त्रोतः जी.आई.एस. विश्लेषण

2.3.1.5 मृदा

संपूर्ण जिले की मिट्टी के प्रकार का मानचित्र मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग Soil & Land use Survey of India (SLUSI), जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से जानकारी प्राप्त कर तैयार किया गया। उक्त मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाईल के विश्लेषण के आधार पर मिट्टी की उपयोगिता निर्धारित की गई है। मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर भूमि का कटाव मानचित्र, मिट्टी की बनावट का मानचित्र तथा मिट्टी की गहराई का मानचित्र तैयार किया गया है जिसे मानचित्र क्रमांक 2.4 में दर्शाया गया है।

सतना निवेश क्षेत्र में मिट्टी की जानकारी एम.पी.आर.एस.ए.सी. भोपाल (स्त्रोत एन. बी.एस.एस. एवं एल.यू.पी.) द्वारा अध्ययन कर प्रत्येक प्रकार की मिट्टी को विभाजित किया गया। इससे मिट्टी का संरचना संबंधी मानचित्र तैयार किया गया। मृदा विश्लेषण निम्नानुसार सारणी 2–सा–7 में दर्शित है।

मृदा विश्लेषण

सारणी 2–सा–7

S. No.	SOIL TEXTURE	AREA (ha)
1	2	3
1.	Fine	466.13
1.	Fine Loamy	1478.87
2.	Fine Silty	4313.82
3.	Laomy	2231.89
4.	Loamy Skeletal	89.78
5.	Builtup	2574.39
6.	Waterbody	245.18
7.	**TOTAL**	**11400.06**

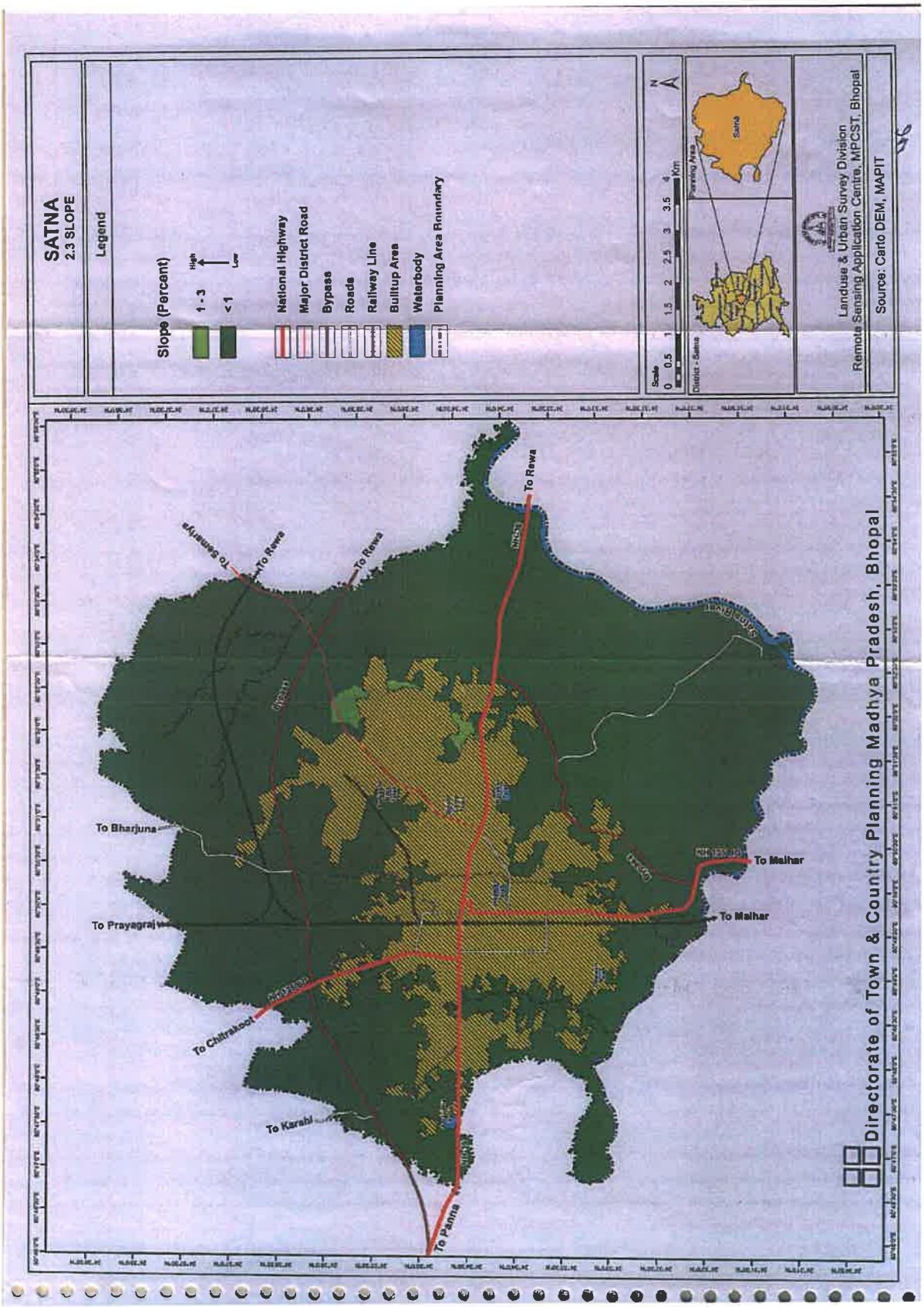
स्त्रोतः जी.आई.एस. विश्लेषण

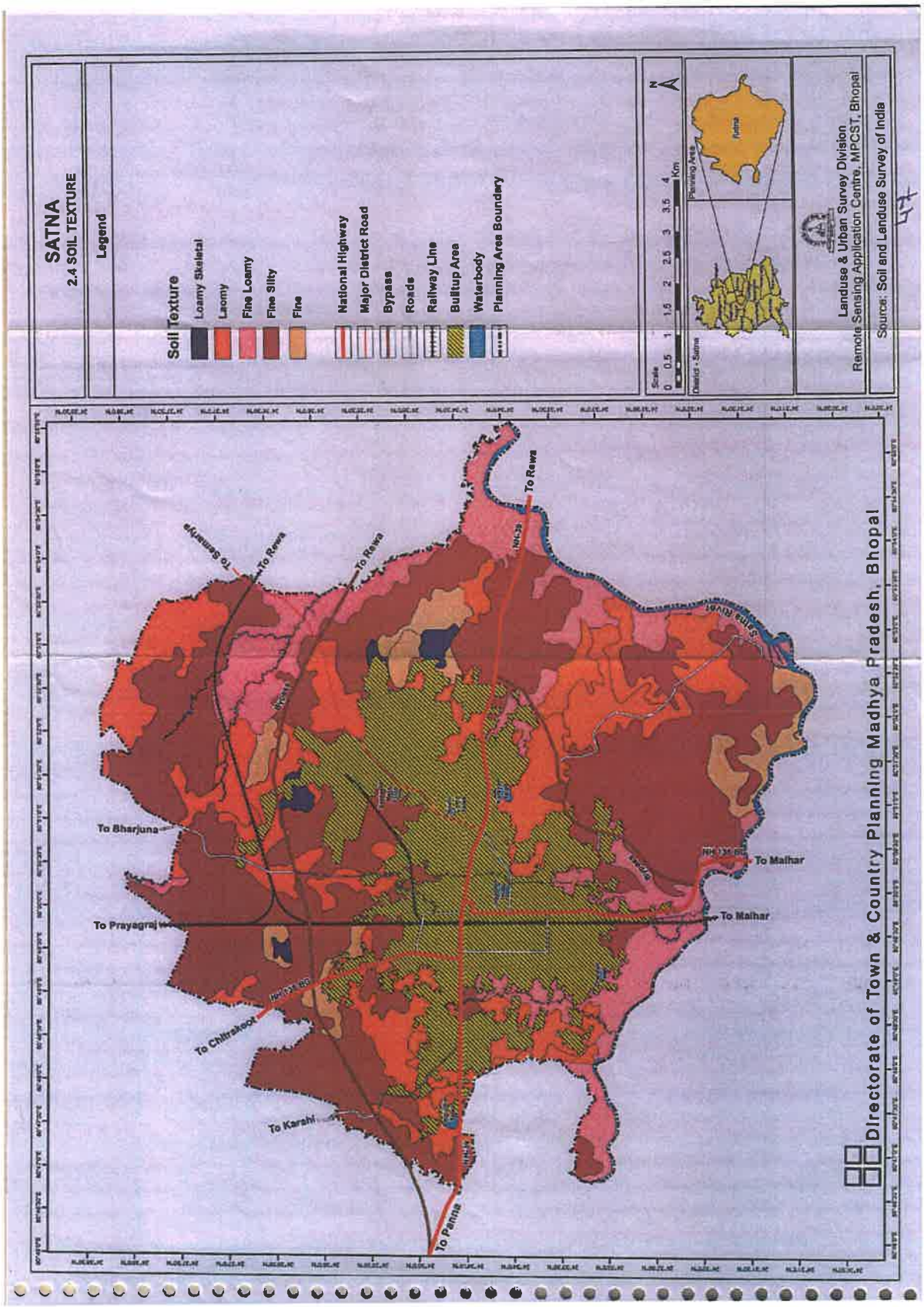
2.3.1.6 डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM)

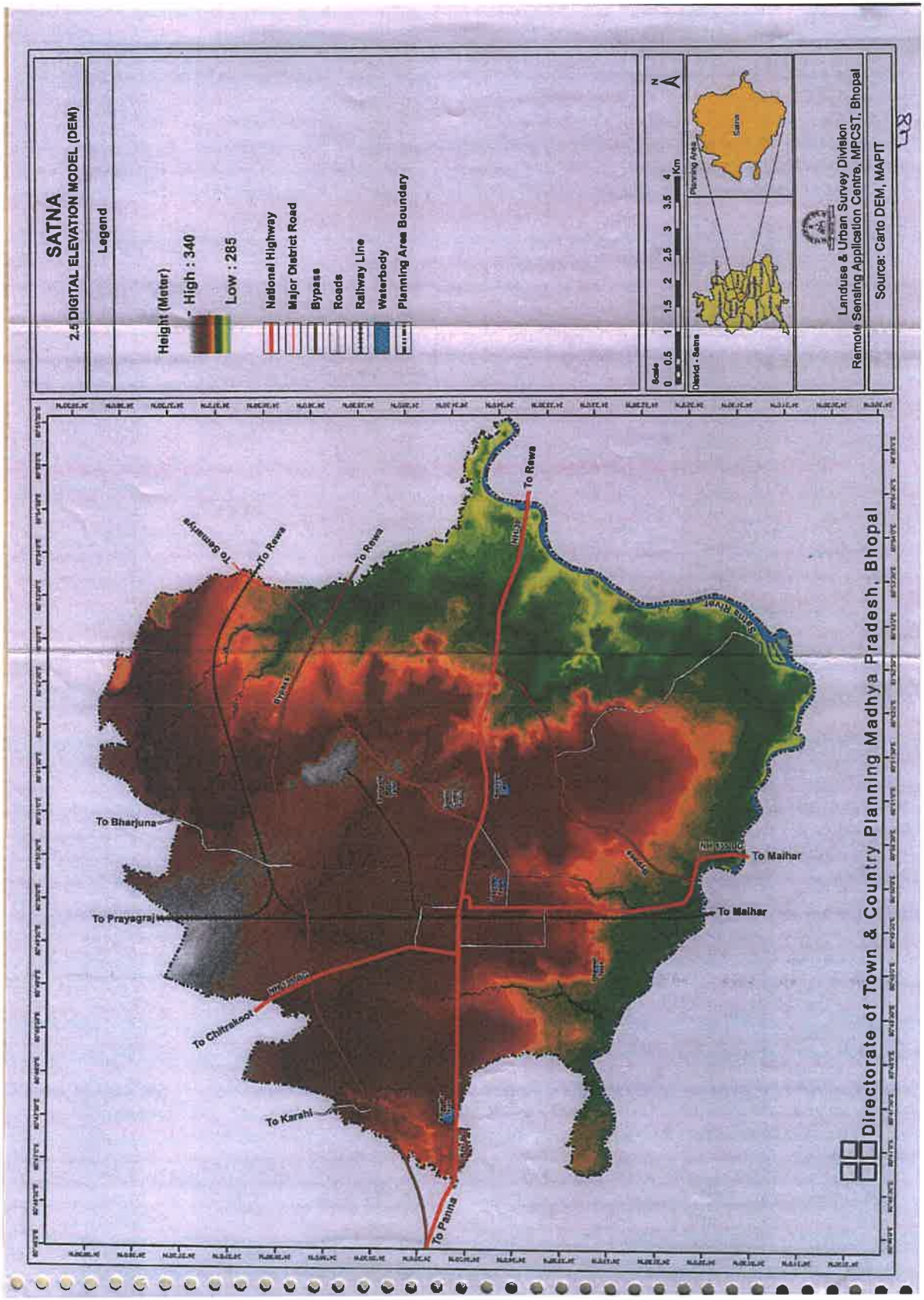
डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डी.ई.एम.) एक जी.आई.एस. आधारित थ्री–डी मॉडल है, जिससे धरातल की ऊंचाई–निचाई/भू आकृति को प्रदर्शित किया जाता है। इस मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र में स्थित भूमियों का नगर नियोजन के लिए निर्धारण किया जाता है जिसे मानचित्र कमांक 2.5 में दर्शाया गया है। ।

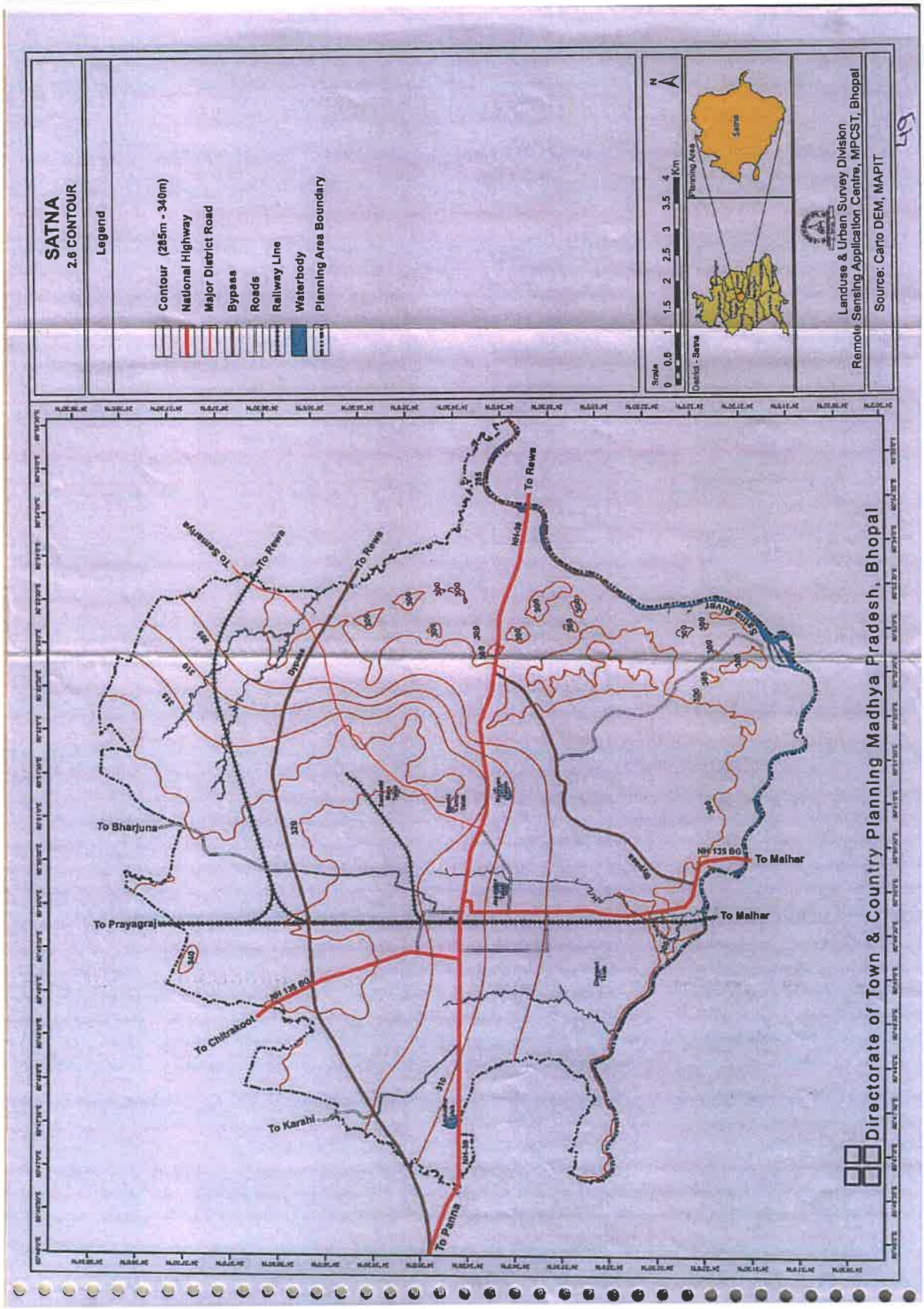
2.3.1.7 कंटूर (Contour)

कंटूर मानचित्र के माध्यम से निवेश क्षेत्र में स्थित किसी भी भूमि की समुद्र सतह से ऊंचाई की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जिसे मानचित्र क्रमांक 2.6 में दर्शाया गया है।


SATNA
2.3 SLOPE
Legend
Slope (Percent)
High
Low
1 - 3
<1
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Railway Line
Builtup Area
Waterbody
Planning Area Boundary
N
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
District - Satna
Satna
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Carto DEM, MAPIT
To Rewa
To Rewa
To Rewa
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karabi
To Panna
To Maihar
To Maihar
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal


SATNA
2.4 SOIL TEXTURE
Legend
Soil Texture
Loamy Skeletal
Laomy
Fine Loamy
Fine Silty
Fine
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Railway Line
Builtup Area
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District - Satna
Planning Area
Satna
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Soil and Landuse Survey of India
To Rewa
To Rewa
To Rewa
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Panna
To Maihar
To Maihar
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal


SATNA
2.5 DIGITAL ELEVATION MODEL (DEM)
Legend
Height (Meter)
High : 340
Low : 285
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
N
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
District - Satna
Satna
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Carto DEM, MAPIT
To Rewa
To Rewa
To Rewa
To Semariya
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Panna
To Maihar
To Maihar
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal


SATNA
2.6 CONTOUR
Legend
Contour (285m - 340m)
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District - Satna
Satna
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Carto DEM, MAPIT
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rewa
To Rewa
To Rewa
To Semariya
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Patna
To Maihar
To Maihar
NH 135 BG
NH 135 BG
NH-39
Satna River
Dhaura

2.3.1.8 लिथोलॉजी

सतना निवेश क्षेत्र में चट्टानो की संरचना की जानकारी का अध्ययन कर दो भागों में विभाजित कर चट्टानो कि संरचना संबंधी मानचित्र तैयार किया गया है जिसे मानचित्र कमांक 2.7 में दर्शाया गया है। चट्टानो कि संरचना निम्नानुसार सारणी 2–सा–8 में दर्शित है।

लिथोलॉजी

सारणी 2–सा–8

S. No.	LITHOLOGY CLASS	AREA (ha)
1	2	3
1.	Sirbu Shale/Limestone Within Shale	9759.15
2.	Lime stone/Shale	1640.91
TOTAL		11400.06

स्त्रोतः जी.आई.एस. विश्लेषण

2.3.1.9 भू–जल संभावनाएं

लिस–IV (LISS-IV), सैट–2 (SAT-2) के उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों का लिथोलॉजी, भू–आकृति विज्ञान (जियोमॉर्फोलॉजी) एवं जल विज्ञान (हाइड्रोलॉजी) से समाकलन कर भू–जल संभावना का मानचित्र तैयार किया गया है है जिसे मानचित्र कमांक 2.8 में दर्शाया गया है। भू–जल संभावनाएं निम्नानुसार सारणी 2–सा–9 में दर्शित है।

भू–जल संभावनाएं

सारणी 2–सा–9

S. No.	GROUNDWATER PROSPECTS CLASS	AREA (ha)
1	2	3
1.	Good to Moderate	8697.48
2.	Moderate	1559.66
3.	Moderate to Poor	898.12
4.	Water bodies	244.80
TOTAL		11400.06

स्त्रोतः जी.आई.एस. विश्लेषण

2.3.1.10 जलाशय

वर्ल्डव्यू–II (World View) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं अमृत योजना की वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर सतना शहर मे स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया है। अमृत योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2–सा–10 में उल्लेखित है।

जलाशयों का वर्गीकरण

सारणी 2–सा–10

S. No.	Code	Class	Sub Class
1.	2.	3.	4.
1.	05-01	Water Bodies	River
	05-02		Stream
	05-03		Canal
	05-04		Drain
	05-05		Ponds
	05-08		Island (River/ Lake)
	05-09		Reservoir

स्त्रोतः जी.आई.एस. विश्लेषण

2.3.1.11 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र

भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्टस् (Fractures and Faults), मिट्टी की जानकारी, ढलान की जानकारी एवं जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (National Geophysical Research Institute) के आँकड़ों के आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया है जिसे मानचित्र कमांक 2.9 में दर्शाया गया है। ।

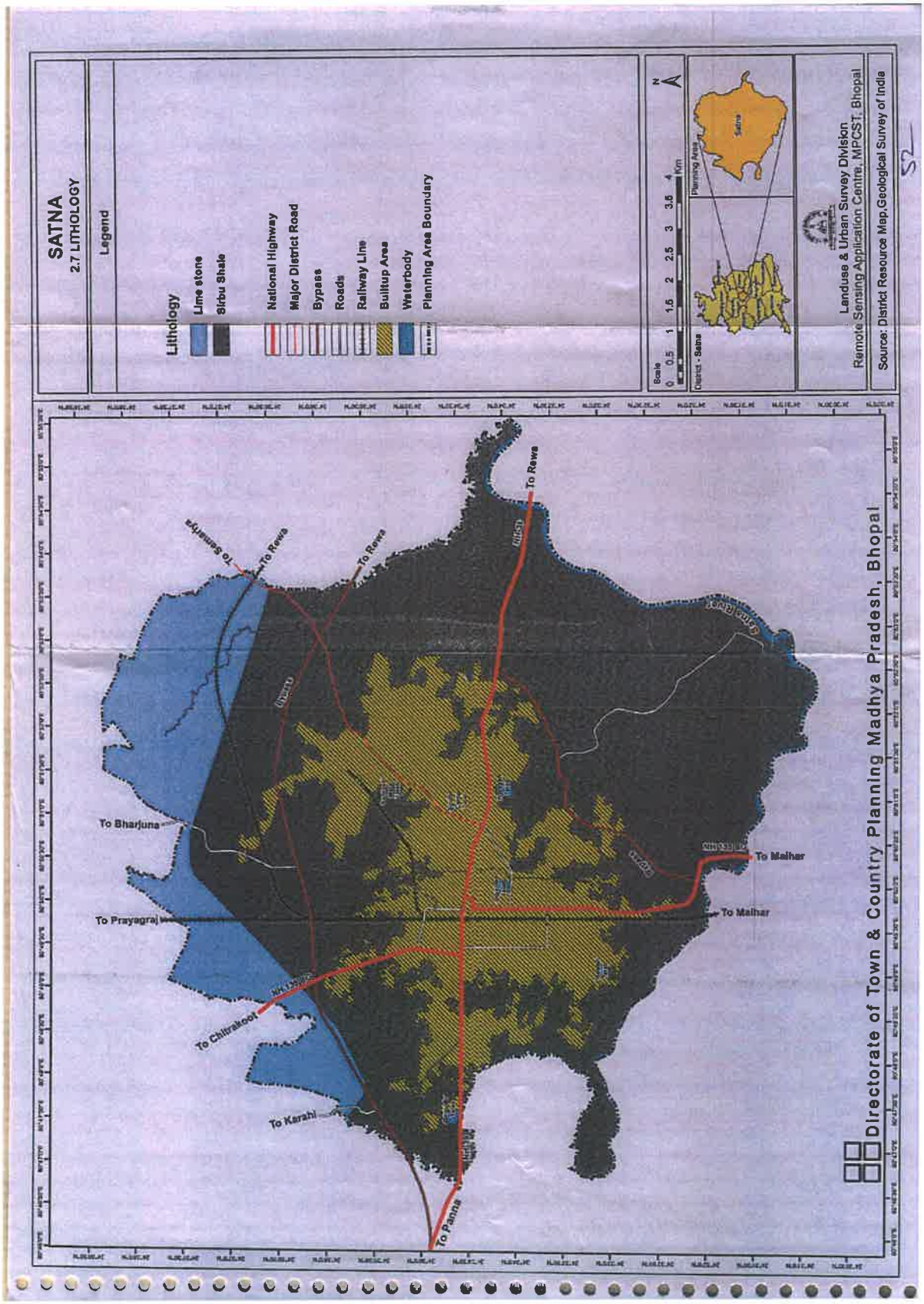
सतना क्षेत्र के सूक्ष्म अध्ययन से भूकम्प (आपदा) परिक्षेत्र का मानचित्र छोटे, मध्यम एवं वृहद फ्रेक्चर परिक्षेत्र, मिट्टी की स्थिति तथा भूगर्भीय फॉल्टस् का अध्ययन एवं विश्लेषण कर तैयार किया गया। सतना निवेश क्षेत्र भूकंप तीवृता की दृष्टि से ज़ोन–II में वगीकृत किया गया है।

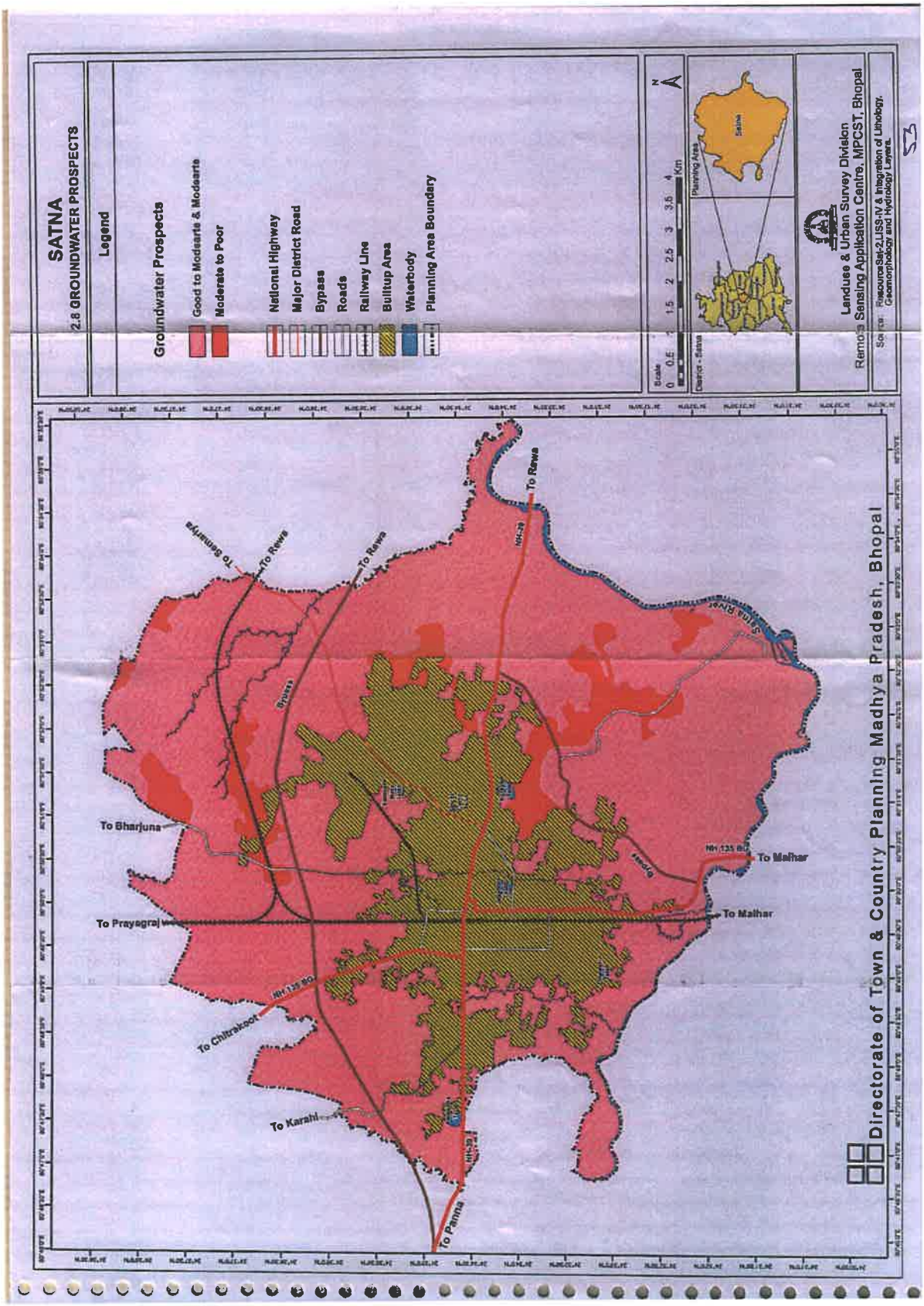
2.3.1.12 शासकीय भूमि

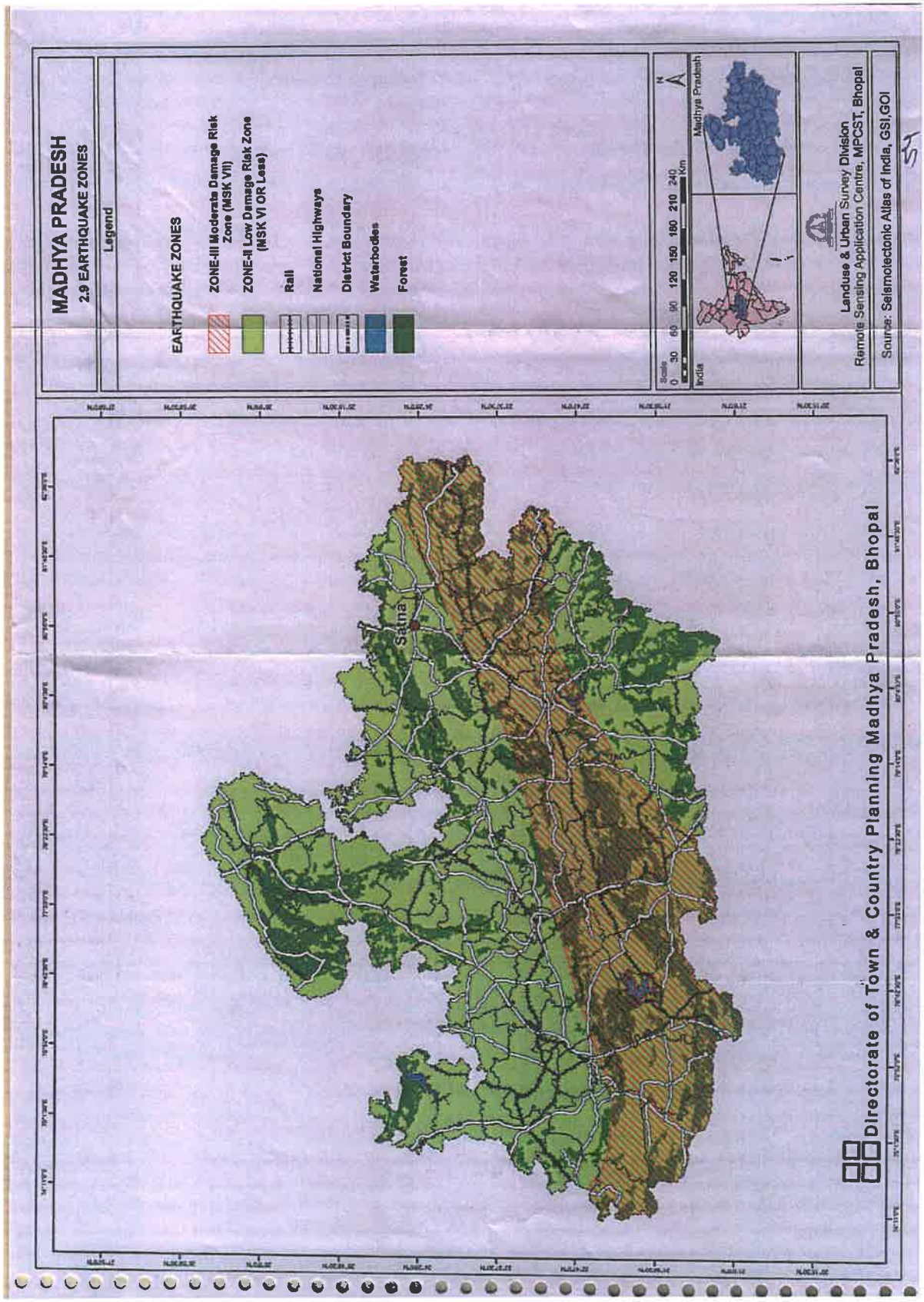
निवेश क्षेत्र में स्थित शासकीय भूमियों की जानकारी मानचित्र कमांक 2.10 में में दर्शाई गई है।

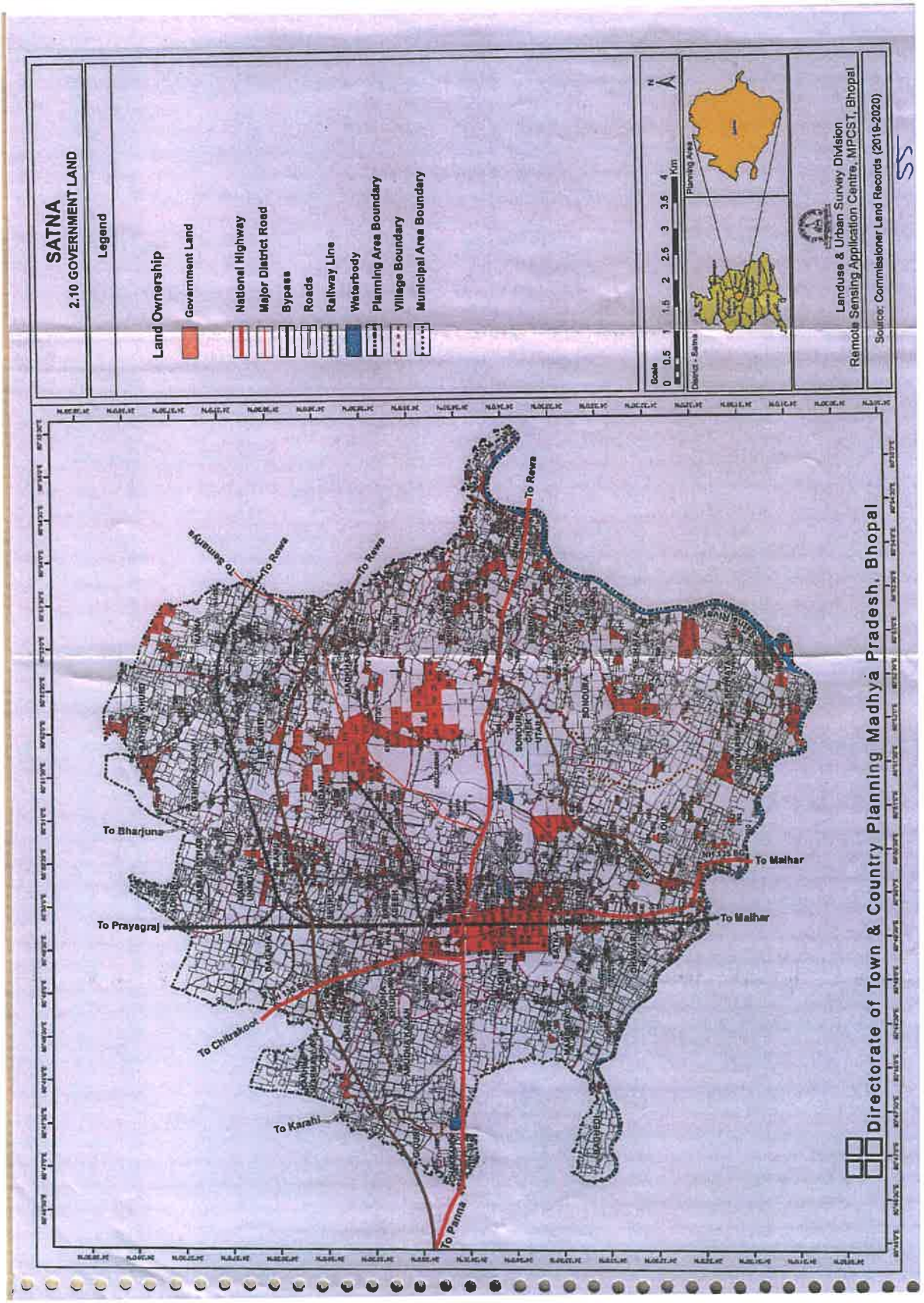
2.3.1.13 भूमि मूल्य

मध्य–प्रदेश रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग से कुल वॉर्डों के अन्तर्गत भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित की गई, एवं मूल्य के संदर्भ में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया गया है जिसे मानचित्र कमांक 2.11 में दर्शाया गया है। । सतना निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पालिक निगम सतना में 46 वॉर्ड सम्मिलित हैं। जिला पंजीयक विभाग सतना से प्राप्त जानकारी सारणी 2–सा–11 में दर्शाई गई है।


SATNA
2.7 LITHOLOGY
Legend
Lithology
Lime stone
Sirbu Shale
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Railway Line
Builtup Area
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
Planning Area
District - Satna
Satna
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: District Resource Map,Geological Survey of India
To Rewa
To Rewa
To Rewa
To Semariya
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Panna
To Maihar
To Maihar
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal


SATNA
2.8 GROUNDWATER PROSPECTS
Legend
Groundwater Prospects
Good to Modaerte & Modaerte
Moderate to Poor
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Railway Line
Builtup Area
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale
Km
Satna - Satna
Planning Area
Satna
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: ResourceSat-2,LISS-IV & Integration of Lithology, Geomorphology and Hydrology Layers.
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rewa
To Rewa
To Rewa
To Semariya
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Panna
To Malhar
To Malhar
NH-135 BG
NH-135 BG
NH-39
Tons River
Satna


MADHYA PRADESH
2.9 EARTHQUAKE ZONES
Legend
EARTHQUAKE ZONES
ZONE-III Moderate Damage Risk Zone (MSK VII)
ZONE-II Low Damage Risk Zone (NSK VI OR Less)
Rail
National Highways
District Boundary
Waterbodies
Forest
Scale
0 30 60 90 120 150 180 210 240 Km
India
Madhya Pradesh
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Selemotectonic Atlas of India, GSI,GOI
Satna
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal


SATNA
2.10 GOVERNMENT LAND
Legend
Land Ownership
Government Land
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
Planning Area
District - Satna
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Commissioner Land Records (2019-2020)
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rewa
To Rewa
To Rewa
To Rewa
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Panna
To Maihar
To Maihar

विभिन्न भूमि मूल्य श्रेणी अन्तर्गत क्षेत्र (वर्ष 2018–2019)

सारणी 2–सा–11

Ward No.	Ward Name	PLOT (SQM)			BUILDING RESIDENTIAL (SQM)				BUILDING COMMERCIAL (SQM)			BUILDING MULTI (SQM)		Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)			
		Residential	Commercial	Industrial	RCC	RBC	Tin shade	Kaccha kabelu	Shop	Office	Godown	Residential	Commercial	Irrigated	Unirrigated	Sub Clause wise Residential	Sub Clause wise Commercial
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	ARJUN WARD	3200-26500	6400-172000	3200-86000	12200-15400	11200-94000	9200-92000	7200-90000	19900-185500	17900-183500	17900-183500	12200-95000	16600-181000	10000000-20000000	10000000-20000000	3200-86000	7600-172000
2.	CHATRASAL WARD	3700-26500	7400-43000	3700-26500	12700-35500	11700-29500	9700-32500	7700-30500	20900-56500	18900-64500	18900-64500	12700-35500	16400-62000	9500000-12000000	9500000-12000000	3700-21500	7400-53000
3.	LOKMANYA TILAK WARD	7500-75000	15000-150000	7500-75000	16500-84000	15500-83000	13500-81000	11500-79000	28500-163500	26500-161500	26500-161500	16500-84000	24000-159000	9500000-12500000	9500000-12500000	7500-75000	21000-150000
4.	POORNANAND WARD	3200-26500	6400-53000	3200-26500	12200-35500	11200-34500	9200-32500	7700-30500	19900-41500	17900-64500	17900-39500	12200-35500	15400-37000	60000000-15000000	60000000-15000000	3700-26500	7400-53000
5.	SAROJNI NAYDU WARD	10500-96000	21000-192000	10500-96000	19500-105000	18500-104000	16500-102000	14500-100000	34500-205500	32500-203500	32500-203500	19500-105000	30000-201000	11000000-35000000	11000000-35000000	10500-96000	21000-192000
6.	BRINDAVAN WARD	7500-75000	15000-150000	7500-75000	16500-84000	15500-83000	13500-81000	11500-79000	28500-163500	26500-161500	26500-161500	16500-84000	24000-159000	9500000-12500000	9500000-12500000	7500-75000	21000-150000
7.	RABINDRANATH TAGORE WARD	6000-53000	12000-106000	6000-53000	15000-62000	14000-61000	12000-59000	1000-57000	25500-119500	23500-117500	23500-117500	15000-62000	21000-115000	6000000-12500000	6000000-12500000	6000-53000	12000-106000
8.	SIDHARTH WARD	3800-9200	7600-18400	3800-9200	12800-18200	11800-17200	9800-15200	7800-13200	21100-31900	1.91E+09	19100-29900	12800-18200	16600-27400	6000000-12500000	6000000-12500000	3800-6400	7600-18400
9.	ACHARYA NARENDRA DE WARD	2700-6400	5400-15000	2700-6400	11700-16500	10700-15500	8700-13500	6700-11500	18900-28500	16900-26500	16900-26500	11700-16500	14400-24000	10000000-11000000	10000000-11000000	2700-7500	5400-13000
10.	MAHAVEER WARD	3200-26500	6400-53000	3200-26500	12200-35500	11200-34500	9200-32500	7700-30500	19900-41500	17900-64500	17900-39500	12200-35500	15400-37000	60000000-15000000	60000000-15000000	3700-26500	7400-53000
11.	ABDUL KALAM AZAD WARD	3800-26500	6400-28000	3800-26500	16000-35500	11200-15000	9200-32500	7200-30500	19900-66500	17900-64500	17900-64500	12200-23000	15400-62000	60000000-15000000	60000000-15000000	3200-26500	6400-53000
12.	RAVISHANKAR SHUKLA WARD	5400-54000	13000-108000	5400-26500	14400-63000	13400-62000	11400-32500	9400-58000	26500-121500	24500-119500	24500-119500	15500-36000	22000-117000	9500000-12500000	9500000-12500000	5400-26500	10800-53000
13.	MAHARANA PRATAP WARD	5400-54000	13000-108000	5400-26500	14400-63000	13400-62000	11400-32500	9400-58000	26500-121500	24500-119500	24500-119500	15500-36000	22000-117000	9500000-12500000	9500000-12500000	5400-26500	10800-53000
14.	RAJEEV GANDHI WARD	7500-75000	15000-150000	7500-75000	16500-84000	15500-83000	13500-81000	11500-79000	28500-163500	26500-161500	26500-161500	16500-84000	24000-159000	9500000-12500000	9500000-12500000	7500-75000	21000-150000
15.	LALA LAJPAT RAI WARD	6000-53000	12000-106000	6000-53000	15000-62000	14000-61000	12000-59000	1000-57000	25500-119500	23500-117500	23500-117500	15000-62000	21000-115000	6000000-12500000	6000000-12500000	6000-53000	12000-106000
16.	SANJAY GANDHI WARD	3800-9200	7600-18400	3800-9200	12800-18200	11800-17200	9800-15200	7800-13200	21100-31900	1.91E+09	19100-29900	12800-18200	16600-27400	6000000-12500000	6000000-12500000	3800-6400	7600-18400

सतना विकास योजना 2035

Ward No.	Ward Name	PLOT (SQM)			BUILDING RESIDENTIAL (SQM)				BUILDING COMMERCIAL (SQM)			BUILDING MULTI (SQM)		Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)			
		Residential	Commercial	Industrial	RCC	RBC	Tin shade	Kaccha kabelu	Shop	Office	Godown	Residential	Commercial	Irrigated	Unirrigated	Sub Clause wise Residential	Sub Clause wise Commercial
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.	JAGJEEVAN RAM WARD	3800-14000	7600-46000	3800-2300	12800-32000	31000-17500	9800-29000	7800-27000	21100-59500	19100-[illegible]500	19100-39500	12800-32000	16600-28000	60000000-14000000	60000000-14000000	3800-23000	7600-46000
18.	SARDAR PATEL WARD	6500-53000	13000-150000	6500-53000	15500-84000	14500-83000	12500-89000	10500-79000	26500-163500	24500-[illegible]1500	24500-161500	15500-84000	22000-159000	6000000-12500000	6000000-12500000	8200-75000	16400-150000
19.	SANT KAWAR RAM WARD	8100-95000	16200-190000	8100-95000	19500-104000	16100-103000	14100-101000	12100-99000	29700-203500	27700-[illegible]3500	27700-201500	17100-104000	25200-199000	6000000-12500000	6000000-12500000	8100-95000	16200-150000
20.	SIVAJI WARD	6700-75000	8600-106000	8100-75000	13300-84000	16100-83000	14100-59000	12100-57000	22100-119500	27700-[illegible]7500	27700-117500	13300-84000	17600-115000	7500000-12500000	7500000-12500000	4300-75000	8600-150000
21.	ASHOK WARD	9500-96000	34000-192000	9500-96000	63000-105000	25000-104000	15500-102000	13500-100000	32500-205500	30500-[illegible]8500	30500-203500	18500-105000	28000-201000	11000000-12500000	11000000-12500000	9500-96000	34000-192000
22.	TULSI RAM THAPA WARD	10500-96000	21000-192000	10500-96000	19500-105000	18500-104000	16500-102000	14500-100000	34500-205500	32500-[illegible]8500	32500-203500	19500-105000	30000-201000	11000000-35000000	11000000-35000000	10500-96000	21000-192000
23.	NETAJI SUBHAS WARD	10500-96000	21000-184000	10500-96000	19500-105000	18500-104000	16500-102000	14500-100000	35500-205500	32500-[illegible]8500	32500-203500	19500-105000	30000-201000	10000000-35000000	10000000-35000000	10500-96000	21000-128000
24.	SWAMI VIVEKANAND WARD	6500-86000	13000-172000	6500-86000	15500-95000	14500-94000	12500-92000	10500-90000	26500-185500	24500-[illegible]3500	24500-183500	15500-95000	22000-181000	12500000-30000000	12500000-30000000	6500-27000	13000-172000
25.	PURUSHOTTAM DAS TANDON WARD	6500-21500	13000-43000	6500-21500	15500-30500	14500-29500	12500-27500	10500-25500	26500-56500	24500-[illegible]4500	24500-54500	15500-30500	22000-52000	12500000-20000000	12500000-20000000	6500-21500	13000-43000
26.	RAFI AHMED KIDWAI WARD	5400-9500	10800-19000	5400-9500	14400-18500	13400-17500	11400-15500	9400-13500	24300-32500	22300-[illegible]0500	22300-30500	14400-18500	19800-28000	10000000-12500000	10000000-12500000	5400-9500	10800-19000
27.	DR.RAM MANOHAR LOHIYA WARD	5400-38000	8000-18000	4000-38000	13000-47000	12000-46000	11400-44000	8000-42000	21500-31500	19500-[illegible]7500	19500-87500	14400-47000	17000-85000	8000000-12500000	8000000-12500000	4000-38000	8000-76000
28.	DR.RAJENRA PRASAD WARD	5400-27000	8600-54000	4300-27000	13300-36000	12300-35000	10300-33000	8300-31000	22100-67500	20100-[illegible]7500	20100-6500	13300-36000	17600-63000	9500000-25000000	9500000-25000000	4300-27000	8600-54000
29.	RADHA KRISHNAN WARD	5400-9800	7600-10800	5400-9800	12800-18800	11800-13400	11400-15800	9400-13800	21100-33100	19100-[illegible]3100	19100-31100	14400-18800	16600-28600	9500000-12500000	9500000-12500000	3800-9800	7600-19600
30.	AMBEDKAR WARD	3800-10500	7600-75000	3800-37500	12800-46500	11800-45500	9800-43500	7800-41500	19900-88500	17900-[illegible]8500	17900-86500	12200-46500	15400-84000	9000000-19500000	9000000-19500000	3200-37500	7600-75000
31.	SARDAR BHAGAT SINGH WARD	3800-6500	7600-19600	3800-9800	12800-18800	11800-17800	9800-15800	7800-13800	21100-33100	19100-[illegible]4300	19100-31100	12800-18800	16600-28600	9500000-1250000	9500000-1250000	3800-9800	7600-19600
32.	INDIRA GANDHI WARD	4400-14000	8800-21600	4400-14000	13400-23000	14500-22000	10400-20000	8400-18000	22300-35100	20300-[illegible]5100	20300-33100	13400-23000	17800-37000	9500000-1250000	9500000-1250000	4400-14000	8800-28000
33.	DR.RANMAT SINGH WARD	600-43500	12000-87000	9300-43500	15000-52500	17300-51500	19000-49500	10000-47500	25500-100500	30100-[illegible]8500	30100-98500	15000-52500	21000-96000	9500000-1250000	9500000-1250000	6000-43500	12000-87000

Ward No.	Ward Name	PLOT (SQM)			BUILDING RESIDENTIAL (SQM)				BUILDING COMMERCIAL (SQM)			BUILDING MULTI (SQM)		Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)			
		Residential	Commercial	Industrial	RCC	RBC	Tin shade	Kaccha kabelu	Shop	Office	Godown	Residential	Commercial	Irrigated	Unirrigated	Sub Clause wise Residential	Sub Clause wise Commercial
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
34.	CHANDRASHEKHAR AZAD WARD	9800-43500	19600-87000	9800-43500	18800-52500	17800-51500	15800-49500	13800-47500	33100-100500	31100-98500	31100-98500	18800-52500	28600-96000	10000000-20000000	10000000-20000000	9800-43500	19600-87000
35.	LAL BAHADUR SHASTRI WARD	6000-7500	12000-15000	6000-7500	15000-16500	14000-15500	12000-13500	10000-11500	25500-28500	23500-26500	23500-26500	15000-16500	21000-24000	9500000-10000000	9500000-10000000	6000-7500	12000-15000
36.	JAI NARAYAN WARD	3800-13000	7600-26000	3800-18500	12800-22000	13400-21000	11400-24500	7800-22500	21100-39500	19100-37500	19100-30700	14400-27500	16600-35000	10000000-11000000	10000000-11000000	3800-13000	7600-26000
37.	VEERSAWARKER WARD	6600-44000	17000-88000	6600-44000	15600-17500	14600-16500	14500-50000	48000-12500	30500-101500	28500-95500	28500-9500	15600-53000	22200-97000	10000000-11000000	10000000-11000000	8500-44000	17000-88000
38.	MAHATMA GANDHI WARD	4400-14000	8800-21600	4400-14000	13400-23000	14500-22000	10400-20000	8400-18000	22300-35100	20300-33100	20300-33100	13400-23000	17800-37000	9500000-1250000	9500000-1250000	4400-14000	8800-28000
39.	ACHARY BINOBA BHAVE WARD	3800-6400	7600-12800	3800-6400	12800-15400	11800-14400	9800-12400	7800-10400	2100-26300	19100-23300	19100-24300	12800-15400	16600-21800	9500000-10000000	9500000-10000000	3800-6400	7600-12800
40.	VISWAS RAO PENTAR WARD	4400-14000	8800-21600	4400-14000	13400-23000	14500-22000	10400-20000	8400-18000	22300-35100	20300-33100	20300-33100	13400-23000	17800-37000	9500000-1250000	9500000-1250000	4400-14000	8800-28000
41.	SAHEED PADMDHAR WARD	3800-11500	7600-23000	3800-11500	12800-20500	11800-19500	9800-17500	7800-15500	21100-36500	19100-34500	19100-34500	20500-15400	16600-32000	6000000-12500000	6000000-12500000	3800-11500	7600-23000
42.	MAHARANI LAXMIBAI WARD	6500-21500	13000-43000	6500-21500	15500-30500	14500-29500	12500-27500	10500-25500	26500-56500	24500-54500	24500-54500	15500-30500	22000-52000	12500000-20000000	12500000-20000000	6500-21500	13000-43000
43.	THAKKAR WAPA WARD	5400-9500	10800-19000	5400-9500	14400-18500	13400-17500	11400-15500	9400-13500	24300-32500	22300-30500	22300-30500	14400-18500	19800-28000	10000000-12500000	10000000-12500000	5400-9500	10800-19000
44.	JAWAHAR LAL NEHRU WARD	7500-75000	15000-150000	7500-75000	16500-84000	15500-83000	13500-81000	11500-79000	28500-163500	26500-161500	26500-161500	16500-84000	24000-159000	9500000-12500000	9500000-12500000	7500-75000	21000-150000
45.	MALWEEYA WARD	4800-10500	9600-21000	4800-10500	13800-19500	12800-18500	10800-16500	10800-14500	27100-34500	25100-32500	25100-32500	15800-18800	28200-30000	10000000-11000000	10000000-11000000	4800-10500	9600-19200
46.	yard railway station colony	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

स्त्रोतः जिला पंजीयक कार्यालय सतना

2.3.1.14 भू–आकृति विज्ञान (जियोमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड

निवेश क्षेत्र को भू आकृति की दृष्टि से पांच भागों में विभाजित किया गया है। क्षेत्र का अधिकांश भाग भू आकृति की दृष्टि से पेडीप्लेन तथा शेष भाग पेडिमेंट, जलाशय, चलित खदान व गलित भूमि में विभाजित किया गया है। यह जानकारी सारणी 2–सा–12 में दर्शाई गई है।

भू–आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

सारणी 2–सा–12

S. No.	जियोमॉर्फोलॉजी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1.	चलित खदान (Active Quarry)	125.86	1.10
2.	गलित भूमि (Gullied Land)	50.79	0.45
3.	पेडिमेंट (Pediment)	981.98	8.61
4.	पेडीप्लेन (Pediplain)	9996.64	87.69
5.	जलाशय (Waterbodies)	244.80	2.15
TOTAL		**11400.06**	**100**

स्त्रोतः जी.आई.एस. विश्लेषण

2.3.1.15 जल स्त्रोत बफर

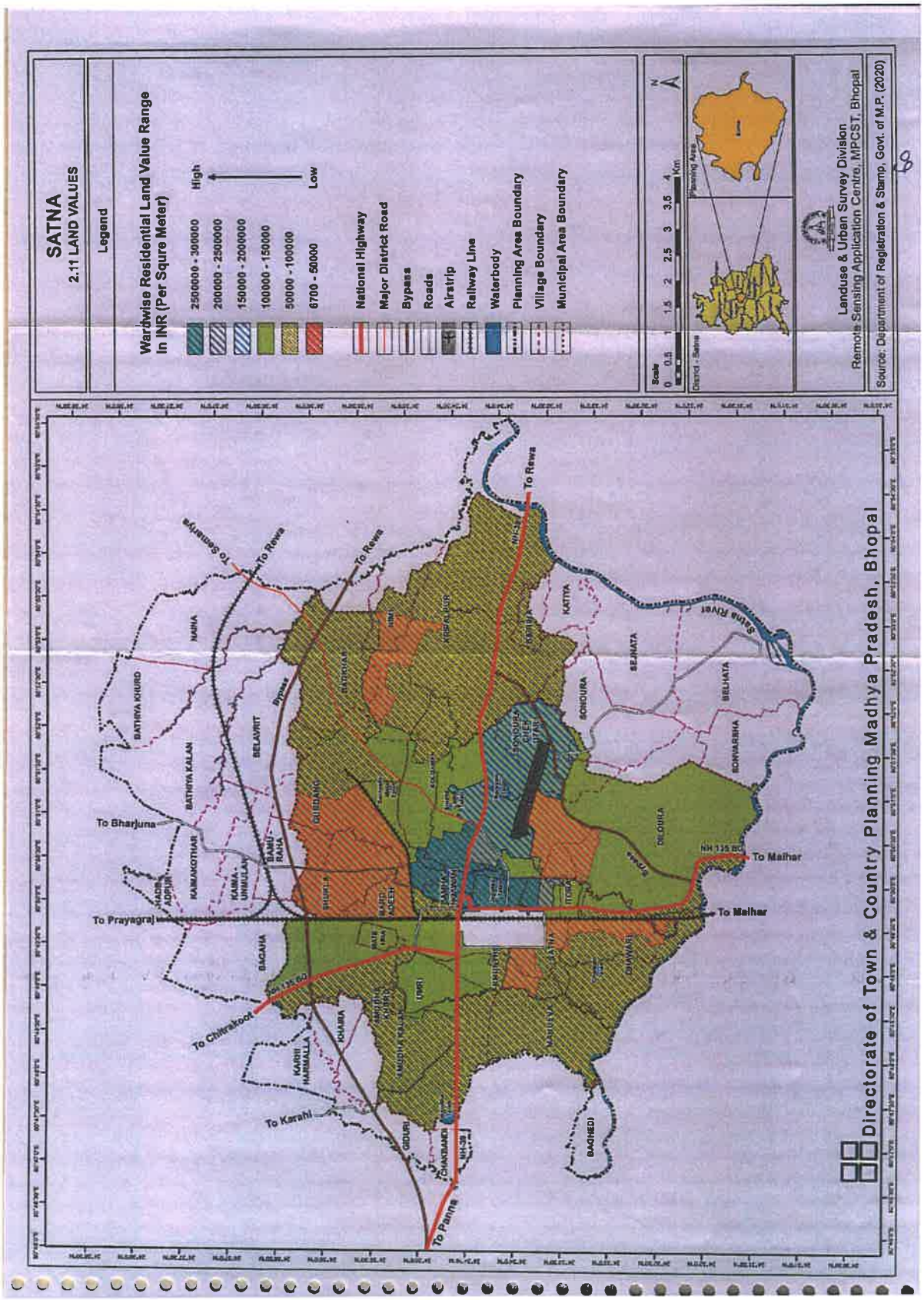
जल स्त्रोत बफर की जानकारी सारणी 2–सा–13 में दर्शाई गई है।

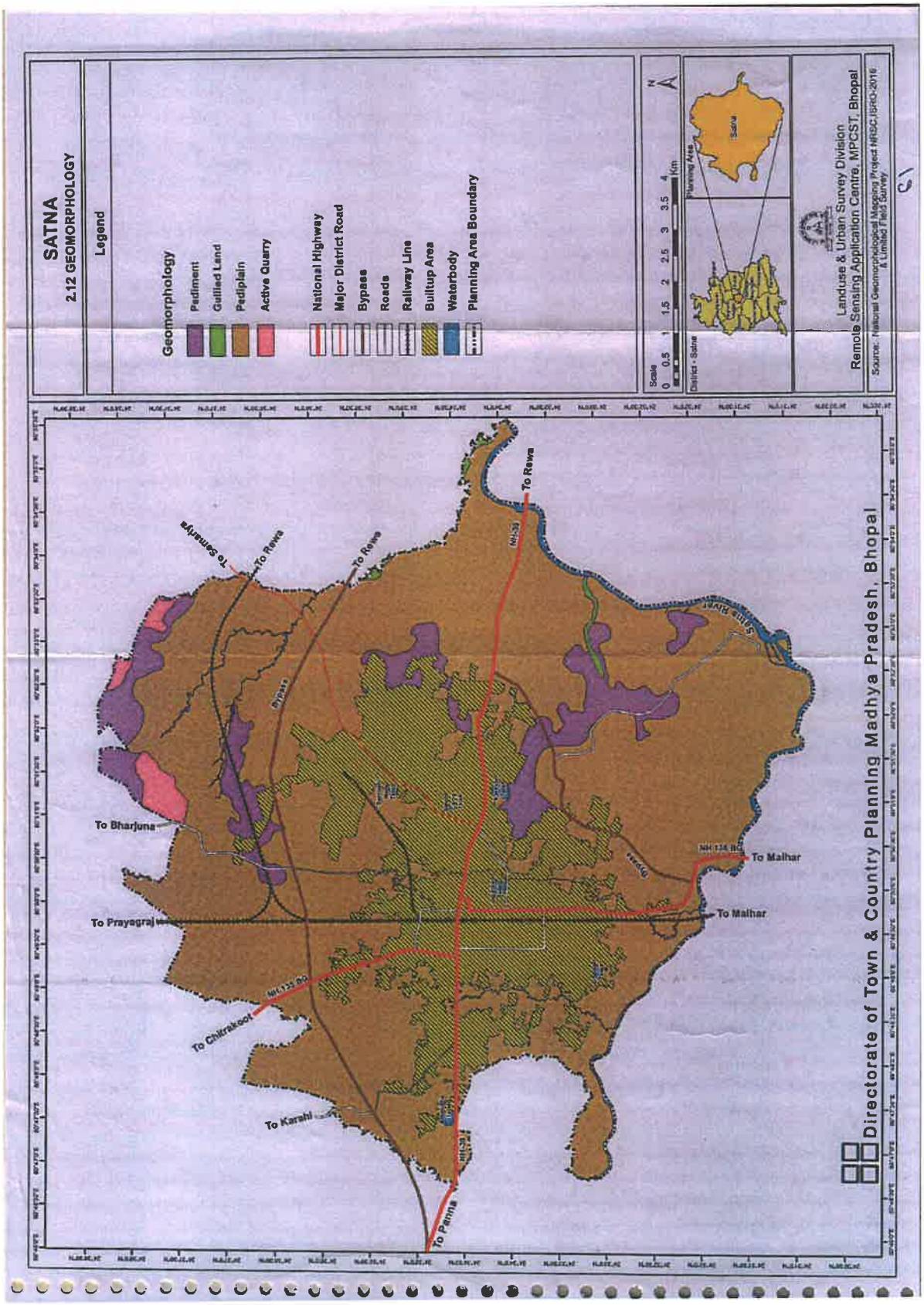
जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल

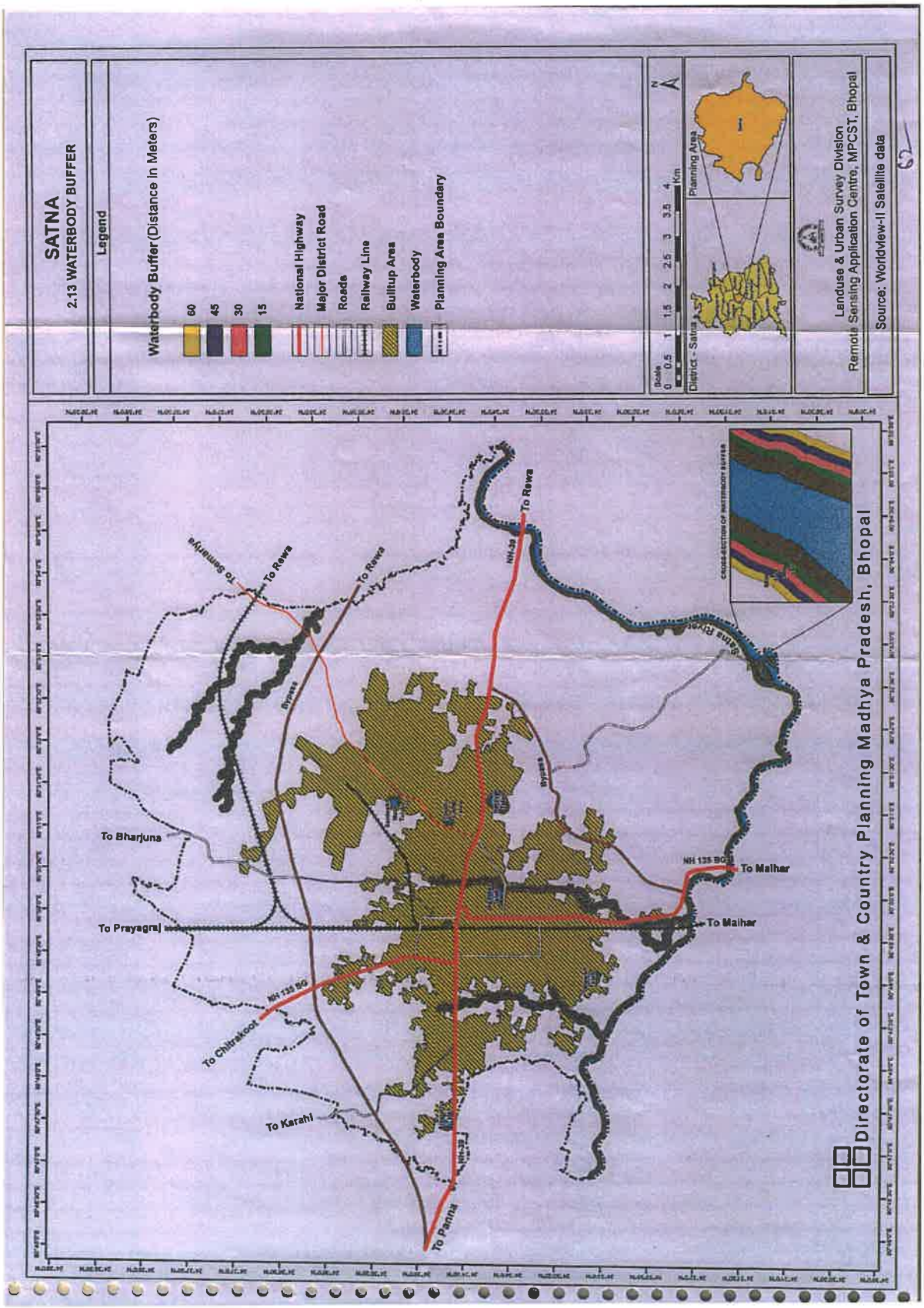
सारणी 2–सा–13

क्र.	बफर (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1.	15	122.33	26.65
2.	30	115.15	25.08
3.	45	111.76	24.35
4.	60	109.82	23.92
कुल		**459.06**	**100**

स्त्रोतः जी.आई.एस. विश्लेषण


SATNA
2.11 LAND VALUES
Legend
Wardwise Residential Land Value Range In INR (Per Squre Meter)
2500000 - 300000
200000 - 2500000
150000 - 2000000
100000 - 150000
50000 -100000
6700 - 50000
High
Low
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Airstrip
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
Km
District - Satna
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Department of Registration & Stamp, Govt. of M.P. (2020)
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rewa
To Sidhi
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Panna
To Maihar
Satna River
Bypass
NH-39
NH 135 BG
KATRA
KARWI
KAMTA
KAMTA HAMAM
KAMTA ADHAR
KAMTA UNDULAN
KAMTA KOTEH
KAMTA KOTHAR
KAMTA BANU RAHA
KAMTA BELAVRIT
KAMTA BATHIYA KALAN
KAMTA BATHIYA KHURD
KAMTA NAHA
KAMTA BAGAHA
KAMTA KHAMRIA
KAMTA KARHI HARMALLA
KAMTA GIDURI
KAMTA CHANDRANDI
KAMTA BAGHEDI
KAMTA SEJNATA
KAMTA BELHATA
KAMTA BONVARSHA
KAMTA SONOURA
KAMTA DILOURA
KAMTA KATHIYA
KAMTA KHAMRIA


SATNA
2.12 GEOMORPHOLOGY
Legend
Geomorphology
Pediment
Gullied Land
Pediplain
Active Quarry
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Railway Line
Builtup Area
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
District - Satna
Planning Area
Satna
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: National Geomorphological Mapping Project NRSC,ISRO-2016
& Limited Field Survey
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rewa
To Rewa
To Rewa
To Sonbhadra
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Panna
To Malhar
To Malhar
NH-39
NH-135 BG
NH-135 BG
Bypass
Satna River


SATNA
2.13 WATERBODY BUFFER
Legend
Waterbody Buffer(Distance In Meters)
60
45
30
15
National Highway
Major District Road
Roads
Railway Line
Builtup Area
Waterbody
Planning Area Boundary
Planning Area
District - Satna
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Worldview-II Satellite data
To Rewa
To Semariya
To Rewa
To Rewa
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Panna
To Maihar
To Maihar
Bypass
Bypass
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

2.3.1.16 भूमि अवक्रमण (Land Degradation)

सतना निवेश क्षेत्र अंतर्गत भूमि की अवक्रमण संबंधी जानकारी सारणी 2–सा–14 में दर्शाई गई है।

भूमि अवक्रमण

सारणी 2–सा–14

क्र.	भूमि अवकमण श्रेणी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	बैरन रॉकि/स्टोनी वेस्ट (Barren rocky/ Stony waste)	734.91
2.	औद्योगिक प्रवाह प्रभावित क्षेत्र (Industrial-effluent affected areas)	6.71
3.	खनन – सतही/खुली खदानें (Mining - Surface/ opencast mines)	492.96
4.	वॉटर इरोसन – मध्यम (Water erosion - Sheet – Moderate)	160.48
Total		**1395.06**

स्त्रोतः जी.आई.एस. विश्लेषण

2.3.1.17 मार्ग संरचना बफर

मार्ग संरचना निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत भावी विकास क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह विभिन्न निवेश इकाईयों को समन्वित करती है। सतना राष्ट्रीय राजमार्ग 39 एवं 135–बीजी पर स्थित है जो शहर को सीधी, पन्ना, रीवा, सिंगरौली एवं मैहर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से जोड़ते हैं। नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु इन मार्गों को सम्मिलित किया गया है, एवं बफर ज़ोन मार्ग के दोनों ओर निर्धारित किए गए हैं। मार्ग संरचना के अन्तर्गत मार्ग संरचना बफर की जानकारी सारणी 2–सा–15 में दर्शाई गई है।

मार्ग संरचना बफर क्षेत्रफल

सारणी 2–सा–15

क्र.	मार्ग बफर (मी.)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1.	100	1325.50	24.31
2.	200	1204.60	22.09
3.	500	2923.38	53.60
कुल		**5,453.48**	**100**

स्त्रोतः जी.आई.एस. विश्लेषण

2.3.1.18 रेलवे स्टेशन

सतना रेल्वे स्टेशन मुम्बई – प्रयागराज लाईन पर स्थित है। यहाँ से रीवा, कटनी, भोपाल, बिलासपुर एवं प्रयागराज के लिये यात्री रेल सेवा मेल एवं पैसेन्जर गाड़ियों द्वारा उपलब्ध है।

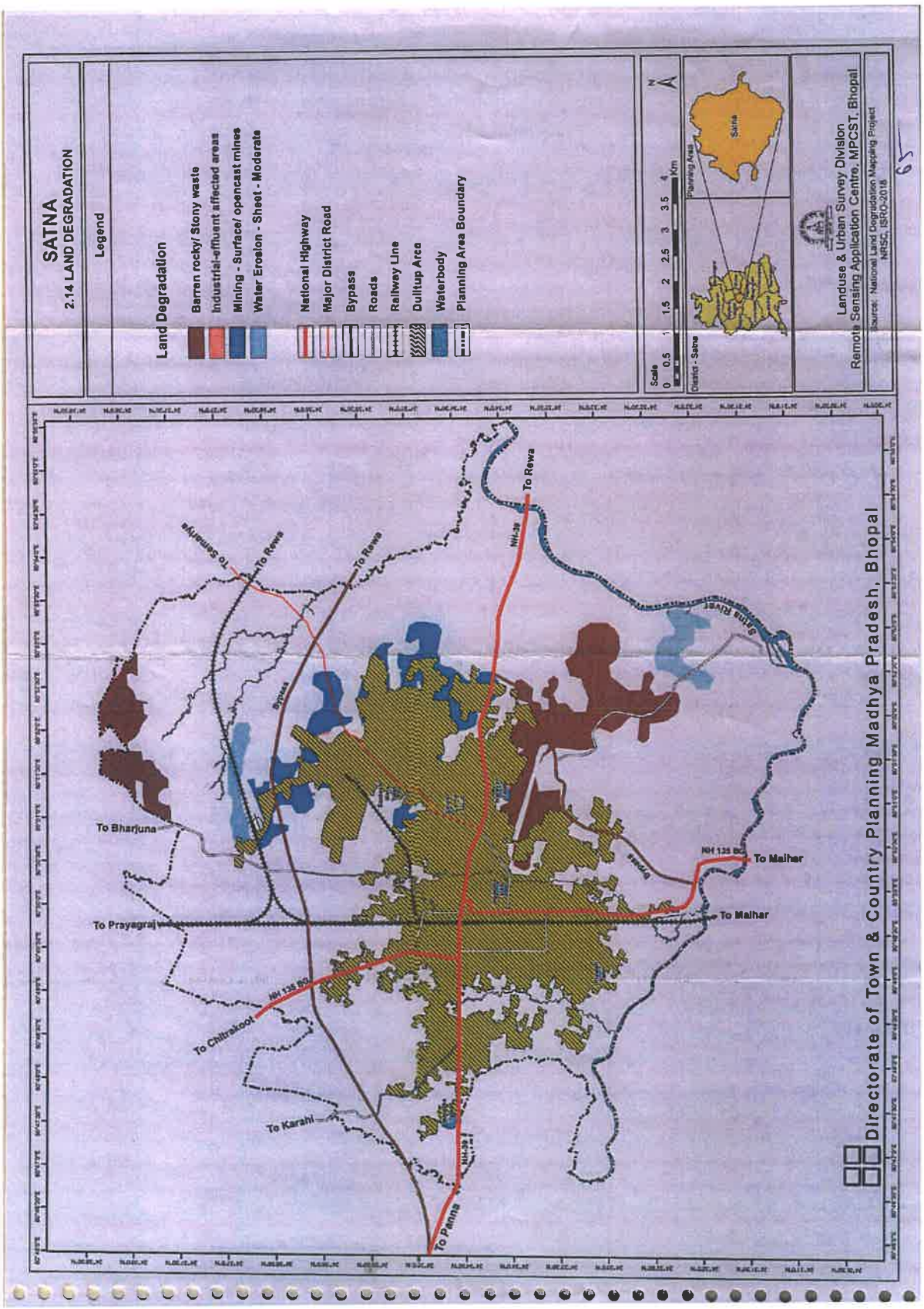
2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

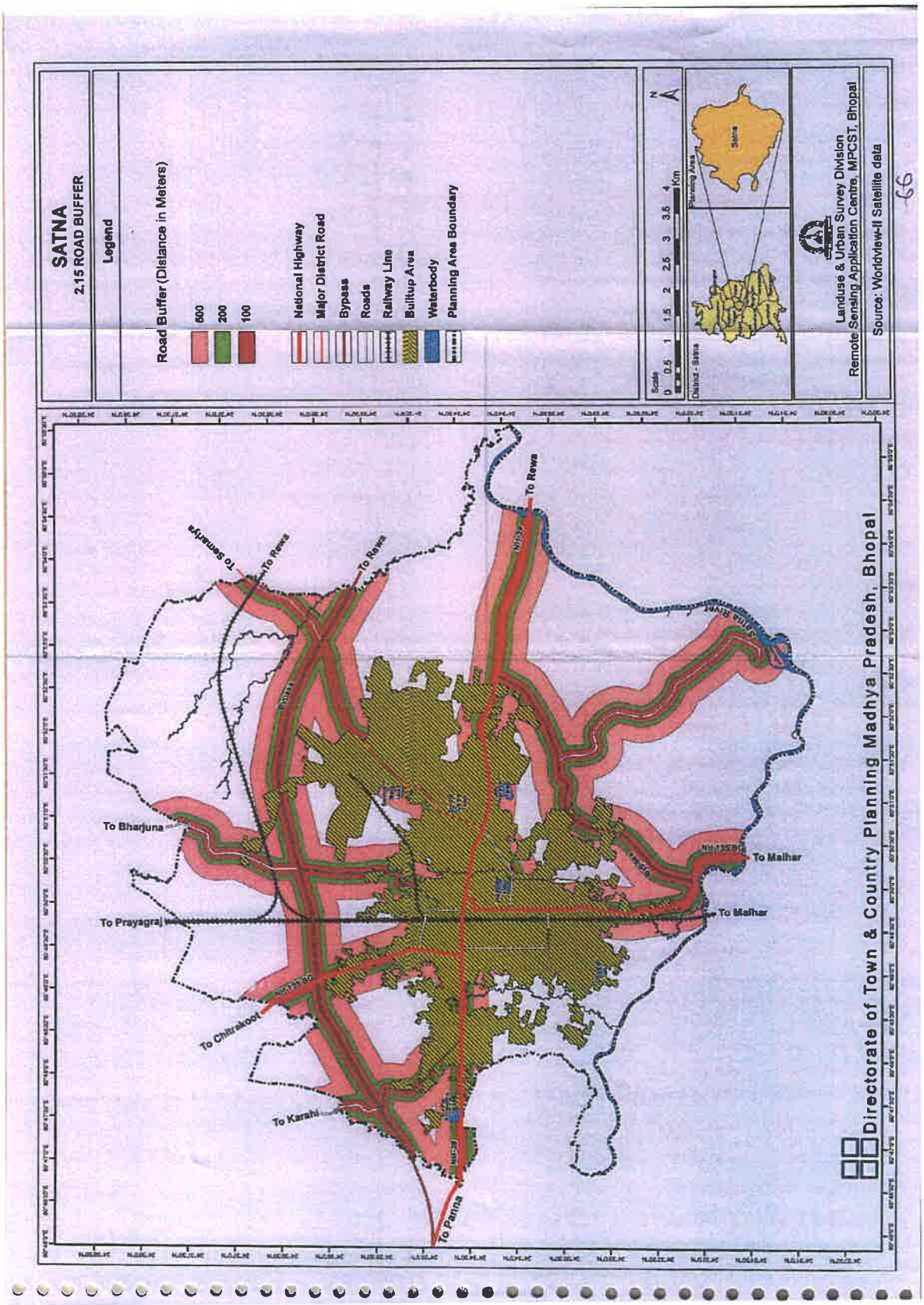
नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना है कि किस भूमि का विकास किया जाए एवं किस प्रकार किया जाए। इस कारण भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक विशेषताएँ, नैसर्गिक अवरोध, एवं सामाजिक तथा आर्थिक समानताएँ महत्वपूर्ण हैं। मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है। भूमि उपयुक्तता का निर्धारण भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर है। भूमि का मूल्य मुख्यतः तीन आधार पर निर्भर होता हैः–

1. भूमि का बाज़ार मूल्य जो पूर्ण विक्रय के आधार पर होता है
2. प्राकृतिक संरचना का गुणात्मक मूल्यांकन
3. संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं। निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है एवं इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं। भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है, अपितु इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करता है एवं भूमि का विस्तृत वर्गीकरण विभिन्न विकास हेतु करना संभव होता है। इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग उपयुक्तता निर्धारण हेतु भूमि की वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा, उस दशा में उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर विकास हेतु ग्राह्य नहीं है, का भी विकास होगा। यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होंगी तो बाज़ार के संदर्भ से उपयुक्तता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त संदर्भ में उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया, जो इस अध्याय में उल्लेखित है, को वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारित करने की दृष्टि से देखा गया है।

इस अध्ययन में बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण, स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन इमेजरी) किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि उपयुक्तता विश्लेषण संभव हुआ। सतना नगर के संदर्भ में एकीकृत भूमि उपयुक्तता विश्लेषण (Composite Land Suitability Analysis) अपनाई गई। इस


SATNA
2.14 LAND DEGRADATION
Legend
Land Degradation
Barren rocky/ Stony waste
Industrial-effluent affected areas
Mining - Surface/ opencast mines
Water Erosion - Sheet - Moderate
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Railwey Line
Dulltup Area
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
District - Satna
Satna
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: National Land Degradation Mapping Project
NRSC, ISRO-2018
To Rewa
To Semariya
To Rewa
To Rewa
NH-39
Bypass
To Bharjuna
To Prayagraj
NH 135 BG
To Chitrakoot
To Karahi
NH-39
To Panna
NH 135 BG
To Maihar
To Maihar
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal


SATNA
2.15 ROAD BUFFER
Legend
Road Buffer (Distance in Meters)
600
200
100
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Railway Line
Builtup Area
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
Planning Area
District - Satna
Satna
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Worldview-II Satellite data
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rewa
To Rewa
To Rewa
To Sehariya
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Panna
To Maihar
To Maihar

प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास/भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है, एवं किस भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में अथवा, विकास हेतु प्रतिबंधित/संरक्षित रखा जाना चाहिए। भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों पर विचार किया गया है।

1. वर्तमान भूमि उपयोग
2. मिट्टी का प्रकार
3. ढलान का प्रतिशत
4. बाढ़ आपदा
5. जलाशय
6. मार्ग संरचना
7. जियोमॉर्फोलॉजी
8. भूमि का मूल्य (वॉर्ड अनुसार)

उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है। सीमा की अवधारणा भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से है। उदाहरण स्वरूप, यदि ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है कि अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्त्रोत (वित्तीय एवं जनशक्ति) आवश्यक होंगे। अतः उक्त भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी। उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है।

उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है। इन घटकों के विश्लेषण की जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किए गए हैं।

2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प

निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व भूमि/नगरीय भूमि उपयुक्तता के घटकों के विश्लेषण के आधार पर विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं। इन विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे घटक के परस्पर संबंधों पर निर्धारित किया गया है। भूमि उपयुक्तता के विकल्पों का वर्णन सारणी 2–सा–16 में दिया गया है।

Weighted Index For Composite Land Suitability

सारणी 2–सा–16

[Model-1]

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	2	3	4	5
1	LANDUSE	25	Vacant Land	9
2			Agriculture	7
3			Builtup	0
4			Water body	0
5			Green	0
1	GEOMORPHOLOGY	20	Pediplain	9
2			Pediments	7
3			Quarry	5
4			Gullied Land	3
5			Water body	0
1	GROUNDWATER PROSPECTS	10	Moderate to Poor	8
2			Moderate	7
3			Good to Moderate	5
4			Water bodies	0
1	SOIL TEXTURE	05	Loamy Skeletal	9
2			Loamy	7
3			Fine loamy	6
4			Fine	5
5			FineSilty	4
6			Water bodies	0
7			Builtup	0
1	ROAD BUFFER	10	100 m	9
2			200 m	7
3			500 m	5
4			>500 m	3
1	WATER BODIES BUFFER	10	>60 m	9
2			60 m	7
3			45 m	5
4			30 m	3
5			15 m	1
1	SLOPE	10	0-1 %	9
2			1-3 %	7

सतना विकास योजना 2035

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	2	3	4	5
1	LAND VALUE	10	6700 - 50000	9
2			50000 -100000	7
3			100000 - 150000	6
4			150000 - 200000	5
5			200000 - 250000	0
6			250000 - 300000	0

[Model-2]

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	2	3	4	5
1	LANDUSE	20	Vacant Land	9
2			Agriculture	7
3			Builtup	0
4			Water body	0
5			Green	0
1	GEOMORPHOLOGY	10	Pediplain	9
2			Pediments	7
3			Quarry	5
4			Gullied Land	3
5			Water body	0
1	GROUNDWATER PROSPECTS	10	Moderate to Poor	8
2			Moderate	7
3			Good to Moderate	5
4			Water bodies	0
1	SOIL TEXTURE	05	Loamy Skeletal	9
2			Loamy	7
3			Fine loamy	6
4			Fine	5
5			FineSilty	4
6			Water bodies	0
7			Builtup	0
1	ROAD BUFFER	15	100 m	9
2			200 m	7
3			500 m	5
4			>500 m	3

सतना विकास योजना 2035

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	2	3	4	5
1	WATER BODIES BUFFER	15	>60 m	9
2			60 m	7
3			45 m	5
4			30 m	3
5			15 m	1
1	SLOPE	15	0-1 %	9
2			1-3 %	7
1	LAND VALUE	10	6700 - 50000	9
2			50000 -100000	7
3			100000 - 150000	6
4			150000 - 200000	5
5			200000 - 250000	0
6			250000 - 300000	0

[Model 3]

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	2	3	4	5
1	LANDUSE	14	Vacant Land	9
2			Agriculture	7
3			Builtup	0
4			Water body	0
5			Green	0
1	GEOMORPHOLOGY	12	Pediplain	9
2			Pediments	7
3			Quarry	5
4			Gullied Land	3
5			Water body	0
1	GROUNDWATER PROSPECTS	12	Moderate to Poor	8
2			Moderate	7
3			Good to Moderate	5
4			Water bodies	0
1	SOIL TEXTURE	12	Loamy Skeletal	9
2			Loamy	7
3			Fine loamy	6
4			Fine	5

सतना विकास योजना 2035

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	2	3	4	5
5			FineSilty	4
6			Water bodies	0
7			Builtup	0
1	ROAD BUFFER	14	100 m	9
2			200 m	7
3			500 m	5
4			>500 m	3
1	WATER BODIES BUFFER	12	>60 m	9
2			60 m	7
3			45 m	5
4			30 m	3
5			15 m	1
1	SLOPE	12	0-1 %	9
2			1-3 %	7
1	LAND VALUE	12	6700 50000	9
2			50000 -100000	7
3			100000 - 150000	6
4			150000 - 200000	5
5			200000 - 250000	0
6			250000 - 300000	0

स्त्रोतः जी.आई.एस. विश्लेषण

घटकों को नगरीय उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की गई, जो 8 मानचित्रों का एकीकरण परिणाम है। 8 मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के कारण कई स्लिवर पॉलीगॉन निर्मित हुए। उक्त पॉलीगॉन को संस्पर्शी पॉलीगॉन में विसर्जित किया गया, जिसका आधार स्थल संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खंड (Minimum Mappable Unit) है। एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है एवं प्रत्येक श्रेणी में सभी घटकों के चरित्र विद्यमान हैं, जो भूमि उपयुक्तता हेतु आवश्यक हैं। प्रत्येक श्रेणी की मूल्यांकन वरीयता उक्त घटक के महत्व के आधार पर एवं एक दूसरे से तुलना के आधार पर की गई।

संयुक्त उपयोगिता संकेतक (Composite Suitability Index) की गणना 8 घटकों के मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर प्राप्त किया गया। सी.एस.आय. को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात का सूचक है कि सक्षमता की सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में कितनी है, अर्थात् न्यूनतम, अधिकतम, सी.एस.आय. का

औसत एवं स्तरीय डिविएशन (Standard Deviation) का उपयोग वर्गीकरण हेतु किया गया है।

सी.एस.आय. मूल्यांकन का अधिक होना नगरीय विकास हेतु उच्च वरीयता का द्योतक होगा। कम सी.एस.आय. मूल्यांकन का संदर्भ नगर विकास हेतु कम मूल्यांकन परंतु संरक्षण हेतु उच्च वरीयता से है। अंततः संयुक्त श्रेणी के संयुक्त परिणाम हेतु नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता 3 श्रेणियों में विभाजित है।

Land Suitability Area

सारणी 2–सा–17

[Model-1]

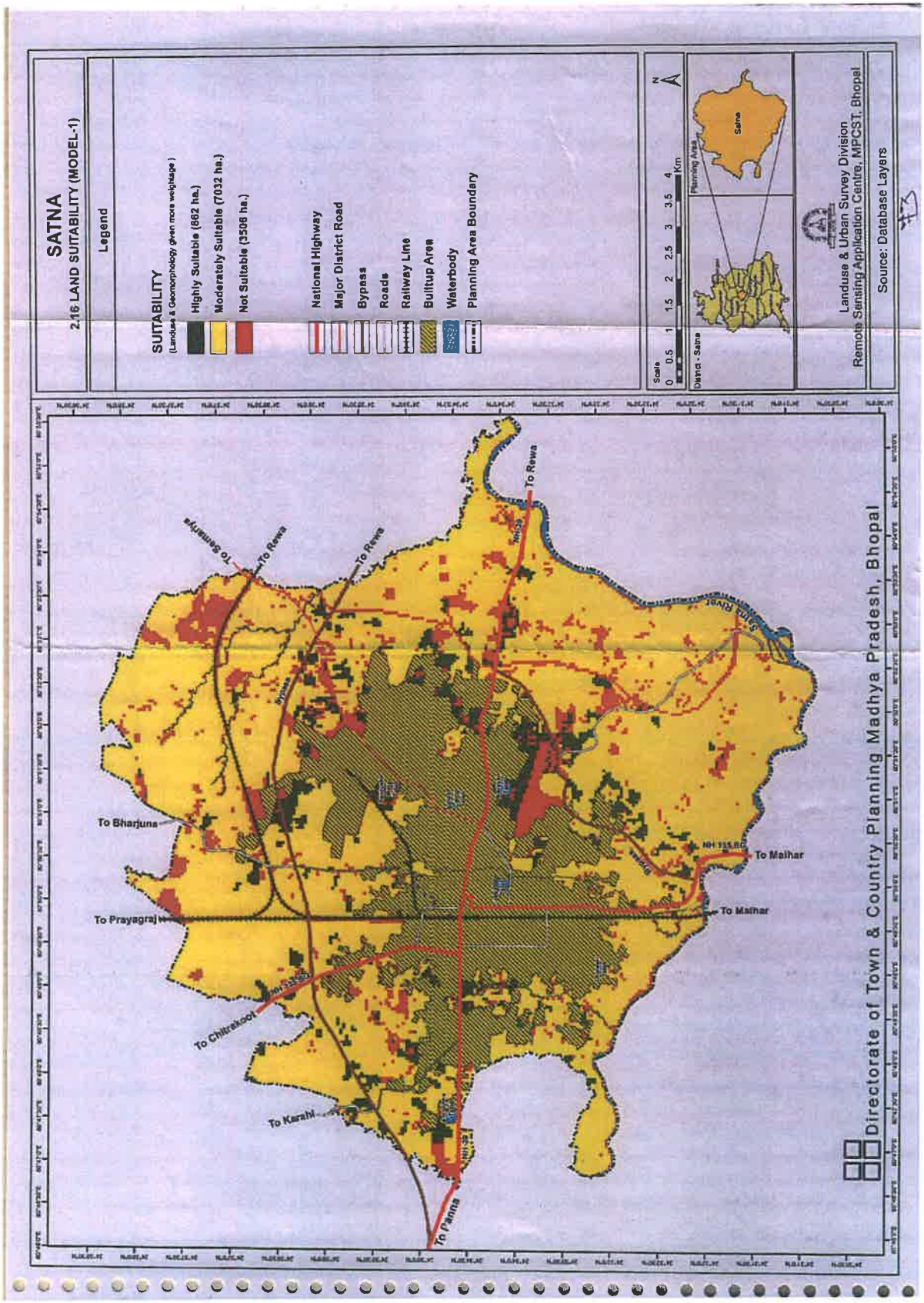
S.no.	Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3	4
1.	Highly Suitable	862.09	7.56
2.	Moderately Suitable	7032.17	61.69
3.	Not Suitable	3505.81	30.75
Grand Total		**11400.06**	**100**

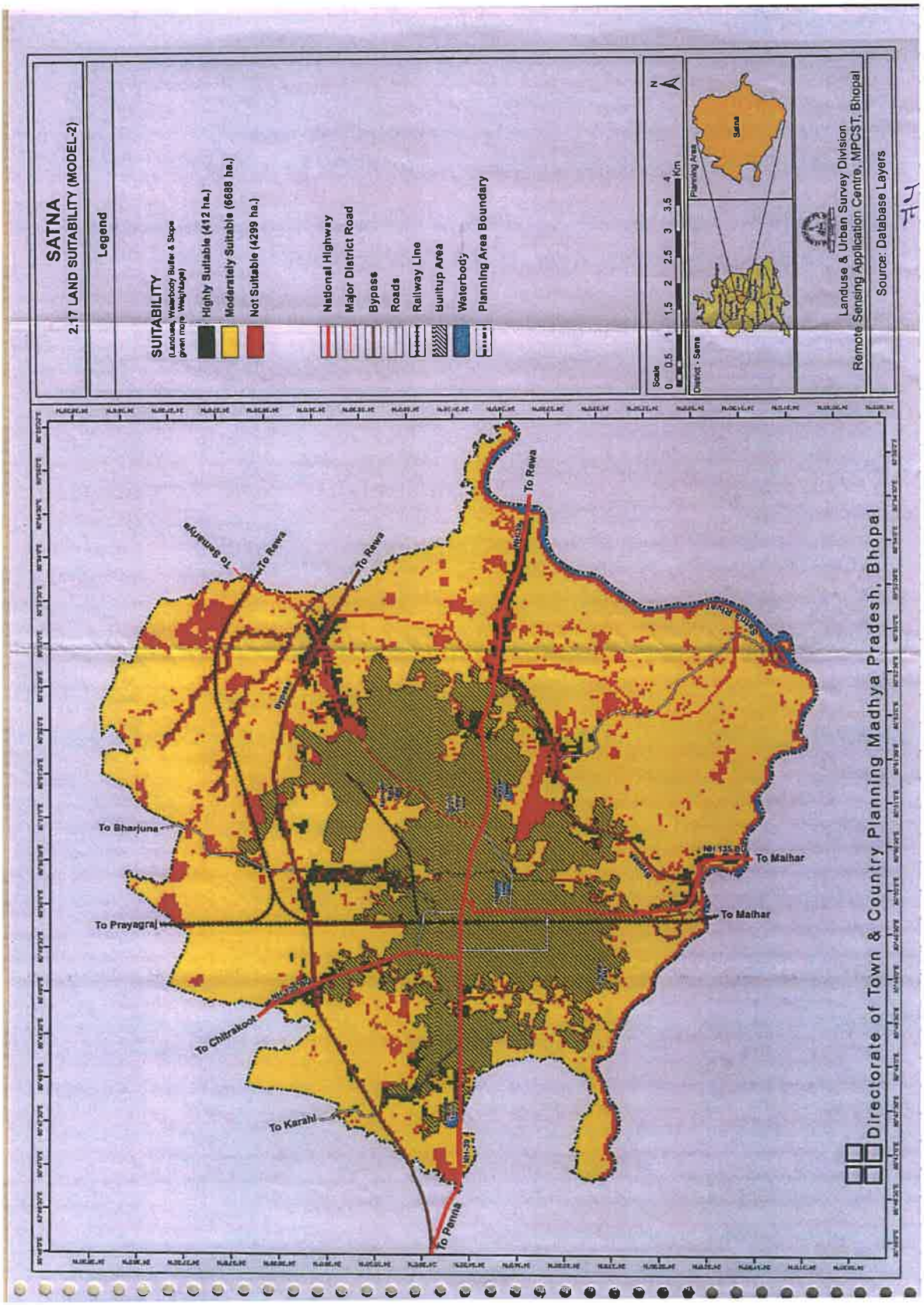
[Model-2]

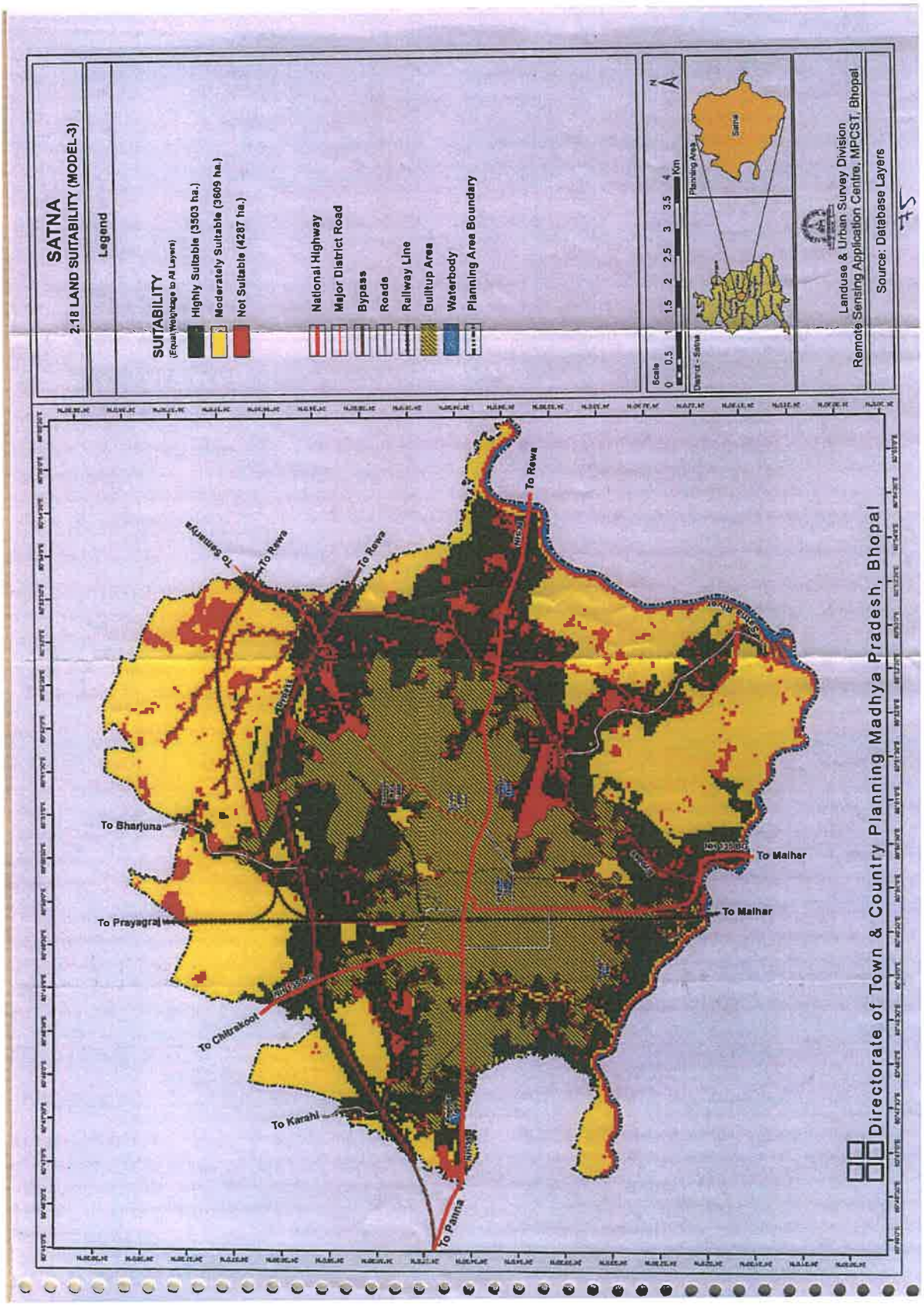
S.no.	Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3	4
1.	Highly Suitable	412.70	3.62
2.	Moderately Suitable	6687.83	58.66
3.	Not Suitable	4299.53	37.71
Grand Total		**11400.06**	**100**

[Model-3]

S.no.	Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3	4
1.	Highly Suitable	3503.24	30.73
2.	Moderately Suitable	3609.54	31.66
3.	Not Suitable	4287.30	37.61
Grand Total		**11400.06**	**100**


SATNA
2.16 LAND SUITABILITY (MODEL-1)
Legend
SUITABILITY
(Landuse & Geomorphology given more weightage)
Highly Suitable (862 ha.)
Moderately Suitable (7032 ha.)
Not Suitable (3506 ha.)
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Railway Line
Builtup Area
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
District - Satna
Planning Area
Satna
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Database Layers
To Rewa
To Semariya
To Rewa
To Rewa
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Panna
To Maihar
To Maihar
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal


SATNA
2.17 LAND SUITABILITY (MODEL-2)
Legend
SUITABILITY
(Landuse, Waterbody Buffer & Slope given more Weightage)
Highly Suitable (412 ha.)
Moderately Suitable (6688 ha.)
Not Suitable (4299 ha.)
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Railway Line
Builtup Area
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District - Satna
Satna
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Database Layers
To Rewa
To Rewa
To Rewa
To Semariya
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Panna
To Malhar
To Malhar
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal


SATNA
2.18 LAND SUITABILITY (MODEL-3)
Legend
SUITABILITY
(Equal Weightage to All Layers)
Highly Suitable (3503 ha.)
Moderately Suitable (3609 ha.)
Not Suitable (4287 ha.)
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Railway Line
Builtup Area
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
Satna
Planning Area
District - Satna
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Database Layers
To Rewa
To Rewa
To Rewa
To Rewa
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Panna
To Maihar
To Maihar
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु [Model-1], [Model-2] एवं [Model-3] तैयार किए गए, जिन्हें सारणी 2–सा–15 में दर्शाया गया है। सतना निवेश क्षेत्रांतर्गत [Model-1] में अधिकतम एवं मध्यम उपयुक्त भूमि कमशः 862.09 हेक्टेयर, 7032.17 हेक्टेयर (कुल 69.29 प्रतिशत) प्राप्त हुई। अतः [Model- 1] का चयन अंतिम रूप से सतना विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया। यह देखा गया है कि उपयुक्त क्षेत्र में वर्तमान विकसित क्षेत्र के संस्पर्शी क्षेत्र में अधिकतम उपयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त हुई है।

2.5 भूमि उपयोग का आवंटन

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात् भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा प्रसारित Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाईड लाईन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया।

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है। पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में उपरोक्त प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है। इसके अंतर्गत उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात् भूमि उपयोग मानचित्र वस्तुस्थिति के अनुरूप तैयार करना एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है। इसी कार्यप्रणाली के आधार पर सतना निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव का चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई, जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है।

सतना विकास योजना 2035

अध्याय– 3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण

3.1 कियान्वयन परिदृश्य

विकास योजना क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु यह वांछनीय है कि विगत वर्षों में हुए विकास में यह आंकलित किया जावे कि नगर में यातायात प्रणाली की कार्यक्षमता कैसी है, तथा वर्तमान यातायात प्रणाली के साथ भविष्य के क्षेत्रों की संबद्धता किस प्रकार होगी। विकसित क्षेत्र में चिन्हित असंगत भूमि उपयोगों की वर्तमान में स्थिति क्या है। इसके साथ ही पूर्व प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन का विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत स्तर क्या है। आर्थिक रूप से कमजोर तथा आवास विहीन परिवारों की स्थिति का भी आंकलन आवश्यक है वर्तमान आवश्यकताओं, नागरिकों की सुख–सुविधाओं में वृद्धि एवं जीवन स्तर में सुधार को ध्यान में रखते हुए विकास योजना पुनर्विलोकन अत्यावश्यक है ताकी पुनर्विलोकन के समय उन बिन्दुओं का समावेश किया जा सके; जिससे क्षेत्र का कार्यक्षम विकास हो सके। प्रबंधन के अभाव में योजना के प्रभावित होने के बिन्दु निम्नानुसार है–

- मिश्रित उपयोग हेतु भूमि प्रस्तावित न होना।
- विकास योजना क्रियान्वयन हेतु विकास प्राधिकरण का गठन नहीं होना। संस्थागत संरचना के लिए भूमि आपूर्ति एवं नगरीय भूमि प्रबंधन प्रक्रिया का अभाव।
- क्रियान्वयन से सम्बद्ध संस्थाओं में आवश्यक समन्वय एवं रूचि का अभाव।
- नगरीय अधोसंरचना के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों का समय पर उपलब्ध ना होना।
- निवेश के लिए संसाधनों को प्रोत्साहित करने में अपेक्षित प्रणाली का विकास ना होना।
- योजना कियान्वयन के सतत् पर्यवेक्षण तथा क्रियान्वयन के पूर्व अनुभवों के आधार पर संशोधन प्रणाली का विकास ना होना।

अतः क्रियान्वयन संबंधी प्रभावी नियंत्रण के अभाव में अधिकांश क्षेत्रों में अवांछनीय, अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास, गंदी बस्तियों का विकास तथा भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना रहित क्षेत्रों का विकास हुआ है।

3.2 विकास योजना के कियान्वयन का मूल्यांकन

सतना विकास योजना 2021 में नगर की जनसंख्या 4.6 लाख अनुमानित जनसंख्या को समाहित करने हेतु विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित किया गया था। विकास योजना 2021 के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण योजना का पुनर्विलोकन आवश्यक समझा गया है। विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी मूल्यांकन को सारणी 3–सा–1 में दर्शाया गया है।

सतना विकास योजना 2035

विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन
(विकास योजना 2021 सारणी 2–सा–4 अनुसार)

सारणी 3–सा–1

क्र.	भूमि उपयोग	विकास योजना 2021 में प्रस्तावित भूमि (हेक्टेयर में)		वर्तमान विकसित क्षेत्र (2019) (हेक्टेयर में)		उच्चावचन / निम्नावन (+)/(–)	क्रियान्वयन स्तर का प्रतिशत
		क्षेत्र	दर	क्षेत्र	दर		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आवासीय	2361.38	5.13	1633.55	4.08	(–) 727.83	69.18
2.	वाणिज्यिक	278.90	0.61	179.95	0.45	(–) 98.95	64.52
3.	औद्योगिक	298.57	0.65	283.02	0.71	(–) 15.55	94.79
4.	मिश्रित	-	-	106.28	-	(+) 106.28	-
5.	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक/ सार्वजनिक उपगोगिताएं एवं सुविधायें	414.21	0.90	264.24 13.64	0.66 0.03	(–) 136.33	67.09
6.	आमोद–प्रमोद	312.80	0.68	226.38	0.57	(–) 86.42	72.37
7.	यातायात एवं परिवहन	843.91	1.83	741.45	1.85	(–) 102.46	87.86
	योग	**4509.77**	**9.80**	**3448.51**	**8.62**	**1061.26**	**76.47**

स्त्रोतः– नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण/विश्लेषण

उपरोक्त सारणी में वर्ष 2019 के वर्तमान भूमि उपयोग सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि सतना विकास योजना 2021 (सारणी 2–सा–4 अनुसार) में प्रस्तावित विकास हेतु 4509.77 हेक्टेयर भूमि निहित थी। जिसमें से कुल 3448.51 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास हुआ है जो कि 76.47 प्रतिशत है।

सतना विकास योजना 2035

विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार)

सारणी 3–सा–2

क्र.	भूमि उपयोग	विकास योजना 2021 में प्रस्तावित भूमि (हेक्टेयर में)		वर्तमान विकसित क्षेत्र (2019) (हेक्टेयर में)		उच्चावचन/निम्नावन (+)/(–)	क्रियान्वयन स्तर का प्रतिशत
		क्षेत्र	दर	क्षेत्र	दर		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आवासीय	3327.38	7.23	1633.55	4.08	(–) 1639.83	49.09
2.	वाणिज्यिक	325.14	0.71	179.95	0.45	(–) 145.19	55.34
3.	औद्योगिक	449.78	0.98	283.02	0.71	(–) 166.76	62.93
4.	मिश्रित	-	-	106.28	-	(+) 106.28	-
5.	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक/सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें	416.81	0.91	264.24	0.66	(–) 138.93	66.67
				13.64	0.03		
6.	आमोद–प्रमोद	581.98	1.27	226.38	0.57	(–) 355.60	38.90
7.	यातायात एवं परिवहन	943.51	2.05	741.45	1.85	(–) 202.07	78.58
योग		**6044.60**	**13.14**	**3448.51**	**8.62**	**2596.09**	**57.05**

स्त्रोतः– नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण/विश्लेषण

टीपः– विकास योजना 2021 के मूल्यांकन के लिए विकास योजना 2021 (सारणी 2–सा–4) एवं विकास योजना 2021 (मानचित्र) दोनों के प्रस्तावित क्षेत्रों में भिन्नताएं मिलती हैं, लेकिन विकास योजना का मानचित्र ही विकास योजना क्रियान्वयन का मुख्य आधार होता है। इस कारण से विकास योजना 2021 के प्रस्तावित मानचित्र के क्षेत्रों को आधार मानते हुए क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया है।

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि विकास योजना के लगभग 57.05 प्रतिशत प्रस्ताव क्रियान्वित किए जा चुके हैं। औद्योगिक के अलावा अन्य भूमि उपयोगों का क्रियान्वयन कम हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 3.03 लाख है। निवेश क्षेत्र की वर्तमान जनसंख्या (वर्ष 2019) 4.00 लाख के मान से विकसित भूमि उपयोग दर प्रति हजार जनसंख्या के लिए 8.62 हेक्टेयर है। विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत क्रियान्वयन स्थिति निम्नानुसार हैः

3.2.1 आवासीय

विकास योजना 2021 में आवासीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए आवासीय विकास हेतु निम्न प्रस्ताव दिये गए थे।

1. सतना–पन्ना राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर–पश्चिम की ओर ग्राम उमरी एवं आमौधा कलां, बगहा।
2. सतना–पन्ना राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण–पश्चिम की ओर ग्राम अमौधा, महदेवा एवं धवारी।
3. सतना–रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर–पूर्व ग्राम कृपालपुर एवं नीवी।
4. सतना–रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण–पूर्व में उतैली, डिलौरा, कृपालपुर।

उपरोक्त क्षेत्रों में कुल 3327.38 हेक्टेयर भूमि आवासीय क्षेत्र में विकसित करना प्रस्तावित था, जिसमें से वर्ष 2019 में किए गए अद्यतन सर्वेक्षण अनुसार 1633.55 हेक्टेयर भूमि का आवासीय विकास हुआ है, जिसका क्रियान्वयन 49.09 प्रतिशत है।

3.2.2 वाणिज्यिक

विकास योजना 2021 में वाणिज्यिक विकास आवासीय सेक्टर में प्रस्तावित करने के साथ ही प्रमुख क्षेत्रीय एवं नगरीय मार्गो से संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत वाणिज्यिक उपयोग हेतु भूमि उपयोग दर 0.71 हेक्टेयर प्रति हजार जनसंख्या के लिये 325.14 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से वर्ष 2019 में किए गए अद्यतन सर्वेक्षण अनुसार 179.95 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ। वाणिज्यिक क्षेत्र का अधिकांश विकास प्रमुख मार्गों पर हुआ है। यू.आर.डी.पी.एफ.आई के मापदण्डों के अनुसार 4 से 6 प्रतिशत भूमि वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। निम्न सारणी में उक्त उपयोग के कियान्वयन का विवरण दिया गया है।

वाणिज्यिक कार्य केन्द्र कियान्वयन

सारणी 3–सा–3

क्रमांक	विवरण	स्थान	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कियान्वयन स्थिति 2019
1	2	3	4	5
1	थोक एवं विशिष्ट बाजार	निवेश इकाई कमांक 3 एवं 4	20.0	अविकसित
2	माल गोदाम एवं शीतगृह	निवेश इकाई कमांक 1,2,3 एवं 4	29.0	वर्तमान निर्मित क्षेत्र यथावत शेष आंशिक विकसित
3	**मंडियां**			
	1– लोहा मंडी	निवेश इकाई कमांक 4	6.00	अविकसित
	2– घास मंडी	निवेश इकाई कमांक 4	6.74	अविकसित
	3– सब्जी मंडी	निवेश इकाई कमांक 2 एवं 4	7.50	अविकसित वर्तमान गल्ला मण्डी में स्थान्तरित किया गया है
	4– भवन निर्णाण सामग्री	निवेश इकाई कमांक 2 एवं 4	15.00	अविकसित
	5– लकड़ी एवं कबाड़ी बाजार	निवेश इकाई कमांक 3	13.00	अविकसित
	6– आयल डिपो	निवेश इकाई कमांक 2	40.00	वर्तमान क्षेत्र यथावत शेष अविकसित
4	**वर्गीकृत बाजार**			
	यातायात नगर एवं मैकेनिक बाजार	निवेश इकाई कमांक 2 एवं 3	4.00	वर्तमान यातायात नगर विकसित शेष अविकसित

क्रमांक	विवरण	स्थान	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कियान्वयन स्थिति 2019
1	2	3	4	5
5	**फुटकर दुकान**			
	1–नगर स्तर पर	निवेश इकाई कमांक 1 एवं 4	65.0	आंशिक विकसित
	2–निवेश इकाई स्तर पर	प्रत्येक निवेश इकाई में	35.0	आंशिक विकसित
	3–खण्ड स्तर पर	प्रत्येक खण्ड स्तर पर	19.0	आंशिक विकसित
योग–			**211.26**	

स्त्रोतः– नगर तथा ग्राम निवेश/जी.आई.एस. सर्वेक्षण

3.2.3 औद्योगिक

विकास योजना 2021 में सतना निवेश क्षेत्र से बाहर संलग्न ग्राम मटेहना में औद्योगिक विकास निगम सतना द्वारा प्रदूषणकारी एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग प्रस्तावित थे। इसके अतिरिक्त निवेश क्षेत्र में वर्तमान बिरला औद्योगिक क्षेत्र एवं यू.सी.एल. के उत्तर में सामान्य उद्योग ग्राम बदखर, घूरडांग, बेला एवं शुक्ला में आरा मिल सिमरिया मार्ग के उत्तर में बदखर में कृषि आधारित उद्योग ग्राम डिलौरा, दुग्ध उद्योग ग्राम सोनौरा में तथा वर्तमान उद्योग क्षेत्र बाधवगढ़ कॉलोनी के पूर्व गहरा नाला के क्षेत्रों में औद्योगिक स्थल प्रस्तावित किया गया था जिसका कुल क्षेत्रफल 449.78 हेक्टेयर है। जिसमें से वर्ष 2019 में किए गए अद्यतन सर्वेक्षण अनुसार 283.02 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ, जो कि 62.93 प्रतिशत है। प्रस्तावित औद्योगिक भूमि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 6.81 प्रतिशत है। यू.आर.डी.पी.एफ.आई के मापदण्डों के अनुसार 7 से 9 प्रतिशत भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। निम्न सारणी में उक्त उपयोग के कियान्वयन का विवरण दिया गया है।

औद्योगिक कार्य केन्द्र कियान्वयन

सारणी 3–सा–4

कमांक	उद्योग का प्रकार	स्थान	क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)	क्रियान्वयन स्थिति 2019
1	2	3	4	5
1	सामान्य उद्योग	वर्तमान बिरला एवं यू.सी.एल. के उत्तर में ग्राम बदखर घुरडांग बेला एवं शुक्ला में	–	अविकसित
2	वन आधारित उद्योग	ग्राम बदखर में सेमरिया मार्ग पर	–	अविकसित
3	कृषि आधारित उद्योग	ग्राम डिलौरा	–	अविकसित
4	दुग्ध उद्योग	ग्राम सोनौरा	–	अविकसित

3.2.4 मिश्रित

विकास योजना 2021 में मिश्रित उपयोग हेतु भूमि प्रस्तावित नहीं की गई थी, परन्तु 2019 की स्थिति में 106.28 हेक्टेयर भूमि मिश्रित उपयोग में विकसित हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि नगर के विकसित क्षेत्र तथा चारों ओर मिश्रित उपयोग हेतु प्रस्ताव एवं मापदण्ड आवश्यक हैं।

3.2.5 सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक/सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें

विकास योजना 2021 में सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें उपयोग के अंतर्गत 416.81 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित था, जिसमें से 277.88 हेक्टेयर भूमि पर इस उपयोग के अन्तर्गत विकास हुआ है, जो कि 66.67 प्रतिशत है।

3.2.6 आमोद–प्रमोद

नगरीय सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण संतुलन को दृष्टिगत रखते हुये विकास योजना 2021 में 581.98 हेक्टेयर भूमि के अंतर्गत उद्यान नगर वानिकी तथा वृक्षारोपण आदि के विकास हेतु स्थल निर्धारित किए गए थे। वर्तमान में इस उपयोग के अंतर्गत कुल 226.38 हेक्टेयर भूमि विकसित हुई है, जो की 38.90 प्रतिशत है। निम्न सारणी में उक्त उपयोग के कियान्वयन का विवरण दिया गया है।

आमोद–प्रमोद कियान्वयन

सारणी 3–सा–5

क्रमांक	मनोरंजन का प्रकार	स्थान	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्रियान्वयन स्थिति 2019
1	2	3	4	5
1.	नगर स्तरीय उद्यान	1. आबकारी गोदाम एवं उससे संलग्न बगीचें को मिलाते हुए क्षेत्र	3.0	वर्तमान बगीचा विकसित शेष अविकसित
		2. ग्राम अमौधा खुर्द में	8.0	अविकसित
		3. ग्राम अमौधा कला राष्ट्रीय राजमार्ग से संलग्न	3.0	अविकसित
		4. ग्राम कोलगवां में राष्ट्रीय राजमार्ग से संलग्न गहरा नाला के पास वर्तमान बगीचे को सम्मिलित करते हुए	4.0	अविकसित
2.	पिकनिक स्थल	1. ग्राम कृपालपुर में टमस नदी से संलग्न वर्तमान बगीचा एवं माधवगढ़ ऐतिहासिक किले को सम्मिलित करते हुए	–	अविकसित
		2. ग्राम बेलहटा में टमस नदी के मध्य स्थित टापू	–	अविकसित
3.	मेला स्थल	ग्राम घूरडांग में संतोषीमाता मंदिर के पास	4.0	अविकसित
4.	प्रदर्शनी स्थल	वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व एवं गहरा नाला शामिल करते हुए	3.0	अविकसित
5.	खेल परिसर	ग्राम सोनौरा में बेलहटा मार्ग पर	8.0	अविकसित
6.	तरण ताल	1. ग्राम कोलगवां में मैत्री बाग से संलग्न नारायण तालाब में	–	सौन्दर्यीकरण किया गया एवं बोटिंग गतिविधिया संचालित
		2. अमौधा खुर्द तालाब	–	अविकसित
		3. अमौधा कला तालाब	–	अविकसित

3.2.7 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना 2021 में यातायात एवं परिवहन हेतु 943.51 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित था, जिसमें से 741.45 हेक्टेयर भूमि विकसित हुई है, जो की 78.58 प्रतिशत है। प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन भूमि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का

15.61 प्रतिशत थी। नगर निगम द्वारा ग्राम कृपालपुर में 20.00 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित मैकेनिक नगर का विकास किया जा चुका है। निम्न सारणी में उक्त उपयोग के कियान्वयन का विवरण दिया गया है।

यातायात एवं परिवहन कियान्वयन

सारणी 3–सा–6

क्र	मार्ग	मार्ग खण्ड	विकास योजना 2021 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	कियान्वयन स्थिति–2019
1	2	3	4	5
1.	एम.आर. 1	उत्तरी रिंग रोड से इंजीनियरिंग कॉलोज होकर चित्रकूट मार्ग तक	35.0	कियान्वित नहीं
2.	एम.आर. 2	भरजुना मार्ग से पश्चिम की ओर रेल्वे लाइन तक	35.0	कियान्वित नहीं
3.	एम.आर. 3	औद्योगिक क्षेत्र से गल्ला मंडी को जोड़ने वाले प्रस्तावित मार्ग से प्रस्तावित उत्तरी रिंग रोड तक	35.0	कियान्वित नहीं
4.	एम.आर. 4	डिलौरा बायपास से प्रस्तावित दुग्ध डेयरी उद्योग बेलहटा मार्ग तक	35.0	कियान्वित नहीं
5.	एम.आर. 5	ग्राम उतैली बायपास से प्रस्तावित रिंग रोड तक	35.0	कियान्वित नहीं
6.	एम.आर. 6	ग्राम उमरी राष्ट्रीय राजमार्ग से महदेवा प्रस्तावित मार्ग तक	30.0	कियान्वित नहीं

3.2.8 नगरीय परिभ्रमण संरचना

मार्गों के नेटवर्क को हमेशा नगर नियोजन का आधार माना जाता रहा है। प्रमुख मार्ग एवं आन्तरिक मार्ग, नगरीय यातायात को सुचारू बनाते हैं तथा जल आपूर्ति, विद्युत, स्ट्रीट लाइट आदि जैसी भौतिक सुविधाएं पहुँचाने में सहायक होते हैं। नगर के भीतर परिभ्रमण मार्ग मुख्यतः प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय स्तर के होते हैं। गली मार्ग भी इन मार्गों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अनियोजित विकास के कारण नगर के भीतर की गलियाँ बहुत संकरी होती है जिसमें गाड़ियों को चला पाना मुश्किल होता है। कुछ स्थानों पर तो गलियाँ इतनी संकरी है कि दुपहिया या तीन पहिया वाहनों को लेकर जाना भी कठिन होता है। इसके अतिरिक्त अविकसित चौराहे, वाहन विराम स्थल (पार्किंग), एक–दूसरे से नहीं जुड़े होने के कारण नगर में सुचारू परिभ्रमण में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिये वाहनों के कुशल संचालन के लिये मार्ग नेटवर्क की योजना बनायी जानी चाहिये।

3.3 योजना कालावधि

नगरीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी घटकों में कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है, इसलिए नियोजन प्रक्रिया में कालावधि का निर्धारण किया जाता है। कालावधि के आधार पर नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित कर नगर का भावी स्वरूप निर्धारित किया जाता है। नगर की वर्तमान एवं भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण कालावधि के लिए किया गया है, साथ ही इसमें दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। सतना विकास योजना के प्रस्ताव वर्ष 2035 तक की कालावधि के लिए प्रस्तावित किए गए हैं।

विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि के उपरान्त भी विकास योजना पुनर्विलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा, विकास योजना प्रस्ताव के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे।

3.4 अधिनियम की धारा 23–क (1) अंतर्गत उपांतरण

भूमि उपयोग उपान्तरण

सारणी 3–सा–7

क्रमांक	ग्राम	खसरा नं0/नजूल नं0	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में भूमि उपयोग	उपांतरित प्रस्तावित भूमि उपयोग
1	2	3	4	5	6
1.	1. कृपालपुर तहसील रघुराजनगर, जिला – सतना	1338/1	6.836 में से 2.803	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
योगः–			**2.803 हेक्टेयर**		

स्त्रोतः– म0प्र0 राजपत्र भाग–1 पृष्ठ कं 7107 दिनांक 16–05–2018

भूमि उपयोग उपान्तरण

सारणी 3–सा–8

क्रमांक	ग्राम	खसरा नं0/नजूल नं0	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में भूमि उपयोग	उपांतरित प्रस्तावित भूमि उपयोग
1	2	3	4	5	6
1.	1. सोनौरा तहसील रघुराजनगर, जिला – सतना	38/1	6.402	प्रस्तवित वनस्पति उद्यान एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग (प्रधानमंत्री आवास योजना)
योगः–			**6.402 हेक्टेयर**		

स्त्रोतः– म0प्र0 राजपत्र भाग–1 पृष्ठ कं 231 दिनांक 17–10–2019

3.5 असंगत भूमि उपयोग

विभिन्न गतिविधियों के पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्ताव सारणी 3–सा–9 में दर्शाए गए हैं।

सतना विकास योजना 2035

असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना

सारणी 3–सा–9

क्र0	भू–उपयोग	वर्तमान स्थल	प्रस्तावित स्थल	रिक्त होने पर भूमि का उपयोग	कियान्वयन स्थिति–2019
1	2	3	4	5	6
(अ.)	आवासीय				
		आद्यौगिक क्षेत्र में आवासीय बस्ती	निवेश इकाई क.3	आमोद–प्रमोद (पार्क)	कियान्वित नहीं
(ब)	वाणिज्यिक				
1.	माल गोदाम	गौशाला चौक के समीप	निवेश इकाई क.4	वाणिज्यिक	कियान्वित नहीं
2.	मांस एवं मछली बाजार	भैंसा खाना, नेहरू मार्केट के सामने	निवेश इकाई कं. 01 नजीराबाद नाले से संलग्न	मार्ग विस्तार/ वाणिज्यिक	कियान्वयन स्थल स्लाटर हाउस निर्मित पूर्णतः चालू नहीं
3.	परिवहन अभिकरण	मध्यक्षेत्र एवं सेमरिया चौक के समीप फैले हुए	यातायात नगर एव पन्ना की ओर मार्ग पर	आवासीय/ वाणिज्यिक	कियान्वयन स्थल कुछ यातायात नगर सतना में स्थानांतरित हुए हैं कुछ यथावत हैं
4.	कबाड़ी बाजार	मध्य क्षेत्र, सिन्धी कैम्प एवं सेमरिया चौक	नजीराबाद में मैहर मार्ग के पूर्व में	आवासीय/ वाणिज्यिक	कियान्वित नहीं
5.	आयल डिपो	रेल्वे स्टेशन के पास	निवेश इकाई क.2 गाम बगहा	रेल्वे विस्तार	कियान्वयन स्थल रेल्वे विभाग का डिपो चालु है शेष बंद किए गए हैं
(स)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक				
1.	लोक निर्माण विभाग का कार्यालय	स्टेशन मार्ग	निवेश इकाई क.3 में जेल के पास पूर्व में	एम.एल.बी. स्कूल	कियान्वित नहीं
2.	पुराना पॉलिटेक्नीक परिसर	राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर में सिविल लाईन क्षेत्र	निवेश इकाई क.3	वाणिज्यिक/ सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक	कियान्वित नहीं
3.	सी.आई.डी. कार्यालय	पन्नीलाल चौक के पास	सिविल लाईन नि. इकाई क.2 में	वाणिज्यिक/ आवासीय	नगर निगम द्वारा पार्किंग का उपयोग किया जा रहा है
4.	एम.एल.बी. स्कूल	स्टेशन मार्ग	निवेश इकाई कं. 2 रिक्त होने पर न्यायालय में	वाणिज्यिक/ पार्किंग	कियान्वित नहीं
5.	डिग्री महाविद्यालय	स्टेशन मार्ग	निवेश इकाई क. 3 में प्रस्तावित	आवासीय/ वाणिज्यिक	कियान्वित नहीं

क्र0	भू–उपयोग	वर्तमान स्थल	प्रस्तावित स्थल	रिक्त होने पर भूमि का उपयोग	कियान्वयन स्थिति–2019
1	2	3	4	5	6
			विकास क्षेत्र के बाहर		
6.	सेन्ट माइकल विद्यालय	कोठी तिराहे के पास	अमौधा पन्ना मार्ग	वाणिज्यिक	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण ग्राम अमौधा कला में किया जा चुका है
7.	सी.एम.ए. विद्यालय	रीवा मार्ग पर भरहुत नगर तिराहा	पन्ना मार्ग पर शेरगंज ग्राम में	वाणिज्यिक	कियान्वित नहीं
8.	सिंधु विद्यालय	रीवा मार्ग पर पार्क होटल के सामने	ग्राम सोनौरा सरस्वती आवासीय विद्यालय के पास	वाणिज्यिक	ग्राम सोनौरा में भवन का निर्माण किया जा चुका है किंतु विद्यालय वर्तमान स्थल पर संचालित है
9.	बोनान्जा विद्यालय	सिंधु विद्यालय के समीप	–तदैव–	आवासीय	ग्राम बदखर में विद्यालय संचालित किया जा रहा है
10.	काईस्ट ज्योति विद्यालय	बस स्टैण्ड के पास रीवा मार्ग पर	–तदैव–	आवासीय	कियान्वित नहीं
(द)	औद्योगिक				
1.	धातु–उद्योग	सिंधी कैम्प एवं सेमरिया चौक के समीप विरला मार्ग	निवेश इकाई कं. 2	आवासीय/ वाणिज्यिक	कियान्वित नहीं
2.	आरा मशीन	नगर के विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए रीवा मार्ग कंवर राम मार्ग पर	निवेश इकाई कं. 2 बदखर	आवासीय/ वाणिज्यिक	कियान्वित नहीं

3.6 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण

3.6.1 जनसंख्या विश्लेषण

सतना नगर मध्यप्रदेश राज्य के रीवा संभाग का एक जिला मुख्यालय होने से सतना के निकटस्थ छः अन्य जिला मुख्यालयों एवं प्रदेश की जनसंख्या का विवरण नियोजन हेतु महत्वपूर्ण है। इसका विवरण सारणी 3–सा–10 में दर्शाया गया है।

राज्य एवं संभाग में जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात

सारणी 3–सा–10

क्र.	राज्य/जिला	कुल जनसंख्या–2011	पुरूष	महिला	लिंगानुपात
1	2	3	4	5	6
1.	मध्यप्रदेश (राज्य)	72626809	37612306	35014503	931
2.	रीवा	2365106	1225100	1140006	931
3.	**सतना**	**2228935**	**1157495**	**1071440**	**926**
4.	सिंगरौली	1178273	613637	564636	921
5.	सीधी	1127033	575912	551121	957
6.	शहडोल	1066063	540021	526042	975
7.	अनूपपुर	749237	379114	370123	977
8.	उमरिया	644758	330674	314084	950

स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है के, मध्य–प्रदेश राज्य के महिला एवं पुरूष लिंग–अनुपात 1000 से कम है एवं उपरोक्त जिलों में सबसे कम, रीवा एवं सबसे अधिक अनूपपुर जिले में है।

सतना जिले की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2228935 थी। सतना नगर की वॉर्ड वार कुल जनसंख्या, शिशुओं (0–6 वर्ष के बालक–बालिका) की जनसंख्या, अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या एवं साक्षरता के आँकड़े सारणी 3–सा–11 में दिए गए हैं।

वॉर्ड वार कुल जनसंख्या

सारणी 3–सा–11

Ward	Population			Child Population (0-6)			SC Population			ST Population			Literates		
	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	6301	3279	3022	423	447	870	1103	1047	2150	204	225	429	2427	1783	4210
2	10109	5337	4772	610	516	1126	253	232	485	89	64	153	4525	3584	8109
3	4977	2608	2369	370	309	679	546	503	1049	11	12	23	1941	1449	3390
4	5119	2722	2397	289	225	514	291	275	566	94	76	170	2303	1905	4208
5	4908	2575	2333	288	214	502	46	48	94	17	10	27	2168	1849	4017
6	6129	3205	2924	325	276	601	124	124	248	8	7	15	2762	2370	5132
7	5925	3107	2818	313	250	563	203	161	364	82	59	141	2679	2353	5032
8	5887	3061	2826	357	289	646	66	102	168	84	89	173	2521	2179	4700
9	8140	4323	3817	561	463	1024	262	298	560	237	219	456	3313	2538	5851
10	8422	4513	3909	515	405	920	411	363	774	194	179	373	3653	2714	6367
11	6076	3290	2786	420	351	771	574	542	1116	239	221	460	2599	1887	4486
12	6874	3766	3108	574	505	1079	1030	959	1989	408	326	734	2588	1623	4211
13	6218	3288	2930	398	348	746	460	399	859	33	30	63	2607	2051	4658
14	3981	2120	1861	280	257	537	345	318	663	141	128	269	1430	976	2406
15	10006	5320	4686	683	574	1257	1074	922	1996	278	243	521	4146	3009	7155
16	4787	2477	2310	371	361	732	796	753	1549	215	217	432	1707	1174	2881

Ward	Population			Child Population (0-6)			SC Population			ST Population			Literates		
	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	5455	3483	1972	273	259	532	855	629	1484	160	39	199	2644	1223	3867
18	8839	4710	4129	589	550	1139	391	357	748	123	113	236	3751	2611	6362
19	5442	2814	2628	406	388	794	825	815	1640	260	247	507	2042	1601	3643
20	6013	3115	2898	313	293	606	74	80	154	7	6	13	2674	2303	4977
21	5543	2885	2658	266	264	530	115	105	220	30	26	56	2475	2109	4584
22	7150	3949	3201	451	444	895	658	643	1301	195	190	385	3112	2107	5219
23	8912	4668	4244	568	538	1106	780	742	1522	191	175	366	3625	2885	6510
24	4522	2351	2171	254	220	474	38	34	72	5	7	12	2003	1690	3693
25	4167	2125	2042	205	212	417	102	104	206	31	27	58	1772	1518	3290
26	4726	2425	2301	268	246	514	147	150	297	203	204	407	1918	1661	3579
27	6010	3148	2862	357	285	642	482	423	905	39	31	70	2563	2218	4781
28	5035	2598	2437	310	297	607	1418	1315	2733	21	16	37	1994	1545	3539
29	6064	3174	2890	355	309	664	654	622	1276	6	4	10	2600	2053	4653
30	9367	4909	4458	562	510	1072	822	716	1538	424	388	812	3953	3113	7066
31	7301	3749	3552	424	382	806	451	477	928	247	245	492	3036	2563	5599
32	6767	3540	3227	423	374	797	809	764	1573	56	32	88	2879	2264	5143
33	7715	4030	3685	471	388	859	167	151	318	36	39	75	3314	2689	6003
34	4304	2268	2036	223	174	397	59	56	115	10	5	15	1997	1734	3731
35	5870	3131	2739	393	329	722	32	23	55	4	5	9	2442	1934	4376

Ward	Population			Child Population (0-6)			SC Population			ST Population			Literates		
	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	4695	2364	2331	256	268	524	309	287	596	132	159	291	1837	1576	3413
37	9996	5218	4778	651	603	1254	187	185	372	210	205	415	3904	3093	6997
38	6256	3238	3018	398	341	739	1037	975	2012	66	63	129	2546	2069	4615
39	5401	2793	2608	277	263	540	678	616	1294	13	15	28	2303	1899	4202
40	3595	1876	1719	184	162	346	10	14	24	2	4	6	1631	1440	3071
41	4826	2512	2314	242	203	445	30	31	61	2	3	5	2193	1943	4136
42	5086	2738	2348	342	245	587	206	181	387	29	18	47	2089	1678	3767
43	6234	3246	2988	465	388	853	853	749	1602	61	55	116	2292	1803	4095
44	5181	2704	2477	338	319	657	195	200	395	15	11	26	2048	1602	3650
45	5891	3122	2769	354	335	689	271	249	520	18	14	32	2534	1917	4451
46	2755	1541	1214	423	447	870	162	157	319	73	54	127	1288	857	2145
TOTAL	282977	149415	133562	17818	15826	33644	20401	18896	39297	5003	4505	9508	118828	93142	211970

स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011

3.6.2 जनसंख्या लिंगानुपात

सतना नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 1, 3, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44 में लिंगानुपात 900 से अधिक है। वार्ड क्रमांक 17, 46 में लिंगानुपात 800 से भी कम है तथा 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 34, 35, 42, 45 में लिंगानुपात 800 से 900 के बीच है। जिसका विवरण सारणी 3–सा–12 में दिया गया है।

वॉर्ड जनसंख्या लिंगानुपात

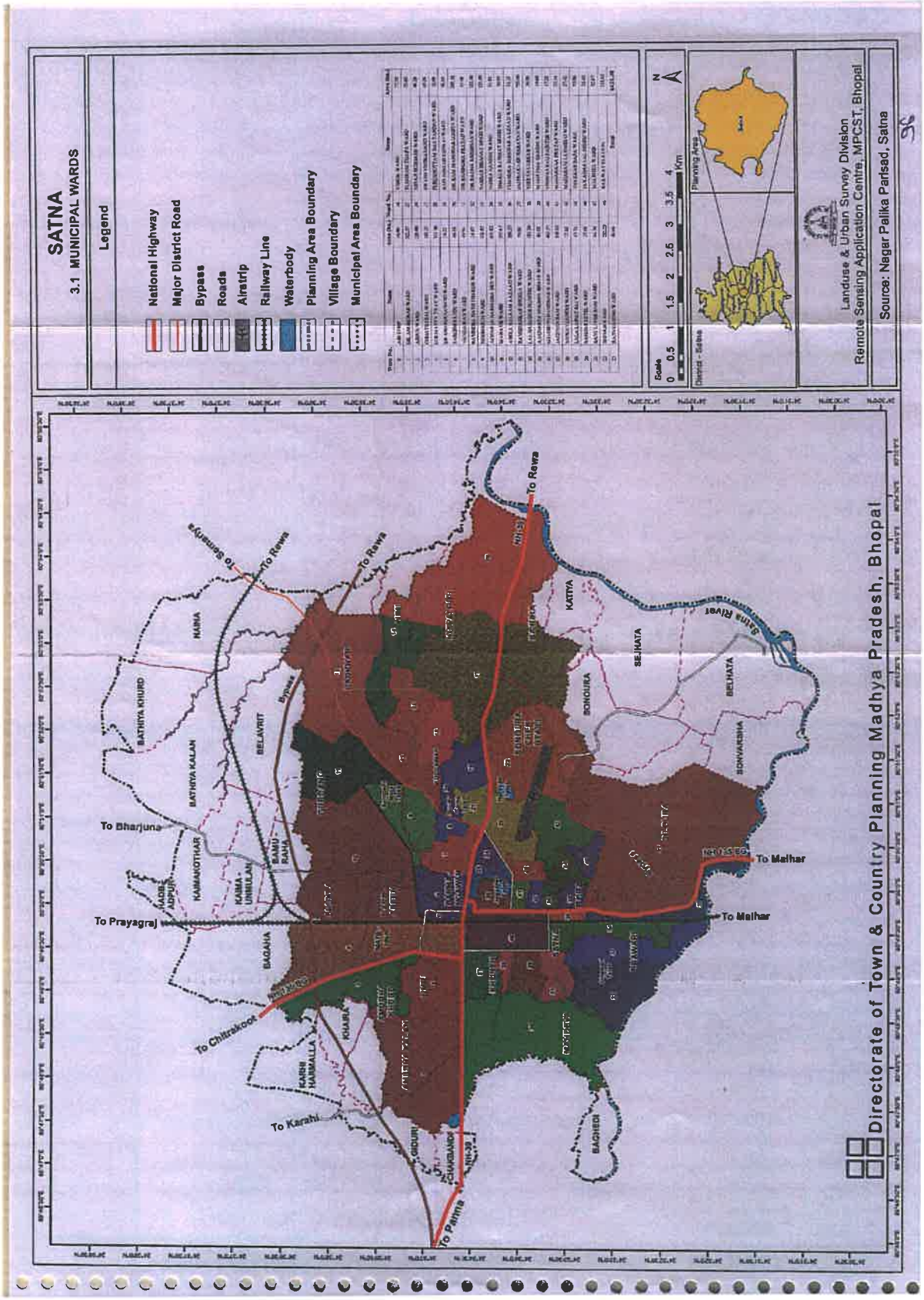
सारणी 3–सा–12

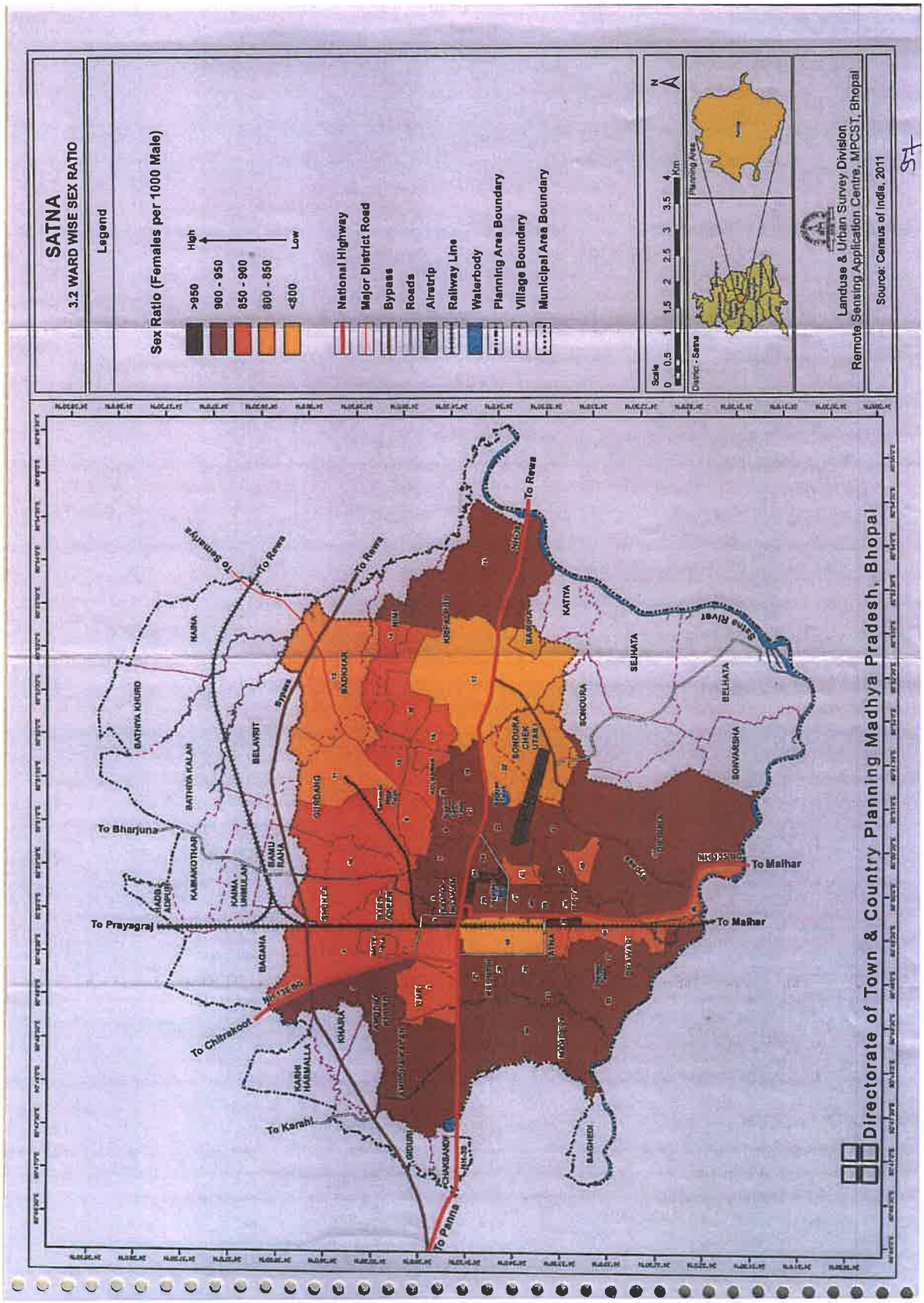
क्र.	जनसंख्या लिंगानुपात (1000 पुरूष पर महिला)	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	>950	25, 36	29
2.	901- 950	1, 3, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44	15
3.	851 – 900	42, 10, 35, 18, 14, 4, 15, 9, 45, 13, 2, 34	12
4.	801-850	22, 12, 11	3
5.	<800	17, 46	2
		योग	**46**

स्त्रोतः– भारत की जनगणना 2011

3.6.3 शिशु जनसंख्या

सतना शहर का लिंग अनुपात **986** है, जबकि शिशु श्रेणी में यह अनुपात **1056** है। सतना में शिशु जनसंख्या प्रतिशत वार्ड क्रमांक–1, 25, 36 में सबसे अधिक प्राप्त हुई है जबकि वार्ड क्रमांक–4, 5, 7, 10, 27, 34, 42, के अन्तर्गत शिशु जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम प्राप्त हुई है, जिसका विवरण सारणी 3–सा–13 में दिया गया है।


SATNA
3.1 MUNICIPAL WARDS
Legend
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Airstrip
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
Planning Area
District - Satna
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Nagar Palika Parisad, Satna
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rewa
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Panna
To Maihar
To Maihar
NAINA
BATHIYA KHURD
BATHIYA KALAN
BELAVRIT
Bypass
KAMAHOTHAR
KAIMA-UNNULAN
BAGAHA
KHARA
KARHI HARMALLA
CHANDANDIH
KATIYA
SEJHATA
BONDURA
BELHATA
SONVARSHA
BACHHODI
Sone River


SATNA
3.2 WARD WISE SEX RATIO
Legend
Sex Ratio (Females per 1000 Male)
High
Low
>950
900 - 950
850 - 900
800 - 850
<800
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Airstrip
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District - Satna
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rewa
To Rewa
To Rewa
To Semariya
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Patna
To Maihar
To Maihar
Tons River
BATHIYA KHURD
BATHIYA KALAN
BELAVRIT
BADKHAR
GURDAHRI
KABRAKOTHAR
BAGAHA
KHARA
KARIH HARMALLA
CHHANDAUR
KATIYA
SEJHATA
SONOURA
SONVARSHA
BAGHEDI
NH-30

शिशु जनसंख्या

सारणी 3–सा–13

क्र.	शिशु जनसंख्या (0–6) लिंगानुपात	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	>1000	1, 25, 36	3
2.	901-1000	14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 37, 39, 44, 45	17
3.	801-900	2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 24, 29, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 43, 46	19
4.	701-800	4, 5, 7, 10, 27, 34, 42	7
		योग	46

स्त्रोतः– भारत की जनगणना 2011

3.6.4 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या

सतना जिले में अनुसूचित जाति–जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या से अनुक्रम में 17.24 प्रतिशत है। उक्त जनसंख्या संपूर्ण नगर में वितरित है, किन्तु वार्ड क्रमांक–28 में उक्त श्रेणी की जनसंख्या 55 प्रतिशत से अधिक है एवं वार्ड क्रमांक–2, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 24, 25, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 45 की जनसंख्या प्रतिशत 11 से भी कम है। अनुसूचित जाति–जनजाति का विवरण सारणी 3–सा–14 में दिया गया है।

अनुसूचित जाति, जनजाति जनसंख्या

सारणी 3–सा–14

क्र.	अनुसूचित जाति / जनजाति जनसंख्या प्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1.	2	3	4
1.	> 50	28	1
2.	31-50	1, 12, 16, 19, 38	5
3.	11-30	3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 39, 43, 46	22
4.	<11	2, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 24, 25, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 45	18
		योग	46

स्त्रोतः– भारत की जनगणना 2011

3.6.5 साक्षरता

सतना नगर निगम क्षेत्र में साक्षरता दर 75 प्रतिशत है। शहर के वार्ड क्रमांक 1, 3, 12, 14, 16, 17, 19, 28, 37, 43, 44 में साक्षरता दर सबसे कम है एवं वार्ड क्रमांक– 34, 40, 41 में अधिक पायी गई है। साक्षरता का विवरण सारणी 3–सा–15 में दिया गया है।

साक्षरता प्रतिशत

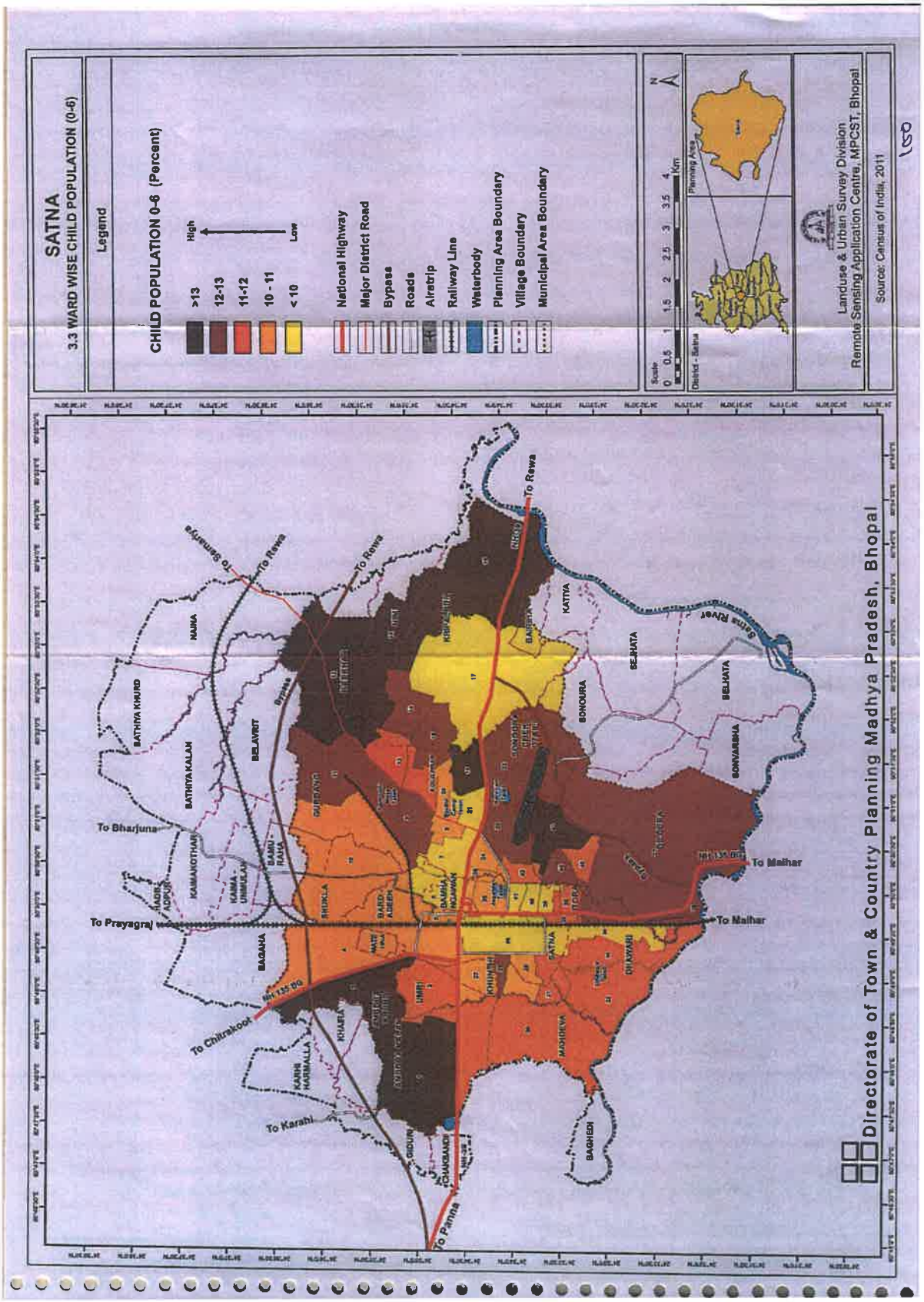
सारणी 3–सा–15

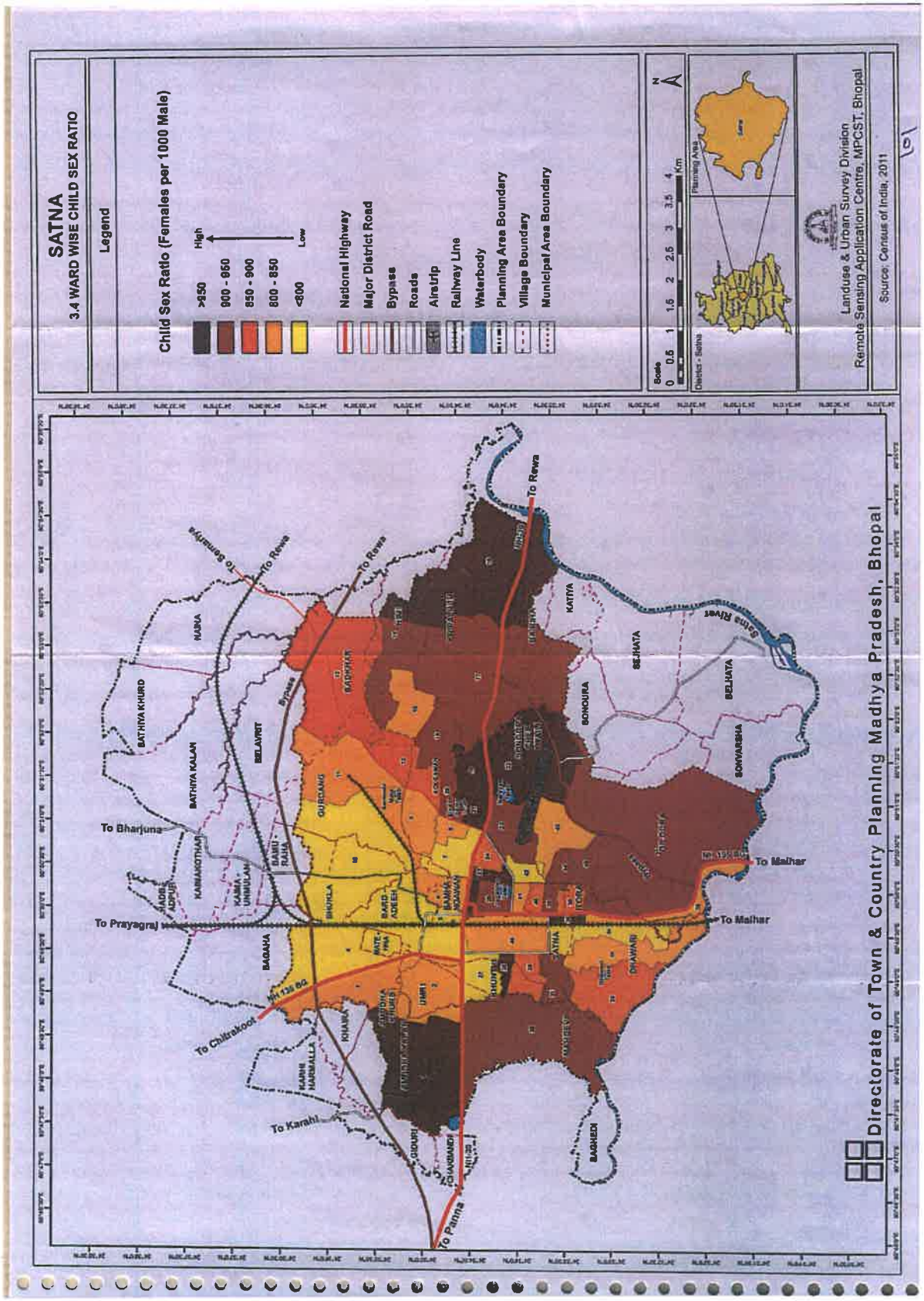
क्र.	साक्षरता प्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	> 85	34, 40, 41	3
2.	71-85	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 45, 46	32
3.	60-70	1, 3, 12, 14, 16, 17, 19, 28, 37, 43, 44	11
		योग	46

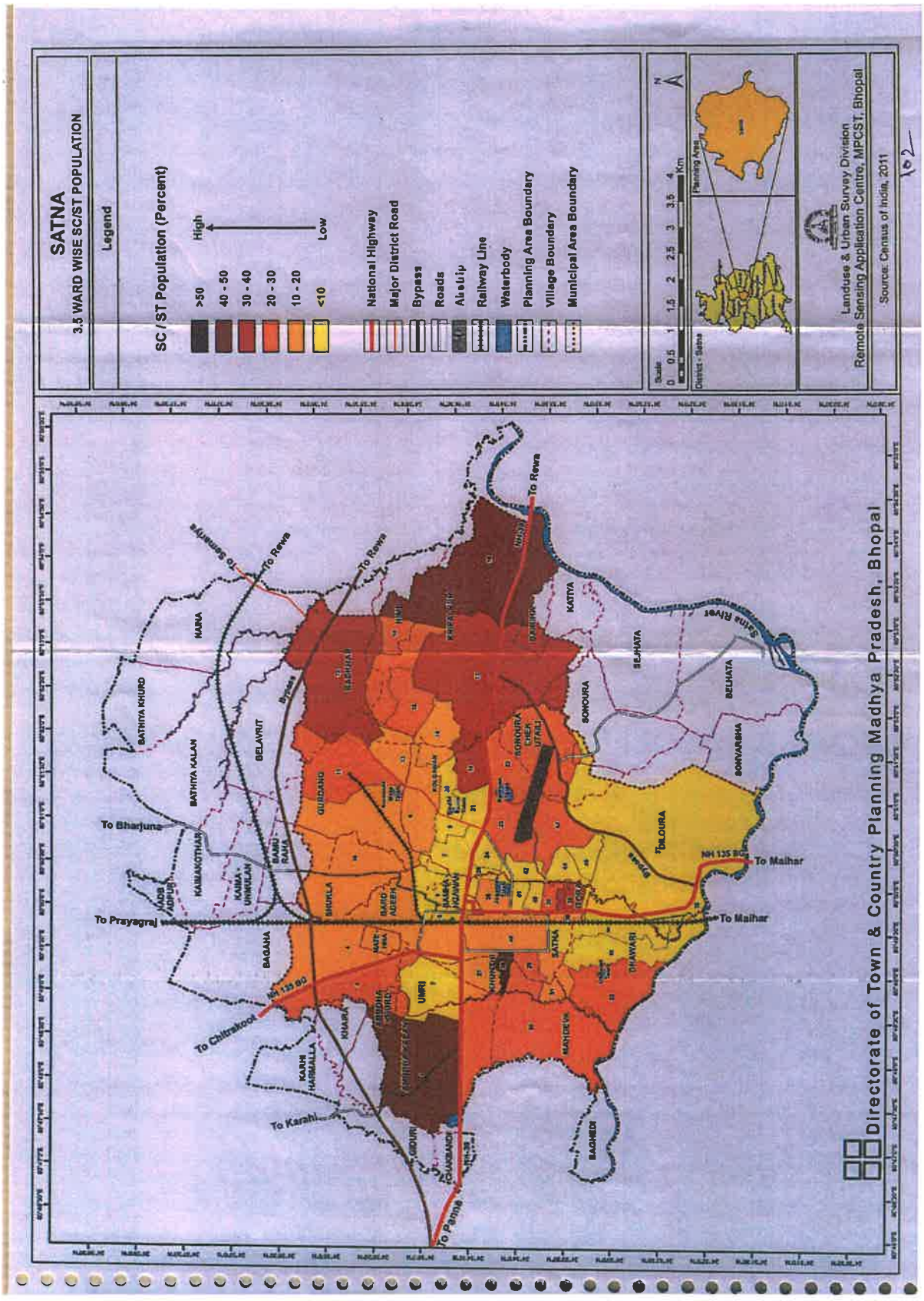
स्त्रोतः– भारत की जनगणना 2011

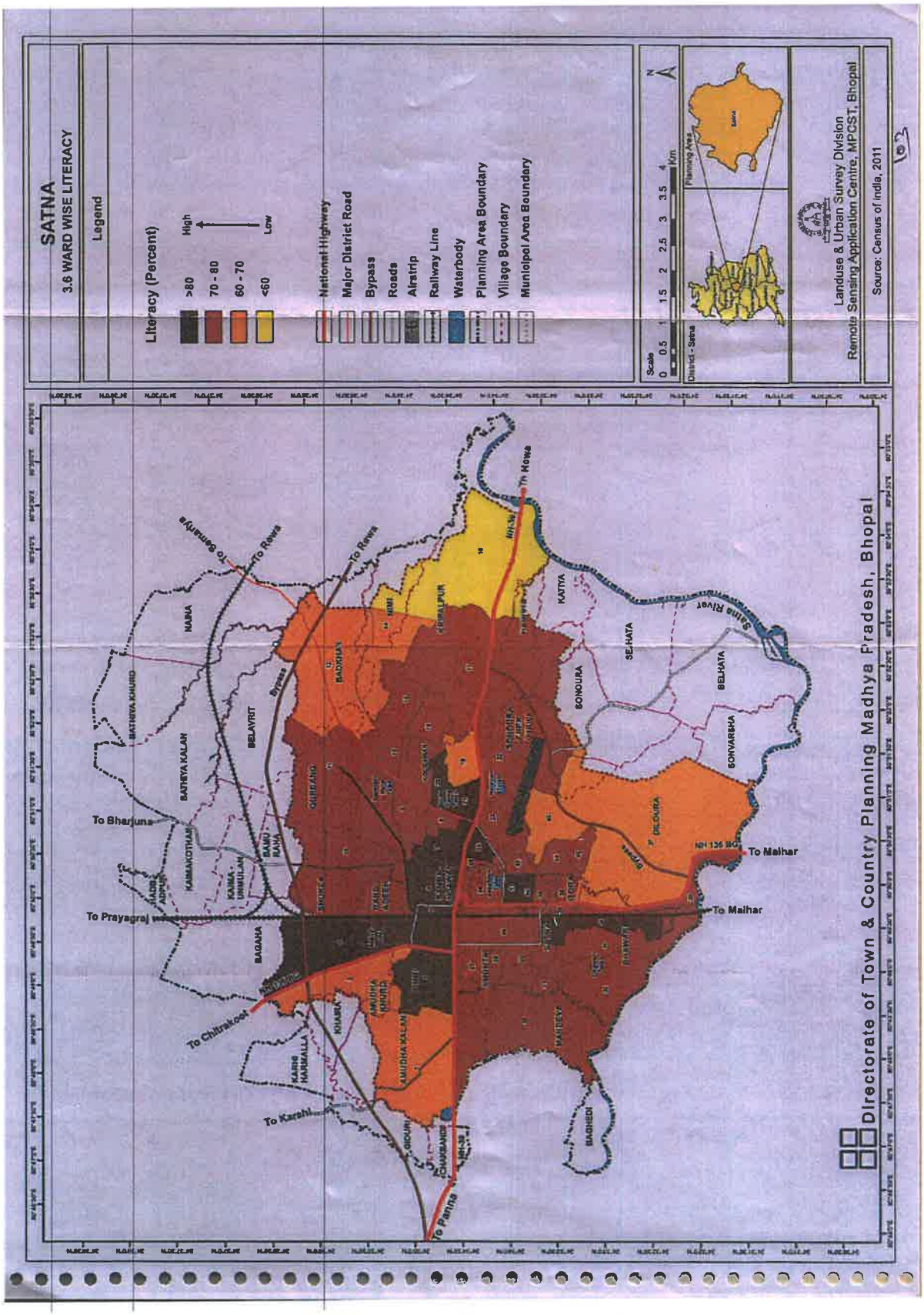
3.6.6 कार्यशील जनसंख्या

सतना नगर की कुल जनसंख्या में श्रमिकों/कार्य सहभागिता की संख्या के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या में से कितने प्रतिशत व्यक्ति विभिन्न कार्यकलापों एवं व्यवसायों में संलग्न कर जीविकोपार्जन कर रहे हैं तथा सबसे अधिक कार्य सहभागिता का प्रतिशत वार्ड क्रमांक– 12, 16, 17, 19, 21, 39, 43 एवं सबसे कम प्रतिशत वार्ड क्रमांक–2, 9, 13, 15, 22, 30, 45, 46 में जानकारी प्राप्त हुई है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर की व्यावसायिक संरचना सारणी निम्नानुसार है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर की कार्यशील जनसंख्या का विवरण सारणी 3–सा–16 में दर्शाया गया है।


SATNA
3.3 WARD WISE CHILD POPULATION (0-6)
Legend
CHILD POPULATION 0-6 (Percent)
High
Low
>13
12-13
11-12
10 - 11
< 10
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Airstrip
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
Km
Planning Area
District - Satna
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rewa
To Semariya
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Panna
To Maihar
Satna River


SATNA
3.4 WARD WISE CHILD SEX RATIO
Legend
Child Sex Ratio (Females per 1000 Male)
High
Low
>950
900 - 950
850 - 900
800 - 850
<800
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Airstrip
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
Km
Planning Area
Distrct - Satna
Landuse & Uroan Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rewa
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Panna
To Malhar
Satna River
BATHIYA KHURD
BATHIYA KALAN
BELAVRIT
BAGHAN
BAGHEDI
BELHATA
SONVARSHA
SONOURA
KATHIA
DHARWARI
KHAJRA
KARHI HARSHALLA
CHOHANDADI
BIJHULA
BARDI ADEEH
KAMTA UNMULAN
KARHAKOTHAR
BARDI RAHA
GURGANG
BAGHAN
NH 135 BG


SATNA
3.5 WARD WISE SC/ST POPULATION
Legend
SC / ST Population (Percent)
High
Low
>50
40 - 50
30 - 40
20 - 30
10 - 20
<10
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Km
Planning Area
District - Satna
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rewa
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Panna
To Maihar
NH 135 BG
KATNI
BELHATA
BONVARSHA
BAGHEDI
BAGAHA
UNRI
KHAIRA
BELAVRUT
BATHIYA KHURD
BATHIYA KALAN
KAIMAKOTHAR
KAIMA UMMULAN
KADA ADPUR
BHUKLA
QURIDANG
KONDHRA CHER UTARJ
DHAWARI
SATNA
KAHTOLA
KHAMRIA
KARNI HARIBALLA
BAGHRAUNDI
CHAUBEY
KHAMRIA
Satna River


SATNA
3.6 WARD WISE LITERACY
Legend
Literacy (Percent)
>80
70 - 80
60 - 70
<60
High
Low
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Airstrip
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
District - Satna
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rewa
To Rewa
To Rewa
To Semariya
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karvhi
To Panna
To Maihar
To Maihar
NH-135 BG
NH-30
Tamas River
Belhata
Sonvarsha
Sejhata
Sonoura
Katya
Belavrit
Bypass
Baghaha
Baghedi
Kamakothar
Bathiya Kalan
Bathiya Khurd
Nabia

सतना कार्यशील (सहभागिता) जनसंख्या 2011

सारणी 3–सा–16

क्र.	कार्य सहभागिता प्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	>40	17	1
2.	36-40	12, 16, 19, 21, 39, 43	6
3.	30-35	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44	31
4.	>30	2, 9, 13, 15, 22, 30, 45, 46	8
योग			46

स्त्रोतः– भारत की जनगणना 2011

3.6.7 जनसंख्या घनत्व

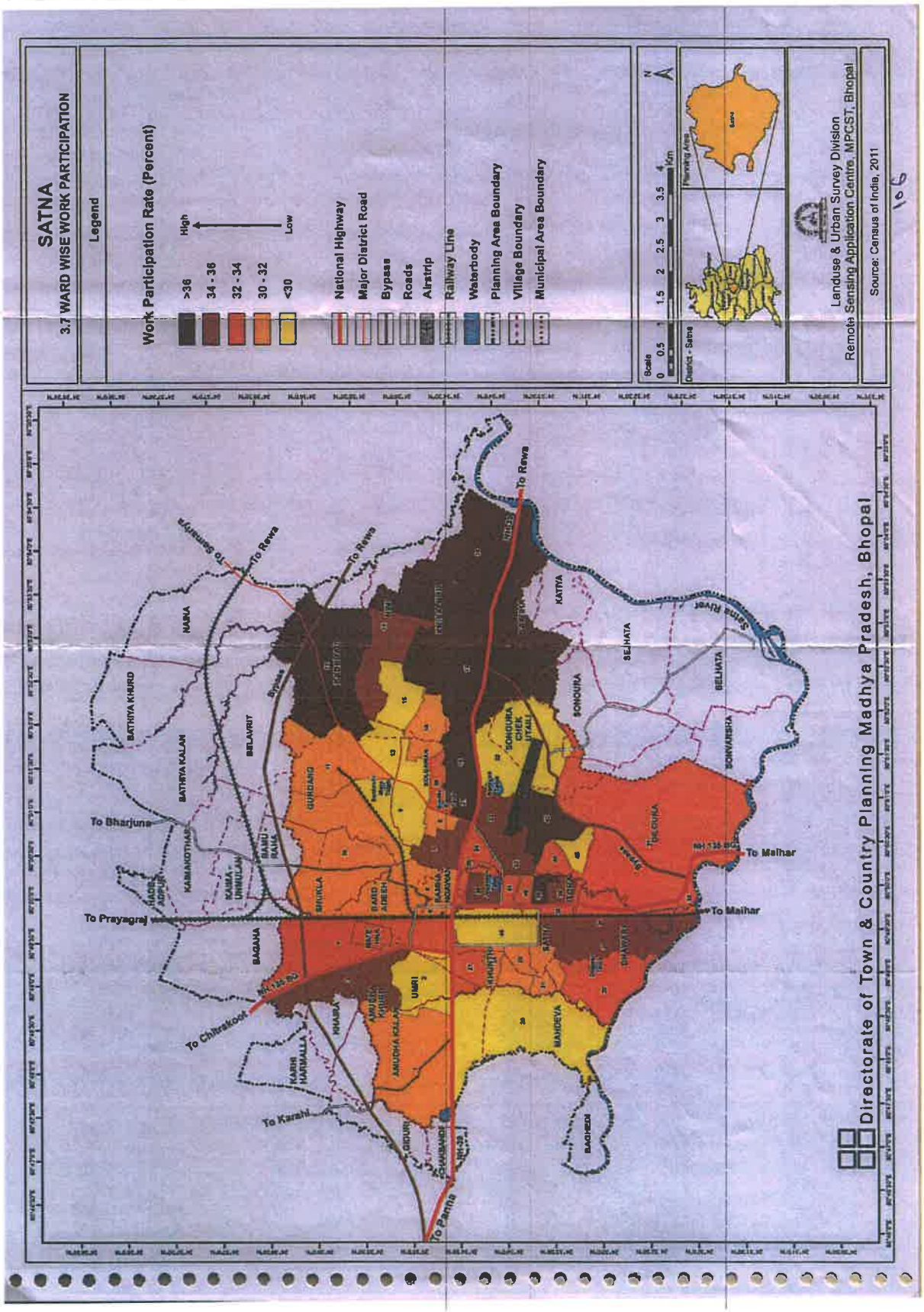
सतना निवेश क्षेत्र में सकल जनसंख्या घनत्व मुख्यतः न्यूनतम ढ़लान युक्त घाटियों एवं समतल क्षेत्र के कारण आवासीय घनत्व मध्यम है। शहर की वार्ड वार जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी 3–सा–17 में दिया गया है।

सतना विकास योजना 2035

जनसंख्या घनत्व

सारणी 3–सा–17

क्र.	वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	जनसंख्या वर्ष 2011	घनत्व
1	2	3	4	5	2
1.	1	डॉ. अम्बेडकर वार्ड	322.57	6301	19.53
2.	2	अर्जुन वार्ड	129.90	10109	77.82
3.	3	छत्रसाल वार्ड	159.33	4977	31.24
4.	4	लोकमान्य तिलक वार्ड	301.30	5119	16.99
5.	5	स्वामी पुर्णानंद वार्ड	34.25	4908	143.29
6.	6	सरोजनी नायडू वार्ड	60.10	6129	101.97
7.	7	वृंदावन वार्ड	69.91	5925	84.75
8.	8	रवीन्द्रनाथ ठाकुर वार्ड	24.87	5887	236.75
9.	9	सिध्दार्थ वार्ड	120.87	8140	67.34
10.	10	आचार्य नरेन्द्रदेव वार्ड	475.02	8422	17.73
11.	11	महावीर वार्ड	185.67	6076	32.73
12.	12	अब्दुल कलाम आजाद वार्ड	359.27	6874	19.13
13.	13	रविशंकर शुक्ल वार्ड	99.01	6218	62.80
14.	14	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड	135.36	3981	29.41
15.	15	आचार्य विनोबा भावे वार्ड	80.52	10006	124.27
16.	16	शहीद पद्मधर वार्ड	465.57	4787	10.28
17.	17	जगजीवन राम वार्ड	508.93	5455	10.72
18.	18	संजय गांधी वार्ड	77.82	8839	113.59
19.	19	लाला लाजपत राय वार्ड	57.73	5442	94.26
20.	20	सरदार पटेल वार्ड	37.08	6013	162.18
21.	21	संत कंवर राम वार्ड	41.34	5543	134.08
22.	22	शिवाजी वार्ड	252.25	7150	28.35
23.	23	राजीव गांधी वार्ड	80.66	8912	110.49
24.	24	अशोक वार्ड	27.28	4522	165.75
25.	25	तुलसीराम थापा वार्ड	33.60	4167	124.03
26.	26	नेताजी सुभाष वार्ड	46.28	4726	102.11
27.	27	स्वामी विवेकानंद वार्ड	69.24	6010	86.80
28.	28	पुरूषोत्तम दास टण्डन वार्ड	18.99	5035	265.19
29.	29	रफीक अहमद किदवई वार्ड	50.69	6064	119.62
30.	30	डॉ. राम मनोहर लोहिया वार्ड	388.42	9367	24.12
31.	31	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड	52.98	7301	137.81


SATNA
3.7 WARD WISE WORK PARTICIPATION
Legend
Work Participation Rate (Percent)
>36
34 - 36
32 - 34
30 - 32
<30
High
Low
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Airstrip
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
District - Satna
Planning Area
Satna
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rewa
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karwi
To Panna
To Maihar
NH-135 BG
NH-39
NANA
BATHIYA KHURD
BATHIYA KALAN
BELAVRIT
Bypass
GURIDAND
KAMAKOTHAR
RAMA UNNULAN
RAMU RAMA
BAGHANA
UMRI
KHARKA
KARHI HARMALLA
ANUGYA KHURD
ANUGYA KALAN
BAGHESH
KATNA
SEJHATA
SONOURA
SONOURA CHEK UTARI
BELHATA
SONVARSHA
TIKURIYA
DHAWARI
Satna River

सतना विकास योजना 2035

क्र.	वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	जनसंख्या वर्ष 2011	घनत्व
1	2	3	4	5	2
32.	32	डॉ. राधाकृष्णन वार्ड	155.50	6767	43.52
33.	33	सरदार भगत सिंह वार्ड	123.88	7715	62.28
34.	34	इंदिरा गांधी वार्ड	91.81	4304	46.88
35.	35	ठाकुर रणमत सिंह वार्ड	79.97	5870	73.40
36.	36	चंद्रशेखर आजाद वार्ड	15.13	4695	310.24
37.	37	जयप्रकाश नारायण वार्ड	755.00	9996	13.24
38.	38	वीर सावरकर वार्ड	26.95	6256	232.11
39.	39	महात्मा गांधी वार्ड	19.60	5401	275.52
40.	40	विश्वासराव पेंटर वार्ड	17.22	3595	208.75
41.	41	महाराणा प्रताप वार्ड	22.14	4826	217.97
42.	42	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड	27.42	5086	185.46
43.	43	ठक्कर बापा वार्ड	92.06	6234	67.71
44.	44	जवाहर लाल नेहरू वार्ड	35.45	5181	146.16
45.	45	मालवीय वार्ड	32.67	5891	180.31
46.	46	यार्ड एरिया रेल्वे कालोनी वार्ड	112.85	2755	24.41
योगः–			**6374.48**	**282977**	–
47.	00	हवाई पट्टी परिक्षेत्र	46.90	–	–
कुल योगः–			**6421.38**	**282977**	–

स्त्रोतः– भारत की जनगणना 2011 एवं नगर पालिक निगम सतना (म.प्र.)

3.6.8 व्यवसायिक संरचना

वर्ष 2011 में सतना नगर में प्रति हजार जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों का अनुपात अर्थात् सहभागिता दर 332.40 थी। व्यवसायिक संरचना का विवरण सारणी 3–सा–18 में दिया गया है।

व्यवसायिक संरचना 2011

सारणी 3–सा–18

क्र.	श्रेणी/वर्ग	क्षेत्र के अंतर्गत कार्यशील श्रमिक	प्रतिशत	सहभागिता दर (प्रति 1000 जनसंख्या)
1	2	3	4	5
1.	कृषक	3867	3.83	12.74
2.	खेतीहर मजदूर	5306	5.26	17.48
3.	गृह उद्योग	6902	6.84	22.74
4.	अन्य मजदूर	84831	84.07	279.45
योग		**100906**	**100**	**332.40**

स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011

3.6.9 जनसंख्या परिवर्तन

- **सतना निवेश क्षेत्र की जनसंख्या**

सतना निवेश क्षेत्र की जनसंख्या में सतना नगर एवं सम्मिलित ग्रामों को भी शामिल किया गया है, जिसका विवरण सारणी 3–सा–19 में दर्शाया गया है।

वर्ष 2011 अनुसार निवेश क्षेत्र की जनसंख्या

सारणी–3–सा–19

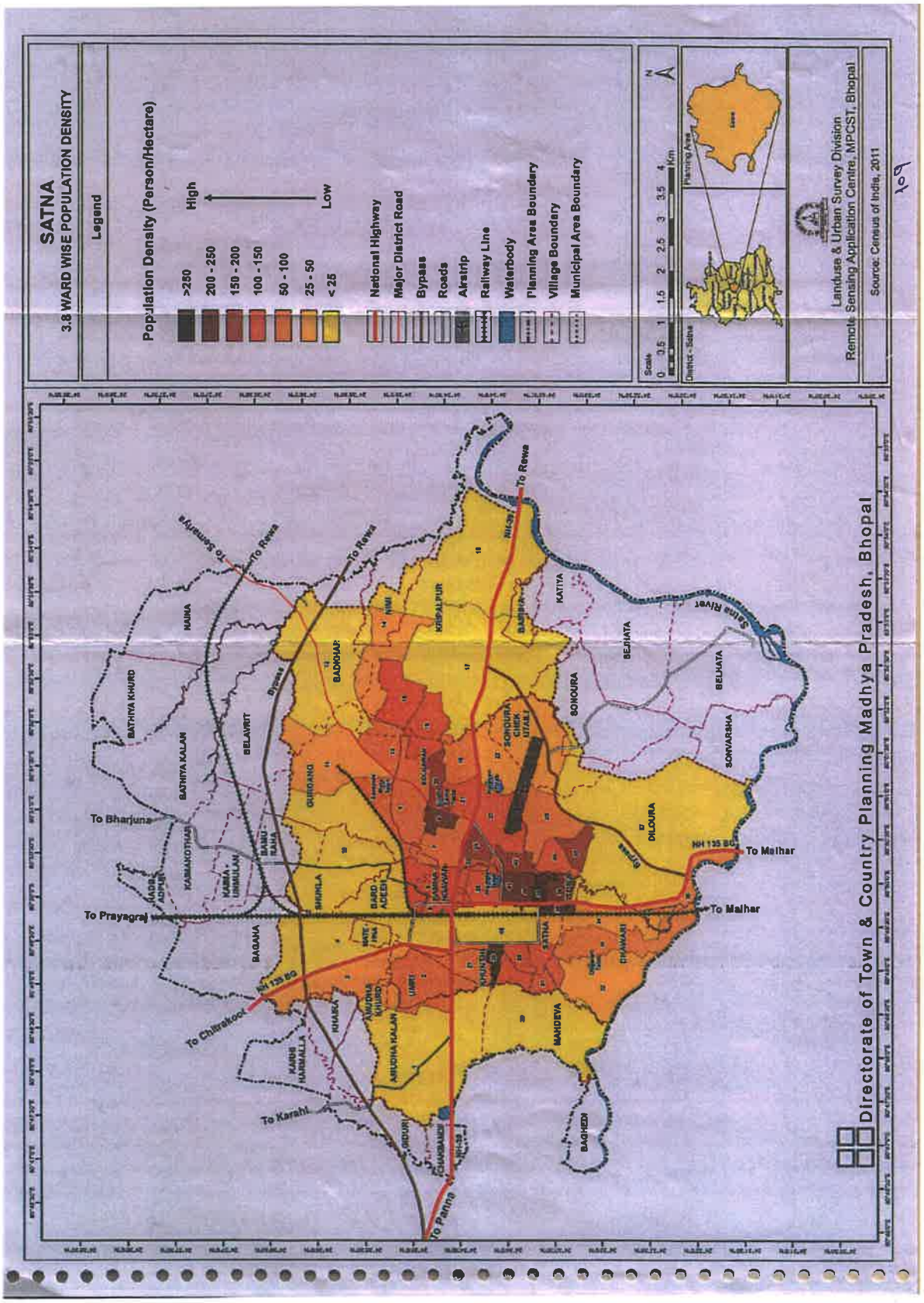
जनसंख्या (2011)		योग
नगर निगम क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	जनसंख्या निवेश क्षेत्र
1	2	3
282977	19782	302759

स्त्रोतः– भारत की जनगणना 2011

सतना निवेश क्षेत्र की जनसंख्या आंकलन हेतु नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि का आंकलन पृथक रूप से किया गया है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि के कारण मापदण्ड भिन्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि दर में भी असमानता होती है।

- **नगरीय जनसंख्या परिवर्तन**

नगर में जनसंख्या परिवर्तन भिन्न–भिन्न कारणों से होता है। किसी भी नगर की विकास योजना तैयार करने हेतु नगर की जनसंख्या का अध्ययन अत्यावश्यक होता है, ताकि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर भावी जनसंख्या का आंकलन कर भविष्य की आवश्यकताओं हेतु विभिन्न भूमि उपयोग की आवश्यकताओं के प्रस्तावों का निर्धारण किया जा सके। नगर की पिछले दशकों की जनसंख्या सारणी 3–सा–20 में दर्शायी गयी है।


SATNA
3.8 WARD WISE POPULATION DENSITY
Legend
Population Density (Person/Hectare)
High
Low
>250
200 - 250
150 - 200
100 - 150
50 - 100
25 - 50
< 25
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Airstrip
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
Km
Planning Area
District - Satna
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rewa
To Semariya
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Panna
To Malhar
NH-35
NH 135 BG
Satna River
BAGHAN
MAHDEVA
BAGHEDI
KATIYA
BEHATA
SONVARSHA
DILOURA
BELAVRIT
BATHIYA KHURD
BATHIYA KALAN
KAMARDHARI
KARHIA UMRILAN
BARO ADESH
SHIMLA
KHAKRI
KARHI HARINALLA
ARJUNIA KHURD
ARJUNIA KALAN
UMRI
KHUTAR
SATNA
CHAWARI
BAGHOURI
CHANDRAWAL
BARO KALA
KARHIA KANWAR
KARHIA ADIPUR
BAGHOHAR
KRIPALPUR
NIMI
SONOURA
SONOURA CHEK UTARI
DHOURAHRO

नगरीय क्षेत्र दशक वृद्धि दर

सारणी–3–सा–20

क्रमांक	वर्ष	जनसंख्या	दशकीय वृद्धि दर
1	2	3	4
1.	1951	20183	–
2.	1961	38046	80.51
3.	1971	57531	51.21
4.	1981	90476	57.26
5.	1991	156630	73.12
6.	2001	229307	46.40
7.	2011	282977	23.41

स्त्रोतः– भारत की जनगणना 2011

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि सतना नगर की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1961 में 80.51 प्रतिशत रही। 1971 से 1981 तक मध्यम रही, जबकि वर्ष 1991 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 73.12 प्रतिशत तक पाई गई जो घटकर वर्ष 2001 में 46.40 प्रतिशत एवं वर्ष 2011 में पुनः घटकर 23.41 प्रतिशत तक रह गई।

- **ग्रामीण जनसंख्या परिवर्तन**

ग्रामीण क्षेत्र की पिछले दशकों की जनसंख्या सारणी 3–सा–21 में दर्शायी गयी है।

ग्रामीण जनसंख्या दशक वृद्धि दर

सारणी– 3–सा–21

क्रमांक	वर्ष	जनसंख्या	दशकीय वृद्धि दर
1	2	3	4
1.	2001	16639	–
2.	2011	19782	18.89

स्त्रोतः– भारत की जनगणना 2011

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 18.89 प्रतिशत रही।

3.7 नगर के मुख्य कार्यकलाप

नगर के विकास में प्रमुख कार्यकलापों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा भावी विकास एवं नियोजन की पृष्ठभूमि में ये प्रभावी भूमिका निभाते है। नगर के वर्तमान कार्यकलाप, क्षेत्रीय संसाधनों आदि के परिप्रेक्ष्य में नगर के अपेक्षित कार्यकलापों का

निर्धारण किया जा सकता है। इस परिवेश में सतना नगर के वर्तमान कार्यकलापों का अध्ययन किया गया है, जो निम्नानुसार है:–

1. सतना नगर में एवं आसपास सीमेंट उत्पादन उद्योग।
2. जिला स्तर के प्रशासनिक केन्द्रों की स्थापना।
3. शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास।
5. राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास।
6. औद्योगिक विकास।
7. कृषि कार्यों को प्रोत्साहन।

3.8 नगरीय विस्तार

सतना निवेश क्षेत्र का नगरीय विस्तार क्रम, अलग–अलग तिथियों पर सुदूर संवेदन प्रणाली के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर किया गया है। मानचित्र में नगर का प्राकृतिक विकासक्रम एवं दिशा स्पष्ट है। प्राकृतिक विस्तार समय एवं क्षेत्रफल सारणी 3–सा–22 में स्पष्ट है।

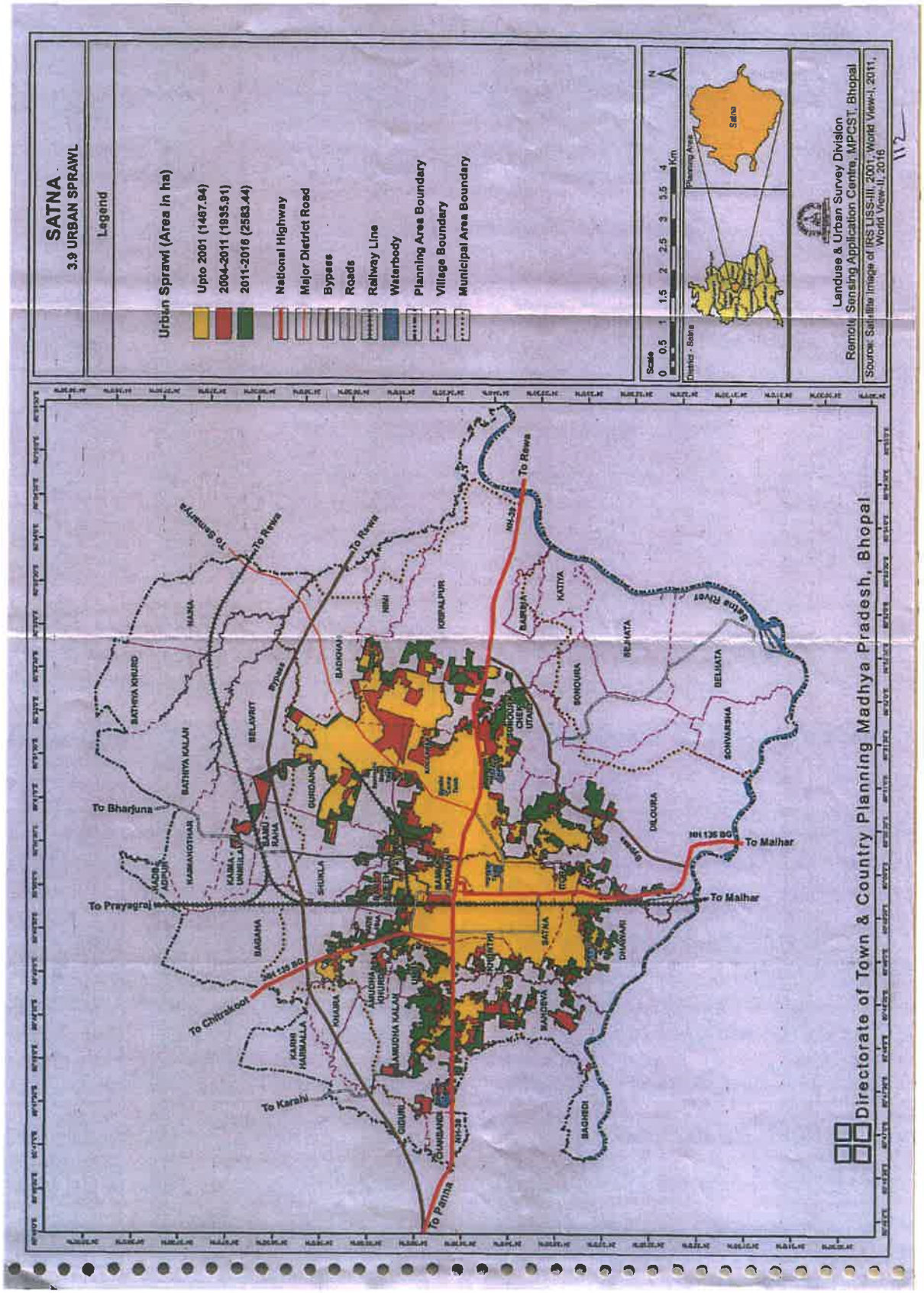
नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

सारणी 3–सा–22

क्र.	नगरीय विस्तार	क्षेत्रफल (हे. में.)
1	2	3
1.	2001 तक	1467.94
2.	2001–2011	1935.91
3.	2011–2016	2583.44

नगरीय विस्तार के मानचित्र एवं सारणी के आधार पर निष्कर्ष निम्नानुसार है :

- वर्ष 2001 तक नगरीय गतिविधियां प्रमुखतः सतना रेल्व स्टेशन एवं नगर के मध्य क्षेत्र एवं सिंधी कैंप के आस–पास के क्षेत्र में केन्द्रित थी।
- वर्ष 2001 से 2016 तक नगरीय विस्तार मुख्य मार्ग रीवा, पन्ना, मैहर, चित्रकूट एवं बायपास मार्ग पर एवं संलग्न क्षेत्रों में हुआ हैं।


SATNA
3.9 URBAN SPRAWL
Legend
Urban Sprawl (Area in ha)
Upto 2001 (1487.84)
2004-2011 (1935.91)
2011-2016 (2583.44)
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
District - Satna
Satna
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Satellite Image of IRS LISS-III, 2001; World View-I, 2011, World View II, 2016
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rewa
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Patna
To Malhar
Satna River
BATHIYA KHURD
BATHIYA KALAN
BELAVRIT
BADKHAR
KRIRALPUR
KATIYA
BELHATA
BONOURA
SOHVARSHA
DILOURA
SATNA
DHAVARI
BAGHIDI
BAGHANA
SHUKLA
KAMHAGOTHAR
NH-135 BG
NH-39

3.9 अनुमानित जनसंख्या

3.9.1 नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

नगर की भावी आवश्यकताओं का निर्धारण मुख्यतः भावी अनुमानित जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। नगर की जनसंख्या अनुमानित करने में विभिन्न घटक जैसे नगर की जनसंख्या वृद्धि दर, आर्थिक रूप रेखा, शासन की औद्योगिक नीति आदि को विशेष महत्व दिया जाना आवश्यक है। सतना नगर की जनसंख्या का अनुमान उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुये तथा क्षेत्रीय महत्व आदि को भी दृष्टिगत रखते हुये किया गया है। सतना नगर में दशकीय वृद्धि के आधार पर वर्ष 2021, 2031 एवं 2035 की जनसंख्या का आंकलन विभिन्न गणितीय पद्धतियों से किया गया है, जिसे सारणी 3–सा–23 में दर्शाया गया है।

नगरीय क्षेत्र जनसंख्या का आंकलन

सारणी 3–सा–23

क्र.	जनसंख्या अनुमानित पद्धति	2021	2031	2035
1	2	3	4	5
1.	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)	333937	392059	417313
2.	अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method)	326776	370575	388095
3.	ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)	416978	614435	717498
4.	घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method)	349209	430942	468762

3.9.2 ग्रामीण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

सतना निवेश क्षेत्र में वर्ष 1991 की ग्रामीण जनसंख्या के अभाव में वर्ष 2035 की भावी जनसंख्या के आंकलन करने हेतु, वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामों की कुल जनसंख्या का आंकलन निम्न चार गणितीय पद्धति अनुसार किया गया है, जिसे सारणी 3–सा–24 में दर्शाया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या का आंकलन

सारणी 3–सा–24

क्र.	जनसंख्या अनुमानित पद्धति	2021	2031	2035
1	2	3	4	5
1.	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)	31850	46095	52403
2.	अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method)	29673	26068	27325
3.	ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)	23791	28614	30806
4.	घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method)	23519	27961	29965

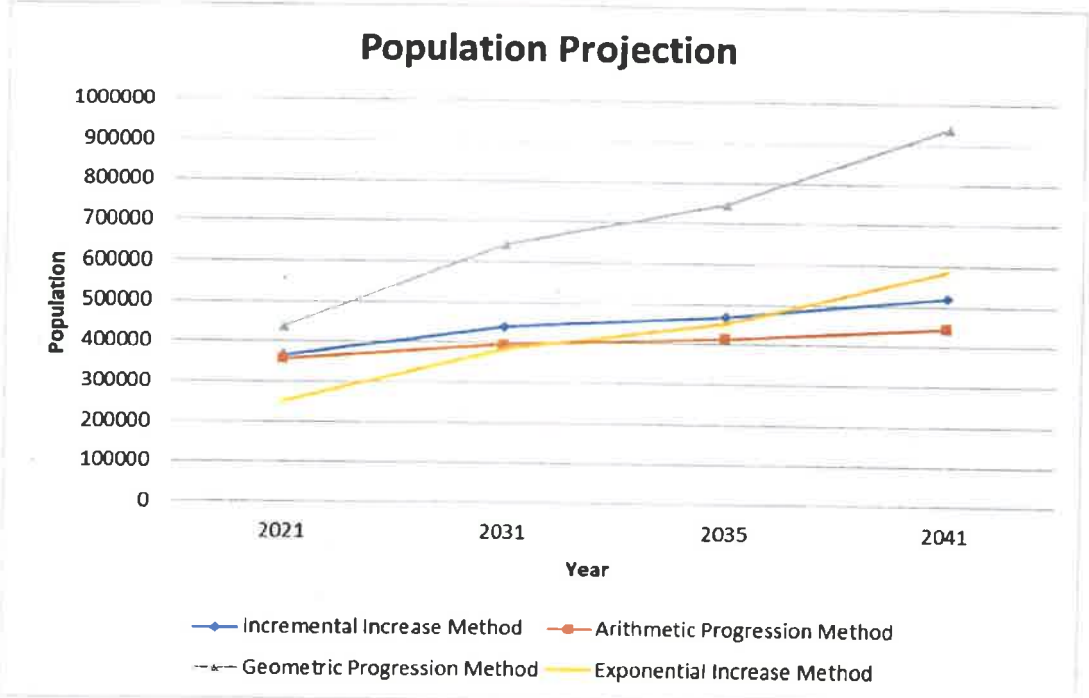
3.9.3 निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

सतना निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या (वर्ष 2035)

सारणी 3–सा–25

क्र.	जनसंख्या अनुमानित पद्धति	2035
1	2	3
1.	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)	469716
2.	अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method)	415420
3.	ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)	748304
4.	घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method)	498727

सतना विकास योजना–2035 की कुल जनसंख्या का आंकलन सभी चारों गणितीय पद्धति अनुसार किया गया है। इसमें से ज्यामितिय वृद्धि पद्धति आंकलन अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या 7,48,304 अनुमानित की गई है। जबकि अंकगणितीय वृद्धि पद्धति से सबसे कम जनसंख्या 4,15,420 अनुमानित की गई है।



सतना निवेश क्षेत्र की वृद्धि दर तथा भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये सभी पद्धतियों से प्राप्त जनसंख्या का औसत 5,33,042 मानते हुये वर्ष 2035 हेतु अनुमानित जनसंख्या **5.50 लाख** श्रेयस्कर होगा।

3.10 गंदी बस्तियॉ

मूलभूत नियम सेवा–सुविधाओं रहित क्षेत्र जहाँ पर अस्वास्थ्यकर परिस्थितियाँ विद्यमान हो, उन क्षेत्रों को गंदी बस्ती क्षेत्र कहा जाता है। नगर में 53 बस्तियों को गंदी बस्ती क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किया गया। इन बस्तियों में 14151 आवासों में 55289 निवासी पाए गए। गंदी बस्तियों की जानकारी सारणी 3–सा–26 में दी गई है।

गंदी बस्तियाँ

सारणी 3–सा–26

क्र.	वॉर्ड क्र.	गंदी बस्ती का नाम	मकानों की संख्या	जनसंख्या
1	2	3	5	6
1.	1	आदिवासी बस्ती अमौधा कला	121	450
2.	1	अमौधा नई बस्ती	287	1118
3.	1	अमौधा कला	287	1249
4.	1	टपरा बस्ती अमौधा कला	71	297
5.	2	अहीर टोला	120	558
6.	3	गढ़ीया टोला बगहा	276	1031
7.	3	मंदाकनी कॉलोनी गढ़ीया टोला	56	272
8.	3	हरिजन बस्ती बगहा	294	1405
9.	4	मटेहना बगहा	65	222
10.	4	पौरानीक टोला	68	256
11.	5	मुख्तियारगंज	82	301
12.	8	कोलगवां	252	1008
13.	9	महुआ बस्ती, सिद्दार्थनगर	537	2178
14.	10	शुक्ला बस्ती–1	68	249
15.	10	शुक्ला बस्ती–2	44	134
16.	10	शुक्ला बस्ती–3	88	161
17.	12	बदखर बस्ती	604	2171
18.	12	हरिजनबस्ती बदखर	61	300
19.	12	टपरिया बस्ती	1123	4095
20.	13	बसोर बस्ती सिंधी कैंप–2	260	1114
21.	14	डोंगरी बस्ती	158	268
22.	15	हनुमान नगर आदिवस्ती	337	1017
23.	15	हनुमान नगर हरिजन बस्ती	693	3035
24.	16	हरिजन बस्ती कृपालपुर	281	1044

सतना विकास योजना 2035

क्र.	वॉर्ड क्र.	गंदी बस्ती का नाम	मकानों की संख्या	जनसंख्या
1	2	3	5	6
25.	16	पुरोनिया	310	608
26.	17	राजीव नगर	214	784
27.	19	गहरा नाला, सिंधी कैंप	394	1153
28.	22	नारायन तालाब बसोर बस्ती	181	732
29.	22	हरीजन बस्ती उतैली बायपास रोड	233	823
30.	23	आदर्श नगर पश्चिम हवाई पट्टी	124	492
31.	23	कृष्णनगर सरस्वती स्कूल के पीछे	247	905
32.	23	संग्राम कॉलोनी	285	1125
33.	26	पुष्पराज कॉलोनी पंप हाउस के पास	88	440
34.	27	इंकम टैक्स, पत्थर वाली बस्ती	77	331
35.	27	राजेन्द्र नगर	209	816
36.	28	खूंथी	390	1480
37.	29	खूंथी	389	1480
38.	30	आकाश गंगा नगरपालिक हाउस गोपी	170	688
39.	30	महादेवा	170	600
40.	31	कोलान बस्ती धवारी	322	1360
41.	32	चंदमारी, धवारी गली नं. 1	360	1314
42.	32	हरिजन बस्ती, धवारी	182	656
43.	35	उचवा टोला	95	495
44.	36	कमता टोला	284	1198
45.	36	रामना टोला	646	1841
46.	36	डिलौरा कुलान बस्ती	779	3388
47.	37	नजीराबाद कुलान बस्ती	103	416
48.	37	उचवा टोला कुलान बस्ती	76	250
49.	38	बजरहा टोला	550	2663
50.	39	अहिरान टोला	377	1747
51.	42	कबाड़ी टोला	210	821
52.	43	नई बस्ती हवाई पट्टी	583	2340
53.	44	बंस नाका	99	404
		योग	14151	55289

स्त्रोतः नगर निगम सतना

3.11 आवासीय इकाईयों की भावी आवश्यकता

आवासीय इकाईयों की भावी आवश्यकताओं का अनुमान भावी जनसंख्या, परिवार का आकार तथा वर्तमान एवं भावी आर्थिक, सामाजिक परिस्थिति आदि पर आधारित होता है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर के अंतर्गत 56595 परिवार 55379 आवासों में निवास करते है। इस आधार पर परिवार का आकार 5.20 व्यक्ति आता है। प्रत्येक परिवार को एक स्वतंत्र आवास की आवश्यकता के मान से 1,216 आवासों की कमी के साथ परिवार का आकार बड़ा परिलक्षित होता है। इसका प्रमुख कारण संयुक्त परिवार एवं परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होना है।

नगर में गंदी बस्ती क्षेत्रों में नगरपालिका के सर्वेक्षण के आधार पर कुल 14151 झुग्गी–झोपड़ियाँ, गंदी बस्ती क्षेत्रों में पाई गईं। जिसमें से 70 प्रतिशत पुर्ननिर्माण की आवश्यकता है। इसकी विस्तृत जानकारी सारणी 3–सा–27 में दर्शित है।

आवासीय इकाईयों की कमी (वर्ष 2011)

सारणी 3–सा–27

क्र.	विवरण	कुल संख्या	पुनर्स्थापना का प्रतिशत	आवास इकाईयों की कमी
1	2	3	4	5
1.	वर्ष 2011 में कमी	-	-	1,216
2.	कच्चे मकान	4154	80	3323
3.	झुग्गी झोपड़ियाँ	14151	70	9906
योग				**14445**

स्त्रोतः– नगर पालिक निगम सतना/नगर तथा ग्राम निवेश

उपरोक्त आंकलन के अनुसार सतना नगर में 2011 में लगभग कुल 14445 आवासों की कमी अनुमानित है। वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 5.50 लाख के लिए परिवार आकार 5.00 व्यक्ति के आधार पर आवासीय इकाईयों का अनुमान लगाया गया है, जिसका विवरण सारणी 3–सा–28 में दर्शाया गया है।

सतना विकास योजना 2035

अनुमानित परिवारों की संख्या एवं आवास आवश्यकताएँ

सारणी 3–सा–28

क्र.	विवरण	2011	2035 (अनुमानित)
1	2	3	4
1.	जनसंख्या	302759	550000
2.	अतिरिक्त जनसंख्या	–	247241
3.	औसत परिवार का आकार	5.20	5.00
4.	वर्ष 2035 में अतिरिक्त परिवार	–	49448
5.	वर्ष 2011 की आवासीय कमी को शामिल करते हुए आवास आवश्यकता	14445	63893
6.	वर्ष 2011 से 2019 में निर्मित अतिरिक्त आवासों को घटाकर आवास आवश्यकता	8640	55253
कुल आवास आवश्यकता		**55253**	

स्त्रोतः– नगर पालिक निगम सतना एवं जी.आई.एस. सर्वेक्षण

वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार परिवार का औसत आकार 5.20 है। अनुमानित है कि वर्ष 2035 में यह 5.00 व्यक्ति तक पहुँच जायेगा। उक्त अध्ययन के आधार पर वर्ष 2011 में आवासों की कमी को सम्मिलित कर एवं वर्तमान में निर्मित अतिरिक्त आवासों की संख्या घटाकर अनुमानित जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2035 तक 55253 नवीन आवासों की आवश्यकता होगी। आवासीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतिगत पहल आवश्यक हैं, जो निम्नानुसार हैं:

1. भूमि विकास को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक अभिकरणों को गतिशील एवं समन्वित करना आवश्यक होगा। भूमि विकास के लिए राज्य शासन की नीतियों पर आधारित भू–स्वामियों, भूमि विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं हितग्राहियों की भागीदारी आवश्यक है।
2. नगर स्तर के अधोसंरचना एवं सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए भूमि तथा अन्य संसाधनों का राज्य शासन की नीति के तहत निर्धारण हो।
3. निजी एवं सामुदायिक संस्थाओं द्वारा भूमि के विकास हेतु किए जा रहे प्रयत्नों को बढ़ावा देना।
4. भूमि के पुर्नउपयोग को सम्मिलित करते हुए आवास हेतु भूमि की सरल/सतत् आपूर्ति बनाए रखने हेतु नीतियों को बढ़ावा देना।
5. रहवास हेतु नियोजन एवं विकास के मापदण्डों का पुनर्विलोकन (घनत्व, आच्छादित क्षेत्र, सीमांत खुला क्षेत्र, फर्शी क्षेत्रानुपात, भूमि विभाजन मापदण्ड), जिससे भूमि उपयोग एवं रहवास निर्माण के समय ऊर्जा उपयोग में कमी, तथा भूमि की उपयोग क्षमता एवं लागत अनुकूल लक्ष्य की प्राप्ति हो।

3.11.1 आवासों का प्रकार

वर्ष 2035 की अनुमानित आवास आवश्यकता लगभग 55253 होगी, जो समाज के सभी आय वर्ग को समाहित करेगी। यह प्रासंगिक है कि अनौपचारिक वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के परिपेक्ष्य में आवास आवश्यकता को विभक्त किया जाए। अतः आय वर्ग अनुसार अनुमानित आवास आवश्यकता का विवरण सारणी 3–सा–29 में दिया गया है।

आय समूह अनुसार आवासीय इकाईयों की आवश्यकता

सारणी 3–सा–29

क्र.	आय समूह	आवास आवश्यकता	
		प्रतिशत	संख्या
1	2	3	4
1.	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग	40	22101
2.	निम्न आय वर्ग	30	16576
3.	मध्यम आय वर्ग	25	13813
4.	उच्च आय वर्ग	5	2763
योग		100	55253

उक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु 60 आवासीय इकाई प्रति हे. के मान से लगभग 920.88 हे. भूमि की आवश्यकता होगी।

3.12 अनुमानित व्यवसायिक संरचना

वर्ष 2011 में सतना निवेश क्षेत्र में प्रति हजार जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों का अनुपात अर्थात् सहभागिता दर 332.40 थी। वर्ष 2035 की व्यवसायिक संरचना का अनुमान करने के लिए विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों की जानकारी आवश्यक है। इस संबंध में पर्याप्त आँकड़ों के अभाव में व्यवसायिक संरचना का अनुमान करना कठिन है। तथापि उपलब्ध आँकड़ों एवं विकास योजना प्रस्तावों के आधार पर अनुमानित है कि वर्ष 2035 तक नगर में प्रति 1000 जनसंख्या में 345 व्यक्ति कार्यरत होंगे।

3.13 भैतिक अधोसंरचना

3.13.1 जल प्रदाय

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन की, जल प्रदाय एवं उपचार हेतु जारी निर्देशिका में, यह सुझाव दिया गया है कि उन बड़े शहरों में, जहां जल प्रदाय व्यवस्था अस्तित्व में हो या बनाई जाने वाली हो, वहां प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन 150 लीटर पानी प्रदाय किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता जल प्रदाय की आधारभूत, आवश्यकता, निकासी एवं स्वच्छता प्रबंध संहिता (आई.एस.: 1172–1983) में न्यूनतम 135

लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल प्रदाय, ऐसे सभी निवासों के लिये, जहां मल निकासी के लिये पूर्ण तेज बहाव (फ्लस) व्यवस्था हो, किये जाने का अनुमोदन किया गया है।

टमस नदी सतना से 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है जो नगरवासियों की जल आवश्यकता की पूर्ति का मुख्य स्त्रोत है। यहां से कोलगंवा में स्थित दो जल उपचार संयत्र द्वारा उपचारित जल नगर मे पाईप लाईन द्वारा प्रदान किया जाता है। नगर में ट्यूबवेलों की संख्या 367 है, तथा कुल 45 वॉर्डों में 18 शिरोपरी टंकियाँ हैं। नगर निगम में 3300 कनेक्शन के द्वारा 35 एम.एल.डी. जल प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त नगर में 1285 हैण्डपम्प हैं, जिनके माध्यम से नगरवासियों की जल आवश्यकता की पूर्ति होती है।

नगर में स्थित गहरा नाला, खेरमाई नाला से वर्षा जल प्रवाहित होकर नदी में मिलकर बह जाता है। इनमें स्टाप डेम बनाकर एवं तालाबों का गहरीकरण कर जल संग्रहण करने तथा प्रचलित प्रणालियों से वर्षा पानी की हार्वेस्टिंग करना आवश्यक होगा। जिससे जल संरक्षण कर भूमि जल स्तर को बढ़ाया जा सके।

3.13.2 जल–मल निकास एवं स्वच्छता

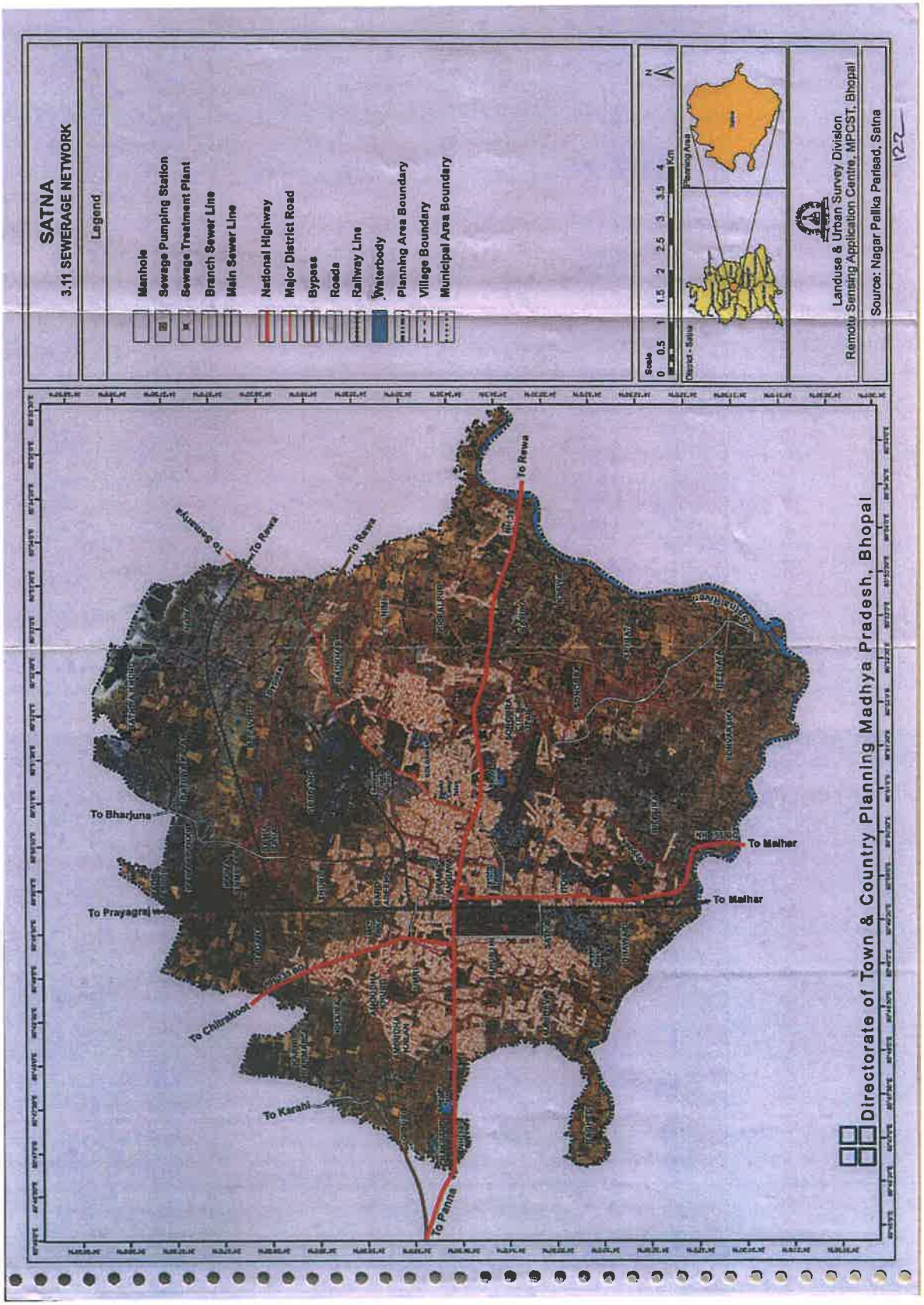
वर्तमान में जल–मल नगर में प्रतिदिन 42 एम. एल. डी. जल–मल निकास होता है, जिसके उपचार हेतु 3 दूषित जल उपचार संयंत्र कृपालपुर, धवारी और नजीराबाद में हैं जिनकी क्षमता क्रमशः 11, 15, 16 एम. एल. डी. है। उपचारित जल का निपटारा नाले एवं खुले मैदान में किया जाता है। नगर में सभी आवासों में सेप्टिक टैंक है। इनके अतिरिक्त नगर में 20 सार्वजनिक शौचालय भी हैं, जिनमें से 14 पे एंड यूज की तर्ज पर संचालित हैं।

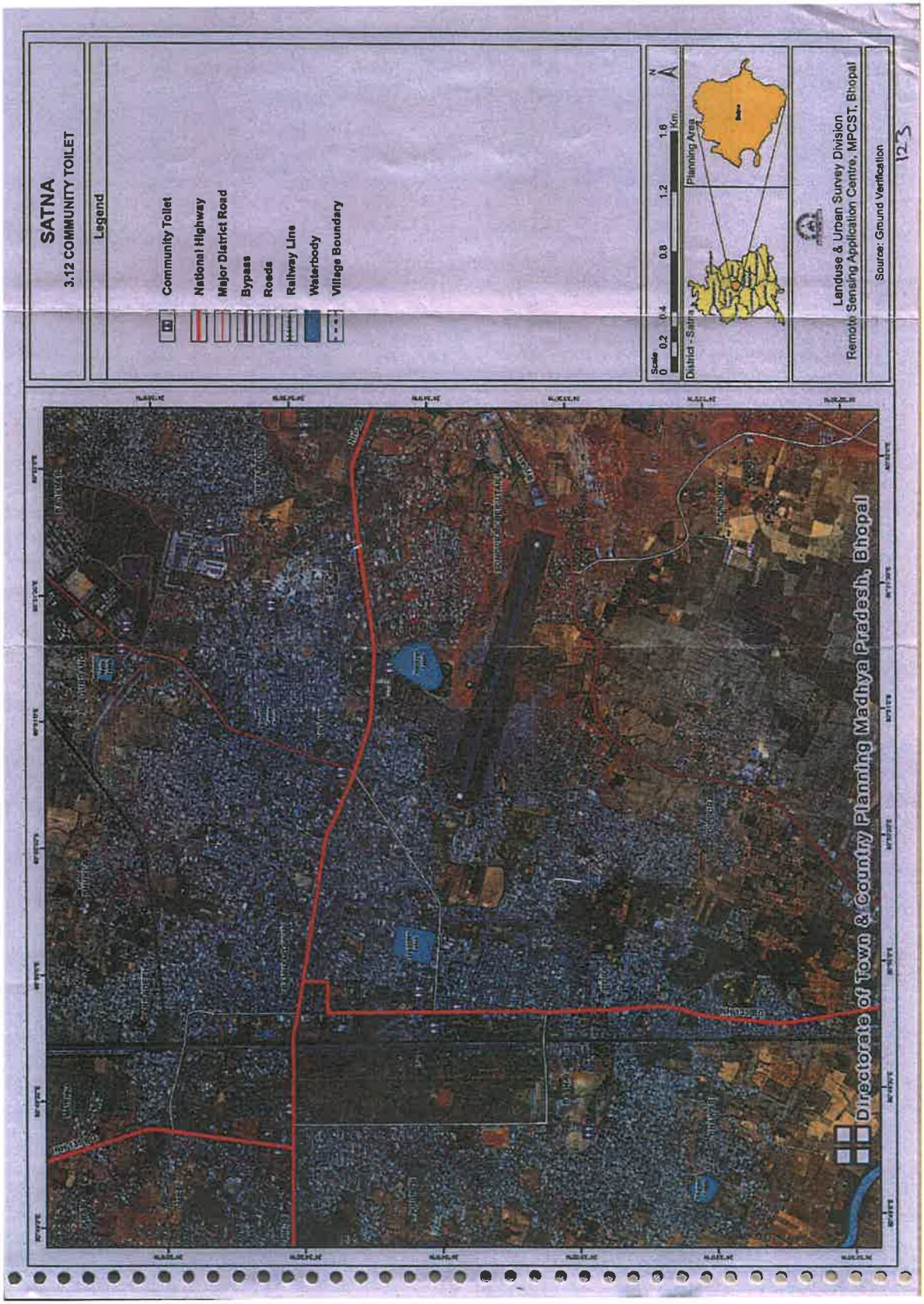
सतना नगर में जल–मल निकास हेतु भूमिगत नालियों की व्यवस्था नहीं है। बस्तियों का पानी खुली नालियों से बहकर खेरमाई नाला एवं गहरा नाला से प्रवाहित होकर सतना नदी में मिलता है। जिसके कारण नदी का पानी प्रदूषित होता है। योजनाकाल तथा वर्तमान जनसंख्या हेतु भूमिगत जल–मल प्रवाह की नालियों की व्यवस्था सम्पूर्ण क्षेत्र में की जाकर इसके उपचार हेतु अतिरिक्त जल–मल शोधन संयंत्र की व्यवस्था किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जल स्त्रोतों के प्रदूषण को रोका जाकर शोधित जल पुनः उपयोग की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

शहर में जल–मल निकासी की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण बनाए गए हैं:

1. खुले में शौच से मुक्त शहर हेतु सभी मकानों/भवनों में शौचालय।
2. 100 प्रतिशत नगर को सम्मिलित करती हुई नाली व्यवस्था।
3. शुद्धिकृत गंदे पानी का पुनः उपयोग।
4. वाणिज्यिक स्थानों, बगीचों तथा लोक स्थानों पर सुव्यवस्थित सःशुल्क शौचालय।
5. नगर में एकत्रित मल का उपयोग शोधन विधि से उपचार उपरान्त खाद के रूप में कृषि कार्य हेतु किया जाना।


SATNA
3.10 WATER SUPPLY NETWORK
Legend
Over Head Tank
Distribution Pipeline
Pumping Line
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Village Boundary
Scale
0 0.2 0.4 0.8 1.2 1.6 Km
N
District - Satna
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Nagar Palika Parisad, Satna
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal


SATNA
3.11 SEWERAGE NETWORK
Legend
Manhole
Sewage Pumping Station
Sewage Treatment Plant
Branch Sewer Line
Main Sewer Line
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
District - Satna
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Nagar Palika Parisad, Satna
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rewa
To Rewa
To Rewa
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Panna
To Malhar
To Malhar


SATNA
3.12 COMMUNITY TOILET
Legend
Community Toilet
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Village Boundary
Scale
0 0.2 0.4 0.8 1.2 1.6 Km
N
District - Satna
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Ground Verification
123
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

3.13.3 वर्षा जल निकासी

सतना शहर में औसतन वार्षिक वर्षा 1092.11 मी.मी. होती है, वर्षा का जल प्राकृतिक रूप से बहता हुआ नालियों/नालों से होता हुआ सतना व टमस नदी में मिल जाता है। जल निकास की समुचित व्यवस्था के अभाव में नगर का निचला क्षेत्र वर्षाकाल में जलमग्न हो जाता है। वर्षा जल के साथ नगर का कूड़ा–कचड़ा प्रवाहित होकर नालियों एवं नालों के संकरे भाग में जमा हो जाता है, जिससे प्रवाह अवरुद्ध हो जाने के कारण आस–पास का क्षेत्र जलमग्न होने से सेमरिया चौक भरहुत नगर बम्हनगवां आदि में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है।

शहर की नालियों तथा प्राकृतिक नालों को सुदृढ़ किया जाना, जल निकासी की व्यवस्था के लिए आवश्यक है। नालियों एवं प्राकृतिक नालों की निरन्तर सफाई, तथा प्राकृतिक नालों के आसपास के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण भी जल प्रदूषण को रोकने हेतु प्रस्तावित है।

3.13.4 विद्युत प्रदाय

वर्तमान में सतना नगर में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा टोन्स पावर प्लांट, सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट, अमरकंटक विद्युत केन्द्र एवं बिरसिंगपुर पाली पावर प्लांट आदि स्थानों से 33 के.वी. 11 के.वी. व एल.टी. लाईन द्वारा क्रमशः 70 कि.मी. 180 कि.मी. व 1425 कि.मी. लंबी विद्युत लाइन से आपूर्ति की जाती है। इसके बावजूद भी वर्तमान स्थिति में विद्युत की कमी बनी रहती है जिसके लिए आपूर्ति में वृद्धि एवं सुधार की आवश्यकता है। सारणी 3–सा–30 में क्षेत्र की विद्युत खपत दर्शाई गई है।

विद्युत खपत

सारणी 3–सा–30

प्रकार	आवासीय	वाणिज्यिक	औद्योगिक	कृषि	अन्य	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
विद्युत कनेक्शन	61355	12115	1023	765	350	75608
विद्युत खपत (KWH)	101.91	28.24	10.55	—	0.89	19200.48

स्त्रोतः मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सतना

3.13.5 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

ठोस अपशिष्ट एक अवांछित पदार्थ है, जो रहवासी क्षेत्र, वाणिज्यिक एवं व्यापार केन्द्रों, कृषि, उद्योगों, अस्पतालों तथा सार्वजनिक सेवाओं से उत्पन्न होता है। नगर में आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों की वृद्धि एवं विकास होने से ठोस अपशिष्ट का नगर के

विभिन्न खुले क्षेत्रों में निस्तारण कर दिया जाता है, जो पर्यावरण एवं नगरवासियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

सतना शहर से निकलने वाले कचरें को नगर पालिका की कचरा संग्रहण वाहन (**Door To Door Collection**) टिपर तथा कन्टेनर द्वारा यत्र–तत्र फैले हुए कचरे को संकलित कर हवाई पट्टी के दक्षिणी एवं उत्तरी भाग में खुले क्षेत्र में फैंक दिया जाता है। कचरा उत्पन्न करने वाले प्रमुख स्थल जैसे– अस्पताल, नर्सिंग होम, जगतदेव मंदिर में चढ़ाये गये फूल–पत्ती किराना बाजार एवं सब्जी बाजार आदि क्षेत्रों से बडी मात्रा में प्रतिदिन कचरा निकलता है जिसको उठाने के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था नही है। इसके लिए तत्काल सक्षम प्रबंधन तंत्र स्थापना करने की आवश्यकता है। साथ ही कम्पोस्ट खाद तैयार करने की व्यवस्था भी आवश्यक है। वर्तमान में केचुआ पद्धति से वर्मीकल्चर तैयार किया जा सकता है ताकि नगर से संकलित ठोस अपशिष्टों का निस्तारण हो सके। इसी प्रकार अस्पताल एवं नर्सिंग होम इत्यादि से उत्पन्न होने वाले कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाना आवश्यक है। इस हेतु निवेश क्षेत्र से बाहर ग्राम रेवरा में शासन की ओर से 40.0 हेक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है जिसका यथाशीघ्र विकास किया जाना प्रस्तावित है।

निवेश क्षेत्र के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के प्रबंधन और हथालन नियम 2016 के द्वारा नियंत्रित होगा।

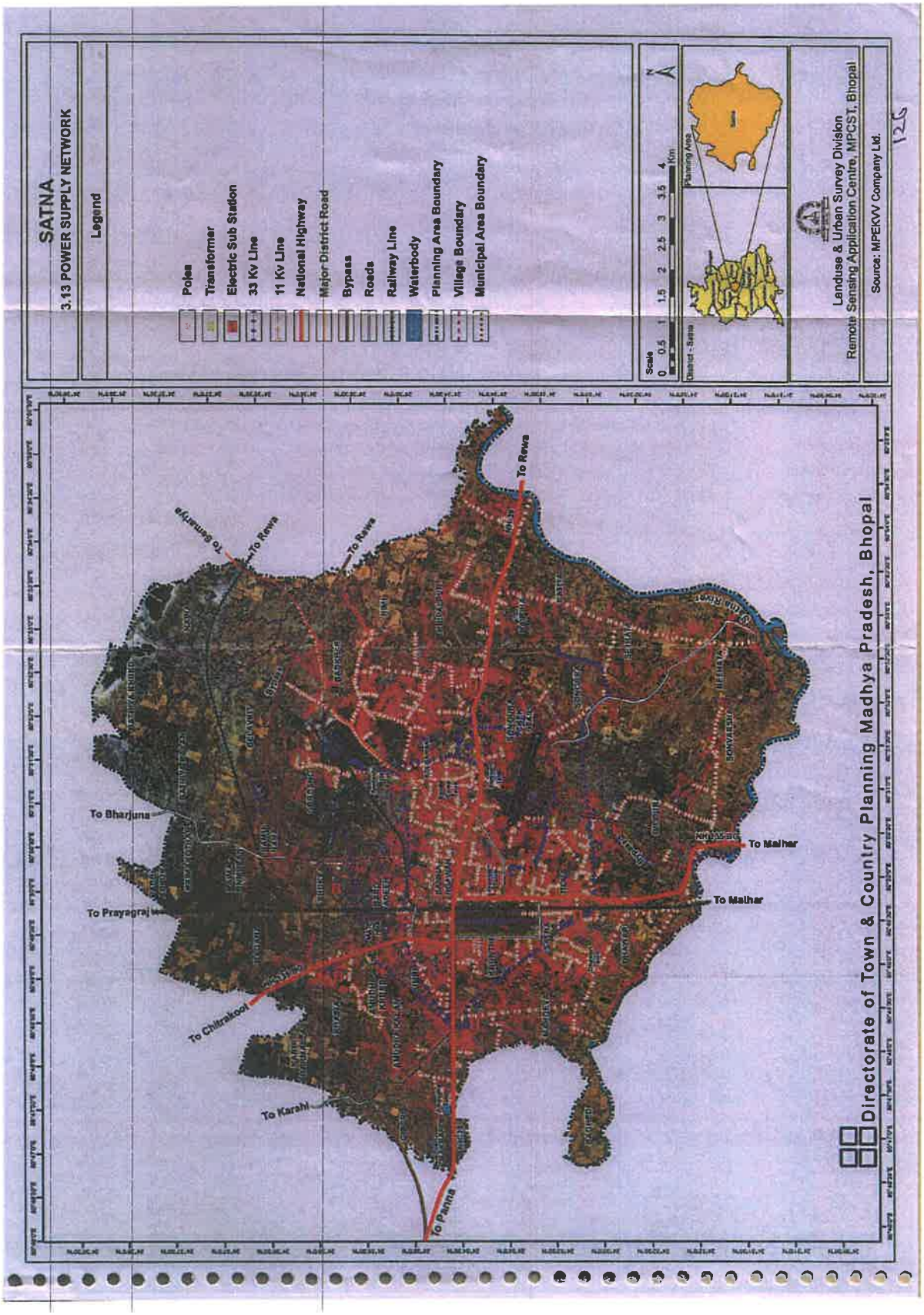
3.14 सामाजिक अधोसंरचना

3.14.1 शासकीय कार्यालय

सतना, रीवा संभाग का महत्वपूर्ण जिला मुख्यालय होने से यहाँ जिला कलेक्टर कार्यालय, नगर निगम, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला आबकारी कार्यालय एवं अन्य समस्त विभागों के जिला कार्यालय शहर में स्थापित हैं।

3.14.2 स्वास्थ्य सुविधाएँ

सतना नगर के मध्य क्षेत्र में जिला चिकित्सालय कार्यरत है। नगर के भावी जनसंख्या के स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से यह चिकित्सालय परिसर के पास पर्याप्त स्थल उपस्थित नही है अतः सर्व सुविधायुक्त एवं आधुनिक उपकरणों के परिपूर्ण ग्राम धवारी महदेवा में प्रस्तावित वृत्त मार्ग के उत्तर मे 20.0 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। इसके अतिरिक्त नगर में 44 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 48 चिकित्सक व 86 नर्सें कार्यरत हैं। नगर में कुल 53 नर्सिंग होम में 1064 बिस्तर उपलब्ध हैं। 194 नर्सें एवं 33 पैराचिकित्सीय कर्मचारी इनमें कार्य संपादित करते हैं।


SATNA
3.13 POWER SUPPLY NETWORK
Legend
Poles
Transformer
Electric Sub Station
33 Kv Line
11 Kv Line
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
District - Satna
Planning Area
Satna
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: MPEKVV Company Ltd.
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rewa
To Rewa
To Rewa
To Semariya
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Panna
To Malhar
To Malhar
125

3.14.3 शैक्षणिक संस्थाएँ

पॉलीटेक्निक महाविद्यालय एवं गहरा नाला के समीप स्थित शासकीय डिग्री कॉलेज के पास पर्याप्त स्थल उपलब्ध है, किन्तु शासकीय इन्दिरा गॉधी महाविद्यालय, वाणिज्यिक महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, सिन्धु कन्या महाविद्यालय, डी.एस. महाविद्यालय, रानी दुर्गावती महाविद्यालय आदि संचालित है, जिनके पास इस उपयोग हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप स्थल उपलब्ध नही है। अतः शासकीय महाविद्यालय को गहरा नाला स्थित महाविद्यालय में समाविष्ट कर उक्त रिक्त स्थाना को शासकीय इन्दिरा गॉधी महाविद्यालय परिसर में सम्मलित करते हुए सर्व सुविधायुक्त आधुनिक शैक्षणिक संस्थान का प्रस्ताव दिया गया है तथा नगर विभिन्न असुविधाजनक स्थानों में संचालित अशासकीय महाविद्यालयों को वर्तमान विकसित क्षेत्र के बाहर स्थानांतरण करना प्रस्तावित है एम.एल.बी. स्कूल स्टेशन मार्ग पर वाणिज्यिक मध्यवर्ती भीड–भाड़ यक्त क्षेत्र में स्थित है, को शासकीय इन्दिरा गॉधी महाविद्यालय भवन के रिक्त होने पर स्थानांरित किया जाना प्रस्तावित है।

सतना नगर में उच्च स्तरीय शासकीय तकनीकि महाविद्यालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय के अभाव है। समय समय पर प्रतिभावान छात्रों की असुविधाओं एवं आर्थिक मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए प्रबुद्ध नगरवासियों उक्त महाविद्यालयों की मॉग की जा रही है अतः भावी विकास की दृष्टि से कृषि उपज मण्डी के उत्तर–पश्चिम की ओर बिरला विकास स्टेडियम के पूर्व उक्त दोनों शासकीय महाविद्यालय प्रस्तावित है।

वर्तमान में सतना निवेश क्षेत्र में 168 आंगनवाडी, 357 प्राइमरी स्कूल, 124 मिडिल स्कूल, 22 हाई स्कूल, 21 हायर सेकेण्डरी स्कूल एवं 06 कॉलेज है ।

3.14.4 शमशान घाट एवं कब्रिस्तान

वर्तमान विकसित क्षेत्र के अंतर्गत संचालित कब्रिस्तान एवं शमशानघाट को यथावत बनाये रखना प्रस्तावित है। जब तक कि जनसामान्य की मांग पर उचित कारण से अन्यत्र स्थानांतरित करने की स्थिति न बनें। कब्रिस्तान/शमशानघाट के समीपस्थ शासकीय भूमि उपलब्ध होने पर उसका विस्तार किया जा सकता है। नये कब्रिस्तान/शमशानघाट कृषि उपयोग के अंतर्गत अनुज्ञेय होंगे। इनके स्थल का चयन जनसामान्य की मांग पर कलेक्टर एवं स्थानीय निकाय द्वारा किया जावेगा।

3.14.5 अग्निशमन सेवा केन्द्र

नगर में अग्निशमन सुरक्षा एवं प्रबंधन हेतु 2 लाख जनसंख्या पर एक फायर स्टेशन आवश्यक होता है। प्रति अग्निशमन स्टेशन हेतु 1 हेक्टेयर भूमि आवश्यक है, ताकि आपात स्थिति के समय अग्निशमन प्रबंधन में कार्यरत कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इस हेतु इनके आवास भी इसी स्थान पर उपलब्ध हो सकें। अग्निशमन हेतु स्थापित केन्द्र एवं उपकेन्द्र ऐसे स्थानों पर नियोजित होना चाहिए, जहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र अग्निशमन वाहन अग्नि दुर्घटना के समय अपने गंतव्य तक पहुँच सके। वर्तमान में नगर

निगम सतना के पास एक अग्निशमन स्टेशन है, जिसमें 05 अग्निशमन वाहन व 26 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसके द्वारा वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नगर निगम के वर्तमान अग्निशमन केन्द्र को अधिक सशक्त, आधुनिक एवं कार्यशील बनाना प्रस्तावित है। भावी औद्योगिक विकास एवं जनसंख्या की वृद्धि तथा नगर के विकास को ध्यान में रखते हुए इसका आधुनिक उपकरणों के साथ अन्य स्थलों पर भी विस्तार एवं विकास किया जाना प्रस्तावित है।

3.14.6 क्रीडांगन/खेल परिसर

वर्तमान में नगर में 3 खेल परिसर उपलब्ध है, उसमें से दो धवारी एवं एक बिरला विकास के अधीनस्थ सेमरिया मार्ग पर स्थित है, जो वर्तमान स्थिति में पर्याप्त है। किन्तु भावी विकास की दृष्टि से ग्राम सोनौरा में बेलहटा मार्ग पर खेल परिसर हेतु 8.0 हेक्टेयर में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

3.14.7 डेयरी फार्म/कुक्कुट पालन

नगर के वर्तमान निर्मित क्षेत्र के अंतर्गत कई डेयरियां संचालित है। यह पर्यावरण को प्रदूषित करती है। अतः नगरीय बसाहट के पूर्वी क्षेत्र में ग्राम बेलहटा में कृषि उपयोग के अंतर्गत शासकीय भूमि में डेयरी एवं कुक्कुट पालन केन्द्र की स्थापना किये जाने हेतु स्थल प्रस्तावित है। जिसमें नगर में संचालित उक्त गतिविधियों को धीरे–धीरे स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है।

3.14.8 स्लॉटर हाउस

वर्तमान में नव दुर्गा चौक के पास एवं सिन्धी कैम्प सब्जी मण्डी के पास माँस बिक्री कार्य संचालित है, जो उपयुक्त स्थल नही है। अतः ग्राम धवारी नें नजीराबाद स्थित शासकीय आराजी नम्बर 804 में 0.23 एकड़ भूमि पर स्लाटर हाउस विकसित किया जाना प्रस्तावित है। बिड़ला मार्केट में स्थित फुटकर बिक्री केन्द्र यथावत रहेगा।

3.14.9 पिकनिक स्थल

राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण की ओर टमस नदी के किनारे वर्तमान बगीचा तथा बांधवगढ़ ऐतिहासिक किले को सम्मिलित करते हुए पिकनिक/मेला स्थल के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम बेलहटा में टमस नदी क मध्य स्थित टापू को भी पिकनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

3.14.10 मेला स्थल

वर्तमान में संतोषीमाता मंदिर के पास बिड़ला मार्ग पर सप्ताह मे एक दिन शुक्रवार को मेला लगता है। किन्तु यह स्थल कम होने के कारण काफी अव्यवस्था होती है। अतः उससे संलग्न क्षेत्र ग्राम घूरडांग में 4.0 हेक्टेयर भूमि को मेला स्थल में रूप में विकसित

किया जाना प्रस्तावित है। मैहर मार्ग पर सतना नदी के किनारे वर्तमान मकरसंक्राति मेला स्थल यथावत रहेगा।

3.14.11 प्रदर्शनी स्थल

राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर की ओर बांधवगढ़ कालोनी औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व एवं गहरा नाला को शामिल कर पश्चिम की ओर औद्योगिक/औद्योगिक प्रर्दशनी स्थल हेतु 3.0 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है। पुराना पॉलीटेक्नीक परिसर, कला वीथिका एवं पुस्तकालय के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

3.14.12 तरण ताल

मैत्री बाग से संलग्न नारायण तालाब को तरण ताल के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार ग्राम अमौधा खुर्द में अमौधा तालाब एवं उससे संलग्न क्षेत्र को बगीचे के साथ तरणताल हेतु विकसित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान विन्ध्य क्लब में स्थित तरणताल का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।

3.14.13 भू–जल संवर्धन

विगत कई वर्षो से सतना नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में निरंतर अनावृष्टि के प्रकोप के कारण भू–जल स्तर वर्ष–प्रतिवर्ष घटना जा रहा है। ग्रीष्मकाल में कुएं एवं नलकूप सूख जाते है जिसके कारण नगरवासियों को जल संकट का सामना करना पडता है। इसके निदान हेतु कृत्रिम विधियों से भू–जल स्तर में वृद्धि किया जाना आवश्यक है।

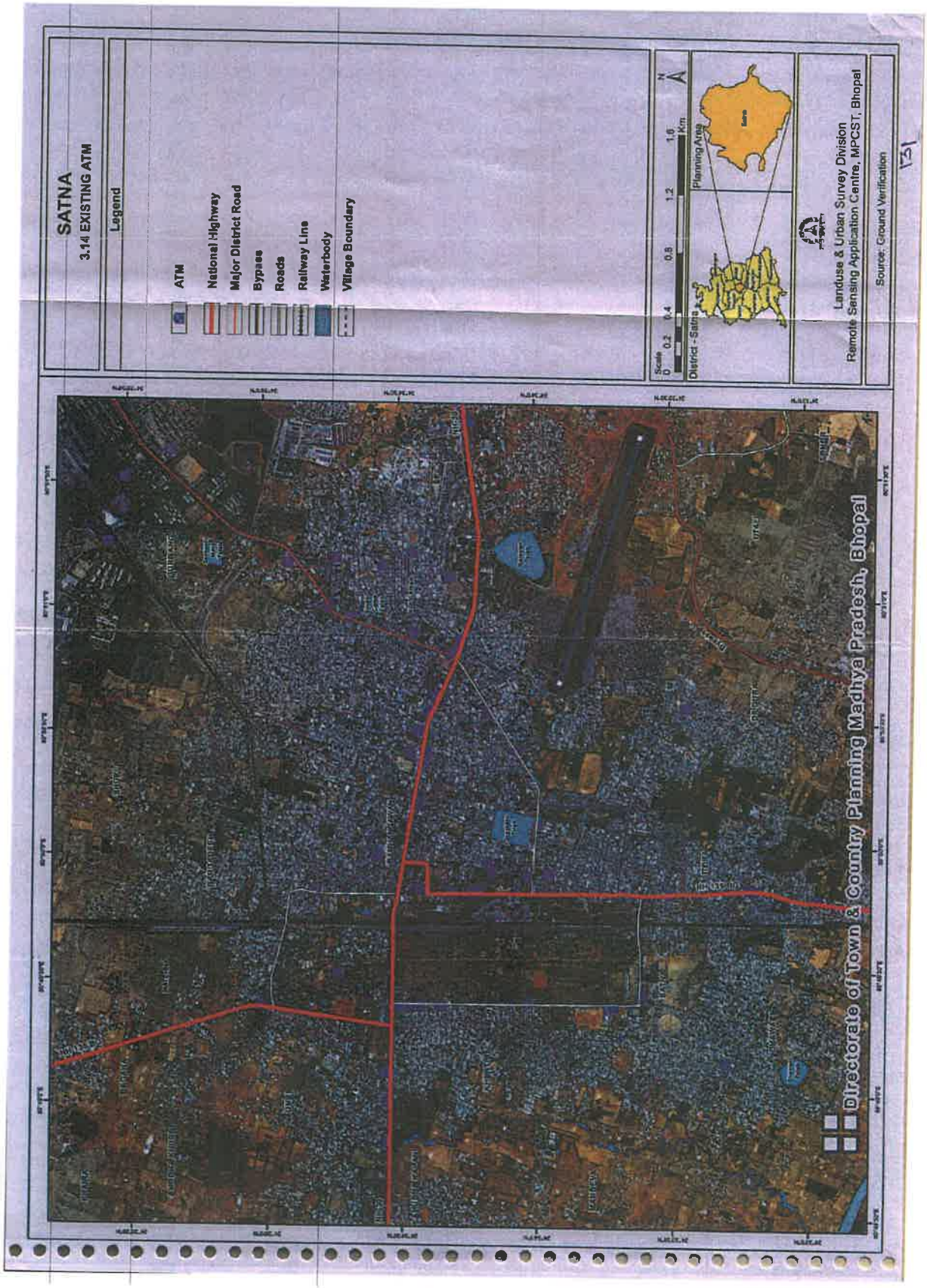
कुओं, हैण्ड पंपों एवं नलकूपों में वर्षाजल एकत्रित कर भू–जल स्तर को बढ़ाने हेतु रूफ वाटर हार्वेस्टिंग एक उत्तम तकनीक है। इसमें भू–जल स्तर में वृद्धि होगी साथ ही रिचार्जपिट (गड्ढ़ा), रिचार्ज ट्रेच, रिचार्ज शाफ्ट में भी छत का पानी इकट्ठा का रिचार्ज किया जा सकता है। इन पद्धतियों का समावेश म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में किया गया है, जिसका पालन प्रत्येक ट्यूबवेल धारियों को करना अनिवार्य होगा। साथ ही नगर के बड़े–बड़े दो संस्थाओं जैसे बड़े भवनों, काम्पलेक्सों, सार्वजनिक एवं सामाजिक तथा शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक प्रक्षेत्रों आदि में उक्त प्रणाली को विकसित किए जाने हेतु जिला प्रशासन के माध्यम से स्थानीय निकायों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराना आवश्यक होगा।

3.14.14 ए.टी.एम.

ए.टी.एम. मानचित्र में निवेश क्षेत्र में स्थित विभिन्न वाणिज्यिक बैंको के ए.टी.एम. की स्थिति को मानचित्र कमांक 3.14 में दर्शाया गया है।

3.14.15 अन्य सेवाएं–सुविधाएं

डाकघर, दूरभाष केन्द्र, आरक्षी/उपआरक्षी केन्द्र, विद्युत उपकेन्द्र, जल वितरण केन्द्र, इत्यादि की क्षमता एवं जनसंख्या के आधार पर भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु वृद्धि करना होगी। प्रशासनिक स्तर पर उपयुक्त स्थल का चयन कर नगर विकास समिति के सुझाव से सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर विकास किया जाना प्रस्तावित है।


SATNA
3.14 EXISTING ATM
Legend
ATM
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Village Boundary
Scale
0 0.2 0.4 0.8 1.2 1.6 Km
N
Planning Area
District - Satna
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Ground Verification
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

अध्याय– 4 प्रस्तावित परिभ्रमण योजना

4.1 यातायात संरचना

परिवहन संरचना शहर की मूल आवश्यकता का आधार होने से वाहन, जल, मल, अपशिष्ट, विद्युत, टेलीफोन आदि जन–सुविधाओं के संबंध का कार्य परिवहन संरचना के सापेक्ष ही होता है ।

नगरीय विकास/विस्तार के लिये प्रभावपूर्ण परिभ्रमण संरचना की आवश्यकता होती है, ताकि नगर आबादी को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन की व्यवस्था प्राप्त हो सके, प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना नगर के भावी आकार एवं स्वरूप का निर्धारण करती है, कुशल यातायात प्रबंधन से यात्रा का समय, दूरी तथा वाहन चालन मूल्य आदि को कम किया जा सकता है, प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना निम्नलिखित अवधारणा पर आधारित है :–

(1) क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण।

(2) नगर के प्रस्तावित विकास एवं विस्तार हेतु उपयुक्त परिभ्रमण संरचना।

(3) नगर के कार्य केन्द्रों का परस्पर संबंध स्थापित करना।

(4) नगर की बसाहटों का आपस में सामन्जस्य स्थापित करना।

(5) मिश्रित यातायात के अनुरूप संसंगठित मार्ग संरचना, यातायात प्रणाली की कार्य–कुशलता का आंकलन निम्न घटकों के आधार पर किया जाता है :–

(1) अंर्तनगरीय यातायात (2) नगरीय यातायात

4.2 यातायात की वर्तमान स्थिति

नगर के भौतिक विकास का स्वरूप मुख्यतः परिवहन संरचना पर निर्भर करता है। भूमि उपयोग एवं यातायात आवश्यकताओं का आपस में घनिष्ठ संबंध रहा है। मार्ग संरचना निर्मित होने के उपरांत लम्बे समय तक उपयोग में आती है। वर्तमान परिवहन व्यवस्था के अध्ययन से ज्ञात होता है कि, पिछले एक दशक में वाहनों की संख्या में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है। नगर यातायात हेतु छोटे यात्री वाहन जैसे कि टेम्पों, मैजिक वाहन एवं ऑटो रिक्शा नगर में यातायात के प्रमुख साधन होकर नगर की यातायात प्रणाली में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में सार्वजनिक परिवहन के रूप में टेम्पों, ऑटों रिक्शा मैजिक वाहन, साईकिल रिक्शा यात्री वाहन हेतु एवं माल वाहन हेतु ऑटो रिक्शा एवं हाथ ठेला का उपयोग प्रचलित है। तीव्र एवं मंद गति वाहनों द्वारा नगर मार्गों का मिश्रित उपयोग करना सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात के लिए गंभीर समस्या है। नगर की वर्तमान यातायात समस्या के सुधार हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव दिए गए हैं:

1. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 के नगर से गुजरने वाले यातायात को कम करने के लिये बायपास।
2. लगभग सभी मुख्य मार्गों के मार्ग उपस्कर में सुधार आवश्यक है।
3. कार्य केन्द्रों के समीप पार्किंग का प्रावधान।
4. कार्य केन्द्रों एवं आबादी क्षेत्र के बीच सम्पर्क मार्गों का निर्माण कर परिवहन व्यवस्था सृदृढ़ करना।

4.3 अंर्तनगरीय यातायात

4.3.1 रेल मार्ग

सतना नगर रेल यातायात से मुम्बई–प्रयागराज रेल लाइन पर स्थित होने के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुडा हुआ है, जिससे इसकी क्षेत्रीय यातायात की आवश्यकता की पूर्ति वर्तमान में हो सकेगी। वर्तमान में सतना रेल्वे स्टेशन विकसित हैं।

4.3.2 सड़क मार्ग

सतना राष्ट्रीय राजमार्ग सतना राष्ट्रीय राजमार्ग 39 एवं 135–बीजी पर स्थित है जो शहर को सीधी, पन्ना, रीवा, सिंगरौली एवं मैहर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से जोड़ते हैं। अतः माल का आयात–निर्यात मार्ग यातायात द्वारा देश एवं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से होता है। इस प्रकार क्षेत्रीय मार्गो पर यातायात का काफी दबाव रहता है। क्षेत्रीय यातायात के दबाव को दृष्टिगत रखते हुये बायपास मार्ग का निर्माण किया गया हैं।

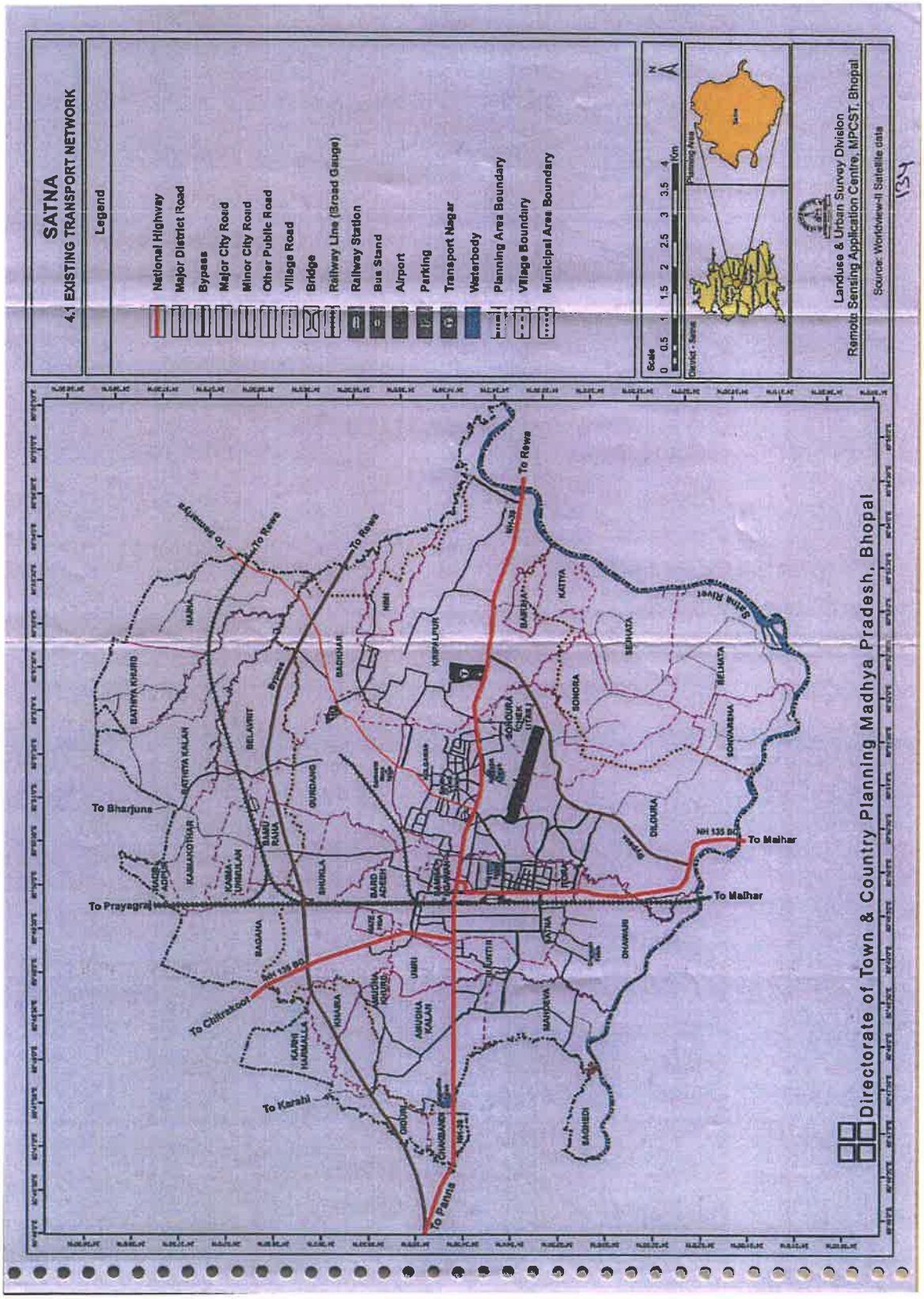
4.3.3 सीधा यातायात

सतना नगर से गुजरने वाले मार्गो पर सीधा यातायात गुजरता है, अतः इन मार्गो पर बढते हुये यातायात के दबाव को देखते हुये इन मार्गो को पर्याप्त रूप से सक्षम बनाया जाना प्रस्तावित है।

4.4 नगरीय यातायात

नगरीय यातायात की परिभ्रमण संरचना वर्तमान एवं प्रस्तावित दोनो ही प्रकार के प्रमुख कार्य केन्द्रों तथा यातायात अवसान केन्द्रो को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित की गई है, इसके द्वारा क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण हो सकेगा। प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना से नगर के प्रमुख कार्य केन्द्र जैसे– कलेक्ट्रेट, कृषि उपज मण्डी, यातायात नगर, औद्योगिक क्षेत्र वाणिज्यिक केन्द्र से सीधा सम्पर्क हो सकेगा। प्रस्तावित यातायात संरचना हेतु अपनाई गई नियोजन नीति निम्न बिन्दुओं पर आधारित है –

(अ) नगर के आबादी क्षेत्रों एवं मुख्य गतिविधि क्षेत्रों तक सुविधाजनक एवं सुरक्षित यातायात प्रणाली का विकास ।


SATNA
4.1 EXISTING TRANSPORT NETWORK
Legend
National Highway
Major District Road
Bypass
Major City Road
Minor City Road
Other Public Road
Village Road
Bridge
Railway Line (Broad Gauge)
Railway Station
Bus Stand
Airport
Parking
Transport Nagar
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
District - Satna
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Worldview-II Satellite data
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rewa
To Bharjuns
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Patna
To Malhar
NH 135 BG
Satna River

(ब) मुख्य कार्य केन्द्रो जैसे– यातायात केन्द्र, वाणिज्यिक केन्द्र, शैक्षणिक आदि केन्द्रों में पदचारी मार्गो का विकास ।

(स) विभिन्न संरचना इकाईयों के मध्य प्रभावी परिवहन तंत्र का विकास ।

(द) समस्याग्रस्त क्षेत्रों के यातायात एवं प्रबंधन की तकनीकी पहल ।

(इ) नगर की भावी जनसंख्या हेतु दक्ष एवं सुदृढ परिवहन प्रणाली की व्यवस्था।

4.5 मार्गो का श्रेणी कम एवं मार्गो की प्रस्तावित चौडाई :–

4.5.1 क्षेत्रीय मार्ग

सतना नगर से राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 39 एवं 135–बीजी गुजरता है, जिसके फलस्वरूप नगर का विभिन्न नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क स्थापित होता है ।

4.5.2 नगरीय मार्ग

(अ) बायपास मार्ग

सतना नगर के आंतरिक यातायात दबाव एवं दुर्घटनाओं को कम करने हेतु बायपास मार्ग का विकास किया गया है, जिसकी चौडाई 36.00/60.00 मीटर प्रस्तावित की गई है।

(ब) प्रमुख नगर मार्ग

नगर का प्रमुख यातायात नगर केन्द्र, प्रमुख कार्य केन्द्र, शिक्षा संस्थायें, स्वास्थ्य केन्द्र इन्ही मार्गो पर स्थित होने से इन मार्गो की यातायात क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये चौडाई 30.00–40.00 मीटर प्रस्तावित की गई है ।

(स) वृत्तखण्ड मार्ग

यह मार्ग आवासीय खण्डों एवं भूमि उपयोग क्षेत्रों की सीमा पर प्रस्तावित किये गये है, ये विभिन्न आवासीय क्षेत्रों के मध्य परस्पर संबध स्थापित करेगे, इनकी चौडाई 24.00–30.00 मीटर प्रस्तावित की गई है।

(द) उप वृत्तखण्ड मार्ग

इन मार्गो द्वारा खण्ड में स्थित आबादी की यातायात विषयक आवश्यकतायें पूरी होती रहेगी, तथा इन मार्गो को वृत्त खण्ड स्तरीय मार्गो से जोडा जाएगा । इन मार्गो की चौडाई 18.00–24.00 मीटर प्रस्तावित की गई है ।

(इ) स्थानीय मार्ग

यह मार्ग मुख्यतः आवासीय खण्डों में परिभ्रमण उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्तावित है, इन मार्गो के किनारें पुटपाथ, भूमिगत मल निकास एवं विद्युत प्रदाय हेतु लाईन का प्रावधान होता है। इनकी चौडाई 09.00 से 12.00 मीटर की 10 स्थानीय मार्ग प्रस्तावित की गई है ।

4.5.3 मार्गो की प्रस्तावित चौडाई

यातायात के प्रकार व उनकी विशेषता के अनुरूप एवं भविष्य की आवश्यकता को देखते हुये मार्गो की चौडाई निर्धारित की गई है, सारणी 4–सा–1 में नगर के विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रीय मार्गो की प्रस्तावित चौडाई एवं सारणी 4–सा–2 में विद्यमान नगरीय मार्गो की प्रस्तावित चौड़ाई निर्धारित की गई है।

मध्य क्षेत्र में मार्गो की चौड़ाई

सारणी 4–सा–1

क्रमांक	प्रमुख मार्ग का नाम	उप मार्ग	विकास योजना 2021 में चौड़ाई (मीटर में)	विकास योजना 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	मार्ग की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
1.	स्टेशन मार्ग (पश्चिमी वृत्त मार्ग)	सर्किट हाउस चौक से स्टेशन मार्ग होकर गौशाला चौक तक	15.00–18.00	18.00	वाणिज्यिक मार्ग
2.	गौशाला चौक से खेरमाई नाला तक (दक्षिण वृत्त मार्ग)	गौशाला चौक से पूर्व की ओर नाले तक	9.00	12.00	वाणिज्यिक मार्ग
3.	नया तालाब एवं कंवरराम टाकीज मार्ग (पूर्वी वृत्त मार्ग)	(अ) दक्षिण मार्ग के मिलान बिन्दु से नव दुर्गा चौक तक	15.00–18.00	18.00	वाणिज्यिक मार्ग
		(ब) नव दुर्गा चौक से पुराने गल्ला मंडी तिराहा होकर जगत देव तालाब चौक तक	15.00–18.00	18.00	वाणिज्यिक मार्ग

सतना विकास योजना 2035

क्रमांक	प्रमुख मार्ग का नाम	उप मार्ग	विकास योजना 2021 में चौड़ाई (मीटर में)	विकास योजना 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	मार्ग की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
		(स) जगतदेव तालाब चौक से पशु चिकित्सालय तक	12.00–15.00	18.00	वाणिज्यिक मार्ग
		(द) पशु चिकित्सालय सं सेमरिया चौक तक	15.00–24.00	24.00	वाणिज्यिक मार्ग
4.	राष्ट्रीय राजमार्ग (उत्तरी वृत्त मार्ग)	सेमरिया चौक से सर्किट हाउस चौक तक	35.00	36.00	वाणिज्यिक मार्ग
5.	अस्पताल मार्ग	स्टेशन मार्ग से जगतदेव तालाब तक	18.00	18.00	वाणिज्यिक मार्ग
6.	गल्ला मंडी मार्ग (टिकुरिया टोला मार्ग)	जय स्तम्भ चौक से पुरानी गल्ला मंडी तिराहा तक	12.00–15.00	18.00	वाणिज्यिक मार्ग
7.	महावीर मार्ग	पुराना नगर निगम कार्यालय से हनुमान चौक होकर गौशाला चौक तक	12.00–15.00	18.00	वाणिज्यिक मार्ग
8.	महावीर भवन मार्ग	अस्पताल चौक से जय स्तंभ चौक तक	–	12.00	वाणिज्यिक मार्ग
9.	पुराना पावर हाउस मार्ग	स्टेशन मार्ग से पुराना पावर हाउस चौक तक	12.00–15.00	12.00	वाणिज्यिक मार्ग
10.	चौक बाजार	वीनस लाज तिराहे से शराब कारखना तक	12.00–15.00	12.00	वाणिज्यिक मार्ग
11.	पुरानी सब्जी मंडी मार्ग	स्टेशन मार्ग से बिहारी चौक लालता चौक होकर सब्जी मंडी क	12.00	12.00	वाणिज्यिक मार्ग

सतना विकास योजना 2035

क्रमांक	प्रमुख मार्ग का नाम	उप मार्ग	विकास योजना 2021 में चौड़ाई (मीटर में)	विकास योजना 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	मार्ग की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
12.	प्रणामी मंदिर मार्ग	फूलचंद भजियावाला चौक से लालता चौक होकर दक्षिणी वृत्त मार्ग तक	12.00	12.00	वाणिज्यिक मार्ग
13.	हनुमान चौक मार्ग	स्टेशन मार्ग से हनुमान चौक होकर नया तालाब मार्ग तक	—	12.00	वाणिज्यिक मार्ग
14.	खेरमाई रोड़	होटल प्रताप के सामने से जगतदेव तालाब तक	12.00	18.00	वाणिज्यिक मार्ग
15.	आयुष्मान अस्पताल मार्ग	खेरमाई मार्ग से स्टेशन मार्ग तक	9.00–12.00	12.00	वाणिज्यिक मार्ग
16.	सहकारी भवन मार्ग	खेरमाई मार्ग से स्टेशन मार्ग तक	9.00–12.00	12.00	वाणिज्यिक मार्ग

सतना विकास योजना 2035

मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई

सारणी 4–सा–2

क्रमांक	मार्ग	मार्ग खण्ड	विकास योजना 2021 में चौड़ाई (मीटर में)	पुनर्विलोकन उपरांत प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–39 (पन्ना–रीवा मार्ग)	(अ) प्रस्तावित वृत्तीय मार्ग (रीवा की ओर) से प्रस्तावित वृत्तीय मार्ग (पन्ना की ओर) तक	35.00	36.00
		(ब) प्रस्तावित वृत्तीय मार्ग (रीवा एवं पन्ना की ओर) से आगे	60.00	60.00
2.	क्षेत्रीय मार्ग			
	1. मैहर मार्ग	(अ) गौशाला चौक से डाली बाबा चौक तक	18.00	18.00
		(ब) डाली बाबा चौक से वृत्तीय मार्ग तक	30.00	30.00
		(स) वृत्तीय मार्ग से आगे मैहर मार्ग की ओर	60.00	60.00
	2. चित्रकूट मार्ग	(अ) सिविल लाइन तिराहा से वृत्तीय मार्ग तक	30.00	30.00
		(ब) वृत्तीय मार्ग से आगे	45.00	45.00
	3. सेमरिया मार्ग	(अ) सेमरिया चौक से वृत्त मार्ग तक	35.00	36.00
		(ब) वृत्त मार्ग से आगे सेमरिया की ओर	60.00	60.00
3.	वृत्त मार्ग (प्रस्तावित)	(अ) उत्तरी वृत्त मार्ग (रीवा मार्ग से पन्ना मार्ग तक)	60.00	60.00
		(ब) दक्षिण वृत्त मार्ग (रीवा मार्ग से मैहर मार्ग होकर पन्ना मार्ग तक)	60.00	60.00
4.	प्रमुख नगरीय मार्ग	1. सिटी कोतवाली से धवारी तिराहा होकर भरहुत होटल सिविल लाइन तिराहा तक	24.00	24.00

सतना विकास योजना 2035

क्रमांक	मार्ग	मार्ग खण्ड	विकास योजना 2021 में चौड़ाई (मीटर में)	पुनर्विलोकन उपरांत प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4	5
		2. राष्ट्रीय राजमार्ग करही चौक से समरिटन अस्पताल चौक होकर महादेवा तक।	12.00 / 15.00	15.00
		3.(अ) धवारी मार्ग पर जवाहर मैदान से पश्चिम की ओर नाले तक	12.00	12.00
		(ब) नाले से समरिटल अस्पतान चौक तक	15.00 / 18.00	18.00
		4. (अ) स्टेडियम चौक से धवारी बस्ती होकर वनवासी सरस्वती स्कूल मोड़ तक	12.00	12.00
		(ब) सरस्वती स्कूल तिराहे से महादेवा की ओर	18.00	18.00
		5. (अ) करही तिराहा से इंजीनियरिंग कालेज मार्ग गोदाम तक (विस्तार उत्तर–पूर्व तरफ)	15.00	15.00
		(ब) गोदाम से आगे	18.00	18.00
		6. प्रेम नर्सिंग होम तिराहा से अन्डर ब्रिज होकर रेल्वे क्रासिंग तक	15.00 / 18.00	18.00
		7. रेल्वे क्रासिंग से चित्रकूट मार्ग तक	18.00 / 24.00	24.00
		8. सर्किट हाउस चौक से झंकार टाकीज होकर स्वामी चौराहा तक	15.00 / 18.00	18.00
		9. (क) बरदाडीह चौक से शुक्ला ग्राम की ओर	15.00 / 18.00	18.00

सतना विकास योजना 2035

क्रमांक	मार्ग	मार्ग खण्ड	विकास योजना 2021 में चौड़ाई (मीटर में)	पुनर्विलोकन उपरांत प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4	5
		जाने वाला मार्ग प्रस्तावित वृत्तीय मार्ग तक		
		(ख) प्रस्तावित वृत्तीय मार्ग के आगे	30.00	30.00
		10. भरहुत नगर तिराहा से पुराना आर0टी0ओ0 कार्यालय तक	18.00	18.00
		11. बस स्टैण्ड फायर ब्रिगेड से बैंक कालोनी तक	9.00 / 12.00	12.00
		12. काईस ज्योति स्कूल के सामने से कृष्ण नगर मार्ग को क्रास कर सरस्वती स्कूल तक	9.00 / 12.00	12.00
		13. बांस नाका से लखन चौराहा होकर वर्तमान वायपास तक	18.00	18.00
		14.डाली बाबा चौक से डाली बाबा मंदिर होकर लखन चौक तक	12.00	12.00
		15. (अ) सेमरिया मार्ग से गल्ला मण्डी तक	35.00	36.00
		(ब) मंडी से आगे पॉलीटेक्नीक कालेज होकर प्रस्तावित वृत्तीय मार्ग तक	25.00	25.00
		16.सीता राम पेट्रोल पम्प से शिव मंदिर होकर बांधवगढ़ कालोनी यादव पेट्रोल पम्प तक।	15.00 / 18.00	18.00
		1. सेमरिया मार्ग पर दीनदयाल गेट से शिव चौक तक	18.00	18.00

सतना विकास योजना 2035

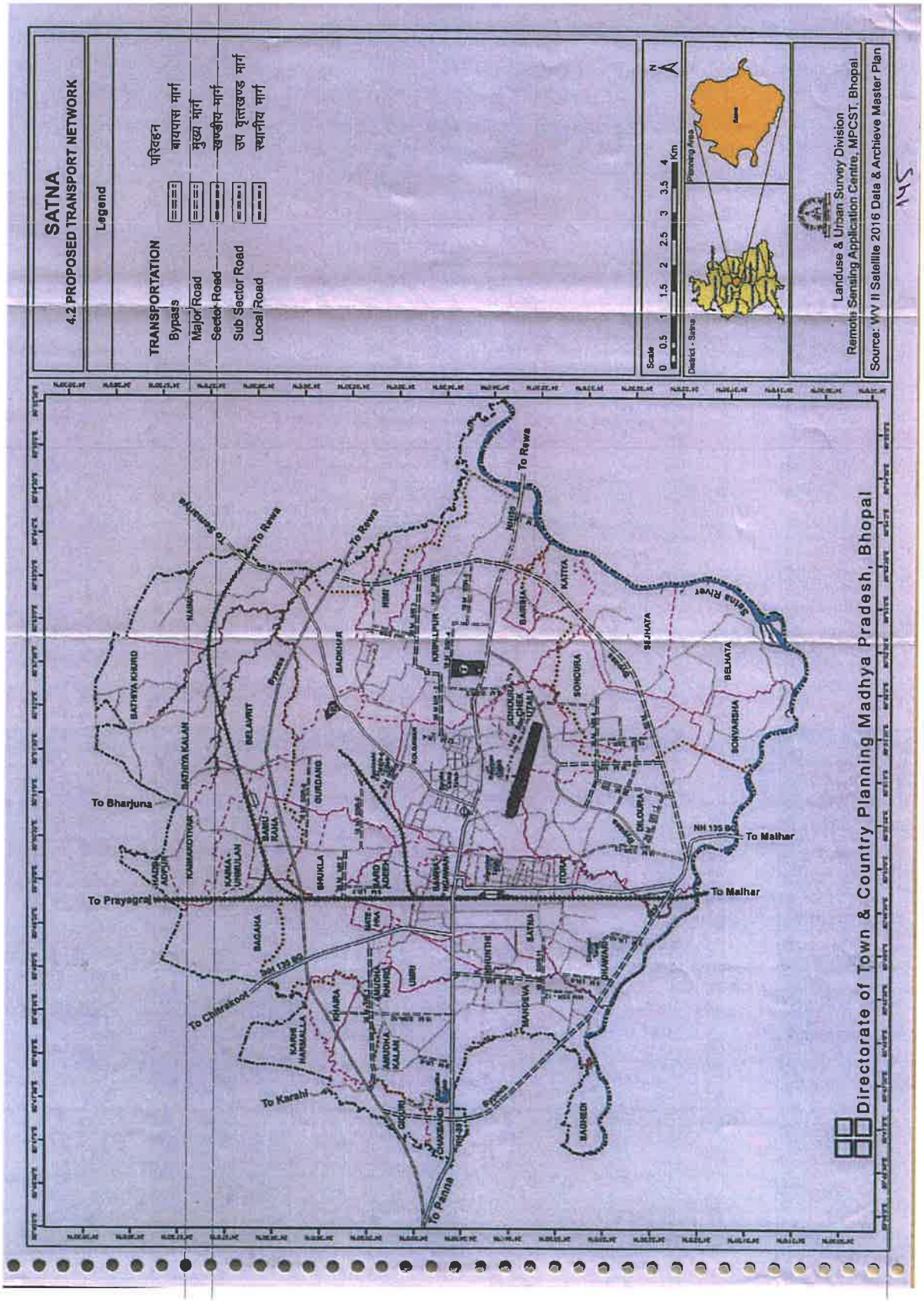
क्रमांक	मार्ग	मार्ग खण्ड	विकास योजना 2021 में चौड़ाई (मीटर में)	पुनर्विलोकन उपरांत प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4	5
		2. कोलगवां कोतवाली के सामने दीनदयाल गेट से सिन्धी धर्मशाला तक	18.00	18.00
		3. राष्ट्रीय राजमार्ग से जेल तक	30.00	30.00
		4. बढैया चौक से बांधवगढ़ कालोनी तक	18.00	18.00
		5. गहरानाला से सरस्वती आवासीय विद्यालय होकर वायपास तक	18.00	18.00
		6. वर्तमान वायपास मार्ग से बेलहटा की ओर।	24.00	24.00
	वृत्त खण्ड मार्ग	निवेश ईकाई के अंदर आवागमन	12.00 / 18.00	24.00
	उपवृत्त खण्ड मार्ग	क्षेत्र के अंदर आवागमन	9.00 / 15.00	18.00
	स्थानीय मार्ग	क्षेत्र के अंदर आवागमन	9.00 / 12.00	12.00
	पदचारी मार्ग	क्षेत्र के अंदर आवागमन	3.00 / 5.00	3 / 5.00
	ग्रामीण पहुँच मार्ग	ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन	—	18.00
	प्रधानमंत्री सड़क मार्ग	—	—	24.00
5.	प्रमुख मार्ग			
	एम.आर. नं. 1	उत्तरी रिंग रोड से इंजीनियरिंग कॉलेज होकर चित्रकूट मार्ग तक	35.00	36.00
	एम.आर. नं. 2	भरजुना मार्ग से पश्चिम की ओर रेल्वे लाइन तक।	35.00	36.00
	एम.आर. नं. 3	औद्योगिक क्षेत्र से गल्ला मंडी को जोड़ने वाले प्रस्तावित मार्ग से उत्तरी रिंग रोड़ तक	35.00	36.00

क्रमांक	मार्ग	मार्ग खण्ड	विकास योजना 2021 में चौड़ाई (मीटर में)	पुनर्विलोकन उपरांत प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4	5
	एम.आर. नं. 4	डिलौरा बायपास से प्रस्तावित दुग्ध डेयरी उद्योग बेलहटा मार्ग तक	35.00	36.00
	एम.आर. नं. 5	ग्राम उतैली बायपास से प्रस्तावित रिंग रोड़ तक	35.00	36.00
	एम.आर. नं. 6	ग्राम उमरी राष्ट्रीय राजमार्ग से महादेवा प्रस्तावित मार्ग तक	35.00	36.00

प्रस्तावित मार्गो की चौड़ाई

सारणी 4–सा–3

क्रमांक	मार्ग	मार्ग खण्ड	विकास योजना 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	5
1.	**वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग (Sector Road)**		
(1)	एस.आर. 1	मैहर बायपास मार्ग से एस.आर. 2	24.00
(2)	एस.आर. 2	एम.आर. 4 से प्रस्तावित मैहर बायपास मार्ग	24.00
(3)	एस.आर. 3	मैहर बायपास मार्ग से एस.एस.आर. 1	24.00
2.	**उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग (Sub-Sector Road)**		
(1)	एस.एस.आर. 1	एम.आर. 4 से प्रस्तावित मैहर बायपास मार्ग	18.00
(2)	एस.एस.आर. 2	नारायण तालाब से मैहर बाईपास होकर एम. आर. 4 तक	18.00
(3)	एस.एस.आर. 3	सतना डिग्री कॉलेज के पास से मैहर बाईपास मार्ग तक	18.00
(4)	एस.एस.आर. 4	ट्रांसपोर्ट नगर से रीवा पन्ना मार्ग तक	18.00
(5)	एस.एस.आर. 5	प्रस्तावित उत्तरी बाईपास मार्ग से एस.एस. आर. 4 तक	18.00
(6)	एस.एस.आर. 6	बायपास मार्ग से कुशवाहा मार्ग	18.00
(7)	एस.एस.आर. 7	नीमी मार्ग से कुशवाहा मार्ग तक	18.00
(8)	एस.एस.आर. 8	घुरड़ांग चौराहे से पश्चिम की ओर भरजुना मार्ग तक	18.00
(9)	एस.एस.आर. 9	बिरला सीमेंट प्लांट से भरजुना मार्ग तक	18.00
(10)	एस.एस.आर. 10	एम.आर. 1 से उत्तरी बायपास मार्ग	18.00
(11)	एस.एस.आर. 11	महदेवा मार्ग से सतना रेलवे स्टेशन तक	18.00
(12)	एस.एस.आर. 12	एस.एस.आर. 11 से धवारी–महदेवा मार्ग तक	18.00
(13)	एस.एस.आर. 13	डाली बाबा मार्ग से मैहर बायपास तक	18.00


SATNA
4.2 PROPOSED TRANSPORT NETWORK
Legend
TRANSPORTATION
परिवहन
Bypass
बायपास मार्ग
Major Road
मुख्य मार्ग
Sector Road
खण्डीय मार्ग
Sub Sector Road
उप वृत्तखण्ड मार्ग
Local Road
स्थानीय मार्ग
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
Planning Area
District - Satna
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: WV II Satellite 2016 Data & Archieve Master Plan
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rewa
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Panna
To Malhar
NH 135 BG
Bichia River
BATHIYA KHURD
BATHIYA KALAN
BELAVRIT
BADKHAR
KRIPALPUR
KATTYA
SEJHATA
BELHATA
SONVARSHA
SONKURA
GURDAND
BAKULA
BAGAHA
KARHI HARIVALLA
PHARA
AMJHOLA KHURD
AMJHOLA KALAN
UMRI
MAHDEWA
SATNA
PHAWARI
BAGRESDI

4.6 यातायात अवसान केन्द्र (माल/यात्री)

(अ) रेल्वे गुड्स यार्ड

भविष्य की आवश्यकता के मान से वर्तमान में रेल्वे विभाग का गुड्स यार्ड हेतु स्थान पर्याप्त है ।

(ब) यातायात नगर

सतना नगर के मध्य क्षेत्र में व्याप्त यातायात समस्याओं के निदान हेतु यातायात नगर रीवा मार्ग पर विकसित हैं।

4.6.1 आवसान केन्द्र (यात्री)

(अ) रेल्वे स्टेशन

वर्तमान में सतना रेल्वे स्टेशन नगर के मध्य में स्थित है, नगर के मध्य से व अन्य क्षेत्र से पहुंच मार्ग उपलब्ध है । रेल्वे स्टेशन पर यात्रियों हेतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है ।

(ब) क्षेत्रीय बस स्टेण्ड एवं बस डिपो

सतना नगर में वर्तमान में बस स्टेण्ड नगर के मध्य में स्थित है। जो कि रेल्वे स्टेशन के नजदीक एवं मुख्य मार्ग पर स्थित है।

4.7 पार्किंग प्रस्ताव

वर्तमान में पार्किंग की समस्या नगर के मध्य क्षेत्र एवं अन्य कार्य केन्द्रो के समीप बहुत अधिक है । आने वाले समय में यह समस्या ओर भी बढेगी, इसका एक मात्र हल यही होगा कि प्रभावी परिवहन व्यवस्था विकसित की जावे एवं यातायात के प्रबंधन हेतु कार्य योजना तैयार की जावे । साथ ही स्थायी निराकरण के लिये यह आवश्यक है कि पार्किंग की विस्तृत योजना बनाई जाकर उसका कियान्वयन किया जावे । पार्किंग योजना तैयार होने तक निम्न व्यवस्था प्रस्तावित है ।

(i) मध्य क्षेत्र में फुटपाथ की चौडाई 1.5 मीटर रखी जाकर उसके अंदर ही ड्रेनेज निकाली जाये तथा सडक की शेष भूमि का पार्किंग के लिये उपयोग किया जावे ।

(ii) चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों के लिये पृथक–पृथक पर्किंग क्षेत्र का निर्धारण ।

(iii) नगर के क्षेत्रीय मार्गो एवं कार्यकेन्द्रो के समीप पार्किंग के स्थान हेतु भूमि आरक्षित करना।

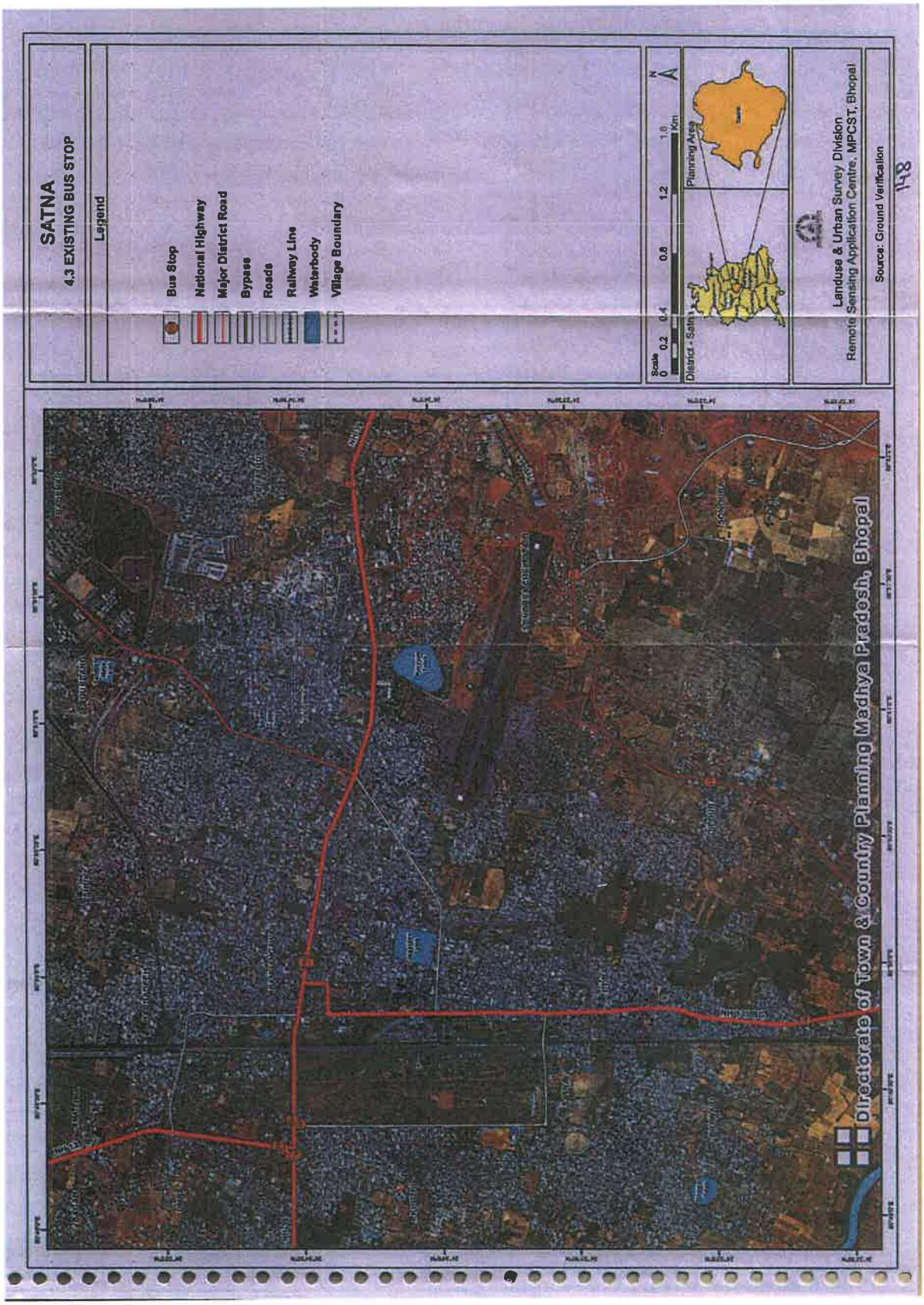
(iv) स्वीकृत मानचित्रों मे पार्किंग के लिये प्रस्तावित क्षेत्र का स्थानीय प्रशासन द्वारा समय सीमा में कियान्वयन सुनिश्चित करना।

4.8 यातायात प्रबंधन योजना

विगत दशक में सतना में पंजीकृत वाहनों की में काफी वृद्धि हुई है। अतः नगर के मध्य क्षेत्र में स्थित कार्यकेन्द्रो के बढते स्वरूप तथा विद्यमान मार्ग संरचना की सीमित क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये यातायात प्रबंधन योजना तैयार की जाकर उसका कियान्वयन किया जाना आवश्यक है । यातायात प्रबंधन योजना के घटकों में मार्ग संगमों पर ट्रेफिक सिंग्नल, रोटरी, ज्यामितिय संरचना, मार्ग विभाजन, जन परिवहन वाहनों को यातायात में प्राथमिकता, पैदल यात्रियों के लिये फुटपाथ, चौराहों पुटपाथ पर रेलिंग व्यवस्था, सडकों पर यातायात के लिये चिन्ह अंकित करना, नागरिकों को यातायात की जानकारी, स्कूल एवं कॉलेजो में यातायात प्रशिक्षण आदि को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है ।

4.8.1 चौराहों का विकास

नगर के व्यस्तम मार्ग संगमों पर यातायात सिंग्नल लगाये जाकर उन्हें सिन्क्रोनाइज किया जावे तथा इनके नियंत्रण हेतु केन्द्रीय यातायात नियंत्रण योजना तैयार की जाना प्रस्तावित है । भविष्य की आवश्यकताओं, यातायात दबाव तथा स्थल विशेष की वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये प्रमुख मार्ग संगमों पर फ्लाय ओवर, निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।


SATNA
4.3 EXISTING BUS STOP
Legend
Bus Stop
National Highway
Major District Road
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Village Boundary
Scale
0 0.2 0.4 0.8 1.2 1.6 Km
N
District - Satna
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Ground Verification
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

अध्याय– 5 विकास योजना प्रस्ताव–2035

5.1 विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन

सतना विकास योजना 2021 प्रस्तावित जनसंख्या 4.60 लाख हेतु दिनांक 16.04.2010 से प्रभावशील की गई थी। भारत सरकार द्वारा चयनित मध्य–प्रदेश के 34 शहरों में से सतना नगर को अमृत गाईड लाईन के अनुसार विकास योजना तैयार करने हेतु चयनित किया गया एवं सतना विकास योजना 2021 की समयावधि खत्म होने के पूर्व विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन किया जाकर वर्ष 2035 के लिए अनुमानित जनसंख्या 5.50 लाख हेतु तैयार की गई है। जिसमें वर्तमान विकसित क्षेत्र को समाहित कर नवीन प्रस्ताव दिये गये हैं, जो नगर के विकास के साथ नगरीय जीवन स्तर के उन्नयन एवं आर्थिक विकास हेतु उपयोगी होंगे।

5.2 योजना अवधारणा

सतना नगर का वर्तमान भौतिक स्वरूप एवं आकार नगर में स्थित तालाब, पहाड़ियों पर आधारित है। भौतिक बंधनों के कारण नगर का वर्तमान स्वरूप निम्न क्षेत्रों में हो रहे विकास पर आधारित है।

1. पुराना नगर (मध्य क्षेत्र)।

2. सेमरिया मार्ग (ग्राम बदखर)।

3. रीवा–पन्ना मार्ग (ग्राम कृपालपुर)।

4. चित्रकूट–मैहर मार्ग (ग्राम बगहा, डिलौरा)।

वर्तमान में हो रहे विकास की दिशा को दृष्टिगत रखते हुये नगर का भावी विकास एवं स्वरूप का निर्धारण किया गया है, फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रों को प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना एवं यातायात के द्वारा समुचित रूप में जोड़े जाने की भी आवश्यकता है, ताकि इन सभी क्षेत्रों में आपसी सह–संबंध एवं युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इस प्रकार नगर का विकास एकीकृत रूप से हो सकेगा। वर्तमान में मुख्य मार्गों को शहर से गुजरने के कारण यातायात एवं पर्यावरण की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये प्रमुख मार्गों को प्रस्तावित बायपास मार्ग के द्वारा आपस में जोड़ा गया है, जिससे ईंधन व समय की बचत के अतिरिक्त सीधे यातायात का नगरीय यातायात से पृथक्करण संभव हो सके।

नगर के मध्य क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने की दिशा में प्रस्तावित विभिन्न क्षेत्र में इस हेतु मिश्रित उपयोग हेतु उचित प्रावधान किये जाने की

आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये नवीन प्रस्ताव रखे गये हैं, ताकि मध्य क्षेत्र में इन गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण हो सके। नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुये नगरीय सुविधाओं के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर सुविधाओं को प्रस्तावित किया गया है। नगर के भावी औद्योगिक विकास को दिशा प्रदान करने की दृष्टि से कृषि आधारित एवं अन्य उद्योगों हेतु उचित प्रावधान किया गया है।

5.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता

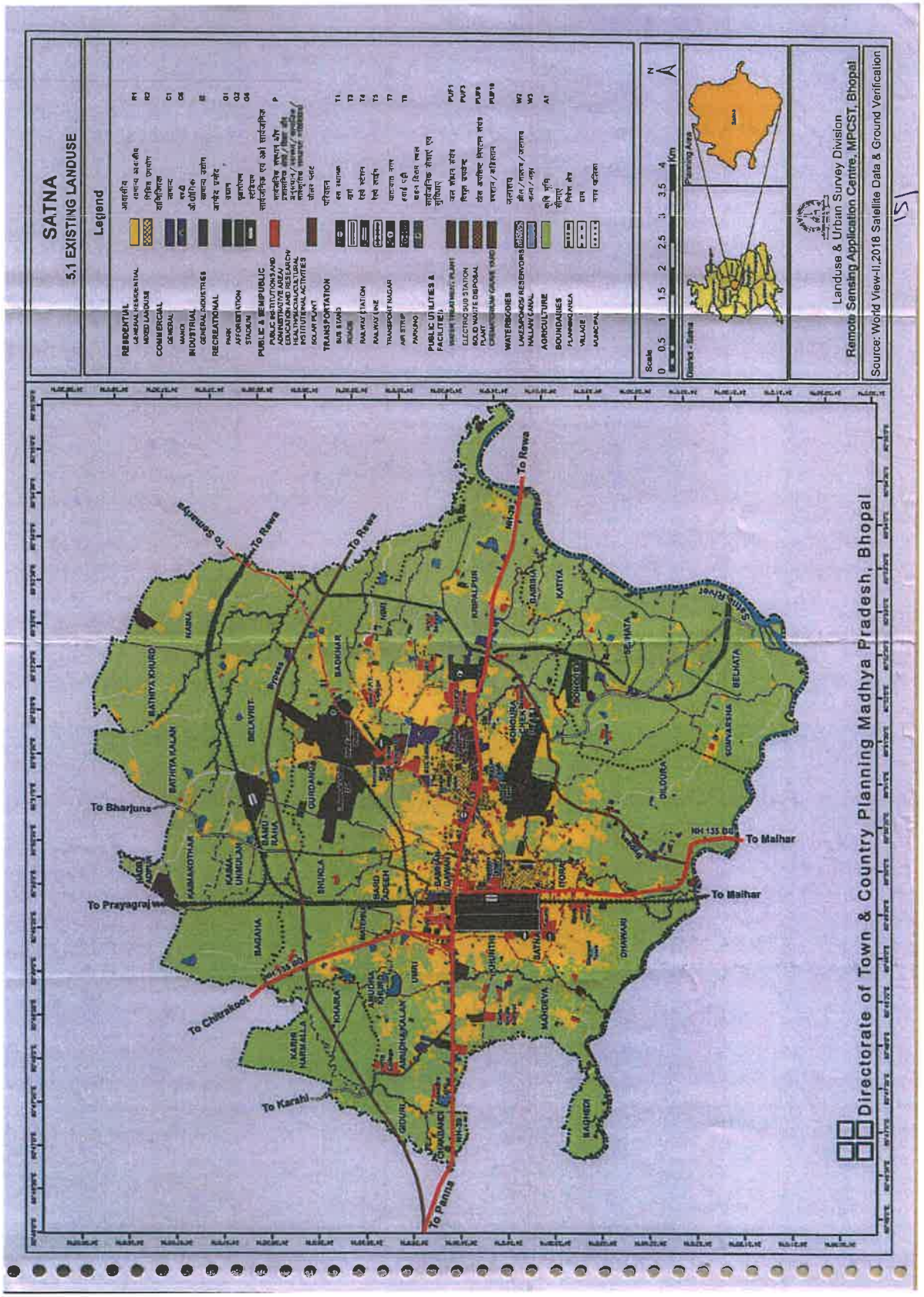
सतना विकास योजना 2021 के अनुसार सतना निवेश क्षेत्र की, वर्ष 2020 में जनसंख्या 4.00 लाख के आस–पास रहेगी एवं वर्ष 2035 तक औसतन जनसंख्या 5.50 लाख अनुमानित की गई है।

विकसित क्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, मिश्रित, सार्वजनिक एवं अर्ध सावर्जनिक, सावर्जनिक सुविधाएं एवं सेवाऐं, आमोद–प्रमोद एवं परिवहन क्षेत्र में सम्मिलित हैं। रिक्त भूमि, जलाशय, वन क्षेत्र एवं कृषि भूमि सम्मिलित नहीं है।

यू.आर.डी.पी.एफ.आई. मानक अनुसार मध्यम श्रेणी के नगरों के लिए 125 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व अनुशंसित है। इस संदर्भ में वर्ष 2035 तक सतना निवेश क्षेत्र में विकास योजना प्रस्ताव निर्धारित करने हेतु क्षेत्रफल की गणना की गई है एवं इस गणना के अनुसार लगभग 7271.06 हेक्टेयर भूमि कुल 5.50 लाख जनसंख्या (वर्ष 2035) के लिये आवश्यक होगी। सतना निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोग हेतु भूमि का चयन करने हेतु समन्वित भूमि उपयोग उपयुक्तता का विश्लेषण किया गया है, जिसका मुख्य आधार भौगोलिक विशेषताएँ एवं पर्यावरणीय घटकों का संयुक्त रूप से "Multicriteria Index" के माध्यम से विश्लेषण है।

5.4 भूमि उपयोग 2035

सतना विकास योजना 2035 में नगर के संतुलित एवं नियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित क्षेत्र में 13.22 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति की भू–उपयोग दर से नगरीय विकास प्रस्तावित है। विकास योजना 2021 में 13.14 हेक्टेयर प्रति हजार भू–उपयोग दर प्रस्तावित की गई थी। जबकि वर्तमान में यह दर 8.62 हेक्टेयर प्रति हजार ही प्राप्त हुई है।


SATNA
5.1 EXISTING LANDUSE
Legend
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
District - Satna
Planning Area
Satna
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: World View-II,2018 Satellite Data & Ground Verification
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rewa
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Panna
To Malhar
NH-135 BG
NH-39
NH-30
BATHIYA KHURD
BATHIYA KALAN
BELAVRIT
BADKHAR
KRIPALPUR
KATIYA
BELHATA
DILDURA
SUNWAHA
SRUKLA
RAGAHA
UMRI
KHAIRA
KARHI NARWALLA
MAHDEVA
DHAWARI
GIDURI
CHHAMAMEI
BAGHORI

वर्ष 2035 के लिए भूमि उपयोग वितरण

सारणी 5–सा–1

क्र.	भू– उपयोग	विकास योजना 2021 में प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	वर्तमान विकसित क्षेत्र 2019			कुल प्रस्तावित क्षेत्र 2035 (वर्तमान विकसित क्षेत्र सहित)		
			क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत	भमि उपयोगिता दर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) वर्तमान + प्रस्तावित	प्रतिशत	प्रस्तावित भूमि उपयोगिता दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आवासीय	3327.38	1633.55	47.37	4.08	3656.91	50.29	6.65
2.	वाणिज्यिक	325.14	179.95	5.22	0.45	353.14	4.86	0.64
3.	औद्योगिक	449.78	283.02	8.21	0.71	426.88	5.87	0.78
4.	मिश्रित	-	106.28	3.08	0.27	537.84	7.40	0.98
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	416.81	264.24	8.06	0.69	383.86	5.52	0.73
	सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ		13.64			17.68		
6.	आमोद–प्रमोद	581.98	226.38	6.56	0.57	913.38	12.56	1.66
7.	यातायात एवं परिवहन	943.51	741.45	21.50	1.85	981.37	13.50	1.78
	योग	**6044.60**	**3448.51**	**100**	**8.62**	**7271.06**	**100**	**13.22**

5.4.1 आवासीय

आवासीय उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान आवासीय को समाहित करते हुये नगर के चारों दिशाओं में दिये गये हैं, ताकि नगर का संतुलित विकास हो सके। आवासीय उपयोग के अंतर्गत वर्तमान आवासीय सहित 3656.91 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 50.29 प्रतिशत है।

5.4.2 वाणिज्यिक

वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान वाणिज्यिक को यथावत् रखते हुये मुख्य मार्गों प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के समीप प्रस्तावित किये गये हैं, ताकि विकसित हो रहे आवासीय क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा प्राप्त हो सके। वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान वाणिज्यिक सहित 353.14 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि प्रस्तावित क्षेत्र का 4.86 प्रतिशत है।

5.4.3 औद्योगिक

नगर में औद्योगिक विकास, स्थानीय खनिज, वनोपज एवं कृषि उपज के आधार पर स्थापित होने वाले प्रदूषण रहित औद्योगिक इकाईयों के रूप में प्रस्तावित है। इन औद्योगिक इकाईयों के लिए वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों के समीप कुल 426.88 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित भूमि का 5.87 प्रतिशत है।

5.4.4 मिश्रित

मिश्रित उपयोग के अंतर्गत वर्तमान सहित 537.84 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 7.40 प्रतिशत है।

5.4.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान सहित 383.86 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 5.28 प्रतिशत है।

5.4.6 सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा–सुविधाएं

सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा–सुविधाएं उपयोग के अंतर्गत वर्तमान सहित 17.68 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 0.24 प्रतिशत है।

5.4.7 आमोद–प्रमोद

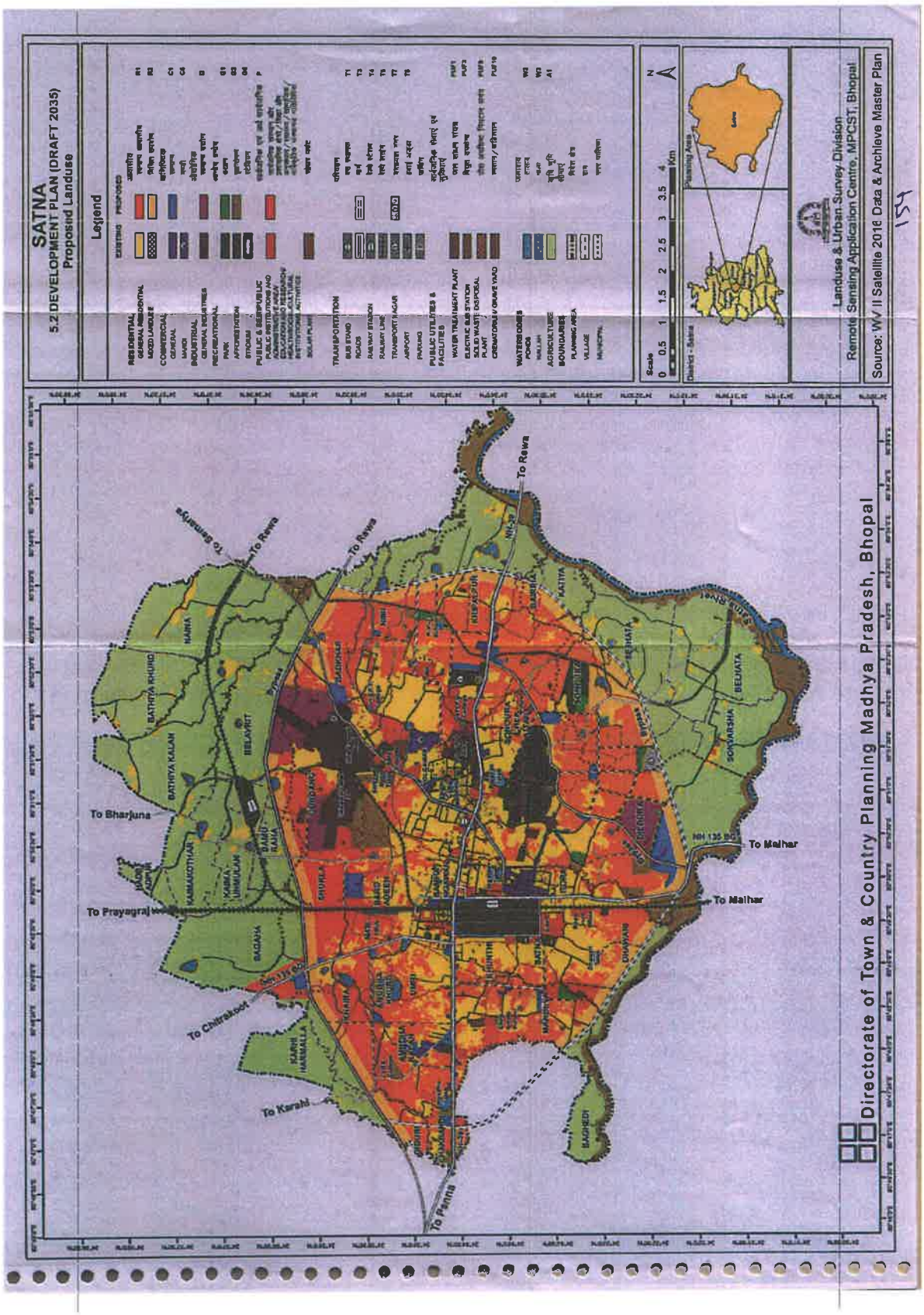
विकास योजना में आमोद–प्रमोद के अन्तर्गत 913.38 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 12.56 प्रतिशत है। प्रस्तावित क्षेत्र में वर्तमान विकसित क्षेत्र भी सम्मिलित है। इस उपयोग के अन्तर्गत नालों के किनारे भूमि विकास नियमानुसार निर्धारित सीमा तथा तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र के चारों ओर निर्धारित सीमा तक वृक्षारोपण भी प्रस्तावित है।

5.4.8 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना में यातायात क्षेत्र के अन्तर्गत 981.37 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, यह भूमि विकास के लिए प्रस्तावित भूमि का 13.50 प्रतिशत है। यातायात एवं परिवहन उपयोग के अन्तर्गत नगरीय मार्गों के विस्तार के साथ बायपास मार्ग के निर्माण तथा स्थानीय मार्गों की यातायात संरचना पदानुक्रम में विकास के लिए प्रस्तावित की गई है।

5.5 निवेश इकाईयॉ

सतना विकास योजना 2021 में निवेश क्षेत्र को 4 निवेश इकाईयों में विभक्त किया गया था। विकास योजना 2035 में भी पूर्व निवेश इकाईयों के क्षेत्र को यथावत रखा गया है। निवेश इकाई का विस्तृत विवरण सारणी में दर्शाया गया है।


SATNA
5.2 DEVELOPMENT PLAN (DRAFT 2035)
Proposed Landuse
Legend
Scale
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: WV II Satellite 2016 Data & Archieve Master Plan
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rewa
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Panna
To Malhar
NH-135
NH-39

सतना विकास योजना 2035

निवेश इकाईयाँ

सारणी 5–सा– 2

क्र.	निवेश इकाईयाँ	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	निवेश इकाई कमांक–1	1254.47
2.	निवेश इकाई कमांक–2	4920.22
3.	निवेश इकाई कमांक–3	1673.44
4.	निवेश इकाई कमांक–4	3551.92

निवेश इकाई कमांक–1

इस इकाई में निवेश क्षेत्र का दक्षिणी–पश्चिमी भाग सम्मिलित है, जिसमें रेलवे कॉलोनी सहित पुराना मध्यवर्ती क्षेत्र का हिस्सा शामिल है। इस इकाई के उत्तर में पन्ना, रीवा मार्ग, दक्षिण–पश्चिम में निवेश क्षेत्र सीमा एवं पूर्व में खेरमाई मार्ग, मध्य क्षेत्र का पूर्वी भाग एवं रेल्वे लाइन स्थित है। इस इकाई का कुल क्षेत्रफल 1254.47 हेक्टेयर है।

निवेश इकाई कमांक–2

इस निवेश इकाई में सिविल लाइन का क्षेत्र, मुख्तयार गंज, सिद्धार्थनगर, बस स्टेण्ड, सीमेन्ट एवं केबिल्स फेक्ट्री आदि क्षेत्र शामिल है। इसकी सीमाएं त्रिभुजाकार आकृति में होकर दक्षिण में पन्ना–रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग, पूर्व में सेमरिया मार्ग तथा उत्तर एवं पश्चिम में निवेश क्षेत्र की सीमा तक है। इस इकाई का कुल क्षेत्रफल 4920.22 हेक्टयर है।

निवेश इकाई कमांक–3

इस निवेश इकाई की सीमा में दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तर–पश्चिम में सेमरिया मार्ग तथा पूर्व में पूर्वी निवेश क्षेत्र तक का क्षेत्र आता है। इसमें सीमेन्ट फैक्ट्री का आवासीय भाग, अस्पताल एवं स्टेडियम क्षेत्र, बांधवगढ़ कॉलोनी, सिन्धी कैम्प, नई बस्ती, अनाज मण्डी, डिग्री कॉलेज, आद्योगिक क्षेत्र स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 1673.44 हेक्टयर है।

निवेश इकाई कमांक–4

इस निवेश इकाई की सीमा उत्तर में राष्ट्रीय राजमार्ग, पश्चिम में खेरमाई मार्ग, मध्यवर्ती क्षेत्र का पूर्वी वृत्त मार्ग एवं रेल्वे लाईन तथा दक्षिण एवं पूर्व में निवेश क्षेत्र सीमा तक है। इस इकाई में टिकुरिया टोला उतैली, संग्राम कॉलोनी, कृष्ण नगर, जीवन ज्योति कॉलोनी आदि प्रमुख आवासीय क्षेत्र शामिल है। इसका कुल क्षेत्रफल 3551.92 हेक्टेयर है।

5.6 अनौपचारिक सेक्टर

बेरोजगार एवं सीमित रूप से रोजगार से जुड़े कर्मी जो रोजगार की तलाश में हैं अथवा आर्थिक उन्नति के लिये आशान्वित है, अनौपचारिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये वर्ग शहर की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा आवासीय क्षेत्र के लिये सेवा जनसंख्या के रूप में भी कार्य करते हैं।

अनौपचारिक गतिविधियां मुख्य रूप से कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बाहर, यातायात केन्द्रों एवं बड़े आवासीय समूहों के आस–पास स्थापित हो जाती है। चूंकि आर्थिक गतिविधियों में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिये औपचारिक वर्ग के साथ–साथ अनौपचारिक गतिविधियों के लिये भी विकास योजना में प्रस्ताव रखे गये हैं।

अनौपचारिक गतिविधि क्षेत्रों की योजना, व्यापार एवं विभिन्न प्रकार के उपयोग परिक्षेत्र के नियंत्रित विकास में समाहित एवं सम्मिलित कर निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावित है:–

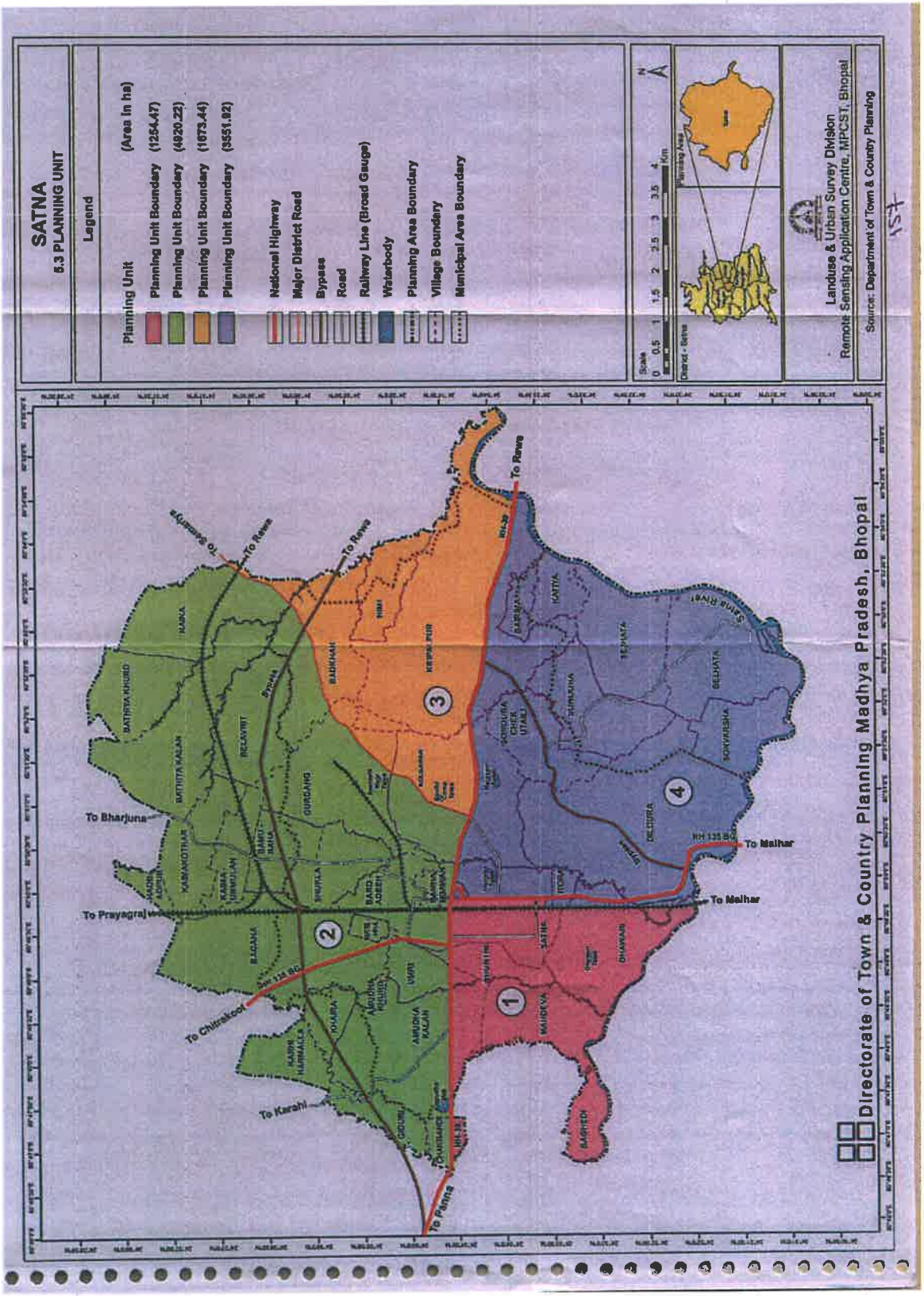
- सामान्य वाणिज्यिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु फुटकर दुकानों का प्रावधान करना जैसे – नगर केन्द्र खण्ड स्तरीय दुकानें व सुविधा दुकान क्षेत्र।
- थोक व्यापार एवं यातायात नगर क्षेत्र में सेवा प्रदान करना।
- संस्थागत क्षेत्रों, आमोद–प्रमोद, औद्योगिक क्षेत्रों एवं अवसान केन्द्रों पर खाद्य सेवा प्रदान करने वाली सेवा दुकानें उपलब्ध कराना।
- आवासीय क्षेत्रों के निकट सेवा दुकानें।
- निर्माण स्थलों के समीप अस्थाई रहवास की व्यवस्था करना।

अनौपचारिक सेक्टर को नियोजित आवासीय विकास क्षेत्र में निम्नानुसार समाहित किया जाना प्रस्तावित है:–

- परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय अनौपचारिक सेक्टर के लिये प्रस्तावित आवासीय विकास हेतु भूमि सुरक्षित रखना।
- अभिन्यास स्वीकृति के समय अनौपचारिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रावधान भी समय–समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है।
- अनौपचारिक सेक्टर इकाई का विकास क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जावे।

5.7 गंदी बस्ती क्षेत्र

सतना नगरीय क्षेत्र में नगर पालिक निगम द्वारा अधिसूचित 53 गंदी बस्तियां हैं। गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार हेतु यह आवश्यक है कि इनकी रोकथाम, विकास,


SATNA
5.3 PLANNING UNIT
Legend
Planning Unit (Area in ha)
Planning Unit Boundary (1254.47)
Planning Unit Boundary (4920.22)
Planning Unit Boundary (1673.44)
Planning Unit Boundary (3551.82)
National Highway
Major District Road
Bypass
Road
Railway Line (Broad Gauge)
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
District - Satna
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Department of Town & Country Planning
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rewa
To Bharjuna
To Prayagraj
To Chitrakoot
To Karahi
To Panna
To Maihar
1
2
3
4

निर्मूलन एवं पुनर्स्थापना हेतु एकीकृत कार्यक्रम चलाया जावे। इस हेतु निम्नानुसार प्रयास किया जाना प्रस्तावित है।

1. भवन निर्माण उपविधियों में संशोधन एवं परिक्षेत्रिक नियमों का निर्धारण एवं उनका पालन।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित भूमि का निष्चित समय सीमा में उसी वर्ग के लिये विकास।
3. गंदी बस्ती क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु सार्वजनिक सुविधाओं का विकास।
4. जिन गंदी बस्ती क्षेत्रों को वर्तमान स्थान पर पर्यावरण सुधार कर रखा जाना संभव न हो, उनको स्थानांतरित कर नवीन स्थल पर पुनर्स्थापना करना।

5.8 आमोद–प्रमोद स्थल

5.8.1 खुला स्थल प्रणाली

विकास योजना ऐसे खुले स्थलों की प्रणाली को प्रस्तावित करती है जो वर्तमान प्राकृतिक संरचनाओं के भू–दृश्यीकरण विकास के साथ–साथ आमोद–प्रमोद एवं पर्यावरणीय कार्यकलापों को पूर्ण करने में विशिष्टता रखती है। योजना में शहर के प्रमुख खुले स्थलों को प्राकृतिक जल निकास गलियारों के साथ और वर्तमान भू–दृश्यीकरण उप आकृतियों के नये विकास के साथ समाहित करते हुये प्रस्तावित किया है।

5.8.2 नगर उद्यान

शहर में वर्तमान में कुल 55 उद्यान हैं।

5.8.3 स्टेडियम तथा खेल परिसर

वर्तमान में सतना नगर में तीन स्टेडियम विद्यमान हैं। इसमें स्थानीय स्तर की खेल गतिविधियां आयोजित की जाती है।

5.9 पुनर्विकास नीति

शहर की विकास प्रक्रिया के कारण कुछ वर्तमान निर्मित क्षेत्र शहरी विकास की दृष्टि से केन्द्रीय स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जिससे इनका भू–मूल्य अधिक हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों को पुनर्विकास क्षेत्र के रूप में चयनित किया जावेगा। ऐसे क्षेत्रों की विकास नीति निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा संचालित की जावेगी :–

1. उच्च मूल्य वाली अकार्यक्षम भू–उपयोग अंतर्गत भूमि/क्षेत्र जिस भूमि का अन्य सक्षम उपयोग हेतु मांग अधिक है, उन्हें पुनर्घनत्वीकरण/पुनर्विकास क्षेत्रों के रूप में चयनित किया जावे।

2. पुनर्विकास परियोजना को विशेष परियोजना के रूप में माना जावेगा। इन परियोजनाओं का रूपांकन, नगरीय रूपांकन के दृष्टिकोण के आधार पर करने के पश्चात निवेश प्रस्ताव तैयार किये जावेंगे।

3. उपयोग एवं गतिविधियों का निर्धारण, निष्पादन स्तर एवं अनुकूलता स्तर जिन्हें आसपास के उपयोग द्वारा प्रभावित किया गया है, निर्धारित होगा जिसकी परियोजना को परिक्षेत्र की योजना के रूप में तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

4. स्वीकार्य विकास का घनत्व उपयोगिता एवं अधोसंरचना का यातायात दबाव की वाहन क्षमता और इसका समीकरण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा निर्धारित होगा।

यदि मध्य क्षेत्र में उन्नत पर्यावरण एवं यातायात सुधार की दृष्टि से पुनर्विकास योजना तैयार की जाती है तो उस स्थिति में फर्शी क्षेत्र अनुपात उस क्षेत्र हेतु निर्धारित फर्शी क्षेत्र अनुपात से 0.25 अधिक मान्य किया जा सकेगा।

भू–स्वामी अपने भूखण्ड में से कुछ भूखण्डीय क्षेत्र सार्वजनिक उपयोग जैसे–सड़क, फुटपाथ, पार्किंग इत्यादि हेतु छोड़ता है तो उसे शेष भूखण्ड में सामान्य स्वीकार्य एफ.ए.आर. एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी जाकर स्थानीय संस्था को समर्पित किये गये भूखण्ड क्षेत्र की भूमि को दो गुना तक फर्शी क्षेत्र अनुपात में जोड़ा जा सकेगा।

5.10 ग्राम आबादी विस्तार

सतना निवेश क्षेत्र में स्थित ग्राम आबादी जो विकास योजना के कृषि क्षेत्र में स्थित है, उनका विस्तार (जिसमें सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना का विकास भी सम्मिलित है) वर्तमान ग्राम आबादी क्षेत्र के आसपास 200 मीटर की परिधि में सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा से किया जा सकेगा।

5.11 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान

कमजोर आय वर्ग के लिए प्रत्येक आवासीय कालोनी में छोटे भूखण्डों का प्रावधान किया जाता है। यह वर्ग प्रायः रोजगार अस्थायी ठेला, गुमटी आदि की स्थापना के माध्यम से प्राप्त करता है। अतः कमजोर आय वर्ग के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में उल्लेखित प्रावधान तथा शासन द्वारा समय–समय पर इन वर्गों के लिए दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार किया गया प्रावधान स्वीकार होगा। यह संबंधित उपयोग परिक्षेत्रों के संदर्भ में निर्धारित किया जावेगा।

अध्याय– 6 विकास नियमन

6.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमनों का उद्देश्य निवेश क्षेत्र के नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। ये नियमन निम्न गतिविधियों पर लागू होंगेः

1. निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास।
2. भूमि के स्वरूप में परिवर्तन, जिसमें भूमि का उप विभाजन, संयुक्तिकरण, संविलियन, उपांतरण एवं भूमि का उपयोग शामिल है।
3. समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास।
4. किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो।
5. ऐसे क्षेत्र में, जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर है, भूमि का विकास, भवनों का निर्माण/परिवर्तन एवं तोड़ना।

6.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे, तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं हैं, वे म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा नियमों में किए जाने वाले संशोधन के अनुरूप लागू होंगे।

2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकार्य गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने में सक्षम हो।

3. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है। यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी, प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी एवं यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधन करना पड़े। ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। यदि कोई विवाद/विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है तो उस दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जायेगा।

4. विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं, तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किए गए हैं। उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल, तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि,

वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित हैं। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाए गए हैं।

5. वर्तमान भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाए अनुसार खसरा मानचित्र पर वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा।

6. आस–पास विद्यमान/निर्मित एवं धारा–30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम 1973 की धारा–27, 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग जो मौके पर विद्यमान हैं, परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उपदर्शित नहीं हैं अथवा उपदर्शित हैं, परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जाएगी।

7. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय विकास अनुज्ञा, स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान अधिभोग हेतु क्रियान्वित होने पर यथावत रहेंगे।

8. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो स्वीकार्य होगी।

9. संचालक द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की समयावधि, यदि विकास योजना प्रकाशन की तिथि पर वैध है, तो उस दशा में स्वीकृत अभिन्यास का व्यापक भूमि उपयोग मान्य किया जाएगा।

10. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है, भले ही वह विकास योजना में उल्लेखित न हो।

11. ऐसे क्षेत्र जहाँ जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो, उसके लिए आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगी।

12. विकास अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जाएगा।

13. विभिन्न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएँ उसी उपयोग परिसर के अन्दर ही आवश्यक रूप से करना होंगी। उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्डों को प्रगणित करते हुए एकीकृत अथवा समूह में अभिन्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर के अंदर पृथक से पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी।

14. नगर में निर्मित होने वाले फ्लाय ओवर/स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए दी जाएगी, परंतु ऐसी गतिविधि हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

15. विकास योजना में नदी/नालों के दोनों ओर दर्शाया गया हरित क्षेत्र सांकेतिक स्वरूप का है। नदी के दोनों किनारों पर उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 50 मीटर तक, एवं नालों की स्थिति में मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा। इस भूमि पर मार्ग तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा।

16. झुग्गियों में रहने वाले निवासी नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं। यदि झुग्गी–झोपड़ी का किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में जल स्त्रोतों, आमोद–प्रमोद तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी–झोपड़ी का विस्थापन ग्राह्य होगा।

17. विकास योजना मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा /बड़ा किया गया मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई–चौड़ाई नापी जाए, न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाए। लंबाई–चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू–उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु सर्वे मानचित्र जो 1:4000 की माप पर तैयार किया गया है, उसके आधार पर किया जाए। विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किया जाए, तथा इस संबंध में स्थल निरीक्षण/अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।

18. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुसार अलग–अलग विकास नियमन, परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जाएगी।

19. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमाएँ, स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जाएगा।

20. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होगा। उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग अधिमान्य होंगे।

21. विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिए गए हैं। नियमनों में यदि किसी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है, अथवा किसी व्याख्या की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

22. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा, तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर खसरों के आधार पर ही किया जाएगा।

23. नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं है, समानता के आधार पर मान्य किए जा सकेंगे।

24. विकास योजना मानचित्र में निर्दिष्ट भू उपयोग व पुस्तक में वर्णित किसी लेख में विरोधाभास की स्थिति पर पुस्तक में वर्णित लेख मान्य होंगे।

6.3 परिभाषाएँ

1. उपयोग परिक्षेत्रः मुख्य भू–उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र।
2. उपयोग परिसरः ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो, एवं जिसे की अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो।
3. अभिन्यासः उपविभाजित योजना जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार दिए हों।
4. भूमि उपयोग मानचित्रः सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र
5. परिक्षेत्रिक योजनाः निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार, सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधानित हो।
6. नगरीय ग्रामः भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाए एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली ग्रामीण आबादी
7. नगरीय विरासत का क्षेत्रः ऐसा परिसर जिसमें पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो।
8. विकसित क्षेत्रः विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग।
9. एकल/संयुक्त परिवार हेतु भूखण्डीय विकासः परिवार हेतु भूखंडीय विकास (अभिन्यास) का भूखंडों में उप–विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार/संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो।
10. मिश्रित उपयोगः इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें स्वीकार्य गतिविधियाँ मान्य होंगी।

11. ऊँचे भवनों का विकासः म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 के उपनियम (38) सहपठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित।
12. फर्शी क्षेत्रानुपातः म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (30) के अनुसार।
13. भवन की ऊँचाईः म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (9) के अनुसार।
14. संवेदनशील क्षेत्रः परिस्थितिजन्य, पर्यावरणीय, ईकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र। इनके अंतर्गत नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे।

अन्य परिभाषाएं व नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे।

6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

उपयोग परिक्षेत्रों में तत्संबंधी विभिन्न स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए उपयोग परिक्षेत्रों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाए अनुसार उपपरिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किए गए हैं। निर्धारित मुख्य भू–उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे, यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, आमोद–प्रमोद, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, विशेष प्रयोजन, यातायात एवं परिवहन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएँ, जलाशय एवं कृषि। उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6–सा–1 में दिया गया है। एवं नगर की आवश्यकतानुसार उपयोग की गई श्रेणियों का विवरण सारणी 6–सा–2 में उल्लेखित है।

मुख्य उपयोग परिक्षेत्र

सारणी 6–सा–1

क्र.	भू–उपयोग परिक्षेत्र	भू–उपयोग उपपरिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
1.	आवासीय	आवासीय	(आर 1)
		भू–तल पर दुकानों की कतारों सहित आवासीय	(आर 2)
		मध्यम घनत्व	(आर 3)
		निम्न घनत्व	(आर 4)
2.	वाणिज्यिक	शहर केन्द्र	(सी 1)
		उपनगर केन्द्र	(सी 2)
		सामुदायिक केन्द्र	(सी 3)
		स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र	(सी 4)
		सुविधा व्यावसायिक केन्द्र	(सी 5)
		मण्डी	(सी 6)
		वर्गीकृत बाजार	(सी 7)
3.	औद्योगिक	सेवा उद्योग	(आई 1)
		सामान्य उद्योग	(आई 2)
		विशेष उद्योग	(आई 3)
4.	मनोरंजन	उद्यान	(जी 1)
		हरित क्षेत्र या उपरोक्त वर्णित क्षेत्र	(जी 2)
		क्षेत्रीय उद्यान (प्राणिशास्त्रीय या वनस्पतिशास्त्रीय उद्यान)	(जी 3)
		प्राकृतिक क्षेत्रों या भू–दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण	(जी 4)
		खेल मैदान	(जी 5)
		स्टेडियम	(जी 6)
		झील के सामने का विकास	(जी 7)
		प्रदर्शनी मैदान	(जी 8)
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों / शिक्षा और अनुसंधान / स्वास्थ्य / सामाजिक / सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियाँ	(पी)
6.	विशेष प्रयोजन	पर्यटन प्रबंधन परिक्षेत्र	(एस पी 1)
		संरक्षित परिक्षेत्र	(एस पी 2)
		ड्राय पोर्ट या कंटेनर डिपो	(एस पी 3)
		तेल डिपो या ज्वलनशील पदार्थ डिपो	(एस पी 4)
		भवन निर्माण सामग्री यार्ड	(एस पी 5)

सतना विकास योजना 2035

क्र.	भू–उपयोग परिक्षेत्र	भू–उपयोग उपपरिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
		प्रदूषणकारी उद्योग	(एस पी 6)
		सेज (एस.ई.जेड)	(एस पी 7)
		खनन क्षेत्र	(एस पी 8)
		आरक्षित वन या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य	(एस पी 9)
		अन्य	(एस पी 10)
7.	परिवहन	बस स्टैण्ड या टर्मिनस	(टी 1)
		बस पिकअप स्टेशन	(टी 2)
		सड़कें	(टी 3)
		रेल्वे स्टेशन	(टी 4)
		रेल्वे लाइन	(टी 5)
		बस डिपो	(टी 6)
		ट्रांसपोर्ट नगर	(टी 7)
		हैलीपेड/हवाई अड्डा	(टी 8)
		मेट्रो रेल स्टेशन	(टी 9)
8.	सार्वजनिक उपयोगिताएँ और सुविधाएँ	जल शोधन संयंत्र	(पीयूएफ 1)
		मल शोधन संयंत्र/आक्सीकरण ताल	(पीयूएफ 2)
		विद्युत सब स्टेशन	(पीयूएफ 3)
		ट्रेंचिंग ग्राउण्ड्स	(पीयूएफ 4)
		ट्रंकलाइन कॉरीडोर, जल/मल, अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइनें, पाइप लाइनें और संबंधित संरचनाएँ	(पीयूएफ 5)
		रेडियो/टी.वी. स्टेशन	(पीयूएफ 6)
		दूरसंचार केन्द्र	(पीयूएफ 7)
		अग्नि नियंत्रण स्टेशन	(पीयूएफ 8)
		ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र/ अपघटन संयंत्र	(पीयूएफ 9)
		कब्रिस्तान/श्मशान घाट	(पीयूएफ 10)
9.	जल निकाय	नदियाँ	(डब्ल्यू 1)
		झील/तालाब/जलाशय	(डब्ल्यू 2)
		नाला/नहर	(डब्ल्यू 3)
		बाढ़ प्रभावित क्षेत्र	(डब्ल्यू 4)
10.	कृषि	कृषि भूमि	(ए 1)
		ग्राम आबादी विस्तार	(ए 2)

सतना निवेश क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त उपयोग परिक्षेत्रों को निम्न सारणी में दर्शाए अनुसार उपपरिक्षेत्रों में विभक्त कर प्रस्ताव दिए गए हैं। प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग, गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी। ऐसे क्षेत्र

जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, उसका नियंत्रण विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना के भू–उपयोग/प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा।

6.4.1 आवासीय उपयोग परिक्षेत्र

6.4.1.1 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के मापदण्डों के अनुसार नियंत्रित होंगे। आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6–सा–2 में दिए गए हैं।

1. इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है। इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित हैं। ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनाएँ, जल प्रदाय, जल–मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे।
2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1:1.5 से 1:3 होना चाहिए, किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जाएगा।
3. भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू–तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है। नीचे दी गई सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित हैं, एवं सारणी में दर्शाए भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक हैं।
4. म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईज़र का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन एवं शर्तें) नियम, 1998 एवं मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप अल्प आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किए जाएँगे।
5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट–ञ) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिए।
6. मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर से अधिक होने पर उससे लगी भूमि पर मार्ग चौड़ाई से दोगुनी गहराई तक मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी।

सतना विकास योजना 2035

सतना: आवासीय भूखण्ड विकास नियमन

सारणी 6–सा–2

क्र.	भूखण्ड का आकार (मी. में)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) न्यूनतम	विकास का प्रकार	भू–आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में	एफ.ए.आर. अधिकतम	एम.ओ.एस. (मी.) में				भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी.में)	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)	एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य आवासीय ईकाइयाँ
						अग्र	पार्श्व	आजू	बाजू			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	4.0X8.0	32	पंक्ति	60	1.25	3.0	0.0	0.0	0.0	6.0	9.5	2
2.	4.0X12.0	48	पंक्ति	60	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	6.0	9.5	2
3.	5.0X15.0	75	पंक्ति	60	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	6.0	9.5	2
4.	7.0X15.0	105	पंक्ति	50	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	7.5	9.5	2
5.	9.0X15.0	135	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.0	1.5	2.5	0.0	7.5	12.5	3
6.	11.10X18.0	200	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.0	2.5	2.5	0.0	9.0	12.5	4
7.	12.0X18.0	216	अर्धपृथक्कृत	42	1.25	3.5	2.5	3.0	0.0	9.0	12.5	4
8.	12.0X24.0	288	पृथक्कृत	40	1.25	4.5	2.5	3.5	1.5	9.0	12.5	4
9.	12.0X24.0	360	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	2.5	3.0	3.0	12.0	12.5	5
10.	15.0X27.0	405	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	3.0	3.5	3.0	12.0	12.5	5
11.	18.0X30.0	540	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.0	3.0	12.0	12.5	7
12.	20.0X30.0	600	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.5	3.0	12.0	12.5	7
13.	25.0X30.0	750	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7
14.	30.0X33.0	990	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7

नोट:

1. उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की है जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।
2. मिश्रित उपयोग के अंतर्गत ऐसे भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की अर्हता पूर्ण होती है, उनमें भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होंगे। (आवासीय इकाई छोड़कर)
3. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाए भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहुईकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है।
4. वे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शाई श्रेणियों के मध्य का है, उनको पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस., आच्छादन तथा एफ.ए.आर. के अनुसार, अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए। ऐसे आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्नता आती है तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जाएगी, किन्तु भवन रेखा निर्धारित करने के पश्चात्।

5. सार्वजनिक उपयोगिताओं, सेवाओं एवं सुविधाओं के निर्धारण के उद्देश्य से घनत्वीय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में औसतन 4.8 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में औसतन 2.4 व्यक्ति का रहवास माना जाएगा।
6. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जाएगी।
7. झुग्गियों की पुर्नस्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे।
8. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष 12 मीटर से कम चौड़ा मार्ग होने पर केवल 4 आवासीय ईकाइयाँ मान्य होंगी।
9. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है, तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई, तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी। स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार/क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा।

6.4.1.2 वर्तमान आवासीय क्षेत्र

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास सारणी 6–सा–3 में दर्शित मापदण्डों से नियंत्रित होगा:

आवासीय विकास हेतु भू–खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

सारणी 6–सा–3

भूखण्ड का क्षेत्र	आच्छादित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रनुपात
1	2	3
90 वर्गमीटर से कम	75%	1.25
90 से 180 वर्गमीटर तक	66%	1.00
180 वर्गमीटर से	60%	1.00

टीप: मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर से अधिक होने की दशा में 180 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र वाले भूखण्डों के लिए फर्शी क्षेत्रानुपात 1.25 तक अनुज्ञेय होगा।

6.4.1.3 आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड

जिन कॉलोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गए हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जाएगा। ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाए गए मापदण्ड लागू होंगे, जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास/निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र

वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

सारणी 6–सा–4

क्र.	भूखण्ड का आकार (मी. में)	क्षेत्र (वर्ग मी. में)	मार्ग की चौड़ाई (मी. में)	भवन रेखा (मी. में मार्ग के मध्य से)	अग्र कॉरीडोर	भू–आच्छादन	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	6.0 X 9.0	54	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
2.	9.0 X 15.0	135	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
3.	9.0 X 15.0	135	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
4.	12.0 X 18.0	216	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
5.	12.0 X 18.0	216	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
6.	18.0 X 30.0	540	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
7.	30.0 X 33.0	990 से अधिक	12 या अधिक	9.0	3.0	40	1.5

टीप:

1. 18 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के अनुसार एफ.ए.आर. देय होगा।

   - 18 मीटर तक 1.75
   - 24 मीटर से अधिक 2.0

2. यह मापदण्ड सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों में लागू होंगे। सारणी 6–सा–4 में दर्शाए गए क्षेत्रफल से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांकों के मानक लागू होंगे।

3. अभिन्यास में पार्किंग हेतु प्रावधान एकीकृत रूप से समस्त भूखण्डों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पार्किंग लॉटरूप में दिए जाने की स्थिति में

प्रत्येक परिसर हेतु पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी। वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जाएगी।

4. 12.0 मीटर से अधिक चौड़े मार्गों पर भवन रेखा निम्नानुसार निर्धारित की जायेंगी,

मार्ग चौड़ाई	भवन रेखा (मार्ग मध्य से)
12.0 मीटर	09.0 मीटर
18.0 मीटर	13.5 मीटर
24.0 मीटर	15.0 मीटर

5. अग्र कॉरिडोर की भूमि का किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग निषेध होगा।
6. वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक सारणी 6–सा–5 में वर्णित हैं।

वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

सारणी 6–सा–5

क्र.	वर्ग	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3
1.	भूखण्डों का क्षेत्र	अधिकतम 50 प्रतिशत
2.	परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र	अधिकतम 40 प्रतिशत
3.	खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र	न्यूनतम 10 प्रतिशत
4.	**मार्गों की चौड़ाई**	
	बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	12 मीटर
	दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं मुड़ने के लिए न्यूनतम चौड़ाई	18 मीटर
	दुकानों के सामने पादचारी की न्यूनतम चौड़ाई	7.5 मीटर
5.	दुकानों के आकार	मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर
6.	विराम स्थल	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

6.4.2.1 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक क्षेत्रों में पुनर्निमाण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी:

1. मार्गों की चौंड़ाई, विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप होगी।
2. अन्य तल यदि आवासीय उपयोग में हों, तो आवासीय क्षेत्र, भू–तल पर प्रस्तावित कुल फर्शी क्षेत्र के 3/4 से अधिक नहीं होगा।

3. प्रस्तावित फर्शी क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुये फर्शी क्षेत्र निर्धारित होगा।
4. वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन जिस मार्ग पर हो, उस मार्ग की चौड़ाई के 1.5 गुना या 30 मीटर, जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगी।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परिसरों के लिये अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा।

1. 25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भू–खण्ड	100 प्रतिशत
2. 25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भू–खण्ड	80 प्रतिशत
3. फर्शी क्षेत्र अनुपात	1:1.50

टीपः

1. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जाएगी।
2. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू–खण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भू–खण्ड का निर्माण किए जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि का दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार होगा। इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।

6.4.2.2 वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ

वर्तमान विकसित क्षेत्र में अधिकतम वाणिज्यिक गतिविधियाँ मार्गों पर संचालित हैं, अतः इन मार्गों को उनके उपयोग के अनुसार निम्न दो श्रेणियों में रखा गया हैः

1. वाणिज्यिक मार्ग
2. वाणिज्यिक सह आवासीय मार्ग

उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत मार्ग चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात सारणी 6–सा–6 में दर्शाए गए हैं।

सतना विकास योजना 2035

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों की चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्रानुपात

सारणी 6–सा–6

कमांक	प्रमुख मार्ग का नाम	उप मार्ग	विकास योजना 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	4	5
1.	स्टेशन मार्ग (पश्चिमी वृत्त मार्ग)	सर्किट हाउस चौक से स्टेशन मार्ग होकर गौशाला चौक तक	18.00	2.00
2.	गौशाला चौक से खेरमाई नाला तक (दक्षिण वृत्त मार्ग)	गौशाला चौक से पूर्व की ओर नाले तक	12.00	2.00
3.	नया तालाब एवं कंवरराम टाकीज मार्ग (पूर्वी वृत्त मार्ग)	(अ) दक्षिण मार्ग के मिलान बिन्दु से नव दुर्गा चौक तक	18.00	2.00
		(ब) नव दुर्गा चौक से पुराने गल्ला मंडी तिराहा होकर जगत देव तालाब चौक तक	18.00	2.00
		(स) जगतदेव तालाब चौक से पशु चिकित्सालय तक	15.00	2.00
		(द) पशु चिकित्सालय सं सेमरिया चौक तक	24.00	2.00
4.	राष्ट्रीय राजमार्ग (उत्तरी वृत्त मार्ग)	सेमरिया चौक से सर्किट हाउस चौक तक	36.00	2.00
5.	अस्पताल मार्ग	स्टेशन मार्ग से जगतदेव तालाब तक	18.00	2.00
6.	गल्ला मंडी मार्ग (टिकुरिया टोला मार्ग)	जय स्तम्भ चौक से पुरानी गल्ला मंडी तिराहा तक	15.00	2.00
7.	महावीर मार्ग	पुराना नगर निगम	15.00	2.00

सतना विकास योजना 2035

कमांक	प्रमुख मार्ग का नाम	उप मार्ग	विकास योजना 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	4	5
		कार्यालय से हनुमान चौक होकर गौशाला चौक तक		
8.	महावीर भवन मार्ग	अस्पताल चौक से जय स्तंभ चौक तक	12.00	2.00
9.	पुराना पावर हाउस मार्ग	स्टेशन मार्ग से पुराना पावर हाउस चौक तक	12.00	2.00
10.	चौक बाजार	वीनस लाज तिराहे से शराब कारखना तक	12.00	2.00
11.	पुरानी सब्जी मंडी मार्ग	स्टेशन मार्ग से बिहारी चौक लालता चौक होकर सब्जी मंडी क	12.00	2.00
12.	प्रणामी मंदिर मार्ग	फूलचंद भजियावाला चौक से लालता चौक होकर दक्षिणी वृत्त मार्ग तक	12.00	2.00
13.	हनुमान चौक मार्ग	स्टेशन मार्ग से हनुमान चौक होकर नया तालाब मार्ग तक	12.00	2.00
14.	खेरमाई रोड़	होटल प्रताप के सामने से जगतदेव तालाब तक	18.00	2.00
15.	आयुष्मान अस्पताल मार्ग	खेरमाई मार्ग से स्टेशन मार्ग तक	12.00	2.00
16.	सहकारी भवन मार्ग	खेरमाई मार्ग से स्टेशन मार्ग तक	12.00	2.00

नोटः

1. भू–खण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर या उससे अधिक होने पर कम से कम 4.5 मीटर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम हेतु खुला छोड़ना होगा।
2. वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक–सह–आवासीय मार्गों एवं वाणिज्यिक उपयोग, प्रस्तावित मार्ग की चौंड़ाई से दो गुना या 30 मीटर गहराई तक, जो भी कम हो स्वीकार्य होगा।

निर्मित क्षेत्र

वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू–तल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र की गणना निम्नानुसार की जायेगी।

अधिकतम 200 वर्ग मीटर तक	–66 प्रतिशत
200 वर्ग मीटर से अधिक 400 वर्गमीटर तक	–60 प्रतिशत
400 वर्गमीटर से अधिक	–50 प्रतिशत

6.4.3 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र

औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे।

6.4.4 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र

6.4.4.1 मिश्रित उपयोग नियमन

मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है। बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है। आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग बढ़ने के कारण वास्तविकता को नियोजन की दृष्टि से अनदेखा नहीं किया जा सकता। अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता, सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे। इस हेतु आवासीय परिसरों में मिश्रित उपयोग स्वीकार्य करने हेतु स्पष्ट सिद्धांत एवं प्रक्रिया का निर्धारण आवश्यक है।

6.4.4.2 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र से संबंधित गतिविधि किए जाने से है।
2. ऐसे कार्यकलापों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
3. मिश्रित उपयोग से अलग–अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आएगी, किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़ भाड़ बढ़ने, पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव पड़ना भी संभावित है। प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा।

6.4.4.3 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें

1. मिश्रित उपयोग हेतु विकास नियंत्रण के उपयोग परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (एफ.ए.आर. ग्राउण्ड कवरेज इत्यादि) मिश्रित उपयोग के लिए भी लागू रहेंगे।
2. मिश्रित उपयोग के यह नियमन नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगे तथा पार्किंग हेतु मानक उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे। विकसित क्षेत्र में पुनर्विकास की दशा में भी मिश्रित उपयोग स्वीकार्य किए जा सकेंगे।
3. 12.00 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्ग पर ही गैर आवासीय गतिविधियाँ जैसे, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियाँ मान्य की जा सकेंगी।

6.4.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपक्षेत्र

सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन सारणी 6–सा–7 में दर्शाए गए हैं।

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन

सारणी 6–सा–7

क्र.	विवरण	आच्छादित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	4
1.	महाविद्यालय	30 प्रतिशत	1.00
2.	उच्चतर माध्यमिक शाला	30 प्रतिशत	1.00
3.	प्राथमिक शाला	40 प्रतिशत	1.25
4.	पूर्व प्राथमिक शाला	40 प्रतिशत	1.25
5.	चिकित्सालय	30 प्रतिशत	1.00
6.	स्वास्थ्य केन्द्र	40 प्रतिशत	1.25
7.	पुलिस थाना	30 प्रतिशत	1.00
8.	अग्निशमन स्थल	30 प्रतिशत	1.00
9.	सामुदायिक भवन	30 प्रतिशत	1.00
10.	शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय	30 प्रतिशत	1.25

टीप: 5 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन गैरेज तथा सायकिल स्टैण्ड के लिए अनिवार्य होगा।

6.4.6 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड

1. शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 के परिशिष्ट–ञ में दिए गए अनुसार होगी।

3. विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित घनत्व को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया गया है। अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जाए।
4. उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 49 की परिषिष्ट–छः में दिए अनुसार विहित प्रारूप में कोई आवेदन किया जा सकता है।

सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड सारणी 6–सा–8 में दर्शाए गए हैं।

सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड

सारणी 6–सा–8

क्र.	श्रेणी	अधिकतम निर्मित क्षेत्र	एफ. ए. आर.	न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)	अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र (मी. में)	अन्य तीन ओर (मी. में)
1	2	3	4	5	6	7
1	**शैक्षणिक भवन**					
	1. नर्सरी / पूर्व प्राथमिक शाला	40 प्रतिशत	1.25	12.0	6.0	3.0
	2. प्राथमिक विद्यालय	33 प्रतिशत	1.25	12.0	7.5	3.5
	3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	30 प्रतिशत	1.00	18.0	12.0	5.0
	4. महाविद्यालय	25 प्रतिशत	1.00	24.0	15.0	6.0
2	**स्वास्थ्य**					
	हास्पिटल – 100 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	24.00	15.00	06.00
	हास्पिटल – 30 से 100 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	24.00	15.00	06.00
	हास्पिटल – 0 से 30 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	नेचरोपेथी सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	हेल्थ सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	नर्सिंग होम	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	पालीक्लीनिक	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	पेट क्लीनिक	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50
	ब्लड बैंक / पैथालाजी सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50

क्र.	श्रेणी	अधिकतम निर्मित क्षेत्र	एफ. ए. आर.	न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)	अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र (मी. में)	अन्य तीन ओर (मी. में)
1	2	3	4	5	6	7
	इत्यादि फिजियोथेरेपी सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50
3	**जनउपयोगिता एवं सेवायें** पुलिस चौकी पुलिस स्टेशन आवास गृह सहित सामुदायिक भवन उप अग्निशमन केन्द्र अग्निशमन केन्द्र डाक एवं तार विद्युत सब स्टेशन	 35 प्रतिशत 25 प्रतिशत 35 प्रतिशत 35 प्रतिशत 35 प्रतिशत 35 प्रतिशत –	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 –	 – 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 –	 म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे।	 म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे।
4	**धार्मिक भवन**	30 प्रतिशत	1.00	12.0		
5	**शासकीय/अर्द्ध–शासकीय कार्यालय**	35 प्रतिशत	1.00	18.0		

नोट– उपरोक्त सारणी में जो सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं उनके भू–आच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.0 से अधिक नहीं होंगे। जो सीमांत खुले क्षेत्र उपरोक्त सारणी में उल्लेखित नहीं हैं, वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार रहेंगे। किंतु ऐसी सुविधाएं जिनका पुनर्विकास किया गया है उनके लिये यह मापदण्ड लागू न होकर केवल आच्छादित क्षेत्र (कॉलम 3) के अनुसार रहेगा जिसे आवश्यकतानुसार 10 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा।

6.5 अन्य नियमन

6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे।

6.5.2 बहुविध बहुमंज़िली इकाई निर्माण

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे।

6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होंगे।

6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए सारणी 6–सा–9 में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

सारणी 6–सा–9

क्र.	विवरण	मानक
1	2	3
1.	फुटपाथ व्यापार	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
	वृत्त खण्ड केन्द्र	
	उपवृत्त खण्ड केन्द्र	
	सुलभ शॉपिंग	
2.	शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय	1 से 2 इकाई प्रति 100 कर्मकार
3.	थोक व्यापार एवं मालभाड़ा कॉम्पलेक्स	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
4.	चिकित्सालय	3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर
5.	**विद्यालय**	
	प्राथमिक	3 से 4 इकाई
	माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक	5 से 6 इकाई
6.	**उद्यान**	
	नगर उद्यान	8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार
	स्थानीय उद्यान	2 से 3 इकाई
7.	आवासीय	1 इकाई प्रति 500 जनसंख्या
8.	बस स्थानक / रेल्वे स्टेशन	परियोजना तैयार करते समय किए गए सर्वेक्षण पर निर्भर होगा।

टीपः प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी।

6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह–सेवा केन्द्र के मानक

ईंधन भराव एवं भराव सह–सेवा केन्द्र म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53(3)(चार) के अनुरूप होंगे। ई–वाहन चार्जिंग / बैटरी स्वैपिंग स्टेशन शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे।

6.5.6 यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक

इस हेतु आवश्यकता अनुसार कृषि भूमि के अंतर्गत स्थल का चयन किया जा सकेगा जिसमें निम्नलिखित गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी– ट्रक टर्मिनल, मोटर गैरेज, वर्कशॉप, स्पेयर पाटर्स, सुधार की दुकानें, रात्रि विश्राम गृह, बोर्डिंग/लॉजिंग, बैंक, पेट्रोल पंप, रेस्टॉरेंट, बुकिंग ऑफिस, वेयर हाउस एवं आनुषंगिक गतिविधियाँ।

यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर परिक्षेत्र हेतु नियमन निम्नानुसार हैं।

1. मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी।
2. सामुदायिक खुले क्षेत्र का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सकेगा।
3. यातायात नगर के विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल वर्णित नहीं किया गया है। स्थल के आधार के अनुसार एक से अधिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी।

6.5.7 शॉपिंग मॉल/खुला मॉल

शापिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे। उक्त गतिविधि विकास योजना में दर्शित वाणिज्यिक एवं मिश्रित भू–उपयोग में मान्य होगी। खुला माल, कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य होंगे।

6.5.8 वर्तमान विकसित क्षेत्रों के मापदण्ड

1. वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई, भू–आच्छादन, फर्शी क्षेत्रानुपात एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा परिक्षेत्रिक योजना तैयार कर निर्धारित मापदण्डों एवं भवन रेखा के निर्धारण अनुसार लागू होंगे। जब तक परिक्षेत्रिक योजना लागू नहीं होगी तब तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे।
2. विकसित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण की अनुमति स्थानीय निकाय द्वारा दी जा सकेगी।
3. भवन की ऊँचाई, अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे।

6.5.9 होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लाजिंग/बोर्डिंग

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर
अधिकतम एफ.ए.आर.	1 : 1.0
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)	33 प्रतिशत
अधिकतम ऊँचाई	12.00 मीटर

सीमांत खुला क्षेत्र

1. सम्मुख 6.0 मीटर
2. अन्य तीन ओर 4.50 मीटर

अन्य नियंत्रण

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर

पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 प्रावधान अनुसार।

6.5.10 मैरिज गार्डन

विकास के नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

6.5.11 बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर
अधिकतम एफ.ए.आर.	1:0.5
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)	15 प्रतिशत
न्यूनतम भूखण्ड का अग्रभाग	25.00 मीटर
सीमांत खुला क्षेत्र	
सम्मुख	6.00 मीटर
अन्य तीन ओर	4.50 मीटर

अन्य नियंत्रण

- भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.00 मीटर।
- भूखण्ड के सम्मुख खुले क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग सार्वजनिक पार्किंग हेतु आरक्षित रहेगा।
- इस गतिविधि से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित की जाएगी।

टीपः शासकीय भूमि अथवा मार्ग पर एवं परिसर के बाहर पार्किंग गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी।

6.5.12 शीतकेन्द्र/वेयर हाउस /गोदाम/अन्य भण्डारण केन्द्र के लिये मापदण्ड

उपरोक्त गतिविधियों के लिए निम्न नियमन लागू रहेंगे।

1. भू–खण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल– 1000 वर्गमीटर
2. अधिकतम तल क्षेत्र का अनुपात– 1:0.40
3. अधिकतम निर्मित क्षेत्र– 40 प्रतिशत
4. भू–खण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई– 12.0 मीटर
5. सीमांत खुला क्षेत्र – 6.0 मीटर

6.5.13 छविगृहों के लिए मापदण्ड

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53(3) के प्रावधान लागू होंगे।

6.5.14 मल्टीप्लेक्स

मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के प्रावधान लागू होंगे। मल्टीप्लेक्स आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मिश्रित भूमि उपयोग में मान्य होंगे

एवं फर्शी क्षेत्रानुपात उस भू–उपयोग के अनुरूप होगा जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो।

6.5.15 उद्यान

1. समस्त प्रकार के आमोद–प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत आनुषंगिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होगी।
2. स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग के अनुसार होंगे।

6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियां निम्नानुसार प्रावधानित हैं:

1. नदी के दोनों किनारों पर उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 50.00 मीटर तक, एवं नाले, शाखा नहर एवं अन्य जल स्त्रोतों की स्थिति में मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा।
2. नहर की स्थिति में दोनों ओर 15.00–15.00 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा।
3. प्रदूषित जल/मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जाएगा।
4. नाले, शाखा नहर एवं अन्य जल स्त्रोतों के किनारे के क्षेत्रों में भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टेंक को भवन निर्माण पश्चात् ग्रिडल मल लाईन से जोड़ना अनिवार्य होगा।
5. निवेश क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र में या एफ.ए.आर. में पूर्व की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
6. नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे।
7. निम्न श्रेणी के संवदेनशील क्षेत्रों में रख–रखाव से संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे।

ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र:

- नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन।
- प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी अधिपत्य में हो, तो भी।
- समय–समय पर उत्खनित/खोजे गए विरासतीय भवन।

8. पुरातात्विक महत्व के स्मारकों से पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्र खुला रखा जायेगा।

अन्य सुविधाएँ

सतना निवेश क्षेत्र में भूमि के विकास तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49(1) अनुसार मान्य होंगी।

6.7 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग परिसर

उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग परिसरों का वर्णन सारणी 6–सा–10 में दिया गया है।

उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग

सारणी 6–सा–10

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
1.	आवासीय	आवासीय भूखण्डीय विकास, अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेटस, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हॉल, मेरिज गार्डन, बाल सुधार गृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, खेल का मैदान/नेबरहुड पार्क, झूलाघर/डे–केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, शैक्षणिक महाविद्यालय/संस्थान, समस्त विद्यालय, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य/नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय/सुविधायें, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र गृह, मनोरंजन क्लब, खेल मैदान/स्टेडियम, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर, मिश्रित उपयोग।
2.	वाणिज्यिक	
	(अ) सामान्य वाणिज्यिक	आवासीय में स्वीकार्य समस्त गतिविधियां, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र, प्रिटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूर–संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर–संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, माल, मल्टीप्लेक्स, फिटनेस क्लब, मिश्रित

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		उपयोग।
	(ब) वर्गीकृत वाणिज्यिक	आवासीय एवं सामान्य वाणिज्यिक में स्वीकार्य गतिविधियां तथा थोक व्यापार एवं लॉजिस्टिक हब।
3.	औद्योगिक	औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल मैदान, बालगृह, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, प्रिंटिंग प्रेस, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डेरी प्लांट, स्लाटर हाउस, फेलैटेड फैक्टरी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव–विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्द्धशासकीय/ शासकीय कार्यालय, दूर–संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस, दूर–संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर , बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, बस स्टैण्ड, यातायात नगर।
4.	मिश्रित उपयोग	आवासीय उपयोग परिक्षेत्र, वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र तथा सार्व. एवं अर्द्धसार्वजनिक अंतर्गत उल्लेखित सभी गतिविधियां स्वीकृति योग्य होगी।
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	अतिथि गृह/ रेस्ट हाउस, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, झूला घर/डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग –ध्यान–अध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र, निजी व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील), सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, विश्व विद्यालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्नीक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ–मानसिक

सतना विकास योजना 2035

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		विकलांगता, ब–शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर–संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र, मिश्रित उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी' एवं गैर–प्रदूषणकारी उद्योग"
6.	सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें	अग्निशमन स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर–संचार टावर / स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव–दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, रख रखाव कार्यालय, यातायात सुविधाएं, संचार सुविधाएं, अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी कार्य।
7.	यातायात एवं परिवहन	रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाईन/ रेल्वे साइडिंग/ यार्ड/ आपरेशनल एरिया, बस स्टेण्ड, बस डिपो, ट्रक टर्मिनल–नगर, हवाई पट्टी, माल गोदाम, शीतगृह, सर्विस स्टेशन, रिपेयर वर्कशॉप, अनुषांगिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, मोटल, होटल, पेट्रोल पम्प।
8.	आमोद–प्रमोद	
	(अ) क्षेत्रीय/ नगर उद्यान/ मनोरंजन	खेल का मैदान, पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन साईट, क्लब रिसोर्ट, घुड़सवारी, जिम्नेजियम मय वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाईंग क्लब, फिटनेस क्लब, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, वाटर पार्क मय राइडर कियोस्क, रिसोर्ट, पर्यटक/कुटीर, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, संग्रहालय, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, पम्प हाउस, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
	(ब) स्टेडियम/ खेल मैदान	स्टेडियम/खेल मैदान, नेबरहुड पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, क्लब/रिसोर्ट, घुड़सवारी प्रशिक्षण, जिम्नेजियम, वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाईंग, फिटनेस क्लब, मेला स्थल, नर्सरी, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, पम्प हाउस, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
	(स) मेला मैदान	मेला मैदान, खेल का मैदान, पार्क, एम्युजमेंट पार्क, क्लब, घुड़सवारी, जिम्मेजियम, वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम–अस्थाई प्रकृति के, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाईंग, फिटनेस क्लब, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, रिसोर्ट, पर्यटक/कुटीर–अस्थाई प्रकृति के, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
	(द) हरित क्षेत्र	खेल का मैदान, नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी प्रशिक्षण, वोट क्लब, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाईंग, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, खेल उद्यान, पम्प हाउस, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान।
	(इ) वृक्षारोपण	पर्यावरण वानिकी, खेल का मैदान नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी, वोट क्लब, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट–अस्थाई प्रकृति की, वाटर पार्क, पर्यटक/ कुटीर–अस्थाई प्रकृति की, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
9.	कृषि	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "**कृषि**" शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है। श्मशान घाट/कब्रिस्तान, जल–मल शोधन केन्द्र, ईंट भट्टे दुग्ध डेयरी, तेल डिपो, फार्म हाउस, वेयर हाऊस, गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण, शासकीय/ अर्द्ध–शासकीय/ पंजीकृत संस्थाओं का कार्यालय एवं उनके द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य/शैक्षणिक/संचार गतिविधियाँ, ग्राम विकास संबंधी गतिविधियाँ (क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हाल, मैरिज गार्डन, बालगृह, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ–मानसिक विकलांगता ब–शारीरिक विकलांगता), पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		वाटर शोधन उपचार संयंत्र, नर्सरी, लाइब्रेरी, सेवाओं/सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड, मैरिज गार्डन, शीत संग्रहागार, दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, डेरी प्लांट स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव–विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव–दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयत्र, समस्त खेल गतिविधियां/लॉजिस्टिक हब, बस स्टैण्ड, यातायात नगर सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर–प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं समस्त प्रकार के भण्डारण।

नोटः

1. *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्य–प्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाएँ।
2. **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है मध्य–प्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
3. ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्य–प्रदेश भूमि विकास नियम–2012 के निमय 17(क) में वर्णित अनुसार।

6.8 अन्य सुविधाएँ

सतना निवेश क्षेत्र में भूमि के विकास तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49(1) अनुसार मान्य होंगी।

6.9 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार।

अध्याय– 7 विकास योजना क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव औचित्यहीन हैं यदि इसके कियान्वयन एवं प्रभावशील करने हेतु सम्यक प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किए जाते। यह अपेक्षित है कि इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण, पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि का विकास करके योगदान दिया जाएगा। यह आवश्यक होगा कि ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन, तकनीकी सलाह देकर किया जाए जिससे कि विकास एवं निर्माण विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुरूप हो सकें। विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा जब म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी विकास कार्य, चाहे वह शासकीय, अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो, अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से प्राप्त कर किया जाए।

विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु नगर निगम सतना, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मण्डल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा उद्योग विभाग द्वारा भी अपने संबंधी निर्माण कार्य से विकास योजना के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। यह अपेक्षित है कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय निकाय विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दें।

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2035 तक की कालावधि के लिए हैं। वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में लगभग रुपये 259813.90 लाख का व्यय अनुमानित है। इसमें विभिन्न उपयोग हेतु 1242.33 हेक्टेयर, भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं 60 प्रतिशत भूमि के विकास पर व्यय, नए मार्गों का निर्माण, आदि शामिल हैं। भूमि अर्जन की औसत दर रुपये 50.00 लाख प्रति हेक्टर मानी गई है। जहाँ तक विकास व्यय का प्रश्न है, वह भूमि उपयोग के अनुसार अलग–अलग माना गया है। सम्पूर्ण विकास योजना 2035 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7–सा–1 में दर्शाया गया है। क्रियान्वयन की लागत की गणना सांकेतिक स्वरूप की है, वास्तविक गणना प्रस्तावों के क्रियान्वयन के समय की जाएगी।

योजना क्रियान्वयन की लागत –2035

सारणी 7–सा–1

क्र.	भूमि उपयोग	क्षेत्र (हेक्टेयर में)				भू–अर्जन लागत (रू. 50 लाख प्रति हे. की दर से)	विकसित की जाने वाली भूमि का विकास व्यय (कालम नं. 5)			कुल लागत (लाख रू. में) (7+10)
		प्रस्तावित	वर्तमान विकसित	शेष भूमि (3–4)	भू–अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		क्षेत्र (हेक्टेयर में)	दर (लाख रू. में)	लागत (लाख रू. में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आवासीय	3656.91	1633.55	2023.36	161.87	8093.43	1214.01	90	109261.30	117354.73
2.	वाणिज्यिक	353.14	179.95	173.19	10.39	519.57	103.91	120	12469.79	12989.37
3.	औद्योगिक	426.88	283.02	143.86	100.70	5034.94	86.31	120	10357.59	15392.54
4.	मिश्रित	537.84	106.28	431.56	215.78	10788.98	258.94	90	23304.19	34093.17
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ	401.54	277.88	123.66	92.74	4637.21	74.20	90	6677.58	11314.79
6.	आमोद प्रमोद	913.38	226.38	687.00	480.90	24045.17	412.20	55	22671.16	46716.32
7.	यातायात एवं परिवहन	981.37	741.45	239.92	179.94	8997.12	143.95	90	12955.86	21952.98
कुल विकसित क्षेत्र		7271.06	3448.51	3822.55	1242.33	62116.42	2293.53	655.00	197697.48	259813.90

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है। निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ती हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारित की जाएगी:

1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू–स्वरूप।
2. भूमि का कुशलतम उपयोग।
3. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/ संधारण।
4. भूमि प्रदाय तथा संरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव।
5. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना।

इन उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है:

1. पर्यावरण प्रबंधन एवं सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम।
2. नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम।

मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू–उपयोग विकास हेतु अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जाएगा कि मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय संस्था को विकास हेतु उपलब्ध हो सके।

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण से तात्पर्य उन चरम पर्यावरण संबंधी समस्याओं से है जो प्रमुख रूप से नदी के संरक्षण, इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्टता, भू–स्वरूप तथा जल स्त्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों से कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित हैं। अन्य पर्यावरण समस्याएँ जैसे नगरीय अपशिष्ट का उपचार, निराकरण, इनके पुर्नचक्रीकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है।

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय हैं।

1. नदी एवं अन्य जल स्त्रोतों में जल–मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम।
2. तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू–उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना।
3. जल फैलाव क्षेत्रों में "स्टाप डेम" द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक का उपयोग निषेध।
4. नदी, नालों, तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदण्डों का प्रभावीकरण।
5. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण।
6. सभी जल स्त्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था।

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा–

1. संस्था का गठन
2. विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन
3. भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग।
4. नगर के रहवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष्य में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान।

नगर अधोसंरचना और सेवा कार्यक्रम के प्रमुख तत्वः–

1. नियंत्रित विकास
2. अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन
3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना
4. विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण
5. समयबद्ध विकास अनुज्ञा हेतु तंत्र उपलब्ध कराना

1. नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भू–स्वामी/विकासकर्ता/सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जाएगा। यहाँ समन्वय संस्था की

भूमिका प्रदायकर्ता की होगी। सार्वजनिक संस्थाएँ, प्रमुख सेवाएँ, तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी।

2. अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है। नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है।

3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढाँचे के अनुरूप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा।

वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसमें पंचवर्षीय नगर विकास कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए होगा।

नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्त खण्ड एवं उपवृत्त खण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय/अर्द्धशासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शाएगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किए जाने वाले नगर मार्ग तंत्र तथा मुख्य सेवा–सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि को समय पर उपलब्ध कराना होगा। योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका सुविधादायक के रूप में होगी।

इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्त्रोतों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा। एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढाँचे के अन्तर्गत किया जाकर लक्ष्य पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है:

1. एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान।
2. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान।
3. विकास योजना की प्राथमिकता का निर्धारण।
4. एकीकृत नगरीय विकास योजना तैयार करना।

5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास का दृष्टिकोण रखते हों।
6. समन्वय अधिकारियों और वृत्त खण्डीय/एजेंसियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना।

7.5 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम विकास के साथ–साथ आधुनिक भूमि उपयोग प्रबंधन नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि विकास नियमों को पुर्नभाषित किया जाए। भारतीय जीवन शैली के अनुरूप उपयुक्त निर्मित स्वरूप की प्राप्ति हेतु विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्धेश्य से अध्याय–6 में विकास नियमन दिए गए हैं।

7.6 योजना एवं कार्यक्रम

1. आलोच्य क्षेत्रों के विकास हेतु इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए 2 चरणों में प्रावधान हैं। प्रथम चरण सन् 2025 तक की आवश्यकताओं हेतु तथा द्वितीय चरण 2026 से 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा।
2. योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से समाधान गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है।
3. योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिए नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास किया जाएगा:
    1. भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना।
    2. मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारण करना जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी रूप दे सके।
    3. भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी कार्यक्रम की नीति तैयार करना।
    4. योजना के दोनों चरणों के लिए आवश्यक जलापूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्त्रोतों का विकास।
    5. नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु अधोसंरचना, पावर ग्रिड, जल निकास व्यवस्था का विकास।
    6. भूमि विकास कार्यक्रम नगरीय विकास परियोजनाएँ साथ ही लक्षित समूह आवासों के विकास क्रियान्वयन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास अनुज्ञा प्रणाली तैयार करना चाहिए।

7. एक विशेष परिणाम मूलक भूमि निष्पादन नीति तैयार करने की आवश्यकता है। ताकि सभी सहभागियों के संसाधनों में गतिशीलता लाई जा सके।
8. मुख्य जल स्त्रोतों की वृद्धि एवं ऊर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना।

7.7 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धान्त निम्नानुसार हैं–

1. यह सुनिश्चित करना कि संसाधन उपलब्धता तथा उपयुक्त अधोसंरचना में कमी के कारण विकास अवरुद्ध न हो।
2. उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना।
3. बिखरे हुए नगरीय विकास के लिए पहुँच मार्ग उपलब्ध करना।
4. अर्द्धविकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन।
5. भू–स्वामियों, सामाजिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना।

7.8 प्रथम चरण कार्यक्रम

प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक

सारणी 7–सा–2

क्र.	विकास के घटक	क्षेत्रफल हे.	प्रस्तावित स्थल
1	2	3	4
1.	आवासीय	53.42	निवेश ईकाइ क्रमांक 3
2.	वाणिज्यिक	3.43	निवेश ईकाइ क्रमांक 4
3.	औद्योगिक	33.23	निवेश ईकाइ क्रमांक 4
3.	मिश्रित	71.21	निवेश ईकाइ क्रमांक 3
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ	30.61	निवेश ईकाइ क्रमांक 3 एवं 4
5.	आमोद–प्रमोद	158.70	निवेश ईकाइ क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4
6.	यातायात	59.38	निवेश ईकाइ क्रमांक 2 एवं 3

प्रथम चरण कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के उपयोगों को सारणी 7–सा–2 में वर्णित अनुसार चिन्हित किया गया है।

प्रथम चरण के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए कार्यक्रम उनकी लागत प्राप्त होने के आधार पर रखे गए हैं। तथापि नगर की त्वरित आवश्यकताओं को भी प्रथम चरण विकास में लिया गया है। नगर में कार्यरत विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं को विकास

योजना के कार्यों में जोड़ना आवश्यक है तथा इससे इन विभागों के वार्षिक बजट तथा अन्य संशाधनों को भी उपयोग में लाया जा सकेगा।

विकास योजना के क्रियान्वयन में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास मुख्यतः निजी संस्थओं के द्वारा किया जाता है। इस हेतु भू–अर्जन की आवश्यकता नहीं होगी।

विकास योजना के प्रथम चरण में चयनित घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत 756.87 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 85738.59 लाख होगी। विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण सारणी 7–सा–3 में दिया गया है।

प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत

सारणी 7–सा–3

क्र.	भूमि उपयोग विवरण	भू–अर्जन का भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)	भू–अर्जन की लागत (रू. 50.0 लाख प्रति हे0) (रू. लाख में)	विकसित की जाने वाली भूमि का विकास व्यय			कुल लागत (रू. लाख में) (4+7)
				भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)	विकास दर प्रति हे. (रू. लाख में)	लागत (रू. लाख में)	
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	आवासीय	53.42	2670.83	400.62	90	36056.23	38727.06
2.	वाणिज्यिक	3.43	171.46	34.29	120	4115.03	4286.49
3.	औद्योगिक	33.23	1661.53	28.48	120	3418.01	5079.54
4.	मिश्रित	71.21	3560.36	85.45	90	7690.38	11250.75
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ	30.61	1530.28	24.48	90	2203.60	3733.88
6.	आमोद प्रमोद	158.70	7934.91	136.03	55	7481.48	15416.39
7.	यातायात एवं परिवहन	59.38	2969.05	47.50	90	4275.43	7244.48
कुल विकसित क्षेत्र		**409.97**	**20498.42**	**756.87**	**655.00**	**65240.17**	**85738.59**

7.9 संसाधन गतिशीलता

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है। पूर्व में नगर विकास एवं निवेश हेतु अलग–अलग प्रयास नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का अपव्यय हुआ। नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती है। नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है।

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिहिन्त किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगी।

7.10 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

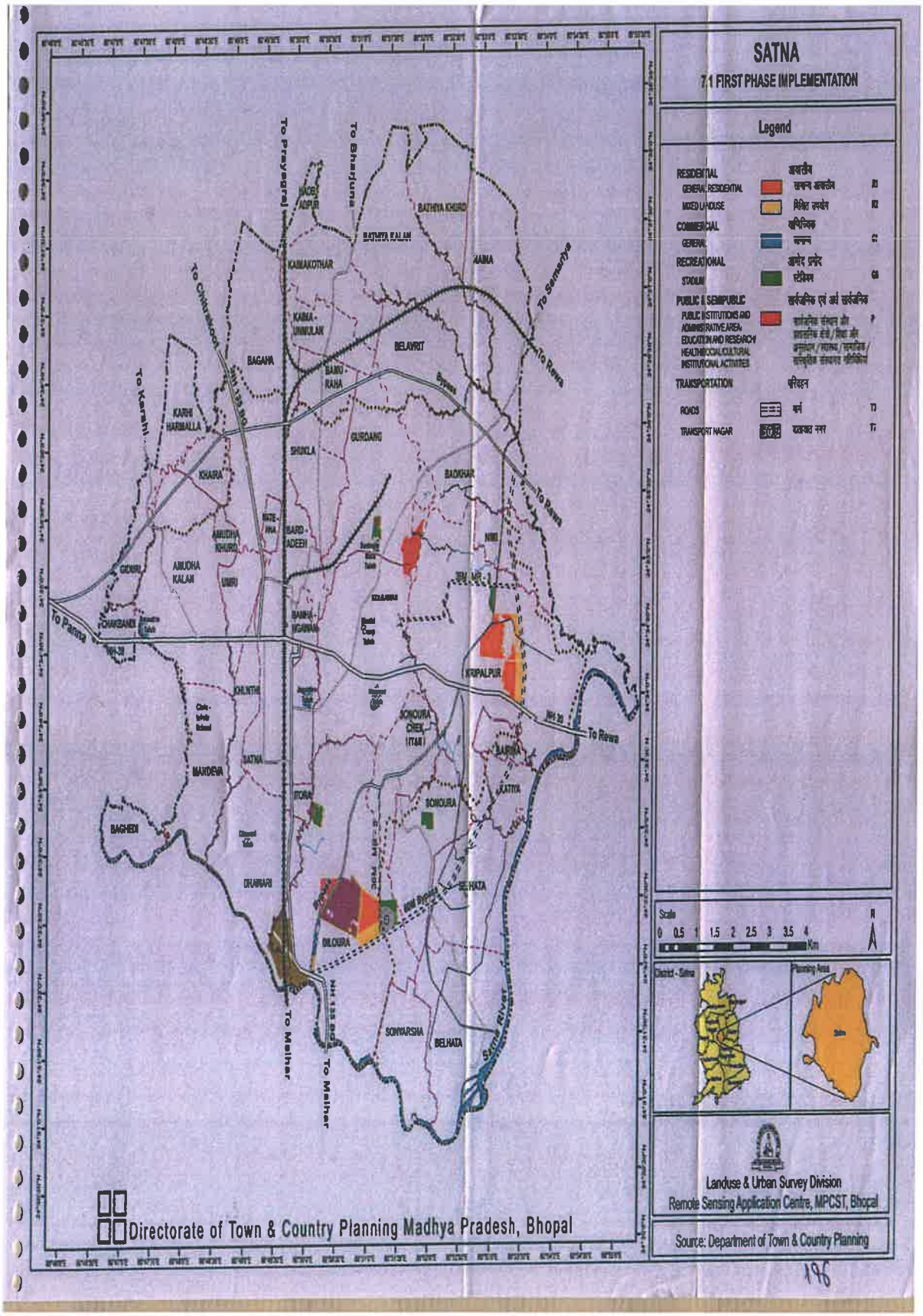
योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित है:

1. पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना।
2. आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण।
3. प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अन्तर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना।
4. वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं अधोसंरचना विकास में निवेश निर्धारण।
5. आलोच्य क्षेत्रों की सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका निर्धारण।
6. समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना।
7. वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण।
8. सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करते हुये एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना।
9. योजना पर्यवेक्षण लक्ष्य की पूर्ति निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।
    1. स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति।
    2. सतना विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना।
    3. नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन।
    4. समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
    5. वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन करना।

विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारण, समयावधि में क्रियान्वयन, तथा प्रथम चरण कार्यक्रमों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संस्थानों की गतिशीलता पर निर्भर करता है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ–साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित है।

- **पर्यवेक्षण समिति का गठन**

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूलतः दायित्व नगर पालिक निगम सतना का होगा। अपितु इनके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएँ एवं विभाग भी सहभागी होंगी। अतः क्रियान्वयन संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिये राज्य शासन के आवास एवं


SATNA
7.1 FIRST PHASE IMPLEMENTATION
Legend
RESIDENTIAL
GENERAL RESIDENTIAL
MIXED LANDUSE
COMMERCIAL
GENERAL
RECREATIONAL
STADIUM
PUBLIC & SEMIPUBLIC
TRANSPORTATION
ROADS
TRANSPORT NAGAR
To Prayagraj
To Shahdol
To Chitrakoot
To Karwi
To Panna
To Rewa
To Maihar
To Satna
To Rewa
To Rewa
To Rewa
To Maihar
BAGAHA
BELAVRIT
GURDARD
SHUKLA
BADKHAR
KHAIRA
AMLOHA KHURD
AMLOHA KALAM
UMRI
BAIRHA-KOLARHA
KRIPALPUR
JOHUTHI
SONOURA CHEK (TAR)
BARHRA
SATNA
MAYDEVA
ITORA
SONOURA
KATTIA
BAGHEDI
DHAWARI
SEL HATA
DILOURA
SONVARSHA
BELHATA
Satna River
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
District - Satna
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
Source: Department of Town & Country Planning

पर्यावरण विभाग के आदेश कमांक एफ–3/130/32/97 दिनांक 20.01.1998 एवं संशोधित आदेश कमांक एफ–3/55/32/9 दिनांक 12.08.1998 द्वारा जिलाध्यक्ष सतना की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 2876 दिनांक 15.05.1998 में उल्लेखित कार्य पद्धति को अपनाते हुये नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी।

- **वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण**

नगर पालिक निगम द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिससे नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

7.11 योजना की व्याख्या

सतना विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं। अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं:

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषयवस्तु के साथ–साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है।
2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग सारणी 6–सा–10 विकास नियमन में वर्णित अनुसार होगी। नेबरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित हैं। अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है।
3. ऐसे भूमि उपयोग/गतिविधियाँ जो प्रमुख भू–उपयोग वर्ग (Major Land Use Zone) में परिभाषित नहीं हैं, भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी, किन्तु जो स्वीकृत/ स्वीकार्य भू–उपयोग सारणी में शामिल हैं, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आयेंगे।
4. विकास योजना प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक परिवर्तन अपरिहार्य होता है। स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकीय आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जायेगा।
5. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्रों में प्रस्ताव सांकेतिक स्वरूप के है। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा की गई व्याख्या अन्तिम मानी जायेगी।
6. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्र में भूमि की आवश्यकता से संबंधित व्याख्या निकाय योजना/परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय स्थिति अनुसार वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पुनः समायोजित की जा सकती है।

अनुसूची

परिभाषायें

001 आवासीय भू–खण्ड भू–खण्डीय आवास

एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज/गैरेजेस, सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो।

002 आवासीय भू–खण्ड समूह आवास

न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें जैसे वाहन विराम स्थल, उद्यान, सुविधाजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हों

003 आवासीय फ्लेट

एक परिवार के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र हो।

004 आवासीय–सह–कार्य भू–खण्ड

एक परिवार में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो, ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजनाओं में मान्य होंगे।

005 आवासीय परिसर – विशेष क्षेत्र

विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहित विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान।

006 छात्रावास (होस्टल)

दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर।

007 अतिथिगृह बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह

अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर। बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों की छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हों ।

008 धर्मशाला एवं इसके समकक्ष

वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थाई रहवासी जगह उपलब्ध हो।

009 बारात घर

सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु स्थान।

010 रैन–बसेरा (नाइट शेल्टर)

ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो, जो कि स्थानीय संस्था या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हों।

011 फुटकर दुकानें

आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर।

012 मरम्मत दुकान

गृहसामग्री, इलेक्ट्रानिक सामान, आटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर।

013 व्यक्तिगत सेवा दुकान

फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हों।

014 बेडिंग बूथ

यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो।

015 सुविधाजनक दुकान केन्द्र

लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह।

016 स्थानीय दुकान केन्द्र

लगभग 15 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह।

017 साप्ताहिक बाजार/अनौपचारिक समूह इकाई

बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र। यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो।

018 थोक व्यापार

ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हों।

019 स्टोरेज गोदाम एवं भण्डारण

ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो।

020 कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)

आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।

021 गैस गोदाम

ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों का भंडारण किया जाता हो।

022 तेल डिपो

संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर।

023 कबाड़खाना

अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के क्रय–विक्रय के साथ बंद, अर्द्धबंद एवं खुला भण्डारण परिसर।

024 वाणिज्यिक कार्यालय

लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर।

025 बैंक

ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों।

026 मोटर गैरेज एवं कार्यशाला

वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर।

027 छविगृह

दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो, ऐसा परिसर।

028 पेट्रोल पंप

ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो, साथ ही वाहन सर्विसिंग व्यवस्था हो।

029 रेस्टॉरेंट/उपहार गृह

ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले, या बंद दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो।

030 होटल

ऐसा परिसर, जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो।

031 मोटल

ऐसा परिसर, जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो।

032 फ्लेटेड समूह उद्योग

ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो, यह इकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती हैं।

033 सेवा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत, विद्युतीय उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हों, ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक सेवा प्रदाय हो सकें।

034 औद्योगिक भूखण्ड – हल्के उद्योग

अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर।

035 औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित हो।

सतना विकास योजना 2035

036 उद्यान (पार्क)

आमोद–प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू–दृश्यीकरण, वाहन विराम, सार्वजनिक शौचालय, फैंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हों, इसमें लॉन, खुले, हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे।

037 क्रीड़ांगन

बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर,इसमें भूदृश्यीकरण ,वाहन विराम सुविधा, सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हों।

038 बाह्य खेल स्टेडियम

बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पवेलियन के साथ दर्शकदीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।

039 आंतरिक खेल स्टेडियम

अहानिकारक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र, दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।

040 आंतरिक खेल हाल

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हों।

041 शूटिंग रेंज

ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हों।

042 तरण पुष्कर

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार, मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो।

043 आमोद–प्रमोद क्लब

संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो।

044 ऐतिहासिक स्मारक

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हों।

045 प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय

संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हों।

046 पक्षी अभ्यारण्य

पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधायुक्त परिसर।

047 वनस्पति उद्यान

अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर।

048 पिकनिक हट/केम्पिंग साइट

ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद-प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो।

049 फ्लाईंग क्लब

ऐसा परिसर जहां ग्लाईडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मनोरंजन एवं आंतरिक खेल गतिविधियां शामिल हों।

050 माल एवं टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाईन द्वारा टिकिट घर एवं माल के भण्डारण केलिए किया जाता हो।

051 रेल माल गोदाम

ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेल्वे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो।

052 रेल टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयेाग यात्रियों के प्रवास हेतु रेलवे टिकिट घर के रूप में किया जाता हो।

053 सड़क परिवहन टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो।

054 वाहन विराम

सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो।

055 टेक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयेाग अंतवर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है। वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो।

056 बस अवसान केन्द्र

ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो। इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती हैं।

057 बस स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख--रखाव, मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो, इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी।

058 सार्वजनिक उपयोगिता परिसर

1. पानी की टंकी -- ऐसा परिसंर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
2. भूमिगत टंकी – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
3. आक्सीकरण पौंड – ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो।
4. सेप्टिक टेंक – ऐसा परिसर जिसमें जल निकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत टैंक स्थित हो।
5. जल–मल पंपिग स्टेशन – ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल–मल को ऊंचाई पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो।
6. सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय – ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो, इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी।
7. विद्युत उपकेन्द्र – ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थित हो।
8. घूरा एवं कचराघर – ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं आगे गड्ढों को भरने हेतु लदान किया जाता हो।
9. धोबीघाट -- ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने, सुखाने इत्यादि के लिए किया जाता हो।

059 केन्द्र शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

060 स्थानीय शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो।

061 सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

062 न्यायालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

063 शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग)

शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो।

सतना विकास योजना 2035

064 चिकित्सालय

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषीकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो।

065 स्वास्थ्य केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर–व्यवसायिक आधार पर किया जाता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है।

066 उपचार केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो। जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है।

067 औषधालय

ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाईयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो।

068 क्लीनिक/चिकित्सा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा वाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो। पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा।

069 उपचार प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण की सुविधा हो।

070 स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा

ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो। यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

071 झूलाघर एवं दिवस देख–रेख केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो। यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है।

072 पूर्व माध्यमिक एवं किंडरगार्डन स्कूल

ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हों।

073 माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा पाँचवीं तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो।

074 प्राथमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा छँटवीं से दसवीं तक के छात्रों के पढ़ने खेलने की सुविधा हो। इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा आठवीं तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित हैं।

075 उच्चतर माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा दसवीं से बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो।

076 एकीकृत शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो।

077 एकीकृत आवासीय शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो तथा छात्रों के लिए बोर्डिंग सुविधा हो। इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते हैं।

078 महाविद्यालय

ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो। इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल हैं।

079 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो। ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये। इसमें प्रशिक्षण–सह–कार्य केन्द्र शामिल हैं।

080 सामाजिक कल्याण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो। यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है।

081 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो।

082 पुस्तकालय

ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के लिए वृहद संख्या में पुस्तकों का संकलन हो।

083 तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल है।

084 वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण

ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण, पत्राचार, रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।

085 संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो।

086 खेल प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें शारीरिक शिक्षा केन्द्र भी शामिल है।

087 वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आटो/वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो।

088 बाल यातायात उद्यान

ऐसा परिसर जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा–सह–उद्यान की सुविधा हो

089 संग्रहालय

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो।

090 कला दीर्घा एवं प्रदर्शनी स्थल

ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग, छाया चित्रों, मूर्तियों, भित्ती क्षेत्र, मिट्टी से बनी कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो।

091 सभागृह (ऑडीटोरियम)

ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो।

092 खुला रंगमंच

ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो।

093 सामुदायिक भवन

ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक– सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो।

094 मेला मैदान

ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी, प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हों।

095 सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संस्था, राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हों।

096 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था

ऐसा परिसर जिसमें गैर–वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हों।

097 सुधार गृह

ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो।

सतना विकास योजना 2035

098 अनाथालय

ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो। यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है।

100 योग, ध्यान, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हों।

101 पुलिस चौकी

पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर।

102 पुलिस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो।

103 जिला पुलिस कार्यालय

अर्द्ध सैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर।

104 नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक

आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर।

105 न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा हो।

106 जेल

ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत कारावास/बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो।

107 अग्निशमन पोस्ट

ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो। अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है।

108 अग्निशमन पोस्ट

एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर।

109 डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर।

110 डाक एवं तार घर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।

111 मुख्य डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।

112 टेलीफोन एक्सचेंज

परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो।

113 रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन

समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार, रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर। जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिए टावर्स जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती हैं।

114 ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टावर निर्माण हेतु किया जाता हो।

115 उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र

ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध हो।

116 वैधशाला एवं मौसम कार्यालय

ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सूविधा उपलब्ध हो।

117 बाग (ओरचर्ड)

सघन फल वृक्षों का परिसर, जिसमें फल वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है।

118 डेरी फार्म

ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो। जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

119 कुक्कुट फार्म

कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

120 सुअर पालन

सुअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें सुअरों के लिए अस्थायी स्वरूप के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

121 ग्रामीण केन्द्र

एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर।

122 मल्टीप्लेक्स

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 95 के अनुसार दो या उससे अधिक सिनेमा के साथ दुकानों, आमोद–प्रमोद की गतिविधियों, कार्यालय, शोरूम, होटल, रेस्टोरेन्ट, शापिंग मॉल संबंधी परिसर।

सतना विकास योजना 2035

परिशिष्ट– 1

(नियम 16 देखिए)

नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29(1) या 16 के अधीन विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन प्ररूप

प्रति,

.....

.....

.....

महोदय,

मैं नगर ..... तहसील ..... जिला ..... के कॉलोनी या मोहल्ला या बाजार ..... ग्राम ..... में स्थित खसरा क्रमांक ..... भू–खण्ड क्रमांक ..... क्षेत्र .....हेक्टर/वर्ग मीटर..... (विकास के प्रयोजन का उल्लेख करें) में तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 16 के अनुसार विकास करना चाहता हूँ और मैं इसके साथ मेरे तथा ..... वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर या इंजीनियर नगर निवेशक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) अनुज्ञप्ति क्रमांक ..... जो इसके विकास का पर्यवेक्षण करेगा द्वारा सम्यक् हस्ताक्षरित तथा प्राधिकृत निम्नलिखित रेखांक दस्तावेज तथा विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित करता हूँ –

1. मुख्य रेखांक (नियम 16(3) अनुसार) : .....
2. स्थल रेखांक (नियम 16(4) अनुसार) : .....
3. उपविभाग/अभिन्यास योजना (नियम 16(5) अनुसार) : ..... (सबडिवीजन/ले–आउट प्लान)
4. सेवा आयोजना रेखांक (नियम 16(7) अनुसार) : .....
5. प्रस्तावित विकास कार्य को दर्शाते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट : .....
6. स्थल के संबंध में भूमि स्वामित्व अथवा कोई विधिक अधिकार के सबूत दर्शाने वाले दस्तावेज (नियम 16(11) अनुसार) : .....
7. नजूल अनापत्ति की कापी (नियम 16(11) अनुसार) : .....
8. आवेदन शुल्क की पावती की प्रति (नियम 21(2) (झ) अनुसार) : .....
9. इस आवेदन के साथ स्वामी द्वारा अधिकृत किये गये आवेदक के सबूत प्रस्तुत करें (जहां आवेदक स्वामी से भिन्न हो) : .....
10. पार्किंग संगणना के साथ पार्किंग प्लान : .....
11. ऊपर दिए गए अनुक्रमांक 1 से 10 की इलेक्ट्रॉनिक कापी : .....

मैं निवेदन करता हूँ कि प्रस्तावित विकास कार्यों को अनुमोदित किया जाए और मुझे/हमें कार्य निष्पादित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर .....
आवेदक का नाम .....
आवेदक का पता .....
ई–मेल पता .....
दूरभाष/मोबाइल नम्बर .....
दिनांक .....

परिशिष्ट– 2

(नियम 49 टिप्पणी 4 देखिये)

विकास अथवा क्षेत्रिय आयोजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्ररूप

प्रति,

प्राधिकारी .....

.....

.....

मध्यप्रदेश

महोदय,

मैं एतद् द्वारा शहर/जिला ..... मौहल्ला/बाजार/तहसील ..... कालोनी/गली/ग्राम ..... में भूखण्ड क्रमांक ..... खसरा क्रमांक भूमि के विकास/पुनर्विकास करने का इच्छुक हूं। क्षेत्र से सबंधित विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना से संबंधित प्रस्ताव ऊपर निर्दिष्ट भूमि के लिये उपखण्ड योजनाएं तैयार करने के लिये उपलब्ध किये जा सकेंगे। विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक भुगतान किया जा चुका है और रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

आवेदक अथवा स्वामी के हस्ताक्षर .....

आवेदक अथवा स्वामी का नाम .....

(स्पष्ट अक्षरों में)

आवेदक अथवा स्वामी का पता .....

दिनांक :– .....

परिशिष्ट– 3

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
आदेश

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी, 1998

क्रमांक एफ–3/130/32/97 राज्य शासन एतद द्वारा मध्यप्रदेश के जिन विभिन्न नगरों की विकास योजनाऐं अनुमोदित है, कि विकास योजनाओं के कियान्वयन हेतु कियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिये निम्नानुसार "नियोजन एवं पर्यवेक्षण" समिति का गठन करता है–

1.	संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	नगर तथा ग्राम निवेश का संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य
3.	म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल का उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
4.	संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम/मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका	सदस्य
5.	लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
6.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्य पालन यंत्री	सदस्य
7.	म0प्र0 विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री/ कार्यपालन यंत्री	सदस्य
8.	(अ) संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित है।) (ब) संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित नहीं है)	सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

हस्ताक्षर
(जी0 व्ही0 उपाध्याय)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट– 4

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
आदेश
भोपाल,दिनांक 12 अगस्त, 1998

क्रमांक एफ–3/55/32/98 राज्य शासन एतद द्वारा नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रिया।न्वयन एवं क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं के समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3/130/32/97 दिनांक 20.1.98 द्वारा संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित "नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति" में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है:–

(1) समिति में निम्नलिखित भी सदस्य के रूप में शामिल किये जाते हैं–

1. संसद, संबंधित क्षेत्र
2. अध्यक्ष, सबंधित विकास प्राधिकरण
3. अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत
4. महापौर, संबंधित नगर पालिक निगम
5. अध्यक्ष, संबंधित नगर पालिका
6. अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

हस्ताक्षर
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट– 5

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 1981

क्रमांक 6567–32–इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 904/एफ–1–31–32–74, दिनांक 18.3.74 को निरस्त करते हुए राज्य शासन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत सतना निवेश क्षेत्र का गठन करती है, जिसकी सीमायें नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार होंगी :–

अनुसूची

सतना निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाऐं

उत्तर	बगहा, हदबदपुर, कैमाकोठार, बठिया खुर्द तथा नैना ग्राम की उत्तरी सीमा तक।
पूर्व	नैना, बदखर, नीबीवृत्त, कृपालपुर, बैलावृत्त, कटिया, सेजहटा तथा बेलहटा ग्राम की पूवी सीमा तक।
दक्षिण	बेलहटा, सोनवर्षा, डिलौरा, धवारी तथा बघेड़ी ग्राम की दक्षिणी सीमा तक।
पश्चिम	बघेड़ी, महदेवा, अमोधा–खुर्द, चकबन्दी, गिदुरी, करहीहरमल्ला तथा बगहा ग्राम की पश्चिमी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा अदेशानुसार
सही/–
(एस.यू.नाथ)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट– 6

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के अंगीकृत किये जाने संबंधी सूचना (म.प्र. राजपत्र भाग 3(1) दिनांक 6.10.1978 में प्रकाशित)

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र नियोजन, रीवा (म.प्र.)

सतना निवेश क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों के वर्तमान भू–उपयोग मानचित्रों एवं रजिस्टरों का अंगीकरण :–

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सतना निवेश क्षेत्र के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र को मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन अंगीकृत किया गया है और उनकी एक प्रति नगर पालिका परिषद्, सतना कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा उनके पत्र क्रमांक 905–एफ/1/31/तैंतीस–74 भोपाल, दिनांक 18 मार्च 1974 द्वारा सतना निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्नानुसार परिनिश्चित की गई हैं।

सतना निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर	बगहा, हदबदपुर, कैमाकोठार, बठिया खुर्द तथा नैना ग्राम की उत्तरी सीमा तक।
पूर्व	नैना, बदखर, नीबीवृत्त, कृपालपुर, बैलावृत्त, कटिया, सेजहटा तथा बेलहआ ग्राम की पूवी सीमा तक।
दक्षिण	बेलहटा, सोनवर्षा, डिलौरा, धवारी तथा बघेड़ी ग्राम की दक्षिणी सीमा तक।
पश्चिम	बघेड़ी, महदेवा, अमोधा–खुर्द, चकबन्दी, गिदुरी, करहीहरमल्ला तथा बगहा ग्राम की पश्चिमी सीमा तक।

(आ.वी.लाल)
संयुक्त संचालक

सतना विकास योजना 2035

परिशिष्ट– 7

भाग–1 मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16 अप्रैल, 2010 672

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 2010

सूचना

क्र. एफ. 3–32–2009–बत्तीस–मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सतना निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् –

1. कलेक्टर, जिला सतना (म.प्र.)
2. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सतना,
3. आयुक्त, नगर निगम, सतना

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(वर्षा नावलेकर),
उपसचिव

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

"कचनार", ई–5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

क्रमांक–667–अमृत–वि.यो.–25–रतलाम–नग्रानि–2021.– भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2021

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि रतलाम निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट– http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Ratlam/ratlam2035.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं –

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन
2. कलेक्टर, जिला रतलाम
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रतलाम
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रतलाम, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप रतलाम विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रतलाम या ई–मेल आईडी obj-sugg-rtlm@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त–सह–संचालक.

No-667-Amrut-D.P.-25-Ratlam-TCP-2021 Bhopal, the 1st February 2021

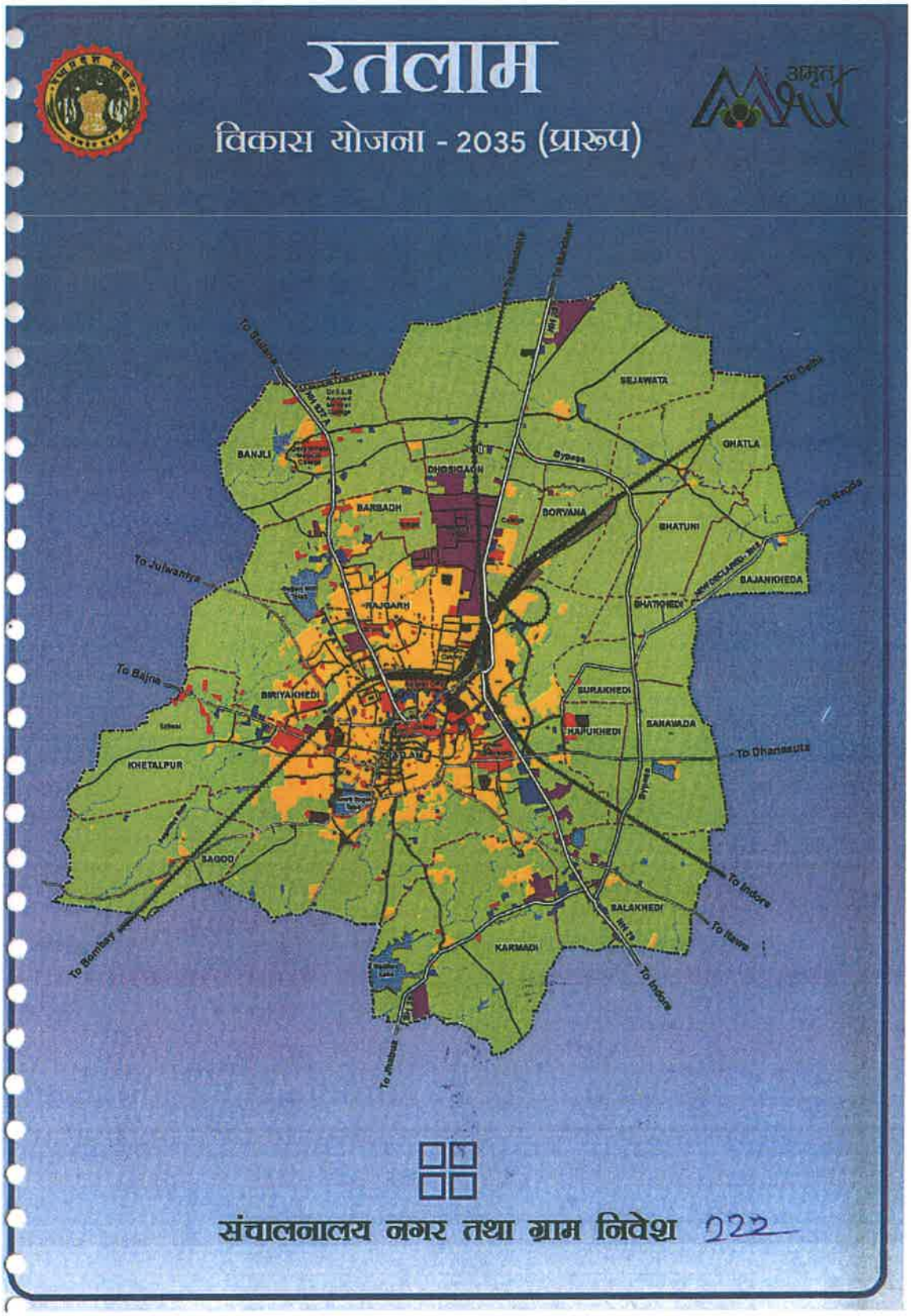
NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Ratlam Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website – http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Ratlam/ratlam2035.pdf and at following offices during office hours namely -

1- Commissioner, Ujjain Division, Ujjain
2- Collector, District- Ratlam
3- Commissioner, Nagar Palik Nigam, Ratlam
4- Deputy Director, Town and Country Planning, District office, Ratlam

If there be any objection or suggestion with respect to the said Ratlam Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Ratlam or mail on Email-id- obj-sugg-rtlm@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

AJEET KUMAR, Commissioner-Cum-Director.


रतलाम
विकास योजना - 2035 (प्रारूप)
SEJAWATA
GHATLA
BANJLI
DHOSIGAON
BARBADH
BORYANA
BHATUNI
To Julwaniya
RAJGARH
BAJANKHEDA
BHATKHEDI
To Baljna
BIRIYAKHEDI
SURAKHEDI
HARIKHEDI
SAHAWADA
To Dhamnoda
KHETALPUR
SAGOD
To Indore
To Bombay
SALAKHEDI
KARMADI
संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश के पश्चिम में मालवा की भूमि पर रेलवे के बड़े जंक्शन के रूप में स्थित रतलाम शहर अपनी अनेक पुरानी अनूठी पहचान व प्रसिद्धि से विख्यात है। मालवा के पठार पर स्थित रतलाम जिला मुख्यालय होकर तीव्र गति से एक वाणिज्यिक एवं औद्योगिक नगर के रूप में उभर रहा है। पौराणिक प्रमाणों व कथाओं में इस शहर को रत्नपुरी 'कीमती रत्नों का शहर' व रत्नलालम नाम से जाना जाता रहा है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थल $23^0 19' 50''$ उत्तरी अक्षांश एवं $75^0 03' 13''$ पूर्वी देशान्तर रेखा पर समुद्र सतह से लगभग 480 मीटर ऊँचाई पर स्थित है।

रतलाम विकास योजना 2021 की अवधि वर्ष 2021 में पूर्ण हो रही है। नगर का बहुआयामी केन्द्र के रूप में विकास करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए रतलाम विकास योजना 2035 में जनसंख्या 5.00 लाख हेतु आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, आमोद–प्रमोद, परिवहन एवं नगरीय अधोसंरचना के उन्नयन के प्रस्ताव दिये गये हैं।

केन्द्र सरकार की अमृत योजना की उपयोजना के अंतर्गत रतलाम शहर की विकास योजना में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा अमृत मानकों का उपयोग किया गया है। इन प्रणालियों के माध्यम से प्राप्त डाटा विश्वसनीय होकर नियोजन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी सहायक होते हैं। अतः विकास योजना तैयार करने के इस कार्य में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद तथा मध्यप्रदेश विकास एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल के वैज्ञानिकों का भी सहयोग लिया गया है। इस कार्य में नगर पालिक निगम, लोक निर्माण विभाग, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं अन्य संबंधित विभागों, नगर के विषय विशेषज्ञों का भी सहयोग रहा है।

रतलाम विकास योजना 2035 (प्रारूप) का प्रकाशन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 (1) के अंर्तगत, जनसामान्य एवं संस्थाओं से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु किया जा रहा है। मुझे आशा है कि विकास में संलग्न संस्थाएं एवं जनसामान्य अपने व्यावहारिक एवं सृजनशील सुझाव व्यक्त करेंगे जिसके आधार पर योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाकर क्रियान्वयन किया जावेगा।

(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश भोपाल

रतलाम विकास योजना 2035 : योजना दल

संयुक्त संचालक

राजेश नागल — सी.के. साधव — डॉ. अमित कुमार गजभिये

उप संचालक (प्रभारी)

गोरेलाल वर्मा

सहायक संचालक

अपूर्वा गंगराड़े — इंदु त्रिपाठी

कर्मचारीगण

ललिता कनाश
निहालू मुजाल्दे
अर्पित गुप्ता
सुषमा कनाड़े
मानसी गुज्जेवार

जयंत शील
सरिता ठाकुर
सर्वेश पिड़िहा
अरविन्द सक्सेना
अनिल सक्सेना

म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (भूमि उपयोग एवं शहरी सर्वेक्षण प्रभाग) का दल

डॉ. विवेक कटारे
प्रमुख

डॉ. देवानु भटनागर
परियोजना समन्वयक

नितिश कुमार गुप्ता
रिसर्च एसोसिएट

शुभम शिवा
जूनियर रिसर्च फेलो

विषय सूची

प्रस्तावना i

रतलाम विकास योजना 2035 : योजना दल iii

विषय सूची v

सारणी सूची xi

अध्याय 1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ 1

1.1 नगर परिचय 1

1.1.1 ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि 1

1.1.2 क्षेत्रीय परिदृश्य 2

1.1.3 दर्शनीय स्थल 3

1.2 अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति 6

1.2.1 भौतिक स्वरूप 6

1.3 नियोजन हेतु प्रयास 7

1.4 निवेश क्षेत्र 9

1.4.1 नगर निगम क्षेत्र 11

अध्याय 2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण 13

2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग 13

2.1.1 अमृत योजना 14

2.1.2 सुदूर संवेदन 14

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली 16

2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली 17

2.2.1 उद्देश्य 18

2.2.2 कार्यप्रणाली 19

2.3 अमृत मानकों की व्याख्या 21

2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping) 21

2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता 29

2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प 31

2.5 भूमि उपयोग का आवंटन 36

अध्याय 3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण 37

3.1 विकास योजना–2021 क्रियान्वयन परिदृश्य 37

3.2 विकास योजना 2021 क्रियान्वयन का मूल्यांकन 37
3.2.1 आवासीय 39
3.2.2 वाणिज्यिक 40
3.2.3 औद्योगिक 41
3.2.4 सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक उपयोगिताएं 41
3.2.5 आमोद–प्रमोद 42
3.2.6 यातायात एवं परिवहन 42
3.3 विकास योजना 2021 में उपान्तरण 44
3.4 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग 44
3.5 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण 46
3.5.1 जनसंख्या विश्लेषण 46
3.5.2 जनसंख्या लिंगानुपात 50
3.5.3 शिशु जनसंख्या 50
3.5.4 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या 51
3.5.5 साक्षरता 52
3.5.6 कार्यशील जनसंख्या 52
3.5.7 जनसंख्या घनत्व 53
3.6 व्यावसायिक संरचना 56
3.7 जनसंख्या परिवर्तन 56
3.8 नगर के मुख्य कार्यकलाप 57
3.9 नगरीय विस्तार 57
3.10 गंदी बस्ती एवं झुग्गी–झोपड़ी क्षेत्र 58
3.11 अनुमानित जनसंख्या 59
3.12 आवास आवश्यकता 62
3.12.1 आवासों की कमी 62
3.12.2 अनुमानित आवास आवश्यकता 63
3.13 भौतिक अधोसंरचना 63
3.13.1 जल प्रदाय 63
3.13.2 जल–मल निकास एवं स्वच्छता 65
3.13.3 वर्षा जल निकासी 66
3.13.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 66
3.13.5 विद्युत प्रदाय 67

3.14 सामाजिक अधोसंरचना 67
3.14.1 शासकीय कार्यालय 67
3.14.2 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताएं 67
3.14.3 शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य गतिविधियां 67
3.14.4 शमशान घाट एवं कब्रिस्तान 68
3.14.5 अग्निशमन सेवा केन्द्र 68
3.14.6 सी.एन.जी. गैस वितरण केन्द्र 68
अध्याय 4 विकास योजना प्रस्ताव–2035 69
4.1 विकास योजना–2021 का पुनर्विलोकन 69
4.2 नियोजन अवधारणा 69
4.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता 69
4.4 प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035 70
4.4.1 आवासीय 71
4.4.2 वाणिज्यिक 71
4.4.3 मिश्रित 71
4.4.4 औद्योगिक 71
4.4.5 सार्वजनिक – अर्धसार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगिता 71
4.4.6 आमोद–प्रमोद 72
4.4.7 यातायात एवं परिवहन 72
4.5 निवेश इकाईयाँ 73
4.6 नियोजन एवं नगरीय रूपांकन हेतु नियंत्रित क्षेत्र 74
4.7 संवेदनशील क्षेत्र 75
4.8 असंगत भूमि उपयोग 75
4.9 मध्य क्षेत्र 77
4.10 ग्राम विकास 78
अध्याय 5 प्रस्तावित परिभ्रमण योजना अवधारणा 79
5.1 प्रस्तावित परिभ्रमण योजना अवधारणा 79
5.2 यातायात की वर्तमान स्थिति 80
5.2.1 यातायात अवसान केन्द्र (माल) 80
5.2.2 यात्री अवसान केन्द्र 81
5.2.3 वाहन विराम स्थल 82
5.3 प्रस्तावित यातायात प्रणाली 82

5.4 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई 84

अध्याय 6 विकास नियमन 89

6.1 प्रवृत्तशीलता 89

6.2 क्षेत्राधिकार 89

6.3 परिभाषायें 92

6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र 94

6.5 आवासीय 97

6.5.1 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन 97

6.6 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण 99

6.7 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा 99

6.8 मिश्रित उपयोग 100

6.8.1 मिश्रित उपयोग नियमन 100

6.8.2 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत 100

6.8.3 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें 100

6.9 वाणिज्यिक 101

6.9.1 वाणिज्यिक अभिन्यासों के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका 101

6.10 औद्योगिक 102

6.10.1 औद्योगिक विकास के मानक 102

6.11 सामुदायिक सुविधाओं/सेवाओं हेतु नियमन 103

6.12 यातायात 104

6.12.1 यातायात नगर/मैकेनिक नगर/लॉजिस्टिक हब/निजी बस स्थानक 104

6.13 मध्य क्षेत्र हेतु मापदण्ड 104

6.13.1 आवासीय क्षेत्र– मध्य क्षेत्र 104

6.13.2 वाणिज्यिक क्षेत्र – मध्य क्षेत्र 105

6.14 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन 106

6.15 वर्तमान विकसित क्षेत्रों के मापदण्ड 106

6.15.1 वर्तमान आवासीय क्षेत्र 106

6.15.2 वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां 108

6.15.3 सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक 110

6.16 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान 110

6.17 ईंधन भराव एवं भराव सह–सेवा केन्द्र के मानक 111

6.18 शॉपिंग मॉल/खुला मॉल 112

6.19 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड 112
6.20 हॉस्टल, वर्किंग वूमन हॉस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लाजिंग/बोर्डिंग 112
6.21 मैरिज गार्डन 113
6.22 बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल 113
6.23 शीतकेन्द्र/वेयर हाउस/गोदाम/अन्य भण्डारण केन्द्र के लिये मापदण्ड 113
6.24 छविगृहों के लिए मापदण्ड 113
6.25 मल्टीप्लेक्स 114
6.26 उद्यान 114
6.27 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन 114
6.28 ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र 114
6.29 उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां 115
6.30 मिश्रित उपयोग कॉरिडोर 120
6.31 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया 120
अध्याय 7 योजना क्रियान्वयन 121
7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन 121
7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति 122
7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम 123
7.3.1 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व 124
7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना 124
7.4.1 नियंत्रित विकास 124
7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन 124
7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना 125
7.5 विकास नियमन व्यापक दृष्टिकोण 126
7.6 योजना एवं कार्यक्रम 126
7.6.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व 127
7.7 प्रथम चरण के घटक 127
7.8 प्रथम चरण कार्यक्रम 128
7.9 संसाधन गतिशीलता 129
7.10 योजना पर्यवेक्षण तंत्र 129
7.11 योजना की व्याख्या 130
7.12 योजना कालावधि 131
परिभाषाएँ 132
परिशिष्ट 1 144
परिशिष्ट 2 145
परिशिष्ट 3 146
परिशिष्ट 4 148
परिशिष्ट 5 149

सारणी सूची

सारणी क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्र.
सारणी 1–सा–1	रतलाम नगर से अन्य प्रमुख नगरों की दूर	3
सारणी 1–सा–2	रतलाम निवेश क्षेत्र	9
सारणी 2–सा–1	उपग्रह चित्रों के मानक	15
सारणी 2–सा–2	स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब–क्लासेस	16
सारणी 2–सा–3	जियो स्पेशियल डाटा	21
सारणी 2–सा–4	बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो–स्पेशियल डाटा	22
सारणी 2–सा–5	सीमाओं का वर्गीकरण	24
सारणी 2–सा–6	ढलान की विभिन्न श्रेणीयों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	25
सारणी 2–सा–7	मृदा विश्लेषण	26
सारणी 2–सा–8	जलाशयों का वर्गीकरण	26
सारणी 2–सा–9	भूमि मूल्य	27
सारणी 2–सा–10	भू–आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल	27
सारणी 2–सा–11	जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल	28
सारणी 2–सा–12	भूमि अवक्रमण	28
सारणी 2–सा–13	मार्ग संरचना बफर	29
सारणी 2–सा–14	Weighted Index For Composite Land Suitability	32
सारणी 2–सा–15	Land Suitability Area	35
सारणी 3–सा–1	भूमि उपयोग मूल्यांकन(विकास योजना 2021 अनुसार)	38
सारणी 3–सा–2	भूमि उपयोग मूल्यांकन(विकास योजना 2021 मानचित्र अनुसार)	39
सारणी 3–सा–3	वाणिज्यिक क्रियान्वयन	40
सारणी 3–सा–4	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक क्रियान्वयन	42
सारणी 3–सा–5	भूमि उपयोग उपान्तरण	44
सारणी 3–सा–6	असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग	45
सारणी 3–सा–7	जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात	46
सारणी 3–सा–8	वार्ड वार जनसंख्या विश्लेषण	47
सारणी 3–सा–9	वार्ड वार जनसंख्या लिंगानुपात	50
सारणी 3–सा–10	शिशु जनसंख्या प्रतिशत	50
सारणी 3–सा–11	शिशु लिंगानुपात	51

सारणी 3–सा–12	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	51
सारणी 3–सा–13	साक्षरता प्रतिशत	52
सारणी 3–सा–14	कार्यशील (सहभागिता) जनसंख्या 2011	52
सारणी 3–सा–15	वार्ड वार जनसंख्या घनत्व	53
सारणी 3–सा–16	जनसंख्या घनत्व विश्लेषण	55
सारणी 3–सा–17	व्यावसायिक संरचना	56
सारणी 3–सा–18	जनसंख्या परिवर्तन	56
सारणी 3–सा–19	नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल	57
सारणी 3–सा–20	अधिसूचित गंदी बस्तियां	58
सारणी 3–सा–21	झुग्गी–झोपड़ी क्षेत्र	59
सारणी 3–सा–22	अनुमानित जनसंख्या (Population Projection)	60
सारणी 3–सा–23	जनसंख्या प्रक्षेपण वर्ष 2035	61
सारणी 3–सा–24	आवासों की कमी	62
सारणी 3–सा–25	अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता – 2035	63
सारणी 3–सा–26	जल आपूर्ति आकलन	64
सारणी 4–सा–1	वर्ष 2035 के लिए भूमि उपयोग वितरण	70
सारणी 4–सा–2	निवेश इकाईयाँ	73
सारणी 4–सा–3	असंगत भूमि उपयोगों की पुर्नस्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग	76
सारणी 5–सा–1	क्षेत्रिय बस स्टेण्ड	81
सारणी 5–सा–2	मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई	84
सरणी 5–सा–3	वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई	86
सारणी 6–सा–1	भू उपयोग परिक्षेत्र	95
सारणी 6–सा–2	आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड	98
सारणी 6–सा–3	वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड	101
सारणी 6–सा–4	वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक	102
सारणी 6–सा–5	सामुहिक सुविधाओं/सेवाओं हेतु नियमन	103
सारणी 6–सा–6	मध्य क्षेत्र में आवासीय विकास हेतु मापदण्ड	105
सारणी 6–सा–7	वर्तमान आवासीय क्षेत्र के विकास हेतु भू–खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र	106
सारणी 6–सा–8	वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों का वर्गीकरण एवं फर्शी क्षेत्रानुपात	108
सारणी 6–सा–9	वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू–तल के मापदण्ड	109
सारणी 6–सा–10	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक हेतु विकास मापदण्ड	110
सारणी 6–सा–11	अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान	111
सारणी 6–सा–12	अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान	115
सारणी 7–सा–1	विकास योजना का क्रियान्वयन	122
सारणी 7–सा–2	प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत	128

मानचित्र सूची

मा. क्र.	शीर्षक	पृष्ठ क्र.
1.1	Regional Setting	2A
1.2	Location Map of Planning Area	2B
1.3	Planning Area	10A
2.1	Satellite Images	14A
2.2	Digital Elevation Model	16A
2.3	Building Footprint	24A
2.4	Slope	24B
2.5	Contour	26A
2.6	Lithology	26B
2.7	Soil Texture	26C
2.8	Ground Water Prospects	26D
2.9	Earthquakes Zones	28A
2.10	Land Value	28B
2.11	Geomorphology	28C
2.12	Water Body Buffer	28D
2.13	Land Degradation	28E
2.14	Road Buffer	30A
2.15	Land Suitability (Model-1)	36A
2.16	Land Suitability (Model-2)	36B
2.17	Land Suitability (Model-3)	36C
3.1	Existing Landuse	38A
3.2	Ward Map	50A
3.3	Ward Wise Sex Ratio	50B
3.4	Ward Wise Child Population (0-6)	50C
3.5	Ward Wise Child Sex Ratio	52A
3.6	Ward Wise SC/ST Population	52B
3.7	Ward Wise Literacy	52C
3.8	Ward Wise Work Participation	52D
3.9	Ward Wise Population Density	54A
3.10	Urban Sprawl	56A

3.11	Slum	58A
3.12	Existing Water Supply Network	64A
3.13	Existing Power Supply Network	68A
3.14	Existing ATM	68B
3.15	Government Land	68C
3.16	Bus Stop	68D
3.17	Existing Community Toilet	68E
4.1	Proposed Landuse	70A
4.2	Planning Unit	74A
4.3	Central Area	78A
5.1	Existing Transport Network	80A
5.2	Proposed Transport Network	82A
7.1	First Phase Implementation	128A

अध्याय 1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ

1.1 नगर परिचय

रतलाम मालवा क्षेत्र के उत्तर–पूर्व भाग में स्थित होकर मध्यप्रदेश का एक प्रमुख जिला है। यह जिला उत्तर दिशा में मंदसौर, दक्षिण दिशा मे धार, झाबुआ तथा पूर्वी दिशा में उज्जैन एवं पश्चिम दिशा में गुजरात के दाहोद व राजस्थान के प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा जिले से घिरा हुआ है। रतलाम नगर उज्जैन राजस्व संभाग का एक प्रमुख जिला है।

1.1.1 ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

प्राचीनकाल में रतलाम जिले का नाम रत्नपुरी अथवा रत्नलालम था। शाहजहाँ के शासनकाल में उदयपुर के जागीरदार शूरसिंह की जागीर में रतलाम नगर एक छोटा सा ग्राम था। राठौर वंश के उत्तराधिकारी रतनसिंह ने सन् 1652 में अपनी राजधानी रतनपुर (रत्नलालम) को बनाया, जिसको वर्तमान में रतलाम नाम से जाना जाता है। सन् 1694 में औरंगजेब द्वारा राठौर वंश से जागीर वापिस लेकर शाहजादा आजम को सौंपी गई। सन् 1702 में रतलाम जागीर को फिर से रतनसिंह के पांचवे पुत्र छत्रसाल को सौंपा गया। रतलाम रियासत के प्रशासक एवं ब्रिटिश साम्राज्य के राजनैतिक एजेन्ट कर्नल–बार्थविक ने नगर में सफाई एवं नगर के विस्तार में बहुत रूचि दिखाई, जिसके कारण चांदनी चौक एवं आसपास के क्षेत्र में चौड़े मार्ग एवं नियमित पथ संरचना देखने को मिलती है।

सन् 1864 में राजा रणजीतसिंह के नाबालिग होने से रियासत का प्रशासन श्री मीर–समीत–अली द्वारा हाथ में लिया गया। उन्होंने अस्थाई रूप से नगर हेतु एक विकास योजना बनाकर उसका कार्यान्वयन भी प्रारंभ किया। वर्तमान माणकचौक क्षेत्र के पूर्व में उद्यान एवं उसके आसपास गंदी बस्तियां एवं सकरी गलियां स्थित थी। प्रशासक ने सभी खंडहर भवनों को गिराकर सकरी गलियों को चौड़ा करवाकर उस क्षेत्र को एक अच्छे बाज़ार केन्द्र में परिवर्तित किया। इसी कार्यकाल में डालूमोदी बाजार, तोपखाना, धानमण्डी, घास बाजार, शहर सराय आदि सेवा सुविधाऐं एवं रणजीत ग्राम महल, रानी राजकुमार अस्पताल, सेन्ट्रल जेल, झाली तालाब आदि वास्तुशिल्पी भवनों एवं मार्गों का निर्माण हुआ।

यह मध्यप्रदेश का पहला व्यवसायिक शहर है। यह शहर अफीम, तंबाकू और नमक के व्यापार के लिए जाना जाता था।

सन् 1872 में खण्डवा को रेलवे लाईन से जोड़ा गया, इससे रतलाम को बहुत अधिक फायदा हुआ। सन् 1892 में रतलाम नगर को रेलवे की बड़ी लाईन द्वारा दिल्ली और मुम्बई से जोड़ा गया, उसके बाद नगर को महू और नीमच से मीटरगेज रेलवे लाईन से जोड़ा गया। नीमच एवं महू में सेना के केन्द्र स्थित होने से इन रेलवे लाईनों एवं उसको जोड़ने वाले

मार्गों को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। इन गतिविधियों तथा नगर में रेलवे जंक्शन एवं रेलवे विभाग का विभागीय कार्यालय स्थापित होने से नगर को वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में भी महत्व प्राप्त हुआ।

रेलवे संभागीय कार्यालय, रेलवे कॉलोनी, औद्योगिक बस्ती, जवाहर नगर, गांधी नगर, ऑफिसर कॉलोनी, शासकीय महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पुट्ठा मिल, मदिरा कारखाना की नगर के विकास में मुख्य भूमिका है।

1.1.2 क्षेत्रीय परिदृश्य

मध्यप्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में मालवा पठार पर स्थित रतलाम नगर ऐतिहासिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य से समन्वित होकर अपने आप में अद्वितीय है। पूर्वकाल में रतलाम एक स्वतंत्र रियासत थी, इसमें पूर्व राज्य के रतलाम, जावरा, सैलाना, पिपलोदा, देवास की रिंगनोद तहसील, आलोट और कुछ भाग, ग्वालियर राज्य की मंदसौर तहसील तथा धार राज्य के कुछ गांव को मिलाकर बनाया गया।

रतलाम शहर समुद्र सतह से 480 मीटर ऊँचाई पर $23^0 19'50''$ उत्तरी अक्षांश एवं $75^0 03'13''$ पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। यह नगर संभागीय मुख्यालय उज्जैन से लगभग 100 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

रतलाम म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित "इंदौर कृषि औद्योगिक क्षेत्र" प्रादेशिक क्षेत्र का तीसरा बड़ा नगर है। विगत वर्षों में नगर की कतिपय प्रमुख औद्योगिक इकाईयों के बंद हो जाने के कारण यहां का भौतिक एवं आर्थिक विकास प्रभावित हुआ है। नगर में "अ" श्रेणी की कृषि उपज मंडी कार्यरत है। रतलाम किराना, तेल एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का प्रमुख थोक बाजार केन्द्र एवं नमकीन के कारण भी प्रसिद्ध है। नमकीन की प्रसिद्धि को बढ़ावा देने के लिए शासन के उद्योग विभाग द्वारा नमकीन क्लस्टर की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त नगर सोना एवं चांदी के व्यापार का भी प्रमुख केन्द्र है। ग्रामीण अंचलों में कपास, मूंगफली, गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, दालें एवं हरी सब्जियां बहुतायत से उत्पादित होती है, जिसका लाभ इंदौर, क्षेत्रीय मुख्यालयों के साथ–साथ राज्य की राजधानी भोपाल एवं अन्य प्रदेशों के समीपस्थ प्रमुख नगर बड़ोदा एवं बॉसवाड़ा को भी प्राप्त होता है। रतलाम के आस–पास के ग्रामों में फल उत्पादन भी उन्नत तरीके से किया जा रहा है। क्षेत्र में अंगूर की पैंदावार को बढ़ावा देने के लिए अंगूर अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है। यह नगर सड़क एवं रेल मार्गों द्वारा देश एवं प्रदेश के प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है। रतलाम पश्चिम रेलवे क्षेत्र का जंक्शन है।

RATLAM
1.1 - REGIONAL SETTING
Legend
City Centre
Route
Railway Line
Waterbody
Forest
State Boundary
District Boundary
Scale
0 8.5 17 25.5 34 42.5 51 59.5 68 Km
N
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Survey of India, Toposheet
Rajasthan
Madhya Pradesh
Gujarat
Agar Malwa
Ujjain
Indore
Dhar
Jhabua
NH 47
NH 927A
75 K.M
50 K.M
100 K.M
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

1.2 - Regional Location Map
Ratlam
India
Madhya Pradesh
Ujjain Region
Agar Malwa
Shajapur
Dewas
Indore
Ujjain
Dhar
Ratlam
Jhabua
Legend
National Highway
State Highway
Bypass
Route
Railway Line
Buildup Area
Waterbody
Planning Area Boundary
To Dhamnada
To Indore
To Mhow
To Jhabua
To Sailana
To Jaora
To Dhatabad
To Nagda
To Delhi
N
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
Landuse & Urban Survey Division Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal

रतलाम नगर से अन्य प्रमुख नगरों की दूरी

सारणी 1–सा–1

क्रमांक	समीपस्थ नगर	दूरी (कि.मी.)
1	2	3
1	बांसवाड़ा (राजस्थान)	84
2	मंदसौर	88
3	नीमच	143
4	नागदा	49
5	धार	93
6	उज्जैन	100
7	झाबुआ	92
8	इन्दौर	140
9	भोपाल	322

1.1.3 दर्शनीय स्थल

रतलाम जिले में एक समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा है और जिले में ऐतिहासिक महत्व के कई स्थान है।

- **महालक्ष्मी मन्दिर**

रतलाम नगर के माणक चौक में यह मंदिर स्थित है। यह माताजी श्रीमाली ब्राह्मण समाज की कुल देवी है। यह मंदिर रतलाम रियासत के समय का मंदिर है। इस मंदिर को लेकर यह मान्यता है कि दीपावली के अवसर पर जो भी अपनी धन सम्पदा इस मंदिर में रखता है। सालभर उस धनराशि में बढ़ोतरी होती है।

- **कालिका माता मंदिर**

अंग्रेजी वर्ष 1556 से 1600 के बीच शहर के मध्य अष्टकोणीय झाली तालाब के किनारे माँ कालिका मंदिर की स्थापना की गई। रतलाम के इस मंदिर में दर्शनार्थी सिर पर कलश में दीपक रखकर गरबों के माध्यम से शक्ति की आराधना करते हैं। नवरात्रि पर यहां मेले का आयोजन किया जाता है।

- **गुलाब चक्कर**

रतलाम शहर में वर्तमान के पुरातत्व संग्रहालय गुलाब चक्कर का निर्माण लगभग 1879 ईस्वीं में महाराजा रणजीत सिंह के काल में हुआ था। इनका नाम माहाराजा रणजीत सिंह की पुत्री राजकुमारी गुलाब कुंवर साहिबा के नाम पर पड़ा। वर्षों से इसका रखरखाव न होने से यह जर्जर अवस्था में पहुंच गया था। जीर्णोद्धार होकर अब यह संग्रहालय अपने प्राचीन सुंदरता के साथ लोगों के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ।

- **बिल्केश्वर मंदिर**

यह मंदिर रतलाम नगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह महू–नीमच राजमार्ग से 03 किलोमीटर पूर्व दिशा में ग्राम बिलपांक में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 10–11 वीं शताब्दी में किया गया था।

- **केदारेश्वर मंदिर**

रतलाम नगर से लगभग 25 कि.मी. की दूरी पर सैलाना नगर के नजदीक स्थित है। यहाँ लोग भगवान भोलेनाथ को नमन करने और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाने आते हैं। महाकेदारेश्वर मंदिर करीब 278 साल पुराना है। सन् 1736 में सैलाना के महाराज जयसिंह ने यहाँ एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया और यह स्थान 'केदारेश्वर महादेव मंदिर' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

- **कैक्टस गार्डन**

रतलाम बांसवाड़ा राजमार्ग पर रतलाम जिले से 21 किलोमीटर दूर सैलाना में कैक्टस गार्डन स्थित है। कैक्टस गार्डन में 1200 से अधिक प्रजातियों के कैक्टस हैं। इस गार्डन को यहां के महाराजा जसवंत सिंह ने बनवाया था। एशिया में पाई जाने वाली लगभग सभी कैक्टस पौधे की प्रजातियां इस गार्डन में देखने को मिल जाएगी। कैक्टस का जड़ीबूटी में भी उपयोग होता है। इस पौधे में खिलने वाले फूल भी दुनिया के सबसे सुंदर फूलों में गिने जाते हैं।

- **खरमौर पक्षी अभ्यारण्य**

खरमौर अभ्यारण्य की स्थापना सन् 1983 में हुई थी। इसे सैलाना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह उद्यान 13 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य दुर्लभ प्रवासी पक्षी (खरमौर) के लिए जाना जाता है। घने जंगल होने से ओर प्रकृति के करीब महसूस करने से यह पक्षी जुलाई से सितम्बर के बीच में यहा विचरण करने आते हैं।

- **सातरूंडा माता मंदिर**

रतलाम जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर नयागांव लेबड़ फोरलेन पर स्थित ग्राम सातरूंडा चौराहे से मात्र 03 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर पांडव कालीन ऐतिहासिक माँ कालका का मंदिर है। माँ कालका सुबह में बाल्यावस्था दोपहर में युवावस्था एवं शाम को वृद्धावस्था में भक्तों को दर्शन देती हैं। माँ सातरूंडा मंदिर पर चैत्र नवरात्रि में श्रृद्धालुओं का हुजुम उमड़ता है, चारों तरफ दूर–दूर तक समतल जमीन के बीच यह पहाड़ी कुदरत के अनोखे रूप को दर्शाती है।

- **विरूपाक्ष महादेव मंदिर बिलपांक**

शहर से 15 कि.मी. दूर स्थित बिलपांक देश ही नहीं दुनिया का अनोखा शिव विरूपाक्ष महादेव मंदिर है। जिसे भूल भुलैया वाले शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर की स्थापना मध्ययुग से पहले परमार राजाओं के द्वारा की गई थी। भगवान भोलेनाथ के ग्यारह रूद्र अवतारों में से पांचवें रूद्र अवतार के नाम पर इस मंदिर का नाम विरूपाक्ष महादेव मंदिर रखा गया। मंदिर के चारों कोनों में चार मंडप बनाए गए हैं, जिसमें भगवान गणेश, माँ पार्वती और भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित है। इस प्राचीन विरूपाक्ष महादेव मंदिर के अंदर 34 खम्बों का एक मंडप है और सभी चारों कोनों पर खम्बों की गिनती 14–14 बनती है जबकि 08 खम्बे अंदर गर्भगृह में हैं। इसी कारण से लोग इसे भूल भुलैया वाला शिव मंदिर भी कहते हैं। सावन में भक्त यहाँ दूर–दूर से दर्शन करने आते हैं।

- **श्री ऊंकाला खड़ा गणपति मंदिर**

सर्वप्रथम शहर में सबसे बड़े सवा ग्यारह फीट के गणपति ऊंकाला गणपति के नाम से ऊंकाला क्षेत्र में विराजमान है। इस मंदिर में की गई मनोकामना पूर्ण होती है। शहरवासी घर में मांगलिक कार्य होने पर सर्वप्रथम भगवान के चरणों में पत्रिका अर्पित करते है। हर बुधवार को यहां पर भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। पंचान तागलसात कसारा ऊंकाला समाज के श्रीराम मंदिर के पास शहर की सबसे प्राचीन मुर्ती है। यहां मंगलनाथ महादेव मंदिर, हनुमानजी मंदिर व खड़े गणेश जी की ऐतिहासिक प्रतिमा है।

- **वरोठ माता मंदिर**

रतलाम के पितलिया परिवार का यह प्राचीन मंदिर है। मुगल सम्राट अकबर के काल में माताजी की बहुमूल्य भव्य प्रतिमा इस मंदिर में विद्धयमान थी किन्तु मुगलिया बदनीयती के

कारण मंदिर के उत्तरी द्वार से अदृश्य होकर माता मंदिर के निकट के माया कुंड में समाविष्ट हो गई। प्रतिमा रहित भव्य मंदिर भग्नावस्था में आज भी विद्यमान है।

मंदिर में माँ की प्रतिमा न होने से पितलिया परिवार दुखी होकर नवीन मंदिर बनाने हेतु सतीमाता से प्रार्थना की माँ ज्वालिया सतीमाता ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा मालवा की पावन नगरी रतलाम में मंदिर की रचना का समय आ गया है। ज्वालिया सतीमाता के आदेश से रतलाम–मालवा में एक छोटे से मंदिर की रचना कर उसमें वरोठ माता की प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प लिए मंदिर का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया, किन्तु वरोठ माता की असीम कृपा का प्रतिफल मिलने से बगैर किसी विशेषज्ञ और मानचित्र के सहयोग से माताजी का भव्य शिखर मंदिर वर्तमान में आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है।

- **पदमावति मंदिर महलवाड़ा**

महल में स्थित यह मंदिर सैकडों वर्ष पुराना है। इसकी स्थापना महाराजा रतनसिंह जी के समय हुई थी। इस मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया था कि महारानी अपने महल की खिड़की से माता की मूर्ति के दर्शन कर सकें।

1.2 अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति

1.2.1 भौतिक स्वरूप

1.2.1.1 भू–आकृति

रतलाम जिला विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक विविधताओं से परिपूर्ण है। राजस्थान से सीमावर्ती क्षेत्र में राजस्थानी लाल मिट्टी और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं। शेष भाग में मालवा की प्रकृति के अनुरूप उपजाऊ मिट्टी, नदीयां, नाले तथा छोटी–बड़ी पहाड़िया मौजुद हैं। जिले में लगभग 16 प्रतिशत वन क्षेत्र है। किन्तु सघन वनों का अभाव है। यह जिला माही तथा चंबल नदी के कछार में स्थित है। क्षिप्रा, पिंगला एवं मलेनी नदी, चंबल नदी की सहायक नदियां है। इसी प्रकार रत्तागढ़ नाला एवं जामड़, माही की मुख्य सहायक नदियां हैं।

1.2.1.2 जलवायु

रतलाम नगर की जलवायु संपूर्ण मालवा क्षेत्र की ही तरह सौम्य एवं सुखद है। नगर में औसत अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेन्टीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तथा औसत न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 11.8 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है । नगर में मई–जून में अधिकतम गर्मी तथा दिसम्बर जनवरी में अधिकतम ठंड रहती है । यहां औसतन

वर्षा 743–750 मि.मी. होती है। नगर में अप्रैल से सितम्बर तक सामान्य से अधिक वेग वाली पश्चिमी हवायें बहती हैं। वर्ष के शेष 6 माह में प्रमुखतः दक्षिण–पूर्व दिशा से हवायें प्राप्त होती हैं।

1.3 नियोजन हेतु प्रयास

श्री सज्जनसिंह के कार्यकाल में (1883–1947) सन् 1895 में नगर सुधार न्यास की स्थापना हुई जो बाद में न्यास अधिनियम–1924 के अंतर्गत नगर सुधार न्यास रतलाम में परिवर्तित हुआ।

आजादी के पश्चात् सन् 1952 में नगर सर्वेक्षण किया जाकर एक प्रयोगात्मक भूमि उपयोग परिक्षेत्रिक योजना बनाई गई, लेकिन वह कार्यान्वित नहीं हो सकी।

रतलाम नगर की विकास योजना वर्ष 2001 तक की अनुमानित जनसंख्या 3.5 लाख की भावी आवश्यकताओं के आधार पर तैयार की गई थी, जो मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–16 (3) 85–बत्तीस–1 भोपाल दिनांक 28.5.1990 (म.प्र. राजपत्र असाधारण क्रमांक 173 दिनांक 30.5.90 में प्रकाशित) द्वारा अंगीकृत की गई थी। रतलाम विकास योजना 2001 का पुनर्विलोकन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जाकर रतलाम विकास योजना 2021 (प्रारूप) का प्रकाशन दिनांक 22.10.2009 को प्रकाशित किया गया।

मालवा अंचल में स्थित रतलाम नगर जिला मुख्यालय है। यह नगर सड़क एवं रेल मार्गों द्वारा देश एवं प्रदेश के प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है एवं नगर में "अ" श्रेणी कृषि उपज मंडी, नमकीन क्लस्टर एवं सोने–चांदी के व्यापार का प्रमुख केन्द्र है। नगर की उपरोक्त गतिविधियों को ध्यान में रखकर रतलाम विकास योजना 2021 वर्ष 2021 तक की प्रक्षेपित जनसंख्या 3.50 लाख एवं भावी आवश्यकताओं के आधार पर तैयार की गई थी, जिसे म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–3–86–2009–32 दिनांक 14.06.2013 द्वारा अंगीकृत किया गया था।

रतलाम विकास योजना 2021 के अनुसार वर्तमान एवं भावी कार्यकलाप के आधार पर नगर का विकास प्रशासकीय केन्द्र, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र तथा क्षेत्रीय/प्रादेशिक स्तर का शैक्षणिक केन्द्र, संस्कृति पर्यटक स्थल के रूप में किया जाना प्रस्तावित था। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में उपलब्ध कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योग की कृषि से संबंधित इंजीनियरिंग, खाद्य उत्पादन उद्योग, सेवा सुविधा केन्द्र तथा खनिज संसाधन आधारित उद्योग की स्थापना हेतु भी प्रस्ताव दिये गये थे, जिससे औद्योगिक विकास एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।

रतलाम विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन अमृत मिशन अंतर्गत किया जाना है। रतलाम विकास योजना 2021 के लक्ष्यों को पुनर्परिभाषित करते हुए योजना का पुनर्विलोकन वर्ष–2035 की आंकलित जनसंख्या के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार की जाना है। विकास योजना 2035 में रतलाम नगर को संभागीय स्तर का प्रशासनीक केन्द्र एवं जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क के रूप में विकसित किये जाने का लक्ष्य लिया गया है। रतलाम विकास योजना 2035 में प्रस्ताव देते समय निम्नलिखित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है।

1. नगर में निरंतर बढ़ती हुई वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु अतिरिक्त स्थान प्रदान करना तथा नगर के मध्य से मंडी जैसी कुछ गतिविधियां स्थानांतरित करने हेतु नया नगर स्तरीय बाजार केन्द्र विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था। मण्डी स्थानांतरित होने के पश्चात् वर्तमान स्थल पर सब्जी मण्डी संचालित है, किन्तु वाणिज्यिक केन्द्र विकसित नहीं हुआ है। भविष्य में सब्जी मण्डी को भी नगर के मध्य स्थित होने से असंगत भू–उपयोग के अंतर्गत हो जाएगी। अतः पूर्व में रखे गये लक्ष्य के अनुसार ही इस स्थल को वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में विकसित करना तथा नई मण्डी के साथ ही सब्जी मण्डी का भी स्थानांतरण किया जाना।
2. आवासीय भवनों में स्थित कार्यालयों को संगठित रूप से स्थापित करने हेतु एक प्रशासकीय केन्द्र का विकास किये जाने का लक्ष्य रखा गया था। नवीन निर्मित कलेक्टोरेट के अंतर्गत कई प्रशासनिक कार्यालय स्थानांतरित हुए हैं। अन्य प्रशासनिक कार्यालयों को भी एक संकूल में स्थानांतरित कर नये प्रशासनिक केन्द्र का विकास।
3. उपयुक्त स्थानों पर छोटी–छोटी औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन देना।
4. नगर में स्थित व्यापार, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियों की सेवा हेतु संगठित परिवहन व्यवस्था का विकास करना ।
5. बरबड़, त्रिवेणी, कालका माता आदि सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों का उन्नयन करना।
6. उद्योगों हेतु उपयुक्त स्थान एवं अधोसंरचना प्रावधानित कर नगर में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना ।
7. माल एवं यात्री यातायात सक्षमता से संपन्न नगर में क्रियात्मक एवं सक्षम परिभ्रमण संरचना निर्मित करना ।
8. अविकसीत आवासीय क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार लाना।
9. हवा एवं जल को प्रदूषित करने वाले उद्योगों को उपयुक्त स्थानों पर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान में ऐसे उद्योग जो नगर में संचालित नहीं हैं, प्रदूषण का प्रभाव नगर पर न पड़े इस हेतु निवेश क्षेत्र के अंतर्गत प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना ना हो तथा प्रदूषणकारी उद्योगों को नगर के बाहर जाना।

10. संपूर्ण नगर हेतु जल प्रदाय, जल–मल निकास व्यवस्था एवं खुली नालियों एवं नालों का विकास।

11. नगर की भू–आकृति को ध्यान में रखते हुए नगर की सौंदर्यपुरक संरचना को प्रोत्साहित करना ।

1.4 निवेश क्षेत्र

रतलाम निवेश क्षेत्र का गठन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13(1) के अंतर्गत म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र. 2957/1–90/33/73 भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 1973 द्वारा किया गया था, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग–2 दिनांक 01/01/1974 में किया गया था।

रतलाम निवेश क्षेत्र में नगर पालिक निगम क्षेत्र के अतिरिक्त कुल 19 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। निवेश क्षेत्र में सम्मिलित नगर पालिक निगम क्षेत्र एवं ग्रामों के संबंध में विस्तृत विवरण सारणी क्र. 1–सा–2 में दिया गया है।

रतलाम निवेश क्षेत्र

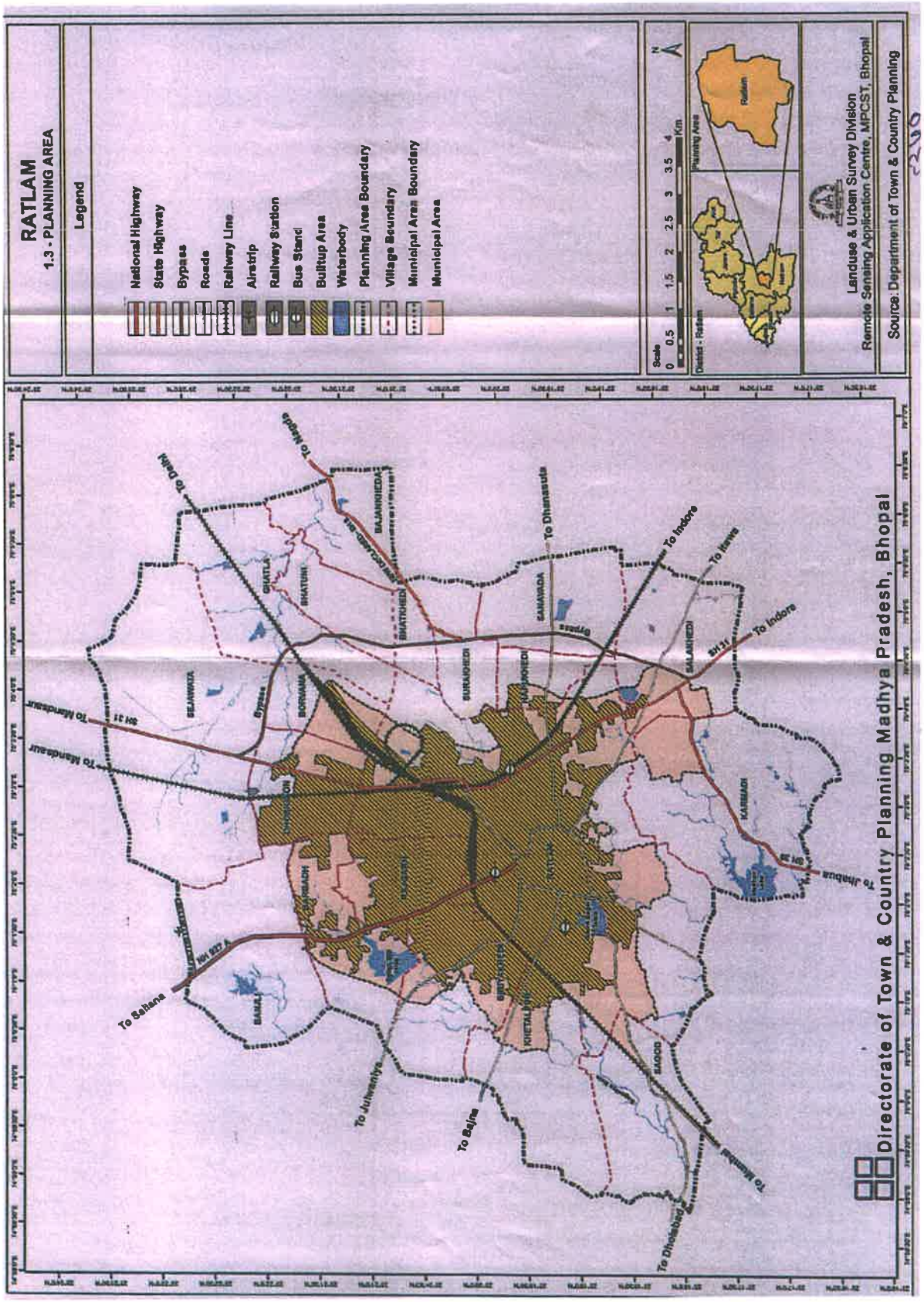
सारणी 1–सा– 2

क्रमांक	ग्रामों के नाम	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	जनसंख्या 2011
1	2	3	4
	(अ) नगर निगम क्षेत्र		
1	बंजली (आंशिक)	0.34	264914
2	सुराखेड़ी (आंशिक)	1.98	
3	बरबड़ (आंशिक)	319.41	
4	सागोद (आंशिक)	22.32	
5	हापूखेड़ी (आंशिक)	33.12	
6	करमदी (दिलीप नगर) (आंशिक)	97.99	
7	बोरवाना (आंशिक)	101.85	
8	खेतलपुर (आंशिक)	104.91	
9	सालाखेड़ी (आंशिक)	111.65	
10	डोसीगांव (आंशिक)	140.33	
11	राजगढ़	286.32	
12	बिरियाखेड़ी (आंशिक)	297.45	
13	रतलाम (रेलवे क्षेत्र, भेरूगांव) (आंशिक)	1693.97	
(अ)	**योग**	**3211.64**	**264914**

क्रमांक	ग्रामों के नाम	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	जनसंख्या 2011
1	2	3	4
	(ब) ग्रामीण क्षेत्र		
1	सेजावता	1227.57	3096
2	बोरवाना (आंशिक)	124.87	870
3	घटला	551.96	982
4	बाजनखेड़ा	309.49	864
5	भटूनी	235.29	605
6	भाटखेड़ी	196.77	-
7	सुराखेड़ी (आंशिक)	138.56	06
8	सनावदा	393.97	984
9	हापूखेड़ी (आंशिक)	114.67	07
10	सालाखेड़ी (आंशिक)	412.06	1238
11	करमदी (दिलीप नगर)	785.76	1937
12	सागोद (आंशिक)	456.36	1474
13	बरबड़ (आंशिक)	98.04	301
14	बंजली (आंशिक)	622.03	2215
15	खेतलपुर (आंशिक)	452.94	—
16	बिरियाखेड़ी (आंशिक)	205.45	
17	डोसीगांव	187.22	
18	रतलाम (आंशिक)	593.47	
(ब)	**योग**	**7106.49**	**14579**
	योग(अ+ब)	**10318.13**	**2,79,493**

स्त्रोत : भारत की जनगणना वर्ष 2011 एवं भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण

नोटः– रतलाम निवेश क्षेत्र हेतु विकास योजना 2021 भौतिक सर्वेक्षण से तैयार की गई थी। विकास योजना 2021 हेतु निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों के अनुसार 10632.57 हेक्टेयर अंकित किया गया था। वर्तमान में विकास योजना 2035 हेतु सैटेलाइट इमेज एवं ग्राम सीमा के डिजिटल मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र के कुल वास्तविक क्षेत्र को प्रगणित किया गया है, जिसके अनुसार निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 10318.13 हेक्टेयर होता है। यह विकास योजना जी.आई.एस. पद्धति पर स्थल की वास्तविक


RATLAM
1.3 - PLANNING AREA
Legend
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Airstrip
Railway Station
Bus Stand
Builtup Area
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Municipal Area
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Department of Town & Country Planning
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Nagda
To Dahi
To Dhamnoda
To Indore
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
To Sehana
To Jhabua
To Jhabua
To Jhabua
To Bajna
To Dhodsod
BAJANKHEDA
BHATKHEDI
GHATLA
BHATKHEDI
SAMANDA
SURAJKHEDI
RAJAKHEDI
SALAKHEDI
BEJAKHEDA
BORKHAN
KARMADI
SHIVGARH
RATLAM
KHETALKHEDI
SAGOD
BANJARIYA
NH 927 A
SH 31
SH 31
NH 59
Bypass
Bypass

स्थिति अनुसार तैयार की गई है, इसीलिए विकास योजना तैयार करने के उद्देश्य से 10318.13 हेक्टेयर क्षेत्रफल को मान्य करते हुए विकास योजना के प्रस्ताव दिए गए हैं।

1.4.1 नगर निगम क्षेत्र

नगर पालिका रतलाम की स्थापना सर्वप्रथम 1951 में की गई थी । तत्समय इसे 9 वार्डों में विभक्त किया गया था। सन् 1961 में 31 वार्ड तथा सन् 1973 में 35 वार्डों में विभक्त किया गया। दिनांक 1 जनवरी 1981 को नगर पालिका का उन्नयन किया जाकर नगर पालिक निगम का गठन किया गया, जिसका कुल क्षेत्रफल 39.19 वर्ग कि.मी. था। वर्तमान में नगर पालिक निगम सीमा को यथावत रखते हुए 49 वार्डों में विभक्त किया गया है।

अध्याय 2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण

2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

भूमि, सम्पूर्ण पर्यावरण का एक घटक है एवं मानव बस्तियां बसाने हेतु भूमि की आवश्यकता होती है। जिस भूमि पर नगर की बसाहट है, उसका संलग्न भूमि पर हुआ प्रभाव, जो भूमि उपयोग परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरण के इस महत्वपूर्ण घटक, अर्थात् भूमि का उपयोग मानव सभ्यता द्वारा नियोजित दृष्टिकोण से किया गया है अथवा नहीं।

नगर विकास एक सतत् गतिविधि है, जिसे नगर नियोजन के सिद्धान्तों के अनुरूप नियोजन की सतत् प्रक्रिया द्वारा क्षेत्रीय एवं स्थानीय संदर्भ में नगर के विभिन्न आयामों में विकास के दबाब को दृष्टिगत रखते हुए नगरवासियों के आर्थिक विकास एवं उन्नत जीवन स्तर प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है। इसके लिए शासकीय, अर्धशासकीय सामाजिक एवं निजी संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विकास योजना में दिये गये भू–उपयोग के प्रस्तावों का पालन करते हुए नगर नियोजन में अपनी सक्रिय सहभागिता निभायें, जिससे नगर अपनी आवश्यकता के अनुरूप कृषि, औद्योगिक एवं अन्य उत्पादन पर आधारित वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास हेतु कार्यक्षम वातावरण के साथ–साथ अन्य आवश्यक गतिविधियाँ जैसे–आवासीय, आमोद–प्रमोद, व्यावसायिक, प्रशासनिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक विकास को समाहित कर सकें।

भारत सरकार, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा **"Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation" (AMRUT)** योजना की शुरूआत जून 2015 में हुई। अमृत योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देश के सभी शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें अर्थात् जल–आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, बिजली, शहरी परिवहन, हरित क्षेत्र इत्यादि मुहैया कराने एवं सुख–सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना को सृजन करना है, जिससे विशेषतः गरीबों और वंचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा। इस योजना की उपयोजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के चयनित 34 शहरों की विकास योजना में सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का उपयोग कर, विकास योजना तैयार करने के मापदण्ड (Design & Standards) दिये गये हैं।

विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का महत्वपूर्ण योगदान है। इन पद्धतियों से भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इसके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों को प्रस्तावित करने में तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है।

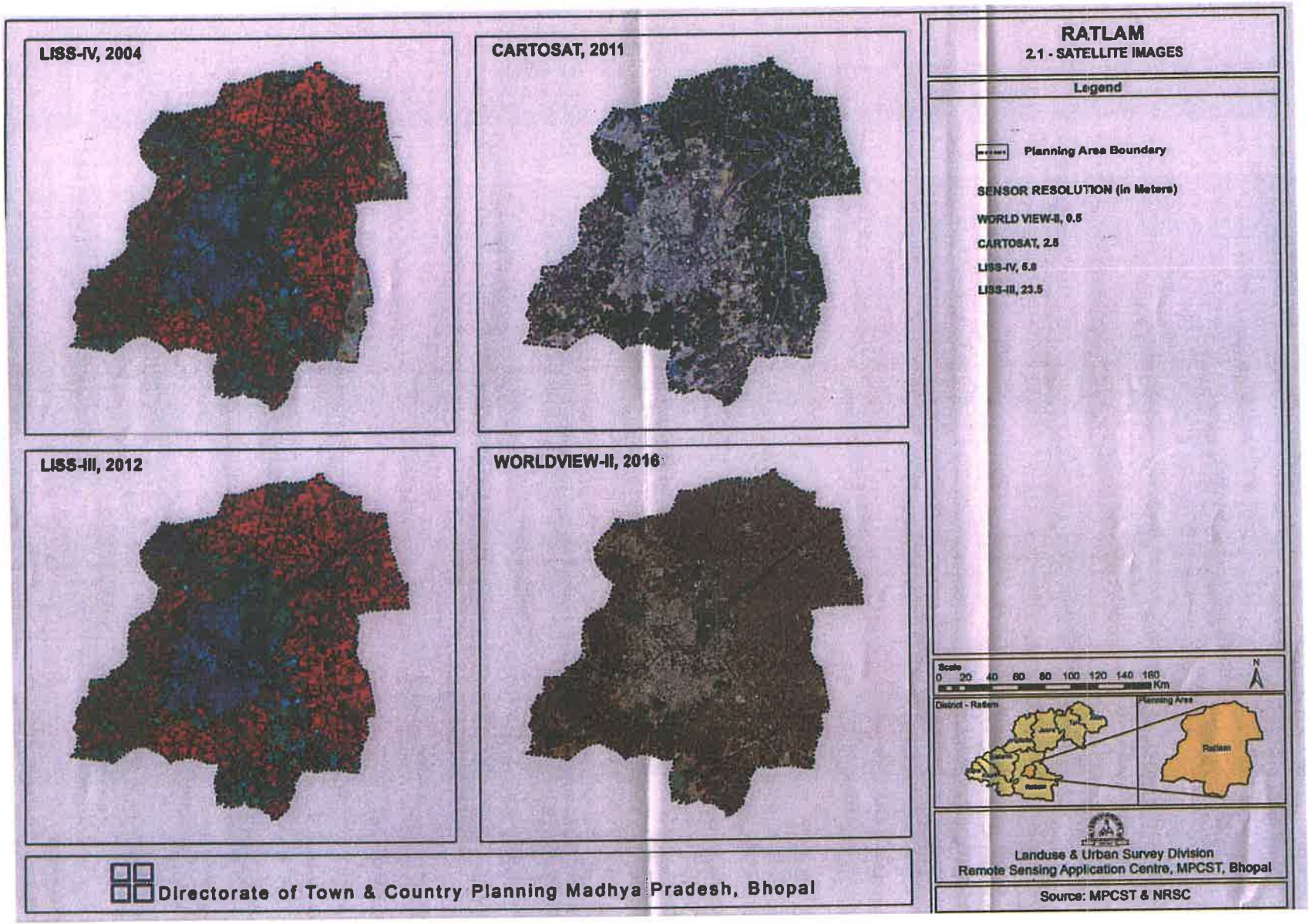
2.1.1 अमृत योजना

"Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation" (AMRUT) योजना की उपयोजना के मुख्य उद्देश्य हैं:–

1. भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियोरिफरेंस आधार पर मानचित्र तैयार करना।
2. अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना।
3. Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाईन के मानकों को समाहित करना।

2.1.2 सुदूर संवेदन

भारतीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त वर्ल्ड व्यू.–II (World View-II) के उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों का उपयोग थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है। उपग्रह चित्रों का उपयोग अमृत योजना के अंतर्गत 1:4000 के पैमाने पर आधार मानचित्र तैयार करने में किया गया है। अमृत योजना मे उपग्रह चित्रों के मानक सारणी क्रमांक 2–सा–1 में दर्शाये गये हैं।


LISS-IV, 2004
CARTOSAT, 2011
LISS-III, 2012
WORLDVIEW-II, 2016
RATLAM
2.1 - SATELLITE IMAGES
Legend
Planning Area Boundary
SENSOR RESOLUTION (in Meters)
WORLD VIEW-II, 0.5
CARTOSAT, 2.5
LISS-IV, 5.8
LISS-III, 23.5
Scale
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Km
N
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: MPCST & NRSC
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

उपग्रह चित्रों के मानक

सारणी 2–सा– 1

S.No.	Description	Value	Remarks
1	2	3	4
1	Spatial Resolution	0.5 meters or better	
2	Spectral Resolution	PAN Sharpened (Bands: Panchromatic, Red, Green, Blue and Near Infrared)	IR band is optional
3	Band to Band registration	Less than 1/4th of pixel size	
4	Radiometry	10 bit or better	
5	Image Resampling	Nearest Neighbourhood	
6	Monoscopic / Stereoscopic	Plain Areas: Monoscopic Highly Hilly areas: Stereoscopic	Need of Stereoscopic to be reviewed case by case. If the city is built on terrain slope more than 15 degrees.
	Monoscopic data view angle	Less than 10 degree from nadir	In specific cases, maximum of up to 15 degrees view angle shall be allowed
	Stereoscopic	One of the stereo image view angle should be less than 10 degrees from nadir	Base to Height (B/H) ratio: $0.6<B/H<0.8$
7	Product type	Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients (RPCs)	Ortho-kit data with RPCs

स्त्रोतः– एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली

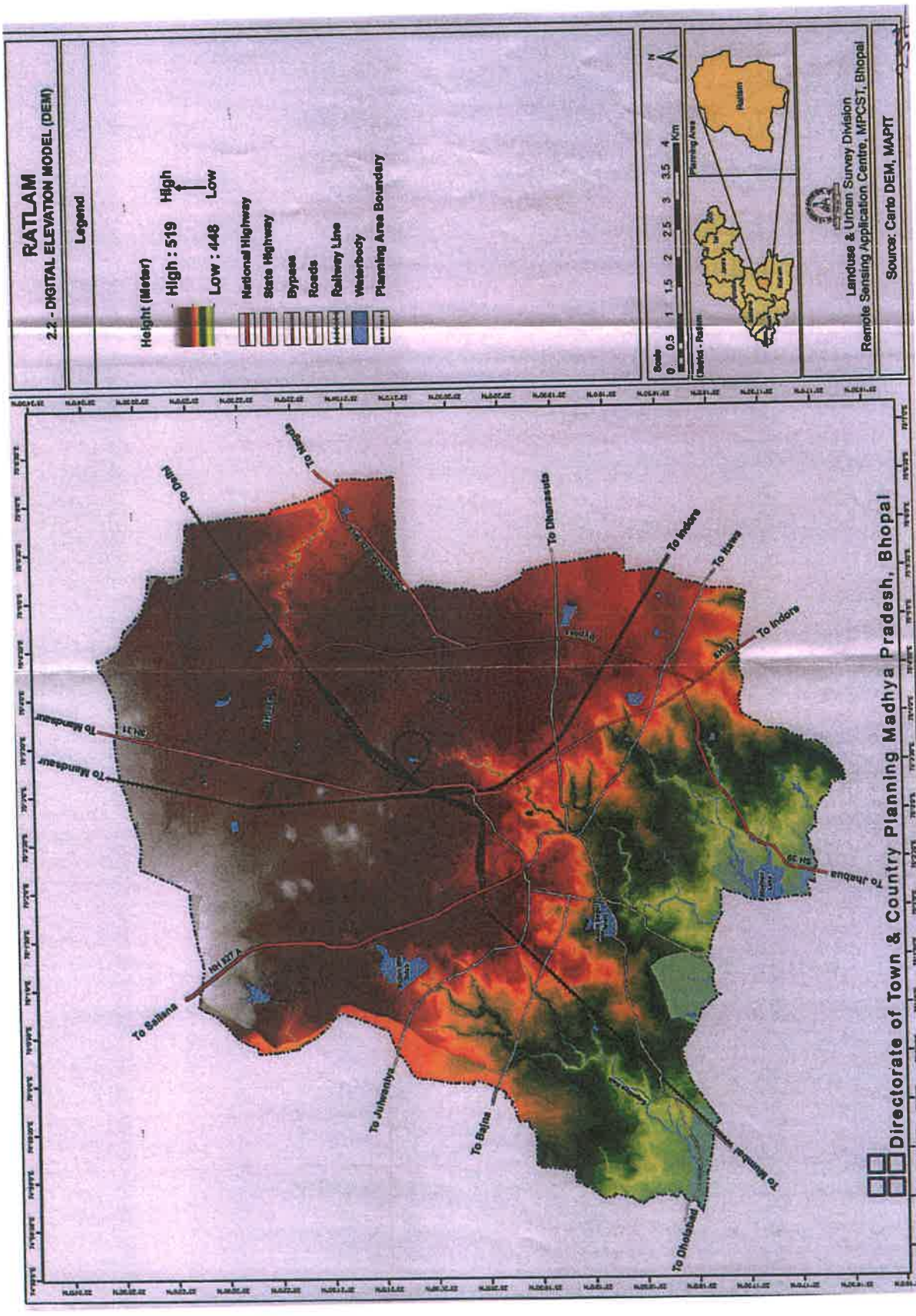
यह प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है, जिसके आधार पर वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण के व्यवस्थापन एवं क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने में उपयोगी है। अमृत योजना में विभिन्न स्पेशियल लेयर्स को क्लासेस एवं सब–क्लासेस में विभाजित किया गया है। इनका उपयोग विकास योजना तैयार करने में किया गया है, जो कि सारणी क्रमांक 2–सा–2 में दर्शाई गई है।

स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब–क्लासेस

सारणी 2–सा– 2

S. No.	Spatial Layers	Source for Spatial data generation	Classification based on Use & Attributes	
			Classes	Sub Classes
1	2	3	4	5
1	Base layers	Very High Resolution Satellite Data	3	16
	1. Road			
	2. Bridges			
	3. Water Bodies			
2	Urban Land use/Land cover	Very High Resolution Satellite Data	22	48
3	Building Footprints	Very High Resolution Satellite Data	16	46
4	Digital Elevation Model (DEM) Type : Digital Terrain Model (DTM)	CARTO DEM – NRSC, ISRO	1	1
5	Cadastral Layer	State Revenue Department	1	
6	Boundaries			
	1. Planning Boundaries	Town & Country Planning	1	1
	2. Municipal Boundaries	Urban Local Bodies	1	1

स्त्रोतः– एन.आर.एस.सी. हैदराबाद


RATLAM
2.2 - DIGITAL ELEVATION MODEL (DEM)
Legend
Height (Meter)
High : 519
Low : 448
High
Low
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Carto DEM, MAPIT
To Nagda
To Dewas
To Dhamnoda
To Indore
To Nawa
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
To Jhabua
To Sailana
To Jaiwantpura
To Bajna
To Sailana
To Dhotikhad
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली

रतलाम विकास योजना 2035 के प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है– संतुलित एवं सुनियोजित विकास तथा स्थाई एवं पूर्ण क्षमतायुक्त नगरीय उपलब्ध क्षेत्र का विकास करना। तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार किया गया है जो आज विद्यमान है, अर्थात् नैसर्गिक पर्यावरण एवं भविष्य में होने वाली बसाहट, जो अत्यावश्यक है। भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है, जिससे बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके। अतः स्थाई एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने, नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिये। इसके साथ ही, यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव, भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर हो।

एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है–

- **धरातल विशेषताएँ**

भौगोलिक स्थिति यथा कंटूर, सामान्य अथवा अत्यधिक ढलान, भूगर्भ विशेषताएँ, मिट्टी की विशेषताएँ एवं गहराई, भूमिगत जल स्त्रोत, जलप्लवित क्षेत्र, सघन कृषि भूमि, वन क्षेत्र, जलीय जीवन, तापमान, हवा, बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग।

- **भूमि उपयोग वितरण**

नगरीय विस्तार कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम भू–दृश्यीकरण स्थल, नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, आमोद–प्रमोद, यातायात एवं रिक्त क्षेत्र जो भावी विकास हेतु उपलब्ध हैं, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता।

- **जनसंख्या विशेषताएँ**

आयु समूह, लिंगानुपात, आर्वजन वितरण, भावी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, मजदूर एवं गैर मजदूर एवं व्यवसायिक संरचना।

- **आर्थिक गतिविधियाँ**

कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ, आर्थिक धरातल समस्याएँ एवं संभावनाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण, व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएँ एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएँ।

- **यातायात विशेषताएँ**

वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ, माल वाहन, निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, सायकल पथ, पादचारी पथ, जलाशय, रेलवे, वायु सेवा, केन्द्रीय सुविधायें एवं यातायात संरचना।

- **आवास विशेषताएँ**

उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति, सक्रिय आवश्यकता, झुग्गीवासियों की आवश्यकताएँ एवं उसका निराकरण भूमि तथा वित्तीय स्थिति।

- **सार्वजनिक सेवाएं**

पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मलवहन प्रणाली, विद्युत प्रदाय, संचार सेवाएं।

- **सार्वजनिक सुविधाएं**

शैक्षणिक संस्थाएँ, आमोद–प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएं, वाणिज्यिक क्षेत्र।

उपरोक्तानुसार जो जानकारी एकत्रित की गयी है वह एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ल्ड व्यू–II (World View-II) उपग्रह चित्रों के आधार पर अमृत योजनानुसार निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये हैं, जिसमें Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाइन के अंतर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित है।

2.2.1 उद्देश्य

- **भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना**

वर्ल्ड व्यू–II (World View-II) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी जो श्रेणी–II को दर्शाती है, नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, आमोद–प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हो।

- **रतलाम नगर की बसाहट विस्तार मानचित्र तैयार करना**

विभिन्न स्थितियों में उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, नगर का विकास क्रमशः विभिन्न समयावधि में हुआ है, का मानचित्र तैयार करना।

1. संपूर्ण रतलाम नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना।

2. नैसर्गिक आपदाओं का जैसे भूमि कटाव, भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना।
3. जल स्त्रोत, नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय, ढलान, मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना।
4. नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना एवं जिस भूमि को संरक्षित किया जाना है, उसका मानचित्र पर अंकन करना।
5. प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना।

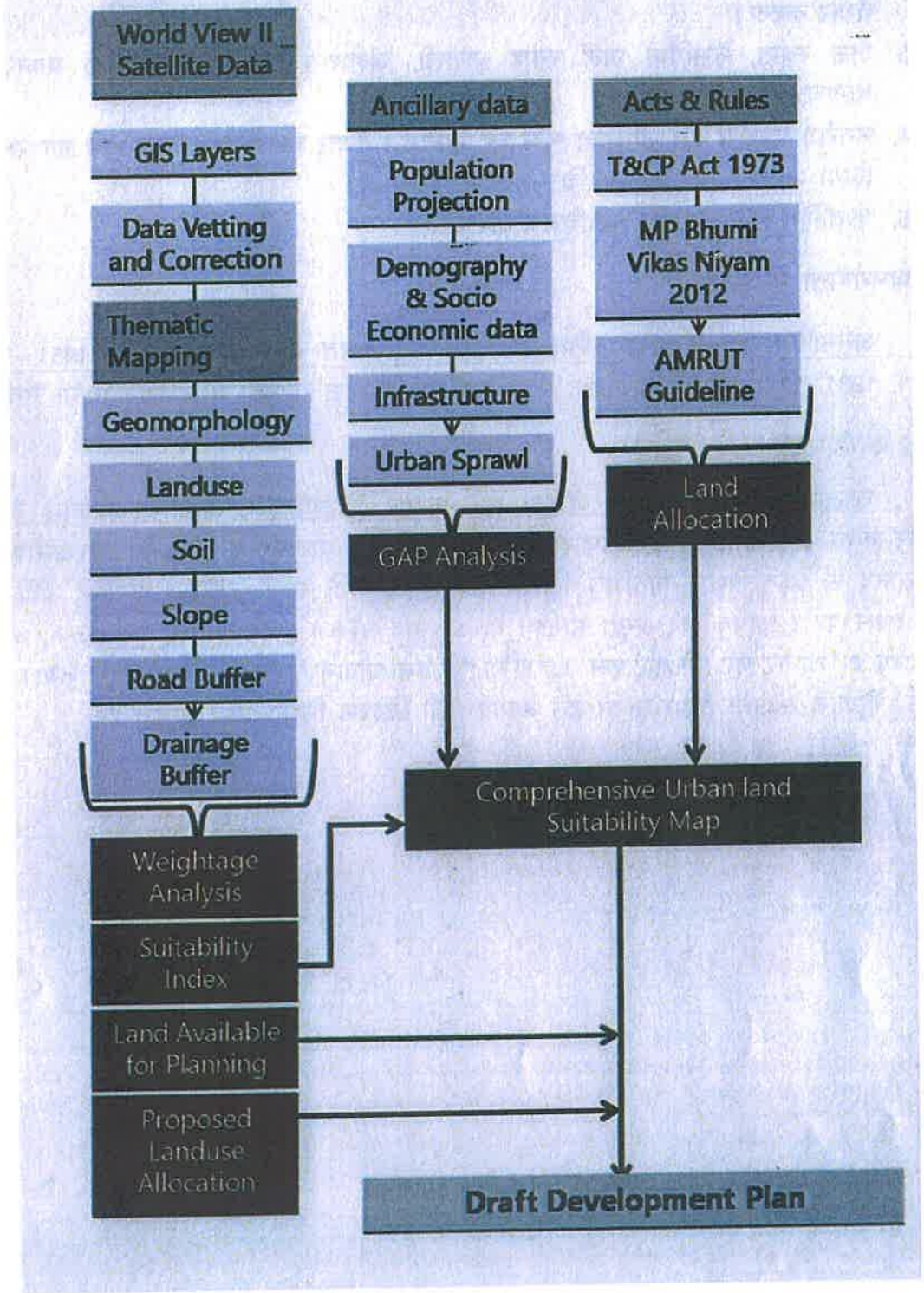
- **जनगणना के आँकड़ें**

अनुमानित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु भारत की जनगणना वर्ष 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 एवं 2011 के आँकड़ों को विकास योजना में उपयोग किया गया है।

2.2.2 कार्यप्रणाली

रतलाम नगर की अमृत योजना के अनुसार जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली प्रस्तुत है। अमृत योजना के अन्तर्गत एन.आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त, स्थल मानचित्र जिसमें उपग्रह चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित थे, का स्थल पर सत्यापन कर अमृत मानकों के अनुसार आँकड़े एकत्रित कर, सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना हेतु आधार मानचित्र तैयार किया गया। विकास योजना तैयार करने हेतु कार्यप्रणाली विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है–

उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली



2.3 अमृत मानकों की व्याख्या

अमृत मानकों के अुनसार नगर के विभिन्न विभागों से आँकड़े एकत्रित किये गये हैं, इन आंकड़ो में नगर की भौगोलिक जानकारी, जनसांख्यिकी आंकड़े, औद्योगिक पहलू, अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार इत्यादि के साथ–साथ जल प्रदाय, जल–मल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, परिवहन, पर्यावरण, पुरातत्व, पर्यटन, राजस्व आदि से संबंधित जानकारी सम्मिलित है।

2.3.1 थिर्मेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping)

विकास योजना तैयार करने हेतु किए जाने वाले विश्लेषण में उपयोग किए जाने हेतु विभिन्न थिमेटिक मानचित्र तैयार किए गये हैं जिसकी कार्यप्रणाली बिन्दु क्रमांक 2.2.2 में दर्शायी गई है।

2.3.1.1 यातायात संरचना

अमृत योजना के मानकों के आधार पर उपग्रह चित्र आधारित वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किया गया है। जिसमें निम्न मानकों को आधार मानकर वर्गीकृत किया गया है, जिसे सारणी क्रमांक 2–सा–3 में दर्शाया गया है।

Geo-Spatial Data Content

सारणी 2–सा– 3

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	01-01	Road	National Highway
	01-02		State Highway
	01-06		Bypass
	01-09		Major City Road
	01-11		Other Public Road
	01-12		Other Private Road
	01-15		Village road

2.3.1.2 भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी. हैदराबाद) से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर रतलाम नगर का वर्तमान

भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया। भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय अमृत योजना में दिए गये वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया। अमृत योजना के अंतर्गत नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 2–सा–4 में दर्शायी गई है।

बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो–स्पेशियल डाटा

सारणी 2–सा– 4

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	06-04	Residential	House
	06-05		Group of Houses
	06-06		Apartment
2	07-01	Commercial	Retail
	07-03		General Business
	07-04		Hotel / Lodge / Restaurant
	07-13		Hostel
3	08-01	Industrial	Manufacturing
	08-08		Agro based & Food Processing
	08-09		Obnoxious
	08-10		Cottage & Household
	08-11		Other Industries
4	09-01	Mixed	Residential & Commercial
5	10-01	Educational	School
			Anganwari
	10-05		College
			Polytechnic
6	11-01	Health Services	Govt. Hospital
	11-02		Private Hospital
	11-04		Clinic/Dispensary
7	12-01	Central Govt. Property	Office
	12-02		Quarter
8	13-01	State Govt. Property	Office
9	15-02	Public & Semi-Public	Banks
	15-05		Police Station
	15-06		Cantonment/Battalion
	15-08		Crematorium Burial Ground /Grave Yard

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
	15-09		Guest House/Rest House
	15-11		Dharmashala
	15-12		Tourist Facility Centre
	15-15		Museum
	15-16		Public Library
	15-25		Public/Community Toilet
	15-28		Old age Home
	15-30		Fire Station
10	16-01	Religious	Temple
	16-02		Mosque
	16-03		Idgah
	16-05		Gurudwara
	16-09		Aashram/Math/Bhojanshala
11	17-01	Recreational	Garden
12	18-01-01	Public Utilities	Water Treatment Plant
	18-01-02		Water Pumping Station
	18-03-01		Sewage Treatment Plant
	18-04-02		Electric Sub-Station
13	21-01	Heritage	Monuments
	21-02		Fort
	21-03		Archaeological Site
14	24-01	Transportation	Bus stand /Terminus
15	25-04	Traffic related	Multi-Level Parking
16	26-02	Rural	House
	26-03		Group Of House
17	33-09	Others	Farm house
	33-10		Dairy farm
	33-17		Gaushala

2.3.1.3 ग्राम/वार्ड सीमा

भू अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रदेश के भू–अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

- भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया गया।
- भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर ग्राम मानचित्रों से निवेश क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई।
- नगर पालिक निगम से प्राप्त वार्ड मानचित्रों के आधार पर नगर पालिक निगम सीमा का वार्ड मानचित्र तैयार किया गया।
- अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:30000 तथा 1:25000 मापमान पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया। उक्त मानचित्रों का उपयोग एकीकृत वार्ड आधारित विभिन्न जानकारी तैयार करने में किया गया है। जनसंख्या के आँकड़े जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किए गए एवं उनका ग्राम मानचित्रों से संबंध स्थापित किया गया।

थीमेटिक मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) का उपयोग कर डिजीटाईज कर रतलाम निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किए गए हैं। क्षेत्र के सांख्यिकी आँकड़े भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ही ज्ञात किये गए हैं। अमृत योजना के अंतर्गत विभिन्न सीमाओं की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2–सा–5 में दर्शायी गई है।

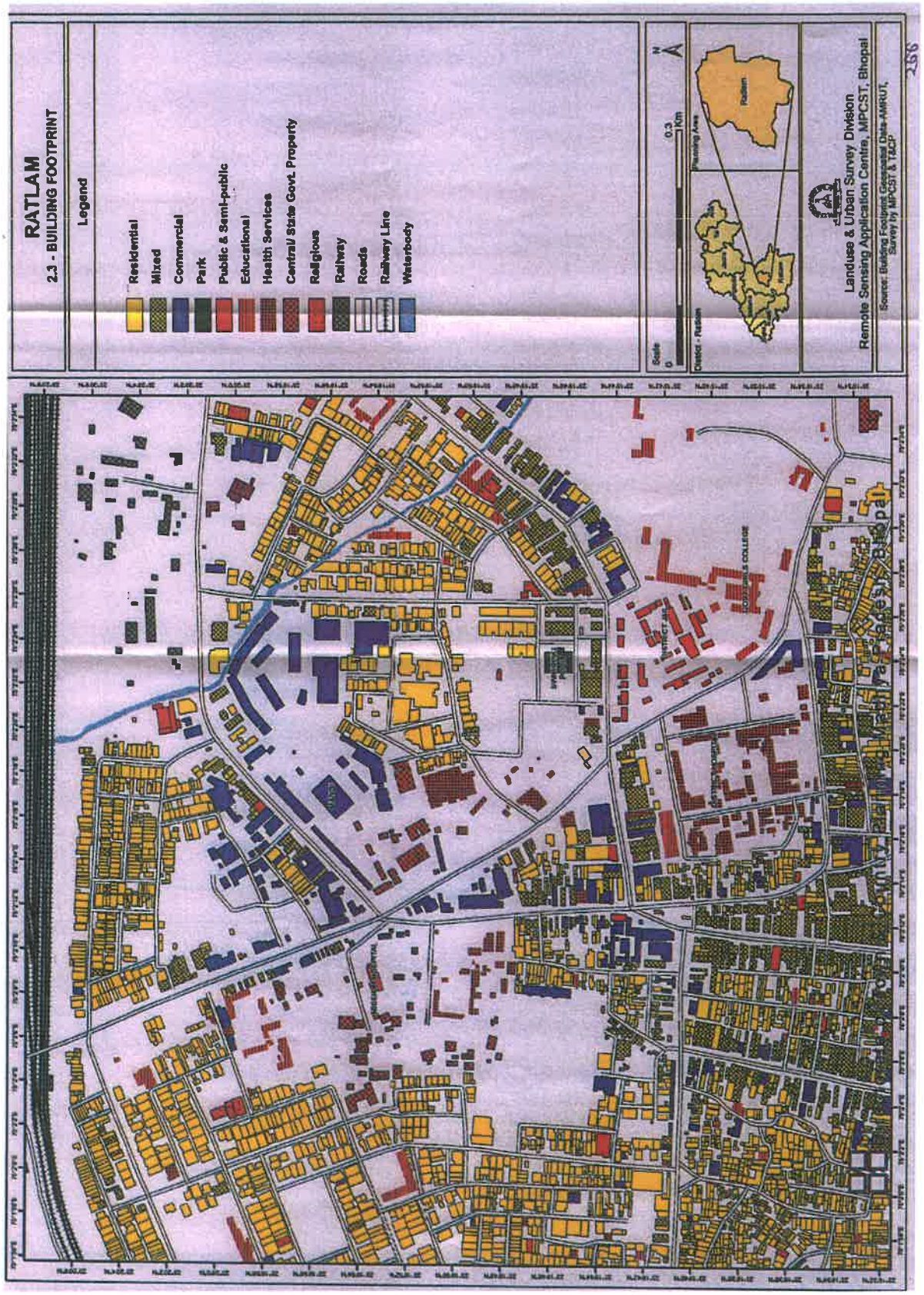
सीमाओं का वर्गीकरण

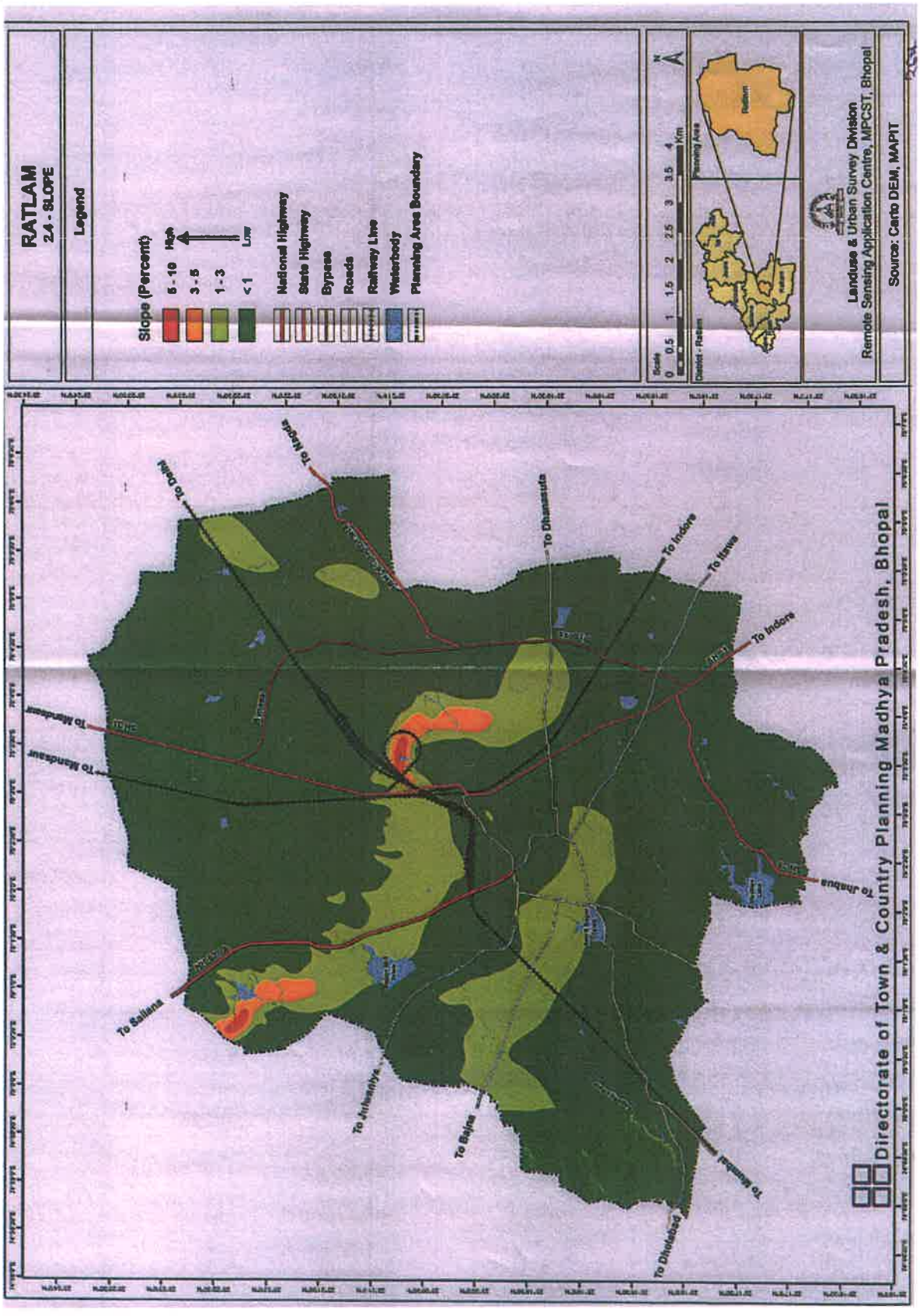
सारणी 2–सा–5

S.No.	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	37-05	Administrative Boundaries	Village Boundary
	37-06		Forest Boundary
	37-07		Revenue Boundary
2	38-01	Planning Boundaries	Planning Area Boundary
	38-04		Controlled Area Boundary
3	37-05	Municipal Boundaries	Municipal Boundary
	37-06		Ward Boundary
	37-07		Zone Boundary

2.3.1.4 ढलान

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर एवं मेप आई.टी. (Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) से प्राप्त Carto-DEM


RATLAM
2.3 - BUILDING FOOTPRINT
Legend
Residential
Mixed
Commercial
Park
Public & Semi-public
Educational
Health Services
Central/ State Govt. Property
Religious
Railway
Roads
Railway Line
Waterbody
Scale
0
0.3
Km
N
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Building Footprint Geospatial Data-AMRUT,
Survey by MPCST & T&CP


RATLAM
24 - SLOPE
Legend
Slope (Percent)
5 - 10 High
3 - 5
1 - 3
< 1 Low
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Carto DEM, MAPIT
To Nagda
To Dewas
To Dhamnoda
To Indore
To Ujjain
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
To Jhabua
To Sailana
To Jaisinghpur
To Bajna
To Bhanpur
To Dholakot
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

(Cartosat-1 Derived Digital Elevation Model) के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया गया है। ढलान के निर्धारण हेतु ग्रिड पद्धति से निम्नलिखित समीकरण इसका आधार है।

ढलान का प्रतिशत = (ऊँचाई में अंतर/दूरी में अंतर)X100

निवेश क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत क्षेत्रफल सारणी 2–सा–6 में दिया गया है।

ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

सारणी 2–सा– 6

क्र.	ढलान (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	<1	8590.02	83.25
2	1-3	1577.12	15.28
3	3-5	132.80	1.29
4	>5	18.19	0.18
योग		**10318.13**	**100.00%**

स्त्रोतः– भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.5 कंटूर

रतलाम निवेश क्षेत्र की भूमि की समुद्र सतह से ऊँचाई की जानकारी हेतु कंटूर मानचित्र निर्मित किया गया है।

2.3.1.6 मृदा

संपूर्ण जिले की मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करने हेतु "भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग" Soil & Land use Survey of India (SLUSI) जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से जानकारी प्राप्त की गई है। उक्त मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाईल विश्लेषण के आधार पर मिट्टी की उपयोगिता निर्धारित की गई है। मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर भूमि का कटाव, मिट्टी की बनावट तथा मिट्टी की गहराई के मानचित्र तैयार किये गये हैं। मृदा विश्लेषण सारणी 2–सा–7 में दर्शित है।

मृदा विश्लेषण

सारणी 2–सा– 7

क्र.	मिट्टी की संरचना	क्षेत्रफल (हे.में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	Clayey	1410.93	13.68
2	Clayey Skeletal	664.76	6.44
3	Fine	5934.75	57.52
4	Loamy Skeletal	24.85	0.24
5	Water body	219.01	2.12
6	Built up	2063.73	20.00
योग		**10318.13**	**100%**

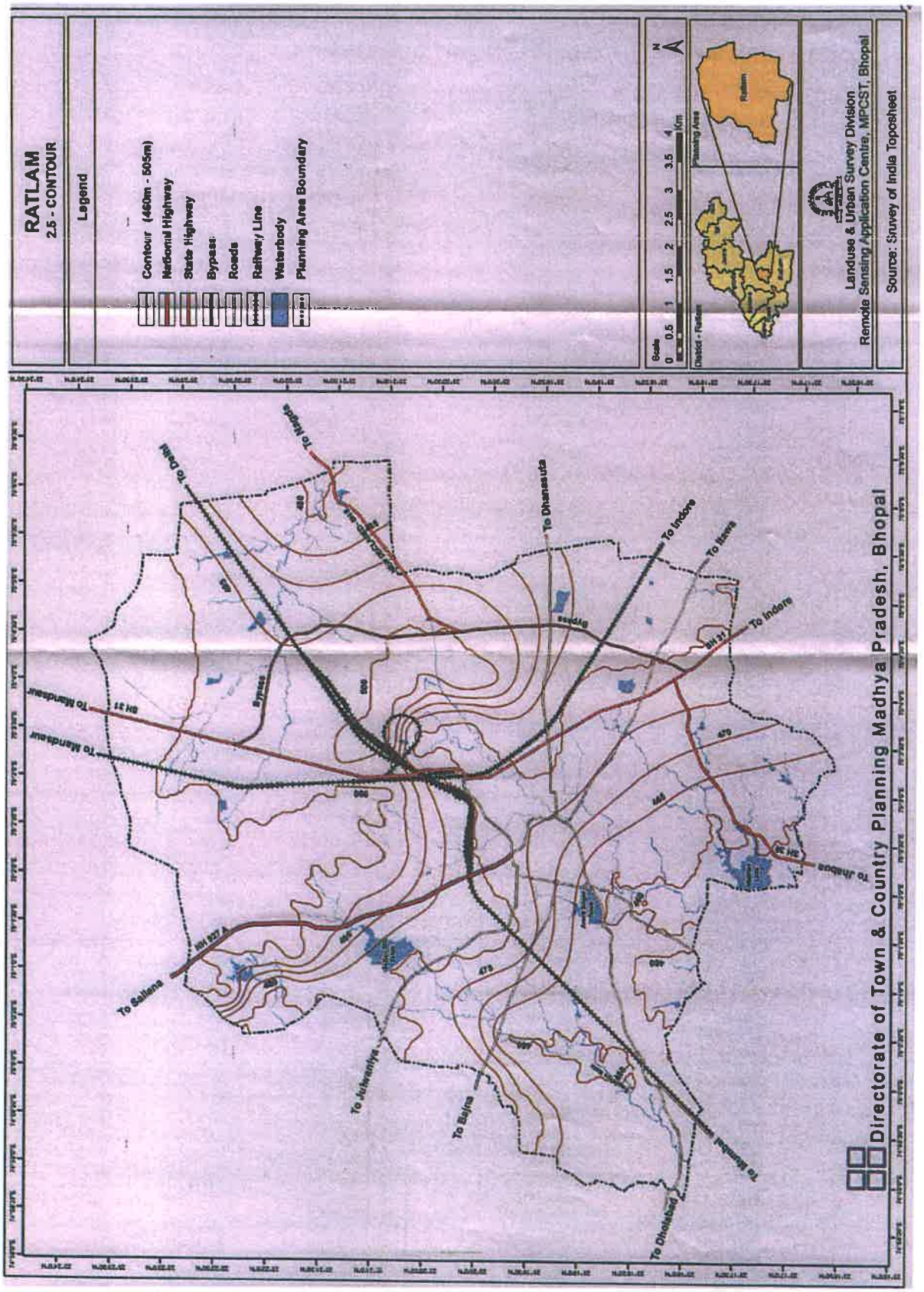
2.3.1.7 जलाशय

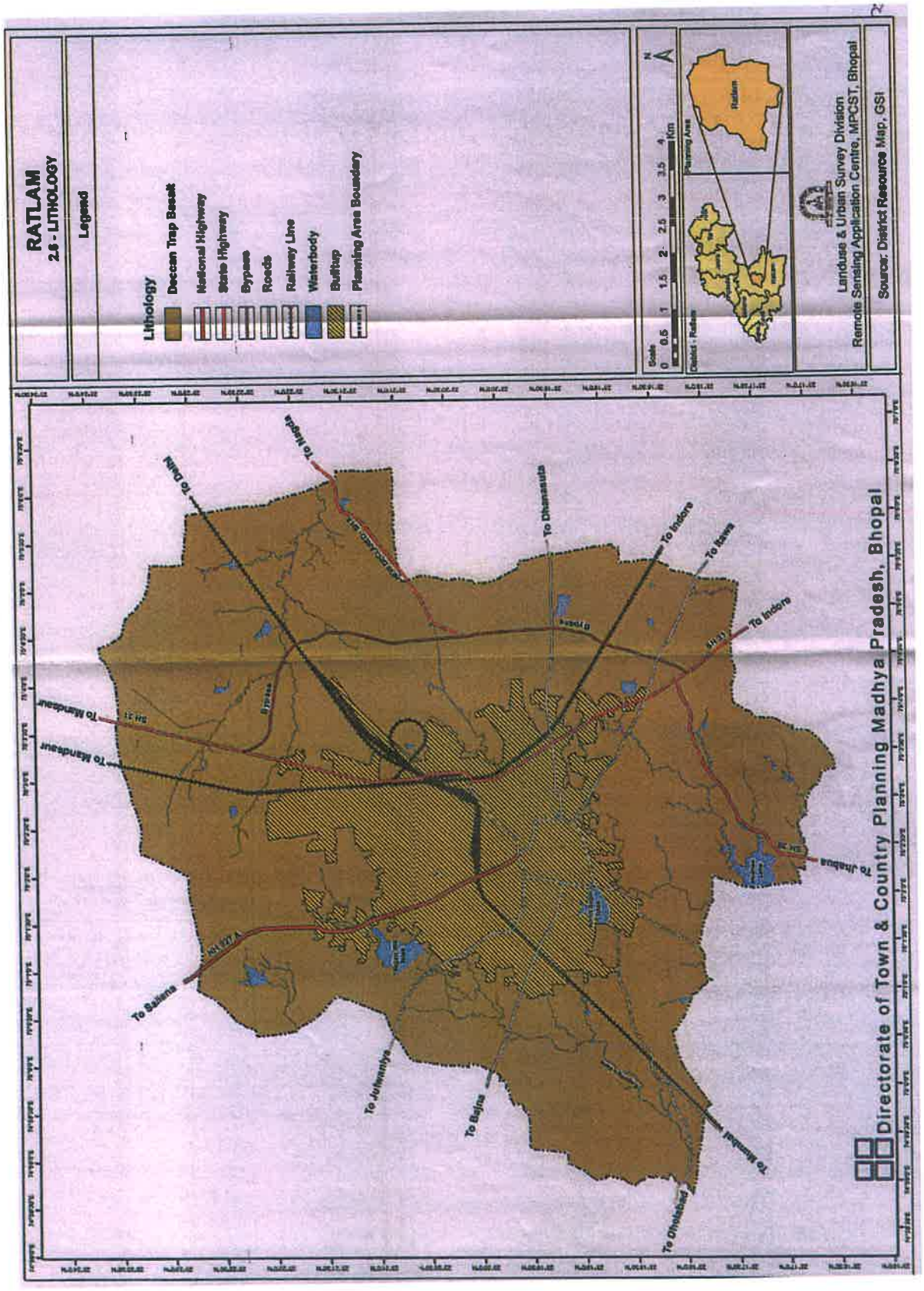
वर्ल्ड व्यू II (World View-II) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं अमृत योजना की वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर रतलाम निवेश क्षेत्र मे स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया है। अमृत योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 2–सा–8 में दर्शायी गई है।

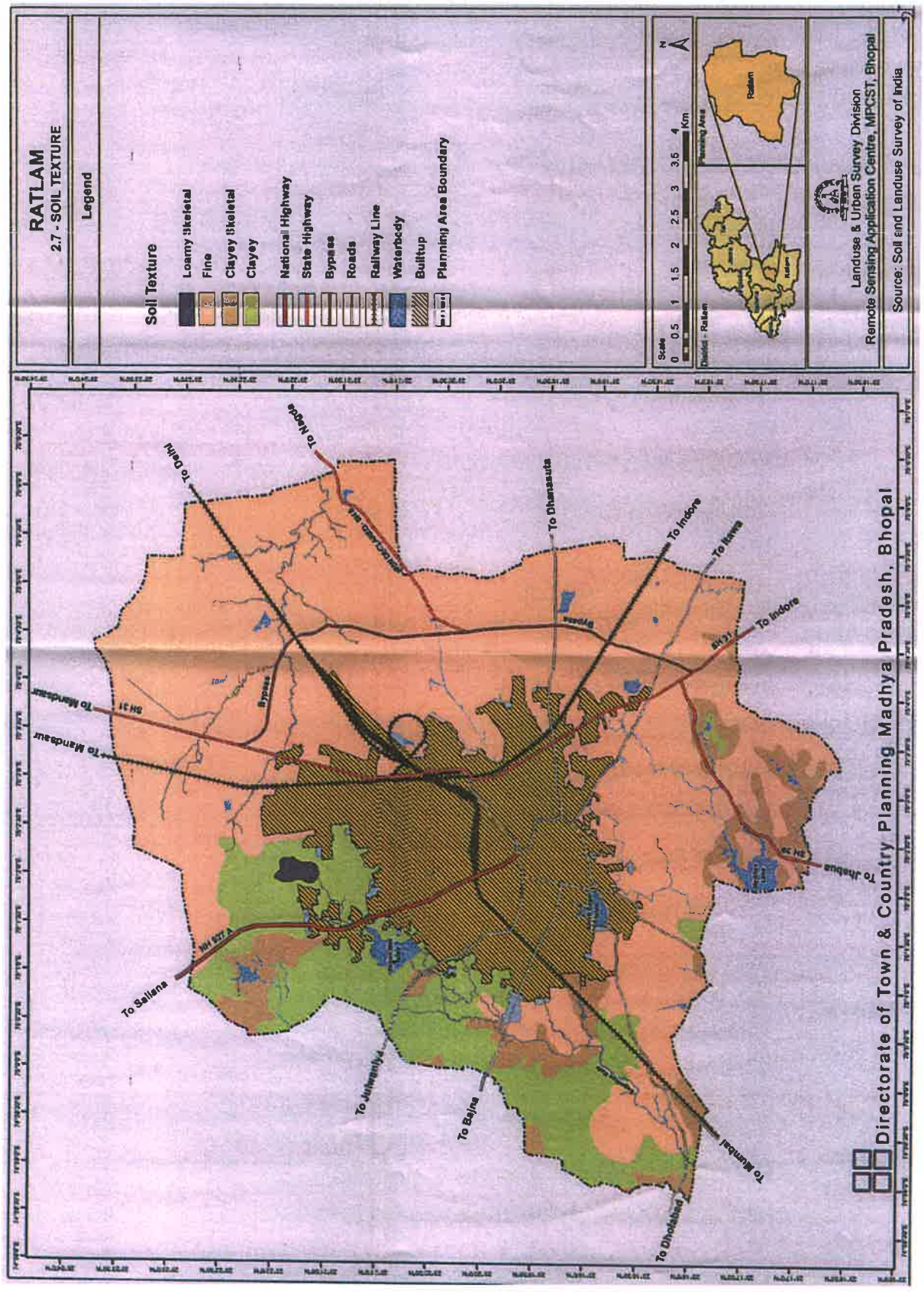
जलाशयों का वर्गीकरण

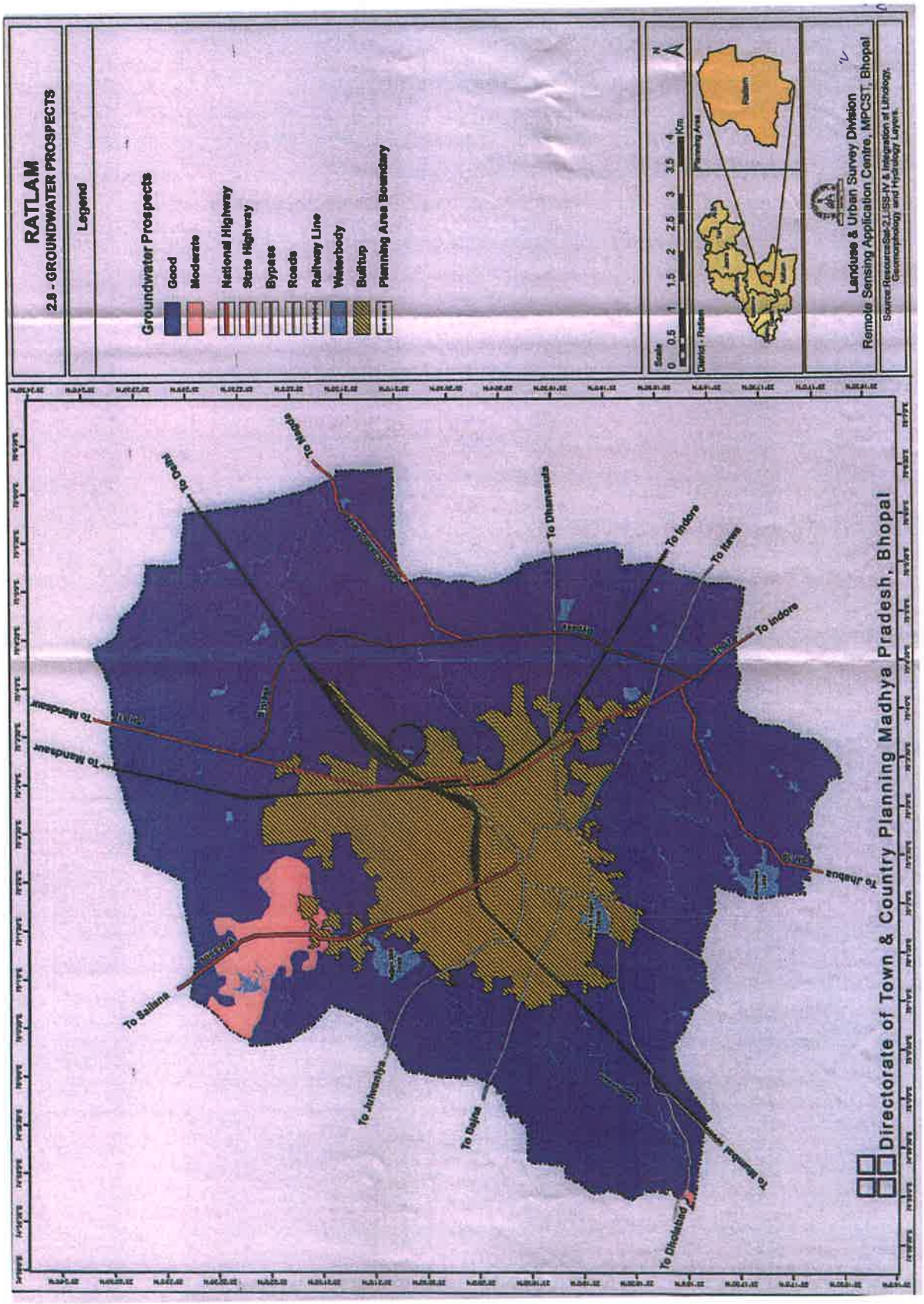
सारणी 2–सा– 8

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	05-01	Water Bodies	River
	05-02		Stream
	05-03		Canal
	05-04		Drain
	05-05		Pond
	05-06		Lake
	05-08		Island (River/Lake)
	05-09		Reservoir


RATLAM
2.5 - CONTOUR
Legend
Contour (460m - 505m)
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Survey of India Toposheet
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Neemuch
To Delhi
To Dhansuta
To Indore
To Ujjain
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
NH 31
Bypass
Bypass
NH 76
To Jhabua
NH 927 A
To Sailana
To Jaikanthya
To Bajna
To Dhokalkot


RATLAM
2.6 - LITHOLOGY
Legend
Lithology
Deccan Trap Basalt
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Builtup
Planning Area Boundary
Scale
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: District Resource Map, GSI
To Nagda
To Dhamnoda
To Indore
To Nawa
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
To Jhabua
To Sailana
To Jaitmaniya
To Bajna
To Sailana
To Dhikhadal
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal


RATLAM
2.7 - SOIL TEXTURE
Legend
Soil Texture
Loamy Skeletal
Fine
Clayey Skeletal
Clayey
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Builtup
Planning Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.6 4 Km
N
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Soil and Landuse Survey of India
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Neemuch
To Delhi
To Dhamnaud
To Indore
To Ujjain
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
To Jaora
To Salana
To Jaora
To Bajna
To Khachrod
To Dhokalband
Bypass
Bypass
SH 31
SH 31
SH 26
NH 927 A


RATLAM
2.8 - GROUNDWATER PROSPECTS
Legend
Groundwater Prospects
Good
Moderate
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Builtup
Planning Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source:Resourcesat-2 LISS-IV & Integration of Lithology, Geomorphology and Hydrology Layers.
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Neemuch
To Dhamnod
To Indore
To Kawa
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
To Jhabua
To Salkhna
To Jaora
To Dhekalkund
To Barwaha

2.3.1.8 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र

भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्टस् (Fractures and Faults), मिट्टी की जानकारी, ढलान की जानकारी, जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया एवं राष्ट्रीय भू–भौतिकीय अनुसंधान संस्थान (National Geophysical Research Institute) के आंकड़ों के आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया है। आपदा प्रबंधन योजना अंतर्गत रतलाम भूकंप प्रभावित क्षेत्र नहीं है।

2.3.1.9 भूमि मूल्य

महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा प्रकाशित बाज़ार मूल्य मार्गदर्शिका से निवेश क्षेत्र के कुल वार्ड के अन्तर्गत भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित कर बाज़ार मूल्य के संदर्भ में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया है।

भूमि मूल्य

सारणी 2–सा– 9

S. No.	Range Value	Ward Number
1	2	3
1	3000-50000	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 31, 37, 38
2	50000-100000	7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 36, 48
3	100000-150000	21, 32, 34, 35, 39, 40, 42, 46, 47
4	150000-200000	49, 41
5	200000-210000	43, 44 , 45

2.3.1.10 भू–आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड

रतलाम निवेश क्षेत्र को भू–आकृति की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है, जिसकी जानकारी सारणी क्रमांक 2–सा–10 में दर्शाई गयी है।

भू–आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

सारणी 2–सा– 10

क्र.	जिओमॉर्फोलॉजी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	फुटपाथ (Pediment)	334.12	3.24
2	पद स्थली (Pedi Plain)	9765.00	94.64
3	जलाशय (Water Body)	219.01	2.12
योग		**10318.13**	**100**

2.3.1.11 जल स्त्रोत बफर

रतलाम निवेश क्षेत्र में सम्मिलित मुख्य नालों एवं तालाबों का कुल क्षेत्रफल 219.01 हेक्टेयर है। तालाबों के चारों ओर 30.00 मीटर एवं नालों से 9.00 मीटर की दूरी तक निर्माण/विकास कार्य प्रतिबंधित किया गया है, जिससे तालाबों एवं नालों का मूल स्वरूप यथावत रहे। मुख्य जल स्त्रोतों से लगकर भू–जल संभावित क्षेत्र संबंधी जल स्त्रोत बफर की जानकारी निम्न सारणी क्रमांक 2–सा–11 में दर्शायी गयी है।

जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल

सारणी 2–सा– 11

क्र.	बफर (मी0 में)		क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल(प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1	अ	15	270.61	2.62
2		30	253.57	2.46
3		45	240.42	2.33
4		60	229.95	2.23
5		>60	6870.42	66.59
6	ब	Water Bodies	219.01	2.12
7		Road	170.41	1.65
8		Built Up	2063.74	20.00
कुल योग			**10318.13**	**100**

स्त्रोतः–भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.12 भूमि अवक्रमण (Land Degradation)

रतलाम निवेश क्षेत्र के अंतर्गत भूमि का अवक्रमण संबंधी जानकारी निम्न सारणी 2–सा–12 में दर्शायी गई है।

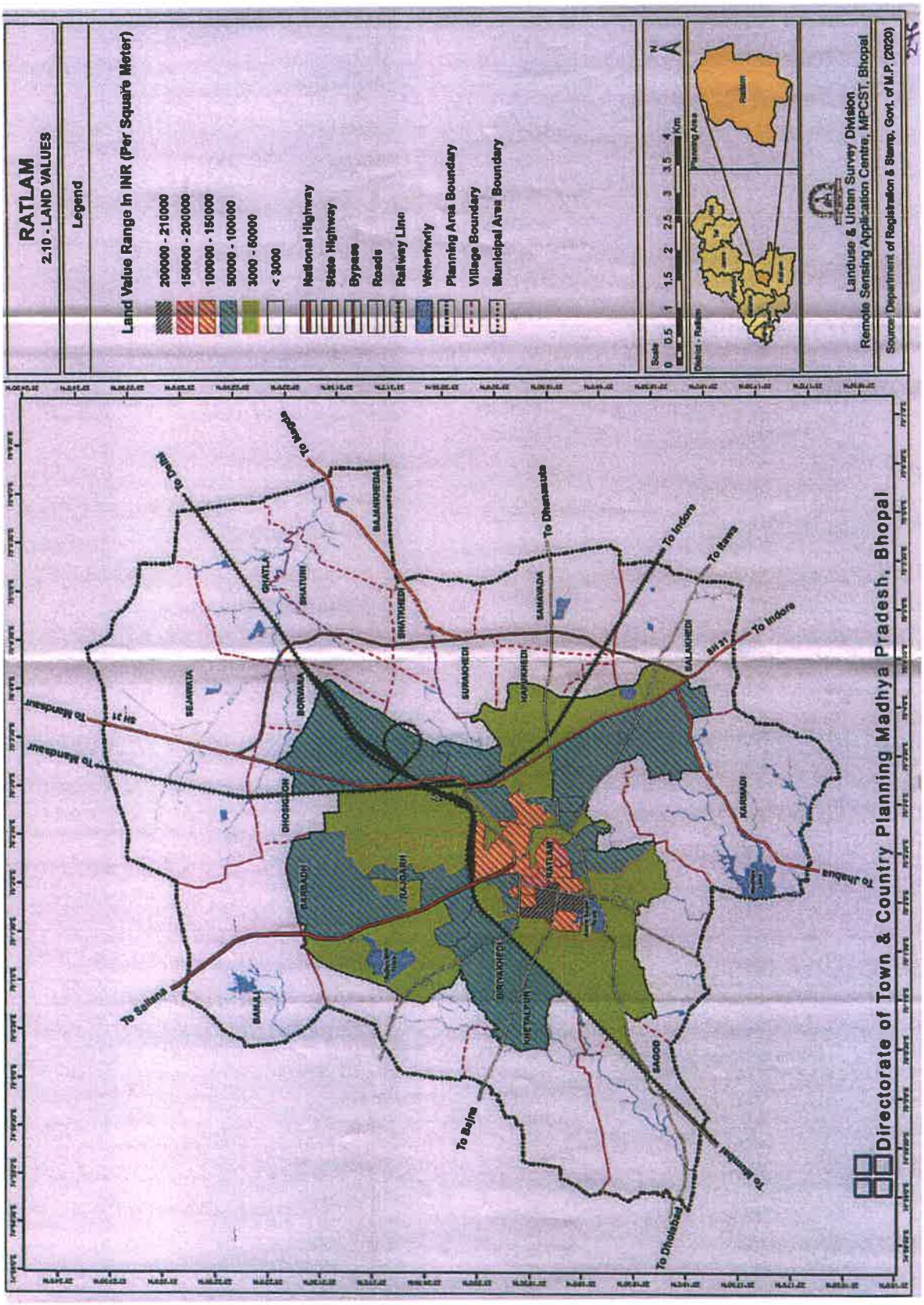
भूमि अवक्रमण

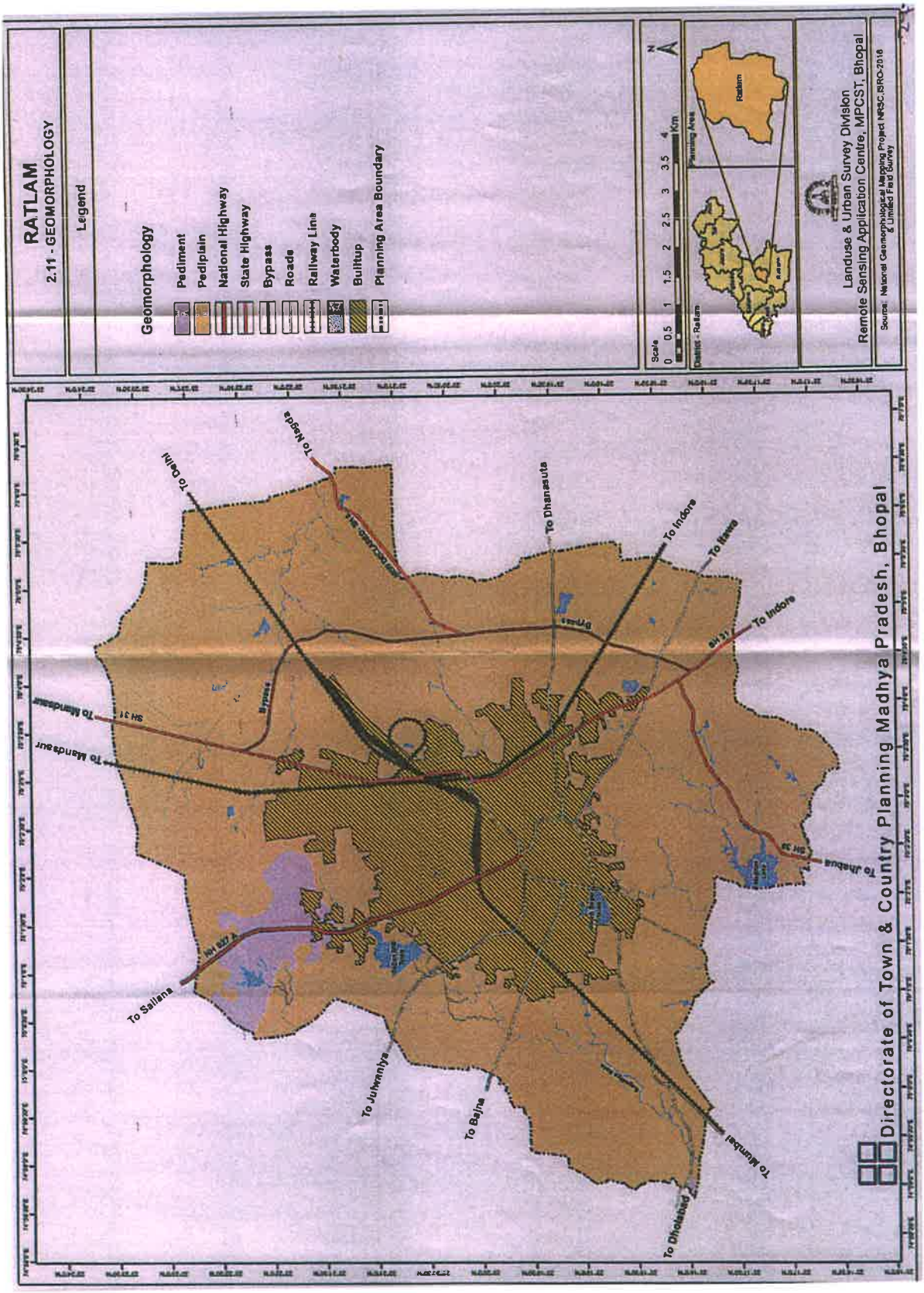
सारणी 2–सा– 12

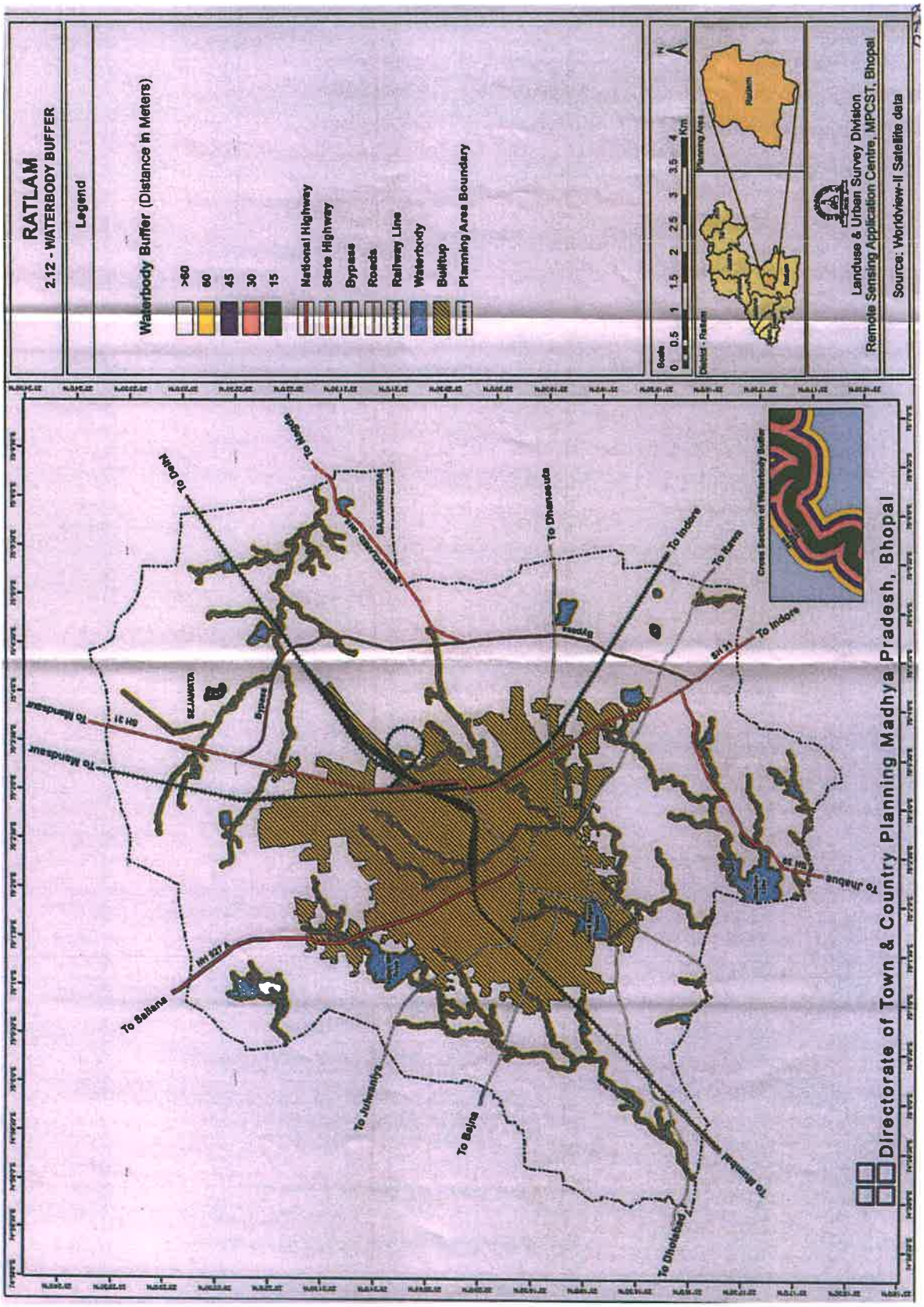
S. No.	Land Degradation Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3	3
1	Water Erosion- Gullies	163.63	42.51
2	Water Erosion-Rills	21.97	5.71
3	Water Erosion- Sheet	69.49	18.05
4	Mining- Surface/Open	129.82	33.73
योग		**384.91**	**100**

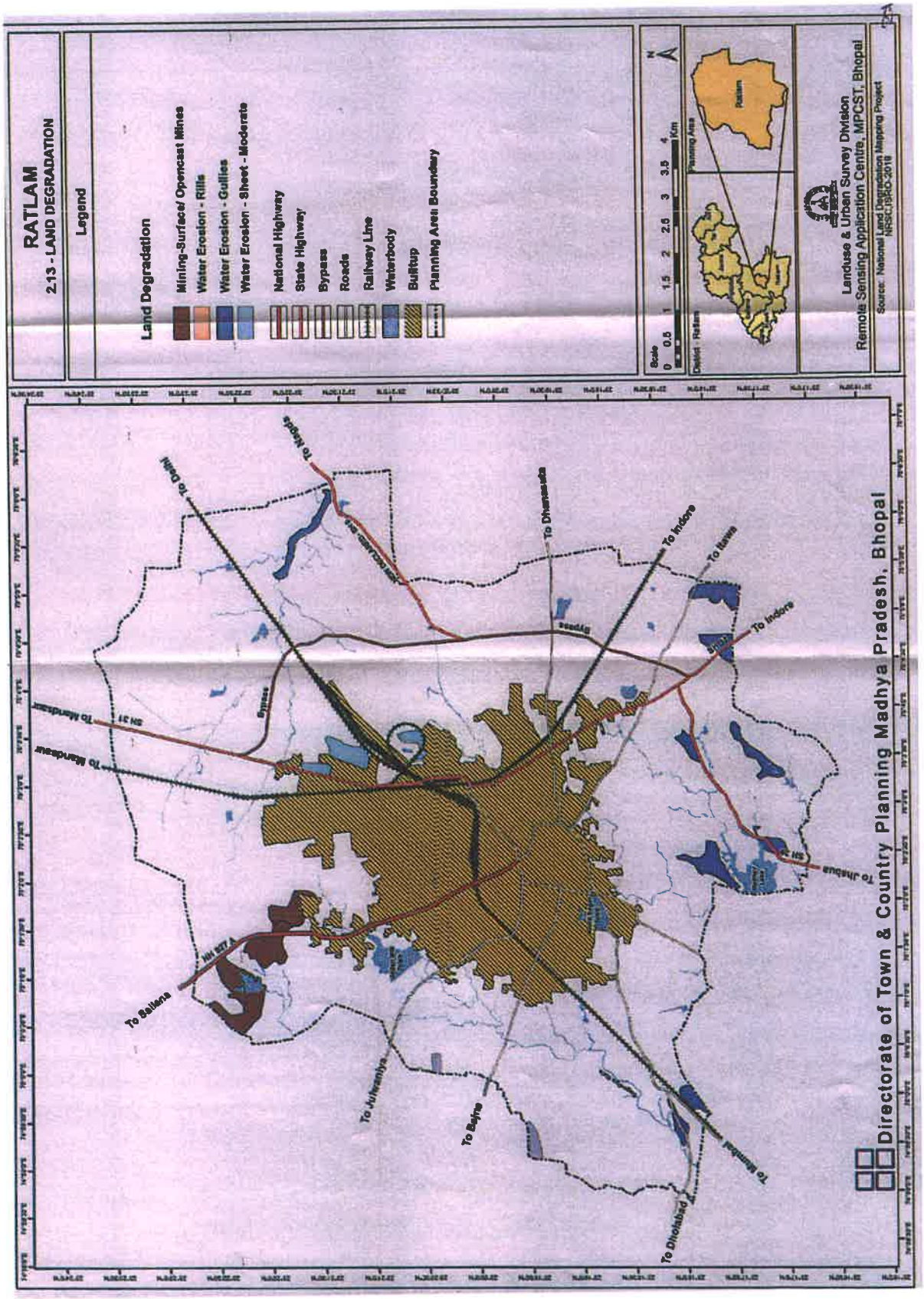
स्त्रोतः–भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण

MADHYA PRADESH
2.9 - EARTHQUAKE ZONES
Legend
EARTHQUAKE ZONES
ZONE-III Moderate Damage Risk Zone (MSK VII)
ZONE-II Low Damage Risk Zone (MSK VI OR Less)
Rail
National Highways
District Boundary
Waterbodies
Forest
Scale 0 30 60 90 120 150 180 210 240 Km
India
Madhya Pradesh
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Seismotectonic Atlas of India, GSI,GOI
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal


RATLAM
2.10 - LAND VALUES
Legend
Land Value Range in INR (Per Square Meter)
200000 - 210000
150000 - 200000
100000 - 150000
50000 - 100000
3000 - 50000
< 3000
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Department of Registration & Stamp, Govt. of M.P. (2020)
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Nagda
To Dewas
To Dhamnada
To Indore
To Itawa
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
To Sailana
To Jhabua
To Bajna
To Meghnagar
To Dholakot
SEJAWATA
BORKHEDA
DHORIGHON
RAJGARH
BARKHEDI
BAKANI
BAGOD
KARMADI
SURAKHEDI
SAKHAWADA
SALAKHEDI
SHATKHEDI
BHATUNI
BAJANKHEDA
NH 79
SH 31


RATLAM
2.11 - GEOMORPHOLOGY
Legend
Geomorphology
Pediment
Pediplain
National Highway
State Highway
Bypass
Roade
Railway Line
Waterbody
Builtup
Planning Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
Ratlam
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: National Geomorphological Mapping Project NRSC,ISRO-2016
& Limited Field Survey
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Neemuch
To Dalot
To Nagda
To Dhansuta
To Indore
To Rewa
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
To Ujjain
To Sailana
To Jaora
To Jhabua
To Jhirwaniya
To Bajna
To Mumbai
To Dholakot


RATLAM
2.12 - WATERBODY BUFFER
Legend
Waterbody Buffer (Distance in Meters)
>60
60
45
30
15
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Builtup
Planning Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Worldview-II Satellite data
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
Cross Section of Waterbody Buffer
To Nagda
To Dewas
To Mandsaur
To Mandsaur
To Sailana
To Jaora
To Indore
To Indore
To Dhamnoda
To Jhirnya
To Bajna
To Dhotaling
NH 927 A
SH 31
SH 31
NH 59
Bypass
Bypass
RAJAKHEDA
SEJAWATA


RATLAM
2.13 - LAND DEGRADATION
Legend
Land Degradation
Mining-Surface/ Opencast Mines
Water Erosion - Rills
Water Erosion - Gullies
Water Erosion - Sheet - Moderate
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Builtup
Planning Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: National Land Degradation Mapping Project
NRSC/ISRO-2018
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Nagda
To Delhi
To Dhamnada
To Indore
To Bawa
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
To Jhabua
To Ballena
To Jaswantpura
To Bajna
To Dhotabad
To Mandsaur
Bypass
Bypass

2.3.1.13 मार्ग संरचना बफर

मार्ग संरचना, भावी विकास के क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है। नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेंतु मार्गों के दोनों ओर बफर क्षेत्र निर्धारित किए गये हैं। मार्ग संरचना के अन्तर्गत मार्ग संरचना बफर की जानकारी निम्न सारणी 2–सा–13 में दर्शाई गई है।

मार्ग संरचना बफर

सारणी 2–सा– 13

क्र.	बफर (मी0 में)		क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल(प्रतिशत)
1	2		3	4
1.	अ	100	630.22	6.11
2.		200	764.89	7.41
3.		500	2047.75	19.85
4.		500 से अधिक	4422.11	42.86
5.	ब	Road	170.41	1.65
6.		Built Up	2063.73	20.00
7.		Water Bodies	219.01	2.12
कुल योग			**10318.13**	**100.00**

स्त्रोतः–भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.14 रेलवे स्टेशन

रतलाम, दिल्ली–मुम्बई एवं इन्दौर–अजमेर रेलवे लाइन का प्रमुख जंक्शन है। विगत वर्षों में रतलाम–अजमेर एवं रतलाम–इन्दौर मीटरगेज लाईन के स्थान पर ब्रॉडगेज लाईन प्रतिस्थापित की गई है। इस उन्नयन के साथ–साथ एक नवीन रेलवे प्लेटफार्म तथा रेलवे ओव्हरब्रिज का भी निर्माण हुआ है, जिससे यात्रियों एवं यातायात में सुगमता हुई है।

2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना आवश्यक है कि किसी भूमि का विकास किस प्रकार किया जावे। इस कारण भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक विशेषताएँ, नैसर्गिक अवरोध, सामाजिक एवं आर्थिक समानताएं महत्वपूर्ण हैं। मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है। भूमि उपयुक्तता का

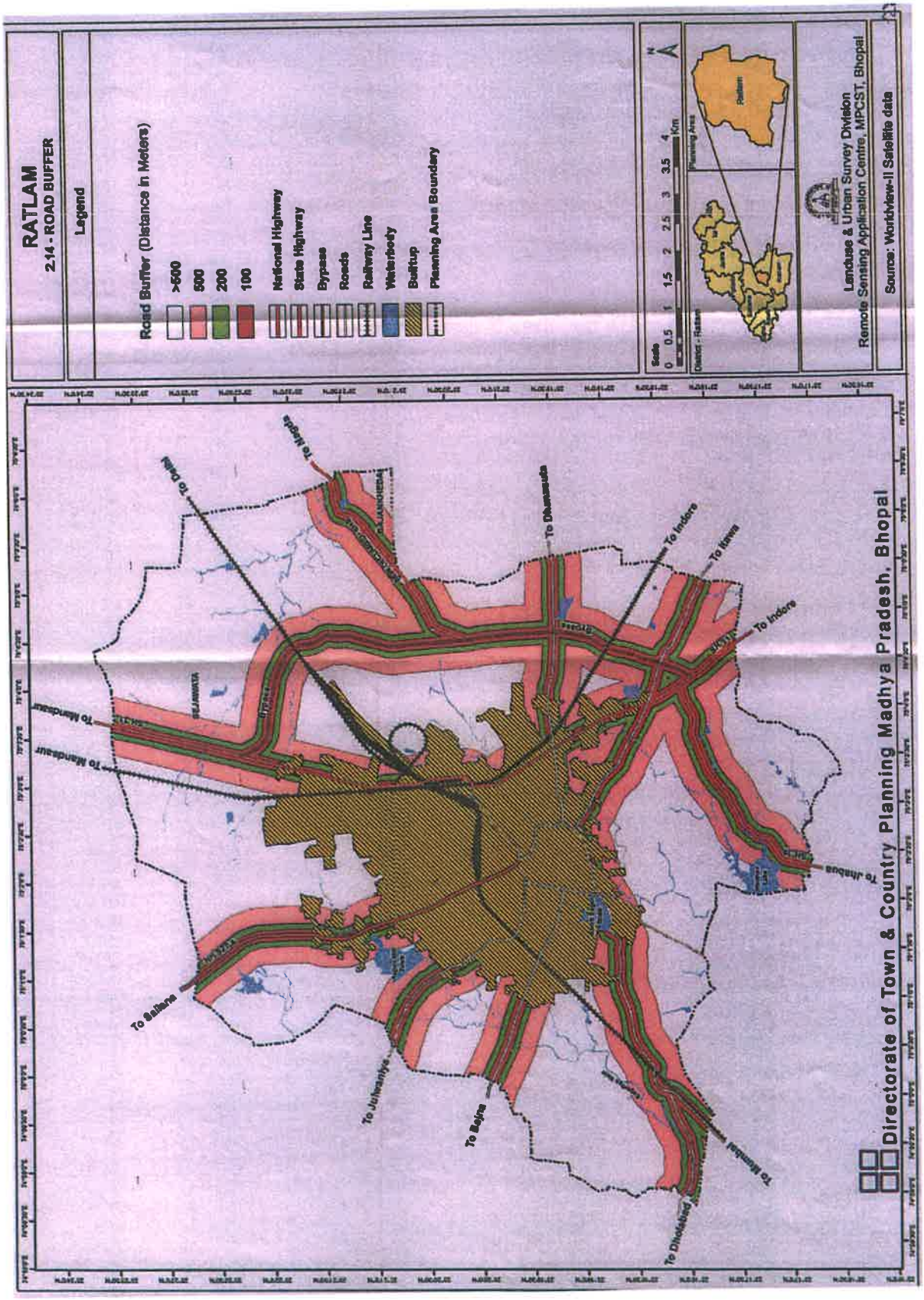
निर्धारण, भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर करता है। भूमि का मूल्य मुख्यतः तीन आधार पर निर्भर होता है–

1. भूमि का बाजार मूल्य जो पूर्ण विक्रय के आधार पर होता है।
2. प्राकृतिक संरचना के गुणात्मक मूल्यांकन पर।
3. संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य।

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जा सकते हैं। निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है बल्कि इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करता है एवं भूमि का विस्तृत वर्गीकरण, विभिन्न विकास हेतु करना संभव होता है। इसके अतिरिक्त भूमि उपयुक्तता निर्धारण हेतु भूमि की वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव भी महत्वपूर्ण है। यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा, उस दशा में उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर विकास हेतु ग्राह्य नहीं है का भी विकास होगा। अतः यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होगी तो बाजार के संदर्भ से उपयुक्तता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त संदर्भ में उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया जो इस अध्याय में उल्लेखित है को वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारित करने की दृष्टि से देखा गया है।

भूमि की उपयुक्तता हेतु बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण, स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन तकनीक से प्राप्त चित्र) किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण संभव हुआ है। रतलाम नगर के संदर्भ में एकीकृत भूमि उपयुक्तता विश्लेषण (Composite Land Suitability Analysis) अपनाई गई है। इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास/भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है एवं किस भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में अथवा विकास हेतु प्रतिबंधित/संरक्षित रखा जाना आवश्यक है। भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों पर विचार किया गया है।

1. वर्तमान भूमि उपयोग
2. मिट्टी का प्रकार
3. ढलान का प्रतिशत
4. बाढ़ आपदा
5. जलाशय
6. मार्ग संरचना


RATLAM
2.14 - ROAD BUFFER
Legend
Road Buffer (Distance in Meters)
>500
500
200
100
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Builtup
Planning Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Worldview-II Satellite data
To Jaora
To Dalot
To Dewas
To Indore
To Kawa
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
To Jhabua
To Sailana
To Jaisinghpur
To Sajra
To Bamboli
To Dholakheri
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

7. जियोमॉर्फोलॉजी
8. भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार)

उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है। भूमि उपयोग की सीमा की अवधारणा, भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से हैं। उदाहरण स्वरूप यदि ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है, कि अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्त्रोत (वित्तीय एवं जनशक्ति) आवश्यक होंगे। अतः ऐसी भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी। उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है।

उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है। इन घटकों के विश्लेषण की जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किये गये हैं।

2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प

निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व भूमि/नगरीय भूमि उपयुक्तता के घटकों के विश्लेषण के आधार पर विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं। इन विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे घटक के परस्पर संबंधों पर निर्धारित किया गया है। भूमि उपयुक्तता के विकल्पों का वर्णन सारणी 2–सा–14 में दिया गया है।

Weighted Index For Composite Land Suitability [Model-1]

सारणी 2–सा– 14

S. No.	Theme	Theme Weight	Class	Class Weight
1	2	3	4	5
1	Land Use	25	Agriculture	7
2			Vacant Land	9
3			Wasteland	8
4			Builtup	0
5			Green Area	0
6			Waterbody	0
1	Geomorphology	20	Pediplain	9
2			Pediment	7
3			Waterbody	0
1	Ground Water Prospects	10	Good	1
2			Moderate	3
3			Waterbody	0
1	Soil Texture	05	Loamy Skeletal	9
2			Fine	7
3			Clayey	6
4			Clayey Skeletal	5
5			Waterbodies	0
6			Builtup	0
1	Road Buffer	10	100 m	9
2			200 m	7
3			500 m	5
4			>500 m	3
1	Water Bodies Buffer	10	15 m	1
2			30 m	3
3			45 m	5
4			60 m	7
5			>60 m	9
1	Slope	10	0-1 %	9
2			1-3 %	7
3			3-5 %	5
4			5-10 %	3
1	Land Value	10	< 3000	9
2			3000-50000	7
3			50000-100000	5
4			100000-150000	2
5			150000-200000	0
6			200000-210000	0

Weighted Index For Composite Land Suitability [Model-2]

S. No.	Theme	Theme Weight	Class	Class Weight
1	2	3	4	5
1	Land Use	20	Agriculture	7
2			Vacant Land	9
3			Wasteland	8
4			Builtup	0
5			Green Area	0
6			Waterbody	0
1	Geomorphology	10	Pediplain	9
2			Pediment	7
3			Waterbody	0
1	Ground Water Prospects	10	Good	1
2			Moderate	3
3			Waterbody	0
1	Soil Texture	05	Loamy Skeletal	9
2			Fine	7
3			Clayey	6
4			Clayey Skeletal	5
5			Water Bodies	0
6			Builtup	0
1	Road Buffer	15	100 m	9
2			200 m	7
3			500 m	5
4			>500 m	3
1	Water Bodies Buffer	15	15 m	1
2			30 m	3
3			45 m	5
4			60 m	7
5			>60 m	9
1	Slope	15	0-1 %	9
2			1-3 %	7
3			3-5 %	5
4			5-10 %	3
1	Land Value	10	< 3000	9
2			3000-50000	7
3			50000-100000	5
4			100000-150000	2
5			150000-200000	0
6			200000-210000	0

Weighted Index For Composite Land Suitability [Model-3]

S. No.	Theme	Theme Weight	Class	Class Weight
1	2	3	4	5
1	Landuse	14	Agriculture	7
2			Vacant Land	9
3			Wasteland	8
4			Builtup	0
5			Green Area	0
6			Waterbody	0
1	Geomorphology	12	Pediplain	9
2			Pediment	7
3			Waterbody	0
1	Ground Water Prospect	12	Good	1
2			Moderate	3
3			Water Body	0
1	Soil Texture	12	Loamy Skeletal	9
2			Fine	7
3			Clayey	6
4			Clayey Skeletal	5
5			Waterbodies	0
6			Builtup	0
1	Road Buffer	14	100 m	9
2			200 m	7
3			500 m	5
4			>500 m	3
1	Water Bodies Buffer	12	15 m	1
2			30 m	3
3			45 m	5
4			60 m	7
5			>60 m	9
1	Slope	12	0-1 %	9
2			1-3 %	7
3			3-5 %	5
4			5-10 %	3
1	Land Value	12	< 3000	9
2			3000-50000	7
3			50000-100000	5
4			100000-150000	2
5			150000-200000	0
6			200000-210000	0

स्त्रोतः– भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण

टीप: भूमि उपयोग, जियोमॉर्फोलॉजी एवं जलाशय बफ़र को मूल्यांकन वरीयता प्रदान की गई है।

घटकों को नगरीय उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की गई, जो 8 मानचित्रों का एकीकरण परिणाम है। इन मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के कारण कई सिल्वर पॉलीगॉन निर्मित हुए। उक्त पॉलीगॉन को संस्पर्शी पॉलीगॉन में विसर्जित किया गया, जिसका आधार स्थल संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खंड (Minimum Mappable Unit) है। एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है एवं प्रत्येक श्रेणी में सभी घटकों के चरित्र विद्यमान हैं, जो भूमि उपयुक्तता हेतु आवश्यक हैं। प्रत्येक श्रेणी की मूल्यांकन वरीयता उक्त घटक के महत्व के आधार पर एवं एक दूसरे से तुलना के आधार पर की गई।

संयुक्त उपयोगिता संकेतक (Composite Suitability Index) की गणना 8 घटकों के मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर प्राप्त किया गया। सी.एस.आय. को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया। इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात का सूचक है कि सक्षमता की सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में कितनी है अर्थात् न्यूनतम, अधिकतम, सी.एस.आय. का औसत एवं स्तरीय डेविएशन (Standard Deviation) का उपयोग वर्गीकरण हेतु किया गया है। सी.एस. आय. मूल्यांकन का अधिक होना नगरीय विकास हेतु उच्च वरीयता का घोतक होगा। कम सी. एस.आय. मूल्यांकन का संदर्भ नगर विकास हेतु कम मूल्यांकन परंतु संरक्षण हेतु उच्च वरीयता से है।

Land Suitability Area [Model-1]

सारणी 2–सा– 16

Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3
Highly Suitable	1026.42	9.95
Moderately Suitable	6017.98	58.32
Less Suitable	106.62	1.03
Not Suitable	3167.11	30.69
Grand Total	**10318.13**	**100.00**

Land Suitability Area [Model-2]

Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3
Highly Suitable	329.90	3.20
Moderately Suitable	5877.80	56.97
Less Suitable	943.32	9.14
Not Suitable	3167.11	30.69
Grand Total	**10318.13**	**100**

Land Suitability Area [Model-3]

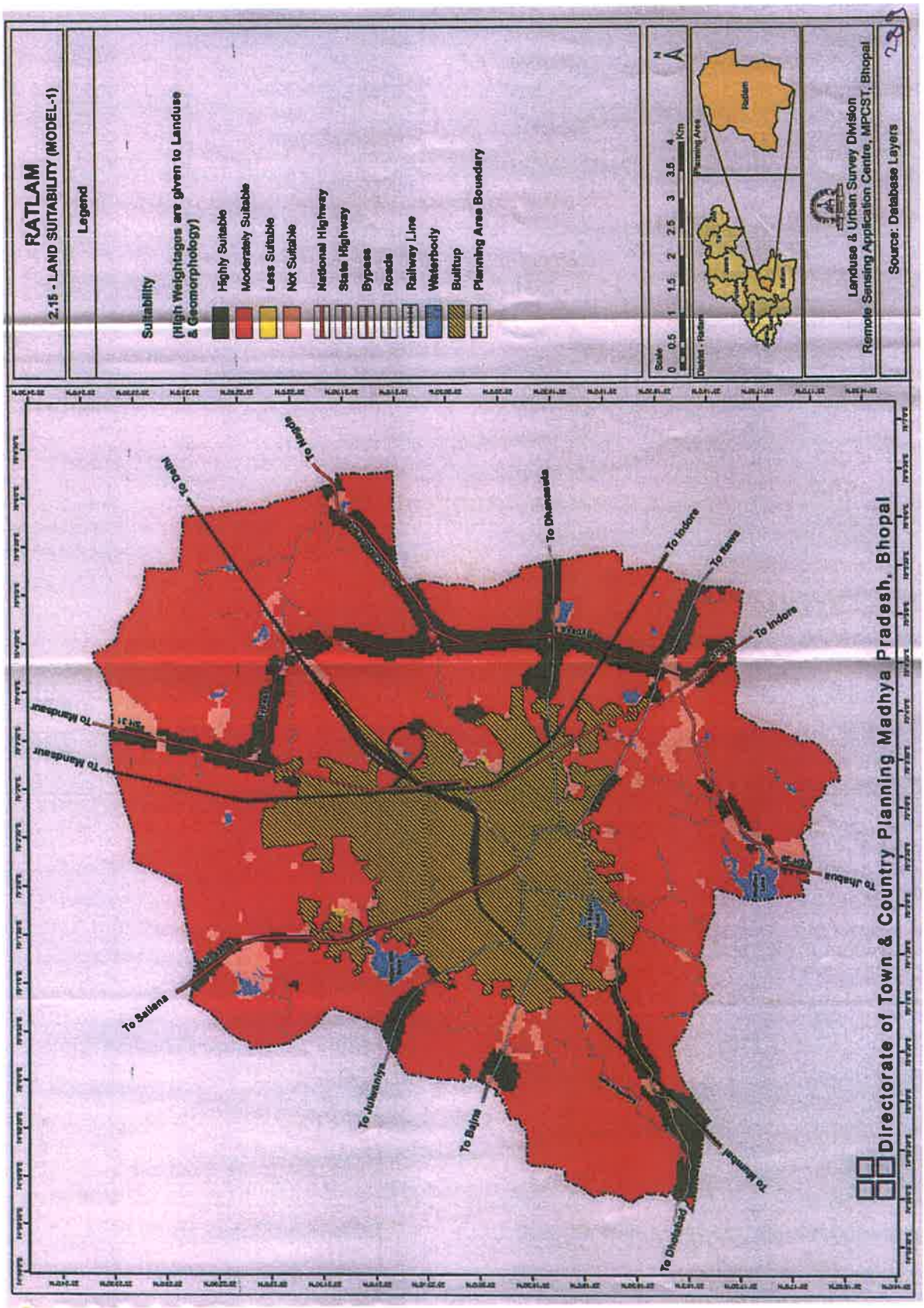
Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3
Highly Suitable	314.23	3.05
Moderately Suitable	6826.44	66.16
Less Suitable	10.35	0.10
Not Suitable	3167.11	30.69
Grand Total	**10318.13**	**100.00**

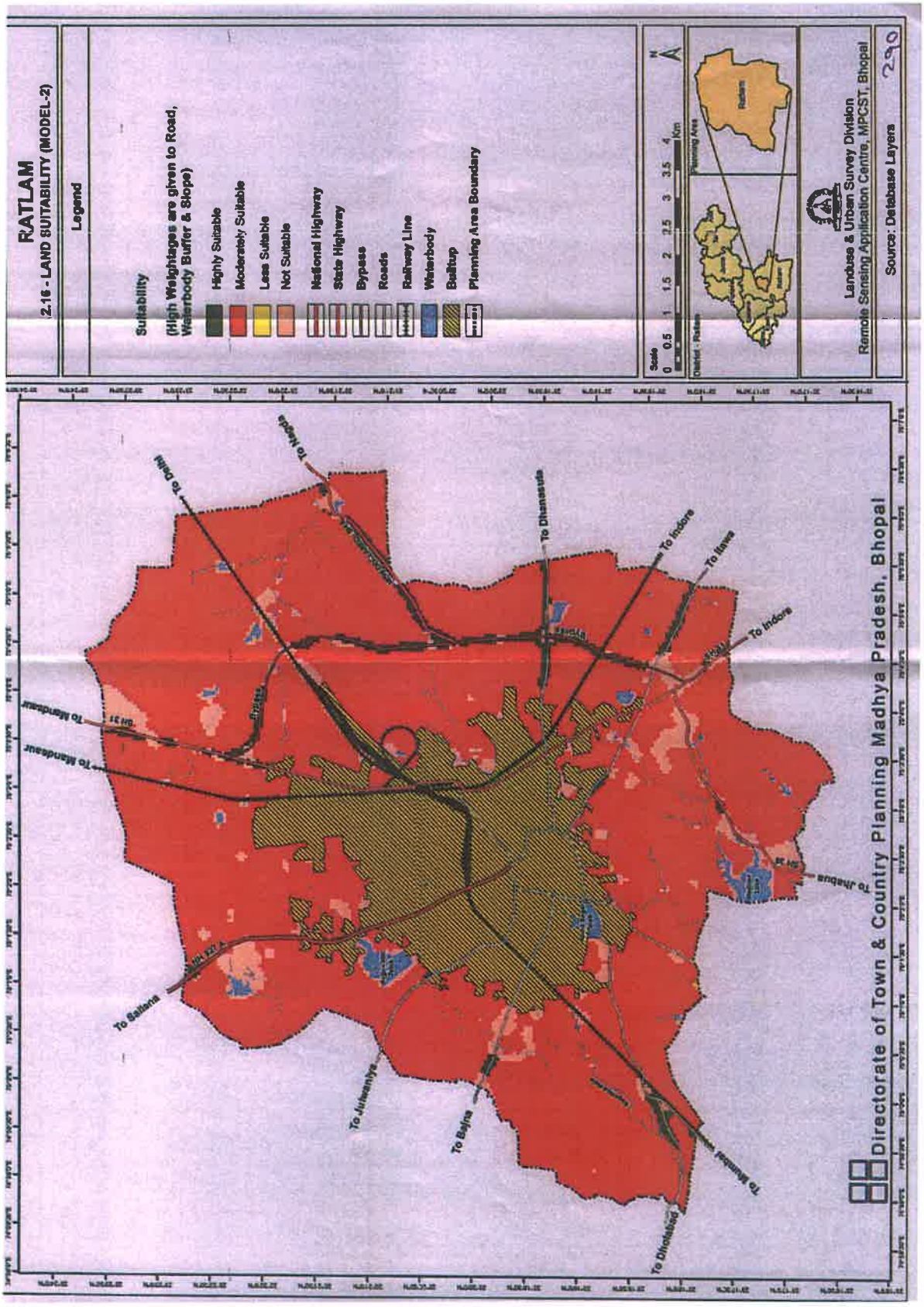
नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु Model-1, Model-2 एवं Model-3 तैयार किये गये है। जिसे सारणी 2–सा–15 में दर्शाया गया है। उपरोक्त तीनों सारणीयों में से भूमि उपयुक्तता के संदर्भ में Model-3 में Highly Suitable एवं Moderately Suitable का प्रतिशत 69.21 है जो की Model-1 एवं Model-2 की तुलना में अधिक है। अतः Model-3 का चयन अंतिम रूप से रतलाम विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया है।

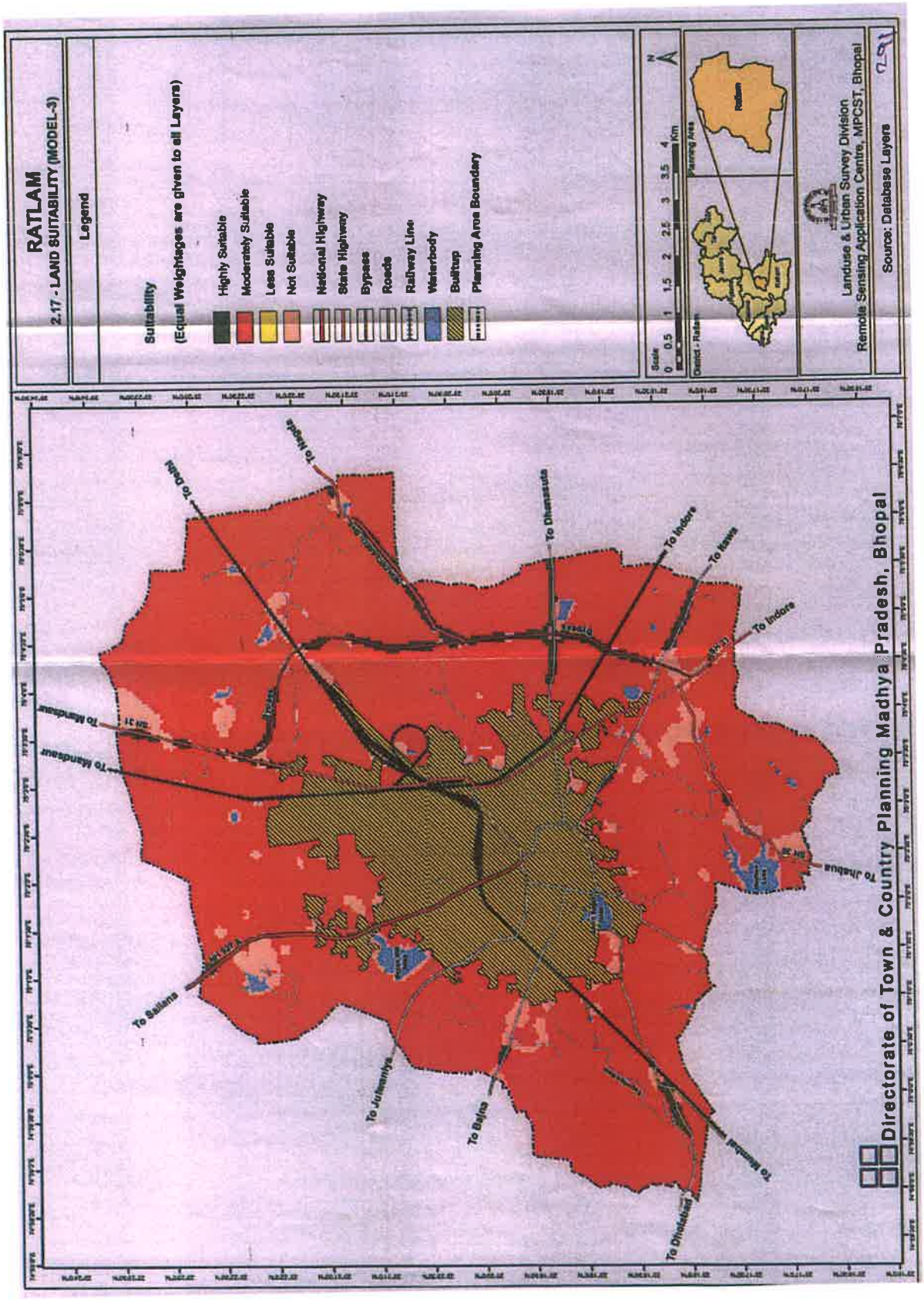
2.5 भूमि उपयोग का आवंटन

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात् भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा प्रसारित Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाइन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया।

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है। पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में उपरोक्त प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है। इसके अंतर्गत उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात् भूमि उपयोग मानचित्र वस्तुस्थिति के अनुरूप तैयार करना एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है। इसी कार्यप्रणाली के आधार पर रतलाम निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव का चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई, जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है।


RATLAM
2.15 - LAND SUITABILITY (MODEL-1)
Legend
Suitability
(High Weightages are given to Landuse & Geomorphology)
Highly Suitable
Moderately Suitable
Less Suitable
Not Suitable
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Builtup
Planning Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Database Layers
To Neemuch
To Dhamnoda
To Indore
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
To Sailana
To Jaora
To Jaoraniya
To Bajna
To Ratlam
To Dhamnod
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal


RATLAM
2.16 - LAND SUITABILITY (MODEL-2)
Legend
Suitability
(High Weightages are given to Road, Waterbody Buffer & Slope)
Highly Suitable
Moderately Suitable
Less Suitable
Not Suitable
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Builtup
Planning Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District : Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Database Layers
290
To Nagda
To Dahod
To Dhamnoda
To Indore
To Ilawa
To Indore
To Ratlam
To Ratlam
To Jhabua
To Sailana
To Jaisinghpur
To Bajna
To Banswara
To Dholakot
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal


RATLAM
2.17 - LAND SUITABILITY (MODEL-3)
Legend
Suitability
(Equal Weightages are given to all Layers)
Highly Suitable
Moderately Suitable
Less Suitable
Not Suitable
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Builtup
Planning Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Database Layers
To Nagda
To Dahod
To Dhamnoda
To Indore
To Kasra
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
To Jhabua
To Sailana
To Jaitaniya
To Bajna
To Dhodhsar
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

अध्याय 3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण

3.1 विकास योजना–2021 क्रियान्वयन परिदृश्य

रतलाम नगर सुधार न्यास द्वारा नगर के विकास के कार्य वर्ष 1961 से 1994 तक किये गये। वर्ष 1994 में रतलाम सुधार न्यास का विलय नगर पालिक निगम में हो गया। नगर का विकास मुख्यतः निजी व्यक्तियों एवं रेलवे द्वारा किया गया है। विकास योजना का क्रियान्वयन सार्वजनिक सुविधाओं एवं अधोसंरचना (यातायात) विकास के संदर्भ में प्रमुख रूप से प्रभावित हुआ है। कुछ क्षेत्रों में असंगत भूमि उपयोग का विस्तार, अवैध बस्तियों की संख्या में वृद्धि, अप्रभावी भूमि उपयोग नियंत्रण, अपर्याप्त सामाजिक आधार भू–संरचना एवं अपेक्षित भूमि विकास नहीं होना इत्यादि प्रमुख समस्या रही है। विशेषकर निम्न बिन्दुओं पर पर्याप्त प्रबंधन के अभाव में योजना प्रभावित हुई है :–

- नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी का गठन विलंब से होना तथा गठन के पश्चात् भी प्राधिकरण में मानव संसाधन की कमी।
- संस्थागत संरचना के लिए भूमि आपूर्ति एवं नगर प्रबंधन व प्रक्रिया।
- वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त रूप से समय पर उपलब्धता।
- निजी निवेश के लिए संस्थाओं को प्रोत्साहित करने संबंधी प्रयास।
- योजना क्रियान्वयन संस्थाओं का आपस में समन्वय न होना।

अतः क्रियान्वयन संबंधी प्रभावी नियंत्रण के अभाव में अधिकांश क्षेत्रों में अवांछनीय, अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास, गंदी बस्तियों का विकास तथा भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना रहित क्षेत्रों का विकास हुआ है।

3.2 विकास योजना 2021 क्रियान्वयन का मूल्यांकन

रतलाम विकास योजना में वर्ष 2021 की जनसंख्या 3.50 लाख प्रक्षेपित की गई थी। वर्ष 2011 में रतलाम नगर की जनसंख्या 2.65 लाख प्राप्त हुई। पुनर्विलोकन विकास योजना 2021 में विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत 3.5 लाख आबादी हेतु 4162 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई थी। वर्ष 2019 तक भूमि उपयोग अनुसार क्रियान्वयन स्तर सारणी 3–सा–1 में दर्शाया गया है।

विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन*

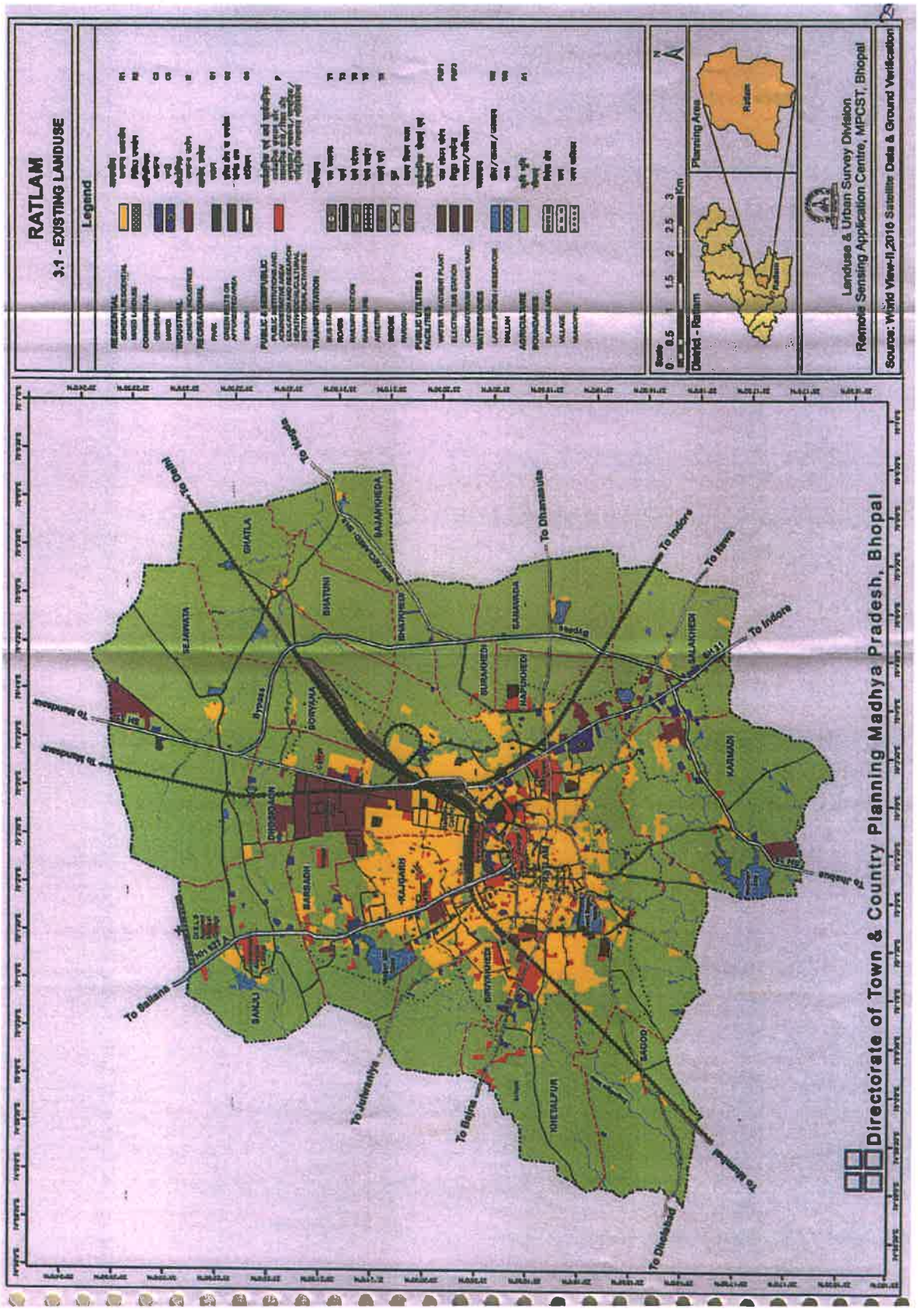
सारणी 3–सा– 1

क्र.	भूमि उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हेक्टेयर में)		विकसित क्षेत्रफल 2019 (हेक्टेयर में)		विकास योजना का क्रियान्वयन का प्रतिशत	विकास के लिए उपलब्ध भूमि
		क्षेत्र	दर	क्षेत्र	दर		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	2200.00	6.29	1161.60	3.32	52.80	1038.40
2	वाणिज्यिक	210.00	0.60	89.20	0.25	42.48	120.80
3	औद्योगिक	500.00	1.43	261.00	0.75	52.20	239.00
4	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक /सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधायें	222.00	0.63	258.48	0.74	116.43	36.48
5	आमोद–प्रमोद	430.00	1.23	60.79	0.17	14.14	369.21
6	यातायात एवं परिवहन	600.00	1.71	616.84	1.76	102.81	-16.84
योग		**4162.00**	**11.89**	**2447.91**	**6.99**	**58.82**	**1714.09**

स्त्रोतः– नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण

* रतलाम विकास योजना 2021 के अध्याय 2 की सारणी क्रमांक 2–सा–5 रतलामः भूमि आवंटन 2021 के अनुसार क्रियान्वयन का मूल्यांकन।

रतलाम विकास योजना 2021 के अध्याय 2 की सारणी क्रमांक 2–सा–5 रतलामः भूमि आवंटन 2021 के अनुसार क्रियान्वयन का मूल्यांकन एवं विकास योजना 2021 (मानचित्र) दोनों के प्रस्तावित क्षेत्रों में भिन्नताएं हैं, चूंकि विकास योजना का मानचित्र ही विकास योजना क्रियान्वयन का मुख्य आधार होता है, इस कारण से विकास योजना 2021 के प्रस्तावित मानचित्र अनुसार जी.आई.एस से प्राप्त क्षेत्रफल को आधार मानते हुए क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया है, जो की सारणी क्रमांक 3–सा–2 मे दर्शाया गया है।


RATLAM
3.1 - EXISTING LANDUSE
Legend
Planning Area
Ratlam
District - Ratlam
Land use & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: World View-II,2010 Satellite Data & Ground Verification
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Neemuch
To Dhamnod
To Indore
To Rewa
To Indore
To Jaora
To Jaora
To Nagda
To Jaora
To Jaora
To Jaora

विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार)

सारणी 3–सा– 2

क्र.	भूमि उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हेक्टेयर में)		विकसित क्षेत्रफल 2019 (हेक्टेयर में)		विकास योजना का क्रियान्वयन का प्रतिशत	विकास के लिए उपलब्ध भूमि
		क्षेत्र	दर	क्षेत्र	दर		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	2569.87	7.34	1161.60	3.32	45.20	1408.27
2	वाणिज्यिक	196.32	0.56	89.20	0.25	45.44	107.12
3	औद्योगिक	547.33	1.56	261.00	0.75	47.69	286.33
4	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक / सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधायें	279.83	0.80	258.48	0.74	92.37	21.35
5	आमोद–प्रमोद	629.54	1.80	60.79	0.17	9.66	568.75
6	यातायात एवं परिवहन	1007.73	2.88	616.84	1.76	61.21	390.89
योग		**5230.61**	**14.94**	**2447.91**	**6.99**	**46.80**	**2782.71**

स्त्रोतः– नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि विकास योजना 2021 के लगभग 46.80 प्रतिशत प्रस्ताव क्रियान्वित किये जा चुके हैं। कुछ भूमि उपयोगों का क्रियान्वयन कम हुआ है। वर्ष 2019 की प्रक्षेपित जनसंख्या 3,50,000 के आधार पर विभिन्न उपयोग के अंतर्गत क्रियान्वयन स्थिति निम्नानुसार है :–

3.2.1 आवासीय

रतलाम विकास योजना 2021 में आवासीय भूमि उपयोग अंतर्गत 2569.87 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया था, जिसमें से लगभग 1161.60 हेक्टेयर क्षेत्र वर्तमान में आवासीय उपयोग अंतर्गत विकसित हुआ है, जो 45.20 प्रतिशत आता है। इसके अंतर्गत शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं के साथ–साथ नगर सुधार न्यास, म.प्र. गृह निर्माण मण्डल तथा निजी

व्यक्तियों एवं कॉलोनाईजर द्वारा कॉलोनियों का विकास शामिल है। नगर सुधार न्यास एवं म.प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा लगभग 211 हेक्टेयर भूमि पर विकास किया है। विगत वर्षों में निजी कॉलोनाईजर द्वारा भी आवासीय विकास की योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। रतलाम विकास प्राधिकरण द्वारा भी 4 योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। निजी विकासकर्ताओं द्वारा मुख्य रूप से सैलाना रोड पर आवासीय योजनाओं को विकसित किया जा रहा है। नगर पालिक निगम क्षेत्र में कुल 32 झुग्गी बस्ती चिन्हित की गई हैं, जिसमें 17 शासकीय भूमि पर हैं।

3.2.2 वाणिज्यिक

रतलाम विकास योजना 2021 में वाणिज्यिक उपयोग अंतर्गत 196.32 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से वर्तमान में लगभग 89.20 हेक्टेयर भूमि पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ संचालित हैं, जो इस भूमि उपयोग अंतर्गत 45.44 प्रतिशत विकास दर्शाता है।

वाणिज्यिक क्रियान्वयन

सारणी 3–सा– 3

क्र.	विवरण	विकास योजना 2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल	क्रियान्वयन स्थिति वर्ष–2019
1	2	3	4
1	थोक, फुटकर एवं विशिष्ट बाजार	निवेश इकाई क्रमांक–2, 4 एवं 5	अविकसित
2	भंडारण, शीतगृह एवं गोदाम	बस स्टेण्ड के पास इंदोर मार्ग पर मंण्डी क्षेत्र	अर्धविकसित
3	मण्डियां		
(अ)	कृषि उपज मण्डी	निवेश इकाई क्रमांक–1	विकसित
(ब)	सब्जी एवं फल बाजार	निवेश इकाई क्रमांक–1	विकसित
(स)	लकड़ी एवं भवन सामग्री	निवेश इकाई क्रमांक–1 एवं 5	अविकसित
(द)	घास मण्डी	निवेश इकाई क्रमांक–1	अविकसित
(इ)	थोक सब्जी मंडी	चमारिया नाका	अविकसित
4	वर्गीकृत बाजार		
(अ)	कबाड़ी बाजार एवं अन्य	निवेश इकाई क्रमांक–1	अविकसित
(ब)	यातायात नगर	निवेश इकाई क्रमांक–3 एवं 5	अविकसित
(स)	तेल एवं कोयला भण्डार	निवेश इकाई क्रमांक–1	अविकसित
5	निवेश इकाई/खण्ड स्तरीय बाजार केन्द्र	निवेश इकाई क्रमांक–2, 4 एवं 5	अविकसित

निवेश इकाई एवं खण्डस्तरीय वाणिज्यिक विकास नहीं होने के कारण मध्यक्षेत्र के आसपास लगे हुए क्षेत्र एवं मुख्य मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां विकसित हुई हैं। रतलाम नगर में मुख्य मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ विकसित होना मुख्य मार्ग पर मिश्रित उपयोग अवधारणा को दर्शाता है। निवेश इकाई एवं खण्ड स्तरीय विकास तभी संभव है, जब उस स्तर की योजनाएं क्रियान्वित की जावें अथवा नगरीय निकायों द्वारा परिक्षेत्रिय योजना तैयार करने के पश्चात् मार्ग संरचनाओं का निर्माण किया जावे। विकास योजना में निवेश इकाई केन्द्र की अवधारणा के ऊपर गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं।

3.2.3 औद्योगिक

रतलाम विकास योजना 2021 में औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत 547.33 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, इसमें से वर्तमान में 261.00 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुआ है जो प्रस्तावित भूमि का 47.69 प्रतिशत है। रतलाम नगर के नमकीन उद्योग को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग द्वारा नमकीन कलस्टर की स्थापना की गई है। यद्यपि निवेश क्षेत्र के बाहर तेल डिपो स्थापित किया गया है। इसी प्रकार निवेश क्षेत्र के भीतर लघु उद्योग एवं सेवा उद्योग को बढ़ावा देने हेतु उद्योग विभाग की पहल आवश्यक है। नगर में कार्यरत मध्यम उद्योग लगभग बंद हो चुके हैं। सेजावता एवं डोसीगांव में कार्यरत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की इकाईयॉ कार्यरत हैं। इसी औद्योगिक क्षेत्र में मुख्य इकाई इप्का इण्डस्ट्री (IPCA Industry) कार्यरत है जो दवाईयों का निर्माण करती है।

3.2.4 सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं

विकास योजना 2021 में सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं उपयोग हेतु कुल 279.83 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया था, जिसमें से वर्तमान में 258.48 हेक्टेयर भूमि विकसित हो चुकी है, जो कि 92.37 प्रतिशत आता है। इसका मुख्य कारण अन्य उपयोग परिसरों में सार्वजनिक अर्धसार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाओं उपयोग का क्रियान्वयन है।

रतलाम नगर, जिला मुख्यालय होने से राज्य एवं केन्द्र सरकार तथा स्वायत्त शासन के कार्यालय एवं बैंक के कुल 91 कार्यालय स्थित हैं। इनमें से 38 कार्यालय अशासकीय आवासीय भवनों में कार्यरत हैं। नगर के भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना में कलेक्टर कार्यालय को स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित था। नवीन कलेक्टर कार्यालय का निर्माण डी.आर.पी. लाईन के भाग पर किया जा चुका है।

सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक क्रियान्वयन

सारणी 3–सा– 4

क्र.	विवरण	विकास योजना 2021 अनुसार प्रस्तावित सील	क्रियान्वयन स्थिति
1	2	3	4
1	कार्यालय		
(अ)	नवीन जिला कार्यालय का निर्माण	निवेश इकाई क्रमांक–5	विकसित
(ब)	उप पुलिस महानिरिक्षण कार्यालय	निवेश इकाई क्रमांक–5	विकसित
2	स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक		
(अ)	चिकित्सा महाविद्यालय परिसर	निवेश इकाई क्रमांक–2	विकसित
3	सार्वजनिक सेवा एवं सुविधाएं		
(अ)	जलप्रदाय	धोलाबड़ बांध	विकसित
(ब)	एस.टी.पी. ट्रिटमेंट प्लांट की स्थिति	खेतलपुर में सावलियारूण्डी मार्ग पर एवं रतलाम में करमदी मार्ग पर	निर्माणाधीन
(स)	दुग्ध डेरी	निवेश इकाई क्रमांक–2	विकसित

टीप – नगर में अन्य सेवा सुविधाएं पूर्ववत् विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त नगर स्तरीय प्रबंधन कॉलेज निवेश क्षेत्र के बाहर रॉयल कॉलेज के नाम से संचालित है। इसकी गणना भूमि उपयोग में नहीं है।

3.2.5 आमोद–प्रमोद

रतलाम विकास योजना 2021 में आमोद–प्रमोद अंतर्गत 629.54 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है। **निवेश इकाई क्रमांक–6 में क्षेत्रिय उद्यान, तथा निवेश इकाई क्रमांक–2 में बड़बड़ हनुमान तालाब एवं निवेश इकाई** क्रमांक–5 में स्टेडियम एवं इंदौर रोड पर स्थित तालाब के **सौंदर्यीकरण हेतु बफर तथा निवेश इकाई** क्रमांक–3 पर गंगा सागर टेकरी प्रस्तावित है। आमोद–प्रमोद के अंतर्गत 60.79 हेक्टेयर क्षेत्र ही विकसित हुआ है। तालाबों का सौंदर्यीकरण, नगर स्तरीय उद्यान, प्रस्तावित स्टेडियम का विकास नहीं हुआ है।

3.2.6 यातायात एवं परिवहन

रतलाम विकास योजना 2021 में 1007.73 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जिसमें से 616.84 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में विकसित है। वर्तमान में इस भू–उपयोग के अंतर्गत लगभग 355 हेक्टेयर भूमि (रेलवे क्षेत्र छोड़कर) विकसित है, जिसमें नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से

कॉलोनी स्तर के मार्गों के क्षेत्र के साथ निवेश क्षेत्र सीमा तक क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय वर्तमान मार्गों का क्षेत्रफल शामिल है, जिसके कारण क्रियान्वयन का स्तर उच्च प्रतीत होता है। नगर स्तरीय मुख्य मार्ग एवं सेक्टर मार्गों के क्रियान्वयन का ना होने का मुख्य कारण नगर स्तरीय मार्गों की योजना क्रियान्वित नहीं किया जाना है।

3.2.6.1 क्षेत्रीय परिवहन

नगर के बाहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से 6 मार्ग हैं। नगर के मध्य से राज्य राजमार्ग क्रमांक 31 (चितौड़गढ़–खरगोन–भुसावल) गुजरता है। रिंग रोड (बायपास) का पूर्वी भाग निर्मित हो चुका है एवं इंदौर–मंदसौर मार्ग के पश्चिमी ओर रिंग रोड का पश्चिमी भाग प्रस्तावित है।

रतलाम नगर में जिले की अन्य तहसीलों/नगरों से जुड़ा होने के कारण यातायात का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में रतलाम नगर में चार स्थानों पर बस स्टेण्ड संचालित है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बस स्टेण्ड रेलवे लाईन के पास में निर्मित है जहाँ से इंदौर, मंदसौर, उज्जैन, नीमच, धार, बडवानी, खण्डवा एवं अन्य राज्यों की ओर बसों का आवागमन होता है।

1. बस स्टेण्ड मध्य क्षेत्र में तीनतपाल नगर के पास में स्थित है जहाँ से बाजना की ओर जाने वाली बसों का आवागमन होता है।
2. त्रिपुलिया गेट पर अस्थाई रूप से झाबुआ की ओर जाने वाली बसों का संचालन होता है।
3. महाराणा प्रताप ओवर ब्रिज के पास सैलाना की ओर जाने वाली बसों का अस्थाई रूप से संचालन होता है।

3.2.6.2 रेलवे यातायात

रतलाम दिल्ली–मुम्बई एवं इन्दौर–अजमेर रेलवे लाइन का प्रमुख जंक्शन है। विगत वर्षों में रतलाम–अजमेर एवं रतलाम–इन्दौर मीटरगेज लाईन के स्थान पर ब्रॉडगेज लाईन प्रतिस्थापित की गई है। इस उन्नयन के साथ–साथ एक नवीन रेलवे प्लेटफार्म तथा रेलवे ओव्हरब्रिज का भी निर्माण हुआ है, जिससे यात्रियों एवं यातायात में सुगमता हुई है ।

3.2.6.3 वायुसेवा

नगर के सैलाना रोड पर ग्राम बंजली के पास बस स्टेण्ड से लगभग 6.5 किलोमीटर दूरी पर छोटे हवाई जहाज उतरने हेतु हवाई पट्टी स्थित है। हवाई पट्टी निवेश क्षेत्र के उत्तर

दिशा में निवेश क्षेत्र सीमा से लगकर स्थित होकर निवेश क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र के बाहर दो भागों में विभक्त है। यह हवाई पट्टी का केवल आकस्मिक एवं विशेष परिस्थिति में उपयोग किया जाता है।

3.3 विकास योजना 2021 में उपान्तरण

रतलाम विकास योजना 2021 प्रभावशील होने के उपरान्त राज्य शासन द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23–(क) के अंतर्गत विकास योजना 2021 में निम्न भू–उपयोग उपान्तरण किए है।

भूमि उपयोग उपान्तरण

सारणी 3–सा– 5

क्र	ग्राम का नाम	विकास योजना 2021 में प्रस्तावित भूमि उपयोग	उपान्तरित भू उपयोग	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	बंजली	कृषि	आवासीय	9.00	विकसित
2	बंजली	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक (मेडिकल कॉलेज)	19.00	विकसित
3	डोसीगांव	पार्किंग	औद्योगिक	19.00	अविकसित

नोटः– रतलाम विकास योजना 2021 में उपातंरित उपयोग विकास योजना 2035 का भाग है एवं अन्य उपांतरित उपयोग सम्मिलित माने जावेंगे।

3.4 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

रतलाम विकास योजना 2021 में असंगत भूमि उपयोग को वर्तमान स्थल से अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित था। जिसका विवरण सारणी 3–सा–6 में दर्शाया गया है।

असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

सारणी 3–सा– 6

क्र.	उपयोगों का स्थानांतरण	वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित स्थल	भूमि रिक्त होने पर उपयोग	क्रियान्वयन की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	आवासीय	गंदे नालों के किनारे स्थित बस्तियां	निवेश इकाई क्रमांक–6	वृक्षारोपण	क्रियान्वित नहीं
2	फुटकर सब्जी बाजार	माणक चौक	बाजना बस स्टेण्ड	पार्किंग के सीन	क्रियान्वित नहीं
3	अग्रेषण अभिकरण	शहर सराय	यातायात नगर	वाणिज्यिक	क्रियान्वित नहीं
4	लकड़ी गोदाम	बाजना मार्ग	निवेश इकाई क्रमांक–3	वाणिज्यिक	क्रियान्वित नहीं
5	घास मंडी	(अ) गौशाला मार्ग (ब) हाट मार्ग	बाजना बस स्टेण्ड	यातायात एवं परिवहन	क्रियान्वित नहीं
6	पत्थर गोदाम	(अ) सिलावटों का वास (ब) गौशाला मार्ग	निवेश इकाई क्रमांक–3	आवासीय	क्रियान्वित नहीं
7	कबाड़ी बाजार	(अ) मिशन मार्ग (ब) पावर हाउस मार्ग	निवेश इकाई क्रमांक–3	आवासीय	क्रियान्वित नहीं
8	फुटपाथ पर स्थित दुकानें	(अ) हाट मार्ग (ब) हास्पीटल के पास (स) मिशन चौराहा	राजबाई बावड़ी क्षेत्र	मार्ग / फुटपाथ	क्रियान्वित नहीं
9	तेल मिलें	हाट मार्ग	निवेश इकाई क्रमांक–5	आवासीय	क्रियान्वित नहीं
10	गौशाला	गौशाला मार्ग	नवीन प्रस्तावित क्षेत्र	आवासीय	क्रियान्वित नहीं
11	दीपक वायर इंडस्ट्रीज	जिला मुख्यालय अहाता	निवेश इकाई क्रमांक–4 / 5 में औद्योगिक क्षेत्र	आवासीय	क्रियान्वित नहीं
12	बस डिपो	शहर सराय	प्रस्तावित बस स्टेण्ड (इंदौर मार्ग)	वाणिज्यिक	क्रियान्वित नहीं
13	बाजना बस स्टैण्ड	मध्य क्षेत्र	वर्तमान बस स्टेण्ड (महू–नीमच रोड)	वाणिज्यिक / पार्किंग	क्रियान्वित
14	निजी बस स्टैण्ड (मार्ग पर संचालित)	सैलाना मार्ग	सैलाना मार्ग पर प्रस्तावित बस स्टेण्ड	मार्ग	क्रियान्वित नहीं

3.5 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण

3.5.1 जनसंख्या विश्लेषण

रतलाम परिक्षेत्र के संस्पर्शी जिलों एवं प्रदेश की जनसंख्या का विवरण इस परिक्षेत्र के नियोजन हेतु महत्वपूर्ण है, जिसका विवरण सारणी क्रमांक 3–सा–7 में दर्शाया गया है।

जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात

सारणी 3–सा– 7

क्र.	नगर/प्रदेश /जिला	कुल जनसंख्या–2011	पुरूष	महिला	लिंग अनुपात
1	2	3	4	5	6
1	मध्यप्रदेश	72626809	37612306	35014503	931
2	उज्जैन संभाग	8684807	4445913	4238894	954
3	रतलाम नगर	264914	134915	129999	964
4	मंदसौर जिला	1340111	682851	657560	963
5	नीमच जिला	826067	422653	403414	954
6	रतलाम जिला	1455069	738241	716828	971
7	उज्जैन जिला	1986864	1016289	970575	955
8	शाजापुर + आगर मालवा	1512681	780520	732161	938
9	देवास जिला	1563715	805359	758356	942

स्त्रोतः– भारत की जनगणना वर्ष 2011

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि **संस्पर्शी क्षेत्रों में सबसे अधिक** लिंगानुपात रतलाम जिले का है।

रतलाम नगर पालिक निगम की सीमा को वर्तमान में 49 वार्डों में विभाजित किया गया। वार्ड वार कुल शिशु, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं साक्षरता जनसंख्या की जानकारी, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न सारणी 3–सा–8 में दर्शायी गयी है।

वार्ड वार जनसंख्या विश्लेषण

सारणी 3–सा– 8

Ward	Population			Child Population (0-6 years)			SC Population			ST Population			Literates		
	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	3708	1920	1788	406	221	185	1424	736	688	259	130	129	2709	1542	1167
2	7316	3708	3608	784	405	379	1985	998	987	127	62	65	5695	3116	2579
3	4874	2488	2386	469	259	210	1076	550	525	141	67	74	3989	2131	1858
4	4224	2112	2112	376	186	190	448	219	229	97	40	57	3647	1869	1778
5	2174	1122	1052	173	92	81	235	112	123	69	27	42	1923	1005	918
6	5696	2932	2764	616	321	295	1278	661	617	580	301	279	4553	2468	2085
7	4678	2411	2267	482	250	232	914	452	462	115	59	56	3784	2060	1724
8	4763	2480	2283	495	262	233	705	371	334	157	86	71	3871	2131	1740
9	5913	3076	2837	612	317	295	628	335	293	308	172	136	4645	2590	2055
10	3512	1803	1709	327	170	157	288	159	129	116	65	51	3026	1579	1447
11	10900	5644	5256	1293	678	615	963	511	452	1863	975	888	8122	4446	3676
12	8302	4209	4093	801	393	408	644	317	327	879	454	425	6921	3637	3284
13	6852	3487	3365	596	329	267	284	149	135	265	145	120	5911	3047	2864
14	7559	3833	3726	805	407	398	1447	737	710	254	130	124	5885	3198	2687
15	5470	2794	2676	534	285	249	958	492	466	94	47	47	4483	2330	2153
16	5606	2847	2759	871	468	403	982	508	474	106	56	50	3049	1713	1336

Ward	Population			Child Population (0-6 years)			SC Population			ST Population			Literates		
	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	4422	2279	2143	479	253	226	497	254	243	13	6	7	3487	1886	1601
18	5319	2742	2577	791	429	362	258	128	130	1673	874	799	2914	1700	1214
19	9055	4615	4440	1021	519	502	368	184	184	298	137	161	6992	3749	3243
20	9503	4905	4598	1050	539	511	698	352	346	772	381	391	7436	4057	3379
21	4081	2114	1967	553	284	269	1062	568	494	66	40	26	2926	1611	1315
22	5932	3063	2869	652	340	312	631	313	318	865	463	402	4085	2298	1787
23	5797	2956	2841	664	345	319	227	118	109	237	121	116	4555	2439	2116
24	6247	3174	3073	868	456	412	149	79	70	23	12	11	4311	2337	1974
25	5660	2826	2834	647	329	318	164	84	80	34	20	14	4390	2308	2082
26	5325	2763	2562	513	262	251	149	73	76	68	32	36	4230	2338	1892
27	9134	4669	4465	1306	678	628	406	206	200	701	345	356	6018	3341	2677
28	7204	3655	3549	889	473	416	882	435	447	962	453	509	5524	2932	2592
29	4484	2244	2240	478	228	250	959	471	488	137	70	67	3278	1795	1483
30	6702	3455	3247	894	470	424	2299	1152	1147	267	143	124	4493	2608	1885
31	3025	1501	1524	283	162	121	164	77	87	36	16	20	2548	1291	1257
32	4968	2515	2453	458	252	206	89	48	41	149	72	77	4250	2165	2085
33	4561	2262	2299	418	220	198	93	43	50	98	41	57	3870	1936	1934

Ward	Population			Child Population (0-6 years)			SC Population			ST Population			Literates		
	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	3569	1982	1587	340	192	148	94	66	28	149	99	50	2778	1556	1222
35	3694	1820	1874	384	180	204	262	128	134	32	13	19	2894	1502	1392
36	8288	4225	4063	1254	646	608	748	362	386	18	10	8	5852	3174	2678
37	3924	1980	1944	502	250	252	106	55	51	6	2	4	2829	1541	1288
38	4512	2248	2264	509	253	256	99	49	50	65	34	31	3562	1879	1683
39	4041	1993	2048	337	178	159	12	5	7	20	11	9	3579	1783	1796
40	4004	1998	2006	419	216	203	17	8	9	12	6	6	3430	1734	1696
41	4177	2102	2075	422	183	239	21	9	12	10	6	4	3542	1856	1686
42	4233	2232	2001	422	234	188	2	1	1	15	6	9	3591	1935	1656
43	4667	2180	2487	559	257	302	19	9	10	39	24	15	3854	1855	1999
44	4606	2320	2286	450	242	208	148	77	71	21	13	8	3817	1995	1822
45	4447	2237	2210	532	286	246	36	22	14	0	0	0	3356	1768	1588
46	5112	2631	2481	678	353	325	980	490	490	26	19	7	3497	1969	1528
47	3700	1860	1840	461	243	218	8	2	6	1	0	1	2759	1470	1289
48	4938	2480	2458	499	253	246	1218	593	625	307	178	129	3898	2073	1825
49	4036	2023	2013	391	185	206	0	0	0	17	11	6	3343	1764	1579
TOTAL	**264914**	**134915**	**129999**	**29763**	**15433**	**14330**	**27124**	**13768**	**13356**	**12567**	**6474**	**6093**	**204101**	**109507**	**94594**

स्त्रोतः– भारत की जनगणना 2011

3.5.2 जनसंख्या लिंगानुपात

रतलाम नगर पालिक निगम सीमा में वार्ड वार लिंगानुपात का अध्ययन किया गया। सबसे अधिक लिंगानुपात वार्ड क्रमांक 25, 31, 33, 35, 38, 39, 40, 43 में है, सबसे कम लिंगानुपात वार्ड क्रमांक 34 एवं 42 में है, जिसका विवरण सारणी 3–सा–9 में दिया गया है।

वार्डवार जनसंख्या लिंगानुपात

सारणी 3–सा– 9

क्र.	जनसंख्या लिंगानुपात (1000 पुरूष पर महिला)	वार्ड क्रमांक	कुल वार्ड
1	2	3	4
1	>1000	25, 31, 33, 35, 38, 39, 40, 43	08
2	901-1000	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49	39
3	801 900	42	01
4	≤800	34	01
योग			**49**

स्त्रोतः– भारत की जनगणना 2011

3.5.3 शिशु जनसंख्या

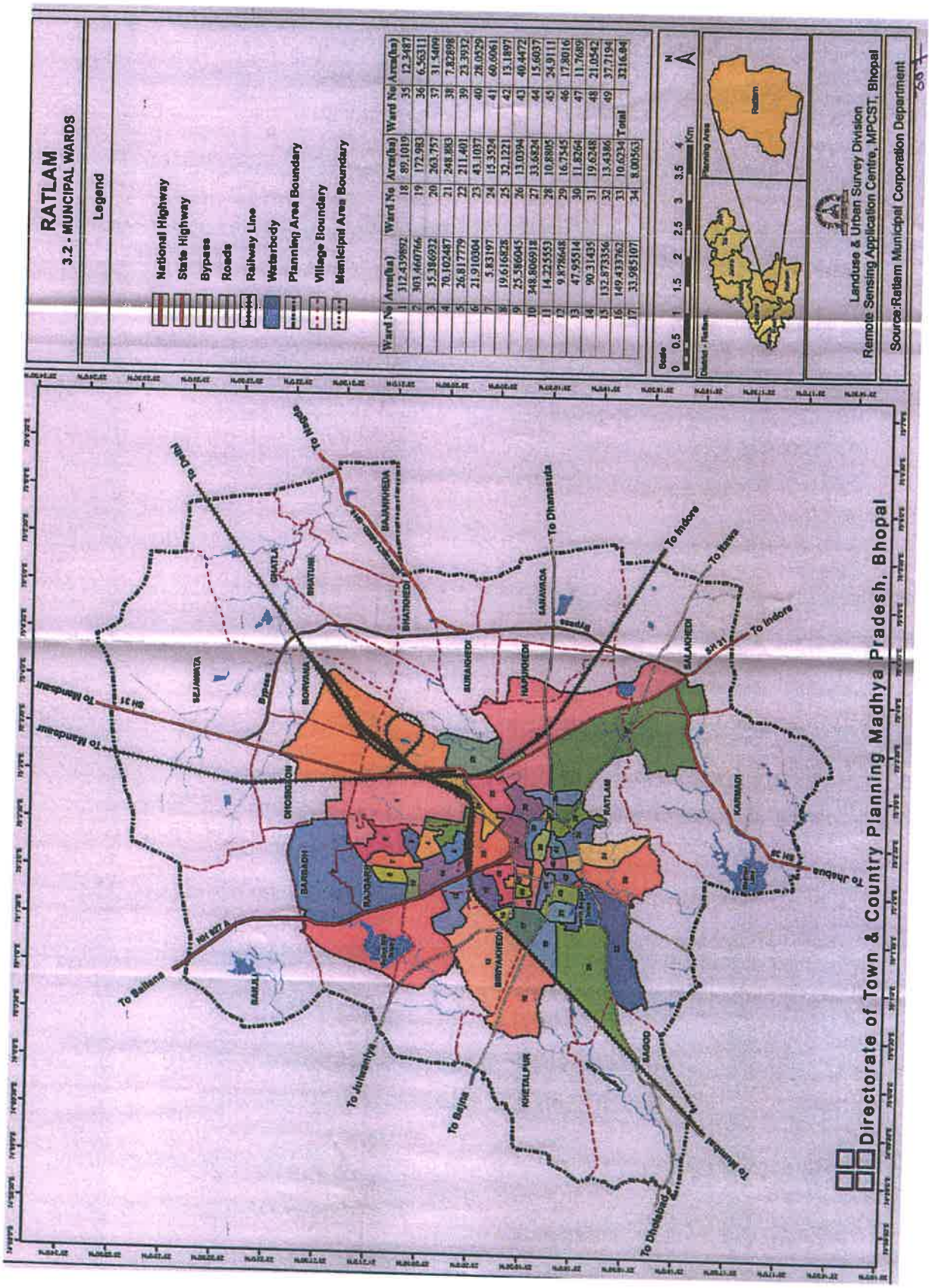
रतलाम नगर का लिंगानुपात 954 महिला प्रति हजार पुरूष है, किन्तु वार्ड वार विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कई वार्ड प्रति हजार 800 से भी कम है। जबकि शिशु श्रेणी में यह अनुपात 870 है, जिसका विवरण सारणी 3–सा–10 एवं 3–सा–11 में दर्शाया गया है।

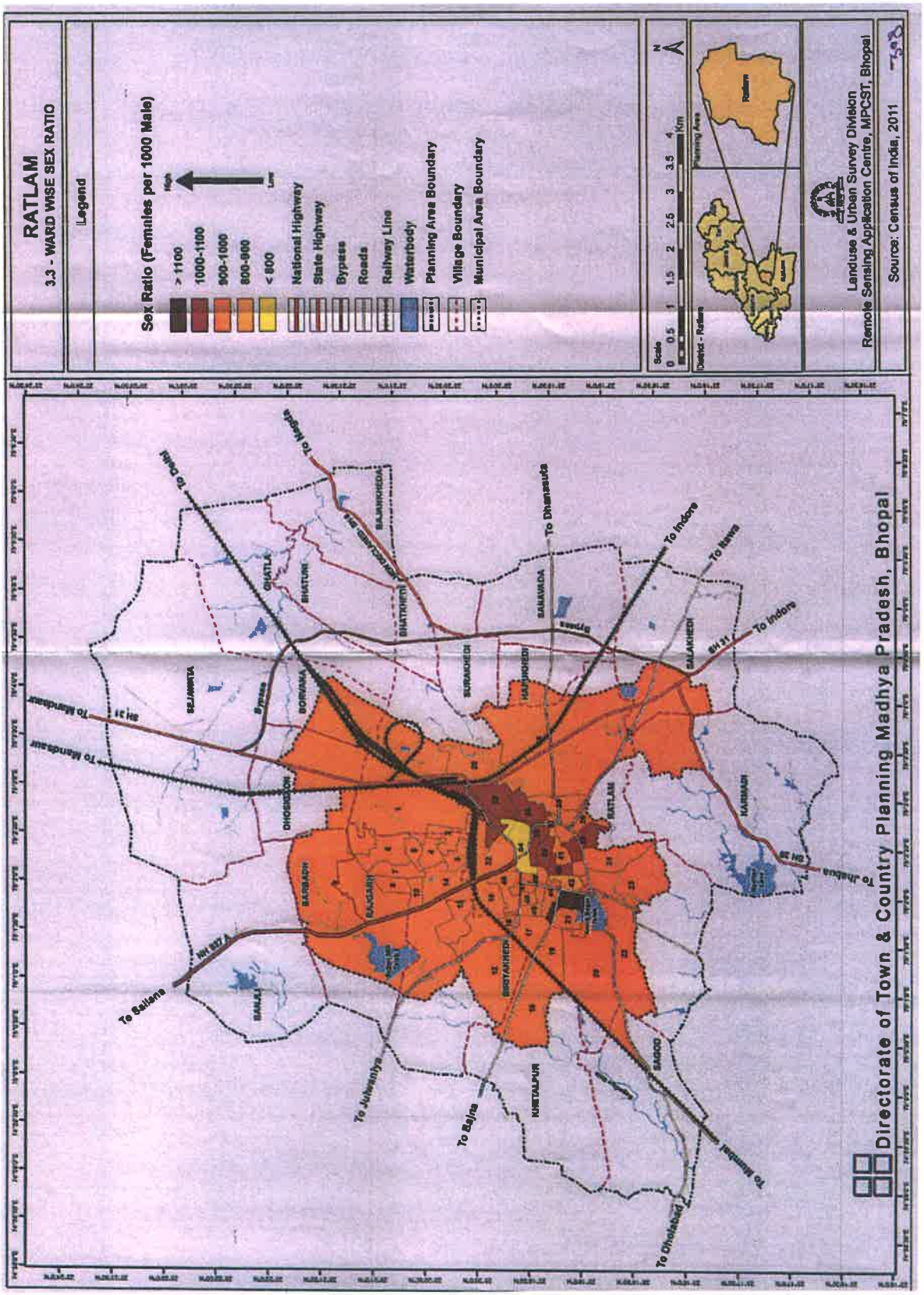
शिशु जनसंख्या प्रतिशत

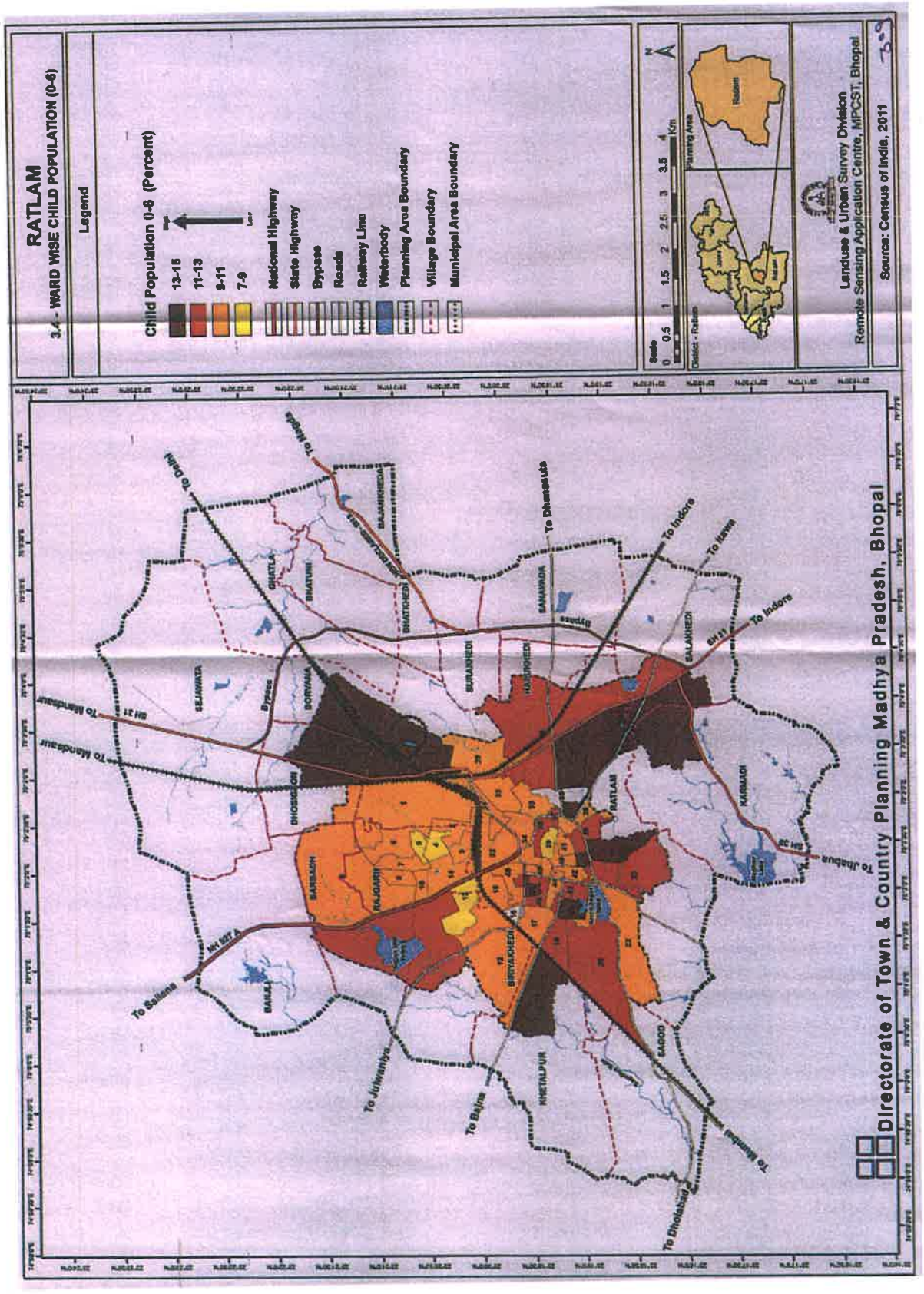
सारणी 3–सा– 10

क्र.	शिशु जनसंख्या प्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्ड
1	2	3	4
1	7-9	4, 5, 13, 39	04
2	9-11	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 22, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 44, 48, 49	26
3	11-13	11, 19, 20, 23, 25, 28, 37, 38, 43	11
4	13-15	16, 18, 21, 24, 27, 30, 36, 46	08
कुल वार्ड			**49**

स्त्रोतः– भारत की जनगणना 2011


RATLAM
3.2 - MUNCIPAL WARDS
Legend
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Ward No | Area(ha) | Ward No | Area(ha) | Ward No | Area(ha)
1 | 312.439892 | 18 | 89.1019 | 35 | 12.3487
2 | 303.440766 | 19 | 172.983 | 36 | 6.56311
3 | 35.3869932 | 20 | 263.757 | 37 | 31.5409
4 | 70.102487 | 21 | 248.883 | 38 | 7.82698
5 | 26.817779 | 22 | 211.401 | 39 | 23.3932
6 | 21.910304 | 23 | 43.1027 | 40 | 28.0529
7 | 5.83197 | 24 | 19.3524 | 41 | 60.6061
8 | 19.616828 | 25 | 32.1221 | 42 | 13.1897
9 | 25.386045 | 26 | 13.0394 | 43 | 40.4472
10 | 348.806918 | 27 | 33.6824 | 44 | 15.6037
11 | 14.225553 | 28 | 10.8805 | 45 | 24.9111
12 | 9.878648 | 29 | 16.7545 | 46 | 17.8016
13 | 47.95514 | 30 | 11.8264 | 47 | 11.7689
14 | 90.31435 | 31 | 19.6248 | 48 | 21.0542
15 | 132.873356 | 32 | 13.4386 | 49 | 37.7194
16 | 149.433762 | 33 | 10.6234 | Total | 3216.84
17 | 33.9851071 | 34 | 8.00563
Scale 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source:Ratlam Municipal Corporation Department
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Nagda
To Dewas
To Dhansuda
To Indore
To Kawa
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
To Ujjain
To Ujjain
To Ujjain


RATLAM
3.3 - WARD WISE SEX RATIO
Legend
Sex Ratio (Females per 1000 Male)
High
Low
> 1100
1000-1100
900-1000
800-900
< 800
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Neemuch
To Dewas
To Dhansuta
To Indore
To Nawa
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
To Sailana
To Jaora
To Jaora
To Jhabua
To Jhabua
To Jhabua
To Juliwaniya
To Bajna
To Ghoddad
BAJRANGPURA
BHATKHEDI
GHATLA
BHATUNI
BANAVADA
SURAKHEDI
KADMKHEDI
BALAKHEDI
SEJAWATA
BORKHAMA
DHOKRIKHOL
BARBADH
RAJGARH
BANJARI
DIGTARKHEDI
KARMADI
RATLAM
KUKTALPUR
SAGOD


RATLAM
3.4 - WARD WISE CHILD POPULATION (0-6)
Legend
Child Population 0-6 (Percent)
13-15
11-13
9-11
7-9
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Nagda
To Dewas
To Dhamsuda
To Indore
To Itawa
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
To Sailana
To Jaswantpur
To Bajna
To Dholakot
To Jaora
SEJAWATA
BHATIYAN
BHATKHEDI
SAMARDA
SURAKHEDI
HARIKHEDI
SALAKHEDI
BORKHAN
BHOSLAON
BARKHAN
RAJGARH
BIRTAKHEDI
RATLAM
KARMADI
KHETALPUR
BADOD
Bypass
Bypass
NH 59 A
SH 31
SH 31
SH 28

शिशु लिंगानुपात

सारणी 3–सा– 11

क्र.	शिशु लिंगानुपात	वार्ड क्रमांक	कुल वार्ड
1	<800	31, 34	02
2	800-900	1, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 28, 32, 33, 39, 42, 44, 45, 47	17
3	900-1000	2, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 36, 40, 46, 48	21
4	1000-1100	4, 12, 29, 37, 38	05
5	1100-1200	35, 43, 49	03
6	>1200	41	01

स्त्रोतः– भारत की जनगणना 2011

3.5.4 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या

नगर में अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 10.24 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 4.74 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति–जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 14.98 प्रतिशत है। निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड वार अनुसूचित जाति–जनजाति का विवरण सारणी 3–सा–12 में दर्शाया गया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

सारणी 3–सा– 12

क्र.	अनुसूचित जाति / जनजाति जनसंख्या प्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्ड
1	2	3	4
1	<5	24, 25, 26, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49	16
2	5-10	13, 19, 23, 31, 34, 35, 36	07
3	10-20	4, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 27, 46	12
4	20-30	2, 3, 7, 11, 14, 21, 22, 28, 29	09
5	30-40	6, 18, 30, 48	04
6	40-45	1	01
कुल वार्ड			**49**

स्त्रोतः– भारत की जनगणना वर्ष 2011

3.5.5 साक्षरता

रतलाम नगर में साक्षरता दर 77.04 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष की साक्षरता दर 81.16 प्रतिशत है एवं महिला की साक्षरता दर 72.76 प्रतिशत है।

साक्षरता प्रतिशत

सारणी 3–सा– 13

क्र.	साक्षरता प्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्ड
1	3	2	4
1	<60	16, 18	02
2	60-70	22, 24, 27, 30, 46	05
3	70-80	1, 2, 6, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 47, 48	23
4	>80	3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49	19
कुल वार्ड			**49**

स्त्रोतः– भारत की जनगणना वर्ष 2011

3.5.6 कार्यशील जनसंख्या

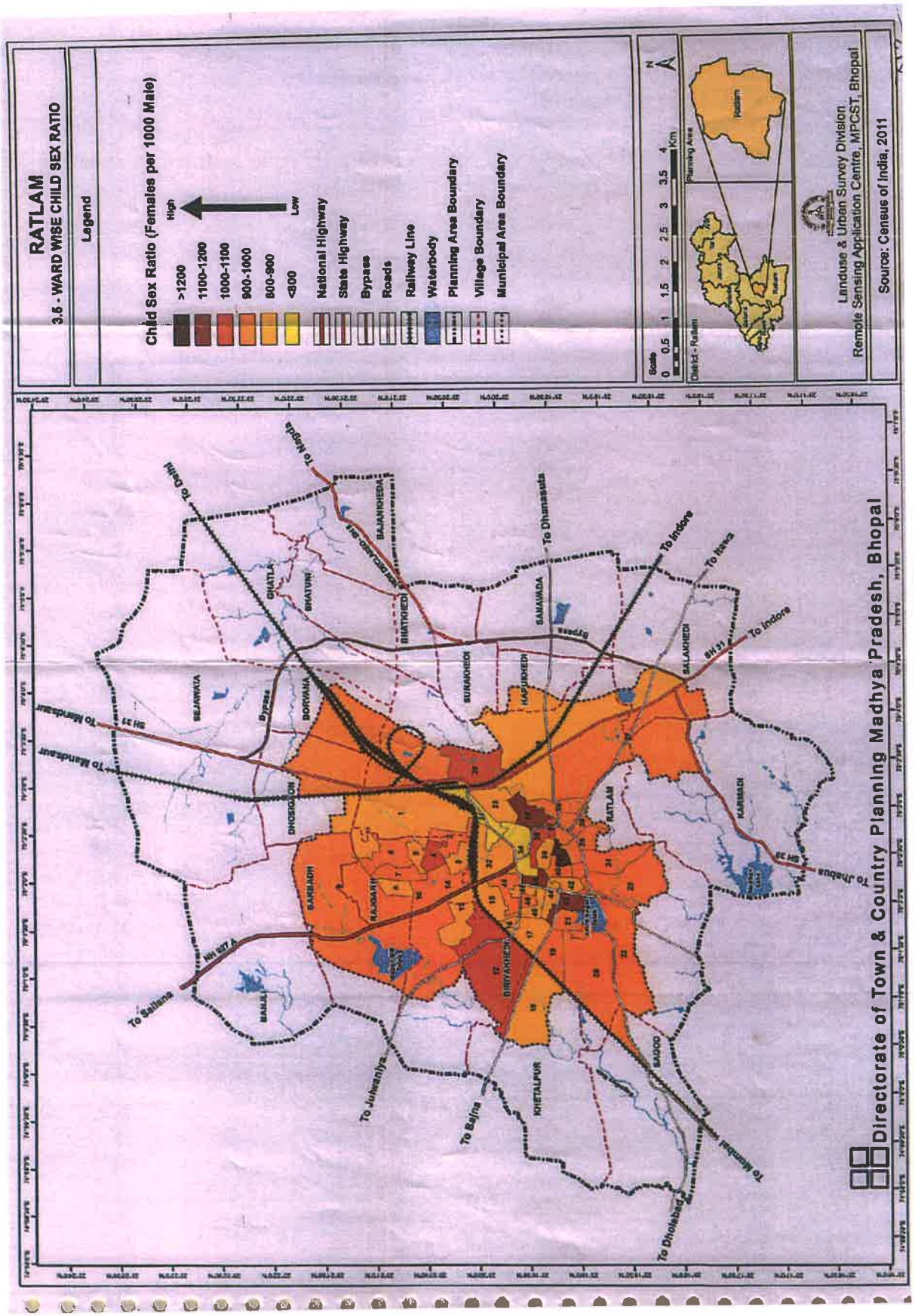
वर्ष 2011 अनुसार रतलाम नगर में कार्यशील जनसंख्या 88,696 जिससे यह ज्ञात होता है कि नगर में विभिन्न कार्यकलापों एवं व्यवसायों में कितने व्यक्ति कार्यशील हैं। नगर में कार्य सहभागिता प्रतिशत 33.48 प्रतिशत है, जो नगर की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है।

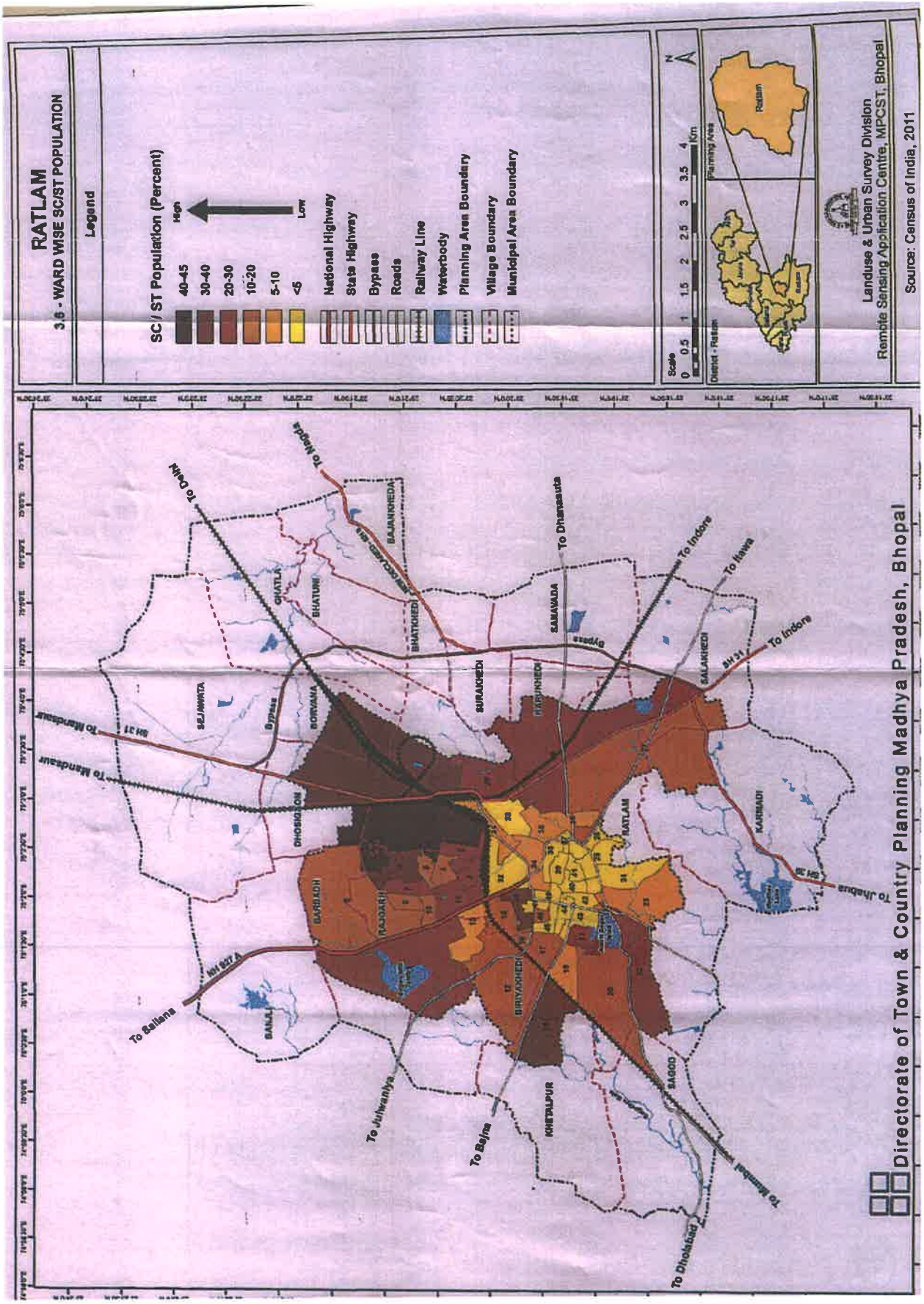
कार्यशील (सहभागिता) जनसंख्या 2011

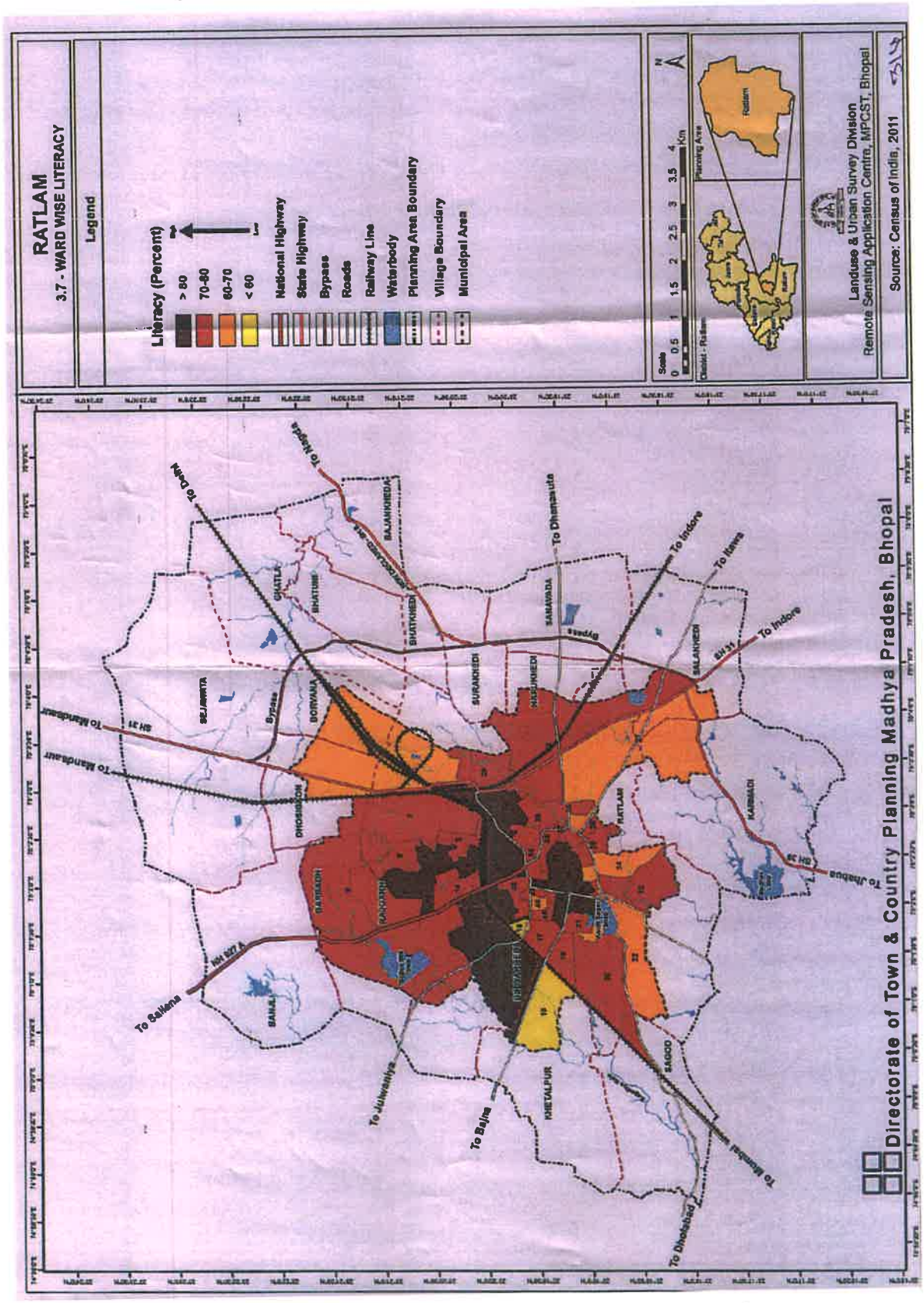
सारणी 3–सा– 14

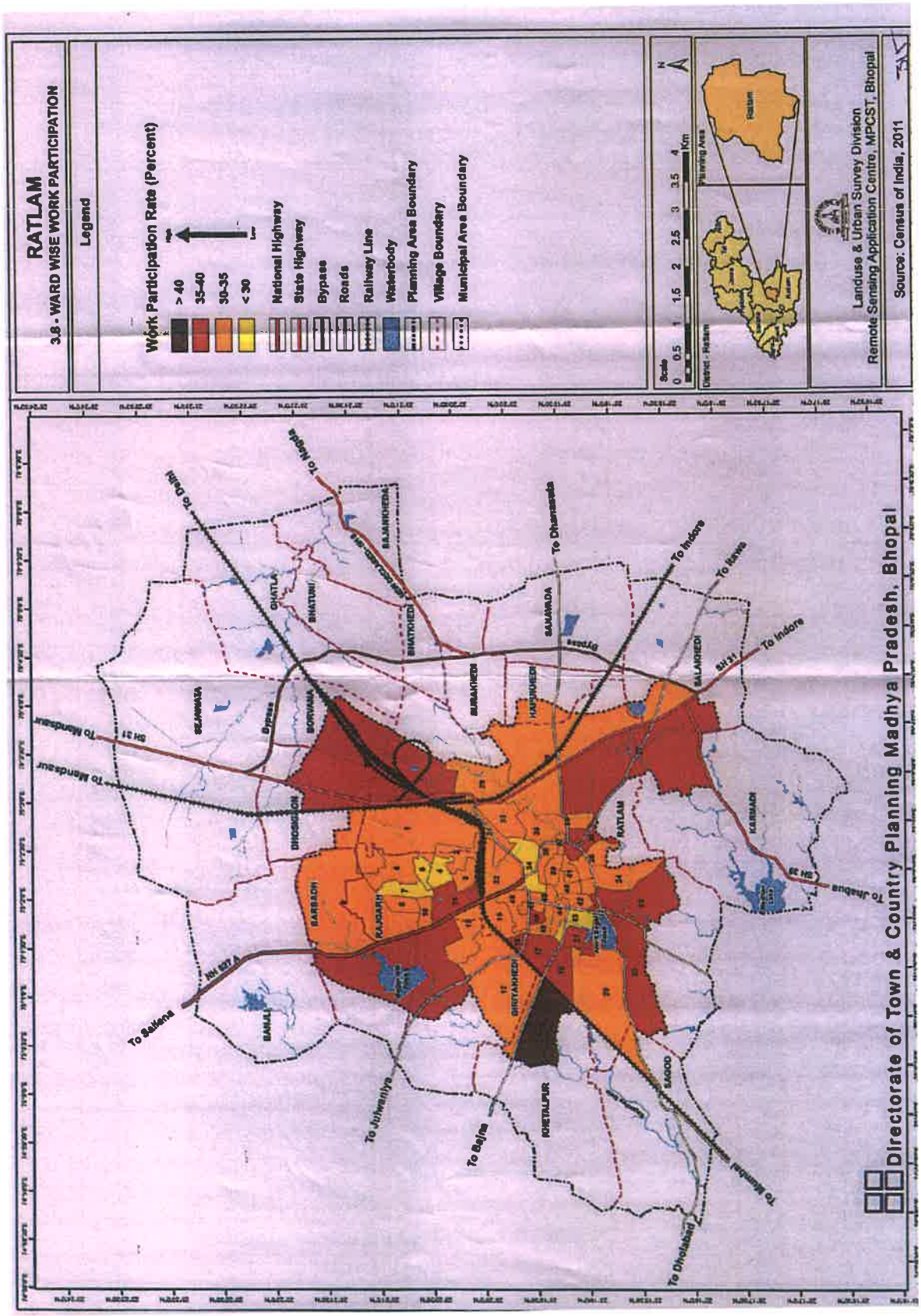
क्र.	कार्य सहभागिता प्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्ड
1	2	3	4
1	<30	4, 5, 7, 34, 43	05
2	30-35	1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 20, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49	31
3	35-40	11, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 46	12
4	>40	18	01
औसत दर – 50.89		–	**49**

स्त्रोतः– भारत की जनगणना वर्ष 2011


RATLAM
3.6 - WARD WISE CHILD SEX RATIO
Legend
Child Sex Ratio (Females per 1000 Male)
High
Low
>1200
1100-1200
1000-1100
900-1000
800-900
<800
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Delhi
To Nagda
To Dhamnoda
To Indore
To Itawa
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
To Jhabua
To Salkhan
To Jhirniya
To Bajna
To Dholabad
To Mumbai
BAJANKHEDI
GHATLA
BHATUNI
BIRATKHEDI
SEJAWATA
DORVANA
DHOSIKALAN
SURANKHEDI
HARIKHEDI
SAMAVADA
BALAKHEDI
RATLAM
KARMADI
BARBADHI
RAJGARH
DIRIYAKHEDA
KHETALPUR
SADOD
Bypass
SH 31
SH 39
NH 927 A


RATLAM
3.6 - WARD WISE SC/ST POPULATION
Legend
SC / ST Population (Percent)
High
Low
40-45
30-40
20-30
10-20
5-10
<5
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Neemuch
To Dewas
To Dhamnaste
To Indore
To Itawa
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
To Jaora
To Sailana
To Jhirwaniya
To Bajna
To Dhoolsad
To Ratlam
BAJANKHEDA
BHATKHEDI
GHATLA
BHATUNI
SAMAVADA
SURAJKHEDI
SALAKHEDI
SEJAWATA
BORVANA
DHOSIKHON
BARKHODI
RAJGARH
BIRIYAKHEDI
KHETALPUR
BAGDO
KARMADI
SANJA
Bypass
SH 31
SH 27
SH 27 A
SH 28


RATLAM
3.7 - WARD WISE LITERACY
Legend
Literacy (Percent)
> 80
70-80
60-70
< 60
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Nagda
To Dewas
To Dhamnaida
To Indore
To Ujjain
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
To Sailana
To Jhabua
To Jaora
To Bajna
To Dhodsar
BAJANKHEDA
BHATKHEDI
SURANOSDI
SAMAVADIA
SALANKHEDI
SEJAWTA
DORWALA
DHORMOON
RATLAM
KARMADI
METALPUR
SAGOD
BAMLI
BH 31
NH 927 A


RATLAM
3.8 - WARD WISE WORK PARTICIPATION
Legend
Work Participation Rate (Percent)
> 40
35-40
30-35
< 30
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District - Ratlam
Ratlam
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Nagda
To Dewas
To Dhamnoda
To Indore
To Itawa
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
To Sailana
To Jaora
To Jobat
To Jhirwaniya
To Bajna
To Dhotlabad
To Mandsaur
BAJAKHEDA
BHATKHEDI
GHATLA
BHATUNI
SAJAKHEDA
Bypass
SALAKHEDI
SH 31
BAMANKHEDI
HARSHKHEDI
SEJAWATA
Bypass
BORKHANA
DHOSIKALAN
RATLAM
KARMADI
SH 39
BARBADHI
RAJGARH
BANALI
SH 27
BIRIYAKHEDI
KHETALPUR
BAGOD

3.5.7 जनसंख्या घनत्व

रतलाम नगर का सकल घनत्व 82.00 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। नगर की वार्ड वार जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी में दर्शाया गया है।

वार्ड वार जनसंख्या घनत्व

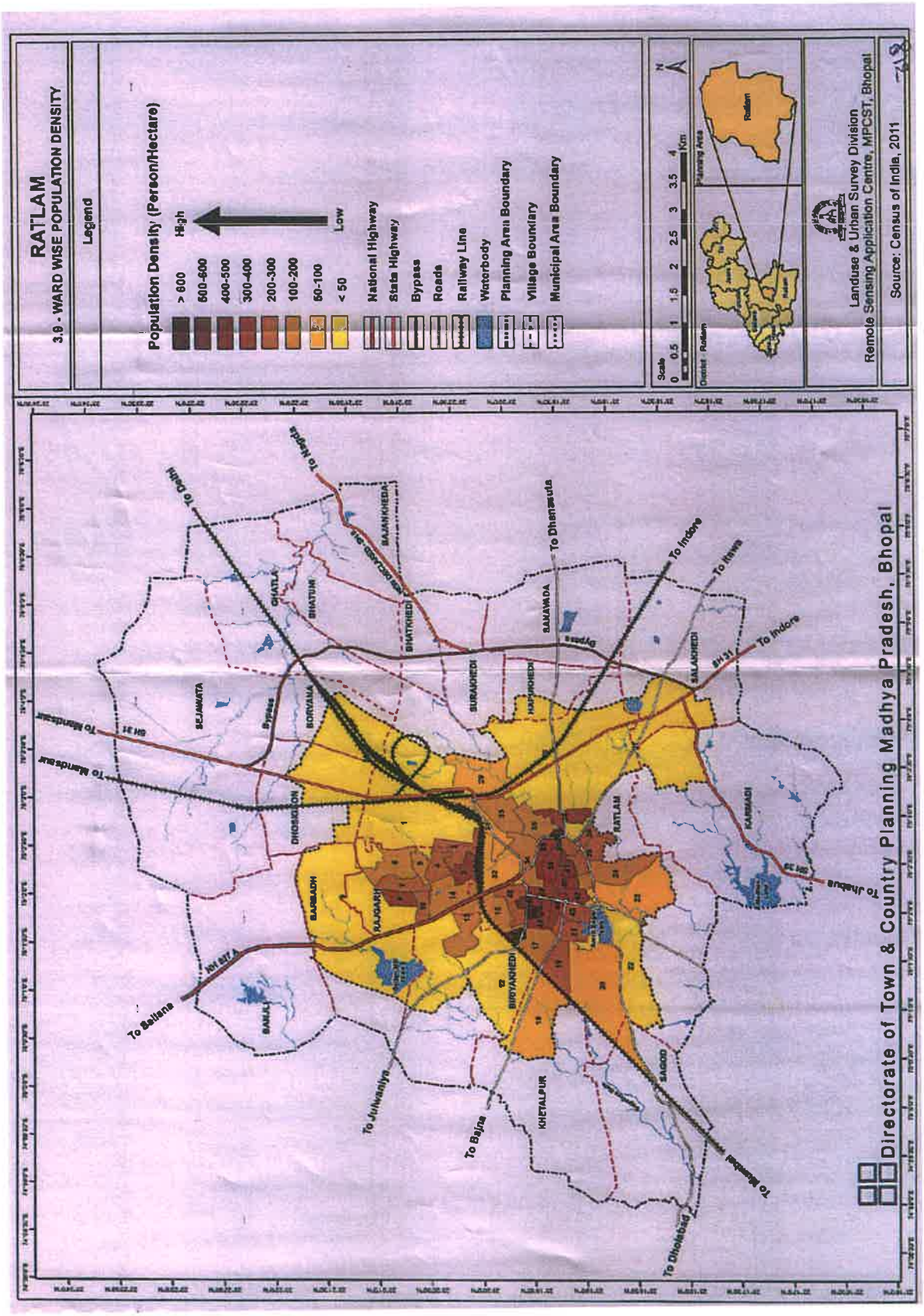
सारणी 3–सा– 15

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम	वार्ड का कुल क्षेत्र हेक्टेयर में	जनसंख्या (2011)	जनसंख्या घनत्व
1	2	3	4	5
1	गांधीनगर	211.85	3708	18
2	लक्ष्मणपुरा	25.85	7316	283
3	इंदिरा नगर	16.56	4874	294
4	राजगढ़	18.75	4224	225
5	अलकापुरी	11.80	2174	184
6	अंबेडकर	37.62	5696	151
7	कस्तुरबा नगर	21.00	4678	223
8	राजीव गांधी	15.31	4763	311
9	काटजू नगर	248.23	5913	24
10	सुभाष	13.15	3512	267
11	डॉ राधाकृष्णन	263.06	10900	41
12	खेतलपुर	172.52	8302	48
13	तम्बोलिया बाग	42.99	6852	159
14	सिलावट वास	40.34	7559	187
15	भगतपुरी	27.98	5470	196
16	रामगढ़	7.81	5606	718
17	सायर चबुतरा	31.46	4422	141
18	माली कुआँ	88.86	5319	60
19	थावरिया बाजार	33.89	9055	267
20	हाकिम वाड़ा	149.04	9503	64
21	आनंद कॉलोनी	16.71	4081	244
22	भक्तन की बावड़ी	132.52	5932	45
23	जगजीवन राम	90.08	5797	64
24	मोतीलाल नेहरू	47.83	6247	131

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम	वार्ड का कुल क्षेत्र हेक्टेयर में	जनसंख्या (2011)	जनसंख्या घनत्व
1	2	3-	4	5
25	राजस्व कॉलोनी	25.52	5660	222
26	लालबहादुर शास्त्री	19.57	5325	272
27	लोकेन्द्र भवन	311.63	9134	29
28	जवाहर	302.67	7204	24
29	डॉ राजेन्द्र प्रसाद	69.92	4484	64
30	खातीपुरा	347.90	6702	19
31	शेरानीपुरा	32.04	3025	94
32	नगर निगम	60.45	4968	82
33	पूर्णेश्वर	35.29	4561	129
34	राजमहल	33.59	3569	106
35	महारानी लक्ष्मीबाई	26.75	3694	138
36	गफूर	21.85	8288	379
37	माणक चौक	5.82	3924	675
38	कसारा	14.19	4512	318
39	रानीदुर्गावती बाई	13.01	4041	311
40	बोहरा बाखल	10.85	4004	369
41	ईदगाह रोड	9.85	4177	424
42	चांदनी चौक	11.80	4233	359
43	शिवाजी	19.57	4667	238
44	विनोबा	13.40	4606	344
45	मोमीनपुरा	12.32	4447	361
46	महर्षि वेद व्यास	6.55	5112	781
47	महर्षि दयानंद	7.98	3700	463
48	नीम चौक	23.33	4938	212
49	स्वामी विवेकानंद	10.60	4036	381
	योग	**3211.64**	**264914**	**82**

स्त्रोतः– भारत की जनगणना 2011 एवं नगर पालिक निगम रतलाम (म.प्र.)

उपरोक्त सारणी में जनसंख्या घनत्व के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि पुराने शहर एवं बाहरी आबादी में, घनत्व के संदर्भ में काफी अंतर है। वार्ड क्रमांक 46 में सबसे


RATLAM
3.0 - WARD WISE POPULATION DENSITY
Legend
Population Density (Person/Hectare)
High
> 800
600-800
400-500
300-400
200-300
100-200
50-100
< 50
Low
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
Ratlam
Planning Area
District Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Nagda
To Dahod
To Dhamnoda
To Indore
To Itawa
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
To Jhabua
To Sailana
To Jhirwaniya
To Bajna
To Dhamnod
To Banswara
SAJANKHEDI
GHATLA
BHATUNI
BHATKHEDI
BAMANIYA
SEJAWATA
BORVANIA
SURAKHEDI
HARSHKHEDI
SALAKHEDI
DHOMSOON
RATLAM
KARMADI
BARWADH
RAJGARH
BIRDYAKHEDI
SAGOD
KHETALPUR
SH 31
SH 38
NH 59A
Bypass

अधिक जनसंख्या घनत्व 781 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। वार्ड क्रमांक 16 द्वितीय क्रम पर है यहां जनसंख्या घनत्व 718 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है तथा सबसे कम जनसंख्या का घनत्व वार्ड क्रमांक 1 में 18 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। वार्डवार तुलनात्मक जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी 3–सा–16 में दर्शाया गया है।

वार्ड वार जनसंख्या घनत्व

सारणी 3–सा– 16

क्र.	जनसंख्या घनत्व (प्रति हेक्टेयर)	वार्ड क्रमांक	कुल वार्ड
1	2	3	4
1	< 50	1, 9, 11, 12, 22, 27, 28, 30	08
2	50-100	18, 20, 23, 29, 31, 32	06
3	100-200	5, 6, 13, 14, 15, 17, 24, 33, 34, 35	10
4	200-300	2, 3, 4, 7, 10, 19, 21, 25, 26, 43, 48	11
5	300-400	8, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 49	09
6	400-500	41, 47	02
7	500-600	-	00
8	>600	16, 37, 46	03
योग			**49**

स्त्रोतः– भारत की जनगणना 2011

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि रतलाम नगर भिन्न–भिन्न जनसंख्या घनत्व से युक्त होने के कारण नियोजन योजना ठोस एवं परिणामकारक हो, जिससे की अत्यधिक घनत्व के क्षेत्रों का विकेन्द्रीकरण किया जा सके तथा आवश्यक सेवायें एवं अधोसंरचना को कम घनत्व के क्षेत्रों में आगामी विकास हेतु उपलब्ध हो सके।

3.6 व्यावसायिक संरचना

व्यावसायिक संरचना

सारणी 3–सा– 17

क्र.	श्रेणी/वर्ग	नगर समूह क्षेत्र के अंतर्गत कार्यशील श्रमिक	प्रतिशत	सहभागिता दर (प्रति 1000 जनसंख्या)
1	2	3	4	5
1	कृषक	1324	1.67	4.99
2	खेतीहर मजदूर	1306	1.64	4.93
3	गृह उद्योग	4214	5.29	15.91
4	उत्पादन सेवाएं एवं अन्य	72724	91.40	274.52
योग		**79568**	**100**	**300.35**

स्त्रोतः– भारत की जनगणना वर्ष 2011

3.7 जनसंख्या परिवर्तन

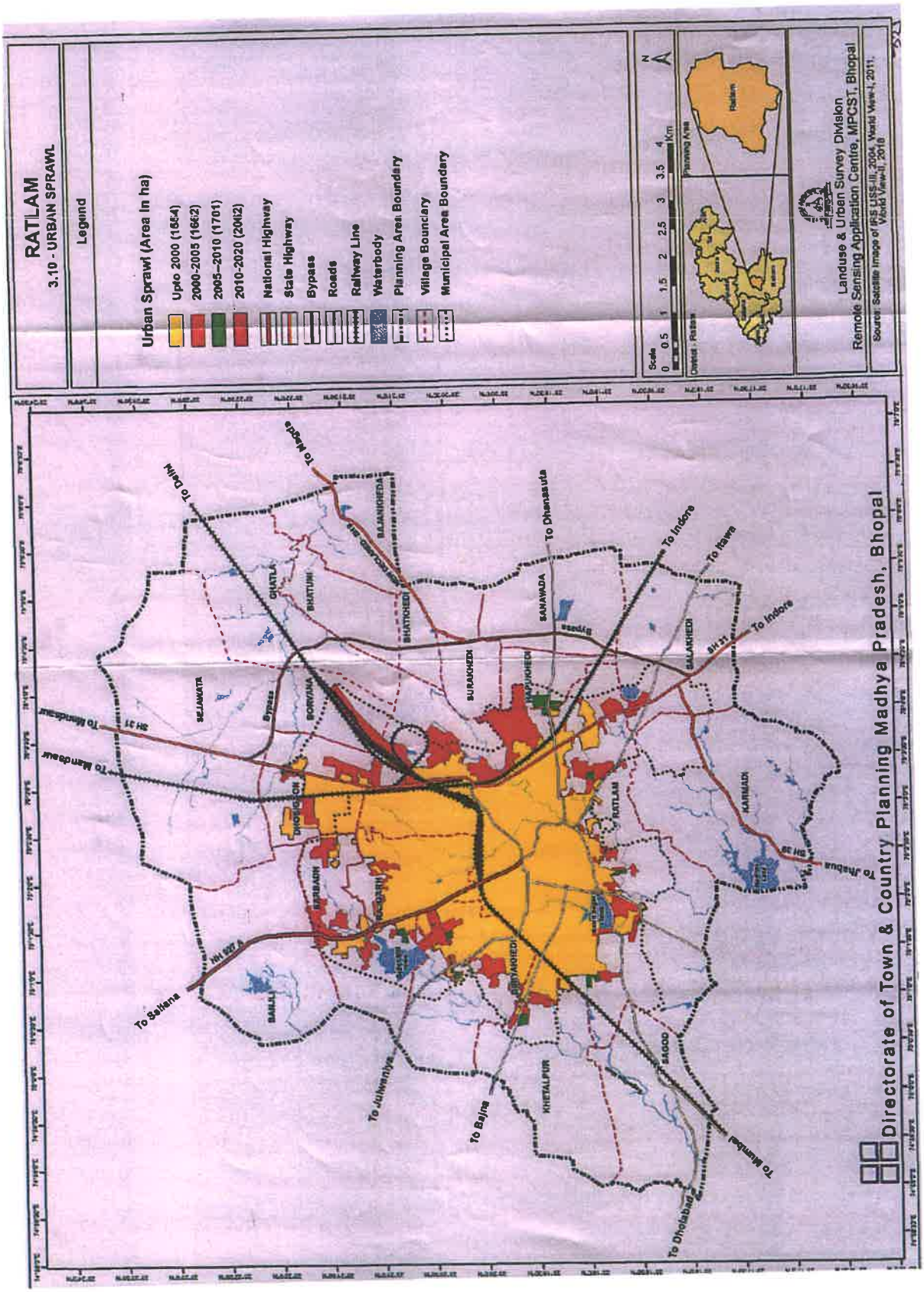
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रतलाम निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 2,79,493 है। वर्ष 1961 में निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 93,384 थी। वर्ष 1961 के पश्चात् निवेश क्षेत्र की जनसंख्या में सतत् रूप से वृद्धि होती रही है, जो नगर में हो रहे विकास सेवा–सुविधाओं में सुधार, रोजगार में वृद्धि तथा व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि का प्रतीक है। निम्न सारणी में निवेश क्षेत्र की जनसंख्या एवं दशक वृद्धि दर्शायी गई है।

जनसंख्या परिवर्तन

सारणी 3–सा– 18

क्र.	वर्ष	जनसंख्या (निवेश क्षेत्र)	दशक वृद्धि दर
1	2	3	4
1	1961	93384	-
2	1971	126934	35.93
3	1981	163381	28.71
4	1991	205823	25.98
5	2001	247695	20.34
6	2011	279493	19.41

स्त्रोतः– भारत की जनगणना वर्ष 2011


RATLAM
3.10 - URBAN SPRAWL
Legend
Urban Sprawl (Area in ha)
Upto 2000 (1554)
2000-2005 (1662)
2005-2010 (1701)
2010-2020 (2062)
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District : Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Satellite Image of IRS LISS-III, 2004, World View-I, 2011, World View-II, 2018
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Neemuch
To Delhi
To Mandsaur
To Mandsaur
To Sailana
To Jaora
To Indore
To Kawa
To Indore
To Dhamnasuta
To Jhabua
To Mumbai
To Dholabad
To Bajna
To Jhirnaniya
GHATLA
BHATUNI
BHATKHEDI
SEJAWATA
BORVANA
SURAKHEDI
SAMAVADA
BALAKHEDI
DHOLIKON
KARBARDI
HARIGOAN
KARMADI
RATLAM
BARMAKHEDI
KHETALPUR
SAGOD
Bypass
NH 927 A
SH 31
SH 31
SH 28

3.8 नगर के मुख्य कार्यकलाप

1. नगर में "अ" श्रेणी की कृषि उपज मंडी है, जो वर्तमान में इंदौर मार्ग पर नवीन स्थल पर संचालित है। यहाँ प्रमुखतः गेहूँ, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, दालों का बाजार केन्द्र स्थित है। यहाँ से अन्य केन्द्रों को माल निर्यात किया जाता है। यहाँ किराना, तेल तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का थोक बाजार केन्द्र है।
2. रतलाम नगर में पारंपरिक रूप से नमकीन का उत्पादन होकर क्षेत्रीय स्तर पर विक्रय किया जाता है। उद्योग विभाग द्वारा नमकीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नमकीन क्लस्टर भी विकसित किया गया है।
3. रतलाम नगर सोना–चांदी के आभूषण के लिए भी प्रसिद्ध है। इस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रतलाम विकास प्राधिकरण द्वारा जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क (Gems & Jewellery Park) को विकसित किया जाना है।
4. रतलाम नगर प्रशासनिक क्षेत्र में यहाँ पर जिला एवं तहसील स्तर के मुख्यालय होकर यह नगर पश्चिम रेलवे का संभागीय मुख्यालय है। यह नगर दिल्ली–मुम्बई तथा इन्दौर–अजमेर रेलवे जंक्शन होने से माल एवं यात्री यातायात के दृष्टिकोण से यह एक प्रमुख केन्द्र है। यहाँ यात्री यातायात की तुलना में माल यातायात अधिक है। यहाँ अनेकों दर्शनीय वास्तुशिल्पीय भवन, मंदिर, आगोद प्रगोद स्थल, ऐतिहासिक स्थिति है, जो नगर की वास्तुशिल्पीय ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्ता बढ़ाते हैं।

3.9 नगरीय विस्तार

रतलाम निवेश क्षेत्र का नगरीय विस्तार क्रम अलग–अलग तिथियों पर सुदूर संवेदन प्रणाली के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। प्राकृतिक विस्तार समय एवं क्षेत्रफल सारणी 3–सा–19 में स्पष्ट किया गया है। निम्न सारणी से यह स्पष्ट होता है कि नगर का विकास/विस्तार अधिकतम विकास वर्ष 2008–2019 के मध्य में हुआ है।

नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

सारणी 3–सा– 19

क्र.	नगरीय विस्तार	क्षेत्रफल (हे.में.)
1	2	3
1	2001 तक	826.70
2	2001-2008	754.50
3	2008-2019	965.20
	कुल	**2546.40**

3.10 गंदी बस्ती एवं झुग्गी–झोपड़ी क्षेत्र

आवश्यकता एवं सुविधाओं रहित समाज के अनौपचारिक मजदूर वर्ग की बसाहट, गंदी बस्ती के नाम से पहचानी जाती है। रतलाम नगर में गंदी बस्तियों की संख्या 17 है, जिनमें 12786 मकानों में 62368 व्यक्ति निवासरत हैं। इसी प्रकार नगर में स्थित 9 झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों में 745 झुग्गियों में लगभग 3750 जनसंख्या निवासित हैं। स्थानीय निकाय द्वारा इन क्षेत्रों में अधोसंरचना एवं पर्यावरण सुधार योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। नगर स्थित गंदी बस्तियों का विवरण निम्नानुसार है :–

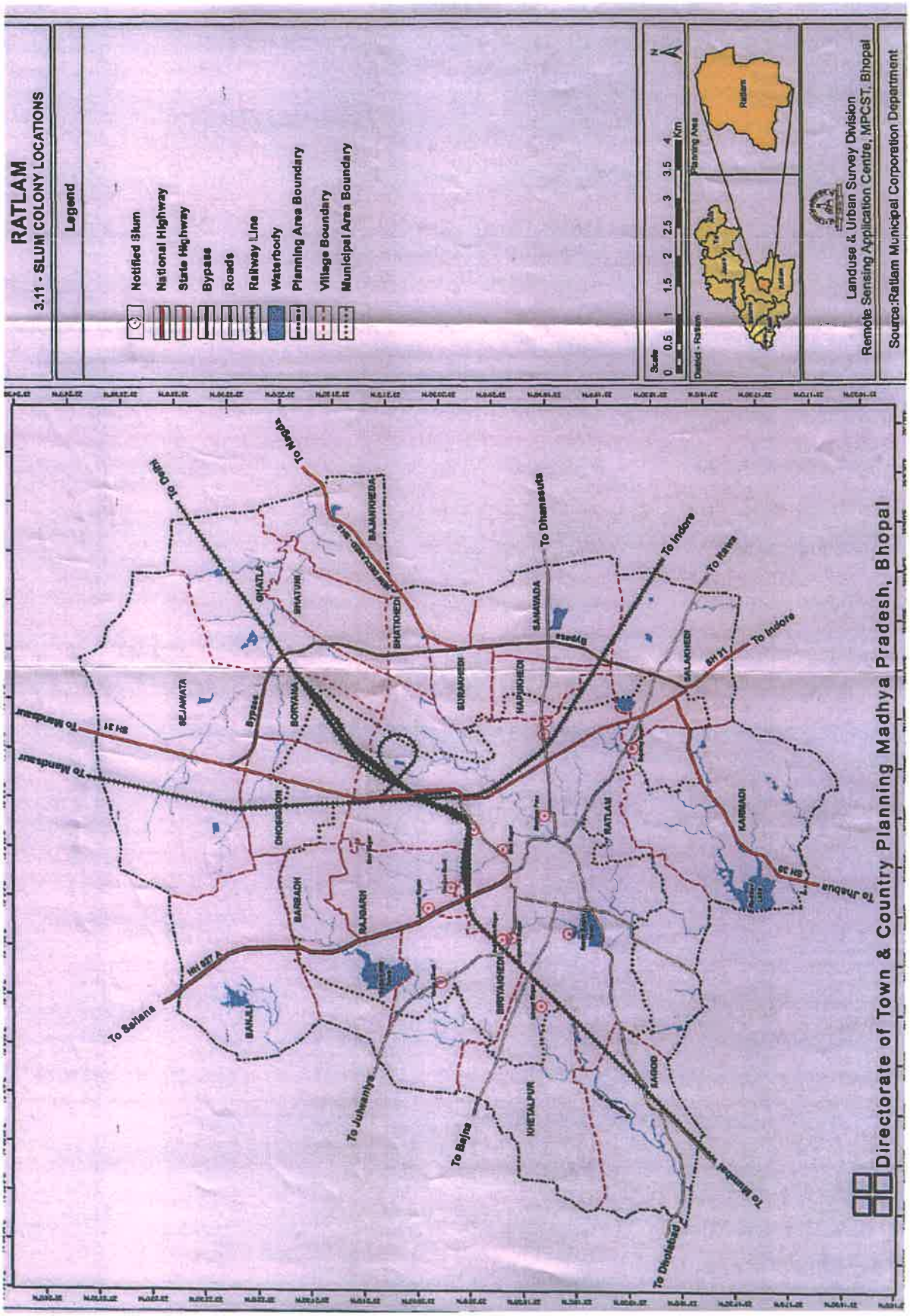
अधिसूचित गंदी बस्तियां

सारणी 3–सा– 20

क्रमांक	गंदी बस्तियों के नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	मकानों की संख्या	जनसंख्या
1	2	3	4	5
1	ईश्वर नगर	3.62	1054	4964
2	सुभाष नगर	2.75	964	4314
3	जवाहर नगर	1.00	120	602
4	राजगढ़	3.08	720	2220
5	हाटरोड खटिक मोहल्ला	2.78	942	2798
6	बिरियाखेड़ी	1.60	655	2650
7*	गवली मोहल्ला सिलावटों का वास	2.82	847	4242
8*	ओझाखाली	3.28	1210	4142
9	चमारिया नाका	1.00	128	741
10	गांधीनगर (लक्षमणपुरा)	6.08	1493	7466
11	जावरा रोड	6.16	1510	9124
12*	शेरानी पुरा	3.00	738	4325
13*	मेवाती पुरा	1.01	129	650
14*	चिंगीपुरा	0.85	119	529
15*	हाथीखाना	0.83	117	527
16*	मोमिनपुरा	2.90	1104	9624
17*	मराठों का वास	2.70	936	4681
योग		**45.46**	**12786**	**62368**

स्त्रोत : नगर पालिक निगम रतलाम

*मध्य क्षेत्र में स्थित बस्तियां


RATLAM
3.11 - SLUM COLONY LOCATIONS
Legend
Notified Slum
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source:Ratlam Municipal Corporation Department
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Neemuch
To Dewas
To Dhamnoda
To Indore
To Kalwa
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
To Sailana
To Jaora
To Jhabua
To Jhabua
To Bajna
To Dhodsad
BAJAHREDA
GHATLA
BHATIYAN
BHATIYANKHEDI
SAMAVADA
SEJAVATA
BORVANA
SURAKHEDI
HARIKHEDI
SALAKHEDI
DHOBIGHATI
RATLAM
KARMADI
BARBADH
RAJGARH
BANJLI
BIRIYAKHEDI
KHETALPUR
SAGOD
NH 927 A
SH 31
SH 21
SH 39

नगर स्थित अधिकतर झुग्गी–झोपड़ियां रेलवे लाईन के किनारे स्थित हैं तथा अन्य बस्तियां नगर में यत्र–तत्र स्थित हैं, इनका विवरण निम्नानुसार है :–

झुग्गी–झोपड़ी क्षेत्र

सारणी 3–सा– 21

क्रमांक	झुग्गी क्षेत्र का नाम	झुग्गियों की संख्या	जनसंख्या
1	2	3	4
1	आमलिया भेरू– श्रम शिविर	35	180
2	मोती नगर	230	1115
3	होमगार्ड कालोनी	60	460
4	डाट की पुल के पास	30	150
5	राजबाई की जीन क्षेत्र	15	80
6	ईदगाह कलाली रोड	40	190
7	बजरंग नगर	225	1150
8	अर्जुन नगर	40	210
9	शिव नगर	40	215
	योग	**745**	**3150**

स्त्रोत : नगर पालिक निगम, रतलाम

उपरोक्त गंदी बस्तियों एवं झुग्गी–झोपड़ियों में कुल 65518 जनसंख्या निवासरत है जो नगर की कुल जनसंख्या का लगभग 24.95 प्रतिशत है। गंदी बस्ती क्षेत्रों के पर्यावरण सुधार एवं उन्नयन किया जाकर मूलभूत सेवा सुविधाओं एवं अधोसंरचना विकास किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त समस्त बस्तियों को प्रस्तावित अर्जुन नगर आवासीय क्षेत्र में पुनर्वासित किया जाना प्रस्तावित है।

3.11 अनुमानित जनसंख्या

वर्ष 2035 की भावी जनसंख्या का आकलन करने हेतु वर्ष 1951 से 2011 तक की जनगणना की जानकारी एकत्र कर निम्नलिखित सांख्यिकी पद्धति के आधार पर भावी जनसंख्या का आकलन किया गया है –

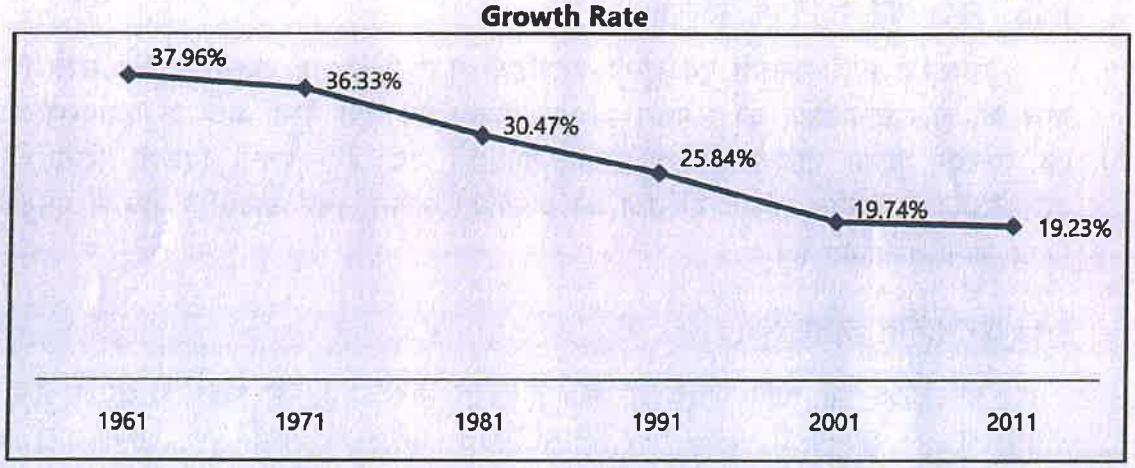
1. वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)
2. अंकगणितीय प्रगति पद्धति (Arithmetic Progression Method)
3. ज्यामितीय वृद्धि पद्धति (Geometrical Progression Method)
4. घातांकीय पद्धति (Exponential Progression Method)

विगत दशकीय वृद्धि दर के आंकडों से यह स्पष्ट है कि रतलाम नगर की जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 1961 में 37.96 प्रतिशत, वर्ष 1971 में 36.33 प्रतिशत, 1981 में 30.47 प्रतिशत, 1991 में 25.84 प्रतिशत, 2001 में 19.74 प्रतिशत व 2011 में 19.23 प्रतिशत रही है। उक्त स्थिति में विगत दशकों में नगर की असमान जनसंख्या वृद्धि दर को देखते हुये उपरोक्त उल्लेखित पद्धतियों से वर्ष 2035 की जनसंख्या अनुमानित की गई है।

अनुमानित जनसंख्या (Population Projection)

सारणी 3–सा– 22

S. No.	Year	Population	Decatal Growth Rate
1	2	3	4
1	1951	63403	-
2	1961	87472	37.96%
3	1971	119247	36.33%
4	1981	155578	30.47%
5	1991	195776	25.84%
6	2001	234419	19.74%
7	2011	279493	19.23%



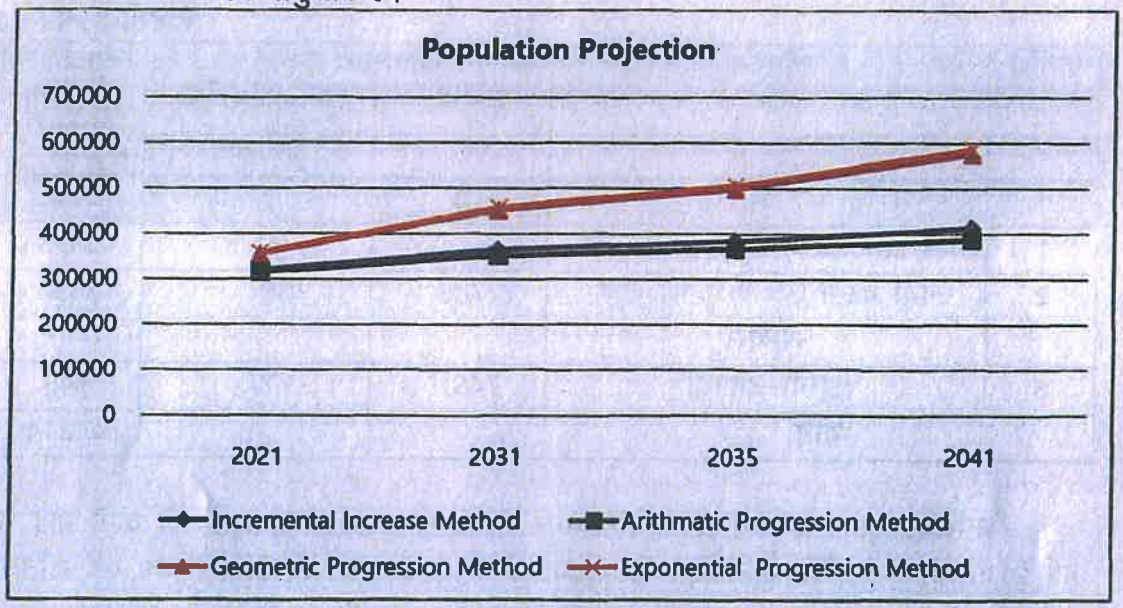
उपरोक्त चारों पद्धतियों के माध्यम से वर्ष 2035 तक आंकलित जनसंख्या का औसतन निम्नानुसार है।

जनसंख्या प्रक्षेपण वर्ष 2035

सारणी 3–सा– 23

Year	Incremental Increase Method	Arithmetic Progression Method	Geometric Progression Method	Exponential Progression Method
1	2	3	4	5
2021	319709	315508	355734	357889
2031	364126	351523	452771	458273
2035	383069	365929	498633	505912

उपरोक्त चारों पद्धतियों के माध्यम से वर्ष 2035 तक आंकलित जनसंख्या को ग्राफ के माध्यम से चित्रण निम्नानुसार है।



विकास योजना तैयार किए जाने हेतु योजनाकाल का निर्धारण एवं योजनाकाल के लिये अनुमानित जनसंख्या का आकलन किया जाता है, ताकि योजनाकाल में विकास हेतु जनसंख्या के आधार पर नगरीय उपयोग हेतु आवश्यक भूमि का आकलन कर भूमि उपयोग प्रस्तावित किये जा सके। नगर की विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन हेतु योजनाकाल 2035 तक का निर्धारण किया गया है। विकास योजना 2035 के लिये जनसंख्या वृद्धि के आकलन हेतु उपरोक्त चारों पद्धतियों में से घातांकीय पद्धति के आधार पर वर्ष 2035 की जनसंख्या 5.0 लाख प्रक्षेपित की गई है।

3.12 आवास आवश्यकता

3.12.1 आवासों की कमी

वर्ष 2011 में परिवारों की संख्या 53133 तथा आवासों की संख्या लगभग 47500 थी। इस आधार पर परिवार का औसत आकार 4.98 व्यक्ति आता है। परिवार को एक स्वतंत्र आवास की आवश्यकता के मान से वर्ष 2011 में 5633 आवासों की कमी परिलक्षित होती है।

नगर की 17 गंदी बस्तियों में 12786 आवास स्थित है, जिनमें से 30 प्रतिशत आवासों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। उपरोक्त के अलावा 745 झुग्गी–झोपड़ियों को 100 प्रतिशत आवास की आवश्यकता है। उक्त के आधार पर वर्तमान में आवासों की कमी का आकलन निम्न सारणी में दर्शाया गया है –

आवासों की कमी

सारणी 3–सा– 24

क्रमांक	विवरण	आवासीय इकाई		आवासों की कमी
		कुल	पुर्नस्थापना का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
1	वर्ष 2011 तक आवासों की कमी			5633
2	गंदी बस्ती क्षेत्र के जीर्ण शीर्ण आवास	12786	30	3836
3	झुग्गी–झोपड़ी	745	100	745
योग				10214

उपरोक्तानुसार वर्तमान में रतलाम नगर में लगभग 10214 आवासों की कमी पाई गई। वर्ष 2035 की अनुमानित अतिरिक्त जनसंख्या के लिए आवासों की आवश्यकता एवं अतिरिक्त परिवारों का अनुमान आगामी सारणी में किया गया है।

3.12.2 अनुमानित आवास आवश्यकता

अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता–2035

सारणी 3–सा– 25

क्र.	विवरण	आवासीय इकाईयों की आवश्यकता	
		2011	2035
1	2	3	4
1	जनसंख्या	264914	500000
2	अतिरिक्त जनसंख्या वर्ष 2035 तक	-	235086
3	औसत परिवार का आकार	4.98	4.5
4	अतिरिक्त परिवार	-	52241
5	वर्ष 2035 में 90 प्रतिशत परिवारों की आवास आवश्यकता	-	47017
6	वर्ष 2011 की कमी को सम्मिलित करते हुए आवास आवश्यकता	10214	57231
7	वर्ष 2011 से 2019 तक निर्मित अतिरिक्त आवास	-	7009
8	वर्ष 2019 तक निर्मित अतिरिक्त आवास को घटाकर आवास आवश्यकता		50222
9	निवास योग्य रहवासी इकाईयों की प्रतिवर्ष एक प्रतिशत की दर से पुनर्स्थापना (54509 मकान)	-	8721
10	कुल आवास आवश्यकता	-	58943

वर्ष 2011 में औसत परिवार आकार 4.98 व्यक्ति प्रति परिवार है। वर्ष 2035 में परिवार का औसत आकार 4.5 व्यक्ति प्रति परिवार मानते हुये आवासों की कमी को सम्मिलित करते हुए अनुमान है, कि वर्ष 2035 तक लगभग 58943 नवीन आवासीय इकाईयों की आवश्यकता होगी।

3.13 भौतिक अधोसंरचना

3.13.1 जल प्रदाय

नगर में वर्तमान में जल प्रदाय का मुख्य स्त्रोत धोलावाड़ परियोजना है। धोलावाड़ परियोजना, सिंचाई विभाग द्वारा रतलाम शहर से 22 कि.मी. दूरी पर जामल पाटली नदी पर निर्मित धोलावाड़ जलाशय पर आधारित है। वर्तमान में 24.45 एम.एल.डी की जल संग्रहण

क्षमता एवं 47.20 एम.एल.डी की जल शोधन क्षमता उपलब्ध है। वर्तमान में लगभग 65 प्रतिशत आवासों को शोधित जल प्रदाय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक नल कूपों एवं कुओं आदि से जल प्रदाय किया जा रहा है।

रतलाम नगर से 13.5 किलोमीटर दूरी पर सिंचाई विभाग द्वारा ग्राम कनेरी में स्टाप डेम का निर्माण किया गया है। इस योजना से रतलाम नगर की आगामी 25 वर्षों तक की आवश्यकता की जल पूर्ति करने की संभावना है।

3.13.1.1 मांग का आकलन

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन की जल प्रदाय एवं उपचार हेतु जारी निर्देशिका में यह सुझाव दिया गया है कि उन बड़े शहरों में जहां जल प्रदाय नेटवर्क अस्तित्व में हो या बनाई जाने वाली हो वहां प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन 150 लीटर पानी प्रदाय किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय बिल्डिंग संहिता, जल प्रदाय की आधारभूत आवश्यकता निकासी एवं स्वच्छता प्रबंध संहिता (आई.एस.: 1172–1983) में न्यूनतम 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय ऐसे सभी निवासियों के लिये जहां मल निकासी के लिये पूर्ण तेज बहाव (फ्लश) व्यवस्था हो, किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय पाईपलाइन से किया जाये तो इस दर से शहर में निम्नानुसार जल आपूर्ति की आवश्यकता होगी :–

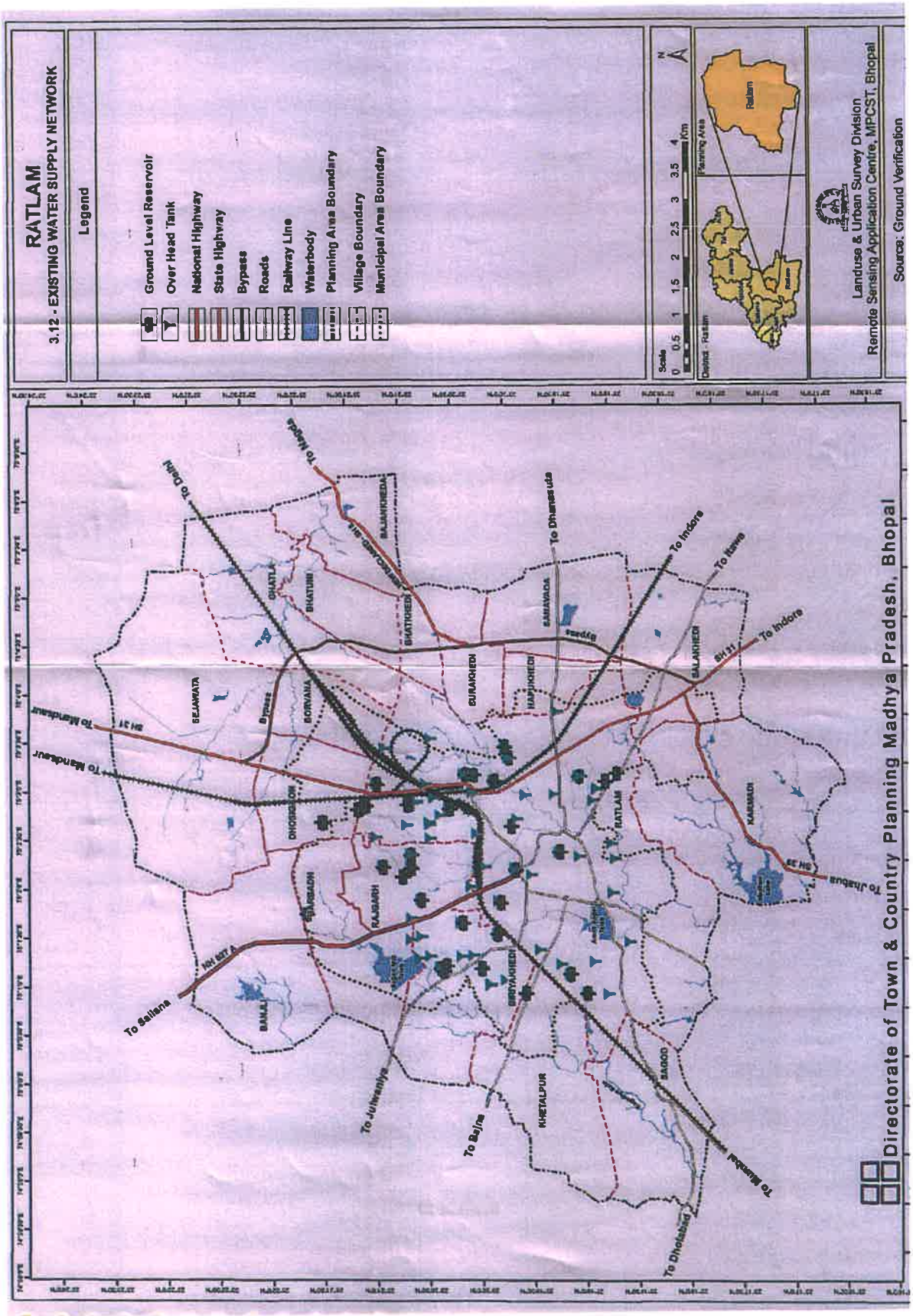
जल आपूर्ति आकलन

सारणी 3–सा– 26

क्रमांक	वर्ष	जनसंख्या	जल आपूर्ति मात्रा (लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	कुल जल आपूर्ति मात्रा (एम.एल.डी. में)
1	2	3	4	5
1	2011	264914	135	35.76
2	2035	5,00,000	135	67.50

रतलाम नगर में वर्तमान जल प्रदाय हेतु जल शोधन क्षमता 47.20 एम.एल.डी. एवं जल संग्रहण क्षमता 24.45 एम.एल.डी. उपलब्ध है, जिसके अनुसार वर्तमान में शहर में केवल 92.29 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की जल प्रदाय क्षमता है।

रतलाम नगर में 2035 तक 67.50 एम.एल.डी की जल संग्रहण एवं शोधन क्षमता की आवश्यकता है। वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 5.00 लाख के लिए 43.05 एम.एल.डी की अतिरिक्त जल संग्रहण क्षमता एवं 20.30 एम.एल.डी की अतिरिक्त जल शोधन सुविधा को विकसित किया जाना प्रस्तावित है।


RATLAM
3.12 - EXISTING WATER SUPPLY NETWORK
Legend
Ground Level Reservoir
Over Head Tank
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District : Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Ground Verification
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Nasda
To Delhi
To Dhamnada
To Indore
To Ujjain
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
To Sailana
To Jaora
To Jhirnaniya
To Bajna
To Dhotabad
To Mumbai
BAJANKHEDA
BHATKHEDI
GHATLA
BHATUNI
SEJAWATA
BORVANA
DHOBIDEORI
BARGADHI
RAJGARH
BAMLI
BURAKHEDI
HARIKHEDI
SAMAVADA
SALAKHEDI
BIRIYAKHEDI
KHETALPUR
BAGOD
RATLAM
KARMADI
Bypass
NH 59
SH 31
NH 927 A

रतलाम नगर से 13.5 किलोमीटर दूरी पर सिंचाई विभाग द्वारा ग्राम कनेरी में स्टाप डेम का निर्माण किया गया है। इस योजना से रतलाम नगर की आगामी 25 वर्षों तक की आवश्यकता की जल पूर्ति करने की संभावना है।

3.13.1.2 जल वितरण व्यवस्था

यह प्रस्तावित है कि वर्ष 2035 तक पर्याप्त प्रदाय दबाव सहित नगर की 100 प्रतिशत जनसंख्या को पाईपलाईन द्वारा जल प्रदाय व्यवस्था में सम्मिलित किया जावे। वर्तमान में नगर की 65 प्रतिशत जनसंख्या को ही पाईपलाईन द्वारा जल प्रदाय उपलब्ध है। वर्तमान की अवरोधित जल प्रदाय व्यवस्था के स्थान पर सुरक्षित एवं पीने योग्य गुणवत्ता वाले जल की निरंतर जल प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित की **जाना आवश्यक है।**

पेयजल के दुरूपयोग को रोकने तथा प्रदाय व्यवस्था में उच्चतर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सेवा मीटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जब तक जल के वास्तविक उपयोग पर आधारित न किया जावे तब तक जल दरों की व्यवस्था का निर्माण दक्षताओं हेतु आवश्यक है।

3.13.2 जल–मल निकास एवं स्वच्छता

घरेलू मल निकासी हेतु सेनेटिरी नालियां तथा वर्षा जल की निकासी हेतु वर्षा जल प्रवाह नालियां, इस प्रकार पृथक–पृथक नालियां उपलब्ध कराई जाएगी। शहर में निकासी व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण बनाए गए हैं:–

1. 100 प्रतिशत नगर को सम्मिलित करती हुई नाली व्यवस्था।
2. जल निकासी व्यवस्था का निर्धारण तथा सेवाओं पर निगरानी।
3. अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु उपचारण, पुनर्चक्रीकरण व पुनः उपयोग।
4. वाणिज्यिक स्थानों, बगीचों तथा लोक स्थानों पर सुव्यवस्थित सशुल्क शौचालय।
5. पर्यटकों की सुविधा हेतु चलित–शौचालय अथवा स्वच्छ आधुनिक (मॉड्यूलर)/जैविक शौचालय की व्यवस्था।
6. जन सामान्य हेतु उक्त सभी व्यवस्थाएं आर्थिक रूप से वहन किए जाने योग्य होगी।

3.13.2.1 अपशिष्ट जल प्रवाह

अपशिष्ट जल प्रवाह की दर जनसामान्य को प्रदाय की गई जल की दर तथा भू–जल रिसावों की दर पर निर्भर करती है। सामान्य व्यवहार के अनुसार अनुमानतः जल उपभोग का 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल प्रवाह में परिवर्तित होता है। सामान्यतः अधिकांश क्षेत्र में पाईपलाईनों का स्तर भूमि जल स्तर के ऊपर होना प्रस्तावित है और इसलिए भूमि जल रिसाव को अनदेखा कर दिया जाता है। भूमि जल रिसाव के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट वैज्ञानिक

तथा तकनीकी अध्ययन अनुसार तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जिससे जल संसाधन का अधिकतम संरक्षण किया जा सकें।

वर्तमान में शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट उपलब्ध नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप अपशिष्ट जल, अनुपचारित ही नालियों के माध्यम से बड़े नालों में प्रवाहित हो रहा है। अतः नगर के नियोजित विकास के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं सीवरेज प्रणाली का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या 5.00 लाख अनुसार 54 एम.एल.डी. अपशिष्ट जल उपचार हेतु शोधन संयंत्र की आवश्यकता है।

3.13.3 वर्षा जल निकासी

नगर की भूमि सामान्यतः समतल है। वर्तमान औद्योगिक बस्ती थोड़ी ऊंचाई पर स्थित होकर इस स्थान से बायीं ओर हल्का सा ढाल है, प्रमुख रूप से यह ढाल दक्षिण की ओर है। नगर के पास में मुख्य रूप से दो तालाब बड़बड़ एवं अमृत सागर तालाब स्थित है। इसके अतिरिक्त निवेश क्षेत्र में स्थित ग्राम करमदी, सालाखेड़ी, सनावदा, बाजनखेड़ा, घटला, सेजावता एवं बंजली में भी तालाब स्थित है। नगर का जल बहाव मुखतः दक्षिण की ओर है लेकिन औद्योगिक बस्ती के उत्तर में स्थित क्षेत्र का ढाल उत्तर–पूर्व दिशा की ओर है।

वर्षा का पानी प्रमुख रूप से दो नालों में एकत्रित होता है। निवेश क्षेत्र के उत्तर में दो तालाब स्थित होकर इनका आमोद–प्रमोद गतिविधि हेतु उपयोग हो सकता है। तालाब के किनारे स्थित सपाट पहाड़ियों को गहन वृक्षारोपण से रॉक गार्डन में परिवर्तित करना संभव होगा। भौतिक ढाल, पर्वत श्रेणियों, घाटियों आदि से क्षेत्रिय मार्गों, भावी जल निकास व्यवस्था एवं नगरीयकरण योग्य क्षेत्रों हेतु उपयुक्त स्थान प्राप्त हो सकेंगे।

3.13.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

ठोस अपशिष्ट एक अवांछित पदार्थ है, जो रहवासी क्षेत्र, वाणिज्यिक एवं व्यापार केन्द्रों, कृषि, उद्योगों तथा अस्पतालों तथा सार्वजनिक सेवाओं से उत्पन्न होता है। नगर में आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों की वृद्धि एवं विकास होने से ठोस अपशिष्ट का नगर के विभिन्न खुले क्षेत्रों में निस्तारण कर दिया जाता है, जो पर्यावरण एवं नगरवासियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।

रतलाम नगर में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट का निस्तारण नगर से 04 कि.मी. की दूरी पर ग्राम जुलवानिया में निर्मित ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर किया जाता है तथा कुछ ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण हेतु किया जाता है। नगर में प्रतिदिन 81.00 टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है,

जिसे ट्रेक्टर ट्रॉली, डम्पर एवं कंटेनर द्वारा डोर टू डोर (Door To Door) एकत्रित कर ट्रेचिंग ग्राउण्ड एवं Land Fill Sites तक ले जाया जाता है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र प्रणाली के अंतर्गत पुनर्चक्रीकरण प्रणाली अपनाई जातीं है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है। नगरीय निकाय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत इस कार्य को वैज्ञानिक विधि से संचालित किया जा रहा है।

3.13.5 विद्युत प्रदाय

वर्तमान में निवेश क्षेत्र के अंतर्गत 33/11 केवी के 9 सब स्टेशन निम्न स्थानों पर स्थापित है, जिससे विद्युत आपूर्ति की जाती है :–

1. बिरियाखेड़ी	2. गंगा सागर	3. अर्जुन नगर(दिलीप नगर)
4. चंबल कॉलोनी	5. अहिंसा ग्राम	6. महु रोड
7. पॉवर हाउस रोड	8. त्रिवेणी	9. विनोबा नगर

नगर में विद्युत प्रदाय की कोई समस्या नहीं है। विभिन्न स्त्रोतों से विद्युत प्रदाय नगर को उपलब्ध हो रही है। जिले में सौर ऊर्जा आधारित एवं वायु ऊर्जा आधारित कई प्लांट संचालित है।

3.14 सामाजिक अधोसंरचना

3.14.1 शासकीय कार्यालय

रतलाम नगर जिला मुख्यालय होकर नगर में लगभग सभी विभागों के जिला कार्यालय स्थापित हैं।

3.14.2 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताएं

सामाजिक अधोसंरचना का विश्लेषण यू.आर.डी.पी.एफ.आई. (URDPFI) के मानकों के अनुसार शैक्षणिक स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं की वर्तमान स्थिति की तुलना मानकों के अनुसार वर्तमान आवश्यकता तथा भावी आवश्यकता का आकलन किया गया है।

3.14.3 शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य गतिविधियां

नगर में वर्तमान में कार्यरत स्कूल एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं किन्तु निवास स्थल से दूरी के आधार पर विश्लेषण का विषय ज़ोनल प्लान का है। ज़ोनल प्लान तैयार करते समय नेबरहुड तथा सेक्टर स्तर पर अर्थात् 5000 से 1 लाख आबादी तक आवश्यक गतिविधियों का विश्लेषण एवं वर्तमान आबादी में शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य

गतिविधियों का आकलन किया जाकर विसंगति को दूर किया जाने का प्रयास किया जाना प्रस्तावित है। समस्त शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं अन्य गतिविधियों का जनसंख्या के आधार पर विश्लेषण किया गया है।

नगर स्तरीय गतिविधियों का मुख्य भूमि उपयोग के अंतर्गत विकास हो सकेगा। ज़ोनल प्लान स्तर की गतिविधियों को अन्य भूमि उपयोग में भी विकसित किया जा सकता है जैसे कि आवासीय भूमि उपयोग अन्तर्गत स्कूल, नर्सिंग होम, आंगनबाड़ी, खेल के मैदान एवं वृद्धाश्रम आदि विकसित किये जा सकते हैं।

3.14.4 शमशान घाट एवं कब्रिस्तान

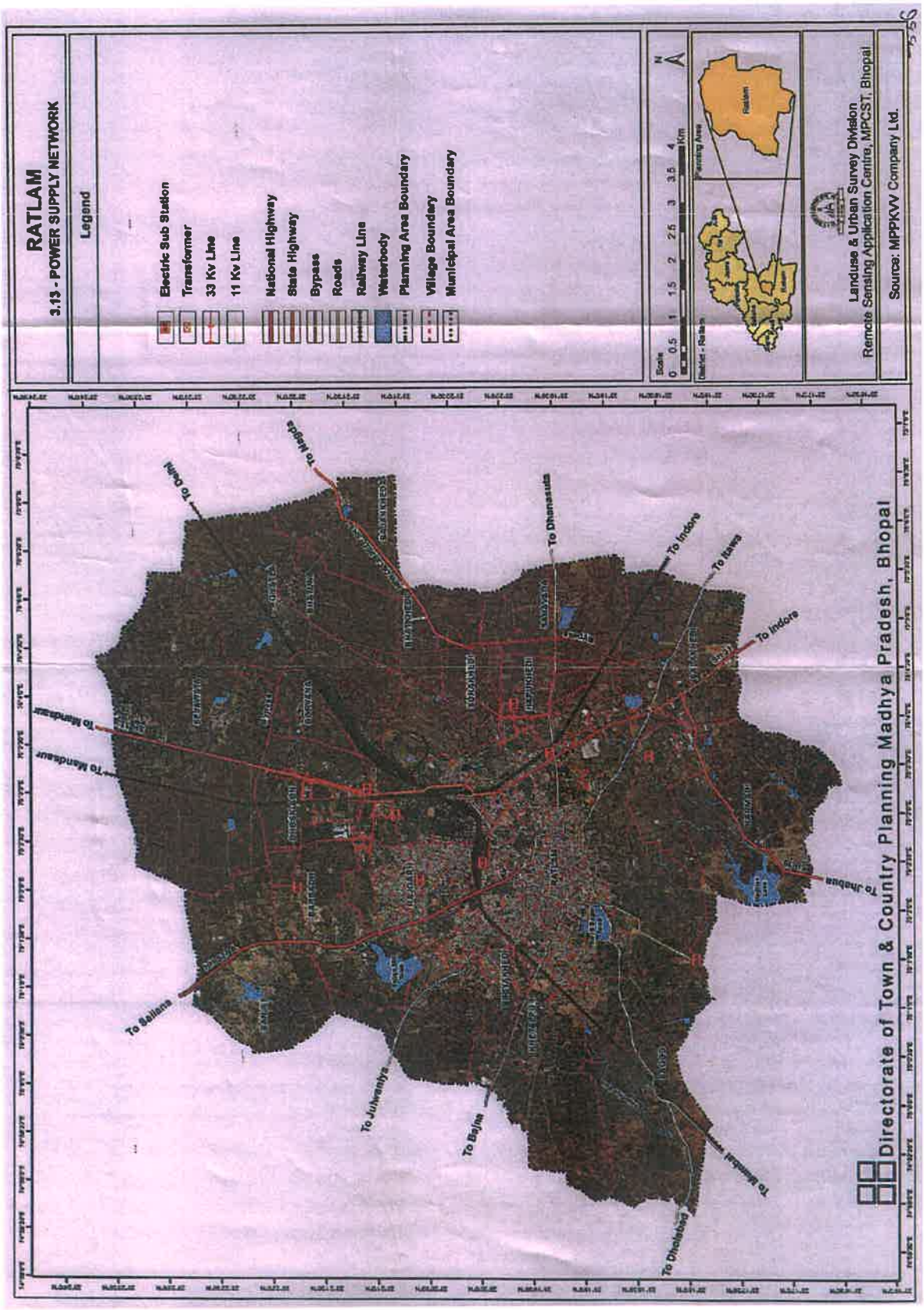
नगर में वर्तमान में विद्यमान शमशान एवं कब्रिस्तान को यथावत नियोजन में समाहित किया गया है। नगर के भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए नये शमशान एवं कब्रिस्तान, कृषि उपयोग के अंतर्गत अनुज्ञेय होंगे, किन्तु इनके स्थलों का चयन जन सामान्य की मांग पर कलेक्टर, स्थानीय संस्था एवं नगर तथा ग्राम निवेश की सहमति से किया जावेगा।

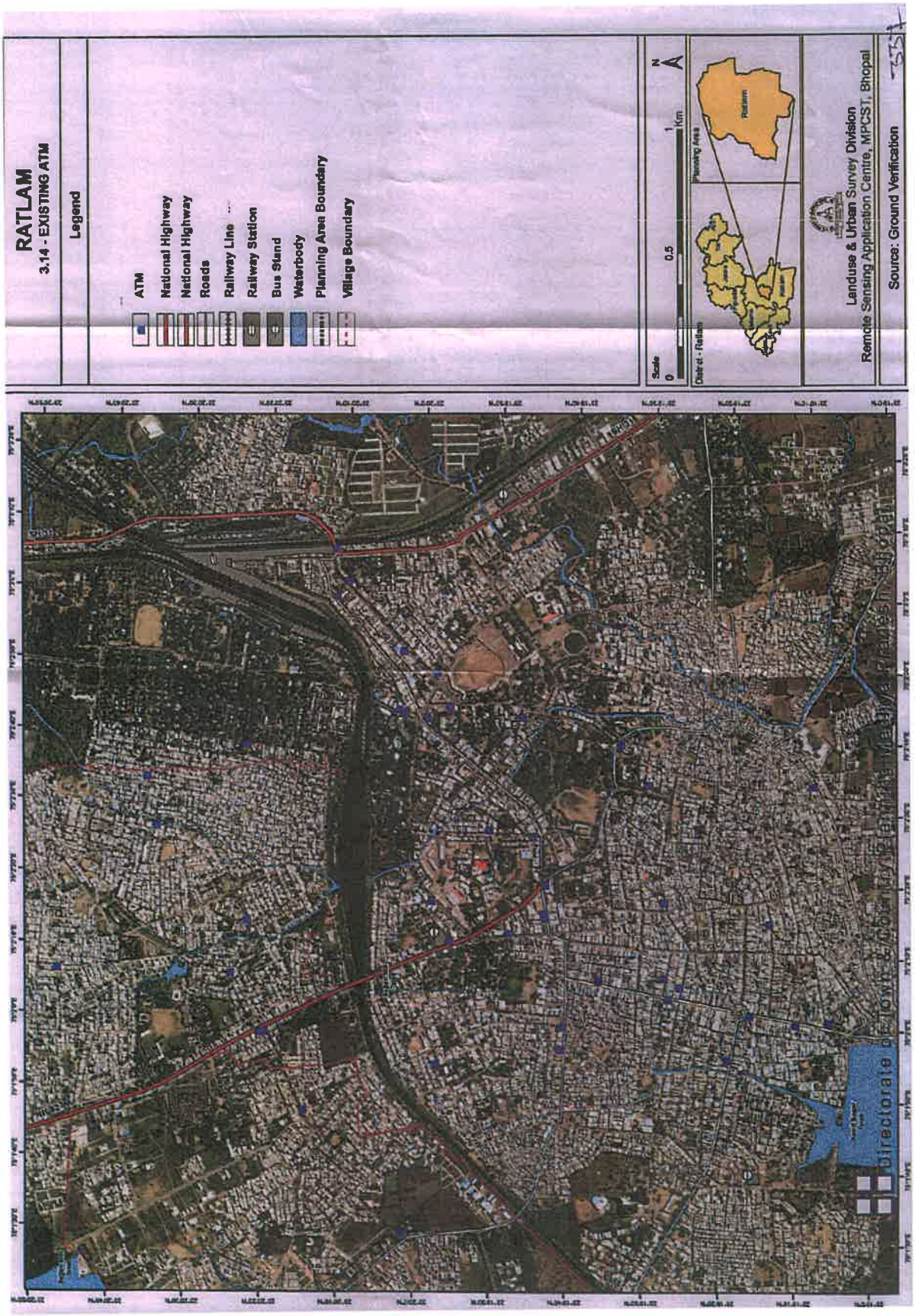
3.14.5 अग्निशमन सेवा केन्द्र

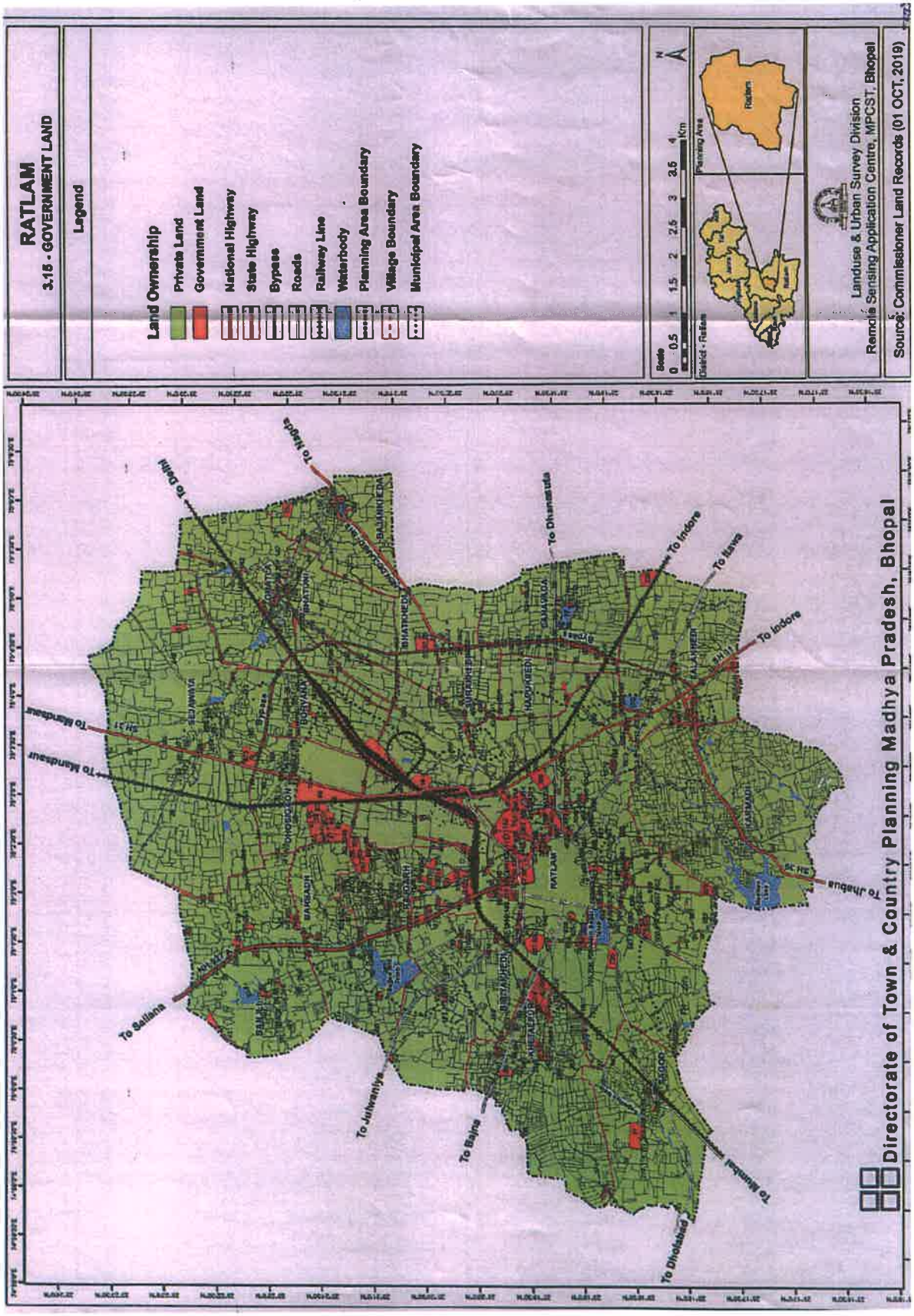
नगर में अग्निशमन सुरक्षा एवं प्रबंधन हेतु 2 लाख जनसंख्या पर एक फायर स्टेशन आवश्यक होता है। प्रति अग्निशमन स्टेशन हेतु मानक अनुसार 1 हेक्टेयर भूमि आवश्यक है ताकि आपात स्थिति के समय अग्निशमन उपलब्ध हो सके। अग्निशमन हेतु स्थापित केन्द्र एवं उपकेन्द्र ऐसे स्थानों पर नियोजित होना चाहिए जहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र अग्निशमन वाहन, अग्नि दुर्घटना के समय अपने गंतव्य तक पहुँच सके। वर्तमान में नगर निगम में 05 फायर ब्रिगेड उपलब्ध हैं, जिनमें से 04 की क्षमता 5000 लीटर एवं 01 की क्षमता 4000 लीटर है। नगर निगम का नगर के मध्य में स्थित होने से नगर के किसी भी स्थान पर शीघ्र पहुंचना सुलभ है।

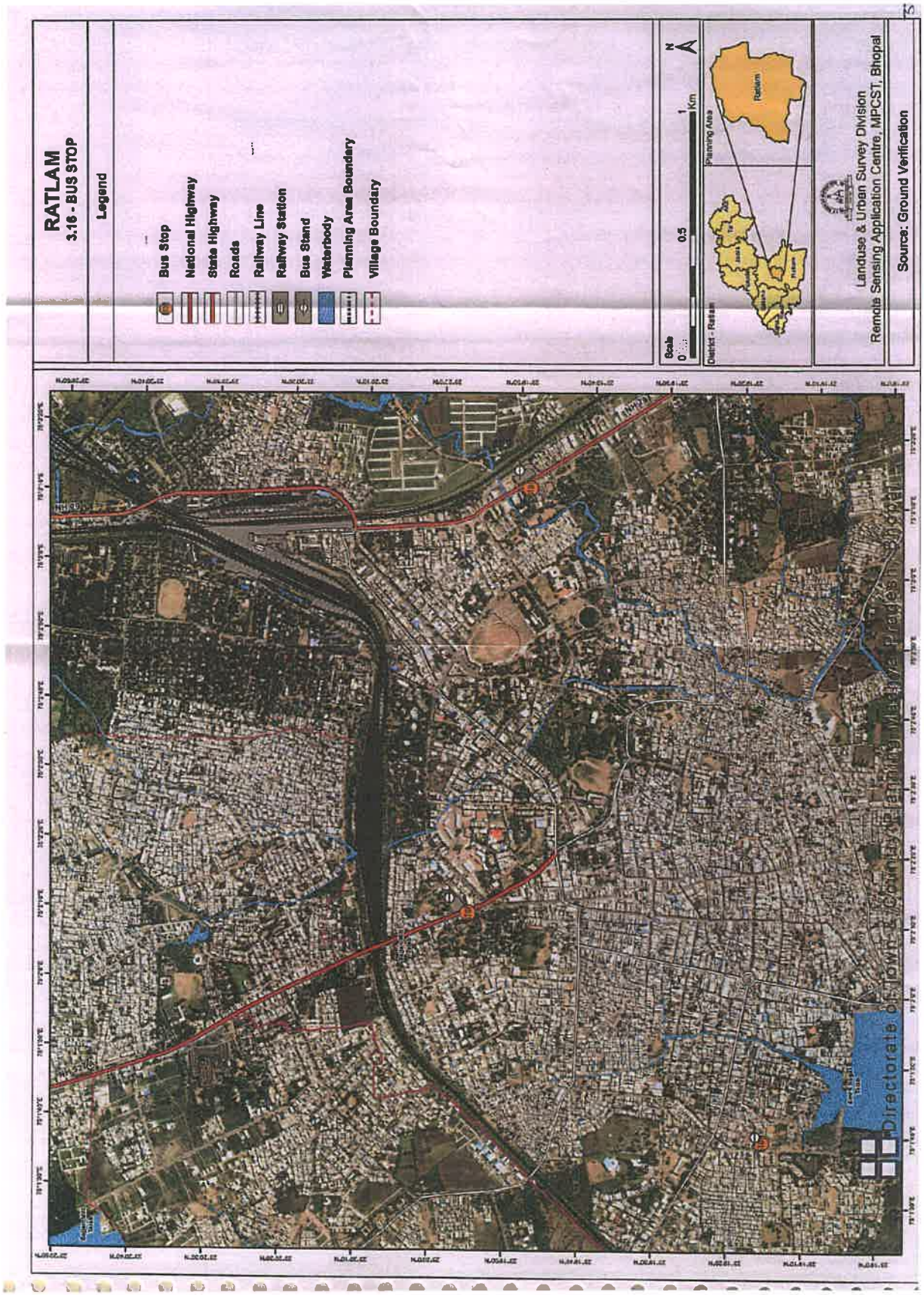
3.14.6 सी.एन.जी. गैस वितरण केन्द्र

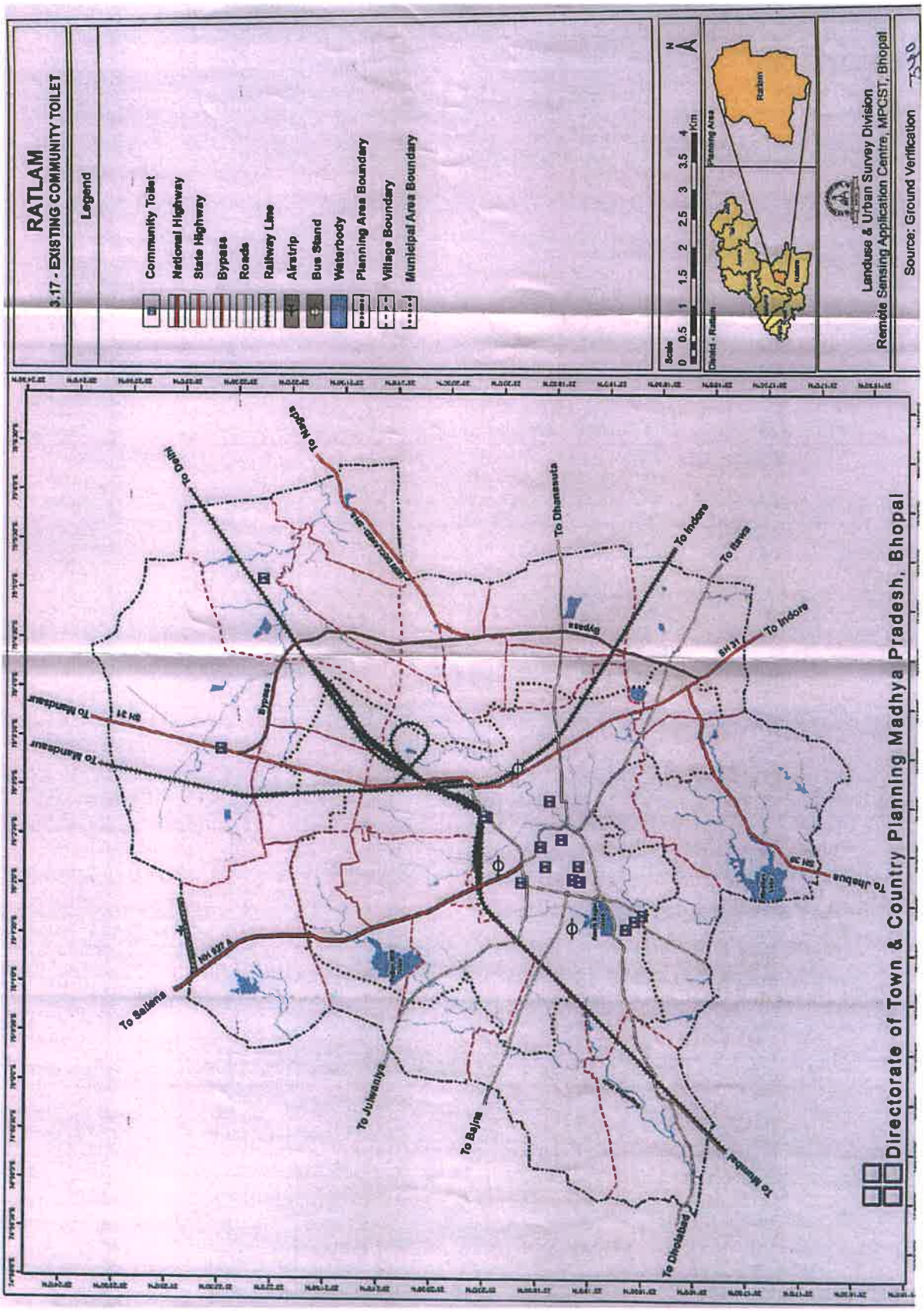
वर्तमान में रतलाम नगर में खाना बनाने में एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों के माध्यम से घरों में पहुंचाई जाती है। प्रस्तावित विकास योजना 2035 में सी.एन.जी. गैस पाईपलाइन द्वारा गैस की सप्लाई दी जाना प्रस्तावित है।


RATLAM
3.13 - POWER SUPPLY NETWORK
Legend
Electric Sub Station
Transformer
33 Kv Line
11 Kv Line
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: MPPKVV Company Ltd.
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Nagda
To Dewas
To Dhansuta
To Indore
To Itawa
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
To Jaora
To Sailana
To Jaora
To Bajna
To Dhaloda


RATLAM
3.14 - EXISTING ATM
Legend
ATM
National Highway
National Highway
Roads
Railway Line
Railway Station
Bus Stand
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Scale
0
0.5
1 Km
N
Distrct - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Ground Verification
Directorate


RATLAM
3.18 - GOVERNMENT LAND
Legend
Land Ownership
Private Land
Government Land
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Commissioner Land Records (01 OCT, 2019)
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Nagda
To Dhamnada
To Indore
To Nawa
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
To Jhabua
To Sailana
To Jaitaran
To Bajna
To Dhodsar
To Mandsaur


RATLAM
3.16 - BUS STOP
Legend
Bus Stop
National Highway
State Highway
Roads
Railway Line
Railway Station
Bus Stand
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Scale
0
0.5
1 Km
N
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Uroan Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Ground Verification
Directorate of Town & Country Planning, Madhya Pradesh, Bhopal


RATLAM
3.17 - EXISTING COMMUNITY TOILET
Legend
Community Toilet
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Airstrip
Bus Stand
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Ground Verification
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Nagda
To Dohad
To Dhansuta
To Indore
To Ratlam
To Indore
To Mandsaur
To Mandsaur
To Jaora
To Salkana
To Jhirwaniya
To Bajna
To Dholakhad
To Meghnagar
Bypass
Bypass
NH 59
NH 27 A
SH 31
SH 31

अध्याय 4 विकास योजना प्रस्ताव–2035

4.1 विकास योजना–2021 का पुनर्विलोकन

रतलाम विकास योजना–2021 तैयार करने हेतु निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या 3.5 लाख मानते हुये नियोजन प्रस्ताव दिये गये थे। अमृत योजना के अंतर्गत विकास योजना–2035 को जी.आई.एस. आधार पर तैयार किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। रतलाम निवेश क्षेत्र की वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 5.00 लाख अनुमानित कर रतलाम विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन वर्ष 2035 की कालावधि हेतु किये जाने की आवश्यकता है। चूंकि अमृत योजना के अंतर्गत जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार की जाना है, अतः वर्ष 2021 तक की जनसंख्या का आकलन कर वर्तमान भूमि उपयोग का पूर्व अध्याय में विश्लेषण किया गया है।

4.2 नियोजन अवधारणा

रतलाम विकास योजना 2035 की अवधारणा निम्न बिन्दुओं पर आधारित है।

- नगर का बहुआयामी केन्द्र के रूप में विकास।
- जिला स्तरीय प्रशासकीय एवं शैक्षणिक केन्द्र का विकास।
- आवासीय क्षेत्रों का कार्य केन्द्रों से सामीप्य।
- वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में नवीन प्रस्ताव।
- वर्तमान एवं भावी यातायात को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम परिभ्रमण संरचना।
- प्रमुख व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं कृषि आधारित उत्पाद आधारित औद्योगिक केन्द्र।
- निवेश क्षेत्र के अंतर्गत नालों, जलाशयों के किनारे वृक्षारोपण।
- प्राकृतिक जल स्त्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन।
- मुख्य मार्गों के आसपास मिश्रित उपयोग कॉरिडोर विकास प्रस्ताव।

4.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता

रतलाम विकास योजना 2021 के अनुसार रतलाम निवेश क्षेत्र के वर्ष 2020 में जनसंख्या 3.50 लाख के आसपास रहेगी एवं वर्ष 2035 तक वृद्धिगत जनसंख्या 5.00 लाख प्रक्षेपित की गई है। वर्तमान विकसित क्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्धसावर्जनिक तथा सेवाएं तथा सुविधाएं, आमोद–प्रमोद एवं यातयात परिवहन का क्षेत्र सम्मिलित है तथा रिक्त भूमि में जलाशय, वन क्षेत्र, ग्रामीण निर्मित क्षेत्र एवं कृषि भूमि सम्मिलित है। Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) मानक

अनुसार मध्यम श्रेणी के नगरों के लिये 100–125 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व अनुशंसित है। रतलाम मध्यम श्रेणी का नगर होकर इसकी प्राकृतिक संरचना के कारण यहाँ पर कम एवं मध्यम ऊँचाई के भवन ही निर्मित हैं। रतलाम निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोग हेतु भूमि का चयन करने के लिये समन्वित भूमि उपयोग उपयुक्तता का विश्लेषण किया गया है, जिसका मुख्य आधार भौगोलिक विशेषताएं एवं पर्यावरणीय घटकों का संयुक्त रूप से "Multicriteria Index" के माध्यम से विश्लेषण किया गया है।

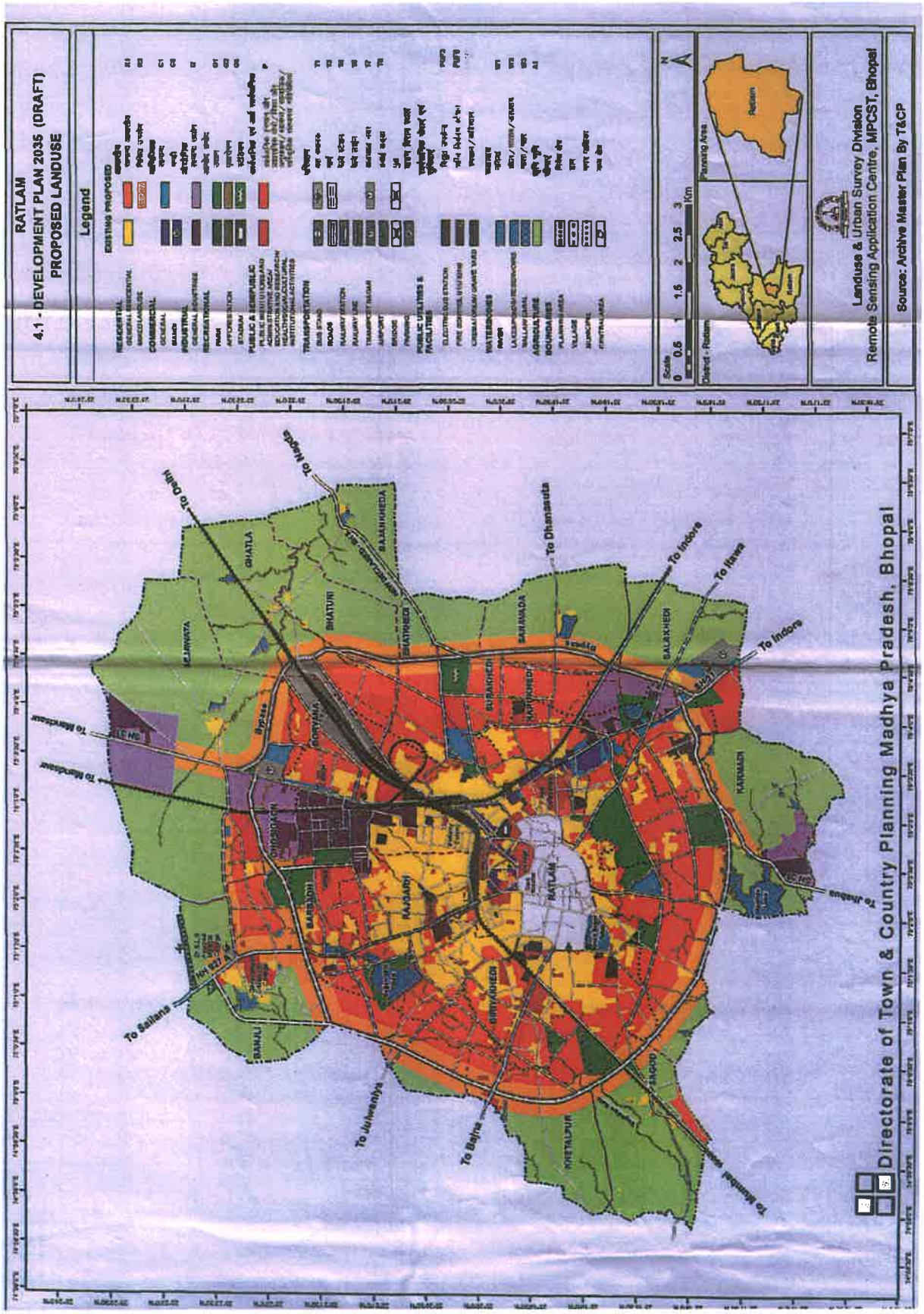
4.4 प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

रतलाम विकास योजना 2035 में नगर के संतुलित एवं नियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न भू–उपयोगों के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र 13.10 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति की भू–उपयोग दर से नगरीय विकास के प्रस्ताव प्रस्तावित किये गये हैं, जिसका विवरण निम्न सारणी क्रमांक 4–सा–1 में किया गया है।

वर्ष 2035 के लिए भूमि उपयोग विवरण

सारणी 4–सा– 1

क्र.	भू–उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2021			विकसित क्षेत्र 2019			प्रस्तावित क्षेत्र 2035		
		क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्रति–शत	भूमि उप–योगिता दर	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्रति–शत	भूमि उप–योगिता दर	कुल क्षेत्रफल वर्तमान सहित (हेक्टे.में)	प्रतिशत	भूमि उपयोगिता दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आवासीय	2569.87	49.13	7.34	1161.60	47.45	3.32	2892.21	43.82	5.78
2	वाणिज्यिक	196.32	3.75	0.56	89.20	3.64	0.25	192.14	2.91	0.38
3	मिश्रित	-	-	-	-	-	-	810.21	12.28	1.62
4	औद्योगिक	547.33	10.46	1.56	261.00	10.66	0.75	590.03	8.94	1.18
5	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक	279.83	5.35	0.80	258.48	10.56	0.74	407.86	6.18	0.82
6	सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं									
7	आमोद–प्रमोद	629.54	12.04	1.80	60.79	2.48	0.17	684.63	10.37	1.37
8	यातायात एवं परिवहन	1007.73	19.27	2.88	616.84	25.20	1.76	1023.16	15.50	2.05
	योग	**5230.61**	**100**	**14.94**	**2447.91**	**100.00**	**6.99**	**6600.24**	**100.00**	**13.20**


RATLAM
4.1 - DEVELOPMENT PLAN 2035 (DRAFT)
PROPOSED LANDUSE
Legend
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Archive Master Plan By T&CP
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Nagda
To Delhi
To Dhansauda
To Indore
To Ujjain
To Sailana
To Jaora
To Jhalawadya
To Bajna
To Mandsaur
GHATLA
BHATUNI
KAJWATA
BAKHUHEDA
GHATKHEDI
SAKHAVADA
SUBAKHEDI
KAKWADI
BORVANA
KAJWADI
RATLAM
BARBAJOLI
GHIYAKHEDI
KHETAJUR
BAGOD
BAHALI

4.4.1 आवासीय

आवासीय उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान आवासीय को सम्माहित करते हुये नगर के चारों दिशाओं में दिये गये हैं, ताकि नगर का संतुलित विकास हो सके। आवासीय उपयोग के अंतर्गत वर्तमान आवासीय सहित 2892.21 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 43.82 प्रतिशत है।

4.4.2 वाणिज्यिक

वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान वाणिज्यिक को यथावत् रखते हुये मुख्य मार्गों पर प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के समीप प्रस्तावित किये गये हैं, ताकि आवासीय क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा प्राप्त हो सके। वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान वाणिज्यिक सहित 192.14 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि प्रस्तावित क्षेत्र का 2.91 प्रतिशत है।

4.4.3 मिश्रित

आवासीय परिसरों में बाजार के आर्थिक बल के कारण सामाजिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। बाजार के आर्थिक बल होने के कारण आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग और बढ़ रही है। अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता एवं नागरिकों की सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे। भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 810.21 हेक्टेयर भूमि मिश्रित उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है जो कि प्रस्तावित भूमि का 12.28 प्रतिशत क्षेत्र है।

4.4.4 औद्योगिक

नगर में औद्योगिक विकास, स्थानीय खनिज, वनोपज एवं कृषि उपज के आधार पर स्थापित होने वाले प्रदूषण रहित औद्योगिक इकाईयों के रूप में प्रस्तावित है। इन औद्योगिक इकाईयों के लिए वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों के समीप कुल 590.03 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित भूमि का 8.94 प्रतिशत है।

4.4.5 सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधाएं

सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधाएं भूमि उपयोग के अंतर्गत वर्तमान सहित 407.86 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 6.18 प्रतिशत है।

4.4.6 आमोद–प्रमोद

विकास योजना में आमोद–प्रमोद के अन्तर्गत 684.62 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 10.37 **प्रतिशत** है। इस उपयोग के अन्तर्गत निर्मित ऐतिहासिक पर्यटन से संलग्न भवनों की बनावट के अनुरूप भू–दृश्यीकरण विकसित करना भी प्रस्तावित है, इसके अतिरिक्त नालों के किनारे भूमि विकास नियमानुसार निर्धारित सीमा तथा तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र के चारों ओर निर्धारित सीमा तक वृक्षारोपण भी प्रस्तावित है।

- **नगर उद्यान**

विकास योजना 2035 में नगर स्तरीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए कस्बा रतलाम ग्राम बड़बड़ एवं झाबुआ मार्ग पर ग्राम करमदी में 28.80 हेक्टेयर क्षेत्र नगर उद्यान हेतु प्रस्तावित किया गया है।

- **नगर वन**

विकास योजना में नगर वन हेतु निवेश क्षेत्र में स्थित तालाबों के चारों ओर 30 मीटर हरित क्षेत्र का प्रावधान किया गया है तथा नालों के दोनों ओर 9–9 मीटर भूमि प्रस्तावित की गई है।

- **तरण ताल**

वर्तमान में नगर में 1 तरण ताल की सुविधा उपलब्ध है।

- **स्टेडियम एवं स्पोर्ट काम्पलेक्स**

खेल गतिविधियों के विकास हेतु निवेश इकाई क्र. 5 में स्पोर्ट काम्पलेक्स एवं स्टेडियम हेतु लगभग 22 हेक्टेयर भूमि बायपास मार्ग एवं खाचरोद मार्ग के संगम पर आरक्षित की गई है।

4.4.7 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना में यातायात क्षेत्र के अन्तर्गत 1023.16 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, यह भूमि विकास के लिए प्रस्तावित भूमि का 15.50 **प्रतिशत** है। यातायात एवं परिवहन उपयोग के अन्तर्गत नगरीय मार्गों का विस्तार, बायपास मार्ग का निर्माण तथा स्थानीय मार्गों की यातायात संरचना पदानुक्रम में विकास के लिए प्रस्तावित की गई है।

4.5 निवेश इकाईयाँ

रतलाम विकास योजना 2035 में पदानुक्रम नियोजन, नगर संरचना को सुनियोजित विकसित करने पर आधारित है। रतलाम निवेश क्षेत्र को 6 निवेश इकाईयों में विभक्त किया गया है। विकास योजना में इन निवेश इकाईयों को आधार मानकर प्रस्ताव दिये गये हैं। ये निवेश इकाईयाँ वाणिज्यिक, आवासीय, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आमोद–प्रमोद की दृष्टि से आत्मनिर्भर होंगी। निवेश इकाई निर्धारण में जनसंख्या एवं मानव निर्मित सीमाओं को आधार माना गया है। प्रत्येक निवेश इकाई को मुख्य कार्यकेन्द्र एवं यातायात संरचना से युक्तियुक्त रूप से जोड़ा गया है, ताकि ये इकाईयाँ सर्व–सुविधाओं के साथ आत्मनिर्भर हो सकें।

रतलाम विकास योजना 2021 में निवेश क्षेत्र को 6 निवेश इकाईयों में विभक्त किया गया था, जिसमें वाणिज्यिक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के कार्यकेन्द्रों के संबंध में प्रत्येक इकाई का एकात्मक कार्य सुनिश्चित किया गया था। इसको आधार मानकर विकास योजना 2035 में भी पूर्व निवेश इकाईयों के क्षेत्र को यथावत रखा गया है। निवेश इकाई का विवरण सारणी 4–सा–2 में दर्शाया गया है।

निवेश इकाईयाँ

सारणी 4–सा– 2

क्र.	निवेश इकाईयाँ	
	निवेश इकाईयाँ	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1	निवेश इकाई क्रमांक –1	234.77
2	निवेश इकाई क्रमांक –2	2120.21
3	निवेश इकाई क्रमांक –3	1807.25
4	निवेश इकाई क्रमांक –4	2531.28
5	निवेश इकाई क्रमांक –5	1474.96
6	निवेश इकाई क्रमांक –6	2149.66
योग		**10318.13**

स्त्रोत :– नगर तथा ग्राम निवेश

- **निवेश इकाई क्रमांक –1**

इस निवेश इकाई में मध्य क्षेत्र सम्मिलित है। इस इकाई का क्षेत्रफल 234.77 हेक्टेयर है।

- **निवेश इकाई क्रमांक –2**

इस निवेश इकाई में सैलाना मार्ग एवं मुम्बई की ओर जाने वाली रेलवे लाईन के मध्यवर्ती क्षेत्र सम्मिलित है। इस इकाई का क्षेत्रफल 2120.21 हेक्टेयर है।

- **निवेश इकाई क्रमांक– 3**

इस निवेश इकाई में सैलाना मार्ग एवं मंदसौर को जाने वाले मार्ग के मध्य क्षेत्र सम्मिलित है। इस इकाई का क्षेत्रफल 1807.25 हेक्टेयर है।

- **निवेश इकाई क्रमांक– 4**

इस निवेश इकाई में मंदसौर मार्ग एवं नागदा को जाने वाले मार्ग के मध्य क्षेत्र सम्मिलित है। इस इकाई का क्षेत्रफल 2531.28 हेक्टेयर है।

- **निवेश इकाई क्रमांक– 5**

इस निवेश इकाई में नागदा मार्ग एवं इटावा को जाने वाले मार्ग के मध्य क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस इकाई का क्षेत्रफल 1474.96 हेक्टेयर है।

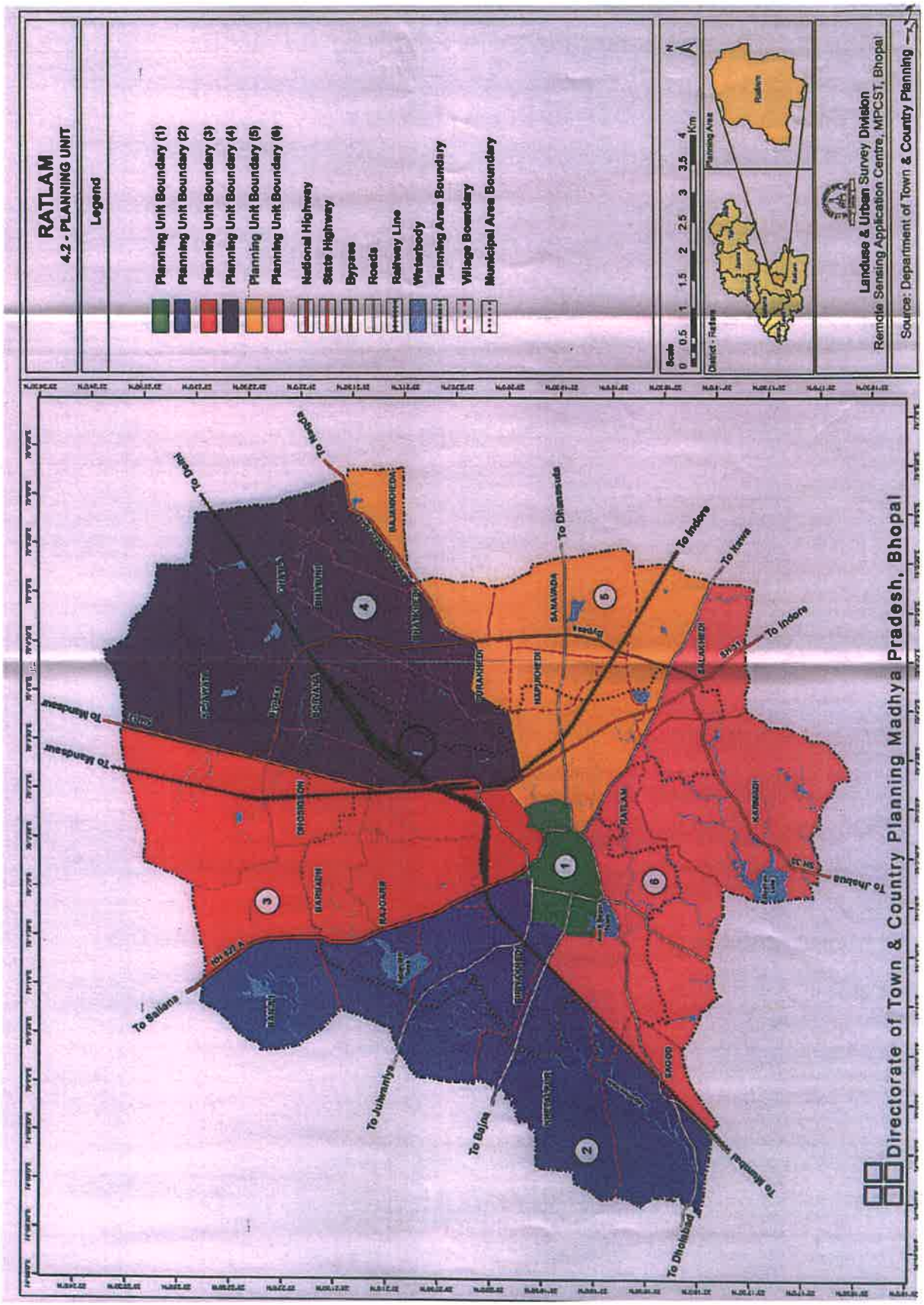
- **निवेश इकाई क्रमांक– 6**

इस निवेश इकाई में इटावा को जाने वाले मार्ग एवं मुम्बई को जाने वाली रेलवे लाईन के मध्य क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस इकाई का क्षेत्रफल 2149.66 हेक्टेयर है।

4.6 नियोजन एवं नगरीय रूपांकन हेतु नियंत्रित क्षेत्र

नगर के कुछ क्षेत्रों जैसे नगरीय धरोहर, आमोद–प्रमोद के केन्द्र, धार्मिक तथा दर्शनीय स्थलों के आसपास नियोजन एवं विकास नियंत्रण आवश्यक है ताकि निर्माण से उस क्षेत्र का मूल स्वरूप नष्ट नहीं हो। नगरीय रूपांकन एवं नियोजन के संदर्भ में नियंत्रित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा।

1. अमृत सागर तालाब।
2. कालिका माता परिसर।
3. हनुमान ताल।
4. ग्राम सालाखेड़ी में स्थित तालाब।
5. छत्रियां।
6. करमदी तालाब।
7. सागौद तालाब।


RATLAM
4.2 - PLANNING UNIT
Legend
Planning Unit Boundary (1)
Planning Unit Boundary (2)
Planning Unit Boundary (3)
Planning Unit Boundary (4)
Planning Unit Boundary (5)
Planning Unit Boundary (6)
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Department of Town & Country Planning
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Nagda
To Dewas
To Mandsaur
To Mandsaur
To Dhamnoda
To Indore
To Kawa
To Indore
To Jhabua
To Salkana
To Julwaniya
To Bajna
To Khachrod
To Dholakhad
RAJMOHEDA
SANAWADA
BYPASS
BARKHEDI
RAJOURIA
KAJRANDI
RATLAM
DHAMNOD
PARWARIA
SAWAD
1
2
3
4
5
6

4.7 संवेदनशील क्षेत्र

परिस्थितिकीय दृष्टिकोण से नदी, तालाब एवं जल भराव वाले क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हैं। संवेदनशील क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्यतः तालाबों के आसपास का क्षेत्र, नालों का जल फैलाव क्षेत्र एवं उनका जलग्रहण क्षेत्र आता है। इन क्षेत्रों के संरक्षण एवं व्यवस्थापन की विशिष्ट अनुशंसाएं निम्नानुसार हैः–

- नालों एवं जलाशयों के किनारे सघन वृक्षारोपण कर प्रदूषण स्तर को नियंत्रित किया जावे। ठोस निस्तार के प्रबंधन का सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं क्रियान्वयन किया जाना है, ताकि यह पर्यावरण एवं जल स्त्रोत प्रदूषित ना हो। बायोगैस उत्पादन, वर्मी कल्चर, माक्रोविक पद्धति तथा निस्तार पदार्थों के जैविक वर्गीकरण से भिन्न–भिन्न धुआं रहित ईंधन केन्द्र व भवन निर्माण सामग्री (ब्लॉक्स) के निर्माण की संभावनाओं की खोज की जानी चाहिए।
- अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जल स्त्रोतों का प्रबंधन एक स्थानीय विकास प्राधिकारी के द्वारा किया जाना चाहिए, जो विधि–विधानों के प्रावधानों के अध्यधीन इसके संरक्षण की जवाबदारी से युक्त हो।
- संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास भवन निर्माण गतिविधियों के लिए अलग नियमन का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।
- कीचड़, मल निकास, सेप्टिक टेंक निकास किसी भी स्थिति में नदी–नालों व तालाबों में प्रवाहित नहीं किया जावेगा।
- पेट्रोलियम आधारित उर्वरकों का उपयोग कर जल स्त्रोतों के केचमेंट एरिया में कृषि कार्य को प्रतिबंधित किया जावेगा, जिससे कि तालाबों में जलीय घासफूल एवं अन्य ऐसी गतिविधियां जो भूमि कटाव करती हैं, को रोका जा सके। संबंधित विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक उपाय किया जाना चाहिए।
- नियंत्रित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से पर्यटकों के परोक्ष आमोद–प्रमोद, प्रोत्साहन, दर्शनीय स्थलों के विस्तार एवं अन्य कार्य स्वीकार्य होंगे। नियंत्रित क्षेत्र से बाहर के खुले क्षेत्रों में उपरोक्त श्रेणियों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य निर्माण प्रतिबंधित होंगे।
- हवाई अड्डा/हवाई पट्टी के प्रतिबंधित नियंत्रित क्षेत्र में उड्डयन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है।

4.8 असंगत भूमि उपयोग

रतलाम विकास योजना 2035 में विभिन्न गतिविधियों की पुनर्स्थापना से रिक्त हुए स्थल के उपयोग के प्रस्ताव निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये हैं।

असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग

सारणी 4–सा– 3

क्र.	उपयोगों का स्थानांतरण	वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित स्थिति	भूमि रिक्त होने पर उपयोग
1	2	3	4	5
1	आवासीय	गंदे नालों के किनारे स्थित बस्तियां	निवेश इकाई क्रमांक–6	वृक्षारोपण
2	फुटकर सब्जी बाजार	माणक चौक	बाजना बस स्टेण्ड	पार्किंग के स्थान
3	अग्रेषण अभिकरण	शहर सराय	यातायात नगर	वाणिज्यिक
4	लकड़ी गोदाम	बाजना मार्ग	निवेश इकाई क्र.3	वाणिज्यिक
5	घास मंडी	(अ) गौशाला मार्ग (ब) हाट मार्ग	बाजना बस स्टेण्ड	यातायात हेतु
6	पत्थर गोदाम	(अ) सिलावटों का वास (ब) गौशाला मार्ग	निवेश इकाई क्र.3	आवासीय
7	कबाड़ी बाजार	(अ) मिशन मार्ग (ब) पावर हाउस मार्ग	निवेश इकाई क्र.3	आवासीय
8	फुटपाथ पर स्थित दुकानें	(अ) हाट मार्ग (ब) हास्पीटल के पास (स) मिशन चौराहा	राजबाई बावड़ी क्षेत्र	मार्ग/फुटपाथ
9	तेल मिलें	हाट मार्ग	निवेश इकाई क्र.5	आवासीय
10	गौशाला	गौशाला मार्ग	नवीन प्रस्तावित क्षेत्र	आवासीय
11	दीपक वायर इंडस्ट्रीज	जिला मुख्यालय अहाता	निवेश इकाई क्रमांक–4/5 में औद्योगिक क्षेत्र	आवासीय
12	बस डिपो	शहर सराय	प्रस्तावित बस स्टेण्ड (इंदौर मार्ग)	वाणिज्यिक
13	निजी बस स्टेण्ड (मार्ग पर संचालित)	सैलाना मार्ग	सैलाना मार्ग पर प्रस्तावित बस स्टैण्ड	मार्ग
14	शासकीय स्नात्तकोतर महाविद्यालय	मध्य क्षेत्र से लगकर	प्रस्तावित सार्वजनिक अर्ध सार्वाजनिक (इन्दौर मार्ग)	मिश्रित
15	सज्जन मिल	सैलाना मार्ग	बंद	आवासीय
16	वैंकटेश जिनिंग मिल	सैलाना मार्ग	बंद	आवासीय

नोट :–

पुनर्विलोकित विकास योजना में जिला जेल हेतु प्रस्ताव ग्राम सालाखेड़ी में दिये गये हैं। किन्तु जेल विभाग को शासन द्वारा निवेश क्षेत्र के बाहर ग्राम बिबड़ोद में भूमि आवंटित की गई है। वर्तमान जिला जेल जो कि मध्य क्षेत्र में स्थित है, उक्त जेल को निवेश क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित होने के पश्चात् रिक्त भूमि का उपयोग सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक (कार्यालयों हेतु) प्रस्तावित किया गया था। चूंकि यह क्षेत्र जिला चिकित्सालय परिसर से लगा हुआ है। अतः इस क्षेत्र का उपयोग चिकित्सीय परिसर के विस्तार हेतु किया जाना अनुसंशित है तथापि चिकित्सीय परिसर के विस्तारीकरण की आवश्यकता ना होने पर अन्य उपयोग हेतु भी उपयोग किया जा सकता है।

उपरोक्त के अलावा वर्तमान जिला जेल एवं रेलवे बस्ती के निकट स्थित इंडियन ऑयल डिपो को पूर्ववत् अकार्यक्षम भूमि उपयोग की श्रेणी में रखा गया है। ये गतिविधियां वर्तमान स्थल पर बिना विस्तार के कार्यरत रह सकेंगी। किन्तु स्थानांतरित करने की दशा में जिला जेल से रिक्त भवन/भूमि का उपयोग अन्य सार्वजनिक अर्धसार्वजनिक उपयोग (सिविल अस्पताल विस्तार) अंतर्गत किया जावेगा। जेल की पुनर्स्थापना हेतु स्थल का चयन जिला प्रशासन अधिकारियों के परामर्श से नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा किया जावेगा। तेल एवं ऑयल डिपो को दिल्ली–मुम्बई रेलवे लाईन के उत्तर में लोको शेड के निकट स्थानांतरित किया जा सकेगा।

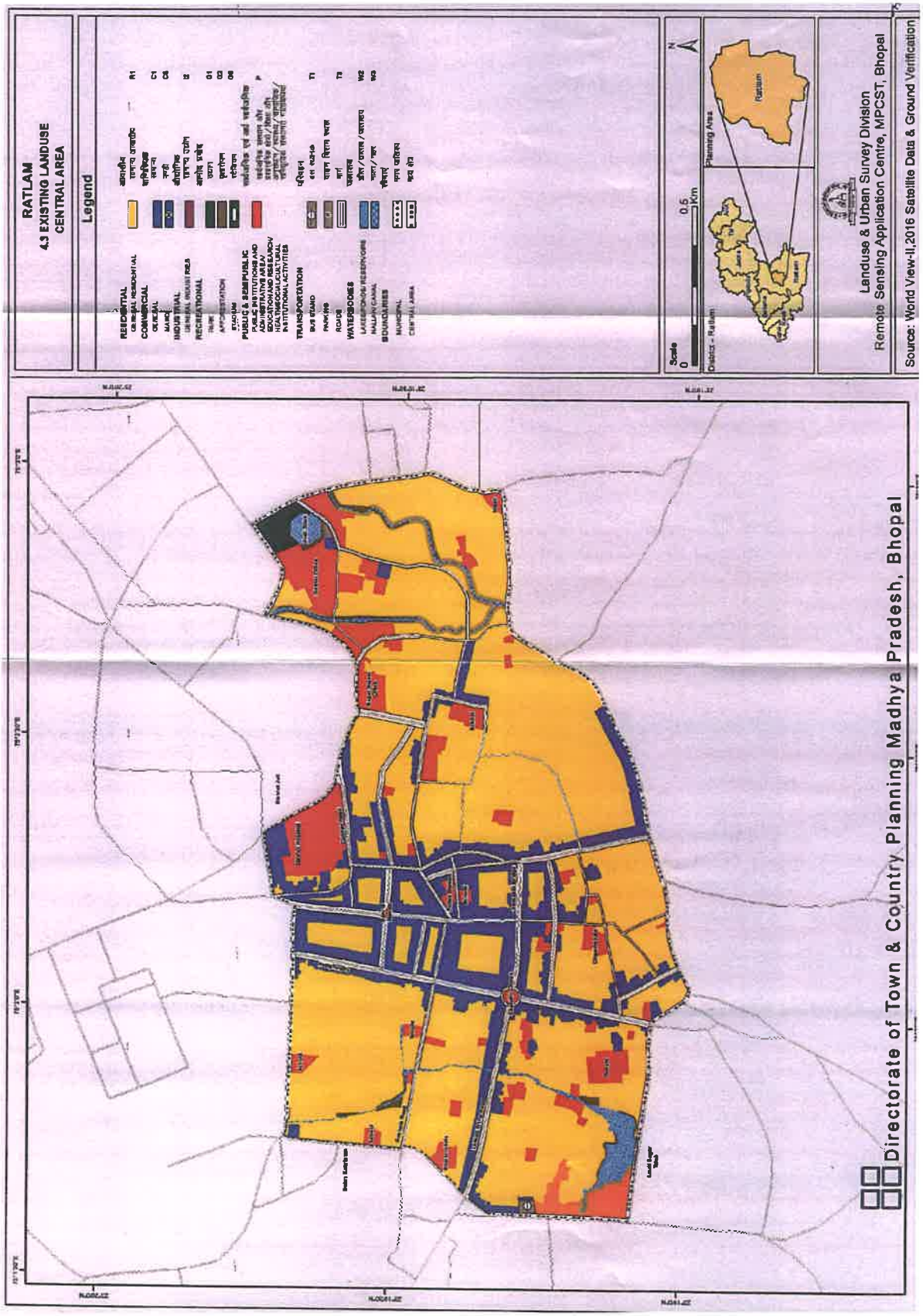
4.9 मध्य क्षेत्र

रतलाम विकास योजना 2021 में मध्यक्षेत्र की समस्याओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें मध्यवर्ती क्षेत्र की सीमायें रतलाम शहर के मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र तक ही सीमित थी, जिसमें शहर की पुरानी घनी आबादी वाले क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया गया था। रतलाम विकास योजना 2021 में प्रस्तावित मध्यक्षेत्र की सीमाओं को विकास योजना 2035 में भी यथावत रखा गया है। मध्यक्षेत्र की सीमायें निम्नानुसार है :–

पूर्व दिशा	–	आनन्द कॉलोनी मार्ग से ऑफिसर कॉलोनी मार्ग संगम तक
पश्चिम दिशा	–	बाजना बस स्टेण्ड मार्ग से गौशाला मार्ग हाट रोड तक
उत्तर दिशा	–	हाट रोड, शहर सराय, कॉलेज रोड, कालिका माता मंदिर तक
दक्षिण दिशा	–	हरमाला रोड, त्रिपोलिया गेट, अमृत सागर तालाब तक

4.10 ग्राम विकास

निवेश क्षेत्र में स्थित जो ग्राम आबादी प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में शामिल नहीं हुई है, उनका विस्तार वर्तमान आबादी के आसपास 200 मीटर की परिधि में आवासीय उपयोग स्वीकार्य होगा। साथ ही ग्राम विकास की अन्य गतिविधियां भी स्वीकार्य होगीं। यह विकास/विस्तार सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा से ग्राम विकास के रूप में ही किया जा सकेगा।


RATLAM
4.3 EXISTING LANDUSE
CENTRAL AREA
Legend
RESIDENTIAL
COMMERCIAL
INDUSTRIAL
RECREATIONAL
PUBLIC & SEMIPUBLIC
TRANSPORTATION
WATERBODIES
BOUNDARIES
Scale
0
0.5
Km
N
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: World View-II,2016 Satellite Data & Ground Verification
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

अध्याय 5 प्रस्तावित परिभ्रमण योजना अवधारणा

5.1 प्रस्तावित परिभ्रमण योजना अवधारणा

शहरी व्यवस्थापन हेतु प्रभावपूर्ण परिभ्रमण संरचना की आवश्यकता होती है, ताकि नगर के निवासियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन की व्यवस्था प्राप्त हो सके। प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना नगर के भावी आकार एवं स्वरूप का निर्धारण करने के साथ–साथ नगरीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन को भी प्रभावित करती है। रतलाम नगर की यातायात संरचना निम्नलिखित अवधारणा पर आधारित है।

- क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण,
- नगर के प्रस्तावित भावी विकास एवं विस्तार के सम्बन्ध में उपयुक्त परिभ्रमण संरचना,
- नगर के विभिन्न कार्य केन्द्रों के मध्य सम्पर्क स्थापित करना,
- नगर की विभिन्न बसाहटों के मध्य सामन्जस्य स्थापित करना,
- मिश्रित यातायात के अनुरूप सुसंगठित मार्ग संरचना,
- **रेल मार्ग**

यह नगर पश्चिम मध्य रेलवे का जंक्शन है। रेल यातायात द्वारा दिल्ली–मुम्बई, जयपुर–भोपाल एवं रतलाम डॉ. अम्बेडकर नगर तक ब्रॉडगेज रेलवे लाईन जंक्शन पर स्थित होने के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों से सीधा जुड़ा हुआ है। रतलाम रेलवे स्टेशन क्षेत्र के यातायात दबाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- **मार्ग**

रतलाम नगर, महू–नीमच मुख्य मार्ग पर स्थित है, जिसे शासन द्वारा राज्य राजमार्ग क्रमांक–31 घोषित किया गया है। रतलाम से झाबुआ मार्ग भी गुजरता है, जो कि राजमार्ग क्रमांक –39 के नाम से घोषित है। इसके अतिरिक्त रतलाम से सैलाना को जाने वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–927 ए के नाम से प्रस्तावित किया गया है।

रतलाम नगर का राष्ट्रीय यातायात प्रणाली में भी महत्वपूर्ण स्थान है। रतलाम नगर विभिन्न प्रमुख नगरों जैसे– भोपाल, इंदौर, दिल्ली तथा मुंबई से रेलवे मार्ग से जुड़ा है। यह क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय केन्द्रों से भी जुड़ा हुआ है। क्षेत्रीय केंद्र के साथ–साथ सुविधाओं एवं सामग्री के वितरण हेतु भी नगर की महत्वपूर्ण भूमिका है।

दिल्ली–मुंबई रेल मार्ग, जयपुर–भोपाल, एवं रतलाम– डॉ. अम्बेडकर नगर रेल मार्ग, राज्य राजमार्ग के मिलने तथा नगरीय यातायात के मिश्रित होने से यातायात प्रबंधन की दृष्टि से बायपास मार्ग प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें से **पूर्वी दिशा** का बायपास निर्मित हो चुका है, तथा **पश्चिमी दिशा में भी** बायपास मार्ग प्रस्तावित किया गया है। **वर्तमान में पश्चिमी ओर** स्थित मार्ग सैलाना, बाजाना एवं धोलावड़ की ओर जाते हैं, जिन पर यातायात का इतना दबाव नहीं है। यद्यपि सैलाना मार्ग को भी मंदसौर मार्ग से 18 मीटर चौड़े मार्ग से लिंक किया गया है, जिससे यातायात सुगम हो गया है।

5.2 यातायात की वर्तमान स्थिति

नगर के भौतिक विकास का स्वरूप मुख्यतः परिवहन संरचना पर निर्भर करता है। भूमि उपयोग एवं यातायात आवश्यकताओं का आपस में घनिष्ठ संबंध रहा है। वर्तमान परिवहन व्यवस्था के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2001 के पश्चात् नगर में सतत् रूप से सार्वजनिक वाहनों एवं अन्य वाहनों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि परिलक्षित हुई है। नगर यातायात हेतु छोटे यात्री वाहन जैसे कि टेम्पो, मैजिक वाहन एवं ऑटो रिक्शा नगर में यातायात के प्रमुख साधन होकर नगर की यातायात प्रणाली में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तीव्र एवं मंद गति वाहनों द्वारा नगर मार्गों का मिश्रित उपयोग करना सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात के लिए गंभीर समस्या है। नगर में सार्वजनिक यातायात प्रणाली उपलब्ध नहीं है।

भारत सरकार सड़क एवं परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित दिल्ली–मुम्बई एक्सप्रेस हाईवे (आठ लेन) रतलाम निवेश क्षेत्र के बाहर बांसवाड़ा मार्ग पर लगभग 13 कि.मी. दूरी पर तहसील रतलाम (ग्रामीण) के ग्राम धामनोद से एवं चितौड़गढ़–खरगोन–भुसावल मार्ग पर लगभग 25 किमी दूरी पर तहसील रतलाम (ग्रामीण) के ग्राम भदवासा से होकर प्रस्तावित है। उक्त एक्सप्रेस हाईवे के विकसित होने से रतलाम नगर में व्यापार एवं उद्योग से संबंधित गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है।

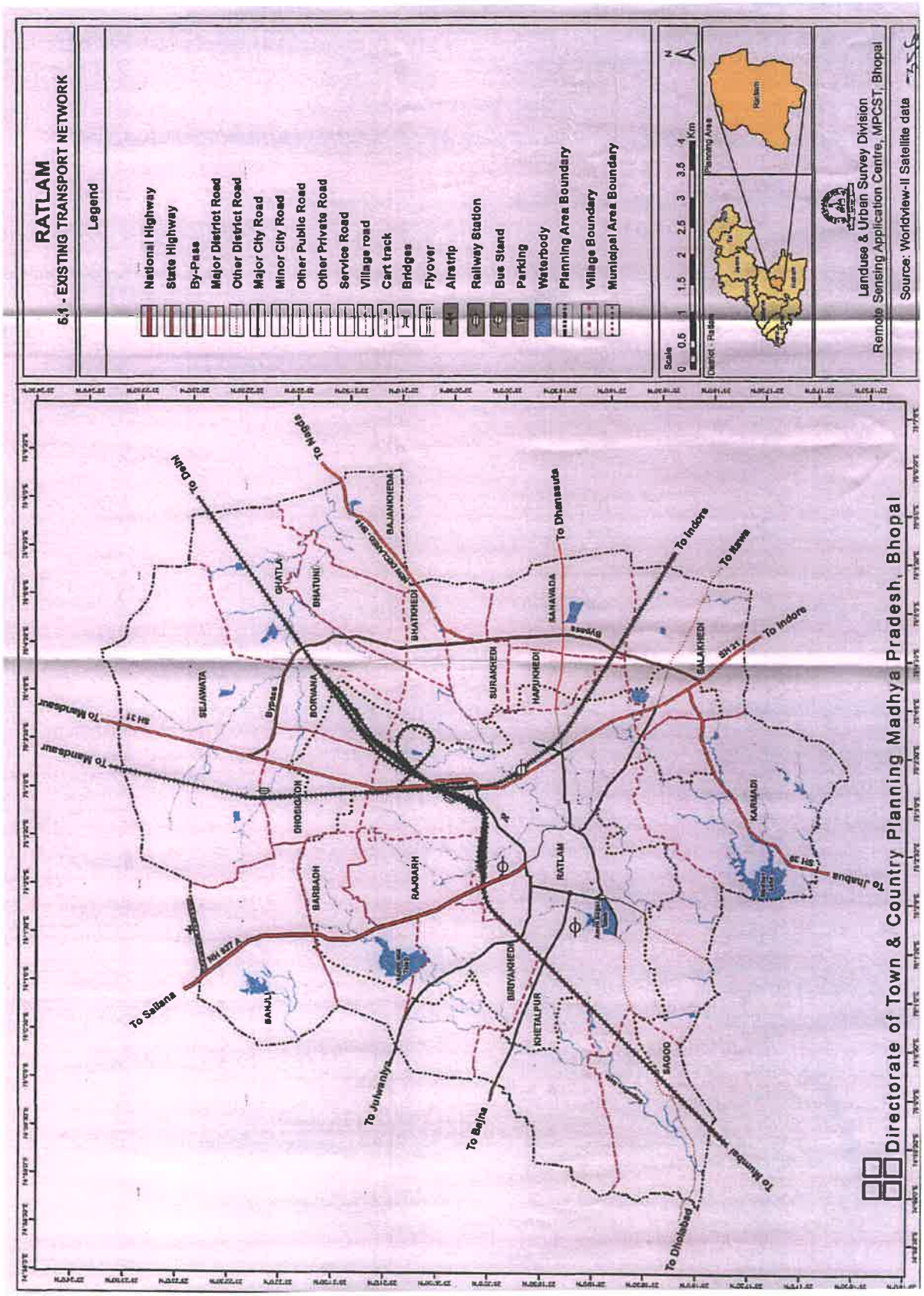
5.2.1 यातायात अवसान केन्द्र (माल)

- **रेलवे गुड्स यार्ड एवं लोको शेड**

रेलवे लाइन पर स्थित वर्तमान गुड्स यार्ड यथावत रहेंगे। इसके अलावा लोको शेड के विस्तार हेतु रेलवे लाईनों के दोनों ओर पर्याप्त स्थान आरक्षित रखा गया है ।

- **ट्रक स्थानक**

मण्डी, औद्योगिक क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट नगर आदि यातायात उद्गम केन्द्रों पर ट्रकों के खड़े करने हेतु स्थान प्रावधानित किये गये हैं। इस संबंध में विस्तृत विवरण परिक्षेत्रिक योजना में दिया जावेगा ।


RATLAM
6.1 - EXISTING TRANSPORT NETWORK
Legend
National Highway
State Highway
By-Pass
Major District Road
Other District Road
Major City Road
Minor City Road
Other Public Road
Other Private Road
Service Road
Village road
Cart track
Bridges
Flyover
Airstrip
Railway Station
Bus Stand
Parking
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Worldview-II Satellite data
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Neemuch
To Dewas
To Mandsaur
To Mandsaur
To Salbana
To Jaora
To Indore
To Indore
To Dhansuta
To Nagda
To Jhabua
To Jaora
To Bajna
To Dholabad
BAJANKHEDA
GHATLA
BHATUNI
BHATKHEDI
SAHAVADA
SEJAWATA
BORVANA
SURAKHEDI
HARIKHEDI
SAJAKHEDI
KARMADI
DHOBIGHAT
BARBADH
RAJGARH
RATLAM
BANJLI
BIRDYAKHEDI
KHETALPUR
SAGOD
Bypass
SH 31
SH 39
SH 27 A

- **हवाई पट्टी**

रतलाम नगर से 100 कि.मी. की दूरी पर स्थित इंदौर में स्थित विमान तल से नगर की इस संबंध में आवश्यकता की पूर्ति होती रहती है। तथापि सैलाना मार्ग पर नगर के उत्तर में निवेश क्षेत्र की सीमा पर जो हवाई पट्टी स्थित है, उससे आपातकालीन समय में कार्य लिया जाता है। हवाई पट्टी के परिधि में विकास/निर्माण के पूर्व नागरिक उड्डयन विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5.2.2 यात्री अवसान केन्द्र

- **रेलवे स्टेशन**

वर्तमान में रतलाम रेलवे स्टेशन नगर के मध्य में स्थित है। नगर के मध्य में पहुँच हेतु अन्य क्षेत्रों से पहुँच मार्ग उपलब्ध है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों हेतु पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

- **क्षेत्रीय बस स्टेण्ड**

रतलाम नगर के बस स्टेण्ड एवं पिकअप स्टेशन हेतु विकास योजना 2035 के प्रस्ताव निम्न सारणी में दर्शाया गया है :–

क्षेत्रीय बस स्टेण्ड

सारणी 5–सा– 1

क्रमांक	बस स्टेण्ड	आवागमन स्थान	विकास योजना 2035 में प्रस्ताव
1	2	3	4
1	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बस स्टेण्ड, रेलवे लाईन के पास	इंदौर, मंदसौर, उज्जैन, नीमच, धार, बड़वानी, खण्डवा एवं अन्य राज्य	यात्रियों हेतु सेवाओं में उन्नयन।
2	मध्य क्षेत्र में दीनदयाल नगर के पास	बाजना	यात्रियों हेतु सेवाओं में उन्नयन।
3	त्रिपुलिया गेट पर (स्थायी)	झाबुआ	पिकअप स्टेशन के रूप में स्थानीय प्रशासन द्वारा विकसित किया जाना प्रस्तावित है।
4	महाराणा प्रताप ओवर ब्रिज के पास (स्थायी)	सैलाना	पिकअप स्टेशन के रूप में स्थानीय प्रशासन द्वारा विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

5.2.3 वाहन विराम स्थल

मध्य क्षेत्र में निम्न स्थलों को वाहन पार्किंग स्थल के विकास हेतु प्रस्तावित है, जिन्हें नगर पालिक निगम को पार्किंग के रूप में व्यवस्थित एवं विकसित करना चाहिये।

- कालिका माता मंदिर के पास।
- डालूमोदी बाजार में डॉ. देवीसिंह के भवन के पीछे।
- माणकचौक स्थित सब्जी मण्डी को स्थानांतरित कर रिक्त भूमि पर।
- तोपखाना मार्ग व धानमंडी मार्ग के मध्य।
- नाहरपुरा के पीछे स्कूल के सामने।
- धनजी बाई के नोहरे पर।
- बाज़ना बस स्टेण्ड ।
- आज़ाद चौक (चांदनी चौक) पर।

5.3 प्रस्तावित यातायात प्रणाली

वर्तमान क्षेत्रीय मार्ग मंदसौर, नागदा, इंदौर, झाबुआ, बांसवाड़ा को जाते हैं। नगर के मध्य से गुजरने वाले क्षेत्रीय मार्गों को जोड़ने हेतु रतलाम विकास योजना 2035 में क्षेत्रीय वृत्तीय मार्ग (बायपास) प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार नगर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए मुख्य मार्ग एवं अन्य मार्ग प्रस्तावित है।

- **राष्ट्रीय राजमार्ग**

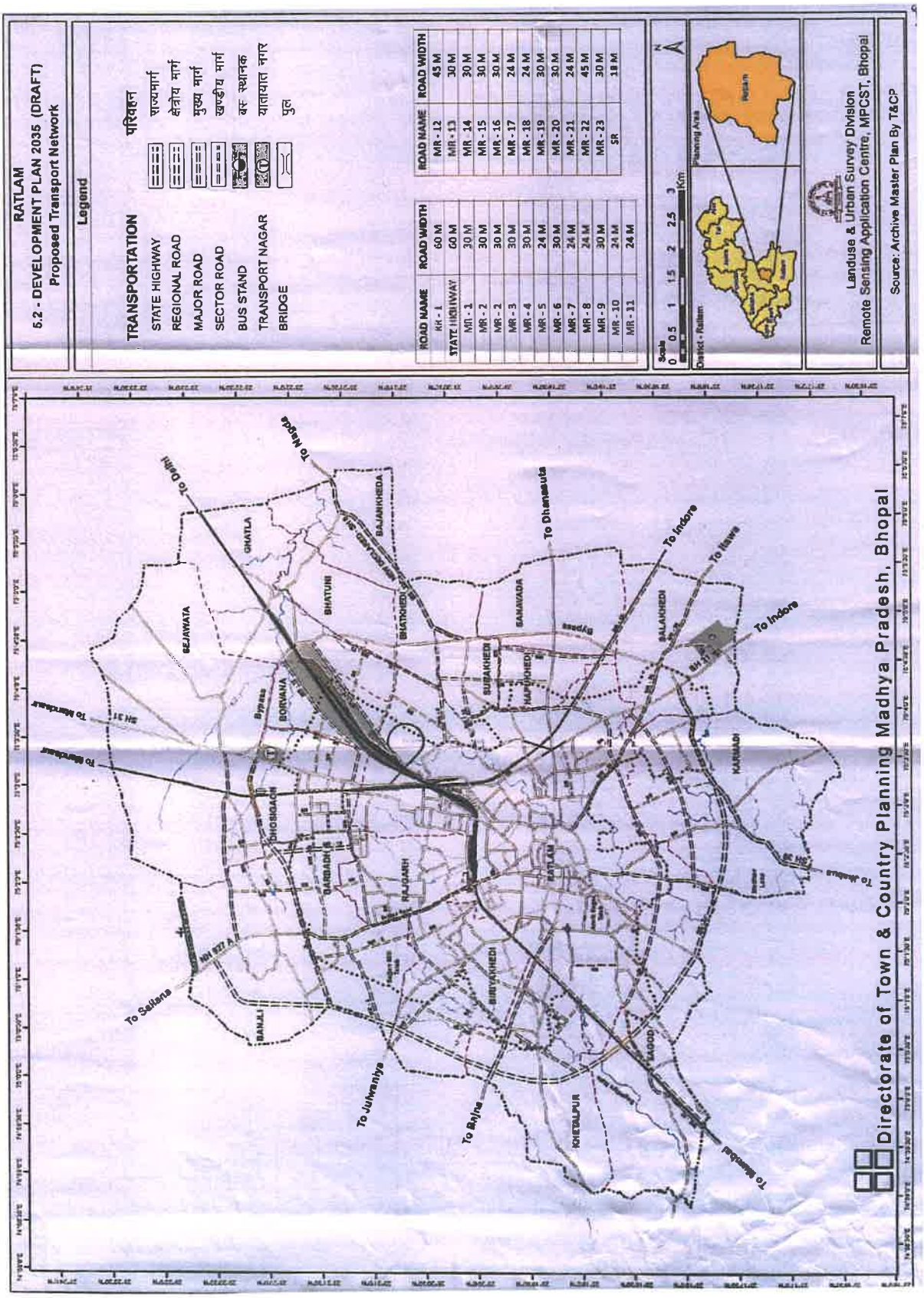
रतलाम निवेश क्षेत्र मे रतलाम से स्वरूपगंज (राजस्थान) तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक **927–ए प्रस्तावित है, जो कि निवेश क्षेत्र में सैलाना मार्ग से ग्राम बंजली से नगर** में होते हुये सालाखेड़ी गांव में बायपास मार्ग तक प्रस्तावित है।

- **राजमार्ग**

रतलाम निवेश क्षेत्र में से चितौड़गढ़–खरगोन–भुसावल राज्य राजमार्ग क्रमांक 31 नगर के पूर्वी भाग से होकर गुजरता है। क्षेत्र में यातायात के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए राजमार्गों को परिवर्तित करते हुये निवेश क्षेत्र के पूर्वी भाग में बायापास मार्ग का निर्माण किया गया है। **इसी प्रकार पश्चिम भाग के यातायात के दबाव को कम करने हेतु पश्चिमी बायपास मार्ग** विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

- **बायपास मार्ग**

रतलाम नगर विभिन्न क्षेत्रीय मार्गों द्वारा नीमच, प्रतापगढ़, उज्जैन, बासवाड़ा, खाचरोद, झाबुआ से जुड़ा है। महू–नीमच राजमार्ग पर क्षेत्रीय यातायात एवं स्थानीय आंतरिक यातायात


RATLAM
5.2 - DEVELOPMENT PLAN 2035 (DRAFT)
Proposed Transport Network
Legend
TRANSPORTATION
STATE HIGHWAY
REGIONAL ROAD
MAJOR ROAD
SECTOR ROAD
BUS STAND
TRANSPORT NAGAR
BRIDGE
परिवहन
राज्यमार्ग
क्षेत्रीय मार्ग
मुख्य मार्ग
खण्डीय मार्ग
बस स्थानक
यातायात नगर
पुल
ROAD NAME | ROAD WIDTH
Km - 1 | 60 M
STATE HIGHWAY | 60 M
MR - 1 | 30 M
MR - 2 | 30 M
MR - 2 | 30 M
MR - 3 | 30 M
MR - 4 | 30 M
MR - 5 | 24 M
MR - 6 | 30 M
MR - 7 | 24 M
MR - 8 | 24 M
MR - 9 | 30 M
MR - 10 | 24 M
MR - 11 | 24 M
ROAD NAME | ROAD WIDTH
MR - 12 | 45 M
MR - 13 | 30 M
MR - 14 | 30 M
MR - 15 | 30 M
MR - 16 | 30 M
MR - 17 | 24 M
MR - 18 | 24 M
MR - 19 | 30 M
MR - 20 | 30 M
MR - 21 | 24 M
MR - 22 | 45 M
MR - 23 | 30 M
SR | 18 M
Scale 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Archive Master Plan By T&CP
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Neemuch
To Delhi
To Mandsaur
To Barkheda
To Sailana
To Jaora
To Jujhwanhya
To Bajna
To Dhamnoda
To Indore
To Ujjain
To Indore
GHATLA
BEJAWATA
BHATUNI
BAJANKHEDA
BORKHANA
DHOSIKACHI
GARBADA
RAJGARH
BANJI
SUBAKHEDI
NAMKHEDI
BANAVADA
BHATKHEDI
BALAKHEDI
KARMADI
RATLAM
BIRIYAKHEDI
KHETALPUR
BAGOD
Bypass
NH 927 A
NH 59
NH 59 A

मिश्रित होने से इस मार्ग पर यातायात का बहुत अधिक दबाव रहता है। अतः क्षेत्रीय यातायात को नगरीय यातायात से पृथक करने एवं नगर के बाहर से निकालने की दृष्टि से महू–नीमच राजमार्ग वर्तमान में निर्मित होकर संचालित है। इसके अतिरिक्त निवेश क्षेत्र के पश्चिमी भाग में मंदसौर मार्ग से सैलाना मार्ग, बाजना मार्ग एवं धोलाबड़ मार्ग होते हुए इन्दौर मार्ग को मिलता हुए 60.00 मीटर चौड़ा बायपास/वृत्तीय मार्ग प्रस्तावित किया गया है।

- **क्षेत्रीय मार्ग**

महू–नीमच मार्ग नगर के मध्य से निकलता है। इस मार्ग पर क्षेत्रीय यातायात एवं स्थानीय यातायात मिश्रित होने से इस मार्ग पर यातायात का बहुत अधिक दबाव रहता है। अतः महू–नीमच मार्ग, सैलाना मार्ग, बाजना मार्ग, झाबुआ मार्ग, नागदा मार्ग की ओर से आने वाले सीधे यातायात को बाहर से निकालने हेतु आर.आर.–1 मार्ग प्रस्तावित किया गया है। इस मार्ग के प्रस्तावित एलाईनमेंट के स्थान पर मंदसौर की ओर जाने वाली रेलवे लाईन की लेवल क्रासिंग के पास से सैलाना मार्ग तक लिंक निर्मित किया गया है। इससे सैलाना एवं मंदसौर से इंदौर की ओर से आने वाले एवं इंदौर की ओर जाने वाले यातायात को नगर के बाहर की ओर ही संचालित किया जा सकता है। सेजावता से बंजली को जाने वाला आर.आर.–1 मार्ग के भाग का विकास हो चुका है। आरआर. 1 गार्ग की वर्तगान रिथति को विकास योजना 2035 गें यथावत रखा गया है।

- **मुख्य मार्ग**

रतलाम विकास योजना 2035 में 24 मुख्य मार्ग प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी चौड़ाई 24 से 45 मीटर तक रखी गई है। मुख्य मार्ग क्रमांक 20 हरमाला मार्ग से बायपास तक का निर्माण पुराने इन्दौर–मंदसौर बायपास मार्ग तक हुआ है।

- **वृत्त खण्ड स्तरीय मार्ग**

निवेश इकाईयों में आंतरिक यातायात की दृष्टि से यह मार्ग महत्वपूर्ण है तथा इनका उपयोग आवासीय क्षेत्रों की गतिविधि केन्द्रों को जोड़ने हेतु किया जाता है। इन मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई 12 से 18 मीटर प्रस्तावित है। इन मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन के साथ नगर बस सेवा भी प्रारंभ की जा सकती है। इन मार्गों के किनारे जल प्रदाय, विद्युत प्रदाय एवं मल निकासी से संबंधित वितरण व्यवस्था की जा सकेगी।

- **उप खण्ड स्तरीय मार्ग**

यह मार्ग मुख्य रूप से आवासीय वृत्त खण्डों के आंतरिक यातायात हेतु प्रस्तावित होने से इनको खण्डस्तरीय एवं प्रमुख मार्गों से जोड़ा जावेगा। इन मार्गों का मार्गाधिकार 12 से 15 मीटर प्रस्तावित है, जो वर्तमान विकसित क्षेत्र में न्यूनतम 12 मीटर तथा प्रस्तावित क्षेत्र में 15 मीटर चौड़े रहेंगे।

- **स्थानीय मार्ग**

स्थानीय मार्ग आवासीय वृत्त खण्डों के आंतरिक यातायात के लिए होता है तथा इन्हीं मार्गों से भवनों को पहुँच उपलब्ध होती है। इन मार्गों पर समस्त स्थानीय सेवायें जैसे– जल प्रदाय, मल निकास, विद्युत लाईन आदि स्थित होती है। इन मार्गों का मार्गाधिकार 9 से 12 मीटर प्रस्तावित है जो वर्तमान विकसित क्षेत्र में न्यूनतम 9 मीटर एवं प्रस्तावित क्षेत्र में 12 मीटर रहेगी। बाजार परिसर, दुकानें एवं अन्य गैर आवासीय गतिविधियों के क्षेत्रों में, विकास अनुज्ञा सेवा मार्ग एवं पार्किंग के आवश्यक प्रावधान के साथ दी जावेगी ।

- **पदचारी मार्ग**

पदयात्री पथ परिभ्रमण संरचना का एक अति आवश्यक अंग है। पद यात्री पथ चालकों के साथ वृद्ध व्यक्तियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है ताकि वे दुकानों, वाचनालयों, पुस्तकालयों तथा पाठशालाओं तक की दूरी सुरक्षित एवं सुगमतापूर्वक तय कर सकें। पदचारी पथ एक आवासीय खण्ड को दूसरे खण्ड से जोड़ने हेतु भी प्रस्तावित है। इनके विस्तृत प्रस्ताव परिक्षेत्रीय योजना में प्रस्तावित किये जावेंगे।

5.4 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

मार्गों की चौड़ाई प्रस्तावित करते समय उनका महत्व दीर्घकालीन यातायात की सघनता, यातायात का स्वरूप व विशेषताएं आदि को ध्यान में रखा गया है। निम्न सारणी 5–सा–2 में विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई दर्शायी गई है।

मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

सारणी 5–सा– 2

क्र.	मार्ग	प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में
1	2	3
1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 927–ए	60
2	राजमार्ग क्रमांक 31 (अ) इंदौर मार्ग से मंदसौर मार्ग तक (बायपास) राजमार्ग क्रमांक 39 (ब) धानासुता मार्ग से झाबुआ मार्ग (आर.आर.1) तक	60 60
3	वृत्तीय मार्ग (अ) मंदसौर मार्ग से इंदौर मार्ग तक (आर.आर.1)	60

क्र.	मार्ग	प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में
1	2	3
4	क्षेत्रीय मार्ग	
i.	सैलाना मार्ग (अ) सैलाना ओव्हर ब्रिज से आरो आश्रम तक (ब) आरो आश्रम से सैलाना की ओर	 36 60
ii.	बाजना मार्ग (अ) बाजना बस स्टेण्ड से एम.आर.–6 तक (ब) एम.आर.–6 से बाजना की ओर	 36 60
iii.	झाबुआ मार्ग (आर.आर.1 से झाबुआ की ओर)	60
iv.	धानासुता मार्ग	30
v.	नागदा मार्ग (बायपास से नागदा की ओर)	45
vi.	धोलावड़ मार्ग (आर.आर.1 से धोलावड़ की ओर)	30
vii.	इटावा माता मार्ग (बायपास से इटावा की ओर)	30
viii.	डायवर्सन गार्ग	30
5	मुख्य मार्ग	
i.	एम.आर.–1	30
ii.	एम.आर.–2 (आर.आर.–1 से बायपास तक)	30
iii.	एम.आर.–3	30
iv.	एम.आर.–4	30
v.	एम.आर.–5	24
vi.	एम.आर.–6 (बाजना मार्ग से सैलाना मार्ग तक 24 मीटर)	30
vii.	एम.आर.–7	24
viii.	एम.आर.–8	24
ix.	एम.आर.–9	30
x.	एम.आर.–10	24
xi.	एम.आर.–11	24
xii.	एम.आर.–12	45
xiii.	एम.आर.–13	30
xiv.	एम.आर.–14	30

क्र.	मार्ग	प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में
1	2	3
xv.	एम.आर.–15	30
xvi.	एम.आर.–16	24
xvii.	एम.आर.–17	24
xviii.	एम.आर.–18	24
xix.	एम.आर.–19	30
xx.	एम.आर.–20 (हरमाला मार्ग से बायपास तक)	24
xxi.	एम.आर.–21	24
xxii.	एम.आर.–22	45
xxiii.	एम.आर.–23	30
xxiv.	एम.आर.–24	24
6	खण्ड स्तरीय मार्ग	18
7	उप खण्ड स्तरीय मार्ग	12 15
8	स्थानीय मार्ग	9 12

वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

सारणी 5–सा– 3

क्रमांक	मार्गों का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
	मुख्य मार्ग		
1	पावर हाउस मार्ग महाराणा प्रताप स्टेच्यू से दो बत्ती चौराहे तक	18–24	24
2	महात्मा गांधी मार्ग, घोड़ा चौराहे से जावरा फाटक तक	18–24	24
3	राजेन्द्र प्रसाद मार्ग (अस्पताल से घोड़ा चौराहे तक)	12–18	24
4	जवाहर मार्ग (न्यू रोड) दो बत्ती से शहर सराय तक	18–20	24
5	वीर सावरकर मार्ग (अम्बेडकर स्टेचू से महू नीमच रोड के फव्वारे तक)	22–25	24

क्रमांक	मार्गों का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
6	लोकेन्द्र भवन रोड	15–18	18
7	रेलवे स्टेशन मार्ग (जावरा फाटक से स्टेशन तक)	08–10	18
8	शास्त्री नगर रोड (न्यू रोड से पावर हाउस लिंक रोड)	15–18	18
9	फ्रिगंज रोड	15–18	18
	अन्य मार्ग		
1	दयानंद मार्ग (हाट रोड से त्रिपोलिया गेट तक)	18–22	24
2	सुभाष मार्ग (रानीजी मंदिर तक)	18–22	24
3	नोलाईपुरा	15–18	18
4	नाहरपुरा गार्ग (डालूमोदी चौक से माणकचौक तक)	15–18	18
5	माणकचौक मार्ग (घास बाजार चौक तक)	9–12	12
6	दौलतगंज मार्ग (घास बाजार तक)	9–12	12
7	घासबाजार मार्ग (सेठजी के बाजार तक)	18–22	24
8	घास बाजार मार्ग (सेठजी के बाजार से हरमाला रोड तक)	15–18	18
9	कसेरा बाजार मार्ग	15–18	18
10	धानमण्डी मार्ग (नाहरपुरा चौक से हरदेवलाला पिपली)	18–22	24
11	नीमचौक मार्ग	15–18	18
12	बजाजखाना मार्ग	12–15	15
13	डालूमोदी चौक से बजाजखाना मार्ग तक	9–12	12
14	भुट्टा बाजार (तिलक मार्ग)	9–12	12
15	चौमुखी पुल मार्ग (घास बाजार से चांदनी चौक तक)	18–20	24
16	लक्कड़पीठा मार्ग (चांदनी चौक से बाजना बस स्टैण्ड तक)	15–18	18
17	बिहारीलाल मार्ग (नाहरपुरा चौक से पूर्णेश्वर महादेव मंदिर)	15–18	18
18	मोचीपुरा मार्ग (सुरज पोल से नाले तक)	9–12	12
19	भरावा कुई मार्ग (कसेरा बाजार चौक से घास बाजार तक)	15–18	18
20	रंगरेज मार्ग	10–12	12

क्रमांक	मार्गों का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
21	मराठों का वास मार्ग	09–12	12
22	गौशाला मार्ग	12–15	15
23	ईदगाँह मार्ग	12–15	15
24	रामगढ़ मार्ग	12–15	15
25	रामगढ़ मेला क्षेत्र मार्ग	15–18	18
26	सेठजी का बाजार मार्ग	8–10	12
27	पैलेस रोड (डालूमोदी चौक से चिंताहरण गणेश मंदिर)	8–10	18
28	पैलेस गेट से नगर निगम चौक तक	24	24
29	चिंताहरण गणेश मंदिर से पैलेस रोड तक	12–15	18
30	सुरज पोल रोड (थावरिया से सूरजमौर तक)	12–15	15
31	मोतीपुरा से कालकामाता मंदिर तक	8–10	12
मध्य क्षेत्र परिधीय मार्ग			
1	शहर सराय, हाट रोड, बाजना बस स्टैण्ड , अमृत, सागर तालाब, त्रिपोलिया गेट चमारिया नाका, हरमाला रोड, हाकिम वाड़ा, काजीपुरा, आनंद कॉलोनी रोड, वीर सावरकर मार्ग, अम्बेडकर चोराहा, नाहरपुरा चौक से शहर सराय	–	18–24 मीटर
2	नाहरपुरा से सुभाष मार्ग धानमंडी को जाने वाली अण्डागली मार्ग, माणक चौक से नागरवास तरफ के प्रवेश मार्ग, माणक चौक से डालूमोदी बाजार तरफ के प्रवेश मार्ग	–	9 मीटर

अध्याय 6 विकास नियमन

6.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमनों का उद्देश्य निवेश क्षेत्र के नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। यह नियमन निम्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे :–

- निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास।
- भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन, संयुक्तिकरण, संविलियन, उपांतरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है।
- समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास।
- किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो।
- ऐसे क्षेत्र में, जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर हैं, भूमि का विकास, भवनों का निर्माण/परिवर्तन एवं तोड़ना।

6.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वे म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा नियमों में किये जाने वाले संशोधन के अनुरूप लागू होंगे।

2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकार्य गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने हेतु सक्षम हैं।

3. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है। यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करना पड़े। ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। यदि किसी विवाद/विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है, तो उस दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा, जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जायेगा।

4. विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं, तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किए गए हैं। उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल, तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित हैं। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाए गए हैं।

5. वर्तमान भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाये अनुसार खसरा मानचित्र पर वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जावेगा।

6. आस–पास विद्यमान/निर्मित एवं धारा–30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा–27, 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग, जो मौके पर विद्यमान हैं, परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उप–दर्शित नहीं है अथवा उप–दर्शित है, परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जावेगी।

7. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय विकास अनुज्ञा, स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान अधिभोग हेतु क्रियान्वित होने पर यथावत रहेंगे।

8. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होगी।

9. संचालक द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की समयावधि, यदि विकास योजना प्रकाशन की तिथि पर वैध है तो उस दशा में स्वीकृत अभिन्यास का व्यापक भूमि उपयोग मान्य किया जावेगा।

10. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में, राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है भले ही वह विकास योजना में उल्लेखित न हो।

11. ऐसे क्षेत्र जहां जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो, उसके लिये आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगा।

12. विकास अनुज्ञा के लिये प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जायेगा।

13. विभिन्न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएं, उसी उपयोग परिसर के अन्दर ही आवश्यक रूप से करना होगी। उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्डों को प्रगणित करते हुये एकीकृत अथवा समूह में अभिन्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर के अंदर पृथक से पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी।

14. नगर में निर्मित होने वाले फ्लायओवर/स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये दी जायेगी, परंतु ऐसी गतिविधि हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

15. विकास योजना में नदी/नालों के दोनों ओर दर्शाया गया हरित क्षेत्र सांकेतिक स्वरूप का है। नदी के दोनों किनारों पर उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 30 मीटर तक एवं नालों की स्थिति में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा, इस भूमि पर मार्ग तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा।

16. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं। यदि झुग्गी–झोपड़ी का किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में जल स्त्रोतों के क्षेत्र, आमोद–प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी–झोपड़ी का विस्थापन ग्राह्य होगा।

17. विकास योजना मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा/बड़ा किया गया मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई–चौड़ाई नापी जाये, न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाये। लंबाई–चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू–उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु सर्वे मानचित्र जो 1:4000 की माप पर तैयार किया गया है, उसके आधार पर किया जाये। विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग, स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किए जाये तथा इस संबंध में स्थल निरीक्षण/अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।

18. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुसार अलग–अलग विकास नियमन–परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जायेगी।

19. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमायें, स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जायेगा।

20. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होंगे। उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग ही अधिमान्य होंगे।

21. विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिये गये हैं। नियमनों में यदि किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है अथवा किसी व्याख्या की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

22. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर, खसरों के आधार पर ही किया जायेगा।

23. नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं है, समानता के आधार पर मान्य किये जा सकेंगे।

24. विकास योजना मानचित्र में निर्दिष्ट भू–उपयोग व पुस्तक में वर्णित किसी लेख में विरोधाभास की स्थिति पर पुस्तक में वर्णित लेख मान्य होंगे।

6.3 परिभाषायें

उपयोग परिक्षेत्र — मुख्य भू–उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र।

उपयोग परिसर — उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो एवं जिसे अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो।

अभिन्यास	अभिन्यास से तात्पर्य उप विभाजित योजना से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो।
भूमि उपयोग मानचित्र	सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र भूमि उपयोग मानचित्र कहलायेगा।
परिक्षेत्रिक योजना	निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना, जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार, सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधानित हो।
नगरीय ग्राम	भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आबादी, नगरीय ग्राम कहलायेंगे।
नगरीय विरासत का क्षेत्र	नगरीय विरासत से तात्पर्य है, ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो।
विकसित क्षेत्र	विकसित क्षेत्र से तात्पर्य विकास योजना के रंगीन गानचित्र गें दर्शित वर्तगान उपयोग।
एकल/संयुक्त परिवार हेतु भूखण्डीय विकास	अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितीय बदलाव के साथ भूखंडीय विकास से तात्पर्य, परिवार हेतु भूखंडीय विकास (अभिन्यास) का भूखंडों में उप–विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार, संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो।
मिश्रित उपयोग	मिश्रित उपयोग से तात्पर्य ऐसे उपयोग परिक्षेत्र से है जो कि इस विकास योजना में उल्लेखित किया गया है। इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें स्वीकार्य गतिविधियां मान्य होंगी।
ऊँचे भवनों का विकास	ऊँचे भवनों का विकास, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 के उपनियम (38) सहपठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगा।
फर्शी क्षेत्र अनुपात	फर्शी क्षेत्र अनुपात से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (30) के अनुसार।

भवन की ऊँचाई अन्यथा उल्लेखित न हो तो भवन की ऊँचाई से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (9) के अनुसार।

संवेदनशील क्षेत्र परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय, ईकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र **संवेदनशील** क्षेत्र कहलाएगा। इसके अंतर्गत नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे।

अन्य परिभाषायें व नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे।

6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

उपयोग परिक्षेत्रों में तत्संबंधी विभिन्न स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुये उपयोग परिक्षेत्रों को निम्नलिखित तालिका में **दर्शाये अनुसार उप–परिक्षेत्रों** में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किये गये हैं। निर्धारित मुख्य भू–उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, आमोद–प्रमोद, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, विशेष प्रयोजन, यातायात एवं परिवहन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएं, जलाशय एवं कृषि। उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6–सा–1 में दिया गया है।

भू–उपयोग परिक्षेत्र

सारणी 6–सा– 1

क्र.	भू–उपयोग परिक्षेत्र	भू–उपयोग उप–परिक्षेत्र	नाम पद्धति
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आवासीय	आवासीय	(आर 1)
		भू–तल पर दुकानों की कतारों सहित आवासीय	(आर 2)
		मध्यम घनत्व	(आर 3)
		निम्न घनत्व	(आर 4)
2	वाणिज्यिक	शहर केन्द्र	(सी 1)
		उपनगर केन्द्र	(सी 2)
		सामुदायिक केन्द्र	(सी 3)
		स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र	(सी 4)
		सुविधा व्यावसायिक केन्द्र	(सी 5)
		मण्डी	(सी 6)
		वर्गीकृत बाजार	(सी 7)
3	औद्योगिक	सेवा उद्योग	(आई 1)
		सामान्य उद्योग	(आई 2)
		विशेष उद्योग	(आई 3)
4	मनोरंजन	उद्यान	(जी 1)
		हरित क्षेत्र या उपरोक्त वर्णित क्षेत्र	(जी 2)
		क्षेत्रीय उद्यान (प्राणिशास्त्रीय या वनस्पतिशास्त्र उद्यान)	(जी 3)
		प्राकृतिक क्षेत्रों या भू–दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण	(जी 4)
		खेल मैदान	(जी 5)
		स्टेडियम	(जी 6)
		झील के सामने का विकास	(जी 7)
		प्रदर्शनी मैदान	(जी 8)
5	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक	सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों/शिक्षा और अनुसंधान/स्वास्थ्य/सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियां	(पी)
6	विशेष प्रयोजन	पर्यटन प्रवर्धन परिक्षेत्र	(एस पी 1)
		संरक्षित परिक्षेत्र	(एस पी 2)

क्र.	भू–उपयोग परिक्षेत्र	भू–उपयोग उप–परिक्षेत्र	नाम पद्धति
(1)	(2)	(3)	(4)
		शुष्क पत्तन या कंटेनर डिपो	(एस पी 3)
		तेल डिपो या ज्वलनशील पदार्थ डिपो	(एस पी 4)
		भवन निर्माण सामग्री यार्ड	(एस पी 5)
		प्रदूषणकारी उद्योग	(एस पी 6)
		सेज (एस.ई.जेड)	(एस पी 7)
		खनन क्षेत्र	(एस पी 8)
		आरक्षित वन या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य	(एस पी 9)
		अन्य	(एस पी 10)
7	परिवहन	बस स्टैण्ड या टर्मिनर्स	(टी 1)
		बस पिकअप स्टेशन	(टी 2)
		सड़कें	(टी 3)
		रेलवे स्टेशन	(टी 4)
		रेलपे लाइन	(टी 5)
		बस डिपो	(टी 6)
		ट्रांसपोर्ट नगर	(टी 7)
		हैलीपेड/हवाई अड्डा	(टी 8)
		मेट्रो रेल स्टेशन	(टी 9)
8	सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं	जल शोधन संयंत्र	(पीयूएफ 1)
		मल शोधन संयंत्र/आक्सीकरण ताल	(पीयूएफ 2)
		विद्युत सब स्टेशन	(पीयूएफ 3)
		ट्रेचिंग ग्राउण्ड्स	(पीयूएफ 4)
		ट्रंकलाइन कॉरीडोर, जल/मल/अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइनें/गैस या तेल पाइप लाइनें और संबंधित संरचनाएं	(पीयूएफ 5)
		रेडियो/टी.वी. स्टेशन	(पीयूएफ 6)
		दूरसंचार केन्द्र	(पीयूएफ 7)
		अग्नि नियंत्रण स्टेशन	(पीयूएफ 8)
		ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र/अपघटन संयंत्र	(पीयूएफ 9)

क्र.	भू–उपयोग परिक्षेत्र	भू–उपयोग उप–परिक्षेत्र	नाम पद्धति
(1)	(2)	(3)	(4)
		जल शोधन संयंत्र	(पीयूएफ 1)
		जल–मल शोधन संयंत्र	(पीयूएफ 2)
		विद्युत सब स्टेशन	(पीयूएफ 3)
		ट्रेंचिंग ग्राउण्ड	(पीयूएफ 4)
		ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र/अपघटन संयंत्र	(पीयूएफ 9)
		कब्रिस्तान/शमशान घाट	(पीयूएफ 10)
9	जल निकाय	नदियां	(डब्ल्यू 1)
		झील/तालाब/जलाशय	(डब्ल्यू 2)
		नाला/नहर	(डब्ल्यू 3)
		बाढ़ प्रभावित क्षेत्र	(डब्ल्यू 4)
10	कृषि	कृषि भूमि	(ए 1)
		ग्राम आबादी विस्तार	(ए 2)

टीप :– उपरोक्त सारणी में भूमि विकास नियम, 2012 में दर्शित समस्त भू–उपयोग परिक्षेत्र एवं उप–परिक्षेत्र वर्णित है, जिनमें से रतलाम नगर की आवयश्यकता के अनुसार लिये गये हैं।

6.5 आवासीय

6.5.1 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के मापदण्डों के अनुसार नियंत्रित होंगे। आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6–सा–2 में दिए गए हैं।

1. इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है। इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित है। ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनायें, जल प्रदाय, जल–मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे।
2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1:1.5 से 1:3 होना चाहिए, किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जायेगा।
3. भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू–तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई

तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है। नीचे दी गई सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित है एवं सारणी में दर्शाये भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है।

4. म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन एवं शर्तें) नियम, 1998 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप अल्प आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किये जावेंगे।

5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट–ञ) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये।

6. पहुंच मार्ग की चौड़ाई 18.00 मीटर से अधिक होने पर मिश्रित उपयोग हेतु अनुमति दी जा सकेगी। ऐसे मिश्रित उपयोग भवन के पुनर्निर्माण में भी अनुज्ञात किये जा सकेंगे।

आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

सारणी 6–सा– 2

क्र.	भूखण्ड का आकार (मी. में)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) न्यूनतम	विकास का प्रकार	भू–आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में	एफ.ए.आर. अधिकतम	एम.ओ.एस. (मी.) में				भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी.में)	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)	एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य आवासीय ईकाइयां
						अग्र	पार्श्व	आजू	बाजू			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4.0X8.0	32	पंक्ति	60	1.25	3.00	0.0	0.0	0.0	6	9.5	2
2	4.0X12.0	48	पंक्ति	60	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	6	9.5	2
3	5.0X15.0	75	पंक्ति	60	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	6	9.5	2
4	7.0X15.0	105	पंक्ति	50	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	7.5	9.5	2
5	9.0X15.0	135	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.00	1.5	2.5	0.0	7.5	12.5	3
6	11.10X18.0	200	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.00	2.5	2.5	0.0	9.0	12.5	4
7	12.0X18.0	216	अर्धपृथक्कृत	42	1.25	3.5	2.5	3.0	0.0	9.0	12.5	4
8	12.0X24.0	288	पृथक्कृत	40	1.25	4.5	2.5	3.5	1.5	9.0	12.5	4
9	12.0X24.0	360	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	2.5	3.0	3.0	12.0	12.5	5
10	15.0X27.0	405	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	3.0	3.5	3.0	12.0	12.5	5
11	18.0X30.0	540	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.0	3.0	12.0	12.5	7
12	20.0X30.0	600	पृथकृत	33	1.25	6.0	3.0	4.5	3.0	12.0	12.5	7
13	25.0X30.0	750	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7
14	30.0X33.0	990	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7

नोटः–

1. उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की है जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।
2. मिश्रित उपयोग के अंतर्गत ऐसे भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की अर्हता पूर्ण होती है, हेतु भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होंगे। (आवासीय इकाई छोड़कर)
3. **सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय** क्षेत्रों में बहु ईकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है।
4. ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शायी श्रेणियों के मध्य के आकार के हो, को इसके पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस. आच्छादन, एफ.ए.आर. के अनुसार अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए। ऐसे आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. (MOS) में निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्नता आती है तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ. एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जायेगी। किन्तु ऐसे प्रकरणों में भवन रेखा निर्धारित कर ही स्वीकृति दी जायेगी।
5. घनत्वीय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में औसतन 4.8 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में औसतन 2.4 व्यक्ति का रहवास माना जावेगा।
6. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जायेगी।
7. झुग्गियों की पुनर्स्थापना की दशा में **32 वर्गमीटर से कम** क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे।
8. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष 12 मीटर से कम चौड़ा मार्ग होने पर केवल 4 आवासीय ईकाइयां मान्य होंगी।
9. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है, तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी। स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार/क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा।

6.6 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे।

6.7 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधायें हेतु मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होंगे।

6.8 मिश्रित उपयोग

आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक अर्धसार्वजनिक गतिविधियां।

6.8.1 मिश्रित उपयोग नियमन

मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है। बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक/अर्धसार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है। बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग और बढ़ रही है। अतः वास्तविकता को अनदेखा करना नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं होगा। अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता एवं नागरिकों की सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे। इस हेतु आवासीय परिसरों में मिश्रित उपयोग स्वीकार्य करने हेतु स्पष्ट सिद्धांत एवं प्रक्रिया का निर्धारण आवश्यक है ।

6.8.2 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक अर्धसार्वजनिक परिक्षेत्र से संबंधित गतिविधि किये जाने से है।
2. ऐसे कार्यकलापों की सामाजिक, आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाये रखना आवश्यक है।
3. मिश्रित उपयोग से, अलग–अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आयेगी किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़–भाड़ बढ़ने, पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ना संभावित है। प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा ।

6.8.3 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें

1. मिश्रित उपयोग हेतु विकास नियंत्रण के उपयोग परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (एफ.ए.आर. ग्राउण्ड कवरेज इत्यादि) मिश्रित उपयोग के लिये भी लागू रहेंगे।
2. मिश्रित उपयोग के यह नियमन नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगे, तथा पार्किंग हेतु मानक उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे।
3. 18.0 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्ग पर ही गैर–आवासीय गतिविधियां जैसे वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक गतिविधियां मान्य की जा सकेंगी।

6.9 वाणिज्यिक

6.9.1 वाणिज्यिक अभिन्यासों के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका

वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

सारणी 6–सा– 3

क्र.	भूखण्ड का आकार (मीटर में)	क्षेत्र (वर्गमीटर में)	मार्ग की चौड़ाई (मीटर में)	भवन रेखा (मीटर में मार्ग के मध्य से)	अग्र कॉरीडोर	भू–आच्छादन	फर्शी क्षेत्रानुपात (FAR)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6.0 X 9.0	54	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
2	9.0 X 15.0	135	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
3	9.0 X 15.0	135	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
4	12.0 X 18.0	216	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
5	12.0 X 18.0	216	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
6	18.0 X 30.0	540	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
7	30.0 X 33.0	990 से अधिक	12 या अधिक	9.0	3.0	40	1.5

टीप :–

- 18 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार निम्नानुसार एफ.ए.आर. देय होगा।
  - 18 मीटर तक 1.75
  - 24 मीटर से अधिक 2.0
- यह मापदण्ड सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों में लागू होंगे। सारणी में दर्शाये गये क्षेत्रफल से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांकों के मानक लागू होंगे।
- वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जायेगी।
- 12.0 मीटर से अधिक चौड़े मार्गों पर भवन रेखा निम्नानुसार निर्धारित की जायेंगी।

मार्ग चौड़ाई	भवन रेखा (मार्ग मध्य से)
12.0 मीटर	09.0 मीटर
18.0 मीटर	13.5 मीटर
24.0 मीटर	15.0 मीटर

अग्र कॉरिडोर की भूमि का किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग निषेध होगा।

वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

सारणी 6–सा– 4

क्र.	वर्ग	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3
1	भूखण्डों का क्षेत्र	अधिकतम 50 प्रतिशत
2	परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र	अधिकतम 40 प्रतिशत
3	खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र	न्यूनतम 10 प्रतिशत (8 : 2)
4	मार्गों की चौड़ाई – बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई – दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं मुड़ने के लिये न्यूनतम चौड़ाई – दुकानों के सामने पादचारी की न्यूनतम चौड़ाई	 12 मीटर 18 मीटर 7.5 मीटर
5	दुकानों के आकार	मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर
6	विराम स्थल	म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार

6.10 औद्योगिक

6.10.1 औद्योगिक विकास के मानक

औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे।

6.11 सामुदायिक सुविधाओं/सेवाओं हेतु नियमन

सामुदायिक सुविधाओं/सेवाओं हेतु नियमन

सारणी 6–सा– 5

क्र.	श्रेणी	अधिकतम निर्मित क्षेत्र	एफ.ए.आर.	न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)	अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र (मी. में)	अन्य तीन ओर (मी. में)
1	2	3	4	5	6	7
1	**शैक्षणिक भवन**					
	1. नर्सरी/पूर्व प्राथमिक शाला	40 प्रतिशत	1.25	12.0	6.0	3.0
	2. प्राथमिक विद्यालय	33 प्रतिशत	1.25	12.0	7.5	3.5
	3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	30 प्रतिशत	1.00	18.0	12.0	5.0
	4. महाविद्यालय	25 प्रतिशत	1.00	24.0	15.0	6.0
2	**स्वास्थ्य**					
	हॉस्पिटल – 100 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	24.00	15.00	06.00
	हॉस्पिटल – 30 से 100 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	24.00	15.00	06.00
	हॉस्पिटल – 0 से 30 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	नेचरोपेथी सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	हेल्थ रोन्टर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	नर्सिंग होम	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	पालीक्लीनिक	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	पेट क्लीनिक	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50
	ब्लड बैंक/पैथालाजी सेन्टर इत्यादि	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50
	फिजियोथेरेपी सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50
3	**जनउपयोगिता एवं सेवायें**					
	पुलिस चौकी	35 प्रतिशत	1.00	–	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे।	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे।
	पुलिस स्टेशन आवास गृह सहित	25 प्रतिशत	1.00	12.0		
	सामुदायिक भवन	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
	उप अग्निशमन केन्द्र	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
	अग्निशमन केन्द्र	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
	डाक एवं तार	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
	विद्युत सब स्टेशन	–	–	–		
4	**धार्मिक भवन**	30 प्रतिशत	1.00	12.0		
5	**शासकीय/अर्ध–शासकीय कार्यालय**	35 प्रतिशत	1.00	18.0		

नोट –उपरोक्त सारणी में जो सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं उनके भू–आच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.0 से अधिक नहीं होंगे। जो सीमांत खुले क्षेत्र उपरोक्त सारणी में उल्लेखित नहीं हैं, वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार रहेंगे। किंतु ऐसी सुविधाएं जिनका पुनर्विकास किया गया है उनके लिये यह मापदण्ड लागू न होकर केवल आच्छादित क्षेत्र (कॉलम 3) के अनुसार रहेगा, जिसे आवश्यकतानुसार 10 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाया जा सकता है।

6.12 यातायात

6.12.1 यातायात नगर/मैकेनिक नगर/लॉजिस्टिक हब/निजी बस स्थानक

(अ) इस उपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी– ट्रक टर्मिनल, मोटर गैरेज, वर्कशॉप, स्पेयर पार्टस एवं सुधार की दुकानें रात्रि विश्राम गृह बोर्डिंग/लाजिंग, बैंक, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, बुकिंग ऑफिस, वेयर हाउस एवं अनुशांगिक गतिविधियां।

(ब) यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर परिक्षेत्र हेतु नियमन।

- मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी।
- सामुदायिक खुले क्षेत्र का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सकेगा।
- यातायात नगर के विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल वर्णित नहीं किया गया है। स्थल के आकार के अनुसार एक से अधिक गतिविधियां स्वीकार्य होंगी।

6.13 मध्य क्षेत्र हेतु मापदण्ड

6.13.1 आवासीय क्षेत्र– मध्य क्षेत्र

मध्यक्षेत्र के वर्तमान निर्मित क्षेत्र में भूखण्ड का सुव्यवस्थित तथा न्यूनतम आकार निर्धारित करना संभव नहीं है। मध्यक्षेत्र में बहुत से आवासों के भूखण्ड अव्यवस्थित आकार के हैं। मध्यक्षेत्र में कार्यस्थलों पर रोशनदान, सूर्य का प्रकाश आदि स्वस्थ्य परिवेश की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित घनत्व की प्राप्ति हेतु फर्शी एवं निर्मित क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। मध्य क्षेत्र में आवासीय परिसरों का उपविभाजन प्रतिबंधित रहेगा।

मध्य क्षेत्र में आवासीय विकास हेतु मापदण्ड

सारणी 6–सा– 6

क्र	भूखण्ड का आकार/क्षेत्रफल	भूतल पर स्वीकार्य निर्मित क्षेत्र	सीमांत खुला क्षेत्र			
			सामने	पीछे	आजू	बाजू
1	2	3	4	5	6	7
1	100 वर्ग मीटर तक	75 प्रतिशत	2.5	1.5	–	–
2	100 से अधिक व 200 वर्गमीटर तक	60 प्रतिशत	3.0	1.5	–	–
3	200 से अधिक व 350 वर्गमीटर तक	50 प्रतिशत	4.5	2.5	2.5	2.5
4	350 से अधिक व 500 वर्गमीटर तक	45 प्रतिशत	6.0	2.5	4.5	2.5

टीप –

1. 12 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले भूखण्डों में 2.5 मीटर सीमान्त खुला क्षेत्र भूखण्ड के एक ओर छोड़ना होगा।
2. 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्डों के लिए विकास मापदण्ड सारणी 6–सा–2 के अनुरूप मान्य होंगे।

अन्य शर्तें –

– संयुक्तीकरण किए गए भूखण्डों पर बहुइकाई प्रकोष्ठ मान्य नहीं होंगे।

– फर्शी क्षेत्र अनुपात (अधिकतम) –

(अ) 9 मीटर तक चौड़े मार्गों पर – 1.00

(ब) 9 मीटर से अधिक – 1.25

6.13.2 वाणिज्यिक क्षेत्र – मध्य क्षेत्र

वाणिज्यिक मार्गों पर भूतल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार मान्य होगा –

– 150 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्ड – 70 प्रतिशत

– 150 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक के भूखण्ड– 60 प्रतिशत

ऊपर के तलों का निर्मित क्षेत्र एवं अन्य मापदण्ड परिसर के व्यवसाय के आधार पर नियंत्रित होंगे। अपितु विभिन्न वाणिज्यिक मार्गों पर पर्याप्त वाहन पार्किंग व्यवस्था के प्रावधान के साथ निम्न सामान्य फर्शी क्षेत्र अनुपात (अधिकतम) मान्य किया जा सकेगा –

- 9 मीटर तक चौड़े मार्ग 1.00
- 9 मीटर से अधिक 15 मीटर चौड़े मार्ग 1.25
- 15 मीटर से अधिक 18 मीटर चौड़े मार्ग 1.50
- 18 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग 1.75

किसी भी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भूखण्डों में से मार्ग, फुटपाथ, पार्किंग इत्यादि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भूखण्ड पर निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि का दोगुना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त स्वीकार्य होगा। इससे भवन के सामने सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।

वाणिज्यिक मार्गों पर वाणिज्यिक विकास की गहराई मार्ग की चौड़ाई का दोगुना या 10 मीटर, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा। वाणिज्यिक मार्गों पर 4.5 मीटर पार्किंग के पश्चात् 1.5 मीटर का कॉरीडोर रखना आवश्यक होगा। वाणिज्यिक मार्गों पर भूतल पर दुकानें एवं ऊपरी मंजिल पर आवासीय उपयोग किया जा सकेगा।

6.14 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन

वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई, भू–आच्छादन, FAR एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा जोनल प्लान तैयार कर निर्धारित मापदण्ड लागू किए जा सकेंगे। जोनल प्लान लागू होने तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे।

विकसित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण की अनुमति स्थानीय निकाय द्वारा दी जा सकेगी।

6.15 वर्तमान विकसित क्षेत्रों के मापदण्ड

भवन की ऊँचाई, अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे।

6.15.1 वर्तमान आवासीय क्षेत्र

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास निम्न मापदण्डों से नियंत्रित होगा।

वर्तमान आवासीय क्षेत्र के विकास हेतु भूखण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

सारणी 6–सा– 7

भूखण्ड का क्षेत्र	आच्छादित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3
90 वर्गमीटर से कम	66 प्रतिशत	1.25
90 से अधिक 180 वर्गमीटर तक	60 प्रतिशत	1.00
180 वर्गमीटर से अधिक	50 प्रतिशत	1.00

टीपः– मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर से अधिक होने की दशा में 180 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्डों के लिये फर्शी क्षेत्रानुपात 1.25 तक अनुज्ञेय होगा।

1. आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड

जिन कालोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गये हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जायेगा। ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाये गये मापदण्ड लागू होंगे, जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास/निर्माण के लिये नवीन आवासीय क्षेत्र के लिये निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

2. वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक क्षेत्रों में पुनर्निमाण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(1) मार्गों की चौड़ाई, विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप हो।

(2) अन्य तल यदि आवासीय उपयोग में हों, तो आवासीय क्षेत्र, भू–तल पर प्रस्तावित कुल फर्शी क्षेत्र के 3/4 से अधिक नहीं होगा।

(3) फर्शी क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुये फर्शी क्षेत्र निर्धारित होगा।

(4) वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन जिस मार्ग पर हो, उस मार्ग की चौड़ाई के 1.5 गुना या 30 मीटर, जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगी।

(5) वाणिज्यिक भूखण्ड का अधिकतम आकार 400 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा, किन्तु होटल, डिपार्टमेन्टल स्टोर एवं वाणिज्यिक परिसर हेतु आवंटित भूखण्डों पर यह सीमा लागू नहीं होगी।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परिसरों के लिये अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा।

25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्ड	100 प्रतिशत
25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड	80 प्रतिशत
फर्शी क्षेत्र अनुपात	1:1.50

टीप :–

1. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जायेगी।
2. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भूखण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भूखण्ड का निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गयी भूमि का दोगुना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार होगा। इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।

6.15.2 वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां

वर्तमान विकसित क्षेत्र में अधिकतर वाणिज्यिक गतिविधियां मार्गों पर संचालित हैं। अतः इन मार्गों को उनके उपयोग के अनुसार निम्न दो श्रेणियों में रखा गया है :–

(1) वाणिज्यिक मार्ग (सी)

(2) वाणिज्यिक–सह–आवासीय मार्ग (आर.सी.)

इन मार्गों पर पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित किये जा सकेंगे।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों का वर्गीकरण एवं फर्शी क्षेत्रानुपात

सारणी 6–सा– 8

क्र.	मार्ग का नाम	वर्गीकरण	FAR
1	2	3	4
1	दयानंद मार्ग (हाट रोड से त्रिपोलिया गेट तक)	सी	2.50
2	सुभाष मार्ग (रानीजी मंदिर तक)	सी	2.50
3	नोलाईपुरा	सी	2.50
4	नाहरपुरा मार्ग (डालूमोदी चौक से माणकचौक तक)	सी	2.50
5	माणकचौक मार्ग (घास बाजार चौक तक)	सी	2.50
6	दौलतगंज मार्ग (घास बाजार तक)	आर.सी.	2.00
7	घासबाजार मार्ग (सेठजी के बाजार तक)	सी	2.50
8	घास बाजार मार्ग (सेठजी के बाजार से हरमाला रोड तक)	सी	2.50
9	कसेरा बाजार मार्ग	सी	2.50
10	धानमण्डी मार्ग (नाहरपुरा चौक से हरदेवलाला पिपली)	आर.सी.	2.00
11	नीमचौक मार्ग	आर.सी.	2.00
12	बजाजखाना मार्ग	सी	2.50
13	डालूमोदी चौक से बजाजखाना मार्ग तक	आर.सी.	2.00
14	भुट्टा बाजार (तिलक मार्ग)	आर.सी.	2.00
15	चौमुखी पुल मार्ग (घास बाजार से चांदनी चौक तक)	आर.सी.	2.00
16	लक्कड़पीठा मार्ग (चांदनी चौक से बाजना बस स्टैण्ड तक)	आर.सी. सी आर.सी.	2.00 2.50 2.00
17	बिहारीलाल मार्ग (नाहरपुरा चौक से पूर्णेश्वर महादेव मंदिर)	आर.सी.	2.00
18	मोचीपुरा मार्ग (सूरजमौर से नाले तक)	आर.सी.	2.00
19	भरावा कुई मार्ग (कसेरा बाजार चौक से घास बाजार तक)	आर.सी.	2.00
20	रंगरेज मार्ग	आर.सी.	2.00

क्र.	मार्ग का नाम	वर्गीकरण	FAR
1	2	3	4
21	पावर हाउस मार्ग राणा प्रताप स्टेच्यू से दो बत्ती चौराहे तक	आर.सी.	2.00
22	महात्मा गांधी मार्ग, घोड़ा चौराहे से जावरा फाटक तक	आर.सी.	2.00
23	राजेन्द्र प्रसाद मार्ग (अस्पताल से घोड़ा चौराहे तक)	आर.सी.	2.00
24	जवाहर मार्ग (न्यू रोड) दो बत्ती से शहर सराय तक	आर.सी.	2.00
25	वीर सावरकर मार्ग (अम्बेडकर स्टेचू से महू नीमच रोड के फव्वारे तक)	आर.सी.	2.00
26	लोकेन्द्र भवन रोड	आर.सी.	2.00
27	रेलवे स्टेशन मार्ग (जावरा फाटक से स्टेशन तक)	आर.सी.	2.00
28	शास्त्री नगर रोड (न्यू रोड से पावर हाउस लिंक रोड)	आर.सी.	2.00
29	फ्रीगंज रोड	आर.सी.	2.00

नोट :–

1. उपरोक्त मार्ग खण्डों के वर्तमान उपयोग के आधार पर कॉलम 3 अनुसार मार्गों का वर्गीकरण किया गया है। अतः निर्धारित मापदण्ड अथवा वाणिज्यिक–सह–आवासीय उपयोग अन्तर्गत वर्तमान मार्ग खण्ड के लिये ही लागू होंगे।

2. भूखण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर या उससे अधिक होने पर कम से कम 4.5 मीटर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम हेतु खुला छोड़ना होगा।

3. वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक–सह–आवासीय मार्गों एवं वाणिज्यिक उपयोग, प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई से दोगुना या 30 मीटर गहराई तक, जो भी कम हो स्वीकार होगा।

• निर्मित क्षेत्र

वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू–तल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र की गणना निम्नानुसार की जायेगी।

वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू–तल के मापदण्ड

सारणी 6–सा– 9

क्रमांक	भूखण्ड का क्षेत्रफल	भू–तल पर निर्मित क्षेत्र अधिकतम
1	2	3
1	अधिकतम 200 वर्ग मीटर तक	66 प्रतिशत
2	200 वर्ग मीटर से अधिक 400 वर्गमीटर तक	60 प्रतिशत
3	400 वर्गमीटर से अधिक	50 प्रतिशत

6.15.3 सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक

इस उपयोग अंतर्गत स्वीकार्य निर्मित क्षेत्र तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात वर्तमान सघन क्षेत्र के लिये निम्न सारणी में दर्शाये गयें।

सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक हेतु विकास मापदण्ड

सारणी 6–सा– 10

क्र.	विवरण	भू–आच्छादित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	4
1	महाविद्यालय	30 प्रतिशत	1.0
2	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	30 प्रतिशत	1.0
3	प्राथमिक शाला	40 प्रतिशत	1.25
4	पूर्व प्राथमिक शाला	40 प्रतिशत	1.25
5	चिकित्सालय	30 प्रतिशत	1.0
6	स्वास्थ्य केन्द्र	40 प्रतिशत	1.25
7	पुलिस थाना	30 प्रतिशत	1.0
8	अग्निशमन भवन	30 प्रतिशत	1.0
9	सामुदायिक भवन	30 प्रतिशत	1.0
10	शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालय	30 प्रतिशत	1.25

भू–आच्छादित क्षेत्र का 5 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन, गैरेज तथा साइकल स्टैण्ड के लिये स्वीकार्य होगा।

6.16 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए निम्न सारणी में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

सारणी 6–सा– 11

क्रमांक	विवरण	मानक
1	2	3
1	फुटपाथ व्यापार – वृत्त खण्ड केन्द्र – उपवृत्त खण्ड केन्द्र – सुलभ शॉपिंग	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
2	शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय	1 से 2 इकाई प्रति 100 कर्मकार
3	थोक व्यापार एवं मालभाड़ा कॉम्पलेक्स	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
4	चिकित्सालय	3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर
5	विद्यालय – प्राथमिक – माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक	 3 से 4 इकाई 5 से 6 इकाई
6	उद्यान – नगर उद्यान – स्थानीय उद्यान	 8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार 2 से 3 इकाई
7	आवासीय	1 इकाई प्रति 500 जनसंख्या
8	बस स्थानक/रेल्वे स्टेशन	परियोजना तैयार करते समय किये गये सर्वेक्षण पर निर्भर होगा।

टीपः– प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी।

6.17 ईंधन भराव एवं भराव सह–सेवा केन्द्र के मानक

ईंधन भराव एवं भराव सह–सेवा केन्द्र 18.00 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्वीकार्य होंगे तथा शेष मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3)(चार) के अनुरूप होंगे। ई–वाहन/बैटरी चार्जिंग स्टेशन के मानक शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे।

6.18 शॉपिंग मॉल/खुला मॉल

शापिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे। उक्त गतिविधि विकास योजना में दर्शित वाणिज्यिक एवं मिश्रित भू–उपयोग में मान्य होगी। खुला माल, कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य होंगे।

6.19 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड

- शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 19 के परिशिष्ट–ञ में दिए गए अनुसार होगी।
- विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित धनत्व को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारण किया गया है। अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जावे।
- उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 49 की परिशिष्ट–छः में विहित प्रारूप में आवेदन किया जा सकता है।

6.20 हॉस्टल, वर्किंग वूमन हॉस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लाजिंग/बोर्डिंग

हॉस्टल, वर्किंग वूमन हॉस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लॉजिंग/बोर्डिंग के लिए नियमन–

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर
अधिकतम एफ.ए.आर. 1 : 1.0
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज) 33 प्रतिशत
अधिकतम ऊँचाई 12.00 मीटर

सीमांत खुला क्षेत्र –

(अ) सम्मुख 6.0 मीटर
(ब) अन्य तीन ओर 4.50 मीटर

अन्य नियंत्रण –

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर
पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 प्रावधान अनुसार।

6.21 मैरिज गार्डन

मैरिज गार्डन विकास के नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार मान्य होंगे।

6.22 बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल

बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल विकास के नियमन निम्नानुसार होंगे :–

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर
अधिकतम एफ.ए.आर. 1 : 0.5
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज) 15 प्रतिशत
न्यूनतम भूखण्ड का अग्रभाग 25.0 मीटर
सीमांत खुला क्षेत्र –
सम्मुख 6.0 मीटर
अन्य तीन ओर 4.50 मीटर

अन्य नियंत्रण :–

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर।

भूखण्ड के सम्मुख खुले क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग सार्वजनिक पार्किंग हेतु आरक्षित रहेगा।

इस गतिविधि से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित की जायेगी।

टीप– शासकीय भूमि अथवा मार्ग पर एवं परिसर के बाहर पार्किंग गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी।

6.23 शीतकेन्द्र/वेयर हाउस/गोदाम/अन्य भण्डारण केन्द्र के लिये मापदण्ड

उपरोक्त गतिविधियों के लिए निम्न नियमन लागू रहेंगे।

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल–	1000 वर्गमीटर
अधिकतम निर्मित क्षेत्र–	40 प्रतिशत
भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई–	12.0 मीटर
सीमांत खुला क्षेत्र –	6.0 मीटर

6.24 छविगृहों के लिए मापदण्ड

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53(3) के प्रावधान लागू होंगे।

6.25 मल्टीप्लेक्स

मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के प्रावधान लागू होंगे। मल्टीप्लेक्स आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मिश्रित भूमि उपयोग में मान्य होंगे एवं फर्शी क्षेत्रानुपात उस भू–उपयोग के अनुरूप होगा, जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो।

6.26 उद्यान

समस्त प्रकार के आमोद–प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत आनुशांगिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होगी।

स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग के अनुसार होंगे।

6.27 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियां निम्नानुसार प्रावधानित हैं :–

- नदी, नाले, शाखा नहर एवं अन्य जल स्त्रोतों के किनारे छोड़ा जाने वाला खुला क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियमों के अनुसार होगा।
- नहर की स्थिति में सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई भूमियों से दोनों ओर 3.0–3.0 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा।
- प्रदूषित जल/मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जावेगा।
- नाले, शाखा नहर एवं अन्य जल स्त्रोतों के किनारे के क्षेत्रों में भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टेंक को भवन निर्माण पश्चात् ग्रिडल मल लाईन से जोड़ना अनिवार्य होगा।
- निवेश क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र में या एफ.ए.आर. में पूर्व की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
- नदियों के संरक्षण एवं जल गुणवत्ता में सुधार हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे।
- संवदेनशील क्षेत्रों में रख–रखाव से संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे।

6.28 ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र

- नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन।
- प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी आधिपत्य में हो, तो भी।
- समय–समय पर उत्खनित/खोजे गए विरासतीय भवन।

पुरातात्विक महत्व के स्मारकों से पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्र खुला रखा जायेगा।

6.29 उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां

सारणी 6–सा– 12

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
1	आवासीय	आवासीय भूखण्डीय विकास, अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेटस, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हॉल, मेरिज गार्डन, बाल सुधार गृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, खेल का मैदान/ नेवरहुड पार्क, झूलाघर/डे–केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, शैक्षणिक महाविद्यालय/संस्थान, समस्त विद्यालय, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य/नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/अर्धशासकीय/शासकीय कार्यालय/सुविधायें, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, गृह, मनोरंजन क्लब, खेल मैदान/स्टेडियम, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टारेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर।
2	**वाणिज्यिक**	
(अ)	सामान्य वाणिज्यिक	आवासीय में स्वीकार्य समस्त गतिविधियां, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र, प्रिंटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूरसंचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर–संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, माल, मल्टीप्लेक्स, फिटनेस क्लब।

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
(ब)	वर्गीकृत वाणिज्यिक	आवासीय एवं सामान्य वाणिज्यिक में स्वीकार्य गतिविधियां तथा थोक व्यापार एवं लॉजिस्टिक हब।
3	औद्योगिक	औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल मैदान, बालगृह, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनीकल प्रयोगशाला, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, प्रिटिंग प्रेस, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डेरी प्लांट, स्लाटर हाउस, फेलैटेड फैक्टरी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव–विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्धशासकीय/ शासकीय कार्यालय, दूर–संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस, दूर–संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर , बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट।
4	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक	अतिथि गृह/ रेस्ट हाउस, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, झूला घर/डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनीकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग –ध्यान–अध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र, निजि व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील), सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, विश्व विद्यालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक, माध्यमिक विद्यालय,

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ–मानसिक विकलांगता, ब–शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर–संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर–प्रदूषणकारी उद्योग**
5	सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें	अग्निशमन स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, पोरट ऑफिस, दूर–संचार टावर/ स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव–दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, रख रखाव कार्यालय, यातायात सुविधाएं, संचार **सुविधाएं, अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी कार्य।**
6	यातायात एवं परिवहन	रेलवे स्टेशन एवं रेलवे लाईन/रेलवे साइडिंग/यार्ड/आपरेशनल एरिया, बस स्टेण्ड, बस डिपो, ट्रक टर्मिनल–नगर, हवाई पट्टी, माल गोदाम, शीतगृह, सर्विस स्टेशन, रिपेयर वर्कशॉप, अनुशांगिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, मोटल, होटल, पेट्रोल पम्प।
7	आमोद–प्रमोद	
(अ)	क्षेत्रीय/नगर उद्यान/ मनोरंजन	खेल का मैदान , पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन साईट, क्लब रिसोर्ट, घुड़सवारी, जिमनेजियम मय वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाईंग क्लब, फिटनेस क्लब, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, वाटर पार्क मय

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		राइडर कियोस्क, रिसोर्ट, पर्यटक/कुटीर, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, संग्रहालय, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, पम्प हाउस, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
(ब)	स्टेडियम/ खेल मैदान	स्टेडियम/खेल मैदान, नेबरहुड पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, क्लब/रिसोर्ट, घुड़सवारी प्रशिक्षण, जिम्नेंजियम, वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाईंग, फिटनेस क्लब, मेला स्थल, नर्सरी, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, पम्प हाउस, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
(स)	मेला मैदान	मेला मैदान, खेल का मैदान, पार्क, एम्युजमेंट पार्क, क्लब, घुड़सवारी, जिमनेजियम, वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम–अस्थाई प्रकृति के, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाईंग, फिटनेस क्लब, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, रिसोर्ट, पर्यटक/कुटीर–अस्थाई प्रकृति के, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
(द)	हरित क्षेत्र	खेल का मैदान, नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी प्रशिक्षण, वोट क्लब, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाईंग, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, खेल उद्यान, पम्प हाउस, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान।
(इ)	वृक्षारोपण	पर्यावरण वानिकी, खेल का मैदान नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी, वोट क्लब, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट–अस्थाई प्रकृति की, वाटर पार्क, पर्यटक/ कुटीर–अस्थाई प्रकृति की, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
8	वन	वन विभाग के प्रावधानानुसार
9	कृषि	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो **"कृषि"** शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में वर्णित है। श्मशान घाट/कब्रिस्तान, जल–मल शोधन केन्द्र, ईंट भट्टे दुग्ध डेयरी, तेल डिपो, फार्म हाउस, वेयर हाऊस, गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण, शासकीय/ अर्ध–शासकीय/ पंजीकृत संस्थाओं का कार्यालय एवं उनके द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य/शैक्षणिक/संचार गतिविधियाँ, ग्राम विकास संबंधी गतिविधियाँ (क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हाल, मैरिज गार्डन, बालगृह, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ–मानसिक विकलांगता ब–शारीरिक विकलांगता), पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, नर्सरी, लाइब्रेरी, सेवाओं/सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड, मैरिज गार्डन, शीत संग्रहागार, दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, डेरी प्लांट स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव–विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव–दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयत्र, समस्त खेल गतिविधियां/लॉजिस्टिक हब, सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर–प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधाऐं*** समस्त प्रकार के भण्डारण।

व्याख्या:–

(1) *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।

(2) **गैर–प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

(3) ***कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार मान्य होगा।

6.30 मिश्रित उपयोग कॉरिडोर

इस उपयोग के अंतर्गत आर.आर.–1 की दोनों तरफ 200–200 मीटर गहराई तक, आर.आर.–1 से सैलाना की ओर निवेश क्षेत्र सीमा तक मार्गों के दोनों ओर 250 मीटर गहराई तक तथा सेजावता से बंजली मार्ग के एक ओर 150 मीटर गहराई तक, आर.आर.–1 से मंदसौर की ओर मार्ग के दोनों ओर 250 मीटर गहराई तक मिश्रित उपयोग कॉरिडोर प्रस्तावित किया गया है, जिसके अंतर्गत आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्धशासकीय उपयोग स्वीकार्य होंगे।

6.31 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

अध्याय 7 योजना क्रियान्वयन

विकॉंस योजना के प्रस्ताव औचित्यहीन है, यदि इसके क्रियॉंन्वयन एवं प्रभावशील करने हेतु सम्यक प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किये जाते हैं। यह अपेक्षित है कि, इसमें नगरवासियों को व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण, पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि विकास करके योगदान करना होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि, ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन, तकनीकी सलाह देकर किया जावे, ताकि विकास एवं निर्माण, विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुरूप हो सकें। विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगॉं, जब म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय, अर्धशासकीय या व्यक्तिगत हो, उसकी अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर किया जावें।

विकास योजना के प्रस्तावों के क्रियान्वयन का दायित्व मुख्यतः रतलाम विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाना था किन्तु विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, नगर पालिका द्वारा भी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता है, इससे विकास योजना के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इसलिए यह अपेक्षित होगा कि, सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु शासकीय, अर्धशासकीय निकाय, विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें।

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2035 तक के लिए है। वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में रूपये 297134.90 लाख का व्यय अनुमानित है, इसमें विभिन्न भूमि उपयोग हेतु 1357.14 हेक्टेयर भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं भूमि के विकास पर व्यय, जिसमें नये मार्गों का निर्माण आदि शामिल है।

भूमि अर्जन की औसत दर रूपये 50.0 लाख प्रति हेक्टेयर मानी गई है। इस पर विकास संबंधी व्यय भूमि का दस गुना अनुमानित है। विकास व्यय का जहां तक प्रश्न है, वह भूमि उपयोग के प्रकार अनुसार अलग–अलग माना गया है। संपूर्ण विकास योजना 2035 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7–सा–1 में दर्शाया गया है।

विकास योजना का क्रियान्वयन

सारणी 7–सा– 1

क्र	भूमि उपयोग विवरण	क्षेत्र (हेक्टेयर में)				भू– अर्जन लागत (रू. 50.0 लाख प्रति हे. की दर से)	विकसित की जाने वाली भूमि का विकास व्यय			कुल लागत (रू. लाख में) (7+10)
		प्रस्तावित (हे. में)	वर्तमान (हे. में)	शेष (हे. में)	भूमि अर्जन का क्षेत्रफल (हे. में)		क्षेत्र (हेक्टेयर में)	विकास दर प्रति हे. (रू. लाख में)	लागत (रू. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आवासीय	2892.21	1161.60	1730.61	173.06	865.31	1038.37	100.00	103836.60	104701.91
2	वाणिज्यिक	192.14	89.20	102.94	10.29	1544.10	61.76	100.00	6176.40	7720.50
3	औद्योगिक	590.03	261.00	329.03	246.77	10693.48	197.42	100.00	19741.80	30435.28
4	सार्व./अर्ध सार्वजनिक तथा सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं	407.86	258.48	149.38	104.57	4854.85	89.63	100.00	8962.80	13817.65
5	आमोद–प्रमोद	684.63	60.79	623.84	436.69	23394.00	374.30	50.00	18715.20	42109.20
6	यातायात एवं परिवहन	1023.16	616.84	406.32	304.74	13205.40	247.79	100.00	24379.20	37584.60
7	मिश्रित	810.21	619.36	810.21	81.02	12153.15	486.13	100.00	48612.60	60765.75
योग:–		**6600.24**	**2447.91**	**4152.33**	**1357.14**	**66710.29**	**2491.40**	**650.00**	**230424.60**	**297134.89**

नोट :– भू–अर्जन की दर वर्ष 2020–21 की गाईडलाईन पर आधारित है। अतः असिंचित भूमि एवं सिंचित भूमि की दर प्रति हेक्टेयर 7.0 लाख से 60 लाख एवं सिंचित भूमि 14 लाख से 75 लाख तक का औसत दर को ध्यान मे रखते हुये भू–अर्जन की दर 50 लाख प्रति हेक्टेयर रखी गई है।

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

रतलाम विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट होता है कि विकास योजना के अधिकांश प्रस्तावों का वास्तविक क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। उपयुक्त प्रबंधन की कमी के कारण जिन क्षेत्रों की योजना प्रभावित हुई है, जिसका उल्लेख अध्याय 3 में किया गया है जिस पर पुनर्विचार करते हुए योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु नीति निर्धारण अनिवार्य है।

अतएव निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारण की नितांत आवश्यकता है :–

1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू–स्वरूप,
2. सांस्कृतिक धरोहरों के क्षेत्र का संरक्षण,
3. भूमि का कुशलतम उपयोग,
4. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/संधारणाएं
5. भूमि प्रदाय तथा अधोसंरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव,
6. समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवास प्रदान करना,

विकास योजना क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है :–

अ) पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम,

ब) नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम,

7. मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू–उपयोग के क्रियान्वयन के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जावेगा कि मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय प्राधिकारी को विकास हेतु उपलब्ध हो सके।
8. किसी भी तरह के स्वीकार्य उपयोग 12 मीटर चौड़ाई से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर विकसित नहीं किये जा सकेंगे।
9. आवासीय परिक्षेत्रों में चिकित्सा एवं इलेक्ट्रॉनिक गतसार से संबंधित उपक्रम विद्युत शक्ति की सीमा से मुक्त होंगे।
10. प्रत्येक अभिन्यास के खुले क्षेत्र में प्रत्येक 100 आवासीय इकाईयों के लिए एक बालवाड़ी, एक झूलाघर हेतु क्षेत्र आरक्षित रखना होगा। इसके अतिरिक्त उपयुक्त स्थान पर बंद कचराघर हेतु कम से कम 20 फीट स्थान आरक्षित रखना होगा। जहां से स्थानीय संस्थाएं सुविधापूर्वक कचरे का उठान कर सके, जिससे कि पर्यावरणीय दुष्प्रभाव न पड़े।
11. ऐसे आवासीय प्रक्षेत्र में भूखण्ड का आकार म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53(1) एवं (2) के अनुसार एवं खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार जहां कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो, नियंत्रित होगा।

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है, जो प्रमुख रूप से तालाबों के संरक्षण इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्ट, भू–स्वरूप तथा जल स्त्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों से संबंधित कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित है। अन्य पर्यावरण समस्याएं जैसे नगरीय अपशिष्ट के उपचार एवं निराकरण।

7.3.1 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय है :–

1. नदी एवं अन्य जल स्त्रोतों में जल–मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम।
2. तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू–उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना।
3. जल फैलाव क्षेत्रों में "स्टापडेम" द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक का उपयोग निषेध।
4. नदी, नालों, तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदण्डों का प्रभावीकरण।
5. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण।
6. सभी जल स्त्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था।

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा। :–

1. संस्था का गठन,
2. विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन,
3. भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग,
4. नगरवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थ व्यवस्था के परिपेक्ष्य में आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान,

7.4.1 नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भूमि स्वामी/विकासकर्ता/सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जावेगा। यहाँ समन्वयक संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी। सार्वजनिक संस्थाएं, प्रमुख सेवाएं, तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी।

7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभागिता करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है। नगर के

मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है।

7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढांचे के अनुरूप तैयार कर क्रियान्वित किया जा सकेगा।

वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए, जिससे कि पंचवर्षीय नगर विकास कार्यक्रम सामने आ सके। मूलतः यह कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम होगा। यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण, लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्तखण्ड तथा उपवृत्तखण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय एवं अर्धशासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शायेगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किये जाने वाले नगरीय मार्ग तंत्र तथा प्रमुख सेवा सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस विकास योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि का समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा।

योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका "सुविधादायक" के रूप में होना चाहिए। इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्त्रोतों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा। एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढांचे के अंतर्गत किया जाकर लक्ष्य की पूर्ति की जाना प्रस्तावित है।

1. एकीकृत नगर विकास योजना के तत्वों की पहचान,
2. एकीकृत नगर विकास योजना तैयार करना
3. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान,
4. विकास परियोजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण,
5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना, जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास में समन्वित विकास का दृष्टिकोण रखते हैं,
6. समन्वय अधिकारियों और अन्य खण्डीय/एजेन्सियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना।

7.5 विकास नियमन व्यापक दृष्टिकोण

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम उपयोग के साथ–साथ आधुनिक भूमि उपयोग की प्रबंधन नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि विकास नियमों को पुनर्भाषित किया जावे। भारतीय जीवन शैली के अनुरूप विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय–6 में नियमन वर्णित किये गये हैं।

7.6 योजना एवं कार्यक्रम

(अ) क्षेत्रों के विकास हेतु क्रियान्वयन तीन चरणों में करने का प्रावधान है। प्रथम चरण में वर्ष 2025 तक की आवश्यकताओं, द्वितीय चरण में वर्ष 2026 से 2031 तथा तृतीय चरण में वर्ष 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा।

(ब) योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि–स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से संसाधन गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है।

(स) योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिये नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास क्रियान्वित किया जावेगा :–

1. भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना।
2. मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारित करना, जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी कार्यरूप दे सके।
3. भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी भूमि विकास कार्यक्रम की नीतियों को तैयार करना।
4. परिसीमन अधोसंरचना के प्रावधान के साथ–साथ लगभग पांच से दस हेक्टेयर आकार के अर्धविकसित भूखण्डों को सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु विकास कार्यक्रम को मूर्तरूप देना।
5. योजना के तीनों चरणों की आवश्यकता, जलपूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्त्रोत का विकास।

7.6.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धांत निम्नानुसार है :–

- यह सुनिश्चित करना कि, भूमि उपलब्धता में कमी तथा उपयुक्त अधोसंरचना के कारण विकास अवरूद्ध न हो।
- उपलब्ध नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना।
- बिखरे हुए नगरीय विकास के लिये पहुंच मार्ग उपलब्ध कराना।
- अर्धविकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन।
- भू–स्वामियों, सार्वजनिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना।

7.7 प्रथम चरण के घटक

प्रथम चरण के घटक में सार्वजनिक संस्थाओं के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के उपयोगों को निम्नानुसार चिन्हित किया गया है :–

(अ) आवासीय

1. निवेश इकाई–1 मुख्य मार्ग क्र. 4 पर
2. निवेश इकाई–2 संजीत मार्ग से लगकर ग्राम टिगरिया।

(ब) वाणिज्यिक

थोक एवं विशिष्ट बाजार : निवेश इकाई क्र. 1 में नीमच मार्ग पर यातायात नगर के सामने।

(स) औद्योगिक

1. औद्योगिक क्षेत्र : निवेश इकाई क्र. 3 मंदसौर–रतलाम मार्ग पर ग्राम अजीजखेडी।
2. निवेश इकाई क्रमांक 2 में ग्राम जग्गाखेडी।

(द) यातायात एवं परिवहन

1. मुख्य मार्ग क्रमांक 4 एवं 5 का निर्माण।
2. ग्राम कायमखेड़ा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण।

(इ) सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक

1. प्रशासनीक केन्द्र एवं स्वास्थ्य उपयोग निवेश इकाई क्र. 3 में बायपास पर।

(उ) आमोद–प्रमोद

1. बायपास मार्ग पर दाउदखेड़ी में उद्यान का विकास।

7.8 प्रथम चरण कार्यक्रम

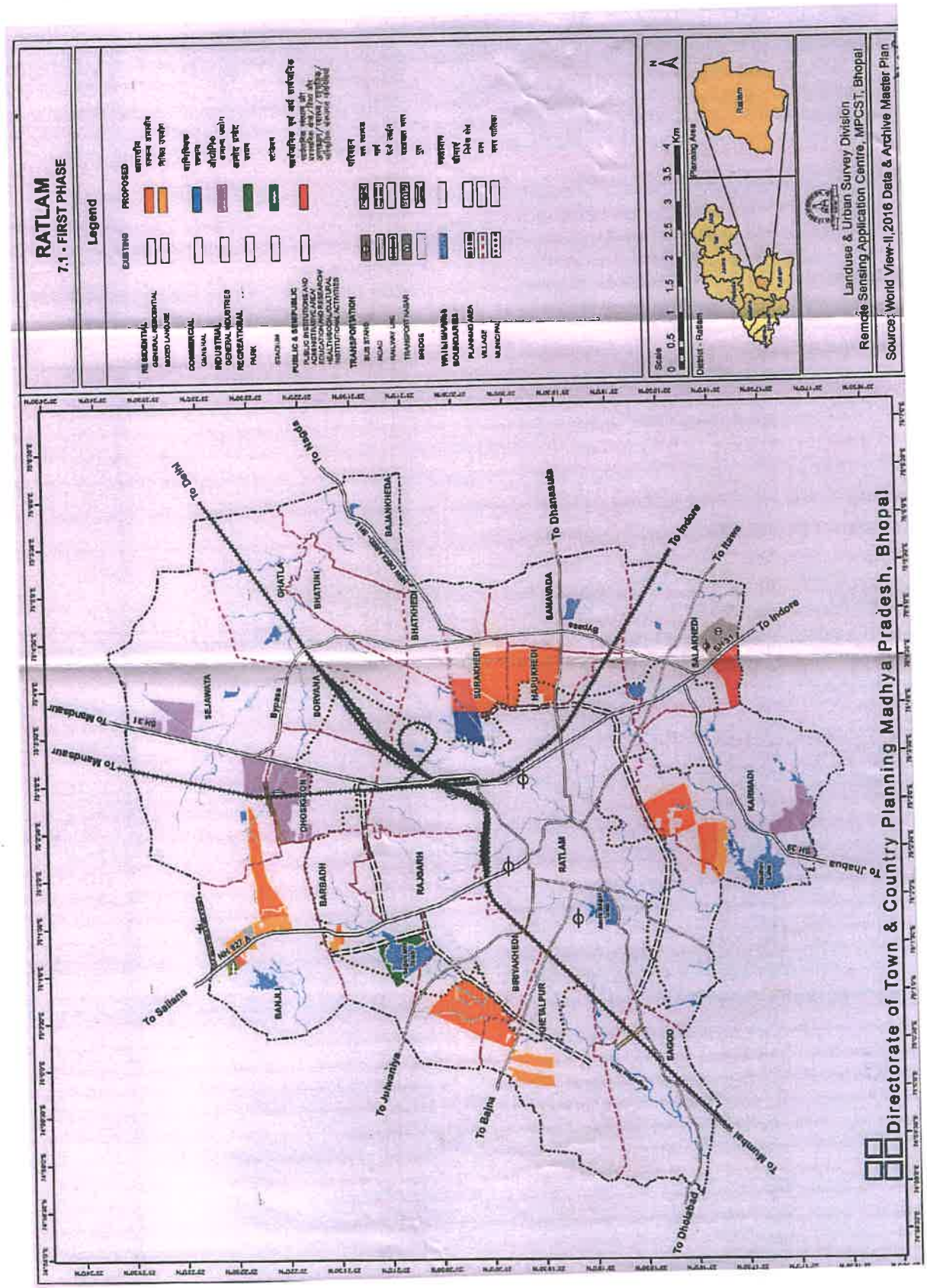
विकास योजना के प्रथम चरण में चयनित घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भूमि उपयोग के अन्तर्गत 365.22 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 94317.31 लाख होगी।

विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण निम्न सारणी में दिया गया है :–

प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत

सारणी 7–सा– 2

क्र.	कार्य विवरण	भू अर्जन क्षेत्रफल (हे. में)	भू– अर्जन की लागत (रू. 50 लाख प्रति हे. की दर से)	विकसित की जाने वाली भूमि विकास व्यय			कुल व्यय (रू. लाख में)
				भौतिक लक्ष्य (हे. में)	व्यय रूपये लाख में		
					दर	लागत	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	52.70	2634.855	351.31	100.00	35131.40	37766.26
2	वाणिज्यिक	3.08	153.975	20.53	100.00	2053.00	2206.98
3	औद्योगिक	27.13	1356.585	180.88	100.00	18087.80	19444.39
4	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक सुविधाएं	63.50	3175.095	60.48	100.00	6047.80	9222.90
5	आमोद–प्रमोद	16.25	812.595	15.48	100.00	1547.80	2360.40
6	यातायात एवं परिवहन **1. मार्ग** अ. आर.आर–1 लंबाई 17.12किमी चौड़ाई 60.0 मीटर ब. एम.आर.–4 लंबाई 4.57 कि.मी. चौड़ाई 30.0 मीटर स. एम.आर.–5 लंबाई 2.75 कि.मी. चौड़ाई 30 मीटर स. ओव्हर ब्रीज	116.72	5835.9	111.16	50.00	5558.00	11393.90
7	मिश्रित	85.84	4292.1	76.30	100.00	7630.40	11922.50
	योग	**365.22**	**48755**	**816.14**	**100.00**	**76056.2**	**94317.31**


RATLAM
7.1 - FIRST PHASE
Legend
EXISTING
PROPOSED
RESIDENTIAL
GENERAL RESIDENTIAL
MIXED LANDUSE
COMMERCIAL
GENERAL
INDUSTRIAL
GENERAL INDUSTRIES
RECREATIONAL
PARK
STADIUM
PUBLIC & SEMIPUBLIC
TRANSPORTATION
BUS STAND
ROAD
RAILWAY LINE
TRANSPORT NAGAR
BRIDGE
WATER BODIES
BOUNDARIES
PLANNING AREA
VILLAGE
MUNICIPAL
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District - Ratlam
Planning Area
Ratlam
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: World View-II,2016 Data & Archive Master Plan
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Nagda
To Delhi
To Dhamnod
To Indore
To Itawa
To Mandsaur
To Jaora
To Sailana
To Jhirwaniya
To Bajna
To Mumbai
To Dholabad
BAJANKHEDA
GHATLA
BHATUNI
BHATKHEDI
RAMNIYA
SURAKHEDI
HAPUKHEDI
SALAKHEDI
SEJAWATA
KORVANA
DHORGRAON
BARBADHI
RAJGARH
RATLAM
KARMADI
BANJU
BIRIYAKHEDI
JOHETALPUR
BAGOD

7.9 संसाधन गतिशीलता

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है। वर्तमान में नगर विकास एवं निवेश हेतु अलग–अलग प्रयास नहीं किये गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का अपव्यय होता है। नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती है। नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्तमान में भूमि का उपयोग कर नगर विकास में निवेश के प्रयास तदर्थ एवं पृथक–पृथक रहे हैं, जिसमें उपलब्धता एवं क्षमता को रतलाम जैसे नगर के लिए नगरीय वृद्धि एवं नगरीयकरण के परिपेक्ष्य में कार्यरत भूमि बाजार को रोकते हुए गतिशीलता दी जा सकती है। स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है, जो कि नगर में कार्यरत नगर भूमि बाजार को रोकने में मदद कर सकती है।

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिन्हित किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगा।

7.10 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

1. विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रम के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करती है। यह योजना क्रियान्वयन एवं पुनर्विलोकन के साथ–साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरांत तदनुसार पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करता है।
2. योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्नानुसार तैयार करना प्रस्तावित है :–

(अ) पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना।

(ब) आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकताओं वाली कार्य योजना का निर्धारण।

(स) प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना।

(द) वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं आलोच्य अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश का निर्धारण।

(इ) आलोच्य क्षेत्रों के सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका का निर्धारण।

(फ) समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना।
(ग) वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण।
(ड) सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमि को परिभाषित करते हुए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम को परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना।

3. नियोजन पर्यवेक्षण तंत्र :– योजना पर्यवेक्षण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है :–

(अ) स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति।
(ब) नगर विकास प्राधिकरण अथवा नगर पालिका द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।
(स) नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास कार्यक्रम/क्रियान्वयन का मूल्यांकन।
(द) समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
(इ) वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन।

4. नियोजन पर्यवेक्षण समिति का गठन विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूलतः दायित्व रतलाम विकास प्राधिकरण का होगा। विकास प्राधिकरण के गठन होने तक रतलाम नगर पालिक निगम द्वारा उक्त दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। अपितु इसके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएं एवं विभाग भी सहभागी होंगे। अतः संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ–3/45/32/2010 दिनांक 15/04/2010 द्वारा जिलाध्यक्ष रतलाम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के ज्ञापन क्रमांक 2876 दिनांक 15/05/1998 में उल्लेखित कार्यपद्धति को अपनाते हुए नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी।

5. वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण : रतलाम विकास नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन को अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

7.11 योजना की व्याख्या

रतलाम विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं। अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :–

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषयवस्तु के साथ–साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है।
2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग, सारणी एवं विकास नियमन के अध्याय–6 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगी। नेवरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित है। अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है।
3. ऐसे भूमि उपयोग/गतिविधियां जो प्रमुख भू–उपयोग वर्ग (मेजर लैण्ड यूज झोन) में परिभाषित नहीं है, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी, किन्तु जो स्वीकार्य भूमि उपयोग/स्वीकृत भूमि उपयोग सूची में सम्बद्ध तालिका में शामिल है, वे भू–उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आवेंगे।
4. विकास योजना प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक बदलाव **अपरिहार्य होता है, स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग** संरचना का **निर्धारण आवश्यक होगा। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया** निर्णय स्वीकृत विकास योजना का भाग माना जावेगा।
5. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्रों में प्रस्ताव सांकेतिक स्वरूप के हैं। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा की गई व्याख्या अन्तिम मानी जायेगी।
6. यह कि नीतिगत दस्तावेज है, विभिन्न उपयोग परिक्षेत्र में **भूमि से आवश्यकता से** संबंधित व्याख्या विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय स्थिति अनुसार **वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पुनर्समायोजित** की जा सकती है।

7.12 योजना कालावधि

नगरीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी घटकों में कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है, इसलिए नियोजन प्रक्रिया में कालावधि का निर्धारण किया जाता है। कालावधि के आधार पर नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित कर नगर का भावी स्वरूप निर्धारित किया जाता है। नगर की वर्तमान एवं भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण कालावधि के लिये किया गया है, साथ ही इसमें दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। रतलाम विकास योजना के प्रस्ताव वर्ष 2035 तक की कालावधि के लिये प्रस्तावित किये गये हैं। विकास योजना के प्रस्ताव, योजना कालावधि के उपरांन्त भी विकास योजना पुनर्विलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा विकास योजना प्रस्ताव के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे।

परिभाषाएँ

001 आवासीय भूखण्ड भूखण्डीय आवास

एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज/गैरेजेस, सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो।

002 आवासीय भूखण्ड समूह आवास

न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें जैसे वाहन विराम स्थल, उद्यान, सुविधाजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हों

003 आवासीय फ्लेट

एक परिवार के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र हो।

004 आवासीय–सह–कार्य भूखण्ड

एक परिवार में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो, ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजनाओं में मान्य होंगे।

005 आवासीय परिसर – विशेष क्षेत्र

विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहित विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान।

006 छात्रावास (हॉस्टल)

दीर्घावधि हेतु आवंटित रांरधागों रो जुड़े कगरों का परिसर।

007 अतिथिगृह बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह

अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर। बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों की छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हों ।

008 धर्मशाला एवं इसके समकक्ष

वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थाई रहवासी जगह उपलब्ध हो।

009 बारात घर

सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु स्थान।

010 रैन–बसेरा (नाइट शेल्टर)

ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो, जो कि स्थानीय संस्था या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हों।

011 फुटकर दुकानें

आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर।

012 मरम्मत दुकान

गृह सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामान, आटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर।

013 व्यक्तिगत सेवा दुकान

फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हों।

014 बेडिंग बूथ

यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो।

015 सुविधाजनक दुकान केन्द्र

लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह।

016 स्थानीय दुकान केन्द्र

लगभग 15 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह।

017 साप्ताहिक बाजार/अनौपचारिक समूह इकाई

बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र। यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो।

018 थोक व्यापार

ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हों।

019 स्टोरेज गोदाम एवं भण्डारण

ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो।

020 कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)

आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।

021 गैस गोदाम

ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों का भंडारण किया जाता हो।

022 तेल डिपो

संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर।

023 कबाड़खाना

अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के क्रय–विक्रय के साथ बंद, अर्द्धबंद एवं खुला भण्डारण परिसर।

024 वाणिज्यिक कार्यालय

लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर।

025 बैंक

ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों।

026 मोटर गैरेज एवं कार्यशाला

वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर।

027 छविगृह

दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो, ऐसा परिसर।

028 पेट्रोल पंप

ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो, साथ ही वाहन सर्विसिंग व्यवस्था हो।

029 रेस्टोरेंट/उपहार गृह

ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले या बंद दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो।

030 होटल

ऐसा परिसर, जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो।

031 मोटल

ऐसा परिसर, जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो।

032 फ्लेटेड समूह उद्योग

ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो, यह इकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती हैं।

033 सेवा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत, विद्युतीय उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हों, ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक सेवा प्रदाय हो सके।

034 औद्योगिक भूखण्ड – हल्के उद्योग

अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर।

035 औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग

ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित हो।

036 उद्यान (पार्क)

आमोद–प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू–दृश्यीकरण, वाहन विराम, सार्वजनिक शौचालय, फैंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हों, इसमें लॉन, खुले, हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे।

037 क्रीड़ांगन

बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर, इसमें भूदृश्यीकरण, वाहन विराम सुविधा, सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हों।

038 बाह्य खेल स्टेडियम

बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पवेलियन के साथ दर्शकदीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।

039 आंतरिक खेल स्टेडियम

अहानिकारक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र, दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।

040 आंतरिक खेल हाल

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हों।

041 शूटिंग रेंज

ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हों।

042 तरण पुष्कर

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार, मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो।

043 आमोद–प्रमोद क्लब

संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो।

044 ऐतिहासिक स्मारक

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हों।

045 प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय

संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हों।

046 पक्षी अभ्यारण्य

पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधायुक्त परिसर।

047 वनस्पति उद्यान

अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर।

048 पिकनिक हट/केम्पिंग साइट

ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद–प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो।

049 फ्लाईंग क्लब

ऐसा परिसर जहां ग्लाईडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मनोरंजन एवं आंतरिक खेल गतिविधियां शामिल हों।

050 माल एवं टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाईन द्वारा टिकिट घर एवं माल के भण्डारण के लिए किया जाता हो।

051 रेल माल गोदाम

ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेलवे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो।

052 रेल टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेलवे टिकिट घर के रूप में किया जाता हो।

053 सड़क परिवहन टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो।

054 वाहन विराम

सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो।

055 टैक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतवर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है। वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो।

056 बस अवसान केन्द्र

ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो। इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती हैं।

057 बस स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख–रखाव, मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो, इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी।

058 सार्वजनिक उपयोगिता परिसर

1. पानी की टंकी – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
2. भूमिगत टंकी – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
3. आक्सीकरण पौंड – ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो।
4. सेप्टिक टेंक – ऐसा परिसर जिसमें जल निकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत टैंक स्थित हो।
5. जल–मल पंपिग स्टेशन – ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल–मल को ऊंचाई पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो।
6. सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय – ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो, इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी।
7. विद्युत उपकेन्द्र – ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थित हो।
8. घूरा एवं कचराघर – ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं आगे गड्ढों को भरने हेतु लदान किया जाता हो।
9. धोबीघाट – ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने, सुखाने इत्यादि के लिए किया जाता हो।

059 केन्द्र शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

060 स्थानीय शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो।

061 सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय

ऐसा परिसर-जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

062 न्यायालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

063 शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग)

शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो।

064 चिकित्सालय

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषीकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो।

065 स्वास्थ्य केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर–व्यवसायिक आधार पर किया जाता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है।

066 उपचार केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो। जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है।

067 औषधालय

ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाईयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो।

068 क्लीनिक/चिकित्सा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा बाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो। पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा।

069 उपचार प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण की सुविधा हो।

070 स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा

ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो। यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

071 झूलाघर एवं दिवस देख–रेख केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो। यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है।

072 पूर्व माध्यमिक एवं किंडरगार्डन स्कूल

ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हों।

073 माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा पाँचवीं तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो।

074 प्राथमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा छठवीं से दसवीं तक के छात्रों के पढ़ने खेलने की सुविधा हो। इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा आठवीं तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित हैं।

075 उच्चतर माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा दसवीं से बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो।

076 एकीकृत शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो।

077 एकीकृत आवासीय शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो तथा छात्रों के लिए बोर्डिंग सुविधा हो। इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते हैं।

078 महाविद्यालय

ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो। इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल हैं।

079 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो। ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये। इसमें प्रशिक्षण–सह–कार्य केन्द्र शामिल हैं।

080 सामाजिक कल्याण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो। यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है।

081 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो।

082 पुस्तकालय

ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के लिए वृहद संख्या में पुस्तकों का संकलन हो।

083 तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल है।

084 वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण

ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण, पत्राचार, रिकॉर्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो।

085 संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो।

086 खेल प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें शारीरिक शिक्षा केन्द्र भी शामिल है।

087 वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें ऑटो/वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो।

088 बाल यातायात उद्यान

ऐसा परिसर जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा–सह–उद्यान की सुविधा हो।

089 संग्रहालय

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो।

090 कला दीर्घा एवं प्रदर्शनी स्थल

ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग, छाया चित्रों, मूर्तियों, भित्ती क्षेत्र, मिट्टी से बनी कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो।

091 सभागृह (ऑडीटोरियम)

ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो।

092 खुला रंगमंच

ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो।

093 सामुदायिक भवन

ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक– सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो।

094 मेला मैदान

ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी, प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हों।

095 सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संस्था, राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हों।

096 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था

ऐसा परिसर जिसमें गैर–वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हों।

097 सुधार गृह

ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो।

098 अनाथालय

ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो। यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है।

100 योग, ध्यान, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हों।

101 पुलिस चौकी

पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर।

102 पुलिस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो।

103 जिला पुलिस कार्यालय

अर्ध सैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर।

104 नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक

आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर।

105 न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा हो।

106 जेल

ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत कारावास/बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो।

107 अग्निशमन पोस्ट

ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो। अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है।

108 अग्निशमन पोस्ट

एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर।

109 डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर।

110 डाक एवं तार घर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।

111 मुख्य डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।

112 टेलीफोन एक्सचेंज

परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो।

113 रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन

समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार, रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर, जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिए टावर्स जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती हैं।

114 ट्रांसमिशन टॉवर एवं वायरलेस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टॉवर निर्माण हेतु किया जाता हो।

115 उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र

ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध हो।

116 वैधशाला एवं मौसम कार्यालय

ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सूविधा उपलब्ध हो।

117 बाग (ओरचर्ड)

सघन फल वृक्षों का परिसर, जिसमें फल वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है।

118 डेयरी फार्म

ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो, जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हों सकते हैं।

119 कुक्कुट फार्म

कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर, जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

120 सुअर पालन

सुअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधायुक्त परिसर, जिसमें सुअरों के लिए अस्थायी स्वरूप के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

121 ग्रामीण केन्द्र

एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर।

122 मल्टीप्लेक्स

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के अनुसार दो या उससे अधिक सिनेमा के साथ दुकानों, आमोद–प्रमोद की गतिविधियों, कार्यालय, शोरूम, होटल, रेस्टोरेन्ट, शापिंग मॉल संबंधी परिसर।

123 URDPFI

Urban and Regional Development Plan Formulation and Implementation Guidelines

124 GIS

Geographical Information System

125 TDR

Transfer of Development Rights

126 DEM

Digital Elevation Model

127 NRSC

National Remote Sensing Centre

128 RS

Remote Sensing

परिशिष्ट 1

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग – 2 दिनांक 01.01.1974 में प्रकाशित

मध्यप्रदेश शासन

नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 1973

क्रमांक 2957/1–90/33/73 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 (1) के अधीन, मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपरोक्त रतलाम नगर के लिये निवेश क्षेत्र का गठन कर उसकी सीमायें निम्नानुसार परिनिश्चित की गई हैं :–

अनुसूची

रतलाम निवेश क्षेत्र की सीमायें

1. उत्तर – बंजली, सेजावता, घटला, बोरवना, डोसीगांव, राजगढ़ एवं बडबड़ ग्राम की उत्तरी सीमा तक
2. पश्चिम – बिरियाखेड़ी, खेतलपुर एवं सागोद ग्राम की पश्चिमी सीमा तक।
3. दक्षिण – गोरूगढ़, दिलीप नगर, कचनारी एवं धोलाखेड़ी ग्राम की दक्षिणी सीमा तक।
4. पूर्वी – सनावदा, हापूखेडी, सुराखेडी, भाटखेड़ी, बाजनखेड़ा एव भटूनी ग्राम की पूर्वी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता/–
(एस.सी. जैन)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगर एवं ग्रामीण नियोजन

परिशिष्ट 2

रतलाम नगर हेतु भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र अंगीकृत करने की सूचना अधिसूचना

जनता की सामान्य जानकारी हेतु यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 15(3) के अंतर्गत रतलाम नगर के निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाये निवेश क्षेत्र हेतु भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन, मध्यप्रदेश द्वारा अंगीकृत किये जा चुके हैं। इस अधिसूचना की प्रतिलिपि उपरोक्त अधिनियम की धारा 15(3) के अधीन म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु भेजी जा रही है तथा यह इस बात का निश्चयात्मक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है।

अनुसूची

रतलाम निवेश क्षेत्र की सीमायें

1. उत्तर – बंजली, सेजावता, घटला, बोरवना, डोसीगॉव, राजगढ एवं बडबड़ ग्राम की उत्तरी सीमा तक
2. पश्चिम – बिरियाखेड़ी, खेतलपुर एवं सागोद ग्राम की पश्चिमी सीमा तक।
3. दक्षिण – भेरूगढ़, दिलीप नगर, करमदी एवं सलाखेडी ग्राम की दक्षिणी सीमा तक।
4. पूर्वी – सनावदा, हापूखेड़ी, सुराखेड़ी, भाटखेड़ी, बाजनखेड़ा एवं भटूनी ग्राम की पूर्वी सीमा तक।

उपरोक्त अंगीकृत मानचित्र निरीक्षण हेतु निम्नलिखित स्थान पर दिनांक 19.7.1976 से 26.7.1976 तक (छुट्टी के दिनों को छोड़कर) कार्यालयीन समय में उपलब्ध रहेगा।

निरीक्षण का स्थानः–
कार्यालय सहायक संचालक,
नगर एवं ग्रामीण नियोजन
उपक्षेत्रीय कार्यालय, पैलेस मार्ग,
रतलाम

हस्ता.
(व्ही.के. जैन)
संयुक्त संचालक
नगर एवं ग्रामीण नियोजन, इन्दौर

परिशिष्ट 3

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

आदेश

भोपाल दिनांक 13/01/2021

क्र. एफ–3–04/2021/18–5 राज्य शासन एतद् द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17–क (1) के अंतर्गत रतलाम **विकास योजना हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र. एफ–3–23/2008/बत्तीस** भोपाल, दिनांक **03.03.2008 को निरस्त करते हुये रतलाम विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु** निम्नानुसार समिति का पुर्नगठन किया जाता है। यह समिति अधिनियम की धारा 17–क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी।

अधिनियम की धारा 17–क(1) की उपधारा	पद/व्यक्ति का नाम	संस्था/पता	समिति में पद
1	2	3	4
(क)	महापौर	नगर निगम, रतलाम	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, रतलाम	सदस्य
(ग)	संसद सदस्य	लोक सभा क्षेत्र, झाबुआ–रतलाम	सदस्य
(घ)	विधायक	विधानसभा क्षेत्र, रतलाम (नगरीय एवं ग्रामीण)	सदस्य
(ड़)	अध्यक्ष	नगर विकास प्राधिकरण/साडा	सदस्य
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, रतलाम	सदस्य
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत बंजली (ग्राम बंजली बरगड़)	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत सागौद	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत सनावदा	सदस्य
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत करमदी	सदस्य
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत सालाखेड़ी	सदस्य
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत सेजावता	सदस्य
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत जड़वासा खुर्द (ग्राम बाजन खेड़ा)	सदस्य
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत घटला (ग्राम घटला, भटूनी, बोरवना)	सदस्य
	9. सरपंच	ग्राम पंचायत नगरा (हापूखेड़ी, सुराखेड़ी, भाटखेड़ी)	सदस्य
(ज)	10. प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला रतलाम	सदस्य
	11. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, रतलाम	सदस्य
	12. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रतलाम	सदस्य
	13. प्रतिनिधि	महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, रतलाम	सदस्य
	14. प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया,	सदस्य
	15. प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया,	सदस्य
	16. प्रतिनिधि	कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर,	सदस्य
(झ)	समिति संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन म.प्र.	संयोजक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/–
(डॉ. शुभाशीष बैनर्जी)
उप सचिव

परिशिष्ट 4

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
आदेश

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 1998

क्र. एफ–3/130/32/97 राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश के जिन विभिन्न नगरों की विकास योजनायें अनुमोदित है, कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिये निम्नानुसार "नियोजन एवं पर्यवेक्षण" समिति का गठन करता है :–

1.	संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	नगर तथा ग्राम निवेा का संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य
3.	म.प्र. गृह निर्माण मंडल का उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
4.	संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम/मुख्य कार्यपालन अधि.न.पालिका	सदस्य
5.	लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
6.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण/कार्यपालन यत्री	सदस्य
7.	म.प्र. विद्युत मंडल का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
8.	(अ) संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित है)	सदस्य सचिव
	(ब) संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित नहीं है)	सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/–
(जी.व्ही. उपाध्याय)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण
विभाग

परिशिष्ट 5

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

संशोधन

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 1998

क्र. एफ–3/55/32/98 राज्य शासन एतद् द्वारा नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन एवं क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं के समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ–3/130/32/97 दिनांक 20–1–1998 द्वारा संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित "नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति" में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है :–

(1) समिति में निम्नलिखित भी सदस्य के रूप में शामिल किये जाते हैं :–

1. सांसद, संबंधित क्षेत्र
2. अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण
3. अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत
4. अध्यक्ष, संबंधित नगर पालिक निगम
5. अध्यक्ष, संबंधित नगर पालिका
6. अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/–
(जी.व्ही. उपाध्याय)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण
विभाग